



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे

(खण्ड I)

2020-21



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वित्त लेखे
(खण्ड I)

वर्ष 2020-2021 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड I	
♦ विषय सूची	i-iii
♦ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	iv-v
♦ वित्त लेखे का मार्गदर्शन	vii-xii
विवरण 1. वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4-6
विवरण संख्या 2 का अनुबंध	7-9
विवरण 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	10-13
विवरण 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14-19
ख: प्रकृति के अनुसार व्यय	20-25
विवरण 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	26-32
विवरण 6. उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण	
(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण	33-35
(ii) ऋण सेवा	36-37
विवरण 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का विवरण	
खण्ड: 1 कर्जों तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार	38
खण्ड: 2 कर्जों तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार	39
खण्ड: 3 बकाया रही वसूलियां	40-41
विवरण 8. सरकार के निवेशों का विवरण	42
विवरण 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण	43
विवरण 10. सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण	
(i) वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	44-48
(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण	49
विवरण 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	50-51
विवरण 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण	52-55
विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	56-57
♦ अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियाँ	58-91

विषय सूची – (क्रमशः)

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

विवरण 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	94–143
विवरण 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	144–224
विवरण संख्या 15 का अनुबंध	225–230
विवरण 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	231–317
विवरण 17. उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण	
(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण	318–326
(ख) परिपक्व रूपरेखा	327–329
(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा	330–331
विवरण संख्या 17 का अनुबंध	332–354
विवरण 18. सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण	
मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण	355–402
अन्य ऋणी संस्थाओं के बकाया भुगतान	403
अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण	404–407
विवरण 19. सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	
खण्ड 1: 2020–21 तक के निवेशों का विवरण	408–429
खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण	430
विवरण 20. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण	
(क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण	431
(ख) गारन्टियों का विवरण	432–438
विवरण 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	439–450
विवरण संख्या 21 का अनुबंध	451–457
विवरण 22. पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	458–474

विषय सूची – (समाप्त)

पृष्ठ

खण्ड II – (समाप्त)

भाग II

परिशिष्ट I	संवेतन पर तुलनात्मक व्यय	476-496
परिशिष्ट II	सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय	497-510
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार)	511-561
परिशिष्ट IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	562-564
परिशिष्ट V	आयोजनागत योजना व्यय	
	(क) केन्द्रीय योजनाएं	565-603
	(केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	
	(ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं	604-658
परिशिष्ट VI	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)	659-665
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 7 एवं 18 में दर्शाये अनुसार)	666
परिशिष्ट VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	667-671
परिशिष्ट IX	सरकार की वचनबद्धता- अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची	672
परिशिष्ट X	संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय	673-692
परिशिष्ट XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	693
परिशिष्ट XII	सरकार के वचनबद्ध दायित्व	694

भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्थान सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करते हैं। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया जाता है खंड I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति शामिल है और खंड II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखे को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

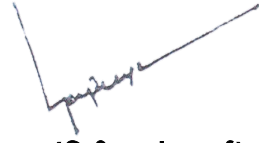
वित्त लेखे को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें राजस्थान सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत कार्यरत ऐसे लेखाओं को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों {7(3), 8, 9, 10(ii), 19 तथा 20}, व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण संख्या 14 के नीचे बिन्दु संख्या 2 तथा परिशिष्ट संख्या VIII के नीचे बिन्दु संख्या 3) और परिशिष्ट (IX तथा XI) को राजस्थान सरकार/निगमों/कम्पनियों/समितियों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

राजस्थान सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और/अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय सुभिन्न संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य की जाँच को एक नमूना आधार पर शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप और दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं से टिप्पणियाँ' के साथ पठित वित्त लेखे वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की सही और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली राजस्थान सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल है।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक : 17.11.2021

स्थान : नई दिल्ली,

वित्त लेखे का मार्गदर्शन

क. सरकारी लेखों के ढाँचे का विस्तृत विश्लेषण

1. राजस्थान राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिये सरकार की प्राप्ति तथा खर्च के लेखे साथ ही राजस्व एवं पूंजी लेखों द्वारा प्रकट किये गये वित्तीय परिणाम, लोक ऋण के लेखे तथा लेखों में दर्ज शेषों से निकाले गये राज्य सरकार के दायित्वों एवं सम्पत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

भाग-I : समेकित निधि: यह निधि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी कर्ज (बाजार कर्ज, बंधपत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, इत्यादि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम तथा ऋणों के पुर्नभुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सभी धन को समाहित करती है। इस निधि से कानून एवं उद्देश्य के अनुसार तथा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके के अतिरिक्त धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय के निश्चित संवर्ग (उदाहरण के लिये संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुर्नभुगतान इत्यादि) राज्य की संचित निधि (भारत व्यय) पर एक भार बनाती है तथा विधान मण्डल द्वारा मताधिकार का विषय नहीं है। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधान सभा द्वारा पारित होते हैं।

समेकित निधि में दो भाग शामिल हैं: राजस्व तथा पूंजी (लोक ऋण, कर्ज तथा अग्रिम सहित)। ये आगे “प्राप्ति” एवं “व्यय” में वर्गीकृत हैं। राजस्व प्राप्ति वर्ग तीन खण्डों में विभक्त है, अर्थात् “कर राजस्व”, “करेतर राजस्व” तथा “सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान”। ये तीनों खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते हैं जैसे “आय तथा व्यय पर कर”, “राजकोषीय सेवाएं”, इत्यादि। पूंजीगत प्राप्ति भाग में कोई खण्ड अथवा उपखण्ड नहीं होता है। राजस्व व्यय वर्ग चार खण्डों में विभक्त है अर्थात् “सामान्य सेवाएं”, “सामाजिक सेवाएं”, “आर्थिक सेवाएं” तथा “सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान”। राजस्व व्यय वर्ग में ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त हैं जैसे “राज्य के अंग”, “शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति” इत्यादि। पूंजीगत व्यय वर्ग सात खण्डों में विभक्त है अर्थात् “सामान्य सेवाएं”, “सामाजिक सेवाएं”, “आर्थिक सेवाएं”, “लोक ऋण”, “कर्ज तथा पेशगियाँ”, “अन्तराज्यीय निपटान” तथा “आकस्मिकता निधि में अंतरण”।

भाग-II : आकस्मिकता निधि: यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसकी स्थापना विधि के तहत राज्य विधान मण्डल द्वारा की जाती है तथा ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत लम्बित हो, की पूर्ति हेतु राज्यपाल के विवेकाधीन रखी जाती है। निधि को राज्य की संचित निधि से सम्बन्धित कार्यकारी मुख्य शीर्ष को व्यय नामे करते हुए पूरित किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिये राजस्थान सरकार की आकस्मिकता निधि ₹ 500 करोड़ है।

भाग-III : लोक लेखा: सरकार द्वारा अथवा की ओर से प्राप्त अन्य समस्त लोक धनराशियाँ, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा होती है। लोक लेखा में पुर्नदेयताएं जैसे लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ, जमाएं (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज वाली एवं बिना ब्याज वाली), प्रेषण तथा उचन्त शीर्ष (दोनों जो अनित्य शीर्ष हैं, अन्तिम लेखांकन देय) शामिल होती है। सरकार का उपलब्ध शुद्ध रोकड़ शेष भी लोक लेखे के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखे में छः खण्ड सम्मिलित हैं अर्थात् “अल्प बचत, भविष्य निधि आदि”, “आरक्षित निधियाँ”, “जमा एवं अग्रिम”, “उचन्त तथा विविध”, “प्रेषण” तथा “रोकड़ शेष”। ये खण्ड आगे उपखण्डों में विभक्त होते हैं। लोक लेखा विधान मण्डल के मत का विषय नहीं है।

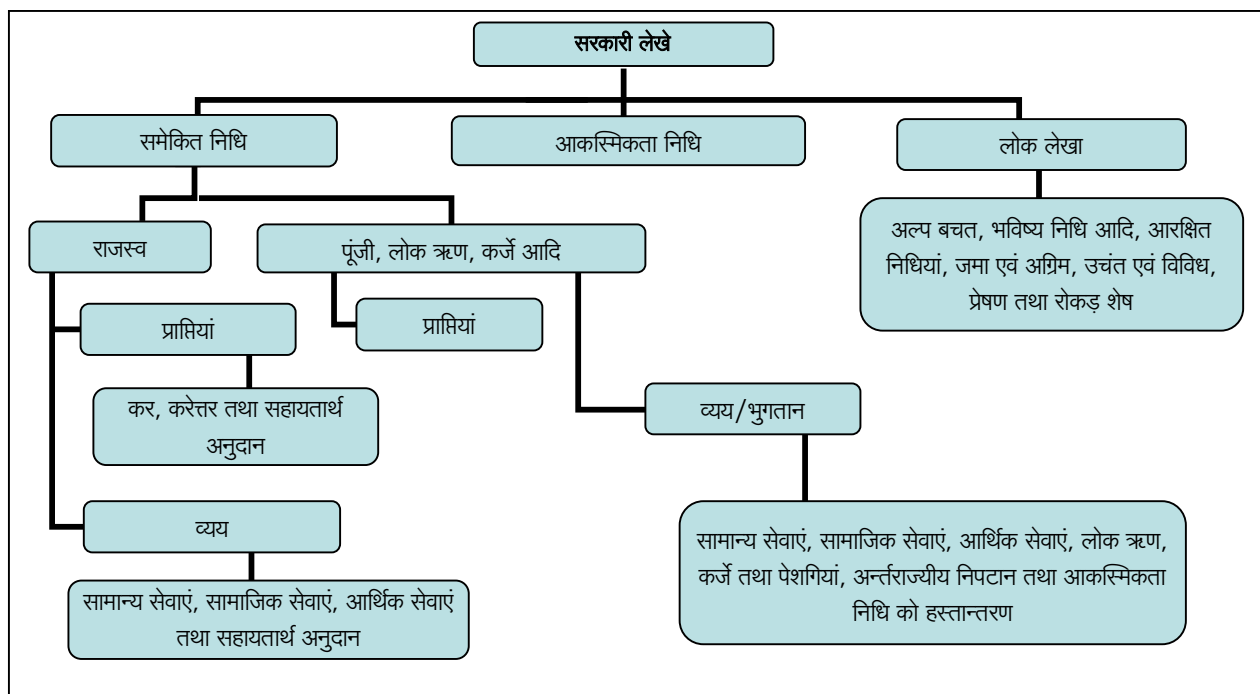
वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

3. सरकारी लेखे छह स्तरीय वर्गीकरण के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाते हैं, अर्थात् मुख्य शीर्ष (चार अंक), उपमुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप शीर्ष (दो अंक), समूह शीर्ष (दो अंक) तथा विस्तृत शीर्ष (दो अंक)। मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का द्योतक है, उपमुख्य शीर्ष उपकार्य, लघु शीर्ष कार्यक्रम/कार्यकलापों, उपशीर्ष योजनाओं, समूह शीर्ष उपयोजनाओं तथा विस्तृत शीर्ष व्यय के अभिप्राय/उद्देश्य का द्योतक है।
4. लेखों में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग तरीका शामिल है (31 मार्च 2021 तक संशोधित मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची के अनुसार):-

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियां
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूंजीगत प्राप्तियां
4046 से 7810	पूंजीगत व्यय (लोक ऋण, कर्जें तथा पेशगियां सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

5. वित्त लेखे, सामान्यतया (कुछ अपवादों के साथ), लघु शीर्ष तक संव्यवहार दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर पर दिखाये जाते हैं, अर्थात् खर्च की कटौती के रूप में वसूलियों के लेखांकन के बाद। यह तरीका विधान मण्डल को प्रस्तुत अनुदान की मांगों तथा विनियोग लेखों में दर्शाने से भिन्न है जहां व्यय सकल स्तर पर दिखाये जाते हैं।
6. सरकारी लेखे के ढांचे का सचित्र प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है:

सरकारी लेखे का ढांचा



वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

ख. वित्त लेखे में क्या शामिल है

वित्त लेखे दो खण्डों में प्रस्तुत होते हैं।

खण्ड I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, वित्त लेखे का मार्गदर्शन, तैरह विवरण जो चालू वित्तीय वर्ष के लिये राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा सव्यवहारों की सारांशीकृत सूचना देते हैं, लेखाओं से टिप्पणियां तथा लेखाओं से टिप्पणियां का परिशिष्ट सम्मिलित है। **खण्ड II** के तेरह विवरणों का विवरण नीचे दिया गया है:

- 1. वित्तीय स्थिति का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के वर्ष के अन्त में विद्यमान संचयी आकड़ों तथा पिछले वर्ष के अन्त की स्थिति से तुलना को दर्शाता है।
- 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण :** यह विवरण सभी तीन भागों, अर्थात् समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, में वर्ष के दौरान राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें एक अनुबन्ध शामिल है जो सरकार के रोकड़ शेष (निवेशों को शामिल करते हुए) को अतिरिक्त रूप में दर्शाता है। अनुबन्ध सरकार की अर्थोपाय स्थिति को भी विस्तृत रूप में दर्शाता है।
- 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):** यह विवरण राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों, उधार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों के पुर्नभुगतान को सम्मिलित करता है। यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड-II में विस्तृत विवरण 14, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
- 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि) :** वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर तक के सामान्य वर्णन से अलग यह विवरण गतिविधि की प्रकृति के अनुसार (व्यय का उद्देश्य) भी व्यय का विवरण देता है। यह विवरण खण्ड-II में विस्तृत विवरण 15, 16, 17 तथा 18 के समतुल्य है।
- 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण:** यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के समतुल्य है।
- 6. उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण:** सरकार की उधारों में इसके द्वारा उगाये गए बाजार कर्जे (आन्तरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम समाहित हैं। 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधियां' तथा 'जमा' समाहित है। विवरण में ऋण सेवा पर एक टिप्पणी भी सम्मिलित है तथा खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के समतुल्य है।
- 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और पेशगियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के ऋणी जैसे संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियां, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत गृहीता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिये गये सभी कर्जे तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के समतुल्य है।
- 8. सरकार के निवेशों का विवरण:** यह विवरण संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की अंशपूंजी में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के समतुल्य है।
- 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण :** यह विवरण राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जे का मूल तथा ब्याज के पुर्नभुगतान पर दी गयी गारन्टियों का सार प्रस्तुत करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के समतुल्य है।

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

10. **सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण** : यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के अनुदान ग्रहीता जैसे, संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्वायत्तशासी तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा वैयक्तिक को दिये गये समस्त सहायतार्थ अनुदान को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थाओं का विवरण उपलब्ध कराता है।
11. **दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण** : यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आंकड़ों का विनियोग लेखों में प्रदर्शित सकल आंकड़ों के साथ सादृश्य करने में सहायता करता है।
12. **राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण** : यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय को राजस्व प्राप्तियों से चुकाने का अनुमान किया जाता है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय राजस्व अधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के शुरू में रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित किया जाता है।
13. **समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सांराशः** यह विवरण लेखों की यथार्थता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरण खण्ड II में विस्तृत विवरण 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के समतुल्य है।

वित्त लेखे के खण्ड II में 2 भाग सम्मिलित है- भाग I में 9 सांराशीकृत विवरण तथा भाग II में 12 परिशिष्ट।

खण्ड II का भाग I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 3 के समतुल्य है।
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 4 के समतुल्य है, राज्य सरकार के राजस्व व्यय को आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) तथा आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय पृथक से प्रदर्शित किये जाते हैं।
16. **लघुशीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के समतुल्य है, राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा प्रगामी) को आयोजना (राज्य आयोजना, राज्य आयोजना को केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) तथा आयोजना-भिन्न के अन्तर्गत दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय को पृथक से प्रदर्शित किया जाता है पूंजीगत व्यय को लघुशीर्ष स्तर तक प्रस्तुत करने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में यह विवरण उपशीर्ष स्तर तक भी ब्यौरे दर्शाता है।
17. **उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 का समतुल्य है, राज्य सरकार द्वारा उगाये गये सभी ऋण (बाजार कर्ज, बंध पत्र, केन्द्रीय सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम को शामिल करता है। यह विवरण तीन वर्गों में ऋण की सूचना को प्रस्तुत करता है: (क) व्यक्तिगत कर्ज के ब्यौरे; (ख) परिपक्व रूपरेखा अर्थात् विभिन्न वर्षों में प्रत्येक वर्ष के ऋणों से सम्बन्धित देय राशि; तथा (ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा; तथा बाजार कर्जों को दर्शाने वाला अनुबन्ध।
18. **सरकार द्वारा दिये गये कर्ज और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 का समतुल्य है।
19. **सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण हस्ती अनुसार निवेशों के ब्यौरे तथा विवरण 16 तथा 19 के बीच, यदि कोई हो, मुख्य एवं लघु शीर्ष अनुसार विसंगति के ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 8 के समतुल्य है।
20. **सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण** : यह विवरण सरकारी गारन्टियों के हस्ती अनुसार ब्यौरे दर्शाता है। यह विवरण खण्ड I में विवरण 9 के समतुल्य है।

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (क्रमशः)

21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण : यह विवरण आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत अपूरित राशि, वर्ष के दौरान लोक लेखा संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अन्त में बकाया शेषों को लघु शीर्ष स्तर पर दर्शाता है।

22. पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण : यह विवरण आरक्षित निधियों तथा जमाओं (लोक लेखा) से किये गये निवेश के ब्यौरे को दर्शाता है।

खण्ड II का भाग II

भाग II में वेतन, सहाय्य, सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, मुख्य केन्द्रीय योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के सम्बन्ध में योजनावार व्यय, इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विभिन्न मदों पर **बारह परिशिष्ट** सम्मिलित है। लेखाओं में ब्यौरे उपशीर्ष स्तर अथवा नीचे तक (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) प्रस्तुत किये जाते हैं तथा ऐसा सामान्यतः वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है। परिशिष्टों की एक विस्तृत सूची खण्ड I एवं II में विषय सूची पर दिखायी गयी है। विवरणों के साथ परिशिष्ट राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति की सम्पूर्ण तस्वीर देता है।

ग. सुलभ मार्गदर्शन

नीचे दिया वर्ग खण्ड I में प्रकट संक्षिप्त विवरणों को खण्ड II में विस्तृत विवरणों एवं परिशिष्टों से मिलाता है (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरण के साथ सीधा मिलान नहीं है, को नीचे नहीं दिखाया गया है)।

मापदण्ड	सांराशीकृत विवरण (खण्ड I एवं II)	विस्तृत विवरण (खण्ड II)	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियां (अनुदान प्राप्ति सहित), पूँजीगत प्राप्तियां	2,3	14	
राजस्व व्यय	2,4	15	I (संवेतन), II (सहाय्य)
सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान	2,10	..	III (सहायतार्थ अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1,2,4,5,12	16	I (संवेतन)
सरकार द्वारा दिए गए कर्जों तथा अग्रिम	1,2,7	18	
कर्ज की स्थिति/उधार	1,2,6	17	
सरकार का कम्पनियों, निगमों इत्यादि में निवेश	8	19	
रोकड़	1,2,12,13	..	
लोक लेखे में शेष तथा उसका निवेश	1,2,12,13	21,22	
गारन्टियां	9	20	
योजनाएं			IV (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं), V (आयोजनागत योजना व्यय)

वित्त लेखे का मार्गदर्शन- (समाप्त)

घ. आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन

कुछ निश्चित संव्यवहार जो लेखे में प्रकट होते हैं, में पुस्तांकन के समय रोकड़ का वास्तविक चलन शामिल नहीं होता है। इस प्रकार के कुछ संव्यवहार लेखा भेजने वाली इकाइयों (जैसे कोषालय, विभाग इत्यादि) द्वारा उनके स्तर पर होते हैं। उदाहरण के लिये, वेतन से सभी कर्तवियों के समायोजन को शामिल करते हुए संव्यवहार (सामान्य भविष्य निधि, दिये गये अग्रिमों की वसूलियां, इत्यादि) को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष (सम्बन्धित विभाग को इंगीत करते हुए) को डेबिट करते हुए तथा राजस्व प्राप्ति/कर्ज/लोक लेखे को बुक समायोजन से दर्ज किया जाता है इसी प्रकार 'शून्य' बिल, जहां धन समेकित निधि एवं लोक लेखा के मध्य हस्तांतरित होता है, लेखा भेजने वाली इकाई स्तर पर हुए बिना रोकड़ के संव्यवहार को प्रस्तुत करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न प्रकृति के आवधिक समायोजन व बुक समायोजन करता है, जिनका विवरण लेखाओं से टिप्पणियों के अनुबन्ध (खण्ड I) तथा सम्बन्धित विवरण की पाद टिप्पणियों में दिखाया गया है।

आवधिक समायोजन तथा बुक समायोजन के उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

- (1) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखा में निधियों का सृजन/निधियों को अंशदान का समायोजन, उदाहरणार्थ राज्य आपदा मोचन निधि, केन्द्रीय सड़क निधि, आरक्षित निधियां, मोचन निधि इत्यादि।
- (2) समेकित निधि को नामे करते हुए लोक लेखों में लेखे के जमा शीर्षों को जमा करना।
- (3) सामान्य भविष्य निधि तथा राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन जहां ब्याज मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियां तथा मुख्य शीर्ष 8009- राज्य भविष्य निधि तथा 8011- बीमा तथा पेंशन निधि को जमा द्वारा समायोजित किया जाता है।
- (4) केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ऋण माफी का समायोजन। ये समायोजन (जहां केन्द्रीय कर्ज मुख्य शीर्ष 0075- विविध सामान्य सेवाएं को जमा करते हुए मुख्य शीर्ष 6004- केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम में विपरीत प्रविष्टि से अपलिखित किये जाते हैं) दोनों राजस्व प्राप्तियां तथा लोक ऋण शीर्षों को असर डालती हैं।

ङ. पूर्णांक

₹ 0.01 लाख/ करोड़ का अन्तर, जहां कहीं हो, पूर्णांक के कारण है।

संक्षिप्त विवरण

विवरण संख्या 1 – वित्तीय

सम्पत्तियां ¹	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च	31 मार्च
	लेखाओं से टिप्पणियां	विवरण संख्या	2021 को	2020 को
(₹ करोड़ में)				
रोकड़				
(i) खजानों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	..	21	(-) 80.96	(-) 26.91
(ii) विभागीय शेष	..	21	0.77	0.85
(iii) स्थायी रोकड़ अग्रदाय	..	21	2.84	2.84
(iv) रोकड़ शेष निवेश	..	21	44,40.13	58,07.73
(v) भारतीय रिजर्व बैंक से जमा	पैरा सं. 5 (viii)	21	20.99	49.03
(vi) पृथक आरक्षित निधियों से निवेश ²	..	21 एवं 22	21,03.74	18,70.87
पूंजीगत व्यय				
(i) निगमों, कम्पनियों आदि के अंशों में निवेश	पैरा सं. 3 (x)	5, 8 एवं 19	5,27,84.40	5,22,08.91
(ii) अन्य पूंजीगत व्यय	..	5 एवं 16	16,52,78.47	15,05,97.55
आकस्मिकता निधि (अपूर्ति)	..	..	..	..
कर्ज तथा अग्रिम	..	7 एवं 18	99,65.41	98,47.92
विभागीय अधिकारियों की अग्रिम	..	21	3.17	3.21
उच्चतम तथा विविध शेष ³	पैरा सं. 5 (iii)	21	4.06	1,20.15
प्रेषण शेष	..	21	..	10.37
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य ⁴	..	12	17,85,81.68	13,45,80.15
योग			41,31,04.70	35,50,72.67

1. सम्पत्तियों तथा दायित्वों के आंकड़े संचयी हैं। कृपया 'लेखाओं से टिप्पणियां' खण्ड में टिप्पणी 1 (ii) भी देखें।

2. राज्य सरकार के अनुसार पृथक आरक्षित निधियों में से कम्पनियों की अंश पूंजी आदि में कोई निवेश नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने पृथक आरक्षित निधियों में से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया।

स्थिति का विवरण

दायित्व ¹	संदर्भ (क्र.सं.)		31 मार्च	31 मार्च
	लेखाओं से टिप्पणियां	विवरण संख्या	2021 को	2020 को
(₹ करोड़ में)				
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण	..	6 एवं 17	28,47,88.78	24,20,77.41
(ii) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम				
योजनेतर कर्ज	..	6 एवं 17	15.55	19.46
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	22,45.17	27,51.70
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	..	0.05
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	3.05	11.31
विधानमण्डल योजनाओं के साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कर्ज	..	6 एवं 17	2,12,62.97	1,45,14.58
अन्य कर्ज	..	6 एवं 17	5.41	5.40
आकस्मिकता निधि (कॉरपस)	पैरा सं. 4	21	5,00.00	5,00.00
लोक लेखे पर दायित्व				
(i) अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	..	6, 17 एवं 21	5,63,25.69	5,14,68.62
(ii) जमायें	..	21 एवं 22	3,67,13.81	3,38,42.46
(iii) आरक्षित निधियां	पैरा सं. 5 (ii)	21 एवं 22	1,12,42.77	98,81.68
(iv) प्रेषण शेष	पैरा सं. 5 (iii)	21	1.50	..
(v) उचन्त तथा विविध शेष	..	..	..	..
व्यय पर प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	..	..	..	..
योग			41,31,04.70	35,50,72.67

3. इस विवरण में पंक्ति मद “उचन्त तथा विविध शेष” में ‘रोकड़ शेष निवेश लेखा’, ‘विभागीय शेष’ तथा ‘स्थायी रोकड़ अग्रदाय’ को सम्मिलित नहीं करता है जो अलग से ऊपर सम्मिलित है, यद्यपि बाद वाला इन लेखों में इस खण्ड के अन्य स्थान पर हिस्सा बनता है।

4. प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य चालू वर्ष के लिए राजकोषीय/राजस्व घाटे से अलग है।

विवरण संख्या 2- प्राप्तिओं तथा संवितरणों का विवरण

प्राप्तियां	2020-21	2019-20	संवितरण	2020-21	2019-20
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
भाग I- समेकित निधि					
अनुभाग- अ : राजस्व					
राजस्व प्राप्ति (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	13,43,07.88	14,01,13.81	राजस्व व्यय (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	17,83,09.41	17,64,85.10
कर राजस्व (राज्य द्वारा उगाही गयी) (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	6,02,83.44	5,92,44.98	संवैतन (क) (सन्दर्भ विवरण 4-ख एवं परिशिष्ट-I)	5,10,70.13	4,84,88.87
			(क) व # (सन्दर्भ परिशिष्ट-II)	1,48,28.49	1,89,90.00
			सहायतार्थ अनुदान (सन्दर्भ विवरण 4-ख, 10 एवं परिशिष्ट- III)	3,97,44.68	4,10,24.77
			सहायतार्थ अनुदान (कै) व (ख) (गैर संवेतन)	3,40,71.30	3,06,94.16
			सहायतार्थ अनुदान (वेतन)	46,83.66	51,32.98
			पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	9,89.72	51,97.63
			सामान्य सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4 एवं 15)		
			ब्याज अदायगियां तथा ऋण शोधन (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	2,52,01.81	2,36,43.27
करेतर राजस्व (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)			पेंशन (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 15)	2,24,39.62	2,07,61.31
ब्याज प्राप्तियां (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	26,93.15	38,51.99	अन्य (सन्दर्भ विवरण 4-ख)	18,18.44	20,79.84
अन्य (सन्दर्भ विवरण 3)	1,09,59.87	1,18,62.17			
योग (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	1,36,53.02	1,57,14.16	योग (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	4,94,59.87	4,64,84.42
संघ करों/शुल्कों का हिस्सा (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	3,55,75.77	3,60,49.14	सामाजिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	1,87,81.30 (ग)	1,62,25.75
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	2,47,95.65	2,91,05.53	आर्थिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	44,24.94	52,71.24
			स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 15)	..	0.05
राजस्व घाटा	4,40,01.53	3,63,71.29	राजस्व अधिशेष	..	..

- (क) संवेतन तथा सहाय्य के सभी क्षेत्रों के आकड़ों को एक साथ जोड़कर एक समेकित आंकड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस विवरण में "सामाजिक", "सामान्य" तथा "आर्थिक" सेवाएं क्षेत्रों के अन्तर्गत दिखाये गये व्यय में वेतन, सहाय्य तथा सहायतार्थ अनुदान पर किया गया व्यय सम्मिलित नहीं है (पाद टिप्पणी (ख) में व्याख्या की गई है)।
- (ख) (i) सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान, सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्तशासी निकायों, स्थानीय निकायों, इत्यादि को दिया जाता है जिसे उपरोक्त में पंक्तिबद्ध मद की तरह सम्मिलित किया जाता है। यह अनुदान, करों की क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों को शुल्क से भिन्न है जिसे अलग से पंक्तिबद्ध 'स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन' के रूप में दर्शाया गया है।
- (ii) इसमें लघुशीर्ष "191, 192, 193, 196, 197 तथा 198" के अंतर्गत हुआ व्यय भी सम्मिलित है (समापित विस्तृत शीर्ष 01-संवेतन, 91-सहाय्य, 92-सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) तथा 93-पूँजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान के अतिरिक्त) सिवाय पाँच विभागों का व्यय अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास तथा कृषि। राज्य सरकार द्वारा इन पाँच विभागों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा चुका है, लेकिन इन विभागों का व्यय, बजाए इनको अनुदान जारी करने के, पूर्व की भांति कोषालयों के माध्यम से आहरित किया जा रहा है। 2020-21 के दौरान ₹ 29.73 करोड़ लघु शीर्ष 192 (₹ 29.66 करोड़) तथा 196 (₹ 0.07 करोड़) के तहत वर्गीकृत किये गये।
- (ग) इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय से सम्बन्धित ₹ 85,33.82 करोड़ सम्मिलित है जो "सामान्य सेवाएं" के अन्तर्गत दर्शाये गये सिविल पेंशन से अलग हैं।
- # इसमें केवल बाह्य सहाय्य सम्मिलित है।

विवरण संख्या 2- (क्रमशः)

प्राप्तियां	2020-21	2019-20	संवितरण	2020-21	2019-20
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
भाग I- समेकित निधि (समाप्त)					
अनुभाग- ब : पूंजी					
पूंजीगत प्राप्तियां (सन्दर्भ विवरण 3 एवं 14)	14.08	20.42	पूंजीगत व्यय (सन्दर्भ विवरण 4-क, 4-ख एवं 16)	1,52,70.49 (क)	1,47,18.05
			सामान्य सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 16)	3,98.17	4,63.42
			सामाजिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 16)	76,41.58	54,89.68
			आर्थिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क एवं 16)	72,30.74	87,64.95
कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियां (सन्दर्भ विवरण 3, 7 एवं 18)	3,73.52	1,56,69.75	कर्जें तथा अग्रिमों का वितरण (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	4,91.01	22,55.18
			सामान्य सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	..	..
			सामाजिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	2,80.60	2,85.78
			आर्थिक सेवाएं (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	2,10.41	19,69.40
			अन्य (सन्दर्भ विवरण 4-क, 7 एवं 18)	..	..
लोक ऋण प्राप्तियां (सन्दर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)	8,99,64.01	4,61,73.72	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (सन्दर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)	4,10,22.99	2,00,32.69
आंतरिक ऋण (बाजार कर्जें इत्यादि) (सन्दर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)	8,28,27.84 (ख)	4,19,64.36	आंतरिक ऋण (बाजार कर्जें इत्यादि) (सन्दर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)	4,01,16.47 (ग)	1,91,98.43
भारत सरकार से कर्जें (सन्दर्भ विवरण 3, 6 एवं 17)	71,36.17	42,09.36	भारत सरकार से कर्जें (सन्दर्भ विवरण 4-क, 6 एवं 17)	9,06.52	8,34.26
			आकस्मिकता निधि को अंतरण (सन्दर्भ विवरण 21)	..	..
कुल प्राप्तियां-समेकित निधि (सन्दर्भ विवरण 3)	22,46,59.49	20,19,77.70	कुल व्यय-समेकित निधि (सन्दर्भ विवरण 4)	23,50,93.90	21,34,91.02
समेकित निधि में घाटा	1,04,34.41	1,15,13.32	समेकित निधि में अधिशेष	..	..
भाग II - आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ विवरण 21)	..	..	आकस्मिकता निधि (सन्दर्भ विवरण 21)	..	..

(क) इसमें संवेतन पर ₹ 88.37 करोड़ तथा स्थानीय निकायों को जारी किये गये ₹ 10,78.45 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

(ख) वर्ष 2020-21 के दौरान "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" के अन्तर्गत कर्जें प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान "राष्ट्रीय अल्प बचत निधि" के अन्तर्गत कर्जें पुनर्भुगतान से सम्बन्धित ₹ 15,84.76 करोड़ सम्मिलित है।

विवरण संख्या 2- (समाप्त)

प्राप्तियां	2020-21	2019-20	संवितरण	2020-21	2019-20
	(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
भाग III- लोक लेखे ^(क)					
अल्प बचत (सन्दर्भ विवरण 21)	1,37,05.60	1,22,03.83	अल्प बचत (सन्दर्भ विवरण 21)	88,48.53	82,13.29
आरक्षित तथा निक्षेप निधियां (सन्दर्भ विवरण 21)	79,27.99	1,12,33.92	आरक्षित तथा निक्षेप निधियां (सन्दर्भ विवरण 21)	67,99.77	50,62.20
जमाएं (सन्दर्भ विवरण 21)	18,06,56.02	16,94,00.74	जमाएं (सन्दर्भ विवरण 21)	17,77,84.67	16,43,75.79
अग्रिम (सन्दर्भ विवरण 21)	0.04	.. *	अग्रिम (सन्दर्भ विवरण 21)	..	..
उचन्त तथा विविध (सन्दर्भ विवरण 21)	8,25,62.24	10,06,42.41	उचन्त तथा विविध ^(ख) (सन्दर्भ विवरण 21)	8,10,78.47	10,42,09.14
प्रेषण (सन्दर्भ विवरण 21)	77,50.02	37,53.05	प्रेषण (सन्दर्भ विवरण 21)	77,38.15	37,61.37
कुल प्राप्तियां-लोक लेखे (सन्दर्भ विवरण 21)	29,26,01.91	29,72,33.95	कुल व्यय-लोक लेखे (सन्दर्भ विवरण 21)	28,22,49.59	28,56,21.79
लोक लेखे में घाटा	..	..	लोक लेखे में अधिशेष	1,03,52.32	1,16,12.16
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	22.12	(-) 76.72	अन्तिम रोकड़ शेष	(-) 59.97	22.12
रोकड़ शेष में वृद्धि	..	98.84	रोकड़ शेष में कमी	82.09	..

(क) ब्यौरे के लिये कृपया खण्ड II में विवरण संख्या 21 देखें ।

(ख) "उचन्त तथा विविध" में 'अन्य लेखे' जैसे रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष 8673) इत्यादि सम्मिलित है । इन अन्य लेखों की वजह से आंकड़े अत्यधिक दिखाई दे सकते हैं । ब्यौरे के लिये कृपया खण्ड II में विवरण संख्या 21 देखें ।

* ₹ 14,899 मात्र ।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध

रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2020 को
	(₹ करोड़ में)	
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
1. खजानों में रोकड़	0.05	0.05
2. रिजर्व बैंक में जमा	20.99 *	49.03
3. स्थानीय-मार्गस्थ प्रेषण	(-) 81.01	(-) 26.96
योग	(-) 59.97	22.12
रोकड़ शेष निवेश लेखा में हुए निवेश	44,40.13	58,07.73
योग (क)	43,80.16	58,29.85
(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण एवं वन विभाग के खण्डीय अधिकारी	0.77	0.85
2. विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगियां	2.84	2.84
3. पृथक आरक्षित निधियों में निवेश	21,03.74 #	18,70.87
योग (ख)	21,07.35	18,74.56
योग (क) और (ख)	64,87.51	77,04.41

रोकड़ व रोकड़ तुल्य : रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य के अन्तर्गत कोषालयों में रोकड़, भारतीय रिजर्व बैंक की जमा, अन्य बैंकों तथा मार्गस्थ प्रेषण जैसा कि ऊपर दिखाया गया, सम्मिलित हैं। शीर्ष 'रिजर्व बैंक की जमा' के अन्तर्गत शेष, वर्ष के अंत में समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के संयुक्त शेष को दर्शाता है। सम्पूर्ण रोकड़ स्थिति, कोषालयों में रोकड़ शेष, विभागीय तथा रोकड़ शेषों/आरक्षित निधियों इत्यादि में से निवेश को 'भारतीय रिजर्व बैंक की जमा' के शेष में जोड़ने पर ज्ञात होती है।

* इस अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी का पैरा (च) देखें।

इस अनुबन्ध के नीचे व्याख्यात्मक टिप्पणी का पैरा (छ) देखें।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध – (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- (क) **प्रतिदिन रोकड़ शेष :-** भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अधीन, राज्य सरकार को 01-03-1999 से समस्त दिवसों को ₹ 2.34 करोड़ का न्यूनतम रोकड़ शेष बैंक में बनाये रखना होगा। यदि यह शेष राशि अनुबन्ध के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से किसी दिन नीचे आती है, तब कमी की पूर्ति समय-समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष लेकर की जाती हैं। 31 मार्च 2021 तक न्यूनतम रोकड़ शेष की इस सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष को मंजूर करने के प्रयोजन से भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिये प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउण्टर पर, अंतर सरकार लेन-देन तथा खजाना लेन-देन एजेंसी बैंक द्वारा प्रतिवेदित) के साथ 14 दिवसीय कोषालय देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है। 14 दिवसीय कोषालय देयक की परिपक्वता पर यदि कोई हो, जो रोकड़ शेष प्राप्त होता है, उसे जोड़ा जाता है तथा आधिक्य शेष यदि कोई हो, न्यूनतम रोकड़ शेष को बनाये रखने के पश्चात उसे खजाना बिलों में पुनर्निवेशित किया जाता है। यदि निकाला गया कुल रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष से कम होता है या जमा अवशेष में आता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषालय देयक परिपक्व नहीं हो रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषालय देयक की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा कर दिया जाता है। यदि उस दिन 14 दिवसीय खजाना देयक की धारिता नहीं है, राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्ष के लिये आवेदन करती है।

- (ख) 01.04.2020 को राज्य सरकार को साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 21,19.00 करोड़ थी। इसे 17.04.2020 को ₹ 26,08.00 करोड़ बढ़ाया गया और वही 31 मार्च 2021 तक लागू रही। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम देने पर भी सहमत हो गयी। बैंक द्वारा समय-समय पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा संशोधित की गयी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2020 को ₹ 17,52.87 करोड़ तथा 31 मार्च 2021 को ₹ 19,77.34 करोड़ थी।

सीमा जहां तक सरकार ने 2020-21 के दौरान रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का संधारण किया, वह नीचे दी गई है :-

रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष का विवरण	दिवसों की संख्या
उन दिनों की संख्या जब बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	266
उन दिनों की संख्या जब विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	65
उन दिनों की संख्या जब साधारण अर्थोपाय अग्रिम लेने के उपरान्त न्यूनतम शेष बनाये रखा गया	34
उन दिनों की संख्या जब उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के बाद न्यूनतम शेष में कमी थी, किन्तु कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया गया	शून्य
उन दिनों की संख्या जब ओवरड्राफ्ट लिये गये	शून्य

(i) **विशेष अर्थोपाय अग्रिम :-** 1 अप्रैल 2020 को विशेष अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शेष शून्य था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से ₹ 1,60,71.08 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम 31 अवसरों में 99 दिनों के लिए लिया तथा ब्याज के रूप में ₹ 11.03 करोड़ चुकाये गये। वर्ष 2020-21 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) **साधारण अर्थोपाय अग्रिम :-** 1 अप्रैल 2020 को साधारण अर्थोपाय अग्रिम का शेष शून्य था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से ₹ 74,12.49 करोड़ का सामान्य अर्थोपाय अग्रिम 19 अवसरों में 34 दिनों के लिए लिया तथा ब्याज के रूप में ₹ 2.82 करोड़ चुकाये गये। इन 34 दिनों में राज्य सरकार द्वारा विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी लिया गया था। वर्ष 2020-21 के अंत में शेष शून्य था।

(iii) **अधिविकर्ष :-** गत वर्ष अर्थात् 2019-20 की समाप्ति पर शून्य अधिविकर्ष बकाया था। वर्ष 2020-21 के दौरान कोई अधिविकर्ष नहीं लिया गया। वर्ष 2020-21 के अन्त में भी शेष शून्य था।

31 मार्च 2006 तक अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष पर ब्याज की दर बैंक दर के अनुरूप देय थी। बैंक दर के विरुद्ध 1 अप्रैल 2006 से रेपो दर लागू की गयी। 27 मार्च 2020 से रेपो दर 4.40 प्रतिशत थी। यह आगे 2020-21 में संशोधित की गयी अर्थात् 22 मई 2020 से 4.00 प्रतिशत। उक्त सीमा 31 मार्च 2021 तक प्रचलित थी।

विवरण संख्या 2 का अनुबन्ध - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी - (समाप्त)

साधारण अर्थोपाय अग्रिम के संबंध में ब्याज की दर 90 दिन तक रेपो दर के समान तथा 90 दिन से अधिक के लिए रेपो दर से 1 प्रतिशत अधिक देय है।

विशेष अर्थोपाय अग्रिमों पर लागू ब्याज दर 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी रेपो दर से 1 प्रतिशत कम भारत किया गया। यह अब तक लागू है।

अधिविकर्ष पर ब्याज की दर साधारण अर्थोपाय अग्रिम की 100 प्रतिशत सीमा तक रेपो दर से दो प्रतिशत अधिक है तथा साधारण अर्थोपाय अग्रिम की 100 प्रतिशत सीमा से अधिक पर रेपो दर से पांच प्रतिशत अधिक है।

2020-21 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान साधारण अर्थोपाय अग्रिमों, विशेष अर्थोपाय अग्रिमों और अधिविकर्षों पर भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान किया गया ब्याज निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19	शून्य
2019-20	0.29
2020-21	13.85

(ग) वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 8,10,87.14 करोड़ की राशि के भारत सरकार के कोषालय बिल 97 अवसरों में खरीदे गये तथा 211 अवसरों में ₹ 8,24,54.74 करोड़ पुनः बट्टे करवाये गये।

(घ) 31 मार्च 2021 को नकद शेष निवेश लेखे में हुए निवेशों का विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

	राशि (₹ करोड़ में)
(i) भारत सरकार के कोषालय बिल	44,39.96
(ii) भारत सरकार की प्रतिभूतियां	0.01
(iii) राजस्थान सरकार की प्रतिभूतियां	0.03
(iv) स्टर्लिंग प्रतिभूतियां	0.08
(v) बैंकों के पास अल्पावधि जमा तथा अन्य लेखे	0.05
योग	44,40.13

(ङ) वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के कोषालय बिलों की खरीद से रोकड़ शेष के निवेशों पर वसूल किया गया ब्याज ₹ 23.38 करोड़ था।

(च) 'रिजर्व बैंक के साथ जमा' के समक्ष शेष सरकारी लेखों के अनुसार शेष के द्योतक है जिसमें 15 अप्रैल 2021 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये गये अन्तर सरकार मौद्रिक परिशोधन शामिल है। लेखों में दर्शाये गये आंकड़े [₹ 20.99 करोड़ (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित [₹ 18.92 करोड़ (जमा)] के मध्य ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का निवल अन्तर था। ₹ 1.96 करोड़ (जमा) का मिलान किया गया तथा समाशोधित किया गया। ₹ 0.11 करोड़ (जमा) का निवल अन्तर बकाया है तथा मिलान के अन्तर्गत है।

(छ) भारत सरकार की प्रतिभूतियों में राशि ₹ 1,70.55 करोड़ निवेशित किये गये। वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 19,33.19 करोड़ गारन्टी मोचन निधि से निवेशित किये गये। पृथक आरक्षित निधि में से किये गये निवेश का ब्यौरा, विवरण संख्या 22 में दिये गये हैं।

विवरण संख्या 3 – प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

विवरण	वास्तविक	
	2020-21	2019-20
<i>(₹ करोड़ में)</i>		
I -समेकित निधि		
क. कर राजस्व		
क.1 स्वयं का कर राजस्व		
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	2,07,54.87	2,19,54.17
भू-राजस्व	2,79.32	3,64.49
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	52,97.27	42,34.73
राज्य उत्पाद शुल्क	98,53.00	95,91.63
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,74,79.04	1,58,42.77
माल तथा यात्रा पर कर	45.18	41.12
वाहन कर	43,68.17	49,50.98
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	62.96	1.32
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.23	1.01
विद्युत पर कर तथा शुल्क	21,42.39	22,62.76
अन्य (₹1 करोड़ से कम)	0.01	.. *
योग-क.1 स्वयं का कर राजस्व	6,02,83.44	5,92,44.98
क 2 कर के निवल आगम का भाग		
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सी जी एस टी)	1,06,02.62	1,02,29.51
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई जी एस टी)	..	..
निगम कर	1,07,11.19	1,22,91.37
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,09,78.32	96,31.13
सम्पत्ति पर कर	..	0.55
सम्पदा शुल्क	19,10.39	22,85.04
संघ उत्पाद शुल्क	11,98.76	15,88.71
सेवा शुल्क	1,50.00	..
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	24.49	22.83
योग-क. 2 कर के निवल आगम का भाग	3,55,75.77	3,60,49.14
योग-क. कर राजस्व	9,58,59.21	9,52,94.12

* ₹ 22,838 मात्र ।

विवरण संख्या 3 – (क्रमशः)

विवरण	वास्तविक	
	2020-21	2019-20
(₹ करोड़ में)		
ख. कस्बेतर राजस्व	I -समेकित निधि- (क्रमशः)	
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	49,66.39	45,79.09
ब्याज प्राप्तियां	26,93.15	38,51.99
पेट्रोलियम	19,04.80	33,20.11
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	8,05.34	1,07.75
विविध सामान्य सेवाएं	7,47.01	9,15.51
जलपूर्ति तथा सफाई	5,47.43	5,24.35
श्रम एवं रोजगार	3,92.96	4,35.47
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2,27.09	2,38.16
मुख्य सिंचाई	2,15.62	65.74
पुलिस	1,92.54	6,41.68
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,46.62	2,07.16
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	1,15.07	1,79.10
सहकारिता	95.75	9.11
लोक निर्माण कार्य	92.98	91.91
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियां	92.59	44.28
वानिकी एवं वन्य जीव	73.67	1,09.47
लोक सेवा आयोग	69.04	44.47
मछली पालन	52.00	64.64
सड़क एवं सेतु	31.83	32.19
बिजली	30.71	17.17
मध्यम सिंचाई	29.85	11.45
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	25.13	24.41
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	25.04	14.59
अन्य सामाजिक सेवाएं	16.23	24.21
अन्य कृषि कार्यक्रम	11.24	11.80
फसल कृषि कर्म	10.47	6.56
पशु पालन	9.47	21.23
आवास	7.79	7.89
लेखन सामग्री एवं मुद्रण	6.10	3.98
लघु सिंचाई	5.60	6.50
शहरी विकास	3.93	42.17
ग्राम एवं लघु उद्योग	3.55	1.42
लाभांश तथा लाभ	2.89	54.47
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.81	0.50
उद्योग	0.75	1.75
पर्यटन	0.64	0.96

विवरण संख्या 3 - (क्रमशः)

विवरण	वास्तविक	
	2020-21	2019-20
(₹ करोड़ में)		
I - समेकित निधि - (समाप्त)		
ख. करेतर राजस्व - (समाप्त)		
जेल	0.59	0.63
सूचना एवं प्रसारण	0.21	0.13
परिवार कल्याण	0.13	0.16
भूमि सुधार	0.01	.. *
योग- ख. करेतर राजस्व	1,36,53.02	1,57,14.16
II - भारत सरकार से अनुदान		
ग. अनुदान		
केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान		
केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं		
केन्द्रीय सहायता/हिस्सा	1,24,53.90	1,45,46.63
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं- केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	3.34	7.79
केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	1,41.81	4,15.17
घटाईये-वापसियां	(-) 3.62	(-) 3.54
वित्त आयोग अनुदान		
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	28,96.50	50,43.12
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	18,59.00	12,83.43
राज्य आपदा मोचन निधि हेतु सहायतार्थ अनुदान	14,81.00	10,05.00
अन्य स्थानान्तरण/विधानमण्डल वाले राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अनुदान		
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	91.66	1,55.86
राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को अंशदान के लिए अनुदान	68.65	19,49.59
विशेष सहायता	57.48	57.17
जी.एस.टी. के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति	56,32.84 (क)	44,39.53
अन्य अनुदान	1,13.09	2,05.78
योग-ग. अनुदान	2,47,95.65	2,91,05.53
योग-राजस्व प्राप्ति (क+ख+ग)	13,43,07.88	14,01,13.81

(क) इसमें 2019-20 से सम्बन्धित ₹ 26,75.47 करोड़ सम्मिलित है। * ₹ 44,465 मात्र ।

विवरण संख्या 3 – (समाप्त)

विवरण	वास्तविक	
	2020-21	2019-20
(₹ करोड़ में)		
III - पूंजी, लोक ऋण तथा अन्य प्राप्तियां		
घ. पूंजीगत प्राप्तियां		
विनिवेश आगम	14.08	20.42
अन्य	..	..
योग- घ. पूंजीगत प्राप्तियाँ	14.08	20.42
ङ. लोक ऋण प्राप्तियां		
आंतरिक ऋण		
बाजार कर्ज	5,73,58.97	3,90,92.00
भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	2,34,83.57	14,16.40
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	19,14.90	12,72.31
अन्य कर्ज	70.40	1,83.65
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	0.83	(-) 6.87
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	(-) 0.05 (क)	(-) 0.24
केन्द्र प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज	(-) 8.26 (ख)	7.03
प्री-1984-85 कर्ज	0.01	..
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	71,43.64	42,09.44
योग - ङ. लोक ऋण प्राप्तियां	8,99,64.01	4,61,73.72
च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम (वसूलियां)*		
	3,73.52	1,56,69.75
योग-च. राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा अग्रिम (वसूलियां)	3,73.52	1,56,69.75
योग-समेकित निधि में प्राप्तियां (क+ख+ग+घ+ङ+च)	22,46,59.49	20,19,77.70

(क) ऋण आंकड़े, गत वर्षों के गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण हैं।

(ख) ऋण आंकड़े, संबंधित मंत्रालयों द्वारा ऋण के अपलेखन के कारण हैं।

* ब्यौरे खण्ड 1 के विवरण संख्या 7 एवं खण्ड II के विवरण संख्या 18 में दिए गए हैं।

विवरण संख्या 4 - व्यय का विवरण (समेकित निधि)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
क. सामान्य सेवाएं				
क.1 राज्य के अंग				
संसद/ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	79.11	..	..	79.11
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	15.83	..	..	15.83
मंत्रि परिषद्	11.07	..	..	11.07
न्याय प्रशासन	11,66.00	..	..	11,66.00
चुनाव	1,05.67	..	..	1,05.67
योग क.1 राज्य के अंग	13,77.68	..	..	13,77.68
क.2 राजकोषीय सेवाएं				
भू-राजस्व	7,09.21	..	..	7,09.21
मुद्रांक एवं पंजीयन	1,42.99	..	..	1,42.99
राज्य उत्पाद शुल्क	1,52.04	..	..	1,52.04
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	13,75.45	..	..	13,75.45
वाहनों पर कर	1,39.62	..	..	1,39.62
राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण शुल्क	1,36.27	..	..	1,36.27
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	16.43	..	..	16.43
अन्य राजकोषीय सेवाएं	4.27	0.09	..	4.36
ब्याज अदायगियां *	2,52,01.81	..	..	2,52,01.81
योग क. 2 राजकोषीय सेवाएं	2,78,78.09	0.09	..	2,78,78.18
क.3 प्रशासनिक सेवाएं				
लोक सेवा आयोग	53.56	..	..	53.56
सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2,29.85	..	..	2,29.85
जिला प्रशासन	5,25.64	..	..	5,25.64
खजाना तथा लेखा प्रशासन	2,75.59	..	..	2,75.59
पुलिस	62,83.61	1,63.95	..	64,47.56

* ब्याज अदायगियां राजकोषीय सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं ।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
क. सामान्य सेवाएं– (समाप्त)				
क.3 प्रशासनिक सेवाएं– (समाप्त)				
जेल	1,93.43	..	..	1,93.43
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	26.79	..	..	26.79
लोक निर्माण कार्य	1,23.79	2,29.06	..	3,52.85
सर्तकता	5.44	..	..	5.44
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,90.23	5.07	..	2,95.30
योग क. 3 प्रशासनिक सेवाएं	80,07.93	3,98.08	..	84,06.01
क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं				
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	2,24,39.62	..	..	2,24,39.62
विविध सामान्य सेवाएं	4,40.52	..	..	4,40.52
योग क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	2,28,80.14	..	..	2,28,80.14
योग क. सामान्य सेवाएं	6,01,43.84	3,98.17	..	6,05,42.01
ख. सामाजिक सेवाएं				
ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति				
सामान्य शिक्षा	3,45,06.82	12,80.49 *	3.60	3,57,90.91
तकनीकी शिक्षा	2,13.33	..	..	2,13.33
खेलकूद तथा युवा सेवाएं	88.41	..	..	88.41
कला एवं संस्कृति	1,01.63	..	..	1,01.63
योग ख.1 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	3,49,10.19	12,80.49	3.60	3,61,94.28
ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	83,91.59	6,31.85	..	90,23.44
परिवार कल्याण	35,96.55	..	..	35,96.55
योग ख.2 स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,19,88.14	6,31.85	..	1,26,19.99

* इसमें तकनीकी शिक्षा, खेलकूद तथा युवा सेवाएं तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ख. सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)				
ख.3 जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास				
जलपूर्ति तथा सफाई	34,96.80	38,32.74	..	73,29.54
आवास	57.86	35.11	..	92.97
शहरी विकास	59,82.22	14,83.67	1,27.00	75,92.89
योग ख.3 जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	95,36.88	53,51.52	1,27.00	1,50,15.40
ख.4 सूचना तथा प्रसारण				
सूचना तथा प्रचार	1,47.26	1.06	..	1,48.32
योग ख.4 सूचना तथा प्रसारण	1,47.26	1.06	..	1,48.32
ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	15,51.52	2,53.24	..	18,04.76
योग ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	15,51.52	2,53.24	..	18,04.76
ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण				
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	11,38.15	..	..	11,38.15
योग ख.6 श्रमिक तथा श्रम कल्याण	11,38.15	..	..	11,38.15
ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	96,47.75	14.58	1,50.00	98,12.33
पोषण	21,94.14	4.87	..	21,99.01
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	28,36.21	..	..	28,36.21
योग ख.7 समाज कल्याण तथा पोषण	1,46,78.10	19.45	1,50.00	1,48,47.55

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ख. सामाजिक सेवाएं – (समाप्त)				
ख. 8 अन्य				
अन्य सामाजिक सेवाएं	27.04	1,03.97	..	1,31.01
सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	32.31	..	..	32.31
योग ख. 8 अन्य	59.35	1,03.97	..	1,63.32
योग ख. सामाजिक सेवाएं	7,40,09.59	76,41.58	2,80.60	8,19,31.77
ग. आर्थिक सेवाएं				
ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रिया कलाप				
फसल कृषि-कर्म	40,49.76	1,61.44	73.44	42,84.64
मृदा तथा जल संरक्षण	62.66	..	..	62.66
पशु-पालन	16,05.96	1,15.64	..	17,21.60
डेयरी विकास	1,50.30	..	..	1,50.30
मछली पालन	13.52	0.94	..	14.46
वानिकी तथा वन्य प्राणी	6,84.20	1,26.38	..	8,10.58
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	2,66.49	..	..	2,66.49
सहकारिता	51,66.31	0.03	2.84	51,69.18
अन्य कृषि कार्यक्रम	51.27	..	..	51.27
योग ग.1 कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,20,50.47	4,04.43	76.28	1,25,31.18
ग.2 ग्राम विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	9,57.01	..	..	9,57.01
ग्राम रोजगार	45,73.11	..	..	45,73.11
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	62,16.41	2,39.15	..	64,55.56
योग ग.2 ग्राम विकास	1,17,46.53	2,39.15	..	1,19,85.68
ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम				
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.77	66.73	..	67.50
योग ग.3 विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.77	66.73	..	67.50

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (क्रमशः)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ग. आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)				
ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	16,15.05	18,78.99	..	34,94.04
मध्यम सिंचाई	2,09.02	2,31.06	..	4,40.08
लघु सिंचाई	1,52.94	3,72.02	..	5,24.96
सिंचित क्षेत्र विकास	19.83	84.95	..	1,04.78
बाढ़ नियंत्रण तथा निकास	..	19.15	..	19.15
योग ग.4 सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	19,96.84	25,86.17	..	45,83.01
ग.5 ऊर्जा				
बिजली	1,42,64.26	4,03.49	46.67	1,47,14.42
पेट्रोलियम	1.11	1,86.22	..	1,87.33
नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा	1.34	..	..	1.34
योग ग.5 ऊर्जा	1,42,66.71	5,89.71	46.67	1,49,03.09
ग.6 उद्योग तथा खनिज				
ग्राम तथा लघु उद्योग	58.46	0.30	..	58.76
उद्योग	78.08	..	..	78.08
अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	1,31.93	..	..	1,31.93
उपभोक्ता उद्योग	..	(-) 0.24 (क)	0.40	0.16
उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	..	49.69	..	49.69
योग ग. 6 उद्योग तथा खनिज	2,68.47	49.75	0.40	3,18.62
ग.7 परिवहन				
सड़क तथा सेतु	14,64.00	30,04.93	..	44,68.93
सड़क परिवहन	3,93.26	..	50.25	4,43.51
अन्य परिवहन सेवाएँ	5.00	..	21.06	26.06
योग ग. 7 परिवहन	18,62.26	30,04.93	71.31	49,38.50

(क) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जयपुर में अनिवेश ।

विवरण संख्या 4 – (क्रमशः)

क. कार्यकलाप के अनुसार व्यय – (समाप्त)

विवरण	राजस्व	पूंजी	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ग. आर्थिक सेवाएं – (समाप्त)				
ग.9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13.01	0.28	..	13.29
परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	3.18	..	..	3.18
योग ग. 9 विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	16.19	0.28	..	16.47
ग.10 सामान्य आर्थिक सेवाएं				
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	38.21	..	..	38.21
पर्यटन	26.61	19.47	15.00	61.08
विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	..	..	0.75	0.75
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	5,39.06	..	..	5,39.06
सिविल पूर्ति	12,77.33	..	..	12,77.33
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	66.46	2,70.12	..	3,36.58
योग ग. 10 सामान्य आर्थिक सेवाएं	19,47.67	2,89.59	15.75	22,53.01
योग ग. आर्थिक सेवाएं	4,41,55.91	72,30.74	2,10.41	5,15,97.06
घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षति पूर्ति तथा समनुदेशन	0.07	..	..	0.07
योग घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	0.07	..	..	0.07
ड. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	..	..	4,01,16.47	4,01,16.47
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	..	..	9,06.52	9,06.52
योग ड लोक ऋण	..	..	4,10,22.99	4,10,22.99
योग - समेकित निधि में व्यय (क+ख+ग+घ+ड)	17,83,09.41	1,52,70.49	4,15,14.00	23,50,93.90

व्यय का उद्देश्य	2020-21		
	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			
संवेतन	5,10,70.13	88.37	5,11,58.50
सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	3,40,41.57	..	3,40,41.57
ब्याज/ लाभांश	2,52,01.81	..	2,52,01.81
पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ	2,02,60.71 #	..	2,02,60.71
सहाय्य	1,48,28.49	..	1,48,28.49
मुख्य कार्य	..	94,50.58	94,50.58
पेंशन एवं उपदान	85,33.86 *	..	85,33.86
निधि को स्थानान्तरण	59,81.03	..	59,81.03
सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	46,83.66	..	46,83.66
सड़क एवं पुल का निर्माण	..	37,65.48	37,65.48
अंशदायी पेंशन योजना में सरकार का अंशदान	21,78.91 #	..	21,78.91
विद्युत खर्च तथा जल खर्च	19,78.83	95.85	20,74.68
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	16,63.42	..	16,63.42
पूंजी लेखे पर ब्याज	13,58.60	..	13,58.60
उन्नयन एवं मानदेय पर व्यय	12,82.98	..	12,82.98
विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	12,47.37	..	12,47.37
सामग्री और प्रदाय	12,25.17	..	12,25.17
परिवहन, संग्रहण एवं वितरण व्यय	10,30.97	..	10,30.97
मरम्मत एवं रखरखाव	9,95.09	1.94	9,97.03
पूंजीगत सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान	9,89.72	..	9,89.72
जोड़िए-आनुपातिक व्यय	1,31.28	7,79.60	9,10.88
खाद्य सामग्री	8,44.23	..	8,44.23
कम्प्यूटराइजेशन तथा संबंधी संचार व्यय	4,45.38	2,29.37	6,74.75
मजदूरी	5,48.93	57.57	6,06.50
पूंजीगत निवेश	..	5,89.57	5,89.57
संविदा पर व्यय	5,39.18	0.64	5,39.82
इनाम तथा क्षतिपूर्ति	5.05	5,22.47	5,27.52
मशीनरी तथा साज सामान/ औजार तथा संयंत्र	3,06.96	1,51.12	4,58.08
लघु कार्य	..	3,96.30	3,96.30
कार्यालय व्यय	3,80.26	1.52	3,81.78

यह आंकड़े पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ (मुख्य शीर्ष 2071) से सम्बन्धित है।

4 – (क्रमशः)

अनुसार व्यय

2019-20			2018-19		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
4,84,88.87	88.55	4,85,77.42	4,91,37.35	95.34	4,92,32.69
3,06,86.40	..	3,06,86.40	2,83,72.31	..	2,83,72.31
2,36,47.30	..	2,36,47.30	2,16,99.67	..	2,16,99.67
1,88,06.51	..	1,88,06.51	1,85,97.16	..	1,85,97.16
1,89,90.00	..	1,89,90.00	2,15,39.62	..	2,15,39.62
..	71,78.52	71,78.52	..	91,73.66	91,73.66
72,89.70	..	72,89.70	51,47.85	..	51,47.85
60,55.51	..	60,55.51	44,84.68	..	44,84.68
51,32.98	..	51,32.98	56,90.64	..	56,90.64
..	42,39.99	42,39.99	..	53,64.78	53,64.78
19,54.80	..	19,54.80	17,99.10	..	17,99.10
18,62.11	1,28.04	19,90.15	17,39.55	68.95	18,08.50
17,80.64	..	17,80.64	13,81.05	..	13,81.05
11,73.52	..	11,73.52	10,93.57	..	10,93.57
11,36.76	..	11,36.76	18,69.40	..	18,69.40
12,19.10	..	12,19.10	10,61.06	0.02	10,61.08
1,51.84	..	1,51.84	82.33	..	82.33
5,28.95	..	5,28.95	4,47.48	..	4,47.48
9,33.31	0.30	9,33.61	7,17.47	1.14	7,18.61
51,97.63	..	51,97.63	7,99.14	..	7,99.14
1,33.84	8,52.00	9,85.84	1,54.95	8,77.40	10,32.35
7,33.57	..	7,33.57	7,67.92	..	7,67.92
6,33.18	1,55.52	7,88.70	4,53.45	5,07.90	9,61.35
5,76.96	63.43	6,40.39	6,52.37	71.59	7,23.96
..	23,67.94	23,67.94	..	41,00.92	41,00.92
4,73.54	0.71	4,74.25	4,25.69	0.66	4,26.35
3.03	3,07.14	3,10.17	3.19	9.37	12.56
1,46.50	1,62.01	3,08.51	1,27.90	1,47.92	2,75.82
..	5,32.40	5,32.40	..	5,97.60	5,97.60
3,23.80	1.68	3,25.48	3,69.68	1.79	3,71.47

* इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर व्यय से सम्बन्धित ₹ 85,33.82 करोड़ तथा विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं के लिए पेंशन से सम्बन्धित ₹ 0.04 करोड़ सम्मिलित है।

व्यय का उद्देश्य	2020-21		
	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			
यात्रा व्यय	1,86.63	0.94	1,87.57
भेषज और औषधियां	1,60.65	..	1,60.65
विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय	1,38.64	0.32	1,38.96
वृत्तिक और विशिष्ट सेवाएं	94.02	5.50	99.52
कार्य कलाप संबंधी वाहनों का संधारण	96.13	0.86	96.99
प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	92.68	0.30	92.98
आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय	..	92.67	92.67
वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	83.72	0.12	83.84
वाहनों का किराया	80.95	1.20	82.15
निर्माण कार्यों में राज्यांश	81.87	0.01	81.88
चिकित्सा व्यय	77.57	0.99	78.56
वानिकी	2.55	72.36	74.91
वितरण व्यवस्था में सुधार	74.40	..	74.40
विविध व्यय	66.75	.. *	66.75
जल धाराएं तथा भूमिगत नालियां	..	57.58	57.58
नहरें	..	56.22	56.22
पुस्तकालय एवं पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय	54.82	..	54.82
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम	45.00	..	45.00
वाहनों का क्रय	5.23	31.54	36.77
कार्यकलाप वाहनों का चालू रखना एवं संधारण	29.38	0.04	29.42
बिस्तर एवं कपड़े	22.64	..	22.64
किराया, दर और कर/ रायल्टियां	21.87	0.47	22.34
रसायनिक व्यय	20.60	..	20.60
जैव चिकित्सा कचरा	15.38	..	15.38
श्रम तथा रोजगार	14.69	0.01	14.70
डिक्री प्रभार	11.10	0.12	11.22
लेखन सामग्री	9.43	..	9.43
विशेष क्रय	8.70	..	8.70
त्यौहार एवं प्रदर्शनी	8.15	..	8.15

* ₹ 7,012 मात्र ।

4 – (क्रमशः)

अनुसार व्यय – (क्रमशः)

2019-20			2018-19		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
2,24.62	1.37	2,25.99	1,93.22	1.49	1,94.71
1,64.55	..	1,64.55	1,45.88	..	1,45.88
1,16.91	0.47	1,17.38	2,25.56	0.03	2,25.59
1,05.03	4.04	1,09.07	1,63.45	3.56	1,67.01
1,22.35	0.87	1,23.22	1,31.06	0.85	1,31.91
80.12	0.34	80.46	1,21.16	..	1,21.16
..	1,52.58	1,52.58	..	1,04.82	1,04.82
30.36	0.13	30.49	58.90	0.15	59.05
80.96	0.93	81.89	82.00	0.88	82.88
83.22	.. *	83.22	84.79	0.03	84.82
74.29	0.49	74.78	71.87	0.49	72.36
1.61	66.56	68.17	10.37	48.58	58.95
78.86	..	78.86	70.63	..	70.63
64.62	..	64.62	95.49	..	95.49
..	42.09	42.09	..	57.14	57.14
..	69.76	69.76	..	63.35	63.35
67.60	..	67.60	33.09	..	33.09
43.00	..	43.00	20.50	..	20.50
13.31	38.77	52.08	13.07	35.01	48.08
30.99	0.05	31.04	42.50	0.05	42.55
12.25	..	12.25	11.82	..	11.82
36.90	0.44	37.34	34.05	0.52	34.57
20.17	..	20.17	21.49	..	21.49
10.54	..	10.54	10.59	..	10.59
15.02	0.02	15.04	2.18	.. #	2.18
21.05	0.10	21.15	26.72	2.52	29.24
8.32	..	8.32	9.93	..	9.93
7.65	..	7.65	5.94	..	5.94
26.39	..	26.39	35.79	..	35.79

* ₹ 8,561 मात्र ।

₹ 49,999 मात्र ।

व्यय का उद्देश्य	2020-21		
	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			
मेस व्यवस्था	6.64	..	6.64
छपाई व्यय	6.00	..	6.00
प्राकृतिक जल पर व्यय	5.21	..	5.21
प्रकाशन	4.15	..	4.15
अनुसंधान मूल्यांकन	2.69	0.90	3.59
शाखायें	..	3.26	3.26
गुप्त सेवा व्यय	2.79	..	2.79
सत्कार व्यय	2.65	..	2.65
सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा (विकलन)	1.18	0.15	1.33
स्कन्ध एवं भंडारण (विकलन)	0.84	0.16	1.00
वापसी राशि पर देय ब्याज	0.87	..	0.87
प्रयोगशालाएं	0.86	..	0.86
अपलेखन/हानियाँ	..	..	..
घटाइये-शीर्ष:			
निधि से स्थानान्तरण	(-) 36,85.96	(-) 11,36.10	(-) 48,22.06
घटाइये-वसूलियां	(-) 12,93.98	(-) 48.66	(-) 13,42.64
स्कन्ध एवं संग्रहण (आंकलन)	(-) 0.81	(-) 0.55	(-) 1.36
सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा (आंकलन)	(-) 0.86	(-) 0.30	(-) 1.16
अन्य – ₹ 1 करोड़ से कम	.. *	..	..
योग	17,83,09.41	1,52,70.49	19,35,79.90

* ₹ 8,890 मात्र ।

4 – (समाप्त)

अनुसार व्यय – (समाप्त)

2019-20			2018-19		
राजस्व	पूंजी	योग	राजस्व	पूंजी	योग
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)		
9.23	..	9.23	9.96	..	9.96
7.65	..	7.65	7.25	..	7.25
4.50	..	4.50	5.49	..	5.49
8.37	..	8.37	12.64	..	12.64
5.20	..	5.20	11.90	0.18	12.08
..	3.51	3.51	..	3.15	3.15
3.66	..	3.66	2.83	..	2.83
5.29	..	5.29	2.82	..	2.82
0.89	0.28	1.17	1.14	0.41	1.55
0.93	0.48	1.41	1.07	0.39	1.46
5.26	..	5.26	12.61	..	12.61
1.20	..	1.20	1.27	..	1.27
1,36.18	..	1,36.18	..	..	..
(-) 20,63.26			(-) 24,27.18		
(-) 15,24.39			(-) 16,85.26		
(-) 35,87.65			(-) 41,12.44		
(-) 12,39.44			(-) 12,02.51		
(-) 2,15.56			(-) 12.49		
(-) 14,55.00			(-) 12,15.00		
(-) 0.97			(-) 1.12		
(-) 2.35			(-) 5.86		
(-) 3.32			(-) 6.98		
(-) 0.65			(-) 1.16		
(-) 1.81			(-) 0.72		
(-) 1.88			(-) 1.88		
0.02	.. *	0.02	(-) 0.45	(-) 0.11	(-) 0.56
17,64,85.10	1,47,18.05	19,12,03.15	16,67,73.19	1,96,38.20	18,64,11.39

* ₹ 14,244 मात्र ।

विवरण संख्या 5- प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
<i>(₹ करोड़ में)</i>						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4047.	अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	1,81.91	0.09	1,82.00	(+) 0.05
4055.	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	2,08.87	14,79.47	1,63.95	16,43.42	(+) 11.08
4058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	..	8.87	..	8.87	..
4059.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,48.36	34,96.87	2,29.06	37,25.93	(+) 6.55
4070.	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.15	76.81	5.07	81.88	(+) 6.60
योग-क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा		4,63.42	52,43.93	3,98.17	56,42.10	(+) 7.59
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
<i>(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा</i>						
4202.	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7,66.07	33,68.64	12,80.49	46,49.13	(+) 38.01
योग-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		7,66.07	33,68.64	12,80.49	46,49.13	(+) 38.01
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4,83.82	45,75.07	6,31.85	52,06.92	(+) 13.81
4211.	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	(-) 1.59	1,13.33	..	1,13.33	..
योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा		4,82.23	46,88.40	6,31.85	53,20.25	(+) 13.48

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ख . सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा						
4215.	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	31,84.44	4,52,28.13	38,32.74	4,90,60.87	(+) 8.47
4216.	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	27.65	5,80.58	35.11	6,15.69	(+) 6.05
4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	6,94.92	1,26,58.37	14,83.67	1,41,42.04	(+) 11.72
	योग -(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	39,07.01	5,84,67.08	53,51.52	6,38,18.60	(+) 9.15
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा						
4220.	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	2.11	21.42	1.06	22.48	(+) 4.95
	योग -(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	2.11	21.42	1.06	22.48	(+) 4.95
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2,22.63	32,14.69	2,53.24	34,67.93	(+) 7.88
	योग -(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	2,22.63	32,14.69	2,53.24	34,67.93	(+) 7.88
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा						
4235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	22.30	2,64.15	14.58	2,78.73	(+) 5.52
4236.	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	19.89	3,23.07	4.87	3,27.94	(+) 1.51
	योग - (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	42.19	5,87.22	19.45	6,06.67	(+) 3.31

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
(छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4250.	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	67.44	8,24.94	1,03.97	9,28.91	(+) 12.60
	योग - (छ) अन्य सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	67.44	8,24.94	1,03.97	9,28.91	(+) 12.60
	योग - ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	54,89.68	7,11,72.39	76,41.58	7,88,13.97	(+) 10.74
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा						
4401.	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	80.18	19,48.33	1,61.44	21,09.77	(+) 8.29
4402.	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	..	3,64.01	..	3,64.01	..
4403.	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	25.76	1,46.81	1,15.64	2,62.45	(+) 78.77
4404.	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	..	7.47	..	7.47	..
4405.	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1.04	17.28	0.94	18.22	(+) 5.44
4406.	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	94.16	20,80.37	1,26.38	22,06.75	(+) 6.07
4408.	खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.46	..	0.46	..
4415.	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	..	16.00	..	16.00	..
4425.	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	5.45	4,86.54	0.03	4,72.49 (क)	(-) 2.89
4435.	अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	46.90	..	46.90	..
	योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा	2,06.59	51,14.17	4,04.43	55,04.52	(+) 7.63

(क) पूंजी विनिवेश के कारण राशि ₹ 14,07,79,060 वर्ष के अंत तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किया गया है।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा						
4515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	3,75.04	68,39.74	2,39.15	70,78.89	(+) 3.50
	योग-(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	3,75.04	68,39.74	2,39.15	70,78.89	(+) 3.50
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा						
4575.	अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,03.22	32,07.06	66.73	32,73.79	(+) 2.08
	योग -(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा	1,03.22	32,07.06	66.73	32,73.79	(+) 2.08
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा						
4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	15,84.83	1,73,10.43	18,78.99	1,91,89.42	(+) 10.85
4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,61.47	24,84.81	2,31.06	27,15.87	(+) 9.30
4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,46.80	53,81.55	3,72.02	57,53.57	(+) 6.91
4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	69.44	24,52.60	84.95	25,37.55	(+) 3.46
4711.	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	27.12	3,82.26	19.15	4,01.41	(+) 5.01
	योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	22,89.66	2,80,11.65	25,86.17	3,05,97.82	(+) 9.23
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा						
4801.	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	21,30.00	4,75,47.62	4,03.49	4,79,51.11	(+) 0.85
4802.	पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	2,32.48	4,45.59	1,86.22	6,31.81	(+) 41.79
4810.	नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.22	..	1.22	..
	योग -(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	23,62.48	4,79,94.43	5,89.71	4,85,84.14	(+) 1.23

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा						
4851.	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	0.79	79.61	0.30	79.91	(+) 0.38
4852.	लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.02	..	0.02	..
4853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	1,98.53	..	1,98.53	..
4857.	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	1.15	..	1.15	..
4858.	इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.24	..	0.24	..
4860.	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	2,22.56	(-) 0.24 (क)	2,22.32	(-) 0.11
4875.	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	..	0.11	..	0.11	..
4885.	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	27.29	4,48.74	49.69	4,98.43	(+) 11.07
योग -(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा		28.08	9,50.96	49.75	10,00.71	(+) 5.23
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा						
5002.	भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	..	.. *	..	.. *	..
5053.	नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	..	4.49	..	4.49	..
5054.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	32,00.80	2,99,35.98	30,04.93	3,29,40.91	(+) 10.04
5055.	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	..	6,13.17	..	6,13.17	..
योग -(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		32,00.80	3,05,53.64	30,04.93	3,35,58.57	(+) 9.83

(क) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में विनिवेश।

* मात्र ₹ 23,465।

विवरण संख्या 5- (क्रमशः)

मुख्य शीर्ष	विवरण	2019-20 के दौरान व्यय	2019-20 तक का प्रगामी व्यय	2020-21 के दौरान व्यय	2020-21 तक का प्रगामी व्यय	वृद्धि (+)/ कमी (-) प्रतिशत में
(₹ करोड़ में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा						
5425.	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.78	22.42	0.28	22.70	(+) 1.25
	योग - (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	0.78	22.42	0.28	22.70	(+) 1.25
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
5452.	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	10.61	4,54.80	19.47	4,74.27	(+) 4.28
5465.	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	..	76.11	..	76.11	..
5475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,87.69	31,65.16	2,70.12	34,35.28	(+) 8.53
	योग - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	1,98.30	36,96.07	2,89.59	39,85.66	(+) 7.84
	योग - ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	87,64.95	12,63,90.14	72,30.74	13,36,06.80 (क)	(+) 5.71
	कुल योग	1,47,18.05	20,28,06.46	1,52,70.49	21,80,62.87 (क)	(+) 7.52

(क) पृष्ठ संख्या 28 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या 5- (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. पूंजीगत परिस्वयं पर प्रतिफल :- निम्नलिखित योजनाओं के प्रोफार्मा लेखे विभागों द्वारा तैयार नहीं किए गए हैं :-

विभाग तथा उनके उपक्रमों का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	अभ्युक्तियां
भू-जल विभाग		
(1) जोधपुर में पम्पिंग सैटों के क्रय और विक्रय की योजना	1975-76 से 1987-88 (नवम्बर 1987 तक)	योजना दिसम्बर, 1987 से गैर-वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं।
(2) राजस्थान भू-जल विभाग, जोधपुर	1974-75 से 1987-88 (नवम्बर 1987 तक)	योजना दिसम्बर, 1987 से गैर-वाणिज्यिक घोषित कर दी गई लेकिन इस अवधि से पूर्व की लेखापरीक्षा से मुक्त नहीं किया गया। लेखे प्रतीक्षित हैं।
लोक स्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी विभाग		
(1) राजस्थान जल प्रदाय तथा सीवरेज प्रबन्धन बोर्ड, जयपुर	2018-19	लेखे प्रतीक्षित हैं।

2. सरकार के निवेश:- वर्ष 2020-21 में सरकार ने सरकारी कम्पनियों (₹ 4,03.32 करोड़), संयुक्त पूंजी कम्पनियों (₹ 1,86.22 करोड़) तथा सहकारी बैंकों और समितियों (₹ (-) 14.05 करोड़) की अंश पूंजी में ₹ 5,75.49 करोड़ (निवल) निवेश किये। ब्यौरे विवरण संख्या 19 में दिये गये हैं।

2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 के अंत में विभिन्न संस्थाओं की अंश पूंजी में सरकारी निवेश क्रमशः ₹ 4,98,61.39 करोड़, ₹ 5,22,08.91 करोड़ तथा ₹ 5,27,84.40 करोड़ था। उनसे प्राप्त लाभांश और ब्याज क्रमशः ₹ 55.80 करोड़ (0.11 प्रतिशत), ₹ 54.47 करोड़ (0.10 प्रतिशत) तथा ₹ 2.89 करोड़ (0.01 प्रतिशत) था। ब्यौरे विवरण संख्या 8 तथा 19 में दिये गये हैं।

3. कतिपय सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट संख्या -VIII में दिये गये हैं।

विवरण संख्या – 6 उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का स्वरूप	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		कुल दायित्व का प्रतिशत
					राशि	%	
(₹ करोड़ में)							
क. लोक ऋण *							
6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण							
बाजार कर्ज	16,88,59.00	5,73,58.97	61,80.00	22,00,37.97	(+) 5,11,78.97	30.31	53.60
प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र	4,98,76.29	..	69,05.75	4,29,70.54	(-) 69,05.75	13.85	10.47
वित्तीय संस्थाओं से कर्ज	88,84.95	19,14.90	18,96.54	89,03.31	(+) 18.36	0.21	2.17
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	2,34,83.57 #	2,34,83.57 #	..	..	..	..
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,38,23.55	..	15,84.76	1,22,38.79	(-) 15,84.76	11.46	2.98
अन्य कर्ज	6,33.62	70.40	65.85	6,38.17	(+) 4.55	0.72	0.16
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम							
योजनेत्तर कर्ज	19.46	..	3.91	15.55	(-) 3.91	20.09	..
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	27,51.70	0.83	5,07.36	22,45.17	(-) 5,06.53	18.41	0.55
केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज	0.05	(-) 0.05 (क)	..	..	(-) 0.05	100.00	..
केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिये कर्ज	11.31	(-) 8.26 (ख)	..	3.05	(-) 8.26	73.03	..
1984-85 से पूर्व के कर्ज	5.40	0.01	..	5.41	(+) 0.01	0.19	..
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	1,45,14.58	71,43.64	3,95.25	2,12,62.97	(+) 67,48.39	46.49	5.18
योग-क. लोक ऋण	25,93,79.91	8,99,64.01	4,10,22.99	30,83,20.93	(+) 4,89,41.02	18.87	75.11

* विस्तृत लेखा खण्ड II के विवरण संख्या 17 में दिया गया है।
(क) ऋण आंकड़े, गत वर्ष के गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण हैं।

इसमें ₹ 74,12.49 करोड़ का साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा ₹ 1,60,71.08 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित है।
(ख) ऋण आंकड़े संबंधित मंत्रालयों द्वारा ऋण अपलेखन के कारण हैं।

विवरण संख्या 6 – (क्रमशः)

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण – (क्रमशः)

ऋण का स्वरूप	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		कुल दायित्व का प्रतिशत
					राशि	%	
(₹ करोड़ में)							
ख. अन्य दायित्व *							
लोक लेखे							
अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	5,14,68.62	1,37,05.60	88,48.53	5,63,25.69	(+) 48,57.07	9.44	13.72
ब्याज वाली आरक्षित निधियां	38,31.87 #	29,71.92	22,75.15	45,28.64	(+) 6,96.77	18.18	1.10
बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	41,78.94 #	49,56.07	45,24.62	46,10.39	(+) 4,31.45	10.32	1.12
ब्याज वाली जमा	76,66.64	70,22.92	34,19.21	1,12,70.35	(+) 36,03.71	47.01	2.75
बिना ब्याज वाली जमा	2,61,75.82	17,36,33.10	17,43,65.46	2,54,43.46	(-) 7,32.36	2.80	6.20
योग-ख अन्य दायित्व	9,33,21.89	20,22,89.61	19,34,32.97	10,21,78.53	(+) 88,56.64	9.49	24.89
कुल योग	35,27,01.80	29,22,53.62	23,44,55.96	41,04,99.46	(+) 5,77,97.66	16.39	100.00

* विस्तृत लेखा खण्ड II के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

पूर्णांक के कारण क्रमशः 1 की वृद्धि एवं कमी की गयी है।

राज्य विधान मण्डल द्वारा “राजस्थान राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2021” पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार कुल बकाया ऋण को वित्तीय वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 38.20 प्रतिशत तक सीमित रखेगी। 2020-21 के दौरान राज्य का वास्तविक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 42.85 प्रतिशत (आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 9,57,912 करोड़ द्वितीय अग्रिम अनुमानित घोषणा के अनुसार) था।

विवरण संख्या 6- (क्रमशः)

(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण – (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. परिशोधन व्यवस्था –

(क) खुले बाजार से कर्जें – वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) भारत सरकार से लिए गए कर्जें – इन बॉण्डों और ऋणों के परिशोधन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

2. **अल्प बचत निधि से कर्जें** – डाकघरों में “अल्प बचत योजनाएं” तथा “लोक भविष्य निधि” में संग्रहित राशि में से कर्जें राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार में 3:1 के अनुपात में बांटे गये हैं। वर्ष 1999-2000 में लघु बचत संग्रहण में से कर्जें जारी करने के उद्देश्य से “राष्ट्रीय लघु बचत निधि” के नाम से एक अलग निधि की स्थापना की गयी। वर्ष 2020-21 के दौरान निधि से कर्जें नहीं लिया गया एवं वर्ष के दौरान ₹ 15,84.76 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष के अंत में ₹ 1,22,38.79 करोड़ का शेष बकाया था जो 31 मार्च 2021 को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का 2.98 प्रतिशत था।

3. **भारत सरकार से लिए गए कर्जें तथा अग्रिम- ऋण भार में वृद्धि** – 2020-21 के दौरान भारत सरकार से लिए गये कर्जें तथा अग्रिम के शेष में ₹ 62,29.65 करोड़ से वृद्धि हुई जो मुख्यतः राज्य/विधानमंडल सहित संघ राज्य योजनाओं के लिए अधिक कर्जें प्राप्त होने के कारण रही।

31 मार्च 2021 को भारत सरकार से प्राप्त कर्जें उसी तिथि को राज्य सरकार के कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के 5.73 प्रतिशत के संगठक रहा।

4. **राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण – ब्याज वाले बाजार कर्जें** – इनके अन्तर्गत खुले बाजार से लिये गये लम्बी अवधि के कर्जें और मुआवजे के भुगतान हेतु जारी किए बॉण्ड आते हैं।

2020-21 के दौरान ₹ 5,73,59.00 करोड़ के अठत्तर ऋण लिये गये। ये ऋण 5.38 प्रतिशत से 8.65 प्रतिशत के बीच की ब्याज दर के थे तथा 2023 से 2055 में प्रतिदेय थे।

31 मार्च 2021 तक सरकार द्वारा लिये गये कर्जों एवं बकायों का ब्यौरा, विवरण संख्या 17 के अनुबंध में दिया गया है। बाजार कर्जों का बकाया शेष राज्य सरकार के कुल लोक ऋण लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का 53.60 प्रतिशत था।

नितान्त अस्थायी प्रकृति के कोई उधार नहीं थे।

5. **अन्य कर्जें** – वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जें जैसे कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक (₹ 19,14.34 करोड़) तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (₹ 0.56 करोड़) से कर्जें हैं। ₹ 70.40 करोड़ का कर्जें राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड से लिया गया। ये कर्जें वर्ष के दौरान उधार के संघटक हैं। अन्य कर्जों का कुल बकाया शेष राज्य सरकार के लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का 12.80 प्रतिशत था।

6. **परिपक्व रूपरेखा** – लोक ऋणों की परिपक्व रूपरेखा, पुनर्भुगतान समयावधि तथा बकाया ऋणों के ब्याज दर, विवरण संख्या 17 में दी गई है।

7. **ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन** – निक्षेप निधि अस्तित्व में नहीं है।

विवरण संख्या 6- (क्रमशः)

(ii) ऋण सेवा

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज :- 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्वों और राजस्व से पूरित ब्याज प्रभार की कुल निवल राशि नीचे दर्शायी गयी हैं :-

	2020-21	2019-20	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-)
	<i>(₹ करोड़ में)</i>		
(i) वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण तथा अन्य दायित्व			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	36,46,46.62	31,08,48.53	(+) 5,37,98.09
(ख) अन्य दायित्वों पर	4,58,52.84	4,18,53.27	(+) 39,99.57
योग- (i)	41,04,99.46	35,27,01.80	(+) 5,77,97.66
(ii) सरकार द्वारा भुगतान किया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण तथा अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	2,48,51.58 @	2,34,37.94	(+) 14,13.64
(ख) अन्य दायित्वों पर आरक्षित निधियों सहित	3,50.23	2,05.33	(+) 1,44.90
योग- (ii)	2,52,01.81	2,36,43.27	(+) 15,58.54
(iii) घटाइए			
(क) सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और उधारों पर प्राप्त ब्याज	12,53.20	25,67.71	(-) 13,14.51
(ख) रोकड़ शेर्षों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	23.38	77.12	(-) 53.74
योग - (iii)	12,76.58	26,44.83	(-) 13,68.25

@ इसमें ऋण प्रबंध से संबंधित ₹ 55.81 करोड़ सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 6--(समाप्त)

(ii) ऋण सेवा --(समाप्त)

ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज--(समाप्त)

	2020-21	2019-20	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-)
	(₹ करोड़ में)		
(iv) ब्याज प्रभारों की निवल राशि (ii) - (iii)	2,39,25.23	2,09,98.44	(+) 29,26.79
(v) सकल ब्याज का प्रतिशत --मद (ii) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर	18.76	16.87	(+) 1.89
(vi) निवल ब्याज का प्रतिशत --मद (iv) का कुल राजस्व प्राप्तियों पर	17.81	14.99	(+) 2.82

इनके अतिरिक्त ₹ 14,16.57 करोड़ के कुल कतिपय अन्य प्राप्तियां और समायोजन भी थे, जैसे वाणिज्यिक विभागों से प्राप्त ब्याज, राजस्व की बकाया पर ब्याज तथा 'विविध' खाते पर ब्याज। यदि इन्हें भी घटा दिया जाये तो, राजस्व पर ब्याज का निवल भार ₹ 2,25,08.66 करोड़ होगा, जो कि राजस्व का 16.76 प्रतिशत है।

वर्ष के दौरान सरकार ने विभिन्न उपक्रमों में निवेश पर ₹ 2.89 करोड़ लाभांश के रूप में भी प्राप्त किये।

विवरण संख्या 7- सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का विवरण

खण्ड 1: कर्जें तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार

कर्जदार समूह	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान की गई	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये कर्ज तथा उधार	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी	भुगतान योग्य बकाया ब्याज
(₹ करोड़ में)							
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं	1,53.46	3.60	4.90	..	1,52.16	(-) 1.30	उपलब्ध नहीं
सरकारी कम्पनियां	60,29.58	62.07	1,76.69	..	59,14.96	(-) 1,14.62	उपलब्ध नहीं
नगर पालिकाएं/नगर परिषद/नगर निगम	1,96.87	..	4.31	..	1,92.56	(-) 4.31	उपलब्ध नहीं
आवासन मंडल	4.45	..	0.02	..	4.43	(-) 0.02	उपलब्ध नहीं
पंचायती राज संस्थाएं	1.81	..	..	..	1.81	..	उपलब्ध नहीं
शहरी विकास प्राधिकरण	11,56.96	1,27.00	52.73	..	12,31.23	(+) 74.27	उपलब्ध नहीं
सांविधिक निगम	6,76.93	50.25	92.90	..	6,34.28	(-) 42.65	उपलब्ध नहीं
सहकारी समितियां/सहकारी निगम/बैंक	7,75.16	2.84	29.22	..	7,48.78	(-) 26.38	उपलब्ध नहीं
अन्य	8,52.70	2,45.25	12.75	..	10,85.20	(+) 2,32.50	उपलब्ध नहीं
योग	98,47.92	4,91.01	3,73.52	..	99,65.41	(+) 1,17.49	उपलब्ध नहीं

विवरण संख्या 7 – (क्रमशः)

खण्ड 2: कर्जें तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार *

कर्जदार समूह	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान भुगतान की गई	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बड़े खाते डाले गये कर्ज तथा उधार	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी	भुगतान योग्य बकाया ब्याज
(₹ करोड़ में)							
सामान्य सेवाएं	..	..	..	..	..	..	उपलब्ध नहीं
सामाजिक सेवाएं	19,91.96	2,80.60	66.94	..	22,05.62	(+) 2,13.66	उपलब्ध नहीं
आर्थिक सेवाएं	78,57.74	2,10.41	3,06.50	..	77,61.65	(-) 96.09	उपलब्ध नहीं
सरकारी कर्मचारी	(-) 2.10	..	0.08	..	(-) 2.18 (क)	(-) 0.08	उपलब्ध नहीं
विविध प्रयोजन	0.32	..	..	..	0.32	..	उपलब्ध नहीं
योग – कर्ज तथा उधार	98,47.92	4,91.01	3,73.52	..	99,65.41	(+) 1,17.49	उपलब्ध नहीं

* ब्यौरे के लिये खण्ड II का विवरण संख्या 18 देखें।

(क) ऋणात्मक शेष विचाराधीन हैं।

विवरण संख्या -7 (क्रमशः)

खण्ड 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ऋणी संस्था	31 मार्च, 2021 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधि जिसमें बकाया संबंधित है	31 मार्च 2021 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		

सूचना उपलब्ध नहीं है

(क) महालेखाकार कार्यालय द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे : कार्यालय महालेखाकार द्वारा कोई ऋण खाता संधारित नहीं किया जाता है।

(ख) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (₹ 13,02.87 करोड़), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 1,38.08 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 15,96.91 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 12,29.35 करोड़) और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 12,48.87 करोड़) के मामले में मार्च 2021 के अन्त तक कुल ₹ 55,16.08 करोड़ कर्ज के बकाया थे।

विवरण संख्या 7 –(समाप्त)

खण्ड 3: ऋणी संस्थाओं के बकाया चुकौतियों का सारांश –(समाप्त)

(ग) राज्य सरकार द्वारा संधारित विस्तृत कर्ज लेखे :- निश्चित श्रेणी के कर्जों (2020-21 के अन्त तक कुल बकाया राशि ₹ 44,49.33[@] करोड़) के ब्यौरेवार लेखे राज्य सरकार के 25 नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं। सरकार के आदेशों के अधीन कर्जों की किश्तों और ब्याज की बकाया वसूली के ब्यौरे प्रधान महालेखाकार को प्रति वर्ष जून तक भेजने के लिये नियंत्रक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है। विभिन्न विभागों द्वारा संधारित कर्जों से सम्बन्धित मूलधन तथा ब्याज के बीतकाल बकाया के विवरण का ब्यौरा परिशिष्ट-VII के अधीन दिखाया गया है।

2020-21 के लिये देय 160 विवरणों में से 31 जुलाई, 2021 तक केवल 30 विवरण प्राप्त हुए। इन विवरणों में 31 मार्च 2021 को ब्याज रहित ₹ 7,47.32 करोड़ वसूली के बकाया प्रकट हुए। विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	31 मार्च 2021 को बकाया राशि	बकाया रही वसूलियां	
			मूलधन	ब्याज
			(₹ करोड़ में)	
1.	6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज	0.63	0.63	..
2.	6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज	1.38	1.38	..
3.	6401. फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज	..*	..	..
4.	6408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार के लिए कर्ज	0.05	0.05	..
5.	6425. सहकारिता के लिए कर्ज	7,45.20	7,45.20	..
6.	6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज	0.02	0.02	..
7.	7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	0.04	0.04	..
योग		7,47.32	7,47.32	..

@ इसमें सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्ज [₹(-)2.18 करोड़]] शामिल है, जिनके विस्तृत लेखे राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, किन्तु वसूलियों को अतिदेय नहीं बताया गया है।

* मात्र ₹ 13,550.

विवरण संख्या 8 – सरकार के निवेशों का विवरण

वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के लिए विभिन्न संस्थाओं की अंशपूंजी तथा ऋण-पत्रों में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश *

संस्था का नाम #	2020-21			2019-20		
	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति	संस्थाओं की संख्या	वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज की प्राप्ति
		(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)	
1. सांविधिक निगम	7	7,64.34	0.18	7	7,64.34	2.14
2. ग्रामीण बैंक	2	73.69	..	2	73.69	..
3. सरकारी कम्पनियां	44	5,02,53.97	2.29	43	4,98,45.97	50.98
4. संयुक्त पूंजी कम्पनियां, संयुक्त स्कंध कम्पनियां और साझेदारी संस्थाएं	34	11,04.74	..	34	9,18.52	0.05
5. सहकारी बैंक तथा समितियां	**	5,87.66	0.42	**	6,06.39	1.30
योग	87	5,27,84.40	2.89	86	5,22,08.91	54.47

* ब्यौरे के लिए खण्ड II का विवरण संख्या 19 का भाग 1 देखें।

सूचना का स्रोत : राज्य सरकार।

** सहकारी बैंकों तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

विवरण संख्या – 9 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि के पुर्नभुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दी गई गारन्टियां तथा

31 मार्च 2021 को विभिन्न क्षेत्रों में बकाया गारन्टियों का योग #

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि *	वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में बकाया *	वर्ष के दौरान बढ़त*	घटत* (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया *	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
		चुकाई गई			नहीं चुकाई	प्राप्त होने योग्य		प्राप्त		
(₹ करोड़ में)										
वर्ग (1)										
ऊर्जा (5)	12,85,91.68	6,38,03.62	1,07,36.13	49,84.22	..	..	6,95,55.53	6,81.54	4,10.81 (क)	..
सहकारी समितियाँ (6)	1,25,79.66	69,67.21	32,46.02	74,21.94	..	..	27,91.29	5.20	5.20	..
सड़क तथा परिवहन (1)	45,18.43	30,85.63	6,10.27	7,51.17	..	..	29,44.73	30.45	.. (ख)	..
राज्य वित्तीय निगम (1)	4,00.00	4,00.00	..	1,74.00	..	..	2,26.00	2.69	2.69	..
नगरीय विकास और आवासन (3)	77,41.56	46,85.89	99.42	3,77.15	..	..	44,08.16	14.11	14.11	..
अन्य कोई (4)	29,90.86	16,88.90	11,50.00	1,52.16	..	..	26,86.74	6.83	6.83	..
योग	15,68,22.19	8,06,31.25	1,58,41.84	1,38,60.64	..	..	8,26,12.45	7,40.82	4,39.64 (ग)	..

सूचना का स्रोत : राज्य सरकार ।

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है।

(क) ₹ 2,70.73 करोड़ वर्ष के दौरान बकाया है।

(ख) ₹ 30.45 करोड़ वर्ष के दौरान बकाया है।

(ग) ₹ 3,01.18 करोड़ वर्ष के दौरान बकाया है।

विवरण संख्या 10 – सरकार द्वारा दी गई सहायतार्थ अनुदान का विवरण

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
<i>(₹ करोड़ में)</i>						
1. स्थानीय शहरी निकाय						
(i) नगर निगम	16,65.04	3,62.68	20,27.72	5.00	..	5.00
(ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषदें	25,74.03	6,04.23	31,78.26	..	..	..
योग – स्थानीय शहरी निकाय	42,39.07	9,66.91	52,05.98	5.00	..	5.00
2. पंचायती राज संस्थाएं						
(i) जिला परिषदें	46,74.94	30,41.10	77,16.04	1,53.85	..	1,53.85
(ii) पंचायत समितियां	27,91.46	3,86.20	31,77.66	..	..	..
(iii) ग्राम पंचायतें	21,78.96	14,70.53	36,49.49	..	..	..
योग – पंचायती राज संस्थाएं	96,45.36	48,97.83	1,45,43.19	1,53.85	..	1,53.85
3. राजकीय क्षेत्र उपक्रम						
(i) सांविधिक निगम	4,35.50	1.28	4,36.78	8.70	..	8.70
(ii) सरकारी कम्पनियां	5,41.01	..	5,41.01	..	..	..
योग – राजकीय क्षेत्र उपक्रम	9,76.51	1.28	9,77.79	8.70	..	8.70

विवरण संख्या 10 – (क्रमशः)

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण - (क्रमशः)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
4. गैर सरकारी संगठन						
अन्य	56.61	..	56.61	38.78	..	38.78
योग – गैर सरकारी संगठन	56.61	..	56.61	38.78	..	38.78
5. स्वायत्तशासी निकाय						
विश्वविद्यालय/ शैक्षिक संस्थाएं	12,28.00	39.73	12,67.73	34.68	21.76	56.44
योग – स्वायत्तशासी निकाय	12,28.00	39.73	12,67.73	34.68	21.76	56.44
6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं						
सहकारी संस्थाएं	52,38.73	9.90	52,48.63	11.00	..	11.00
योग – सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	52,38.73	9.90	52,48.63	11.00	..	11.00
7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण						
विकास प्राधिकरण	12.78	0.09	12.87	..	..	..
योग – सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण	12.78	0.09	12.87	..	..	..

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण - (क्रमशः)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग

(₹ करोड़ में)

8. अन्य

(i) राज्य विधान मंडल	0.23	..	0.23	..	..	..
(ii) बिक्री, व्यापार आदि पर कर	10,29.57	..	10,29.57	1.00	..	1.00
(iii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण प्रभार	0.07	..	0.07	..	..	..
(iv) सचिवालय-सामान्य सेवाएं	0.50	..	0.50	..	..	..
(v) पुलिस	1.27	..	1.27	..	..	..
(vi) जेल	0.47	..	0.47	..	..	..
(vii) अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.00	..	1.00	..	..	..
(viii) विविध सामान्य सेवाएं	0.25	..	0.25	..	..	..
(ix) शिक्षा	9,28.74	13,25.54	22,54.28	..	..	..
(x) खेल एवं युवा सेवाएं	52.11	..	52.11	..	..	..
(xi) कला एवं संस्कृति	48.23	..	48.23	15.70	..	15.70
(xii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4,07.67	22.76	4,30.43	..	..	..
(xiii) परिवार कल्याण	8,36.89	18,00.78	26,37.67	1,99.92	3,63.46	5,63.38
(xiv) जल प्रदाय तथा सफाई	12.07	..	12.07	..	..	..
(xv) शहरी विकास	1,12.53	2,15.00	3,27.53	1,12.18	..	1,12.18
(xvi) सूचना एवं प्रचार	2.00	..	2.00	..	..	..
(xvii) सामाजिक न्याय	95.47	2,14.36	3,09.83	..	..	..
(xviii) श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	4,19.31	24.72	4,44.03	..	..	..

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण - (क्रमशः)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
8. अन्य - (क्रमशः)						
(xix) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,56.11	41.19	1,97.30	..	..	..
(xx) एकीकृत बाल विकास सेवाएं	82.49	2.27	84.76	..	..	..
(xxi) प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	17.34	6,56.23	6,73.57	..	..	..
(xxii) अन्य सामाजिक सेवाएं	9.55	..	9.55	2.38	..	2.38
(xxiii) फसल कृषि कर्म	26,10.40	1,37.70	27,48.10	5.55	..	5.55
(xxiv) पशु पालन	5,91.06	0.64	5,91.70	8.27	..	8.27
(xxv) मछली पालन	0.26	1.12	1.38	..	..	..
(xxvi) वन	2,06.40	..	2,06.40	1.49	..	1.49
(xxvii) अन्य कृषि कार्यक्रम	40.00	..	40.00	..	..	..
(xxviii) अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1.33	..	1.33	..	..	..
(xxix) मुख्य सिंचाई	2.88	..	2.88	..	..	..
(xxix) मध्यम सिंचाई	6.65	..	6.65	0.01	..	0.01
(xxxi) ग्राम एवं लघु उद्योग	34.66	..	34.66	0.99	..	0.99
(xxxii) उद्योग	22.60	..	22.60	..	..	..
(xxxiii) सड़क परिवहन	2,51.36	..	2,51.36	..	..	..
(xxxiv) अन्य परिवहन सेवाएं	5.00	..	5.00	5.00	..	5.00
(xxxv) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.72	..	0.72	..	..	..

विवरण संख्या 10 - (क्रमशः)

(i) वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण - (समाप्त)

अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	सहायतार्थ अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियां			जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियां		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के. प्र. यो. / केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ करोड़ में)						
8. अन्य - (समाप्त)						
(xxxvi) पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	0.61	..	0.61	..	..	..
(xxxvii) सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.59	..	0.59	..	..	..
(xxxviii) पर्यटन	1.14	..	1.14	..	..	..
(xxxix) देवस्थान	0.04	..	0.04 *	..	..	..
योग - अन्य	79,89.57	44,42.31	1,24,31.88	3,52.49	3,63.46	7,15.95
कुल योग	2,93,86.63	1,03,58.05	3,97,44.68	6,04.50	3,85.22	9,89.72

* पंचायती राज संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान के अलावा जारी निधियां, जिसे विवरण संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के अन्तर्गत अलग से दिखाया गया है।

विवरण संख्या 10 – (समाप्त)

(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण *

ग्रांटी नाम/श्रेणी	पण्य सहायता अनुदान का कुल मूल्य	पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान का मूल्य
	(₹ करोड़ में)	
1. स्थानीय शहरी निकाय		
(i) नगर निगम	..	..
(ii) नगर पालिकाएं/नगर परिषद	..	..
2. पंचायती राज संस्थाएं		
(i) जिला परिषद	..	..
(ii) पंचायत समिति	..	..
(iii) ग्राम पंचायत	..	..
3. राजकीय क्षेत्र उपक्रम		
(i) सांविधिक निगम	..	..
(ii) सरकारी कम्पनियां	..	..
4. गैर सरकारी संगठन		
अन्य	..	..
5. स्वायत्तशासी निकाय		
विश्वविद्यालय/ शैक्षिक संस्थाएं	..	..
6. सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं		
सहकारी संस्थाएं	..	..
7. सांविधिक निकाय तथा विकास प्राधिकरण		
विकास प्राधिकरण	..	..
8. अन्य		
अन्य	..	..
कुल योग	..	..

* राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया।

विवरण संख्या 11- दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण

विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	प्रभारित	दत्तमत	योग	प्रभारित	दत्तमत	योग
	(₹ करोड़ में)					
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	2,54,15.49	15,28,93.92	17,83,09.41	2,38,47.04	15,26,38.06	17,64,85.10
व्यय शीर्ष (पूँजी लेखा)	0.12	1,52,70.37	1,52,70.49	0.10	1,47,17.95	1,47,18.05
लोक ऋण, कर्ज तथा उधार के अंतर्गत संवितरण और आकस्मिकता निधि को अन्तरण #	4,10,22.99	4,91.01	4,15,14.00	2,00,32.69	22,55.18	2,22,87.87
योग	6,64,38.60	16,86,55.30	23,50,93.90	4,38,79.83	16,96,11.19	21,34,91.02
# आंकड़े निम्न प्रकार निकाले गये हैं :-						
ड. लोक ऋण *						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	4,01,16.47	..	4,01,16.47	1,91,98.43	..	1,91,98.43
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	9,06.52	..	9,06.52	8,34.26	..	8,34.26
च. कर्ज तथा उधार *						
सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज	..	..	..	..	..	..
सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	2,80.60	2,80.60	..	2,85.78	2,85.78
आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	..	2,10.41	2,10.41	..	19,69.40	19,69.40
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	..	..	..	..	..	..
विभिन्न प्रयोजनो हेतु कर्ज	..	..	..	..	..	..
छ. अन्तर्राज्यीय समायोजन						
अन्तर्राज्यीय समायोजन	..	..	..	..	..	..
ज. आकस्मिकता निधि को अंतरण						
आकस्मिकता निधि को अंतरण	..	..	..	..	..	..
योग	4,10,22.99	4,91.01	4,15,14.00	2,00,32.69	22,55.18	2,22,87.87

* विस्तृत लेखे खण्ड II के विवरण संख्या क्रमशः 17 एवं 18 में दिये गये हैं ।

विवरण संख्या 11- (समाप्त)

वर्ष 2020-21 तथा 2019-20 के दौरान कुल व्यय पर प्रभारित व्यय तथा दत्तमत व्यय का प्रतिशत नीचे दिये अनुसार है :-

	कुल व्यय का प्रतिशत	
	प्रभारित	दत्तमत
2020-21	28.26	71.74
2019-20	20.55	79.45

**विवरण संख्या 12 – राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिए
निधियों के स्रोतों एवं आवेदन का विवरण**

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2021 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय			
पूँजीगत व्यय-			
सामान्य सेवाएं	52,43.93	3,98.17	56,42.10
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	33,68.64	12,80.49	46,49.13
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	46,88.40	6,31.85	53,20.25
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,88,23.81 (क)	53,51.52	6,41,75.33 (क)
सूचना तथा प्रसारण	21.42	1.06	22.48
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	32,14.69	2,53.24	34,67.93
समाज कल्याण तथा पोषण	5,87.22	19.45	6,06.67
अन्य सामाजिक सेवाएं	8,24.94	1,03.97	9,28.91
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	51,14.17	4,04.43	55,04.52 (ख)
ग्राम विकास	68,39.74	2,39.15	70,78.89
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	32,07.06	66.73	32,73.79
सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	2,80,11.65	25,95.07 (ग)	3,06,06.72 (ग)
ऊर्जा	4,79,94.43	5,89.71	4,85,84.14
उद्योग तथा खनिज	11,94.42 (घ)	49.75	12,44.17 (घ)
परिवहन	3,89,60.86 (ङ)	41,41.03 (च)	4,31,01.89 (छ)
विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	22.42	0.28	22.70

- (क) इसमें ₹ 3,56.73 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि (मुख्य शीर्ष 8115) से पूरित किया गया है।
- (ख) पूँजी विनिवेश के कारण ₹ 14.08 करोड़ वर्ष के अंत में व्यय से प्रोफोर्मा द्वारा कम किये गये।
- (ग) इसमें ₹ 8.90 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे मुख्य शीर्ष 4702-902 को ऋण नामे करते हुए जल संरक्षण सैस निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया।
- (घ) इसमें ₹ 2,43.46 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि (मुख्य शीर्ष 8229) से पूरित किया गया।
- (ङ) इसमें ₹ 84,07.22 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे राज्य सड़क तथा पुल निधि (मुख्य शीर्ष 8225), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (मुख्य शीर्ष 8229) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (मुख्य शीर्ष 8449) से पूरित किया गया।
- (च) इसमें ₹ 11,36.10 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे क्रमशः शीर्ष 5054-03-902 (02), 5054-04-902 (01), 5055-902 तथा 5054-03-902 (01) को ऋण नामे करते हुए राज्य सड़क तथा पुल निधि (मुख्य शीर्ष 8225), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (मुख्य शीर्ष 8229) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (मुख्य शीर्ष 8449) से पूरित किया गया।
- (छ) इसमें ₹ 95,43.32 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे राज्य सड़क तथा पुल निधि (मुख्य शीर्ष 8225), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (मुख्य शीर्ष 8229) तथा केन्द्रीय सड़क निधि (मुख्य शीर्ष 8449) से पूरित किया गया।

विवरण संख्या 12 – (क्रमशः)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2021 को
पूँजीगत तथा अन्य व्यय – (समाप्त)			
पूँजीगत व्यय—(समाप्त)			
सामान्य आर्थिक सेवाएं	36,96.07	2,89.59	39,85.66
योग-पूँजीगत व्यय	21,18,13.87 (क)	1,64,15.49 (ख)	22,82,15.28 (ग)
विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज तथा उधार			
सामान्य सेवाएं	..	..	..
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	12.39	(-) 1.20	11.19
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	16.32	(-) 5.06	11.26
जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	16,36.56	69.94	17,06.50
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	12.05	..	12.05
समाज कल्याण तथा पोषण	3,08.26	1,49.98	4,58.24
अन्य सामाजिक सेवाएं	6.38	..	6.38
कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	13,57.69	34.42	13,92.11
ग्राम विकास	0.06	..	0.06
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	0.12	..	0.12
ऊर्जा	56,41.14	(-) 1,25.06	55,16.08
उद्योग तथा खनिज	43.36	0.39	43.75
परिवहन	7,70.83	(-) 21.59	7,49.24
सामान्य आर्थिक सेवाएं	44.54	15.75	60.29
सरकारी कर्मचारियों को कर्ज	(-) 2.10	(-) 0.08	(-) 2.18 (घ)
विविध प्रयोजनों के लिए कर्ज	0.32	..	0.32
योग-विभिन्न सेवाओं के लिए कर्ज तथा उधार	98,47.92	1,17.49	99,65.41
आकस्मिकता निधि में अन्तरण	..	..	..
योग-पूँजीगत तथा अन्य व्यय	22,16,61.79	1,65,32.98	23,81,80.69

(क) इसमें ₹ 90,07.41 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे विकास निधि, आरक्षित निधियों से पूरित किया गया।

(ख) इसमें ₹ 11,45.00 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे सम्बन्धित सेवा शीर्ष को ऋण नामे करते हुए विभिन्न निधियों से पूरित किया गया।

(ग) इसमें ₹ 1,01,52.41 करोड़ का व्यय सम्मिलित है जिसे विकास निधि, आरक्षित निधियों आदि से पूरित किया गया।

(घ) ऋण शेष जॉच के अधीन है।

विवरण संख्या 12 – (क्रमशः)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2021 को
घटाएं—			
आकस्मिकता निधि से अंशदान	5,00.00	..	5,00.00
पूंजीगत प्राप्तियां	12.13	..	12.13
विविध पूंजीगत प्राप्तियों से अंशदान	1,85.76	14.08 (क)	1,99.84
विकास निधि, आरक्षित निधि आदि से अंशदान	90,07.41	11,45.00	1,01,52.41
निवल-पूंजीगत तथा अन्य व्यय	21,19,56.49	1,53,73.90	22,73,16.31
निधियों के प्रधान स्रोत			
2019-20 के लिये राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)		(-) 4,40,01.53	
जोड़िये-निवृत्ति/विनिवेश के कारण समायोजन*	(-) 1,85.76	..	(-) 1,99.84
ऋण—			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	24,20,77.41	4,27,11.37	28,47,88.78
केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,73,02.50	62,29.65	2,35,32.15
अल्प बचतें, भविष्य निधियां, आदि	5,14,68.62	48,57.07	5,63,25.69
योग-ऋण	31,08,48.53	5,37,98.09	36,46,46.62

(क) सहकारी समितियों/बैंकों इत्यादि में विनिवेश से प्राप्ति ।

* पंक्ति मद में राशि विवरण को तुल्य करने के लिये सम्मिलित की गई है ।

विवरण संख्या 12 - (समाप्त)

विवरण	1 अप्रैल 2020 को	वर्ष 2020-21 के दौरान (₹ करोड़ों में)	31 मार्च 2021 को
निधियों के प्रधान स्रोत- (समाप्त)			
अन्य दायित्व			
आरक्षित निधियां	80,10.81	11,28.22	91,39.03
जमा और पेशगियां	3,38,39.25	28,71.39	3,67,10.64
उच्चत तथा विविध (सरकारी लेखों की संवृत राशि एवं रोकड़ शेष निवेश लेखा के बगैर)	(-) 1,23.84	1,16.17	(-) 7.67
प्रेषण	(-) 10.37	11.87	1.50
योग -अन्य दायित्व	4,17,15.85	41,27.65	4,58,43.50
योग-ऋण तथा अन्य दायित्व	35,25,64.38	5,79,25.74	41,04,90.12
घटाएं-रोकड़ शेष			
	22.12	(-) 82.09	(-) 59.97
घटाएं-निवेश			
	58,07.73	(-) 13,67.60	44,40.13
जोड़ें- 2020-21 के दौरान सरकारी लेखा की संवृत राशि	..	..	..
निधियों का निवल प्रावधान	34,65,48.77	1,53,73.90	40,59,10.12(क)

(क) ₹ 36,19,22.67 करोड़ (₹ 34,65,48.77 करोड़ + ₹ 1,53,73.90 करोड़) से ₹ 4,39,87.45 करोड़ का अंतर [राजस्व घाटे का निवल (₹ 4,40,01.53 करोड़) तथा निवृत्ति/विनिवेश (₹ 14.08 करोड़) के कारण समायोजन] है। 31 मार्च 2021 को "पूँजी तथा अन्य व्यय" के निवल और उसके लिए "निधियों के प्रावधान" के निवल के बीच ₹ 17,85,93.81 करोड़ का अन्तर भी था, जो कि संचयी राजस्व घाटा और सरकारी लेखों को संवृत राशि का द्योतक हैं।

विवरण संख्या 13 - समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश

क. 31 मार्च 2021 को शेषों का सारांश निम्न प्रकार है :-

नाम शेष	सामान्य लेखे का खण्ड	लेखे का नाम	जमा शेष
(₹ करोड़ में)			(₹ करोड़ में)
		समेकित निधि	
39,66,44.55 *	क से घ तथा ठ का भाग (मु.शी. 8680 केवल)	सरकारी लेखे	
	ड	लोक ऋण	30,83,20.93
99,65.41	च	कर्ज तथा उधार	
		आकस्मिकता निधि	5,00.00
		लोक लेखा	
	झ	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	5,63,25.69
	ञ	आरक्षित निधि	
		(i) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	45,28.64
		(ii) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां :	
21,03.74		सकल शेष	67,14.13
	ट	निवेश	
		जमा तथा अग्रिम	
3.17		(i) ब्याज वाली जमा	1,12,70.35
		(ii) बिना ब्याज वाली जमा	2,54,43.46
		(iii) अग्रिम	
44,40.13	ठ	उचन्त तथा विविध	
7.67		निवेश	
		अन्य मदें (निवल)	
	ड	प्रेषण	1.50
(-) 59.97 (क)	ढ	रोकड़ शेष	
41,31,04.70	योग		41,31,04.70

* इस राशि को समझने के लिए कृपया नीचे पृष्ठ संख्या 57 पर 'ख' देखें ।

(क) रिजर्व बैंक की जमा, जो कि सरकार के रोकड़ शेष का संघटक है, में लेखों में दर्शायी गयी एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित की गयी राशि में अन्तर था । विस्तृत विवरण के लिए विवरण संख्या 2 के परिशिष्ट के पृष्ठ सं. 9 पर पाद टिप्पणी (च) देखें ।

विवरण संख्या 13 - (समाप्त)

ख. सरकारी लेखे :- सरकारी लेखों में अनुसरित बही खाता पद्धति के अधीन राजस्व, पूंजी तथा अन्य सरकारी लेन-देनों के अन्तर्गत पुस्तांकित राशियों की, जिनके शेषों को लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाया जाता, एक ही शीर्ष सरकारी लेखे को संवितरित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत शेष, ऐसे समस्त लेन-देनों के संचित परिणाम द्योतक हैं।

उसमें जोड़ने के बाद लोक ऋण, कर्ज और पेशगियां, अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखों के अतिरिक्त) प्रेषण और आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत रहे शेषों को जोड़ने से वर्ष के अन्त में रहने वाला अन्त रोकड़ शेष निकाला तथा सिद्ध किया जा सकता है।

इस सारांश के अन्य शीर्षकों में सरकारी खाता बहियों में समाप्त लेखा शीर्षों के अन्तर्गत रहे ऐसे शेष जिनके सम्बन्ध में सरकार प्राप्त की हुई धन राशियों के चुकारे का दायित्व रखती है अथवा देय राशियों को वसूल करने का दावा रखती है तथा प्रेषण लेन-देनों के समायोजन के लिए खाता बहियों से खोले गये शीर्ष भी आते हैं।

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इन शेष राशियों को सरकार की वित्तीय स्थिति का लेखा-जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि न तो इनमें राज्य की सम्पूर्ण भौतिक परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवनों संचार साधनों आदि को और न ही इनमें किसी प्रकार की देयताओं अथवा ऐसे बकाया दायित्वों को दिखाया जाता है जिनका लेखा सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली रोकड़ पर आधारित लेखा विधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता।

वर्ष के अन्त में सरकारी लेखे के नामे निवल राशि इस प्रकार निकाली गई है :-

नामे	विवरण	जमा
(₹ करोड़ में)		(₹ करोड़ में)
33,73,86.61	क. 1 अप्रैल 2020 को सरकारी लेखे में नामे राशि	
	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	13,43,07.88
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	14.08
17,83,09.41	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
1,52,70.49	ङ. व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	
..	च. आकस्मिकता निधि को अन्तरण	
	छ. 31 मार्च 2021 को सरकारी लेखे में नामे राशि	39,66,44.55
53,09,66.51	योग	53,09,66.51

- अनेक मामलों में विवरण 'आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण' (विवरण संख्या-21) में दिखाए गए अन्त शेषों एवं लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिये संधारित पृथक-पृथक रजिस्ट्रियों या अन्य अभिलेखों में दिखाये गए अन्त शेषों में असमाहित अन्तर है। इन असंगतियों को दूर करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।
- संबंधित अधिकारियों को सत्यापन तथा स्वीकृति के लिए प्रति वर्ष शेष संसूचित किए जाते हैं। काफी मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
- जिन मामलों में विवरण/प्रलेख शेषों के मिलान के सम्बन्ध में प्रतीक्षित है उनका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट VII में दिया है।

लेखाओं से टिप्पणियां

1. अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियों का सारांश

- (i) **अस्तित्व तथा लेखा अवधि:** ये लेखे राजस्थान सरकार के 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के संव्यवहारों को प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के लेखे 41 जिला कोषालयों द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक की समायोजन सूचना के आधार पर संकलित किये गये हैं। सार्वजनिक निर्माण तथा वन खण्डों से सम्बन्धित प्राप्ति तथा भुगतान को एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) के अधीन अप्रैल 2016 से कोषालयों के साथ जोड़ दिया गया है, इसलिये इन खण्डों के लेखे कोषालयों द्वारा संकलित एवं प्रस्तुत किये जाते हैं। वर्ष के अंत तक किसी भी लेखे को बाहर नहीं रखा गया है।

कोविड-19 महामारी के कारण भौतिक वाउचर्स राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये। वाउचर्स इस कार्यालय में इन्टरमिडिटेड सर्वर के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।

- (ii) **लेखे का आधार :** कुछ पुस्तकीय समायोजनों (अनुबंध - क) के अपवाद के साथ, 'लेखे' लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्ति एवं वितरणों को प्रस्तुत करते हैं। भौतिक सम्पत्तियां तथा वित्तीय सम्पत्तियां जैसे, निवेश इत्यादि, ऐतिहासिक लागत अर्थात् अधिग्रहण/खरीद वर्ष के मूल्य पर दिखाये गये हैं। भौतिक सम्पत्तियां मूल्य ह्रासित अथवा परिशोधित नहीं हैं। भौतिक सम्पत्तियों में हानियां उनकी जीवन अवधि की समाप्ति पर भी व्यय तथा अभिज्ञात नहीं की जाती हैं।

लेखा अवधि के दौरान वितरित सेवानिवृत्ति हित लाभों को लेखों में दर्शाया गया है, लेकिन सरकार के भविष्य के पेंशन दायित्व अर्थात् कर्मचारियों की पूर्व तथा वर्तमान सेवाओं के लिए सेवानिवृत्ति हित लाभ के भुगतान के दायित्व को लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

- (iii) **लेखे जिस मुद्रा में रखे जाते हैं:** राजस्थान सरकार के लेखे भारतीय रुपये (₹) में संधारित किये जाते हैं।

- (iv) **लेखे का प्रारूप:** संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत, संघ तथा राज्यों के लेखे उस प्रारूप में रखे जाते हैं जैसा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की राय पर राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द "प्रारूप" व्यापक अर्थ रखता है जिसमें न केवल वृहद रूप से निर्धारित प्रारूप जिनमें लेखे रखे जाने हैं, बल्कि लेखों के उपयुक्त शीर्षों के चयन के लिए आधार को भी, जिसके अन्तर्गत संव्यवहार वर्गीकृत किये जाने हैं, सम्मिलित किया जा सके।

- (v) **पूंजी और राजस्व व्यय का वर्गीकरण:** राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति का है और राजस्व प्राप्ति से पूरित करना इसका उद्देश्य है। पूंजीगत व्यय को किसी वस्तुगत और स्थायी प्रकृति की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाने या स्थायी देनदारियों को कम करने के उद्देश्य के साथ किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है।

2. समेकित निधि:

(i) **वस्तु एवं सेवा कर :** वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 01 जुलाई 2017 से शुरू किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 2019-20 में ₹ 21,954.17 करोड़ की तुलना में (5.46 प्रतिशत) ₹ 1,199.30 करोड़ की कमी दर्ज करते हुए, ₹ 20,754.87 करोड़ था। इसमें एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अग्रिम विभागजन की राशि ₹ 1,628.07 करोड़ शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा के रूप में ₹ 10,602.62 करोड़ प्राप्त किये। वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां ₹ 31,357.49 करोड़ थीं। 2020-21 के दौरान राज्य को जी.एस.टी. लागू होने से होने वाली राजस्व की हानि की वजह से ₹ 5,632.84 करोड़ (पिछले वर्ष से सम्बन्धित ₹ 2,675.47 करोड़ सम्मिलित करते हुए) की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति अंतरिम है तथा लेखापरीक्षा के अधीन है।

(ii) **नियंत्रण अधिकारियों तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के मध्य व्यय तथा प्राप्तियों का अंकमिलान:** राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (2012 तक संशोधित) के पैरा 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रक अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा पुस्तान्कित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक है। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा प्राप्तियों की राशि ₹ 2,24,659.49 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 100 प्रतिशत) और व्यय राशि ₹ 2,35,093.90 करोड़ (कुल व्यय का 100 प्रतिशत) का मिलान किया गया।

(iii) **लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां तथा 800-अन्य व्यय के तहत लेखांकन:** लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय के संचालन का तब प्रयोजन किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं हो। लघु शीर्ष 800 के सामान्य प्रयोग को निरुत्साहित किया जाना चाहिये क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 56 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 9,475.32 करोड़, जो कुल राजस्व एवं पूंजीगत व्यय (₹ 1,93,579.90 करोड़) का 4.89 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के तहत दर्ज किए महत्वपूर्ण व्यय का विवरण (50 प्रतिशत एवं अधिक) अनुबंध-ख पर दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 5,965.54 करोड़, कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,34,307.88 करोड़) का 4.44 प्रतिशत, 44 मुख्य लेखा शीर्षों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत लेखों में वर्गीकृत किये गया। लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के तहत दर्ज किये गये महत्वपूर्ण प्राप्तियों का विवरण (50 प्रतिशत एवं अधिक) अनुबंध-ख पर दिया गया है।

(iv) **बिना सलाह के नए उप शीर्षों/विस्तृत लेखा शीर्षों को खोलना:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के प्रावधानों के तहत महालेखाकार से आवश्यक पूर्व सलाह लिये बिना, 2020-21 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा बजट तथा अनुपूरक अनुदानों की मांग के माध्यम से 438 नये उपशीर्ष/समूह शीर्ष {राजस्व अनुभाग के तहत 257 तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत 181 (राज्य सरकार द्वारा दिये गये लोक ऋण तथा कर्जे तथा पेंशियों को सम्मिलित करते हुये)} खोले गये। यद्यपि, राज्य सरकार ने राज्य विधान मंडल द्वारा बजट तथा अनुपूरक अनुदानों की मांगों को पारित किये जाने के बाद महालेखाकार से कार्योत्तर सहमति प्राप्त की।

राज्य सरकार ने इन शीर्षों के तहत बजट प्रावधान उपलब्ध कराया तथा 2020-21 के दौरान इन शीर्षों में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹ 13,567.55 करोड़ तथा पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 15,375.48 करोड़ का व्यय किया।

- (v) **निजी निक्षेप (पी.डी.) खातों में निधियों का हस्तान्तरण:** नामित आहरण अधिकारियों को किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए राज्य की समेकित निधि में सेवा शीर्षों को नामे करके तथा मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा और लघु शीर्ष 106- निजी निक्षेप के तहत निजी निक्षेप को जमा करते हुये व्यय करने में पी.डी. खाते सक्षम बनाते हैं।

2020-21 के दौरान इन पी.डी. खातों में राज्य की समेकित निधि से ₹ 26,691.69 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई और चालानों के माध्यम से ₹ 11,022.72 करोड़ की राशि जमा की गई। इसमें राज्य की समेकित निधि से मार्च 2021 में हस्तांतरित ₹ 5,913.31 करोड़ शामिल है यह वर्ष के दौरान पी.डी. लेखों में कुल जमा का 15.68 प्रतिशत है, जिसमें से मार्च 2021 के अंतिम कार्य दिवस पर ₹ 17.73 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे।

31 मार्च 2021 को पी.डी. खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक शेष		वर्ष 2020-21 के दौरान जुड़े		2020-21 के दौरान बन्द/निकासी		31 मार्च 2021 को अन्तिम शेष	
प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि	प्रशासक की संख्या	राशि
1900	16,289.07	77	37,714.41	49	39,620.53	1928	14,382.95

- (vi) **असमायोजित सारांशीकृत आकस्मिक(ए.सी) बिल:** वित्तीय नियम (केन्द्रीय कोषागार नियमों के नियम 290) की विनिर्दिष्ट है कि सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए इसकी आवश्यकता नहीं हो। आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) सेवा शीर्षों को नामे करके सारांशीकृत (ए.सी.) बिलों के माध्यम से धनराशि निकालने के लिए अधिकृत हैं। राजस्थान के संदर्भ में, कोषागार नियम 220(1) में ए.सी. बिलों के आहरण से तीन महीने की अवधि के भीतर विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान है (साख पत्र खोलकर, विदेश से मशीनरी/उपकरण और अन्य वस्तुओं की खरीद के मामले छोड़कर, जहां ए.सी. बिलों के आहरण के छः माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को डी.सी. बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं)। समर्थित डी.सी.बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लंबे समय तक प्रस्तुत न करने से एसी बिलों के माध्यम से व्यय अपारदर्शी हो जाता है और वित्त लेखों में दिखाए गए व्यय को सही या अंतिम रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 34.63 करोड़ की राशि के 407 ए.सी. बिल में से, मार्च 2021 में ₹ 10.54 करोड़ की राशि के (30.44 प्रतिशत) 44 ए.सी. बिल निकाले गए थे। मार्च 2021 तक ₹ 31.37 करोड़ की राशि के कुल 117 ए.सी. बिलों के संबंध में 30 जून 2021 तक डीसीसी बिल प्राप्त नहीं हुए। 31 मार्च 2021 तक असमायोजित ए.सी. बिलों का विवरण (डी.सी.बिलों का बकाया प्रस्तुतीकरण) नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	असमायोजित ए.सी. बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	17	16.13
2019-20	7	0.29
2020-21	93	14.95
योग	117	31.37

प्रमुख दोषी विभाग, जिन्होंने डी.सी.सी. बिल प्रस्तुत नहीं किए थे वे हैं गृह विभाग {स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी, जयपुर (₹ 9.74 करोड़) तथा पुलिस विभाग, जयपुर (₹ 2.38 करोड़)}, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं {सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर (₹ 8.34 करोड़)}, राजस्व मंडल, अजमेर (₹ 3.61 करोड़), राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (₹ 2.38 करोड़), राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर (₹ 2.31 करोड़), आपदा प्रबन्धन विभाग (₹ 1.14 करोड़) तथा राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (₹ 1.07 करोड़)। इन विभागों के ए.सी. बिलों का समय विश्लेषण **अनुबन्ध-ग** में दिखाया गया है।

- (vii) **सहायतार्थ अनुदान के लिये प्राप्त नहीं हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.):** राजस्थान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, 2012 के नियम 282 के अधीन, सहायतार्थ अनुदान के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) को अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अनुदान प्राप्त होने की तिथि से 12 माह के भीतर या उसी उद्देश्य पर आगे अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की सीमा तक इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्त लेखों में दर्शाई गई राशि लाभार्थियों तक पहुंच गई तथा इस प्रकार व्यय को सही या अंतिम नहीं माना जा सकता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान वर्ष, 2019-20 तक की अवधि के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित ₹ 1,075.07 करोड़ का निस्तारण किया गया। जून 2021 तक बकाया यू.सी. की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष *	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2018-19 तक	139	3.14
2019-20	87	331.63
2020-21	611	1,778.68
योग	837	2,113.45

* ऊपर उल्लेखित वर्ष देय वर्ष'' से संबंधित है जैसा कि वास्तविक आहरण के 12 महीने के बाद।

प्रमुख दोषी विभागों जिन्होंने उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये थे वे हैं परिवार कल्याण विभाग (₹ 1,250.06 करोड़, 59.15 प्रतिशत), पंचायती राज विभाग (₹ 235.75 करोड़, 11.15 प्रतिशत), चिकित्सा विभाग (₹ 225.52 करोड़, 10.67 प्रतिशत), शिक्षा विभाग (₹ 201.20 करोड़, 9.52 प्रतिशत), शहरी विकास विभाग (₹ 189.52 करोड़, 8.97 प्रतिशत)। सर्वाधिक लंबित बकाया वाले ऐसे ही विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र का आयु विश्लेषण **अनुबन्ध-घ** में दिया गया है।

- (viii) **सेवानिवृत्ति हित लाभ से सम्बन्धित दायित्व:** वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर 2003 को अथवा उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए "पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ" पर व्यय ₹ 20,260.71 करोड़ (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर व्यय को छोड़कर) था।

- (ix) **ब्याज का समायोजन:** सरकार श्रेणी ज- आरक्षित निधियां (अ- ब्याज वाली आरक्षित निधियां) तथा ट-जमा तथा अग्रिम (अ- ब्याज वाली जमाएं) के तहत शेष राशि के संबंध में ब्याज का भुगतान/समायोजन करने के लिए उत्तरदायी है तथा इस उद्देश्य के लिए, मुख्य तथा लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष 2049 के तहत विशिष्ट उप मुख्य शीर्ष प्रदान किए जाते हैं।

राज्य सरकार ने ब्याज वाली आरक्षित निधियां/ब्याज वाली जमाओं के मामले में निम्न निधियों एवं जमाओं को छोड़ते हुए ब्याज दायित्व का निर्वहन किया है, जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2020 को विद्यमान शेष के लिये मुख्य शीर्ष 2049 के अधीन कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया:

आरक्षित निधि एवं जमाओं के अन्तर्गत शेषों का विवरण

(₹ करोड़ में)

निधियां/जमाएं	1 अप्रैल 2020 को शेष	ब्याज की गणना के आधार	देय ब्याज	ब्याज का भुगतान
ब्याज वाली आरक्षित निधियां (वाटर वर्क्स तथा झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना)	67.47	4.00 प्रतिशत (मार्गोपाय की ब्याज दर)	2.70	शून्य
अन्य लेखे (निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना)	82.92	7.10 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि में शेषों पर देय ब्याज दर)	5.89	शून्य
(क) ब्याज वाली जमाएं (निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना)	0.35	7.10 प्रतिशत (सामान्य भविष्य निधि में शेषों पर देय ब्याज दर)	0.02	शून्य
योग			8.61	शून्य

₹ 8.61 करोड़ ब्याज का भुगतान नहीं/कम करने के परिणामस्वरूप राजस्व तथा राजकोषीय घाटा ₹ 8.61 करोड़ से कम दर्शित रहा।

- (x) **निवेश:** राज्य सरकार के वित्त विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर तथा महालेखाकार (लेखा व हक.) के द्वारा रखे गए लेखों के अनुसार वित्त लेखे के विवरण संख्या 8 एवं 19 में सरकारी निवेशों के बारे में सूचना प्रकट होती है। 2020-21 में सरकार ने ₹ 5,89.57 करोड़ का निवेश किया। 2020-21 के दौरान, 31 मार्च 2021 को ₹ 52,784.40 करोड़ के सरकारी निवेश से ₹ 2.89 करोड़ (0.01 प्रतिशत) का लाभांश/ब्याज मिला।

31 मार्च 2021 को इन सरकारी निवेश के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ग	इकाईयों की संख्या	वर्ष 2020-21 के अन्त तक निवेश
संवैधानिक निगम	7	764.34
ग्रामीण बैंक	2	73.69
सरकारी कम्पनियां	44	50,253.97
संयुक्त पूंजी कम्पनियां, संयुक्त स्टॉक कम्पनियां और साझेदारी संस्थाएं	34	1,104.74
सहकारी बैंक तथा समितियां	..*	587.66
योग	87	52,784.40

* विवरण सं. 19 के अनुसार, 14 सहकारी बैंक तथा समितियां हैं जिनके पास छोटी समितियां पंजीकृत हैं।

(xi) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान/ऋण जहां लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा: वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार ने सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि को ऋण जारी किए तथा आठ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम/सांविधिक निकायों आदि को अनुदान जिनमें से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि के संबंध में वर्ष 2019-20 के लेखे 31 जुलाई 2021 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। अनुबन्ध-ड में ब्यौरा दिया गया है।

(xii) सरकार द्वारा दी गयी गारन्टियां: राजस्थान राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) नियम, 2005 (जैसा कि 2016 में संशोधित किया गया) के संबंध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया सरकारी गारंटी उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि की अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार द्वारा ₹ 82,612.45 करोड़ की संचयी राशि की गारंटी दी गई। 31 मार्च 2021 को ₹ 82,612.45 करोड़ की बकाया गारंटी है, वर्ष 2020-21 (₹ 2,19,467.48 करोड़) के लिए राज्य की समेकित निधि की अनुमानित प्राप्तियों का 37.64 प्रतिशत है तथा जो निर्धारित सीमा के अन्दर है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के ₹ 439.64 करोड़ प्राप्त हुए, जो कि 2020-21 के दौरान (₹ 82,612.45 करोड़) बकाया गारंटी राशि का 0.53 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य अनुदान गारंटी विनियम 1970 के तहत सरकार गारंटी कमीशन के रूप में गारंटी राशि का न्यूनतम 0.01 प्रतिशत से 1.00 प्रतिशत वसूली करती है।

(xiii) पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर व्यय : राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 सभी विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय चिन्ताओं को मुख्य धारा में लाने के लिए अभिष्ट है। बजट एवं व्यय से सम्बन्धित आंकड़े जैसे "पर्यावरण", "अपशिष्ट प्रबंधन", "प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण", "पर्यावरण अनुसंधान तथा शिक्षा" और "पर्यावरण संरक्षण", आदि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वाउचर/बजट दस्तावेजों आदि से संकलित किए जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान पर्यावरण के प्रति राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय को विभिन्न कार्यात्मक लेखा शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक वित्त लेखों में दर्शाया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान सरकार ने मुख्य शीर्ष 2040, 2041, 2217 तथा 3435 के तहत ₹ 181.99 करोड़ के बजट आवंटन के एवज में ₹ 55.14 करोड़ का व्यय किया। ₹ 55.14 करोड़ का व्यय कुल राजस्व व्यय (₹ 1,78,309.41 करोड़) का 0.03 प्रतिशत था। व्यय का मुख्य शीर्षवार विवरण बजट अनुबन्ध-च में दिया गया है।

(xiv) पांच वर्ष तथा उससे अधिक अवधि की अपूर्ण परियोजनाएं:

राज्य निर्माण विभाग जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ₹10 करोड़ तथा अधिक की लागत के प्रत्येक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची पर परिशिष्ट तैयार किया जाता है। 2020-21 के दौरान इन विभागों द्वारा सही तथा पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिए अनुबन्ध- IX तैयार नहीं किया गया।

(xv) विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को निधियों का अंतरण: राज्य सरकार, अनुदान के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्य/जिला स्तरीय अभिकरणों/स्वायत्तशासी निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर सरकारी संगठनों इत्यादि को निधियां उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सरकारी योजना/कार्यों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹ 39,744.68 करोड़ की राशि प्रदान की गयी। क्रियान्वयन अभिकरणों के लेखों में सरकारी खातों (बैंक खाते में) से बाहर रहे अनुपयोजित शेष की कुल राशि सुलभ ज्ञात नहीं की जा सकती है। सरकारी व्यय जो लेखों में उस सीमा तक दिखाया गया है यद्यपि, अंतिम नहीं है।

(xvi) **केन्द्रीय कर्जों का अपलेखन:** तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आगे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने, आदेशों की श्रृंखला में सभी दिनांक 29 फरवरी 2012 को, विभिन्न मंत्रालयों (वित्त मंत्रालय द्वारा स्वयं दिये गये अग्रिम के अलावा) द्वारा राज्य सरकार को 31 मार्च 2010 को दिये गये केन्द्रीय योजना तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के सभी कर्जों को अपलिखित किया गया। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को आदेशों के प्रभावी दिनांक (31 मार्च 2010) से मूलधन तथा ब्याज के अधिक पुर्नभुगतान तथा वित्त मंत्रालय के भविष्य में किये जाने वाले पुर्नभुगतान के विरुद्ध समायोजन की अनुमति दी गयी।

राजस्थान सरकार ने 31 मार्च 2012 के अन्त में ₹ 48.31 करोड़ (मूल: ₹ 28.47 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 19.84 करोड़) का अधिक पुर्नभुगतान किया, उसमें से वित्त मंत्रालय ने अभी तक ₹ 39.54 करोड़ समायोजित किये गये।

(xvii) **2020-21 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया अर्थोपाय अग्रिम:** 2020-21 के दौरान राजस्थान सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से ₹ 23,483.57 करोड़ का अर्थोपाय अग्रिम लिया। उसने वर्ष के दौरान अर्थोपाय अग्रिम की पूरी राशि चुका दी। 2020-21 के दौरान अर्थोपाय अग्रिम पर ₹ 13.85 करोड़ का ब्याज चुकाया गया।

(xviii) **वचनबद्ध दायित्व:** बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उर्पाजन आधारित लेखांकन की ओर अग्रेषित होने के लिए कुछ कार्यवाही शुरू की गई। यद्यपि, जैसा कि संव्यवहार चरणों में होता है, लेखांकन की उर्पाजन आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए, निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली से संलग्नित होने के लिए विवरणों के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित है। राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया/ और ऐसा ही **परिशिष्ट-XII** में दर्शाया गया है।

(xix) **एक मुश्त अनुदान छोड़कर केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (सीएसएस)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) का पुर्नगठन:** आयोजना/आयोजना भिन्न के विलय के परिणामस्वरूप जारी की गई केन्द्रीय सहायता को अब केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत केन्द्रीय सहायता /अंश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

महानियंत्रक लेखा (सीजीए) के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल पर वर्ष 2020-21 में राजस्थान सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत केन्द्रीय सहायता अंश के पेटे प्रदर्शित ₹ 12,610.86 करोड़ के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से क्लियरेंस मीमो तथा सम्बन्धित मंत्रालयों से समर्थित स्वीकृतियों के माध्यम से ₹ 12,453 करोड़ (केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा पी.एम.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरण को छोड़कर) प्राप्त हुए। यही राज्य सरकार के लेखों में उपयुक्त रूप से मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान के अन्तर्गत दर्ज किये गये।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कुल व्यय ₹ 13,131.12 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 10,560.74 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय ₹ 2,570.38 करोड़) दर्ज किया गया। जिसमें गत वर्षों से संबंधित ₹ 677.22 करोड़ का अवशेष राशि का उपयोग सम्मिलित है।

(xx) **राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर की निधियां):** सीजीए के पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के अनुसार 2020-21 के दौरान राज्य में कार्यकारी अभिकरणों/लाभार्थियों के द्वारा सम्बन्धित योजनाओं के दिशानिर्देश अनुसार ₹ 13,628.16 करोड़ सीधे प्राप्त किये गये। वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को हस्तांतरित की गई कुल राशि ₹ 73,999.58 करोड़ (भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से हस्तांतरित राशि सहित) थी।

2019-20 की तुलना में कार्यकारी अभिकरणों को निधियों का सीधा हस्तांतरण (2019-20 में ₹ 9,483.86 करोड़ से 2020-21 में ₹ 13,628.16 करोड़) 43.70 प्रतिशत से बढ़ गया। विवरण परिशिष्ट-VI में है।

(xxi) **राज्य सरकार का ऑफ बजट दायित्व:** पंद्रह वित्त आयोग ने सिफारिश की गयी कि सभी प्रतिबद्ध व्यय तथा विकासात्मक व्यय के किसी भी व्यय की पूर्ति संबंधित उधारी स्थान/क्षेत्र से वित्त पोषण के किसी भी गैर-बजट या वित्त पोषण के किसी गैर-पारदर्शी साधनों का सहारा लिए बिना है। राज्य सरकार ने लेखाओं में ऑफ बजट दायित्व प्रदर्शित नहीं किये हैं।

3. **आकस्मिकता निधि:** राजस्थान आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि के भुगतान तथा राशि की निकासी से जुड़े या अधीनस्थ सभी मामलों को विनियमित करने के लिए राजस्थान आकस्मिकता निधि नियम, 1957 बनाया। राजस्थान की आकस्मिकता निधि का कॉरपस ₹ 500.00 करोड़ है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया।

4. लोक लेखे:

(i) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:** 01.01.2004 को या इसके बाद नियुक्त राज्यकर्मों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) जो निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है के अंतर्गत आते हैं। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान देता है तथा राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान दिया जाता है तथा पूरी राशि नेशनल सिक्योरिटीज डीपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है। यद्यपि, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के मामले में सरकार अपने हिस्से के रूप में 14 प्रतिशत योगदान करती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान निर्धारित अंशदान पेंशन योजना में कुल योगदान ₹ 4,397.20 करोड़ {कर्मचारियों का योगदान: ₹ 2,218.29 करोड़ (राज्य कर्मचारी ₹ 2,216.02 करोड़ तथा ए.आई.एस. अधिकारी ₹ 2.27 करोड़) तथा सरकारी अंशदान: ₹ 2,178.91 करोड़ (राज्य कर्मचारी ₹ 2,175.93 करोड़ तथा ए.आई.एस. अधिकारी ₹ 2.98 करोड़)} था। एन.पी.एस. में सरकारी अंशदान ₹ 40.29 करोड़ से कम था (राज्य कर्मचारी ₹ 40.09 करोड़ जोड़ ए.आई.एस. अधिकारी ₹ 0.20 करोड़) जिसके परिणामतः राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा उस सीमा तक कम दिखा।

वर्ष 2020-21 के लिए एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित ₹ 4,356.97 करोड़ वर्ष में अंशदान की गयी राशि से ₹ 40.23 करोड़ से कम था। उपार्जित ब्याज सहित असंग्रहित, मिलान रहित तथा अहस्तांतरित राशि योजना के अन्तर्गत सरकार के बकाया दायित्वों का प्रतिनिधित्व करती है।

- (ii) **आरक्षित निधियां:** आरक्षित निधियों का ब्यौरा वित्त खातों के विवरण 21 तथा 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए 24 प्रचलित आरक्षित निधियां निर्धारित हैं। इन निधियों में 31 मार्च 2021 के अंत में कुल संचित शेष ₹ 11,238.53 करोड़ था। जिसमें से ₹ 4,528.43 करोड़ ब्याज सहित आरक्षित निधियों के तहत तथा ₹ 6,710.10 करोड़ ब्याज रहित आरक्षित निधियों के तहत था।

क. ब्याज वाली आरक्षित निधियां:

- (अ) **राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.):** राज्य आपदा मोचन निधि का निर्माण तथा प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार (मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां' जो ब्याज सहित अनुभाग के तहत हैं) केन्द्र तथा राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान किया जाना है। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 1,481.00 करोड़ प्राप्त किये। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 494.00 करोड़ था। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 एस.डी.आर.एफ. के तहत निधि में ₹ 1,975.00 करोड़ (केन्द्रीय हिस्सा ₹ 1,481.00 करोड़, राज्यांश ₹ 494.00 करोड़) हस्तांतरित किये। राज्य ने एन.डी.आर.एफ. के पेटे केन्द्र सरकार से ₹ 68.65 करोड़ प्राप्त किये।

निधि में अंशदान, व्यय तथा शेष का विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक शेष (01 अप्रैल 2020)	केन्द्र द्वारा अंशदान	राज्यांश	एन.डी.आर.एफ. के तहत प्राप्ति	वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति	राशि सेट ऑफ (मुख्य शीर्ष 2245- 05)	निधि में शेष	वर्ष के दौरान आर.बी.आई./ राज्य सरकार द्वारा निवेश
2,096.22	1,481.00	494.00	68.65	2,971.92*	2,088.70	2,979.44	..

* इसमें गत वर्ष से सम्बन्धित एन.डी.आर.एफ. की ₹ 784.60 करोड़ की अतिरिक्त सहायता का हस्तान्तरण तथा निधि के अन्तर्गत अनिवेशित राशि पर राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए ₹ 143.67 करोड़ ब्याज के शामिल हैं।

प्राकृतिक आपदाओं पर हुआ ₹ 2,088.70 करोड़ का समस्त व्यय (मुख्य शीर्ष 2245-01 और 2245-02) ₹ 5,068.14 करोड़ की निधि शेष के विरुद्ध समायोजित किया गया। 31 मार्च 2021 के अंत में निधि के अन्तर्गत रहा शेष ₹ 2,979.44 करोड़ था।

- (ब) **राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि:** पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 5-1/2009-एफ सी दिनांक 28 अप्रैल 2009 द्वारा जारी निर्देशों तथा 2 जुलाई 2009 के दिशानिर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ता अभिकरणों से प्राप्त राशि और प्रतिपूरक वनीकरण, सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों के संरक्षण एवं सुरक्षा, आधारभूत विकास, वन्यजीव संरक्षण तथा सुरक्षा और अन्य संबंधित गतिविधियों तथा इससे जुड़े अथवा इसके अलावा आकस्मिक मामलों के लिए एकत्रित धन के उपयोग के लिये राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि की स्थापना की जानी अपेक्षित है।

राज्य सरकारों द्वारा उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त धन राशि को मुख्य शीर्ष 8336- सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर राज्य के लोक लेखों में ब्याज सहित खण्ड के तहत "राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा" में जमा किया जाने की आवश्यकता है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम-2016 की धारा 3(4) के अनुसार निधियों का 90 प्रतिशत राज्य के लोक लेखों में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया जाना है और शेष 10 प्रतिशत राशि वार्षिकी आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा की जानी है, बशर्ते कि निधियों का 10 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से की जमा मासिक आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि यह राष्ट्रीय निधि को स्थानान्तरित हो सके।

‘8336-सिविल जमा’ के अधीन ‘राज्य क्षतिपूरक वनीकरण जमा’ और ‘8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि’ के अधीन ‘राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि’ में उपलब्ध शेषों पर ब्याज की लागू दर केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष के आधार पर घोषित दर के अनुसार होगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के लेखों में ‘8336-सिविल जमा’ के अधीन उपयोगकर्ता अभिकरणों से धन एकत्र करने के संबंध में कोई भी लेन देन प्रदर्शित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। निधि से ₹ 186.44 करोड़ का व्यय करने के बाद राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में 31 मार्च 2021 को ₹ 1,481.72 करोड़ का कुल शेष था।

ख. बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां:

(अ) गारंटी मोचन निधि: दसवें वित्त आयोग की अनुंशषा के अनुसार राज्य सरकार ने 1999-2000 में गारंटी मोचन निधि गठित की। भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि को संचालित करता है, के दिशा निर्देशों के अनुसार निधि के कॉरपस को बकाया गारण्टियों के 5 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक क्रमशः बढ़ाना है।

31 मार्च 2021 को ₹ 5,454.32 करोड़ निधि का कुल संचय था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ₹ 1,933.19 करोड़ का निवेश किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक शेष (01 अप्रैल 2020)	निधि में अतिरिक्त (अंशदान तथा ब्याज)			निधि से किया गया भुगतान	निधि का कुल शेष	निधि में आवश्यक शेष (31 मार्च 2021 को कुल बकाया गारंटी का 5 प्रतिशत)	वर्ष 2020- 21 के दौरान आर.बी.आई. द्वारा निवेशित राशि	अंतिम शेष (31मार्च 2021)
	आवश्यक अंशदान (01 अप्रैल 2020 को कुल गारंटी का 5 प्रतिशत)	वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक						
		अंशदान (31 मार्च 2021 को कुल बकाया गारंटी का 0.53 प्रतिशत)	ब्याज					
4,917.30	4,031.56	437.34	99.68	..	5,454.32	4,130.62	1,933.19	5,454.32

विवरण 21 तथा 22 में निधि में लेन-देन दर्शाया जाता है।

(ब) अप्रचलित आरक्षित निधियां: वर्ष 2020-21 में चार अप्रचलित आरक्षित निधियां हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष *	राशि (₹ करोड़ में)
1	8115	103	0.20
2	8229	104	0.01
3	8235	200	4.02
4	8235	200	..

* निधियां उप शीर्ष स्तर पर हैं।

- (iii) **उच्चत तथा प्रेषण:** वित्त लेखे में 'उच्चत तथा प्रेषण' शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष प्रतिबिंबित होते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष, विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक् से बकाया नामे तथा जमा शेषों को जोड़कर निकाला जाता है। मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत गत तीन वर्षों के लिये सकल आंकड़ों की स्थिति को **अनुबन्ध-छ** के रूप में दिया गया है।

इन शीर्षों के अधीन बकाया शेषों की निकासी नहीं करने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों (जो वर्ष दर वर्ष आगे ले जाये जाते हैं) के तहत प्राप्ति/व्यय आंकड़ों और शेषों की सटीकता को प्रभावित करता है।

- (iv) **केन्द्रीय सड़क निधि:** भारत सरकार विशिष्ट सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को सी.आर.एफ. के तहत वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। वर्तमान लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, अनुदान प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष "1601-सहायतार्थ अनुदान" के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज की जाती है। इसके पश्चात् प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा लोक लेखे के अधीन मुख्य शीर्ष "8449-अन्य जमा-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान" में राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष "3054- सड़कों तथा पुलों" के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि अनुदान की प्राप्ति के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष का अधिक अत्युक्ति न हो या खातों में राजस्व घाटे न हो। सी.आर.एफ. के तहत निर्धारित सड़क कार्यों पर व्यय का लेखा जोखा पहले संबंधित पूंजी या राजस्व व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत लेखांकित किया जाएगा और संबंधित मुख्य शीर्ष (5054 या 3054 जैसा भी प्रकरण है) के रूप में कटौती व्यय के रूप में मुख्य शीर्ष 8449 के तहत लोक लेखे से प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को सी.आर.एफ. के लिए ₹ 141.81 करोड़ का अनुदान मिला लेकिन व्यय मद 3054 के माध्यम से जमा मद 8449 को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गयी। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान निधि से ₹ 140.79 करोड़ का व्यय किया और 31 मार्च 2021 को निधि में अंतिम शेष ₹ 13.71 करोड़ था।

राज्य सरकार द्वारा ₹ 141.81 करोड़ की राशि निधि में हस्तांतरित नहीं की गयी। राजस्व तथा राजकोषीय घाटे पर हस्तांतरण न होने का प्रभाव पैरा 7 में दिया गया है।

- (v) **भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण अधिशेष:** भारत सरकार ने कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए उपकर लगाने और एकत्र करने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) लागू किया। अधिनियम में अन्य बातों के साथ भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन करना और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियम बनाना अनिवार्य किया गया। तदनुसार, राजस्थान सरकार ने अधिनियम के तहत भवन एवं अन्य निर्माण कामगार (रोजगार की नियमावली एवं सेवा शर्तें) नियम, 2009 बनाया है और राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन किया। बोर्ड सरकार द्वारा जमा की गई श्रम उपकर जमाओं के संचालन तथा उसके रखरखाव के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने मुख्य शीर्ष 0230 के तहत श्रम उपकर के रूप में ₹ 367.55 करोड़ एकत्रित किए और भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड को ₹ 357.56 करोड़ हस्तांतरित किए। 31 मार्च 2021 तक मुख्य शीर्ष 0230 के तहत अहस्तांतरित राशि ₹ 9.99 करोड़ थी।

- (vi) **अन्य उपकर:** वर्ष 2020-21 के दौरान सरकार ने उपकर (श्रम उपकर के अलावा) के संग्रहण से ₹ 1,372.99 करोड़ एकत्रित किए। ₹ 1,372.99 करोड़ के कुल संग्रह में से ₹ 1,280.30 करोड़ {राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि (₹ 1,011.46 करोड़) तथा जल संरक्षण उपकर निधि (₹ 268.84 करोड़)} राज्य सरकार द्वारा निधि को हस्तांतरित किए गए। वर्ष के दौरान एकत्रित किए गए अन्य प्रकार के उपकर का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	लेखा का शीर्ष	उपकर का विवरण	राशि
1	0040	राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि	1,176.62
2	0043	जल संरक्षण उपकर निधि	196.37
योग			1,372.99

- (vii) **प्रतिकूल शेष:** मुख्य शीर्ष 8011 के तहत वर्ष के दौरान लेखों में इस मद के अन्तर्गत ऋण शेष प्राप्ति की तुलना में अधिक भुगतान के कारण है विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखा का शीर्ष	विवरण	ऋण शेष
8011-106	बीमा एवं पेंशन निधि-अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां	2,061.85

- (viii) **रोकड़ शेष :** महालेखाकार के रिकार्ड के अनुसार 31 मार्च 2021 तक रोकड़ शेष ₹ 20.99 करोड़ (नामे) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 18.92 करोड़ (जमा) था। मुख्य रूप से एजेंसी बैंको द्वारा आरबीआई को आंकड़ों का गलत रिपोर्टिंग और तीन एजेंसी बैंकों से सत्यापित तिथिवार मासिक विवरण (वीडीएमएस) प्राप्त न होने के कारण ₹ 2.07 करोड़ (जमा) का शुद्ध अन्तर था। कुल अन्तर में से ₹ 1.96 करोड़ (जमा) की राशि का मिलान तथा समाशोधित कर दिया गया है। ₹ 0.11 करोड़ (जमा) का अन्तर अभी भी बकाया एवं मिलान के अधीन है।

गत वर्षों की रोकड़ शेष (संबंधित वर्ष के 31 मार्च) में अंतर इस प्रकार है:

वर्ष	रोकड़ शेष (₹ करोड़ में)
2015-16 तक	29.80 (नामे)
2016-17	5.08 (नामे)
2017-18	128.63 (जमा)
2018-19	3.14 (जमा)
2019-20	19.23 (जमा)
2020-21	2.07 (जमा)

5. भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आई.जी.ए.एस.) का प्रस्तुतीकरण :

- (i) **आई.जी.ए.एस. 1- सरकारों द्वारा दी गई गारंटी :** आई.जी.ए.एस.1 के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्रवार और वर्गवार प्रस्तुतीकरण को वित्त लेखों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। विवरण 9 तथा 20 में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का ब्यौरा तथा गारंटीकृत राशि पर ब्याज दर्शाया गया है। राज्य के वित्त लेखों में क्षेत्रवार एवं वर्गवार विवरण शामिल किए गए हैं।

आई.जी.ए.एस.1 के अनुसार तैयार किए गए विवरण 9 तथा 20 में दी गई गारंटियों के संबंध में ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है।

- (ii) **आई.जी.ए.एस. 2- सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन तथा वर्गीकरण :** आई.जी.ए.एस. 2 के अनुसार, सिवाय विशेष रूप से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत मामलों में सहायतार्थ अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें परिसंपत्तियों का सृजन सम्मिलित हो । राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायतार्थ अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में आवश्यक विवरण 10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है जो आई.जी.ए.एस. 2 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है। सहायतार्थ अनुदान के संबंध में कोई राशि पूंजी शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस तरह दिए गए सहायतार्थ अनुदान के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

- (iii) **आई.जी.ए.एस. 3- सरकारों द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम :** आई.जी.ए.एस. 3 में संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए ऋणों और अग्रिमों के बारे में प्रस्तुतीकरण आवश्यक है।

आई.जी.ए.एस. 3 के तहत प्रस्तुतीकरण को शामिल करते हुए वित्त लेखा 2020-21 के विवरण 7 तथा 18 तैयार किए गए हैं। वित्त लेखों के इन विवरणों में सूचित ऋण और अग्रिमों का ब्यौरा महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रदान किए लेखों के माध्यम से प्राप्त सूचना और सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में महालेखाकार (लेखा व हक.) द्वारा रखे गए विस्तृत लेखों पर आधारित है। 31 मार्च 2021 के अनुसार विवरण 7 और 18 में दर्शाए गए अंतिम शेष राशि का ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार के साथ आंशिक रूप से मिलान कर लिया गया है। राज्य सरकार ने कुछ ऋणों और अग्रिमों के संबंध में आंशिक रूप से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिसके लिए वे विस्तृत लेखा का रखरखाव करते हैं।

वित्त लेखों के परिशिष्ट -VII में शेषों के मिलान के लिए विभागीय/कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित विस्तृत सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

6. राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम) अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुतीकरण: राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 की धारा 5 (क) तथा (ख) के संदर्भ में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य बजट के साथ मध्यावधि राजकोषीय नीति और रणनीति विवरण प्रस्तुत किया। अधिनियम में उल्लेखित लक्ष्य और 2020-21 में उपलब्धियां, जैसा कि लेखों में दर्शाया गया है, इस प्रकार है:

क्र.स.	लक्ष्य	वर्ष के दौरान जी.एस.डी.पी. एवं लेखों के अनुसार उपलब्धियां
1	वित्तीय वर्ष 2011-12 से राजस्व घाटे को खत्म कर और उसके बाद इसे बनाये रखने या राजस्व अधिशेष को प्राप्त करना ।	राजस्थान सरकार का 2020-21 में ₹ 44,001.53 करोड़ का राजस्व घाटा था (जी.एस.डी.पी. का 4.59 प्रतिशत) ।
2	2020-21 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।	2020-21 के लिए लेखाओं के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹ 59,375.43 करोड़ जी.एस.डी.पी. को 6.20 प्रतिशत था।
3	2020-21 के दौरान जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण का विस्तार जी.एस.डी.पी. के 38.20 प्रतिशत से कम होगा ।	वर्ष 2020-21 के लिए बकाया ऋण ₹ 4,10,499.46 करोड़ जी.एस.डी.पी. का 42.85 प्रतिशत था।
4	प्रारम्भिक घाटा ।	₹ 34,173.62 करोड़ ।

₹ 59,375.43 करोड़ का राजकोषीय घाटा (i) आंतरिक ऋण (बाजार उधार, वित्तीय संस्थान से ऋण आदि) ₹ 42,711.37 करोड़, (ii) केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम ₹ 6,229.65 करोड़, (iii) लघु बचत, भविष्य निधि आदि ₹ 4,857.07 करोड़, (iv) जमा और अग्रिम ₹ 2,871.39 करोड़, (v) आकस्मिक निधि शून्य, (vi) निक्षेप निधि और आरक्षित निधि ₹ 1,128.22 करोड़, (vii) उचंत और विविध ₹ 1,483.77 करोड़, (viii) प्रेषण ₹ 11.87 करोड़ तथा (ix) रोकड़ शेष ₹ 82.09 करोड़ के द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

राजस्थान सरकार का जी.एस.डी.पी. (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 2020-21 के लिए निदेशालय, आर्थिक एवं विभाग के द्वारा उपलब्ध ₹ 9,57,912 करोड़ है। बकाया ऋण में सभी ऋण एवं अन्य देनदारियां शामिल हैं ।

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित 2020-21 के बजट की प्रस्तुती के समय राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में लक्ष्य और उपलब्धियां की स्थिति का प्रस्तुतीकरण करना आवश्यक है। इस संदर्भ में:

- निर्धारित वित्तीय संकेतकों के अनुपालन को प्रभावित करने या प्रभावित करने की संभावना वाले लेखांकन मानकों, नीतियों तथा पद्धतियों के महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है । तथा
- प्रतिबद्ध देनदारियों, कार्यों तथा आपूर्ति पर अदेय बिलों के संबंध में दावों, परिसम्पत्तियों का विवरण और सरकारी देनदारियों पर भारित औसत ब्याज दरों के संबंध में कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है।

7. **राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव:** राजस्थान सरकार के राजस्व घाटे तथा राजकोषीय घाटे पर प्रभाव जैसा कि पिछले पैरा में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध है:-

(₹ करोड़ में)

अनुच्छेद संख्या	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
		अधिक दर्शाया गया	कम दर्शाया गया	अधिक दर्शाया गया	कम दर्शाया गया
2 (ix)	ब्याज वाली आरक्षित निधियां तथा जमाओं पर ब्याज जमा नहीं दिया जाना	..	8.61	..	8.61
4 (i)	सरकार द्वारा एन.पी.एस. में कम अंशदान	..	40.29	..	40.29
4 (iv)	केन्द्रीय सड़क निधि का हस्तान्तरण नहीं करना	..	141.81	..	141.81
4 (vi)	उपकर का संबंधित निधियों में हस्तान्तरण नहीं करना	..	92.69	..	92.69
योग (शुद्ध) प्रभाव (कम दर्शाया गया)		283.40		283.40	

अनुबन्ध - क
{ टिप्पणी 1(ii) में सन्दर्भित }
पुस्तकीय समायोजन
(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
1.	केन्द्रीय सड़क निधि				
	केन्द्रीय सड़क निधि से पूरित व्यय	8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे)	5054-03-902(01)[01] मुख्य शीर्ष 8449 "केन्द्रीय सड़क निधि" से अंतरण (घटाइये नामे)	111.02	केन्द्रीय सड़क निधि से पूरित सड़कों पर व्यय ।
		8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे)	5054-03-902(01)[02] मुख्य शीर्ष 8449 "केन्द्रीय सड़क निधि" से अंतरण (घटाइये नामे)	17.88	
		8449-103 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान (नामे)	5054-03-902(01)[03] मुख्य शीर्ष 8449 "केन्द्रीय सड़क निधि" से अंतरण (घटाइये नामे)	11.89	
2.	राज्य सड़क विकास निधि				
	निधियों का समायोजन	3054-80-797 (02) राज्य सड़क विकास निधि को/से अंतरण	8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि	1,011.46	निधि को उपकर का हस्तान्तरण ।
	निधि से पूरित सड़कों पर व्यय	8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-03-902(02)[01] "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	273.04	निधि से पूरित व्यय ।
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-03-902(02)[02] "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	71.12	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-03-902(02)[03] "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	53.46	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-04-902(01)[01] "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	105.72	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-04-902(01)[02] "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	80.11	
		8225-02-101 राज्य सड़क तथा सेतु निधि (नामे)	5054-04-902(01)[03] "राज्य सड़क विकास निधि" मुख्य शीर्ष 8225 से अंतरण (घटाइये नामे)	407.24	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
3.	राज्य आपदा मोचन निधि				
	राज्य आपदा मोचन निधि का समायोजन	2245-05-101 आरक्षित निधि तथा जमा लेखों को अंतरण- राज्य आपदा मोचन निधि	8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि	2,828.25	भारत सरकार से एन.डी.आर.एफ. हेतु प्राप्त ₹ 14,81.00 करोड़ का केन्द्रीय अंश (2019-20 के ₹ 7,84.60 करोड़ को शामिल करते हुए) एवं ₹ 4,94.00 करोड़ तथा ₹ 853.25 करोड़ का राज्यांश मुख्य शीर्ष 2245 को नामे करते हुए राशि का हस्तान्तरण ।
	निधि से पूरित व्यय	8121-122 राज्य आपदा मोचन निधि (नामे)	2245-05-901 घटाइये - राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित राशि (घटाइये नामे)	2,088.70	राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा तथा बाढ़ आदि पर व्यय ।
4.	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि				
	निधि से पूरित व्यय	8121-129 (01) क्षतिपूरक वनीकरण (नामे)	2406-04-902 (01) [01] शीर्ष 2406-04-103(01) के तहत हुए व्यय का राज्य प्रतिकात्मक वनीकरण निधि शीर्ष 8121-129(01)-क्षतिपूरक वनीकरण निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	23.39	निधि से पूरित व्यय
		8121-129 (03) एकीकृत वन्यजीव प्रबंध योजना (नामे)	2406-04-902 (03) [01] शीर्ष 2406-04-103(03) के तहत हुए व्यय का राज्य प्रतिकात्मक वनीकरण निधि शीर्ष 8121-129(03)-एकीकृत वन्यजीव प्रबंध योजना से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	3.54	
		8121-129 (04) वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य (नामे)	2406-04-902 (04) [01] शीर्ष 2406-04-103(04) के तहत हुए व्यय का राज्य प्रतिकात्मक वनीकरण निधि शीर्ष 8121-129(04)-वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	114.81	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
4.	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि – (समाप्त)				
		8121-129(04) वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य (नामे)	2406-04-902 (14) [01] शीर्ष 2406-04-796(04) के तहत हुए व्यय का राज्य प्रतिकात्मक वनीकरण निधि शीर्ष 8121-129(04)-वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	22.65	
		8121-129(04) वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य (नामे)	2406-04-902 (15) [01] शीर्ष 2406-04-789(05) के तहत हुए व्यय का राज्य प्रतिकात्मक वनीकरण निधि शीर्ष 8121-129(04)-वन भूमि का वर्तमान निवल मूल्य से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	21.99	
		8121-129(06) अन्य (नामे)	2406-04-902 (06) [01] शीर्ष 2406-04-103(06) के तहत हुए व्यय का राज्य प्रतिकात्मक वनीकरण निधि शीर्ष 8121-129(06)-अन्य से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	0.06	
5.	फोरेस्ट्री और बायोडायवर्सिटी निधि				
	निधि से पूरित व्यय	8235-200 (06) राजस्थान फारेस्ट्री एवं बायोडायवर्सिटी परियोजना के तहत प्राप्त राशि (नामे)	2406-01-001 (04) [02] मद 8235-200(06) राजस्थान फोरेस्ट्री एण्ड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त राशि को उपयोग के पेटे प्राप्त राशि से पूरित (घटाइये नामे)	2.55	निधि से पूरित व्यय
06.	सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड का समायोजन				
	सीमावर्ती सड़क विकास बोर्ड का समायोजन	1601-08-800 (05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें	3054-02-337 (01) [02] संधारण एवं जीर्णोद्धार	96.44	सीमावर्ती सड़कों पर व्यय का समायोजन जैसा कि चेतक परियोजना, बीकानेर से प्राप्त हुआ। भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा सड़कों के निर्माण तथा संधारण हेतु इस परियोजना को सीधे ही अनुदान जारी करती है। यह एक बुक समायोजन है जो राज्य लेखों में प्रतिवर्ष मुख्य शीर्ष 1601 तथा 3054/ 5054 में किया जाता है।
			5054-02-337 (03) सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	16.65	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
7.	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	2403-797(02) [01] राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि को अन्तरण	8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि	243.12	निधि को हस्तान्तरण
		2403-797(02) [02] राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि को अन्तरण	8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि	175.00	
		2403-797(02) [03] राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि को अन्तरण	8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि	181.00	
	निधि से पूरित व्यय	8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि (नामे)	2403-902 (01) [01] 2403-102 (20) [03] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	236.33	निधि से पूरित व्यय
		8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि (नामे)	2403-902(01) [02] 2403-789 (03) [01] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	164.98	
		8229-104 (02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि (नामे)	2403-902 (01) [03] 2403-796(04) [01] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-104(02) राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	172.70	
8.	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	2217-797(03) [01] मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत अधिभार	8229-200 (13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	82.50	निधि को हस्तान्तरण
		2217-797(03) [02] ग्रीन टैक्स	8229-200 (13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	218.47	
		2217-797(03) [03] राजस्थान स्टॉम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार	8229-200 (13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	292.15	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
8.	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि - (समाप्त)				
	निधि से पूरित व्यय	8229-200 (13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (नामे)	2217-80-902 (04) शीर्ष 2217-05-190 (02) एवं 80-800 (08) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि में हुए व्यय का शीर्ष 8229-200 (13) से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	216.05	निधि से पूरित व्यय
		8229-200 (13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (नामे)	3055-902 (02) शीर्ष 3055-190 (01) [02] एवं 800 (07) [04] राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि में हुए व्यय का शीर्ष 8229-200(13) से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	251.36	
		8229-200 (13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (नामे)	3055-902 (03) [01] 3055-796 (07) बजट शीर्ष में हुए व्यय का शीर्ष 8229-200(13) से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	49.28	
		8229-200 (13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	3055-902 (05) [01] 3055-789 (07) [01] बजट शीर्ष में हुए व्यय का शीर्ष 8229-200(13) से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	65.25	
9.	जल संरक्षण उपकर निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	2040-797 (01) जल संरक्षण उपकर निधि को अन्तरण	8229-200 (11) जल संरक्षण उपकर निधि	268.84	निधि को हस्तान्तरण
	निधि से पूरित व्यय	8229-200 (11) जल संरक्षण उपकर निधि	2501-05-902 (03) शीर्ष 2501-05-196 (08)-[03] जल संरक्षण उपकर में हुए व्यय का शीर्ष 8229-200 (11) से प्रतिपूर्ति	261.77	निधि से पूरित व्यय
		8229-200 (11) जल संरक्षण उपकर निधि	4702-902 (01) [83] निधि से हस्तान्तरण	6.77	
		8229-200 (11) जल संरक्षण उपकर निधि	4702-902 (02) [83] निधि से हस्तान्तरण	1.24	
		8229-200 (11) जल संरक्षण उपकर निधि	4702-902 (03) [83] निधि से हस्तान्तरण	0.90	

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
10.	राजस्थान शहरी विकास निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	2217-80-797(02) राजस्थान शहरी विकास निधि	8229-200 (10) राजस्थान शहरी विकास निधि	138.26	निधि को हस्तान्तरण
	निधि से पूरित व्यय	8229-200 (10) राजस्थान शहरी विकास निधि (नामे)	2217-80-902 (01) शीर्ष 2217-80-191 (29) तथा 2217-80-192 (33) में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	136.43	निधि से पूरित व्यय
11.	समर्पित सड़क सुरक्षा निधि				
	निधि को हस्तान्तरण	3055-797(01) [01] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि को अन्तरण	8229-200 (12) [01] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	104.66	निधि को हस्तान्तरण
	निधि से पूरित व्यय	8229-200 (12) [01] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि (नामे)	3055-902 (01) [01] शीर्ष 3055-800(08) [01] में हुए व्यय का शीर्ष 8229-200 (12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	21.74	निधि से पूरित व्यय
		8229-200(12) [01] समर्पित सड़क सुरक्षा निधि (नामे)	5055-902 (02) [01] शीर्ष 5055-050 (01) [01] तथा 5055-800 (01) [01] में हुये व्यय का शीर्ष 8229-200 (12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से प्रतिपूर्ति (घटाइये नामे)	4.62	
12.	सरकारी कर्मचारियों की बीमा योजना				
	सरकारी कर्मचारियों की बीमा योजना	8011-105 (01) जीवन बीमा योजनाएं (नामे)	2235-60-105 (02) घटाइये-8011 बीमा तथा पेंशन निधियों 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (01) जीवन बीमा योजनाओं से हस्तान्तरित राशि	57.50	निधि के प्रबंधन की सावधि लागत प्रारम्भिक रूप से मुख्य शीर्ष 2235 के अन्तर्गत नामे की गयी तथा अंततः मद 8011-105(01) से पूरित की गयी ।
		8011-105 (02) साधारण बीमा योजना (नामे)	2235-60-110 (02) घटाइये-8011 बीमा तथा पेंशन निधि 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (02) साधारण बीमा योजना से हस्तान्तरित राशि	3.95	निधि के प्रबंधन की सावधि लागत प्रारम्भिक रूप से मुख्य शीर्ष 2235 के अन्तर्गत नामे की गयी तथा अंततः मद 8011-105(02) से पूरित की गयी ।

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
12.	सरकारी कर्मचारियों की बीमा योजना –(समाप्त)				
	सरकारी कर्मचारियों की बीमा योजना	8011-105 (02) साधारण बीमा योजना (नामे)	4235-60-800 (05) [01] घटाइये-8011 बीमा तथा पेंशन निधि 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (सी) जीवन बीमा योजनाओं से हस्तान्तरित राशि	62.45	
		8011-105 (02) साधारण बीमा योजना (नामे)	4235-60-800 (07) [01] घटाइये-8011 बीमा तथा पेंशन निधि 105-राज्य सरकारी बीमा निधि (सी) जीवन बीमा योजनाओं से हस्तान्तरित राशि	91.45	
13.	वाणिज्यिक परियोजनाओं पर ब्याज का समायोजन				
	वाणिज्यिक परियोजनाओं पर ब्याज का समायोजन	2700- मुख्य सिंचाई (समस्त सिंचाई परियोजनाएं)	0049-04-103 (04) वृहद और मध्यम सिंचाई	1,247.23	जल संसाधन विभाग की वाणिज्यिक परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय पर ब्याज का समायोजन
		2701- मध्यम सिंचाई (समस्त सिंचाई परियोजनाएं)	0049-04-103 (04) वृहद और मध्यम सिंचाई	111.37	
14.	निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन				
	सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि	2049-03-104 (01) सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	8009-01-101 (01) कर्मचारियों की जमा	2,175.65	कार्यरत कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
			8009-01-101 (02) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा	138.08	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
			8338-104 (01) सामान्य भविष्य निधियों की जमा	44.21	कार्यरत कर्मचारियों के राज्य भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-104 (02) अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज	8338-104 (02) अंशदायी भविष्य निधियों की जमा	1,04.22	अंशदायी भविष्य निधि की जमाओं के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-104 (03) अखिल भारतीय सेवाएं भविष्य निधियों पर ब्याज	8009-01-104 (01) भविष्य निधि	3.73	अखिल भारतीय सेवाओं की भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
14.	निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन – (क्रमशः)				
	सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि	2049-03-104(04) कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज	8009-60-103 अन्य विविध भविष्य निधियां	89.68	कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-104(06) कामगारों के सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	8009-60-101 कामगार अंशदायी भविष्य निधि	41.05	कामगार अंशदायी भविष्य निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	राज्य सरकार जीवन बीमा निधियां	2049-03-108(01) राज्य सरकार की जीवन बीमा निधि पर ब्याज	8011-105(01)[01] राज्य सरकार की बीमा निधि	1,409.81	राज्य सरकार की जीवन बीमा निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	वाहन अग्रिम	2049-03-108(02) जोखिम निधि	8011-106(01)[01] वाहन अग्रिम	1.33	वाहन अग्रिम के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	भवन निर्माण अग्रिम	2049-03-108(02) जोखिम निधि	8011-106(01)[02] भवन निर्माण अग्रिम	2.20	भवन निर्माण अग्रिम के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	उपदान निधियां	2049-03-108(03) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की उपदान (ग्रेच्यूटी) निधियों पर ब्याज	8338-104(03)[01] नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की उपदान निधियों की जमाएं	5.21	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों उपदान निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(05) नगर विकास न्यास/नगर सुधार न्यास की उपदान (ग्रेच्यूटी) निधियों पर ब्याज	8338-104(03)[02] नगर विकास न्यास/नगर सुधार न्यास उपदान निधियों की जमाएं	0.65	नगर विकास न्यास/नगर सुधार न्यास की उपदान निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	पेंशन निधियां	2049-03-108(06) नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(05)[03] नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की अन्य निधियों की जमाएं	0.09	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(08) राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम	8338-104(04)[06] राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की पेंशन निधियों की जमाएं	6.03	राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(09) जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[07] जयपुर विकास प्राधिकरण की पेंशन निधियों की जमाएं	7.75	जयपुर विकास प्राधिकरण की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(11) राजस्थान राज्य भंडारण निगम के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[04] राजस्थान राज्य भंडारण निगम की पेंशन निधियों की जमाएं	0.21	राजस्थान राज्य भंडारण निगम की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (क्रमशः)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
14.	निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन - (क्रमशः)				
	पेंशन निधियां - (समाप्त)	2049-03-108(12) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[01] राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पेंशन निधियों की जमाएं	0.01	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(13) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[03] माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेंशन निधियों की जमाएं	10.71	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(16) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[14] जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पेंशन निधियों की जमाएं	0.08	जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(17) कृषि उपज मण्डी समिति के कर्मचारियों की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[16] कृषि उपज मण्डी समिति की पेंशन निधियों की जमाएं	15.07	कृषि उपज मण्डी समिति की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(18) राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारियों की पेंशन निधि पर ब्याज	8338-104(04)[12] राजस्थान आवासन मंडल की पेंशन निधियों की जमाएं	3.64	राजस्थान आवासन मण्डल की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(19) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधि पर ब्याज	8338-104(04)[10] राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधियों की जमाएं	13.93	राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(20) राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधि पर ब्याज	8338-104(04)[11] राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधियों की जमाएं	0.20	राजस्थान राज्य खेल परिषद की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
		2049-03-108(21) शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास की पेंशन निधियों पर ब्याज	8338-104(04)[13] शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास पेंशन निधियों की जमाएं	2.05	शहरी विकास न्यास/शहरी सुधार न्यास की पेंशन निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	साधारण बीमा योजना	2049-03-108(15) साधारण बीमा योजना से सम्बन्धित निधियों पर ब्याज	8011-105(02) सामान्य बीमा योजना	39.74	सामान्य बीमा योजना के शेषों पर ब्याज का समायोजन
	कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना	2049-03-108(23) राज्य सरकार की कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित ब्याज	8011-107(01) राज्य सरकार की कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	15.34	कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के शेषों पर ब्याज का समायोजन

अनुबन्ध क - (क्रमशः)

(i) नियतकालिक समायोजन का विवरण- (समाप्त)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	को		
14.	निधियों के शेषों पर ब्याज का समायोजन - (समाप्त)				
	नवीन अंशदायी पेंशन योजना	2049-03-117(01) सरकारी कर्मचारियों के लिए	8011-106(03) [01] सरकारी कर्मचारियों के लिए	1.24	सरकारी कर्मचारियों की नवीन अंशदायी पेंशन योजना की लीगेसी राशि (एन एस डी एल को हस्तान्तरित नहीं) पर ब्याज का समायोजन
	राज्य आपदा मोचन निधि	2049-05-105(01) राज्य आपदा मोचन निधि की जमाओं पर ब्याज	8121-122(01) [04] निधि से ब्याज की प्राप्ति	143.67	राज्य आपदा मोचन निधि की 2017-18 तथा 2018-19 से सम्बन्धित अनिवेशित राशि पर ब्याज का समायोजन
	विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना - परियोजना 2600	2049-60-101(05)[02] परियोजना 2600 के निक्षेपों पर ब्याज	8342-120(05)[02] परियोजना 2600 के निक्षेपों पर ब्याज	0.01	विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना- परियोजना 2600 के शेषों पर ब्याज का समायोजन
15.	प्रोरेटा चार्जेज का वार्षिक समायोजन				
	जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में निदेशन तथा प्रशासन पर प्रोरेटा चार्जेज का वार्षिक समायोजन	2701-80-001 निदेशन तथा प्रशासन	2700 मुख्य सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं)	2.08	जल संसाधन विभाग के निदेशन तथा प्रशासन पर व्यय का समायोजन प्रारम्भ में मुख्य शीर्ष 2701-80-001 के अन्तर्गत नामे किया गया तथा अंत में कार्य परिव्यय के अनुसार संबंधित कार्य पर भारित किया गया।
			2701 मध्यम सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं)	3.24	
			2702 लघु सिंचाई (विभिन्न परियोजनाएं)	5.12	
			4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	84.80	
			4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	10.28	
			4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	22.19	
			4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (विभिन्न परियोजनाएं)	1.76	

अनुबन्ध क - (समाप्त)

(ii) अन्य समायोजन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	समायोजन	लेखे के शीर्ष		राशि	टिप्पणियां
		से	तक		
1.	गारंटी शुल्क	2075-797 आरक्षित निधियों / जमा लेखों को अंतरण	8235-117 गारंटी मोचन निधि	437.34	गारंटी शुल्क का गारंटी मोचन निधि को स्थानान्तरण जैसा कि राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारंटी के विरुद्ध प्राप्त हुआ ।

अनुबन्ध - ख
{ टिप्पणी 2(iii) में सन्दर्भित }
लघु शीर्ष 800- अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	912.38	1,375.45	66.33
2.	2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं	4.27	4.27	100.00
3.	2700. मुख्य सिंचाई	1,172.44	1,615.05	72.59
4.	2701. मध्यम सिंचाई	127.44	209.02	60.97
5.	2702. लघु सिंचाई	78.82	152.94	51.54
6.	3055. सड़क परिवहन	273.10	393.26	69.45
7.	3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	12.94	13.01	99.46
8.	4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	12.42	14.58	85.19
9.	4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	3.56	4.87	73.10
10.	4401. फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	107.94	161.44	66.86
11.	4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	42.06	66.73	63.03
12.	4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	25.14	49.69	50.59
13.	5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.28	0.28	100.00
14.	5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	200.27	270.12	74.14

अनुबन्ध ख- (क्रमशः)

लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्ति	कुल प्राप्ति	प्रतिशत
1.	0029. भू-राजस्व	169.19	279.32	60.57
2.	0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	62.71	62.96	99.60
3.	0056. जेल	0.59	0.59	100.00
4.	0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3.87	6.10	63.44
5.	0211. परिवार कल्याण	0.13	0.13	100.00
6.	0217. शहरी विकास	3.93	3.93	100.00
7.	0220. सूचना तथा प्रचार	0.21	0.21	100.00
8.	0230. श्रम तथा रोजगार	374.98	392.96	95.42
9.	0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	25.11	25.13	99.92
10.	0401. फसल कृषि-कर्म	10.40	10.47	99.33
11.	0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी	41.04	73.67	55.71
12.	0425. सहकारिता	91.37	95.75	95.43
13.	0435. अन्य कृषि कार्यक्रम	11.01	11.24	97.95
14.	0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	24.10	25.04	96.25
15.	0700. मुख्य सिंचाई	157.36	215.62	72.98
16.	0801. बिजली	30.71	30.71	100.00
17.	0851. ग्राम तथा लघु उद्योग	3.55	3.55	100.00
18.	0852. उद्योग	0.75	0.75	100.00
19.	1452. पर्यटन	0.64	0.64	100.00
20.	1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	513.72	805.34	63.79

अनुबन्ध – ग
 { टिप्पणी 2(vi) में सन्दर्भित }
 असमायोजित सारांशिकृत आकस्मिक (एसी) बिल

विभाग/इकाई	वर्ष	बकाया डीसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला, जयपुर	2016-17	1	2.39
	2017-18	3	3.12
	2018-19	2	4.23
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	2020-21	3	8.34
राजस्व मण्डल, अजमेर	2007-08	1	2.92
	2020-21	1	0.69
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	2020-21	30	2.38
पुलिस विभाग, जयपुर	2014-15	2	2.38
राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2019-20	1	0.06
	2020-21	39	2.25
आपदा प्रबंधन विभाग	2012-13	1	1.03
	2019-20	1	0.11
राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	2016-17	1	0.02
	2020-21	7	1.05

अनुबन्ध – घ
 { टिप्पणी 2(vii) में सन्दर्भित }
 सहायतार्थ अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्राप्त नहीं हुए

विभाग/इकाई	वर्ष	बकाया डीसी बिलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
परिवार कल्याण विभाग, जयपुर	2018-19	22	260.67
	2019-20	76	989.39
पंचायती राज विभाग	2019-20	398	235.75
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2018-19	6	36.41
	2019-20	22	189.11
सामान्य शिक्षा	2018-19	3	3.91
	2019-20	44	197.29
नगरीय विकास	2018-19	33	28.81
	2019-20	24	160.71

अनुबन्ध – ड.

{ टिप्पणी 2(xi) में सन्दर्भित }

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया गया अनुदान/ऋण जहां खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	इकाई का नाम	अनुदान	ऋण
01	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	2.89	50.00
02	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	..	15.00
योग		2.89	65.00

अनुबन्ध – च
 { टिप्पणी 2(xiii) में सन्दर्भित }
 परिस्थितिकी तथा पर्यावरण के तहत व्यय के प्रस्तुतीकरण का अनुबन्ध

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	बजट प्रावधान	बजट प्रावधान से व्यय का प्रतिशत
1.	2040		800	1.00	1.00	100.00
2.	2041		800	0.68	0.60	113.33
3.	2217	05	190	1.28	1.65	77.58
4.	2217	80	191	18.11	143.96	12.58
5.	2217	80	192	30.89	30.89	100.00
6.	3435	03	102	3.11	3.86	80.57
7.	3435	03	796	0.07	0.03	233.33

अनुबन्ध – छ
{ टिप्पणी 4 (iii) में सन्दर्भित }
उचंत् तथा प्रेषण शेषों के ब्यौरे

8658. उचन्त लेखे

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय-उचन्त	157.98	35.15	168.25	48.83	143.76	8.04
निवल	(नामे) 122.83		(नामे) 119.42		(नामे) 135.72	
102. उचन्त लेखा (सिविल)	0.83	3.15	0.38	76.18	6.69	111.49
निवल	(जमा) 2.32		(जमा) 75.80		(जमा) 104.80	
106. दूरसंचार लेखा कार्यालय उचन्त	.. *	..	.. *	..	.. *	..
निवल	(नामे) .. *		(नामे) .. *		(नामे) .. *	
109. भारतीय रिजर्व बैंक उचंत (मुख्यालय)	..	..	.. #	.. @	.. #	..
निवल	..		(नामे) .. \$		(नामे) .. #	
112. स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त	..	48.14	..	42.98	..	136.75
निवल	(जमा) 48.14		(जमा) 42.98		(जमा) 136.75	
123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	..	0.16	..	0.17	..	0.17
निवल	(जमा) 0.16		(जमा) 0.17		(जमा) 0.17	
129. सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	..	(-) 3.20	..	(-) 3.27	..	(-) 3.50
निवल	(जमा) (-) 3.20		(जमा) (-) 3.27		(जमा) (-) 3.50	
139. जी.एस.टी- स्रोत पर कर कटौती उचंत	..	..	..	33.62	..	52.70
निवल	..		(जमा) 33.62		(जमा) 52.70	

* ₹ 588 मात्र ।

₹ 4,213 मात्र ।

@ ₹ 240 मात्र ।

\$ ₹ 3,973 मात्र ।

8782. उसी लेखाधिकारी को लेखे भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
102. लोक निर्माण प्रेषण	32.95	33.28	27.98	30.57	26.47	28.78
निवल	(जमा) 0.33		(जमा) 2.59		(जमा) 2.31	
103. वन प्रेषण	1.75	0.14	0.05	0.13	0.05	0.13
निवल	(नामे) 1.61		(जमा) 0.08		(जमा) 0.08	
108. अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	..	0.03	..	0.03	..
निवल	(नामे) 0.03		(नामे) 0.03		(नामे) 0.03	
129. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत अन्तरण	77.41	76.67	77.41	76.67	77.41	76.67
निवल	(नामे) 0.74		(नामे) 0.74		(नामे) 0.74	

अनुबन्ध छ- (समाप्त)
उचंत तथा प्रेषण शेषों के ब्यौरे- (समाप्त)

8793. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101. अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	..	..	12.28	0.01	0.02	(-) 0.10
निवल	..		(नामे) 12.27		(नामे) 0.12	

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2021

www.cag.gov.in



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड II) 2020-21



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार

वित्त लेखे
(खण्ड II)

वर्ष 2020-2021 के लिए

राजस्थान सरकार

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
खण्ड I	
♦ विषय सूची	i-iii
♦ भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	iv-v
♦ वित्त लेखे का मार्गदर्शन	vii-xii
विवरण 1. वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
विवरण 2. प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण	4-6
विवरण संख्या 2 का अनुबंध	7-9
विवरण 3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	10-13
विवरण 4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
क: कार्यकलाप के अनुसार व्यय	14-19
ख: प्रकृति के अनुसार व्यय	20-25
विवरण 5. प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण	26-32
विवरण 6. उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण	
(i) लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों का विवरण	33-35
(ii) ऋण सेवा	36-37
विवरण 7. सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का विवरण	
खण्ड: 1 कर्जों तथा पेशगियों का सारांश: कर्जदार समूहवार	38
खण्ड: 2 कर्जों तथा पेशगियों का सारांश: खण्डवार	39
खण्ड: 3 बकाया रही वसूलियां	40-41
विवरण 8. सरकार के निवेशों का विवरण	42
विवरण 9. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का विवरण	43
विवरण 10. सरकार द्वारा दी गयी सहायतार्थ अनुदान का विवरण	
(i) वर्ष 2020-21 के दौरान सहायतार्थ-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा आस्तियों के सृजन के लिए आवंटित निधियों को दर्शाने वाला विवरण	44-48
(ii) पण्य में सहायतार्थ अनुदान के कुल मूल्य का ब्यौरा तथा पूंजी परिसंपत्ति स्वरूप की पण्य में सहायतार्थ अनुदान के मूल्य का विवरण	49
विवरण 11. दत्तमत तथा प्रभारित व्यय का विवरण	50-51
विवरण 12. राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्त्रोतों एवं आवेदन का विवरण	52-55
विवरण 13. समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश	56-57
♦ अर्थपूर्ण लेखा पद्धतियां एवं लेखाओं से टिप्पणियाँ	58-91

विषय सूची – (क्रमशः)

पृष्ठ

खण्ड II

भाग I

विवरण 14. लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	94-143
विवरण 15. लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	144-224
विवरण संख्या 15 का अनुबंध	225-230
विवरण 16. लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	231-317
विवरण 17. उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण	
(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण	318-326
(ख) परिपक्व रूपरेखा	327-329
(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा	330-331
विवरण संख्या 17 का अनुबंध	332-354
विवरण 18. सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण	
मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण	355-402
अन्य ऋणी संस्थाओं के बकाया भुगतान	403
अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण	404-407
विवरण 19. सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	
खण्ड 1: 2020-21 तक के निवेशों का विवरण	408-429
खण्ड 2: वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण	430
विवरण 20. सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण	
(क) वर्गवार गारन्टियों का विवरण	431
(ख) गारन्टियों का विवरण	432-438
विवरण 21. आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	439-450
विवरण संख्या 21 का अनुबंध	451-457
विवरण 22. पृथक आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	458-474

विषय सूची – (समाप्त)

पृष्ठ

खण्ड II – (समाप्त)

भाग II

परिशिष्ट I	संवेतन पर तुलनात्मक व्यय	476-496
परिशिष्ट II	सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय	497-510
परिशिष्ट III	राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान (संस्थावार तथा योजनावार)	511-561
परिशिष्ट IV	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे	562-564
परिशिष्ट V	आयोजनागत योजना व्यय	
	(क) केन्द्रीय योजनाएं	565-603
	(केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)	
	(ख) राज्य आयोजनागत योजनाएं	604-658
परिशिष्ट VI	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (गैर अंकेक्षित आंकड़े)	659-665
परिशिष्ट VII	शेषों की स्वीकृति तथा समाधान (विवरण संख्या 7 एवं 18 में दर्शाये अनुसार)	666
परिशिष्ट VIII	सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम	667-671
परिशिष्ट IX	सरकार की वचनबद्धता- अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची	672
परिशिष्ट X	संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय	673-692
परिशिष्ट XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं	693
परिशिष्ट XII	सरकार के वचनबद्ध दायित्व	694

भाग I

विवरण संख्या 14- लघु शीर्षवार राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखे)			
क. कर राजस्व (वापसियों को लेखों में सम्मिलित करने के बाद आंकड़े निवल हैं)			
(क) वस्तु एवं सेवा कर			
0005. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,06,02,62.00	1,02,29,51.00	(+) 3.65
योग -0005	1,06,02,62.00	1,02,29,51.00	(+) 3.65
0006. राज्य वस्तु एवं सेवा कर			
101. कर	1,09,41,93.92	1,16,61,00.91	(-) 6.17
102. ब्याज	44,97.12	33,15.05	(+) 35.66
103. शास्ति	18,02.98	12,80.31	(+) 40.82
104. शुल्क	59,76.22	1,17,26.29	(-) 49.04
105. राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत आगत कर साख का प्रति उपयोग	69,53,70.86	90,86,79.27	(-) 23.47
106. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का बंटवारा-कर अंश का एस जी एस टी में हस्तान्तरण	11,05,24.74	10,29,50.75	(+) 7.36
110. आई जी एस टी से अग्रिम बंटवारा	16,28,07.08	13,26.05	(+) 12177.60
500. प्राप्तियां जिनका हस्तांतरण अन्य लघु शीर्ष में होना है	50.83	0.26	(+) 19450.00
800. अन्य प्राप्तियां	2,62.94	38.53	(+) 582.43
योग -0006	2,07,54,86.69	2,19,54,17.42	(-) 5.46
योग-(क) वस्तु एवं सेवा कर	3,13,57,48.69	3,21,83,68.42	(-) 2.57

विवरण संख्या 14 –(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व –(क्रमशः)			
(ख) आय तथा व्यय पर कर			
0020. निगम कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,07,11,19.00	1,22,91,37.00	(-) 12.86
योग -0020	1,07,11,19.00	1,22,91,37.00	(-) 12.86
0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,09,78,32.00	96,31,13.00	(+) 13.99
योग-0021	1,09,78,32.00	96,31,13.00	(+) 13.99
0022. कृषि आय पर कर			
101. कर संग्रहण	0.04	..	..
योग-0022	0.04	..	..
0028. आय तथा व्यय पर अन्य कर			
107. व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	0.86	0.23	(+) 273.91
योग-0028	0.86	0.23	(+) 273.91
योग-(ख) आय तथा व्यय पर कर	2,16,89,51.90	2,19,22,50.23	(-) 1.06

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत
	2020-21	2019-20	वृद्धि (+)/कमी(-)
(₹ लाख में)			
क. कर राजस्व --(क्रमशः)			
(ग) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर			
0029. भू-राजस्व			
101. भू -राजस्व/कर	37.65	68.69	(-) 45.19
103. भूमि पर पौरकर और उपकर	15.62	13.81	(+) 13.11
104. जमींदारी रहित सम्पदाओं के प्रबन्ध से प्राप्तियां	..	.. *	..
105. सरकारी सम्पदाओं की बिक्री से प्राप्तियां	1,06,69.65	2,02,10.09	(-) 47.21
107. परती भूमि की बिक्री से आगमन और भू-कर का प्रतिदान	2,90.16	1,99.09	(+) 45.74
800. अन्य प्राप्तियां	1,69,19.08 (क)	1,59,57.12	(+) 6.03
योग-0029	2,79,32.16	3,64,48.80	(-) 23.37
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क			
01. स्टाम्प-न्यायिक			
101. स्टाम्प से उगाहा गया न्यायालय शुल्क	63.08	59.99	(+) 5.15
102. स्टाम्पों की बिक्री	45,99.95	59,90.86	(-) 23.22
800. अन्य प्राप्तियां	1,24.15	1,37.15	(-) 9.48
योग -01	47,87.18	61,88.00	(-) 22.64
02. स्टाम्प - न्यायिकेतर			
102. स्टाम्पों की बिक्री	19,66,60.91	13,06,30.29	(+) 50.55
103. दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना	15,11,40.98	16,18,51.50	(-) 6.62

(क) इसमें (₹ 93,48.77 लाख) कृषि भूमि को आवासीय भूमि में रूपान्तरण करने बाबत शुल्क सम्मिलित हैं। * मात्र ₹ 289.

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
(₹ लाख में)			
क. कर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर– (क्रमशः)			
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क – (समाप्त)			
02. स्टाम्प – न्यायिकेतर – (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्ति	10,93,87.54 (क)	6,20,09.45	(+) 76.40
योग –02	45,71,89.43	35,44,91.24	(+) 28.97
03. पंजीकरण शुल्क			
104. दस्तावेजों को पंजीकृत करने का शुल्क	6,03,20.36	5,69,06.12	(+) 6.00
800. अन्य प्राप्ति	74,30.36	58,87.42	(+) 26.21
योग-03	6,77,50.72	6,27,93.54	(+) 7.89
योग-0030	52,97,27.33	42,34,72.78	(+) 25.09
0032. धन कर			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	..	55.00	(-) 100.00
योग-0032	..	55.00	(-) 100.00
0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर			
101. साधारण संग्रहण	24.58	..	..

(क) इसमें आधारभूत विकास (₹ 3,45,11.75 लाख) एवं गो संरक्षण (₹ 6,89,85.71 लाख) के लिए स्टॉम्प शुल्क पर अधिभार सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
(₹ लाख में)			
क. कर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर – (समाप्त)			
0035. कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर – (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्तियां	62,71.45 (क)	1,32.28	(+) 4641.04
योग-0035	62,96.03	1,32.28	(+) 4659.62
योग-(ग) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	56,39,55.52	46,01,08.86	(+) 22.57
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर			
0037. सीमा शुल्क			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	19,10,39.00	22,85,04.00	(-) 16.40
योग-0037	19,10,39.00	22,85,04.00	(-) 16.40
0038. संघ उत्पाद शुल्क			
01. शेयर करने योग्य शुल्क			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	11,98,76.00	15,88,71.00	(-) 24.55
योग-0038	11,98,76.00	15,88,71.00	(-) 24.55
0039. राज्य उत्पाद शुल्क			
101. देशी स्पिरिट	39,80,86.91	25,11,09.84	(+) 58.53
103. यवरस (माल्ट लिकर)	14,55,74.05	21,60,23.65	(-) 32.61

(क) प्राप्तियां भूमि कर (₹ 62,25.27 लाख) से सम्बन्धित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व – (क्रमशः)			
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (क्रमशः)			
0039. राज्य उत्पाद शुल्क			
105. विदेशी लिंकर और स्पिरिट	35,32,92.53	39,59,35.55	(-) 10.77
106. वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा	5,77.25	5,83.03	(-) 0.99
107. अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति	11.66	11.39	(+) 2.37
108. अफीम, गांजा और अन्य स्वापक	21,24.52	29,62.12	(-) 28.28
150. अर्धदण्ड और समपहरण	14,06.62	14,02.37	(+) 0.30
501. सेवाएं तथा सेवा शुल्क	1,11,68.96	8,69,27.68	(-) 87.15
800. अन्य प्राप्ति	7,30,57.49 (क)	42,07.08	(+) 1636.54
योग-0039	98,52,99.99	95,91,62.71	(+) 2.73
0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
101. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति	3,32,09.45	4,81,15.57	(-) 30.98
111. मूल्य संवर्धित कर (वैट) प्राप्ति	1,55,78,91.36	1,35,11,64.00	(+) 15.30
800. अन्य प्राप्ति	15,68,02.74 (ख)	18,49,97.04	(-) 15.24
योग-0040	1,74,79,03.55	1,58,42,76.61	(+) 10.33

(क) इसमें उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर अधिभार (₹ 3,55,40.33 लाख) सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें पेट्रोल तथा डीजल पर उपकर (₹ 11,76,61.63 लाख) तथा गो संरक्षण एवं संवर्द्धन (₹ 3,89,43.87 लाख) हेतु वैट पर अधिभार सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व – (क्रमशः)			
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (क्रमशः)			
0041. वाहन कर			
102. राज्य मोटर यान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां	43,66,13.59	49,36,99.24	(-) 11.56
800. अन्य प्राप्तियां	2,03.70	13,98.47	(-) 85.43
योग-0041	43,68,17.29	49,50,97.71	(-) 11.77
0042. माल तथा यात्री कर			
106. माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर	45,18.32	41,12.01	(+) 9.88
योग-0042	45,18.32	41,12.01	(+) 9.88
0043. विद्युत कर तथा शुल्क			
101. विद्युत के उपभोग और बिक्री पर कर	19,37,23.67	19,84,91.10	(-) 2.40
103. सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिए फीस	3.31	4.49	(-) 26.28
800. अन्य प्राप्तियां	2,05,12.24 (क)	2,77,80.91	(-) 26.16
योग-0043	21,42,39.22	22,62,76.50	(-) 5.32
0044. सेवा शुल्क			
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,50,00.00	..	..
योग-0044	1,50,00.00	..	..

(क) इसमें जल संरक्षण उपकर (₹ 1,96,37.23 लाख) से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
क. कर राजस्व – (समाप्त)			
(घ) वस्तु और सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – (समाप्त)			
0045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
101. मनोरंजन कर	9.33	12.10	(-) 22.89
105. विलासिता कर	1,13.47	89.02	(+) 27.47
901. राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	24,49.00	22,83.00	(+) 7.27
योग-0045	25,71.80	23,84.12	(+) 7.87
योग-(घ) वस्तु तथा सेवा कर के अतिरिक्त वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	3,71,72,65.17	3,65,86,84.66	(+) 1.60
योग –क. कर राजस्व	9,58,59,21.28	9,52,94,12.17	(+) 0.59

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व			
(ख) ब्याज प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ			
0049. ब्याज प्राप्ति			
04. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्ति			
103. विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज	13,71,12.31 (क)	11,96,66.09	(+) 14.58
107. कृषकों से ब्याज	1.00	0.87	(+) 14.94
110. नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज	23,37.64	77,12.48	(-) 69.69
190. सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज	12,29,90.91	25,22,94.04	(-) 51.25
191. स्थानीय निकायों से ब्याज	5.27	6.55	(-) 19.54
195. सहकारी समितियों से ब्याज	9,11.94	12,44.00	(-) 26.69
800. अन्य प्राप्ति	32,74.51 (ख)	41,27.20	(-) 20.66
801. अनुदान ग्राही से अव्यक्तित शेष पर ब्याज अथवा अन्य प्राप्ति	26,81.61	1,48.04	(+) 1711.41
900. घटाई-वापसियां	(-) 0.16	(-) 0.41	(-) 60.98
योग - 0049	26,93,15.03	38,51,98.86	(-) 30.08
0050. लाभांश तथा लाभ			
101. सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	2,47.07	53,17.02	(-) 95.35
200. अन्य निवेशों से लाभांश	42.08	1,29.72	(-) 67.56
योग - 0050	2,89.15	54,46.74	(-) 94.69
योग - (ख) ब्याज प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ	26,96,04.18	39,06,45.60	(-) 30.98

(क) इसमें पूंजी लेख पर ब्याज (₹ 13,58,60.25 लाख) का कल्पित समायोजन सम्मिलित है।

(ख) इसमें संसाधन विकास निधि के निवेश पर ब्याज (₹ 11,76.93 लाख) तथा शहरी निकायों से ए.डी.बी. योजना के तहत ब्याज (₹ 8,56.41 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व			
(i) सामान्य सेवाएं			
0051. लोक सेवा आयोग			
105. राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क	69,00.68	44,28.28	(+) 55.83
800. अन्य प्राप्ति	3.56	18.65	(-) 80.91
900. घटाईये-वापसियां	(-) 0.01	(-) 0.21	(-) 95.24
योग -0051	69,04.23	44,46.72	(+) 55.27
0055. पुलिस			
101. अन्य सरकारों को भेजी गयी पुलिस	37,37.51	4,11,92.64	(-) 90.93
102. अन्य दलों को भेजी गयी पुलिस	1,22,88.19	1,35,25.67	(-) 9.15
103. फीस, अर्थदण्ड और समपरहण	1,45.34	1,02.58	(+) 41.68
104. शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति	5,57.57	4,70.99	(+) 18.38
105. राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्ति	0.09	58,32.00	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्ति	25,33.92 (क)	30,47.65	(-) 16.86
900. घटाईये-वापसियां	(-) 8.63	(-) 3.64	(+) 137.09
योग-0055	1,92,53.99	6,41,67.89	(-) 69.99
0056. जेल			
102. जेल उत्पादों की बिक्री	0.01	0.62	(-) 98.39
800. अन्य प्राप्ति	58.72	62.90	(-) 6.65

(क) इसमें अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण, चरित्र प्रमाणित फीस तथा पुलिस विभाग की अन्य प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(i) सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)			
0056. जेल – (समाप्त)			
900. घटाईये-वापसियां	..	(-) 0.21	(-) 100.00
योग -0056	58.73	63.31	(-) 7.23
0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
102. राज-पत्रों आदि की बिक्री	1,28.40	1,10.97	(+) 15.71
200. अन्य मुद्रणालय प्राप्ति	99.92	1,06.49	(-) 6.17
800. अन्य प्राप्ति	3,87.36	1,82.13	(+) 112.68
900. घटाईये-वापसियां	(-) 5.74	(-) 1.65	(+) 247.88
योग-0058	6,09.94	3,97.94	(+) 53.27
0059. लोक निर्माण कार्य			
80. सामान्य			
011. किराया	94.10	1,88.52	(-) 50.08
102. मशीन और उपस्कर का भाड़ा	54.84	79.91	(-) 31.37
103. प्रतिशतता प्रभारों की वसूली	62,54.50	58,82.32	(+) 6.33
800. अन्य प्राप्ति	28,95.46	30,42.30	(-) 4.83
900. घटाईये-वापसियां	(-) 1.17	(-) 1.87	(-) 37.43
योग-0059	92,97.73	91,91.18	(+) 1.16

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(i) सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)			
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
01. न्याय प्रशासन			
102. अर्थ दण्ड और समपहरण	46,37.11	52,86.85	(-) 12.29
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	58.83	53.15	(+) 10.69
800. अन्य प्राप्ति	29,30.88	20,63.96	(+) 42.00
900. घटाइये- वापसियां	(-) 2,47.10	(-) 7,28.09	(-) 66.06
योग-01	73,79.72	66,75.87	(+) 10.54
02. चुनाव			
101. चुनाव फार्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आगम	2.60	4.44	(-) 41.44
104. शुल्क, अर्थदण्ड और समपहरण	9.50	18.76	(-) 49.36
800. अन्य प्राप्ति	13.62	60,29.41	(-) 99.77
योग-02	25.72	60,52.61	(-) 99.58
60. अन्य सेवाएं			
101. केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के प्रशासन के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्ति	30.10	34.56	(-) 12.91
103. विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति	4.05	22.58	(-) 82.06
106. सिविल रक्षा	6,98.99	1,53.56	(+) 355.19
110. सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क	10,06.59	10,48.21	(-) 3.97
113. प्रतिलिप्याधिकार शुल्क	..	0.25	(-) 100.00
114. मोटर गैराज आदि से प्राप्ति	18,42.59	24,31.82	(-) 24.23

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(i) सामान्य सेवाएं- (क्रमशः)			
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त)			
60. अन्य सेवाएं- (समाप्त)			
115. अतिथि गृहों, सरकारी होस्टलों आदि से प्राप्तियां	6,46.78	9,01.22	(-) 28.23
118. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्तियां	26.29	31.10	(-) 15.47
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	2,37.03	2,18.41	(+) 8.53
800. अन्य प्राप्तियां	28,10.43 (क)	31,75.52	(-) 11.50
900. घटाइये- वापसियां	(-) 45.91	(-) 30.11	(+) 52.47
योग -60	72,56.94	79,87.12	(-) 9.14
योग-0070	1,46,62.38	2,07,15.60	(-) 29.22
0071. पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली			
01. सिविल			
101. अभिदान और अंशदान	47,18.13	36,42.16	(+) 29.54
800. अन्य प्राप्तियां	45,41.77 (ख)	7,85.95	(+) 477.87
900. घटाइये- वापसियां	(-) 1.20	(-) 0.59	(+) 103.39
योग -0071	92,58.70	44,27.52	(+) 109.12

(क) इसमें पासपोर्ट सेवाओं से सम्बन्धित भारत सरकार से प्राप्त ₹ 3,79.36 लाख, राजस्थान कृषि साख संचालन नियम, 1974 के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 18,83.14 लाख तथा जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना से ₹ 95.33 लाख की प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें नई अंशदायी पेंशन योजना के तहत केन्द्रीय रिकॉर्ड एजेंसी से अंतिम निपटान के रूप में सकल प्राप्तियां सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(i) सामान्य सेवाएं – (समाप्त)			
0075. विविध सामान्य सेवाएं			
101. अदावाकृत जमा राशि	40,98.60	90,62.11	(-) 54.77
105. भूमि और सम्पत्ति की बिक्री	47,20.14	35,99.73	(+) 31.12
108. गारन्टी फीस	4,39,63.79	5,86,29.61	(-) 25.01
791. विनिमय से लाभ	0.34	0.30	(+) 13.33
800. अन्य प्राप्तियां	2,31,52.66 (क)	2,18,75.28	(+) 5.84
900. घटाइये – वापसियां	(-) 12,34.57	(-) 16,16.45	(-) 23.62
योग -0075	7,47,00.96	9,15,50.58	(-) 18.40
योग-(i) सामान्य सेवाएं	13,47,46.66	19,49,60.74	(-) 30.89
(ii) सामाजिक सेवाएं			
0202. शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति			
01. सामान्य शिक्षा			
101. प्रारम्भिक शिक्षा	31,08.40	18,99.73	(+) 63.62
102. माध्यमिक शिक्षा	30,76.15	17,67.50	(+) 74.04
103. विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	36,38.34	46,28.70	(-) 21.40
600. सामान्य	27.80	38.96	(-) 28.64
900. घटाइये – वापसियां	..	(-) 0.71	(-) 100.00
योग-01	98,50.69	83,34.18	(+) 18.20

(क) इसमें नगर सुधार न्यासों द्वारा जमा नगरीय मूल्यांकन प्राप्तियां (₹ 52,18.14 लाख), राजस्थान सरकार स्टॉक पर प्रीमियम (₹ 98,91.21 लाख) तथा संविदा शुल्क से प्राप्ति (₹ 12,03.00 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0202. शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति – (समाप्त)			
02. तकनीकी शिक्षा			
101. शिक्षण और अन्य शुल्क	1,71.94	95.04	(+) 80.91
800. अन्य प्राप्ति	2,99.43 (क)	32,25.54	(-) 90.72
योग-02	4,71.37	33,20.58	(-) 85.80
04. कला और संस्कृति			
101. अभिलेखागार और संग्रहालय	46.24	1,15.40	(-) 59.93
102. सार्वजनिक पुस्तकालय	2.56	1.18	(+) 116.95
800. अन्य प्राप्ति	11,36.17 (ख)	61,42.10	(-) 81.50
900. घटाइये – वापसियां	(-) 0.55	(-) 3.20	(-) 82.81
योग-04	11,84.42	62,55.48	(-) 81.07
योग-0202	1,15,06.48	1,79,10.24	(-) 35.75
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
020. अस्पताल और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्ति	89.44	94.40	(-) 5.25
101. कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्ति	1,81,48.05	1,44,71.15	(+) 25.41
107. औषधी निर्माण से प्राप्ति	2.27	5.89	(-) 61.46

(क) इसमें तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबंधित (₹ 2,49.34 लाख) प्राप्ति सम्मिलित है।

(ख) इसमें आमेर विकास प्राधिकरण से संबंधित (₹ 10,82.51 लाख) प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – (समाप्त)			
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्ति	8,34.62	21,27.48	(-) 60.77
योग-01	1,90,74.38	1,66,98.92	(+) 14.23
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान			
101. आयुर्वेद	3,57.56	18.70	(+) 1812.09
105. एलोपैथी	10,41.94	33,07.10	(-) 68.49
800. अन्य प्राप्ति	6.06	0.01	(+) 60500.00
योग-03	14,05.56	33,25.81	(-) 57.74
04. लोक स्वास्थ्य			
105. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से प्राप्ति	0.08	.. *	..
800. अन्य प्राप्ति	22,29.30 (क)	37,92.22	(-) 41.21
900. घटाइये – वापसियां	(-) 0.09	(-) 0.65	(-) 86.15
योग-04	22,29.29	37,91.57	(-) 41.20
योग-0210	2,27,09.23	2,38,16.30	(-) 4.65

* मात्र ₹ 440.

(क) इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत वारण्ट शुल्क से सम्बन्धित प्राप्ति तथा जन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0211. परिवार कल्याण			
800. अन्य प्राप्ति	13.48	15.70	(-) 14.14
योग-0211	13.48	15.70	(-) 14.14
0215. जलपूर्ति तथा सफाई			
01. जलपूर्ति			
102. ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्ति	42,51.30	51,00.55	(-) 16.65
103. शहरी जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्ति	4,19,52.62	3,91,34.90	(+) 7.20
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	16.15	67.54	(-) 76.09
800. अन्य प्राप्ति	12,03.90	8,66.11	(+) 39.00
900. घटाइये – वापसियां	..	(-) 35.92	(-) 100.00
योग-01	4,74,23.97	4,51,33.18	(+) 5.08
02. मल-जल और सफाई			
103. मल-जल योजनाओं से प्राप्ति	24,03.06	24,69.14	(-) 2.68
800. अन्य प्राप्ति	49,15.62	48,32.21	(+) 1.73
900. घटाइये – वापसियां	(-) 0.04	..	..
योग-02	73,18.64	73,01.35	(+) 0.24
योग-0215	5,47,42.61	5,24,34.53	(+) 4.40

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0216. आवास			
01. सरकारी रिहायशी भवन			
106. साधारण पूल आवास	7,65.85	7,90.87	(-) 3.16
700. अन्य आवास	13.14	0.07	(+) 18671.43
900. घटाईये-वापसियां	(-) 0.08	(-) 2.42	(-) 96.69
योग-0216	7,78.91	7,88.52	(-) 1.22
0217. शहरी विकास			
02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र			
800. अन्य प्राप्ति	1,61.83	1,54.07	(+) 5.04
योग-02	1,61.83	1,54.07	(+) 5.04
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं			
800. अन्य प्राप्ति	2,31.29	40,62.84	(-) 94.31
योग-60	2,31.29	40,62.84	(-) 94.31
योग-0217	3,93.12	42,16.91	(-) 90.68

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0220. सूचना तथा प्रचार			
01. फिल्म			
800. अन्य प्राप्ति	21.37	12.52	(+) 70.69
योग-0220	21.37	12.52	(+) 70.69
0230. श्रम तथा रोजगार			
102. व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए शुल्क	0.22	0.11	(+) 100.00
103. वाष्प बायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क	2,60.42	2,73.74	(-) 4.87
104. फैक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत उगाहा गया शुल्क	14,60.27	13,22.31	(+) 10.43
106. ठेका श्रमिक के अन्तर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम)	76.72	1,09.22	(-) 29.76
800. अन्य प्राप्ति	3,74,98.48 (क)	4,18,41.69	(-) 10.38
योग-0230	3,92,96.11	4,35,47.07	(-) 9.76
0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
01. पुनर्वास			
200. अन्य पुनर्वास योजनाएं	6.60	12.70	(-) 48.03
800. अन्य प्राप्ति	1,42.19	13,55.09	(-) 89.51
योग-01	1,48.79	13,67.79	(-) 89.12

(क) इसमें भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु उपकर से सम्बन्धित ₹ 3,67,55.12 लाख सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ii) सामाजिक सेवाएं – (समाप्त)			
0235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण – (समाप्त)			
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
800. अन्य प्राप्ति	23,68.42 (क)	10,73.46	(+) 120.63
900. घटाईयें-वापसियां	(-) 3.97	(-) 0.23	(+) 1626.09
योग-60	23,64.45	10,73.23	(+) 120.31
योग-0235	25,13.24	24,41.02	(+) 2.96
0250. अन्य सामाजिक सेवाएं			
102. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	13,15.86	21,18.94	(-) 37.90
800. अन्य प्राप्ति	3,07.19	3,02.49	(+) 1.55
योग-0250	16,23.05	24,21.43	(-) 32.97
योग-(ii) सामाजिक सेवाएं	13,35,97.60	14,76,04.24	(-) 9.49
(iii) आर्थिक सेवाएं			
0401. फसल कृषि-कर्म			
103. बीज	2.27	1.63	(+) 39.26
107. वनस्पति रक्षण सेवाओं से प्राप्ति	..	0.86	(-) 100.00

(क) इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से पेंशन से संबंधित प्राप्ति शामिल हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0401. फसल कृषि-कर्म – (समाप्त)			
119. बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्तियां	4.81	1.00	(+) 381.00
800. अन्य प्राप्तियां	10,39.51	6,52.97	(+) 59.20
योग-0401	10,46.59	6,56.46	(+) 59.43
0403. पशुपालन			
102. मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियां	3,22.27	8,87.34	(-) 63.68
103. मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियां	0.17	0.13	(+) 30.77
104. भेड़ पालन और ऊन के विकास से प्राप्तियां	0.73	0.01	(+) 7200.00
105. सूअर पालन के विकास से प्राप्तियां	3.21	.. *	..
108. अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियां	.. #	.. *	..
501. सेवाएं और सेवा शुल्क	5,63.21	4,30.37	(+) 30.87
800. अन्य प्राप्तियां	57.39	8,05.24	(-) 92.87
योग-0403	9,46.98	21,23.09	(-) 55.40

₹ 300 मात्र ।

* ₹ 100 मात्र ।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0405. मछली पालन			
011. किराया	49,36.33	62,66.09	(-) 21.22
102. अनुज्ञापन शुल्क, अर्थ दण्ड आदि	57.27	32.14	(+) 78.19
103. मछली, मछली बीज आदि की बिक्री	22.16	15.24	(+) 45.41
800. अन्य प्राप्ति	1,84.03	1,53.75	(+) 19.69
900. घटाई-वापसियां	..	(-) 2.81	(-) 100.00
योग-0405	51,99.79	64,64.41	(-) 19.56
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी			
01. वानिकी			
101. लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	31,10.63	34,07.14	(-) 8.70
800. अन्य प्राप्ति	28,26.88 (क)	32,61.45	(-) 13.32
900. घटाई-वापसियां	(-) 11.80	..	..
योग-01	59,25.71	66,68.59	(-) 11.14
02. पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी			
111. प्राणी उद्यान	1,37.33	3,93.99	(-) 65.14
112. सार्वजनिक उद्यान	27.34	1,86.95	(-) 85.38

(क) इसमें गैर वन भूमि को वनारोपण के लिए अधिग्रहण करने हेतु क्षतिपूर्ति तथा जुर्माना एवं जब्त प्राप्ति सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी – (समाप्त)			
02. पर्यावरणीय वानिकी और वन्य प्राणी – (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्ति	12,76.69 (क)	36,97.28	(-) 65.47
900. घटाई-वापसियां	(-) 0.40	..	..
योग-02	14,40.96	42,78.22	(-) 66.32
योग-0406	73,66.67	1,09,46.81	(-) 32.70
0425. सहकारिता			
101. लेखापरीक्षा शुल्क	4,38.08	3,80.90	(+) 15.01
800. अन्य प्राप्ति	91,37.31	5,30.16	(+) 1623.50
900. घटाई-वापसियां	(-) 0.20	..	..
योग-0425	95,75.19	9,11.06	(+) 950.99
0435. अन्य कृषि कार्यक्रम			
104. मृदा और जल संरक्षण	23.07	29.35	(-) 21.40
800. अन्य प्राप्ति	11,00.65 (ख)	11,51.11	(-) 4.38
योग-0435	11,23.72	11,80.46	(-) 4.81

(क) इसमें बाघ परियोजना, रणथम्भोर तथा सरिस्का के माध्यम से पर्यटन तथा ईको डवलपमेन्ट से प्राप्ति सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्ति सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0506. भूमि सुधार			
101. जोत और काश्तकारी के विनियम/चकबन्दी से प्राप्ति	1.02	0.44	(+) 131.82
योग-0506	1.02	0.44	(+) 131.82
0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
101. पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्ति	94.30	1,05.07	(-) 10.25
800. अन्य प्राप्ति	24,10.07	13,53.98	(+) 78.00
योग-0515	25,04.37	14,59.05	(+) 71.64
0575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
60. अन्य			
101. क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से प्राप्ति	81.32	50.51	(+) 61.00
योग-0575	81.32	50.51	(+) 61.00
0700. मुख्य सिंचाई			
01. भाखरा बांध सिंचाई शाखा (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	6,84.40	7,20.48	(-) 5.01
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	30.00	18.10	(+) 65.75
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	1.70	0.13	(+) 1207.69
104. नहर बागानों से विक्रय आगम	17.68	71.07	(-) 75.12
108. अप्रत्यक्ष प्राप्ति	26.03	37.44	(-) 30.48

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0700. मुख्य सिंचाई- (क्रमशः)			
01. भाखरा बांध सिंचाई शाखा (वाणिज्यिक) - (समाप्त)			
800. अन्य प्राप्ति	4,83.15	1,01.34	(+) 376.76
योग-01	12,42.96	9,48.56	(+) 31.04
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	2,06.49	2,23.59	(-) 7.65
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	9,08.11	1,14.36	(+) 694.08
108. अप्रत्यक्ष प्राप्ति	3.44	3.78	(-) 8.99
800. अन्य प्राप्ति	21,61.80	10,87.09	(+) 98.86
योग-02	32,79.84	14,28.82	(+) 129.55
03. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजन के लिए जल की बिक्री	17,82.08	14,36.31	(+) 24.07
800. अन्य प्राप्ति	38.59	44.39	(-) 13.07
योग-03	18,20.67	14,80.70	(+) 22.96
04. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक स्टेज-1)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	10,83.29	5,07.79	(+) 113.33
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	36.89	20.90	(+) 76.51

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0700. मुख्य सिंचाई – (क्रमशः)			
04. इंदिरा गांधी नहर (वाणिज्यिक स्टेज-1) – (समाप्तः)			
108. अप्रत्यक्ष प्राप्ति	0.27	0.56	(-) 51.79
800. अन्य प्राप्ति	3,67.41	1,74.78	(+) 110.21
योग-04	14,87.86	7,04.03	(+) 111.33
05. गुडगाँव नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.57	0.53	(+) 7.55
योग-05	0.57	0.53	(+) 7.55
06. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	16.20	6.25	(+) 159.20
800. अन्य प्राप्ति	42.48	8.73	(+) 386.60
योग-06	58.68	14.98	(+) 291.72
07. नर्मदा परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	55.59	64.35	(-) 13.61
800. अन्य प्राप्ति	1,00,97.01	14.21	(+) 70955.67
योग-07	1,01,52.60	78.56	(+) 12823.37
08. माही परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	2,47.83	1,35.10	(+) 83.44
योग-08	2,47.83	1,35.10	(+) 83.44

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व- (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0700. मुख्य सिंचाई - (समाप्त)			
09. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	2.49	17.23	(-) 85.55
योग-09	2.49	17.23	(-) 85.55
10. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	6,53.66	4,37.69	(+) 49.34
102. घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	21.04	6.28	(+) 235.03
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	33.45	15.81	(+) 111.57
104. नहर बागानों से विक्रय आगम	15.11	15.21	(-) 0.66
800. अन्य प्राप्ति	12.98	7,28.07	(-) 98.22
900. घटाईये- वापसियां	..	(-) 1.04	(-) 100.00
योग-10	7,36.24	12,02.02	(-) 38.75
80. सामान्य (वाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्ति	25,32.25	5,63.57	(+) 349.32
योग-80	25,32.25	5,63.57	(+) 349.32
योग-0700	2,15,61.99	65,74.10	(+) 227.98
0701. मध्यम सिंचाई			
01. गंग नहर (वाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्ति	0.33	..	..
योग-01	0.33	..	..

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई			
02. जवाई नहर (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	44.83	29.92	(+) 49.83
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री	24.67	18.90	(+) 30.53
800. अन्य प्राप्ति	11.73	91.81	(-) 87.22
योग-02	81.23	1,40.63	(-) 42.24
03. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.31	.. #	..
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री	6.30	..	..
104. नगर बागानों से विक्रय आगम	0.09	0.12	(-) 25.00
800. अन्य प्राप्ति	..	7.26	(-) 100.00
योग-03	6.70	7.38	(-) 9.21
04. पारबती परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	..	(-) 0.10	(-) 100.00
800. अन्य प्राप्ति	0.21	..	..
योग-04	0.21	(-) 0.10	..

मात्र ₹ 274.

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई – (क्रमशः)			
05. गुद्दा परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	1.46	3.66	(-) 60.11
योग -05	1.46	3.66	(-) 60.11
06. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	3.16	1.43	(+) 120.98
योग-06	3.16	1.43	(+) 120.98
07. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्ति	0.27	2.50	(-) 89.20
योग-07	0.27	2.50	(-) 89.20
08. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.66	..	..
103. अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	8.93	3.73	(+) 139.41
800. अन्य प्राप्ति	0.87	0.30	(+) 190.00
योग-08	10.46	4.03	(+) 159.55

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई – (क्रमशः)			
09. बडगांव पाल परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.90	0.07	(+) 1185.71
योग-09	0.90	0.07	(+) 1185.71
10. औराई परियोजना (वाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्ति	0.02	0.02	..
योग-10	0.02	0.02	..
11. वेगन डाइवर्जन परियोजना (वाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.64	..	..
800. अन्य प्राप्ति	..	4.45	(-) 100.00
योग-11	0.64	4.45	(-) 85.62
12. परवन लिफ्ट परियोजना (अवाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	8.95	5.44	(+) 64.52
योग-12	8.95	5.44	(+) 64.52

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0701. मध्यम सिंचाई – (समाप्त)			
13. हरिश चन्द्र सागर परियोजना (अवाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	2.00	3.67	(-) 45.50
योग-13	2.00	3.67	(-) 45.50
14. अन्य परियोजनायें (अवाणिज्यिक)			
101. सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	59.35	53.03	(+) 11.92
102. घरेलू कार्य के लिए जल की बिक्री	10.84	27.21	(-) 60.16
103. अन्य कार्य के लिए जल की बिक्री	22,38.35	55.81	(+) 3910.66
104. नहर बागानों से विक्रय आगम	3.18	0.38	(+) 736.84
800. अन्य प्राप्ति	22.08	9.29	(+) 137.67
योग-14	23,33.80	1,45.72	(+) 1501.56
80. सामान्य (अवाणिज्यिक)			
800. अन्य प्राप्ति	5,34.71	8,27.68	(-) 35.40
900. घटाई-वापसियां	..	(-) 1.80	(-) 100.00
योग-80	5,34.71	8,25.88	(-) 35.26
योग-0701	29,84.84	11,44.78	(+) 160.73

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0702. लघु सिंचाई			
01. सतह जल			
800. अन्य प्राप्ति	1,47.11	2,33.11	(-) 36.89
योग-01	1,47.11	2,33.11	(-) 36.89
02. भू-जल			
101. ट्यूब वेलों से प्राप्ति	3,52.40	2,98.33	(+) 18.12
800. अन्य प्राप्ति	62.58	1,19.34	(-) 47.56
900. घटाईये- वापसियां	(-) 2.42	(-) 0.73	(+) 231.51
योग-02	4,12.56	4,16.94	(-) 1.05
योग-0702	5,59.67	6,50.05	(-) 13.90
0801. बिजली			
80. सामान्य			
800. अन्य प्राप्ति	30,70.62 (क)	17,16.96	(+) 78.84
योग-0801	30,70.62	17,16.96	(+) 78.84

(क) इसमें डिस्कॉम द्वारा संग्रहित कम्पाउंडिंग शुल्क से सम्बन्धित ₹ 30,68.54 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व - (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं- (क्रमशः)			
0802. पेट्रोलियम			
103. रायल्टी	19,04,80.82	33,20,10.60	(-) 42.63
900. घटार्इये- वापसियां	(-) 1.00	..	..
योग-0802	19,04,79.82	33,20,10.60	(-) 42.63
0851. ग्राम तथा लघु उद्योग			
800. अन्य प्राप्तियां	3,55.30	1,41.50	(+) 151.10
योग-0851	3,55.30	1,41.50	(+) 151.10
0852. उद्योग			
04. पेट्रो रसायनिक उद्योग			
800. अन्य प्राप्तियां	0.01	0.14	(-) 92.86
योग-04	0.01	0.14	(-) 92.86
05. रसायनिक उद्योग			
800. अन्य प्राप्तियां	3.23	0.90	(+) 258.89
योग-05	3.23	0.90	(+) 258.89

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (क्रमशः)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (क्रमशः)			
0852. उद्योग – (समाप्त)			
80. सामान्य			
800. अन्य प्राप्ति	72.01	1,73.71	(-) 58.55
योग-80	72.01	1,73.71	(-) 58.55
योग-0852	75.25	1,74.75	(-) 56.94
0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
102. खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क	48,59,36.60	45,44,51.78	(+) 6.93
800. अन्य प्राप्ति	1,07,03.11 (क)	34,84.90	(+) 207.13
900. घटाई- वापसियां	(-) 0.65	(-) 27.56	(-) 97.64
योग-0853	49,66,39.06	45,79,09.12	(+) 8.46
1054. सड़क तथा सेतु			
102. सड़कों पर पथ-कर	30,62.72	30,87.65	(-) 0.81
800. अन्य प्राप्ति	1,20.86	1,31.63	(-) 8.18
योग-1054	31,83.58	32,19.28	(-) 1.11

(क) इसमें अवैध खनन और बजरी की आपूर्ति के कारण पर्यावरणीय हानि के कारण कंपाउंडिंग शुल्क सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ख. करेतर राजस्व – (समाप्त)			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – (समाप्त)			
(iii) आर्थिक सेवाएं – (समाप्त)			
1452. पर्यटन			
800. अन्य प्राप्तियां	64.52	96.39	(-) 33.06
योग- 1452	64.52	96.39	(-) 33.06
1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
012. सांख्यिकी	2,65,72.92	2,03.47	(+) 12959.87
106. बाटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क	15,48.21	15,62.76	(-) 0.93
113. सीमित दायित्व साझेदारी	.. #	.. *	..
200. अन्य कारोबार उपक्रमों के विनिमय	10,41.21	6,90.81	(+) 50.72
800. अन्य प्राप्तियां	5,13,72.44 (क)	83,21.29	(+) 517.36
900. घटाईये- वापसियां	(-) 1.08	(-) 3.49	(-) 69.05
योग- 1475	8,05,33.70	1,07,74.84	(+) 647.42
योग-(iii) आर्थिक सेवाएं	82,73,54.00	83,82,04.66	(-) 1.29
योग-(ग) अन्य करेतर राजस्व	1,09,56,98.26	1,18,07,69.64	(-) 7.20
योग-ख. करेतर राजस्व	1,36,53,02.44	1,57,14,15.24	(-) 13.12

मात्र ₹ 100 ।

* मात्र ₹ 200 ।

(क) इसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से प्राप्तियां (₹ 3,76,02.26 लाख) तथा पॉश मशीन के पेटे से प्राप्तियां (₹ 69,96.00 लाख) सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2020-21	2019-20			
	(₹ लाख में)				
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान					
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान					
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें					
101. केन्द्रीय सहायता/भाग					
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता					
[01]	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई)	सामान्य	1,10,95.00	55,95.00	(+) 98.30
		ज.जा.उ.यो.	21,01.00	11,80.00	(+) 78.05
		अ.जा.उ.यो.	27,17.00	14,11.00	(+) 92.56
[02]	निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	सामान्य	1,55,42.70	2,51,04.61	(-) 38.09
		ज.जा.उ.यो.	26,82.61	50,65.88	(-) 47.05
		अ.जा.उ.यो.	47,00.76	88,29.52	(-) 46.76
[03]	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना (एन.आर.डी.डब्लू.पी.)	सामान्य	..	7,56,63.60	(-) 100.00
		ज.जा.उ.यो.	..	2,01,17.82	(-) 100.00
		अ.जा.उ.यो.	..	3,43,89.55	(-) 100.00
[04]	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	सामान्य	15,27,74.99	11,14,68.90	(+) 37.06
		ज.जा.उ.यो.	2,18,34.12	1,71,60.01	(+) 27.24
		अ.जा.उ.यो.	4,28,34.41	3,73,79.40	(+) 14.59
[07]	एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	सामान्य	3,14,69.60	82,05.00	(+) 283.54
		ज.जा.उ.यो.	35,83.00	16,10.00	(+) 122.55
		अ.जा.उ.यो.	99,37.00	21,28.00	(+) 366.96
[10]	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	सामान्य	8,25,16.45	21,22,46.14	(-) 61.12
[11]	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	सामान्य	4,28,06.88	3,21,56.10	(+) 33.12
[12]	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	सामान्य	2,37,15.41	1,84,74.00	(+) 28.37
[13]	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	सामान्य	1,31,50.35	78,03.30	(+) 68.52
		ज.जा.उ.यो.	56,26.39	18,03.34	(+) 212.00
		अ.जा.उ.यो.	80,18.94	24,90.32	(+) 222.00

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2020-21	2019-20			
(₹ लाख में)					
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)					
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)					
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें- (क्रमशः)					
101. केन्द्रीय सहायता/भाग - (क्रमशः)					
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता - (क्रमशः)					
[14]	मिड डे मिल (एम डी एम)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4,64,55.87 1,04,57.81 1,41,86.37	3,05,11.11 72,39.13 95,02.52	(+) 52.26 (+) 44.46 (+) 49.29
[17]	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,39,22.02 1,73,66.45 1,27,17.29	5,12,55.76 50,51.93 1,21,08.33	(-) 33.82 (+) 243.76 (+) 5.03
[20]	सीमा क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.)	सामान्य	..	38,53.00	(-) 100.00
[21]	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,62,28.79 30,48.74 39,95.70	98,73.35 18,01.41 23,90.75	(+) 64.37 (+) 69.24 (+) 67.13
[22]	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	25,70.00 2,60.00 1,70.00	17,50.00 3,25.00 4,25.00	(+) 46.86 (-) 20.00 (-) 60.00
[23]	राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	11,53.36 2,56.31 2,43.91	5,81.49 1,04.91 1,07.58	(+) 98.35 (+) 144.31 (+) 126.72
[24]	राष्ट्रीय तिलहन एवं आइलपाम मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		17,02.83 3,34.62 4,41.20	(-) 100.00 (-) 100.00 (-) 100.00
[25]	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	33,34.92 6,91.55 5,58.30	14,25.52 1,40.06 3,69.36	(+) 133.94 (+) 393.75 (+) 51.15

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2020-21	2019-20			
(₹ लाख में)					
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)					
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)					
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें- (क्रमशः)					
101. केन्द्रीय सहायता/भाग - (क्रमशः)					
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता - (क्रमशः)					
[27]	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	7,89.80 90.41 1,74.51	8,41.76 1,17.00 2,32.00	(-) 6.17 (-) 22.73 (-) 24.78
[28]	राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		3,87.80 59.92 1,18.22	(-) 100.00 (-) 100.00 (-) 100.00
[32]	प्राकृतिक संसाधन एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण	सामान्य	97.15	..	..
[33]	वन्य जीव हेतु समेकित विकास	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	27.02 1,01.19 1,35.57	7,25.40 1,19.58 ..	(-) 96.28 (-) 15.38 ..
[34]	बाघ परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	8,07.11 75.29 1,26.49	10,59.81 71.69 71.69	(-) 23.84 (+) 5.02 (+) 76.44
[35]	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में मानव संसाधन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4,55,27.00 72,95.10 1,40,70.30	7,28,24.17 48,81.00 80,67.00	(-) 37.48 (+) 49.46 (+) 74.42
[36]	राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं औषधीय पादपों हेतु मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	18,44.87 1,34.85 2,96.68	15,61.64 1,55.42 2,70.54	(+) 18.14 (-) 13.24 (+) 9.66
[38]	राष्ट्रीय पुलिस एवं अन्य सुरक्षाबल आधुनिकीकरण योजना	सामान्य	13,53.00	27,28.06	(-) 50.40
[39]	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	28,77.28 1,69.02 8,84.40	27,89.48 1,63.85 8,57.42	(+) 3.15 (+) 3.16 (+) 3.15

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2020-21	2019-20			
(₹ लाख में)					
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)					
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)					
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें- (क्रमशः)					
101. केन्द्रीय सहायता/भाग - (क्रमशः)					
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता - (क्रमशः)					
[42]	शिक्षक प्रशिक्षण तथा प्रौढ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु योगदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	12,91.83 2,80.46 13,01.37		
[44]	अल्पसंख्यक हेतु मदरसा एवं विशेष योग्यजन के लिए शिक्षा योजना	सामान्य	4.50	..	
[45]	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	8,75.35 1,19.12 2,34.86	38,54.76 5,50.68 11,01.36	(-) 77.29 (-) 78.37 (-) 78.68
[46]	कौशल विकास मिशन	सामान्य	26,26.80	18,17.54	(+) 44.53
[48]	ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	सामान्य	29,90.00	64,21.00	(-) 53.43
[49]	अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम	सामान्य	41,80.09	37,48.70	(+) 11.51
[51]	अनुसूचित जातियों के लिए विकास योजना	अ.जा.उ.यो.	3,69,98.06	3,68,25.33	(+) 0.47
[52]	अन्य पिछड़ा वर्ग, धूमंतु तथा अर्द्ध धूमंतू जनजाति की विकास योजना	सामान्य	34,55.06	82,44.33	(-) 58.09
[54]	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी एम ए जी वाई)	सामान्य	18,80.00	1,03,79.00	(-) 81.89
[59]	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो.	86,62.66 2,96,60.82	.. 4,42,89.74	.. (-) 33.03
[60]	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	सामान्य	14,49.38	6,25.65	(+) 131.66
[61]	एकीकृत बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आई.सी.पी.एस.)	सामान्य	32,21.98	31,95.88	(+) 0.82
[62]	राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना	सामान्य	58.94	..	..
[64]	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	सामान्य	3,30.00	..	..

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें– (क्रमशः)			
101. केन्द्रीय सहायता/भाग – (क्रमशः)			
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता – (क्रमशः)			
[66]	अन्य योजनाएं	सामान्य ..	28,47.54 (-) 100.00
[67]	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य 1,36,49.08	63,25.88 (+) 115.77
		ज.जा.उ.यो. 28,00.00	10,50.00 (+) 166.67
		अ.जा.उ.यो. 36,00.00	13,50.00 (+) 166.67
[68]	स्वाधार गृहों के संचार हेतु योजना	सामान्य ..	87.20 (-) 100.00
[69]	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य 16.67	14.73 (+) 13.17
		ज.जा.उ.यो. ..	3,54.54 (-) 100.00
		अ.जा.उ.यो. ..	11,77.95 (-) 100.00
[70]	स्मार्ट सिटी योजना	सामान्य 1,47,00.00	98,00.00 (+) 50.00
[71]	अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एवं अर्बनट्रांसफारमेशन (अमृत योजना)	सामान्य 6,03,26.72	1,60,43.35 (+) 276.02
[73]	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	सामान्य 1,23,51.48	5,19,83.57 (-) 76.24
		ज.जा.उ.यो. 57,28.82	5,23,63.58 (-) 89.06
		अ.जा.उ.यो. 2,12,09.27	2,66,92.85 (-) 20.54
[74]	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन	सामान्य 21,60.00	
[75]	नील क्रान्ति	सामान्य 1,84.22	2,19.22 (-) 15.97
		ज.जा.उ.यो. 12.32	27.00 (-) 54.37
		अ.जा.उ.यो. 14.28	19.98 (-) 28.53

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)		
	2020-21	2019-20			
(₹ लाख में)					
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान - (क्रमशः)					
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान - (क्रमशः)					
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम- (क्रमशः)					
101. केन्द्रीय सहायता/भाग - (समाप्त)					
(01) राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता - (समाप्त)					
[76]	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	सामान्य	9,71.60	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,13.00	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,13.50	..	..
[78]	हाथी परियोजना	सामान्य	..	35.28	(-) 100.00
[80]	ई-प्रावधान परियोजना के लिए सहायता	सामान्य	..	1,70.00	(-) 100.00
[81]	राज्य औषधि नियामक प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु केन्द्रीय सहायता	सामान्य	..	15,35.00	(-) 100.00
		ज.जा.उ.यो.	..	3,01.00	(-) 100.00
		अ.जा.उ.यो.	..	3,99.00	(-) 100.00
[82]	समग्र शिक्षा	सामान्य	14,58,46.27	19,68,31.78	(-) 25.90
		ज.जा.उ.यो.	3,23,37.71	3,61,76.60	(-) 10.61
		अ.जा.उ.यो.	4,43,03.90	5,81,23.75	(-) 23.78
[83]	जल जीवन मिशन	सामान्य	3,64,45.45	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,06,85.52	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,59,19.83	..	..
[84]	पढ़ना लिखाना अभियान	सामान्य	4,00.75	..	..
		ज.जा.उ.यो.	61.88	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,15.65	..	..
योग- 101			1,24,53,90.24	1,45,46,63.57	(-) 14.39

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
06. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों – (समाप्त)			
102. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं-केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान			
(01) बाह्य सहायता-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु सहायतार्थ अनुदान			
[07] राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	99.88	7,60.86	(-) 86.87
[08] सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट (आई बी आर डी)	2,33.86	17.74	(+) 1218.26
योग-102	3,33.74	7,78.60	(-) 57.14
104. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान			
(01) केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता	1,41,80.90	4,15,16.70	(-) 65.84
योग-104	1,41,80.90	4,15,16.70	(-) 65.84
900. घटाईये-वापसियां			
(01) अप्रयुक्त अनुदान/हिस्सों की वापसी	(-) 3,61.98	(-) 3,54.09	(+) 2.23
योग-900	(-) 3,61.98	(-) 3,54.09	(+) 2.23
योग-06	1,25,95,42.90	1,49,66,04.78	(-) 15.84

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
(₹ लाख में)			
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
07. वित्त आयोग अनुदान			
102. ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान			
(01) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए सहायता	28,96,50.00	50,43,12.00	(-) 42.57
योग- 102	28,96,50.00	50,43,12.00	(-) 42.57
103. शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान			
(01) शहरी स्थानीय निकायों के लिए सहायता	18,59,00.00	12,83,43.00	(+) 44.85
योग- 103	18,59,00.00	12,83,43.00	(+) 44.85
104. राज्य आपदा मोचन निधि के लिए अनुदान			
(01) राज्य आपदा मोचन निधि के लिए सहायता	14,81,00.00	10,05,00.00	(+) 47.36
योग- 104	14,81,00.00	10,05,00.00	(+) 47.36
योग-07	62,36,50.00	73,31,55.00	(-) 14.94
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान			
104. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अधीन अनुदान			
(05) जनजाति क्षेत्र उपयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता	91,66.00	1,55,86.19	(-) 41.19
योग- 104	91,66.00	1,55,86.19	(-) 41.19

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (क्रमशः)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (क्रमशः)			
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान – (क्रमशः)			
106. राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) को अंशदान के लिए अनुदान			
(01) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि हेतु सहायता	68,65.00	19,49,59.00	(-) 96.48
योग-106	68,65.00	19,49,59.00	(-) 96.48
113. विशेष सहायता			
(02) केन्द्रीय योजनाओं हेतु विशेष सहायता			
[01] हरित क्रांति-कृषि जनगणना एवं एकीकृत योजनाएं	..	6,74.51	(-) 100.00
[02] श्वेत क्रांति-पशुधन जनगणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	1,90.00	11,70.53	(-) 83.77
[03] होमगार्ड/पुलिस बलों हेतु पुनर्भरण सहायता	15,89.70	20,58.85	(-) 22.79
[04] अन्य विविध योजनाओं हेतु सहायता	38,67.77	5,29.04	(+) 631.09
[06] साइबर अपराध नियंत्रण के विरुद्ध महिलाओं तथा बच्चों को निर्भया निधि से सहायता	1,00.00	12,84.10	(-) 92.21
योग-113	57,47.47	57,17.03	(+) 0.53
114. जी. एस. टी .लागू करने से हुए राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति			
(01) जी. एस. टी .लागू करने से हुए राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति	56,32,84.26 (क)	44,39,52.71	(+) 26.88
योग-114	56,32,84.26	44,39,52.71	(+) 26.88

(क) माह अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2020 से सम्बन्धित ₹ 26,75,47.29 लाख की मुआवजा राशि की स्वीकृति भारत सरकार से 2020-21 के दौरान प्राप्त हुई।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2020-21	2019-20	
	(₹ लाख में)		
ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान – (समाप्त)			
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – (समाप्त)			
08. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान – (समाप्त)			
800. अन्य अनुदान			
(05) युद्धावश्यक सीमावर्ती सड़कें	1,13,08.90	1,87,55.77	(-) 39.70
(07) विविध अनुदान	..	72.02	(-) 100.00
(08) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न के अन्तर्राज्यीय संचलन एवं हथलन तथा उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों का मार्जिन	..	17,50.80	(-) 100.00
योग-800	1,13,08.90	2,05,78.59	(-) 45.05
योग-08	59,63,71.63	68,07,93.52	(-) 12.40
योग-1601	2,47,95,64.53	2,91,05,53.30	(-) 14.81
योग-ग. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2,47,95,64.53	2,91,05,53.30	(-) 14.81
योग – प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	13,43,07,88.25	14,01,13,80.71	(-) 4.14

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

शीर्ष	वास्तविक आंकड़े		वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी(-)
	2020-21	2019-20	
(₹ लाख में)			
प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)			
4000. विविध पूंजीगत प्राप्तियां			
01. सिविल			
105. सहकारी समितियां/बैंकों की पूंजी/विनिवेश की निवृत्ति	14,07.79	20,41.86	(-) 31.05
योग-4000	14,07.79	20,41.86	(-) 31.05
योग – प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)	14,07.79	20,41.86	(-) 31.05
कुल योग – प्राप्ति शीर्ष	13,43,21,96.04	14,01,34,22.57	(-) 4.15

विवरण संख्या 14-(क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. **राजस्व लेखे पर प्राप्ति:-** राज्य सरकार के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 58,05,92.46 लाख की कमी हुई क्योंकि कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व (₹ 7,39,36,46.71 लाख) 2019-20 में राजस्व (₹ 7,49,59,13.41 लाख) से ₹ 10,22,66.70 लाख कम था जो मुख्यतः पेट्रोलियम, ब्याज प्राप्तियाँ, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, वाहन पर कर, पुलिस, विविध सामान्य सेवाएं, विद्युत पर कर तथा शुल्क इत्यादि से कम प्राप्ति के कारण था। 2020-21 के दौरान भारत सरकार से कतिपय करों से निवल आगमों के हिस्से के रूप में प्राप्तियाँ (₹ 3,55,75,77.00 लाख) 2019-20 में प्राप्तियाँ (₹ 3,60,49,14.00 लाख) से ₹ 4,73,37.00 लाख कम थी जो मुख्यतः निगम कर, सीमा शुल्क तथा संघ उत्पाद शुल्क इत्यादि के कारण थी। भारत सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्तियों में भी ₹ 43,09,88.77 लाख (2019-20 में ₹ 2,91,05,53.30 लाख से 2020-21 में ₹ 2,47,95,64.53 लाख) से कमी थी।

वे लेखा शीर्ष जिनमें गत वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सार्वभूत वृद्धि/कमी हुई, नीचे दिये गये हैं:-

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
कमी		
1601. केन्द्रीय सरकार से सहायतार्थ अनुदान	43,09,88.77	गत वर्ष की तुलना में "केन्द्रीय प्रायोजित योजना", "वित्त आयोग अनुदानों" "केन्द्रीय सड़क निधि" तथा "राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि" के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0020. निगम कर	15,80,18.00	"राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में कम प्राप्ति के कारण।
0802. पेट्रोलियम	14,15,30.78	गत वर्ष की तुलना में रायल्टी से कम प्राप्ति के कारण।
0049. ब्याज प्राप्तियाँ	11,58,83.83	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों से ब्याज की कम प्राप्ति के कारण।
0006. राज्य वस्तु एवं सेवा कर	11,99,30.73	"एस.जी.एस.टी. तथा आई.जी.एस.टी. के इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन" के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0041. वाहन कर	5,82,80.42	राज्य मोटर वाहन करानुदान अधिनियम के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0055. पुलिस	4,49,13.90	गत वर्ष की तुलना में अन्य राज्य में आर.ए.सी. बटालियन की तैनाती के पुनर्भरण के सम्बन्ध में कम प्राप्ति तथा "राज्य मुख्यालय पुलिस की प्राप्ति" के अन्तर्गत बहुत कम प्राप्ति के कारण।
0038. संघ उत्पाद शुल्क	3,89,95.00	"राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में कम प्राप्ति के कारण।
0037. सीमा शुल्क	3,74,65.00	"राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में कम प्राप्ति के कारण।
0075. विविध सामान्य सेवाएं	1,68,49.62	गारंटी शुल्क तथा बिना दावे की जमा के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0043. विद्युत कर तथा शुल्क	1,20,37.28	"विद्युत के उपभोग तथा बिक्री पर कर" तथा "अन्य प्राप्तियों" के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0029. भू-राजस्व	85,16.64	सरकारी सम्पदा के विक्रय से कम प्राप्ति के कारण।
0202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	64,03.76	तकनीकी शिक्षा बोर्ड तथा आमेर विकास प्राधिकरण से कम प्राप्ति के कारण।
0070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	60,53.22	मोटर गेराज तथा विविध प्राप्तियों के पेटे कम प्राप्ति के कारण।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ – (क्रमशः)

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति – (क्रमशः)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
कमी – (समाप्त)		
0050. लाभांश तथा लाभ	51,57.59	सार्वजनिक उपक्रमों से कम लाभांश के कारण।
0230. श्रम तथा रोजगार	42,50.96	भवन तथा अन्य निर्माण कार्य श्रमिकों के कल्याण के लिए उपकर के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0217. शहरी विकास	38,23.79	मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0406. वानिकी तथा वन्य प्राणी	35,80.14	बाघ परियोजना, रणथम्भोर तथा सरिस्का से कम प्राप्ति के कारण।
0405. मछली पालन	12,64.62	किराये से से कम प्राप्ति के कारण।
0403. पशु पालन	11,76.11	“अन्य प्राप्ति” के तहत कम प्राप्ति के कारण।
0210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	11,07.07	एलौपेथी शिक्षा तथा “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत कम प्राप्ति के कारण।
0250. अन्य सामाजिक सेवाएं	7,98.38	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कम प्राप्ति के कारण।
वृद्धि		
0040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	16,36,26.94	वैट के अन्तर्गत अधिक प्राप्ति के कारण।
0021. आय पर निगम कर से भिन्न कर	13,47,19.00	“राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0030. स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	10,62,54.55	आधारभूत विकास एवं गौ संरक्षण तथा स्टाम्प की बिक्री के लिए स्टाम्प शुल्क पर अधिभार से अधिक प्राप्ति के कारण।
1475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6,97,58.86	खाद्य विभाग द्वारा अधिक जमाओं के कारण।
0853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	3,87,29.94	खनिज रियायती शुल्क, किराया और रायल्टी की गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0005. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	3,73,11.00	“राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत गत वर्ष की तुलना में अधिक प्राप्ति के कारण।
0039. राज्य उत्पाद शुल्क	2,61,37.28	देशी शराब की बिक्री तथा उत्पाद शुल्क उपयुक्त पर अधिभार से अधिक प्राप्ति के कारण।
0044. सेवा कर	1,50,00.00	“राज्यों का समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा” के अंतर्गत प्राप्ति होने के कारण।

विवरण संख्या 14 – (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ – (क्रमशः)

1. राजस्व लेखे पर प्राप्ति – (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि – (समाप्त)		
0700. मुख्य सिंचाई	1,49,87.89	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0425. सहकारिता	86,64.13	मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0035. कृषि भूमि से भिन्न अवल सम्पत्ति पर कर	61,63.75	भूमि कर से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0071. पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली	48,31.18	नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत केन्द्रीय रिकार्ड अभिकरण से अंशदान तथा अंतिम निपटान से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0051. लोक सेवा आयोग	24,57.51	गत वर्ष की तुलना में परीक्षा शुल्क से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0215. जलपूर्ति तथा सफाई	23,08.08	शहरी जल प्रदाय योजनाओं से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0701. मध्यम सिंचाई	18,40.06	विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0801. बिजली	13,53.66	मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	10,45.32	मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0042. माल तथा यात्री कर	4,06.31	स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर से अधिक प्राप्ति के कारण ।
0401. फसल कृषि कर्म	3,90.14	मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0851. ग्राम तथा लघु उद्योग	2,13.80	मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।
0058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण	2,12.00	मद “अन्य प्राप्ति” के अंतर्गत अधिक प्राप्ति के कारण ।

विवरण संख्या 14 –(समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ – (समाप्त)

2. वर्ष के दौरान कराधान में परिवर्तन :- बजट भाषण 2020-21 में की गयी उद्घोषणा के अनुसार बजट प्रस्ताव में कराधान उपाय में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित थे –

(क) कर से कमी:-

- (i) ठेके पर संचालित 23 से 40 सीटर बस के लिए प्रतिमाह ₹ 100 रुपये प्रति सीट मोटर वाहन कर में छूट।

(ख) वृद्धि:-

- (i) निर्माण उपकरण वाहन पर वाहन कर की दर 8.50 से बढ़ाकर 10.00 करना।
- (ii) उपकरण लगे वाहन पर वाहन कर की दर 7.00 से बढ़ाकर 8.00 करना।

(ग) कर के लिए प्रस्तावित :-

शून्य

(घ) कर में छूट :-

- (i) स्टेडियम और खेल परिसर के निर्माण के लिए भूमि परिवर्तन शुल्क और परमिट शुल्क ।

विवरण संख्या 15—लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभारित व्यय के द्योतक हैं

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं					
(क) राज्य के अंग					
2011. संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल					
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल					
	19.73				
101. विधान सभा	40,41.22	..	40,60.95	39,82.89	(+) 1.96
103. विधान मण्डल सचिवालय	38,50.79	..	38,50.79	33,88.41	(+) 13.65
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.09	..	(-) 1.09	..	..
	19.73				
योग - 2011	78,90.92	..	79,10.65	73,71.30	(+) 7.32
2012. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक					
03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक					
090. सचिवालय	7,77.05	..	7,77.05	7,92.84	(-) 1.99
101. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां और भत्ते	30.45	..	30.45	42.00	(-) 27.50
102. विवेकाधीन अनुदान	49.84	..	49.84	46.95	(+) 6.16
103. पारिवारिक स्थापना	6,38.20	..	6,38.20	5,90.79	(+) 8.02
104. आतिथ्य भत्ता	37.99	..	37.99	27.98	(+) 35.78
105. चिकित्सा सुविधाएं	12.00	..	12.00	21.47	(-) 44.11
106. मनोरंजन खर्च	2.00	..	2.00	19.44	(-) 89.71
107. संविदा भत्ते से व्यय	12.99	..	12.99	31.34	(-) 58.55

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)					
(क) राज्य के अंग – (क्रमशः)					
2012. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक– (समाप्त)					
03. राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक– (समाप्त)					
108. दौरा खर्च	2.51	..	2.51	13.55	(-) 81.48
110. राजकीय वाहन तथा मोटर कार	19.98	..	19.98	26.40	(-) 24.32
योग – 2012	15,83.01	..	15,83.01	16,12.76	(-) 1.84
2013. मंत्रि परिषद्					
101. मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन	3,93.12	..	3,93.12	4,43.94	(-) 11.45
102. आतिथ्य और अन्य भत्ते	39.14	..	39.14	18.07	(+) 116.60
104. मनोरंजन और सत्कार खर्च	2,54.82	..	2,54.82	5,19.23	(-) 50.92
105. मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	25.79	..	25.79	34.69	(-) 25.66
108. दौरा खर्च	25.14	..	25.14	24.97	(+) 0.68
800. अन्य व्यय	3,69.08 (क)	..	3,69.08	4,47.55	(-) 17.53
योग – 2013	11,07.09	..	11,07.09	14,88.45	(-) 25.62
2014. न्याय प्रशासन					
102. उच्च न्यायालय	1,41,05.13	..	1,41,05.13	1,36,45.35	(+) 3.37
105. सिविल और सेशन न्यायालय	8,05,77.67	2,14.47	8,07,92.14	7,57,24.83	(+) 6.69
110. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी	21.54	..	21.54	21.06	(+) 2.28
114. विधि सलाहकार और परामर्शदाता	1,55,15.90	..	1,55,15.90	1,43,75.70	(+) 7.93
116. राज्य प्रशासनिक अधिकरण	23,21.68	..	23,21.68	20,27.72	(+) 14.50

(क) मंत्रियों के लिए टेलीफोन तथा वाहनों के संधारण पर हुए व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) राज्य के अंग –(समाप्त)					
2014. न्याय प्रशासन –(समाप्त)					
117. परिवार न्यायालय	31,51.25	..	31,51.25	30,79.67	(+) 2.32
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,94.98	..	1,94.98	2,02.36	(-) 3.65
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	3,12.27	..	3,12.27	3,03.44	(+) 2.91
800. अन्य व्यय	2,16.93	(क)	2,16.93	36.81	(+) 489.32
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 32.14	..	(-) 32.14	(-) 10.98	(+) 192.71
योग-2014	1,41,05.13 10,22,80.08	2,14.47	11,65,99.68	10,94,05.96	(+) 6.58
2015. निर्वाचन					
102. निर्वाचन अधिकारी	51,70.43	..	51,70.43	47,11.80	(+) 9.73
103. निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	41,17.73	..	41,17.73	53,05.45	(-) 22.39
105. संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	9,66.81	..	9,66.81	2,56,32.48	(-) 96.23
106. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार	2,45.67	..	2,45.67	22,24.44	(-) 88.96
108. मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करना	66.96	..	66.96	80.18	(-) 16.49
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.39	..	(-) 0.39	..	..
योग-2015	1,05,67.21	..	1,05,67.21	3,79,54.35	(-) 72.16
योग –(क) राज्य के अंग	1,57,07.87 12,18,45.30	2,14.47	13,77,67.64	15,78,32.82	(-) 12.71

(क) समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के तहत किशोर न्याय बोर्ड पर किया गया व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं –(क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं					
(ii) संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य संव्यवहारों पर करों का संग्रहण					
2029. भू-राजस्व					
102. सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य	33,41.78	..	33,41.78	37,05.10	(-) 9.81
103. भू-अभिलेख	6,76,15.38	..	6,76,15.38	6,42,18.88	(+) 5.29
105. भूतपूर्व जमींदारी सम्पदाओं का प्रबन्ध	19.03	..	19.03	16.72	(+) 13.82
800. अन्य व्यय	..	78.80	78.80	2,32.99	(-) 66.18
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1,33.61	..	(-) 1,33.61	(-) 14.22	(+) 839.59
योग – 2029	7,08,42.58	78.80	7,09,21.38	6,81,59.47	(+) 4.05
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण					
01. स्टाम्प-न्यायिक					
001. निदेशन तथा प्रशासन	33.01	..	33.01	28.73	(+) 14.90
101. स्टाम्पों की लागत	6,05.94	..	6,05.94	8,03.69	(-) 24.61
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	46.00	..	46.00	66.07	(-) 30.38
योग – 01	6,84.95	..	6,84.95	8,98.49	(-) 23.77
02. स्टाम्प-न्यायिकेतर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	41.21	..	41.21	38.91	(+) 5.91
101. स्टाम्पों की लागत	61,02.91	..	61,02.91	36,64.79	(+) 66.53

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं - (क्रमशः)					
(ii) संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य संव्यवहारों पर करों का संग्रहण - (समाप्त)					
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण- (समाप्त)					
02. स्टाम्प-न्यायिकेतस्- (समाप्त)					
102. स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	21,50.12	..	21,50.12	15,59.77	(+) 37.85
योग -02	82,94.24	..	82,94.24	52,63.47	(+) 57.58
03. पंजीकरण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	0.64 53,18.91	..	53,19.55	48,01.16	(+) 10.80
योग - 03	0.64 53,18.91	..	53,19.55	48,01.16	(+) 10.80
योग - 2030	0.64 1,42,98.10	..	1,42,98.74	1,09,63.12	(+) 30.43
योग (ii) संपत्ति, पूंजीगत तथा अन्य संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	0.64 8,51,40.68	78.80	8,52,20.12	7,91,22.59	(+) 7.71
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण					
2039. राज्य उत्पाद शुल्क					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,52,09.54	..	1,52,09.54	1,48,44.35	(+) 2.46
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 5.61	..	(-) 5.61	(-) 0.50	(+) 1022.00
योग- 2039	1,52,03.93	..	1,52,03.93	1,48,43.85	(+) 2.43

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं– (क्रमशः)					
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण – (क्रमशः)					
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	32,16.49	..	32,16.49	28,37.34	(+) 13.36
101. संग्रहण प्रभार	63,75.47	..	63,75.47	57,09.30	(+) 11.67
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	64,32.00	..	64,32.00	37,13.24	(+) 73.22
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	52,87.00	..	52,87.00	17,64.27	(+) 199.67
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को अन्तरण	2,68,84.18	..	2,68,84.18	1,82,66.80	(+) 47.18
800. अन्य व्यय	9,12,38.38 (क)	..	9,12,38.38	4,18,38.40	(+) 118.07
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 18,88.66	..	(-) 18,88.66	(-) 5.95	(+) 31642.18
योग – 2040	13,75,44.86	..	13,75,44.86	7,41,23.40	(+) 85.56
2041. वाहन कर					
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,55.92	..	11,55.92	11,25.47	(+) 2.71
101. संग्रहण प्रभार	1.34 79,84.47	..	79,85.81	75,46.25	(+) 5.82
102. मोटर वाहनों का निरीक्षण	41,57.11	..	41,57.11	39,79.06	(+) 4.47
789. अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संघटक योजना	3,71.20	..	3,71.20	4,56.77	(-) 18.73
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2,24.79	..	2,24.79	3,10.62	(-) 27.63

(क) राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत मजदूरी/रोजगार अनुदान (₹ 2,62.73 लाख), ब्याज अनुदान (₹ 11,11.52 लाख), निवेश सहाय्य (₹ 6,79,54.13 लाख), रोजगार सृजन सहाय्य (₹ 15,22.11 लाख), निवेश सहाय्य (आर.आइ.पी.एस.-2014) (₹ 72,05.25 लाख) तथा रोजगार सृजन सहाय्य (आर.आइ.पी.एस.-2014) (₹ 5,86.64 लाख)। इसमें राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी (उद्योग विभाग) के अन्तर्गत विशेष प्रोत्साहन पैकेज (₹ 57,86.00 लाख) तथा ब्याज अनुदान (₹ 67,00.00 लाख) भी शामिल है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं – (क्रमशः)					
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण – (समाप्त)					
2041. वाहन कर – (समाप्त)					
800. अन्य व्यय	67.77	..	67.77	54.90	(+) 23.44
योग – 2041	1,39,61.26	1.34	1,39,62.60	1,34,73.07	(+) 3.63
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार					
001. निदेशन एवं प्रशासन	60,49.79	..	60,49.79	34,22.19	(+) 76.78
101. संग्रहण प्रभार	75,70.15	..	75,70.15	79,11.69	(-) 4.32
800. अन्य व्यय	7.37	..	7.37	1.61	(+) 357.76
योग – 2043	1,36,27.31	..	1,36,27.31	1,13,35.49	(+) 20.22
2045. वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क					
101. संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर	0.05	..	0.05	0.06	(-) 16.67
103. संग्रहण प्रभार-विद्युत् शुल्क	16,42.84	..	16,42.84	16,35.22	(+) 0.47
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.10	..	(-) 0.10	(-) 1.92	(-) 94.79
योग – 2045	16,42.79	..	16,42.79	16,33.36	(+) 0.58
योग – (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	18,19,80.15	1.34	18,19,81.49	11,54,09.17	(+) 57.68

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)					
(ख) राजकोषीय सेवाएं – (समाप्त)					
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं					
2047. अन्य राजकोषीय सेवाएं					
800. अन्य व्यय	4,26.56 (क)	..	4,26.56	3,94.11	(+) 8.23
योग – 2047	4,26.56	..	4,26.56	3,94.11	(+) 8.23
योग – (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं	4,26.56	..	4,26.56	3,94.11	(+) 8.23
योग– (ख) राजकोषीय सेवाएं	1.98 26,75,47.39	78.80	26,76,28.17	19,49,25.87	(+) 37.30
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन					
2049. ब्याज अदायगियां					
01. आन्तरिक ऋण पर ब्याज					
101. बाजार कर्जों पर ब्याज	1,42,95,42.20	..	1,42,95,42.20	1,19,98,46.42	(+) 19.14
123. राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	13,46,93.89	..	13,46,93.89	15,02,46.38	(-) 10.35
200. अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	46,31,88.51 (ख)	..	46,31,88.51	52,48,83.48	(-) 11.75
305. ऋण प्रबन्ध	55,81.18	..	55,81.18	46,10.87	(+) 21.04
योग – 01	2,03,30,05.78	..	2,03,30,05.78	1,87,95,87.15	(+) 8.16

(क) व्यय राजस्व आसूचना विभाग से संबंधित है।

(ख) इसमें, भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये विशेष आर्थोपाय अग्रिम के कारण चुकाये गये ब्याज के ₹ 13,84.83 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)					
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन– (क्रमशः)					
2049. ब्याज अदायगियां – (क्रमशः)					
03. अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज					
104. राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	25,96,62.70	..	25,96,62.70	26,82,55.95	(-) 3.20
108. बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज	15,34,05.04	..	15,34,05.04	15,11,52.57	(+) 1.49
117. निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	1,23.96	..	1,23.96	7,65.25	(-) 83.80
योग- 03	41,31,91.70	..	41,31,91.70	42,01,73.77	(-) 1.66
04. केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज					
101. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	2,91,36.89	..	2,91,36.89	3,18,44.80	(-) 8.50
104. योजनेत्तर योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज	2,21.53	..	2,21.53	2,70.69	(-) 18.16
109. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत समेकित आयोजना कर्जों पर ब्याज	96,02.40	..	96,02.40	1,19,17.67	(-) 19.43
योग - 04	3,89,60.82	..	3,89,60.82	4,40,33.16	(-) 11.52
05. आरक्षित निधियों पर ब्याज					
105. सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज	1,43,67.20 (क)	..	1,43,67.20	42,12.17	(+) 241.09
योग - 05	1,43,67.20	..	1,43,67.20	42,12.17	(+) 241.09

(क) यह वर्ष 2019-20 की अन्तिम छःमाही (₹ 55,46.04 लाख) तथा 2020-21 की प्रथम छःमाही (₹ 88,21.16 लाख) के राज्य आपदा मोचन निधि की बकाया अनिवेशित राशि पर ब्याज से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं – (क्रमशः)					
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन – (समाप्त)					
2049. ब्याज अदायगियां – (समाप्त)					
60. अन्य दायित्वों पर ब्याज					
101. जमाओं पर ब्याज	1,71,89.21	..	1,71,89.21	1,50,58.76	(+) 14.15
701. विविध	34,66.52	..	34,66.52	12,61.92	(+) 174.70
योग – 60	2,06,55.73	..	2,06,55.73	1,63,20.68	(+) 26.56
योग – 2049	2,52,01,81.23	..	2,52,01,81.23	2,36,43,26.93	(+) 6.59
योग-(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	2,52,01,81.23	..	2,52,01,81.23	2,36,43,26.93	(+) 6.59
(घ) प्रशासनिक सेवाएं					
2051. लोक सेवा आयोग					
102. राज्य लोक सेवा आयोग	38,29.58	..	38,29.58	28,36.89	(+) 34.99
103. कर्मचारी चयन आयोग	15,26.39	..	15,26.39	12,45.72	(+) 22.53
योग – 2051	38,29.58 15,26.39	..	53,55.97	40,82.61	(+) 31.19
2052. सचिवालय – सामान्य सेवाएं					
090. सचिवालय	0.86 1,94,82.35	..	1,94,83.21	1,83,90.51	(+) 5.94
092. अन्य कार्यालय	3,89.30	..	3,89.30	3,73.49	(+) 4.23
099. राजस्व बोर्ड	31,18.59	..	31,18.59	30,44.94	(+) 2.42
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 6.08	..	(-) 6.08	(-) 15.84	(-) 61.62
योग- 2052	0.86 2,29,84.16	..	2,29,85.02	2,17,93.10	(+) 5.47

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2053. जिला प्रशासन					
093. जिला स्थापनाएं	1,44,44.70	..	1,44,44.70	1,31,43.99	(+) 9.90
094. अन्य स्थापनाएं	3,62,14.43	1.73 ..	3,62,16.16	3,27,70.96	(+) 10.51
101. आयुक्त	14,01.34	..	14,01.34	14,15.15	(-) 0.98
800. अन्य व्यय	5,21.60 (क)	..	5,21.60	3,85.55	(+) 35.29
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 19.79	..	(-) 19.79	(-) 10.74	(+) 84.26
योग - 2053	5,25,62.28	1.73 ..	5,25,64.01	4,77,04.91	(+) 10.19
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन					
095. लेखा तथा खजाना निदेशालय	21,38.08	..	21,38.08	19,45.24	(+) 9.91
097. खजाना स्थापना	1,65,86.25	..	1,65,86.25	1,57,01.26	(+) 5.64
098. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	42,00.51	..	42,00.51	35,92.34	(+) 16.93
800. अन्य व्यय	46,35.59 (ख)	..	46,35.59	50,10.75	(-) 7.49
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.90	..	(-) 1.90	(-) 4.13	(-) 54.00
योग - 2054	2,75,58.53	..	2,75,58.53	2,62,45.46	(+) 5.00

(क) इसमें गुड गवर्नेंस प्रणाली पर व्यय सम्मिलित है।

(ख) व्यय पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग (₹ 22,21.10 लाख), निरीक्षण विभाग (₹ 14,66.64 लाख) तथा राजस्थान में सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त प्रबंधन परियोजना (₹ 9,47.85 लाख) के संस्थापन पर हुआ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2055. पुलिस					
001. निदेशन तथा प्रशासन	41,66.88	..	41,66.88	40,61.80	(+) 2.59
003. शिक्षा और प्रशिक्षण	1,30,90.00	..	1,30,90.00	1,24,82.45	(+) 4.87
004. शोध	27.56	..	27.56	16.31	(+) 68.98
101. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	3,51,23.93	3,98.10	3,55,22.03	3,29,26.64	(+) 7.88
104. विशेष पुलिस	10,20,44.66	..	10,20,44.66	9,63,51.73	(+) 5.91
	22.34				
109. जिला पुलिस	45,18,66.38	..	45,18,88.72	43,96,11.09	(+) 2.79
111. रेलवे पुलिस	80,61.47	..	80,61.47	78,13.01	(+) 3.18
113. पुलिस कर्मियों का कल्याण	15,82.89	..	15,82.89	16,28.07	(-) 2.78
114. बेतार तथा कम्प्यूटर	82,20.54	..	82,20.54	82,00.17	(+) 0.25
115. पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2,13.90	2,45.85	4,59.75	6,93.35	(-) 33.69
116. न्यायालयिक विज्ञान	27,71.53	2,79.68	30,51.21	23,68.60	(+) 28.82
800. अन्य व्यय	2,68.47	(क) ..	2,68.47	4,06.68	(-) 33.98
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 23.38	..	(-) 23.38	..	..
	22.34				
योग - 2055	62,74,14.83	9,23.63	62,83,60.80	60,65,59.90	(+) 3.59

(क) पुलिस विकास निधि (₹ 2,28.47 लाख) एवं अन्य विभागों को पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति (₹ 40.00 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2056. जेल					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5.93 10,58.70	..	10,64.63	10,13.96	(+) 5.00
101. जेल	1,75,78.51	1,65.95	1,77,44.46	1,82,65.24	(-) 2.85
102. जेल उत्पाद	90.15	..	90.15	76.48	(+) 17.87
800. अन्य व्यय	4,43.47 (क)	..	4,43.47	3,64.33	(+) 21.72
योग - 2056	5.93 1,91,70.83	1,65.95	1,93,42.71	1,97,20.01	(-) 1.91
2058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,01.22	..	2,01.22	1,79.95	(+) 11.82
103. सरकारी मुद्रणालय	1.81 24,00.73	..	24,02.54	25,78.38	(-) 6.82
104. अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	79.96	..	79.96	80.97	(-) 1.25
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 4.88	..	(-) 4.88	..	..
योग - 2058	1.81 26,77.03	..	26,78.84	28,39.30	(-) 5.65
2059. लोक निर्माण-कार्य					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	21.05 75,32.34	..	75,53.39	17,80.25	(+) 324.29
004. योजना तथा अनुसंधान	19,72.90	..	19,72.90	19,08.87	(+) 3.35
052. मशीनरी तथा उपस्कर	(-) 52,51.74 (ख)	..	(-) 52,51.74	(-) 66,59.93	(-) 21.14

(क) जेल प्रशिक्षण विद्यालय (₹ 1,09.99 लाख), किशोर सुधार गृह (₹ 30.93 लाख) तथा महिला बन्दी सुधार गृह (₹ 3,02.55 लाख) पर व्यय ।

(ख) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः) (घ) प्रशासनिक सेवाएं - (क्रमशः)					
2059. लोक निर्माण-कार्य - (समाप्त)					
80. सामान्य- (समाप्त)					
053. रखरखाव तथा मरम्मत	81,04.75	..	81,04.75	85,23.55	(-) 4.91
योग - 2059	21.05 1,23,58.25	..	1,23,79.30	55,52.74	(+) 122.94
2062. सर्टिकता					
103. लोकायुक्त/उप लोकायुक्त	5,44.17	..	5,44.17	7,23.69	(-) 24.81
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.15	..	(-) 0.15	..	..
योग - 2062	5,44.02	..	5,44.02	7,23.69	(-) 24.83
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं					
003. प्रशिक्षण	26,55.33	..	26,55.33	29,55.06	(-) 10.14
106. सिविल रक्षा	3.76 22,64.63	..	22,68.39	21,08.15	(+) 7.60
107. होमगार्ड	2.98 56,18.29	22,60.76	78,82.03	83,41.97	(-) 5.51
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव	1,09,93.80	..	1,09,93.80	1,16,32.28	(-) 5.49
115. अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि	52,29.83	..	52,29.83	60,00.11	(-) 12.84

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं - (क्रमशः)					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त)					
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं - (समाप्त)					
800. अन्य व्यय	2.46	..	2.46	1.98	(+) 24.24
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 8.65	..	(-) 8.65	(-) 0.08	(+) 10712.50
योग- 2070	6.74 2,67,55.69	22,60.76	2,90,23.19	3,10,39.47	(-) 6.50
योग - (घ) प्रशासनिक सेवाएं	38,90.04 79,35,52.01	33,50.34	80,07,92.39	76,62,61.19	(+) 4.51
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं					
2071. पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हित लाभ					
01. सिविल					
101. अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	1,04,32,19.33 (क)	..	1,04,32,19.33	95,65,89.75	(+) 9.06
102. पेंशन का सारांशीकृत मूल्य	21,15,82.81	..	21,15,82.81	23,14,88.25	(-) 8.60
104. उपदान	26,97,21.45	..	26,97,21.45	26,25,31.62	(+) 2.74
105. परिवार पेंशन	28,91,88.52 (ख)	..	28,91,88.52	25,34,18.26	(+) 14.12
106. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार	7,20.69	..	7,20.69	1,55.67	(+) 362.95
108. भविष्य निधि के लिए अंशदान	13.91	..	13.91	12.47	(+) 11.55
110. स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन	6,09,77.21 (ख)	..	6,09,77.21	5,66,25.43	(+) 7.69
111. विधायकों को पेंशन	32,92.56 (ख)	..	32,92.56	31,52.36	(+) 4.45
115. अवकाश नगदीकरण लाभ	14,07,81.94	..	14,07,81.94	11,38,33.38	(+) 23.67

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित की गयी पेंशनरों की संख्या 2,75,492 है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित की गयी पेंशनरों की संख्या कोष्ठक में दी गयी है: शीर्ष 2071-01-105 (1,34,903), 106 (807), 110 (28,582) and 111 (539)।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाएं – (समाप्त)					
(ड) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं – (समाप्त)					
2071. पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति हित लाभ – (समाप्त)					
01. सिविल – (समाप्त)					
117. निश्चित अंशदान की पेंशन योजना में सरकारी अंशदान	21,78,91.15	..	21,78,91.15	19,54,80.50	(+) 11.46
200. अन्य पेंशन	64,81.67	..	64,81.67	26,95.02	(+) 140.51
800. अन्य व्यय	91.10 (क)	..	91.10	1,48.44	(-) 38.63
	7,20.69				
योग-2071	2,24,32,41.65	..	2,24,39,62.34	2,07,61,31.15	(+) 8.08
2075. विविध सामान्य सेवाएं					
104. विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार	1,99.60	..	1,99.60	3,02.04	(-) 33.92
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण	4,37,33.58 (ख)	..	4,37,33.58	5,86,86.43	(-) 25.48
800. अन्य व्यय	1,18.82 (ग)	..	1,18.82	1,63.09	(-) 27.14
	4,40,52.00	..	4,40,52.00	5,91,51.56	(-) 25.53
	7,20.69				
योग-(ड) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	2,28,72,93.65	..	2,28,80,14.34	2,13,52,82.71	(+) 7.15
	2,54,05,01.81				
योग – क. सामान्य सेवाएं	3,47,02,38.35	36,43.61	6,01,43,83.77	5,61,86,29.52	(+) 7.04

(क) पेंशनरी हित लाभों के भुगतान में देरी हेतु ब्याज के भुगतान पर व्यय से संबंधित है।

(ख) गारन्टी फीस मुख्य शीर्ष “8235-117 गारन्टी मोचन निधि” को हस्तान्तरित की गई।

(ग) इसमें जनानी डयोडी (₹ 24.74 लाख), पूर्व शासकों के आश्रितों एवं परिवारों को भत्ता (₹ 67.35 लाख) तथा राजस्थान विधान सभा के जलपान गृह हेतु राजस्थान होटल कार्पोरेशन को अनुदान (₹ 25.32 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
	(₹ लाख में)				
ख. सामाजिक सेवाएं (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति					
2202. सामान्य शिक्षा					
01. प्रारंभिक शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	44,47.81	42,00.00	86,47.81	88,12.39	(-) 1.87
101. राजकीय प्राथमिक विद्यालय	3,17,26.10	..	3,17,26.10	3,03,06.19	(+) 4.69
102. अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	87.77	..	87.77	..	..
103. प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता	70,30.00	..	70,30.00	66,55.00	(+) 5.63
104. निरीक्षण	5,02.87	..	5,02.87	4,96.19	(+) 1.35
105. अनौपचारिक शिक्षा	64.56	..	64.56	63.64	(+) 1.45
109. छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन	25,19.92	..	25,19.92	20,05.64	(+) 25.64
111. सर्व शिक्षा अभियान	..	..	..	63,20,18.69	(-) 100.00
112. विद्यालयों में मिड डे मील का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2,56,52.09	3,64,16.10	6,20,68.19	8,06,95.42	(-) 23.08
113. समग्र शिक्षा	54,54,13.86	16,64,88.24	71,19,02.10	..	..
196. जिला परिषद /जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	36,14.71	..	36,14.71	34,66.79	(+) 4.27
197. ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	34,42,07.21	..	34,42,07.21	36,92,31.92	(-) 6.78
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,72,15.46	1,34,83.33	3,06,98.79	3,70,08.44	(-) 17.05
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,02,34.84	1,02,01.73	4,04,36.57	4,22,72.50	(-) 4.34
800. अन्य व्यय	2,61,84.82	94,27.24	3,56,12.06	(क) 2,69,74.08	(+) 32.02
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1,82.00	..	(-) 1,82.00	(-) 1,61.72	(+) 12.54
योग - 01	1,03,87,20.02	24,02,16.64	1,27,89,36.66	1,23,98,45.17	(+) 3.15

(क) इसमें मदरसा स्कूल (₹ 64,80.00 लाख) तथा मदरसा बोर्ड (₹ 1,81.00 लाख), आर.टी.ई. के अन्तर्गत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति (₹ 2,89,38.91 लाख) एवं विधवा तथा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना (₹ 12.15 लाख) हेतु जारी सहायतार्थ अनुदान पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति -(क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा -(क्रमशः)					
02. माध्यमिक शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	97,48.59	..	97,48.59	1,08,15.74	(-) 9.87
101. निरीक्षण	22.55 43,78.93	..	44,01.48	52,51.98	(-) 16.19
107. छात्रवृत्तियां	1,27,48.18	92,72.59	2,20,20.77	1,41,31.66	(+) 55.83
109. राजकीय माध्यमिक विद्यालय	1,70,13,65.88	..	1,70,13,65.88	1,70,42,03.11	(-) 0.17
110. अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	40,56.78	..	40,56.78	27,82.00	(+) 45.82
113. समग्र शिक्षा	6,90,48.92	3,13,01.81	10,03,50.73	..	..
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	6,43,69.30	..	6,43,69.30	6,16,59.80	(+) 4.39
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	9,92,31.44	..	9,92,31.44	9,41,03.26	(+) 5.45
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 6,59.20	..	(-) 6,59.20	(-) 6,76.81	(-) 2.60
योग - 02	22.55 1,96,42,88.82	4,05,74.40	2,00,48,85.77	1,89,22,70.74	(+) 5.95
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	16,76.65	..	16,76.65	18,18.39	(-) 7.79
102. विश्वविद्यालयों को सहायता	2,96,90.28	..	2,96,90.28	3,11,41.89	(-) 4.66
103. राजकीय कॉलेज तथा संस्थान	37.42 9,01,58.12	3,22.30	9,05,17.84	10,25,50.36	(-) 11.73
104. अराजकीय कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता	..	..	..	25.49	(-) 100.00
107. छात्रवृत्तियां	13,12.66	..	13,12.66	6,19.56	(+) 111.87
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	34,71.92	81.00	35,52.92	22,11.11	(+) 60.68

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा –(क्रमशः)					
03. विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा –(समाप्त)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	73,35.00	57.83	73,92.83	72,55.21	(+) 1.90
800. अन्य व्यय	18.95	..	18.95	22.23	(-) 14.75
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 10.37	..	(-) 10.37	(-) 30.37	(-) 65.85
योग - 03	37.42 13,36,53.21	4,61.13	13,41,51.76	14,56,13.87	(-) 7.87
04. प्रौढ़ शिक्षा					
200. अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	10,50.10	4,00.75	14,50.85	9,08.47	(+) 59.70
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	80.05	1,15.66	1,95.71	8.16	(+) 2298.41
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,01.63	61.88	1,63.51	61.54	(+) 1,65.70
800. अन्य व्यय	6.99	..	6.99	16.61	(-) 57.92
योग - 04	12,38.77	5,78.29	18,17.06	9,94.78	(+) 82.66
05. भाषा विकास					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,70.74	..	1,70.74	1,40.97	(+) 21.12
102. आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन	2,59.07	..	2,59.07	3,73.73	(-) 30.68
103. संस्कृत शिक्षा	10.30 2,57,10.90	..	2,57,21.20	2,43,14.51	(+) 5.79
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	14,41.62	..	14,41.62	14,86.79	(-) 3.04
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	12,43.26	..	12,43.26	10,34.26	(+) 20.21

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(क्रमशः)					
2202. सामान्य शिक्षा –(समाप्त)					
05. भाषा विकास–(समाप्त)					
800. अन्य व्यय	2,35.00 (क)	..	2,35.00	1,93.00	(+) 21.76
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 18.03	..	(-) 18.03	(-) 3.20	(+) 463.44
योग - 05	2,90,42.56 10.30	..	2,90,52.86	2,75,40.06	(+) 5.49
80. सामान्य					
003. प्रशिक्षण	16,11.70	..	16,11.70	56,00.77	(-) 71.22
004. अनुसंधान	66.61	..	66.61	7,38.18	(-) 90.98
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	11,50.86	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	60.44	..	60.44	7,42.99	(-) 91.87
800. अन्य व्यय	1,01.25 (ख)	..	1,01.25	88.45	(+) 14.47
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 2.32	..	(-) 2.32	(-) 1.44	(+) 61.11
योग - 80	18,37.68	..	18,37.68	83,19.81	(-) 77.91
योग- 2202	3,16,87,81.06 70.27	28,18,30.46	3,45,06,81.79	3,31,45,84.43	(+) 4.11
2203. तकनीकी शिक्षा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	14,04.92	..	14,04.92	13,96.64	(+) 0.59
102. तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता	3,80.00	..	3,80.00	3,49.99	(+) 8.57
104. अराजकीय तकनीकी कॉलेजों तथा संस्थानों को सहायता	14,24.92	..	14,24.92	10,30.01	(+) 38.34

(क) राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी को अनुदान (₹ 2,32.00 लाख) सम्मिलित है।

(ख) अराजकीय शिक्षण संस्थान एजेन्सी पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(क्रमशः)					
2203. तकनीकी शिक्षा –(समाप्त)					
105. बहुशिल्प (पॉलीटेक्निक)	1,82.24 1,73,27.68	2.67	1,75,12.59	1,54,28.86	(+) 13.51
107. छात्रवृत्तियां	1,66.87	..	1,66.87	1,98.08	(-) 15.76
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,23.54	0.26	1,23.80	26.83	(+) 361.42
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,19.43	..	3,19.43	1,70.62	(+) 87.22
योग - 2203	1,82.24 2,11,47.36	2.93	2,13,32.53	1,86,01.03	(+) 14.68
2204. खेलकूद तथा युवा सेवाएं					
101. व्यायाम शिक्षा	16,07.56	..	16,07.56	15,38.44	(+) 4.49
102. विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	38,76.00	..	38,76.00	40,87.78	(-) 5.18
104. खेल-कूद	29,35.00	..	29,35.00	18,86.90	(+) 55.55
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,62.74	..	2,62.74	2,32.80	(+) 12.86
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,60.00	..	1,60.00	1,70.27	(-) 6.03
योग - 2204	88,41.30	..	88,41.30	79,16.19	(+) 11.69
2205. कला एवं संस्कृति					
102. कला एवं संस्कृति का संवर्धन	52,89.01	..	52,89.01	71,59.08	(-) 26.12
103. पुरातत्व विज्ञान	21,63.37	..	21,63.37	17,00.87	(+) 27.19
104. अभिलेखागार	6,48.50	33.94	6,82.44	5,95.91	(+) 14.52
105. सार्वजनिक पुस्तकालय	10,97.51	..	10,97.51	11,08.29	(-) 0.97
107. संग्रहालय	7,61.61	..	7,61.61	8,05.41	(-) 5.44

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –(समाप्त)					
2205. कला एवं संस्कृति –(समाप्त)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,70.54	..	170.54	56.76	(+) 200.46
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.60	..	(-) 1.60	..	..
योग – 2205	1,01,28.94	33.94	1,01,62.88	1,14,26.32	(-) 11.06
योग – (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2,52.51 3,20,88,98.66	28,18,67.33	3,49,10,18.50	3,35,25,27.97	(+) 4.13
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य					
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	3.28 49,84.74	..	49,88.02	45,84.14	(+) 8.81
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	1,71,97.84	..	1,71,97.84	1,54,71.55	(+) 11.16
110. अस्पताल तथा औषधालय	19,81,57.68	..	19,81,57.68	18,80,85.70	(+) 5.35
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	87,36.52	..	87,36.52	85,38.23	(+) 2.32
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	1,42,66.11	..	1,42,66.11	1,32,88.10	(+) 7.36

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण –(क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –(क्रमशः)					
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी–(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9,81.33	..	9,81.33	5,82.10	(+) 68.58
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,37,56.40	..	1,37,56.40	1,26,09.91	(+)9.09
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 27.92	..	(-) 27.92	(-) 1.42	(+) 1866.20
	3.28				
योग – 01	25,80,52.70	..	25,80,55.98	24,31,58.31	(+) 6.13
02. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं –अन्य चिकित्सा पद्धतियां					
101. आयुर्वेद	2,02,57.18	..	2,02,57.18	1,99,41.68	(+) 1.58
102. होम्योपैथी	24,87.50	..	24,87.50	23,70.42	(+) 4.94
103. यूनानी	18,46.39	..	18,46.39	19,20.83	(-) 3.88
200. अन्य पद्धतियां	6,67.52	..	6,67.52	6,60.77	(+) 1.02
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	15,30.12	..	15,30.12	15,62.21	(-) 2.05
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	42,09.88	..	42,09.88	41,51.08	(+) 1.42
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 6.73	..	(-) 6.73	..	..
योग – 02	3,09,91.86	..	3,09,91.86	3,06,06.99	(+) 1.26
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी					
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	26,39.35	..	26,39.35	24,31.13	(+) 8.56
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	8,94,44.61	..	8,94,44.61	8,00,06.57	(+) 11.80

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –(क्रमशः)					
03. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी –(समाप्त)					
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	10,47,39.83	..	10,47,39.83	10,07,24.69	(+) 3.99
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	59,40.09	..	59,40.09	45,28.50	(+) 31.17
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4,44.75	..	4,44.75	5,05.88	(-) 12.08
योग – 03	20,32,08.63	..	20,32,08.63	18,81,96.77	(+) 7.98
04. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं –अन्य चिकित्सा पद्धतियां					
101. आयुर्वेद	5,70,09.46	..	5,70,09.46	5,67,02.85	(+) 0.54
102. होम्योपैथी	11,76.59	..	11,76.59	10,84.80	(+) 8.46
103. यूनानी	8,55.91	..	8,55.91	9,20.53	(-) 7.02
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,70.58	3,50.62	6,21.20	28,38.87	(-) 78.12
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	12,61.62	1,88.80	14,50.42	31,73.94	(-) 54.30
800. अन्य व्यय	10,42.44	17,36.98	27,79.42 (क)	35,06.84	(-) 20.74
योग – 04	6,16,16.60	22,76.40	6,38,93.00	6,82,27.83	(-) 6.35
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान					
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,84.07	..	3,84.07	4,08.99	(-) 6.09
105. एलोपैथी	9,80,18.95	21,79.81	10,01,98.76	10,03,28.65	(-) 0.13

(क) व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं --(क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण -- (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य --(क्रमशः)					
05. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान --(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,92,48.96	..	2,92,48.96	2,51,42.65	(+) 16.33
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,09,38.95	..	1,09,38.95	88,57.21	(+) 23.50
800. अन्य व्यय	1,39,28.34 (क)	..	1,39,28.34	1,26,32.54	(+) 10.26
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 11.31	..	(-) 11.31	(-) 0.06	(+) 18750.00
योग - 05	15,25,07.96	21,79.81	15,46,87.77	14,73,69.98	(+) 4.97
06. लोक स्वास्थ्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,21.42	..	5,21.42	4,98.60	(+) 4.58
003. प्रशिक्षण	3,38.23	..	3,38.23	3,54.83	(-) 4.68
101. रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	2,27,08.50	..	2,27,08.50	2,15,77.71	(+) 5.24
102. खाद्य अपमिश्रण का निवारण	85.28	..	85.28	93.24	(-) 8.54
104. औषध नियंत्रण	20,09.28	4,69.29	24,78.57	21,62.37	(+) 14.62
107. लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं	4,56.36	..	4,56.36	4,39.36	(+) 3.87
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2,93,22.97	..	2,93,22.97	1,78,41.55	(+) 64.35
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	1,05,09.11	..	1,05,09.11	96,40.73	(+) 9.01
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,42,57.31	..	2,42,57.31	2,32,81.63	(+) 4.19

(क) निःशुल्क जांच योजना (₹ 98,09.17 लाख) एवं निःशुल्क दवा योजना (₹ 41,19.17 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – (क्रमशः)					
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –(समाप्त)					
06. लोक स्वास्थ्य –(समाप्त)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,86,42.65	..	1,86,42.65	1,80,43.55	(+) 3.32
800. अन्य व्यय	1,90,01.69 (क)	..	1,90,01.69	5,44,33.14	(-) 65.09
योग – 06	12,78,52.80	4,69.29	12,83,22.09	14,83,66.71	(-) 13.51
योग – 2210	3.28 83,42,30.55	49,25.50	83,91,59.33	82,59,26.59	(+) 1.60
2211. परिवार कल्याण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,00.67	8,02.69	10,03.36	9,73.57	(+) 3.06
003. प्रशिक्षण	1,24.54	25,11.26	26,35.80	24,72.21	(+) 6.62
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	27,67.84	31,46.03	59,13.87	42,01.03	(+) 40.77
	5.99				
104. परिवहन	34.15	..	40.14	73.14	(-) 45.12
105. क्षतिपूर्ति	30,66.16	..	30,66.16	42,50.84	(-) 27.87
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	64,89.81	46,98.50	1,11,88.31	93,72.86	(+) 19.37
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को अनुदान	52,60.90	6,52,71.63	7,05,32.53	6,57,68.63	(+) 7.24

(क) इसमें जन स्वास्थ्य बीमा योजना (₹ 1,90,00.00 लाख) से संबंधित व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – (समाप्त)					
2211. परिवार कल्याण –(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,99,18.59	3,23,71.59	5,22,90.18	4,90,59.59	(+) 6.59
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,50,37.71	2,24,95.00	3,75,32.71	3,52,80.62	(+) 6.38
800. अन्य व्यय	5,02,41.82	12,52,11.35	17,54,53.17 (क)	16,87,84.20	(+) 3.95
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.33	..	(-) 1.33	(-) 0.18	(+) 638.89
	5.99				
योग – 2211	10,31,40.86	25,65,08.05	35,96,54.90	34,02,36.51	(+) 5.71
	9.27				
योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	93,73,71.41	26,14,33.55	1,19,88,14.23	1,16,61,63.10	(+) 2.80
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास					
2215.जलपूर्ति तथा सफाई					
01. जलपूर्ति					
003. प्रशिक्षण	1,64.44	..	1,64.44	1,49.87	(+) 9.72
101. शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम	15,03,11.50	..	15,03,11.50	15,08,43.23	(-) 0.35
102. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	16,59,94.69	..	16,59,94.69	15,56,09.37	(+) 6.67
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 8.92	..	(-) 8.92	..	..
योग – 01	31,64,61.71	..	31,64,61.71	30,66,02.47	(+) 3.22

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 17,13,92.17 लाख) तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (₹ 40,61.00 लाख) पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं --(क्रमशः)					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास--(क्रमशः)					
2215. जलपूर्ति तथा सफाई --(समाप्त)					
02. मल-जल तथा सफाई					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,66.01 3,19,77.04	..	3,21,43.05	3,39,36.25	(-) 5.28
005. सर्वेक्षण तथा जांच पड़ताल	1,59.81	92.22	2,52.03	2,47.30	(+) 1.91
107. मल-जल सेवाएं	1,63.83	..	1,63.83	1,63.96	(-) 0.08
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	6,60.00	..	6,60.00	..	..
योग -02	1,66.01 3,29,60.68	92.22	3,32,18.91	3,43,47.51	(-) 3.29
योग - 2215	1,66.01 34,94,22.39	92.22	34,96,80.62	34,09,49.98	(+) 2.56
2216. आवास					
05. सामान्य पूल आवास					
053. रखरखाव एवं मरम्मत	56,34.88	..	56,34.88	56,47.36	(-) 0.22
800. अन्य व्यय	1,50.85 (क)	..	1,50.85	2,54.54	(-) 40.74
योग - 05	57,85.73	..	57,85.73	59,01.90	(-) 1.97
योग - 2216	57,85.73	..	57,85.73	59,01.90	(-) 1.97

(क) सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से उपकरणों पर व्यय ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –(क्रमशः)					
2217. शहरी विकास					
05. अन्य शहरी विकास योजना					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1,07,36.98	1,28.23	1,08,65.21	1,18,55.84	(-) 8.36
800. अन्य व्यय	..	2,15,00.00 (क)	2,15,00.00	30,00.00	616.67
योग – 05	1,07,36.98	2,16,28.23	3,23,65.21	1,48,55.84	(+) 117.86
80. सामान्य					
	3.21				
001. निदेशन तथा प्रशासन	10,83.69	..	10,86.90	12,22.70	(-) 11.11
191. स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता	16,57,36.88	3,51,18.49	20,08,55.37	15,09,41.21	(+) 33.07
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	25,50,36.29	5,78,62.89	31,28,99.18	21,96,05.00	(+) 42.48
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	13.19	..	13.19	21.28	(-) 38.02
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण	7,31,37.23	..	7,31,37.23	5,09,10.00	(+) 43.66
800. अन्य व्यय	1,31,11.89 (ख)	..	1,31,11.89	1,47,84.50	(-) 11.31

(क) स्मार्ट सिटी योजना पर व्यय।

(ख) इसमें नगर तथा देशी आयोजना संगठन (₹ 12,87.53 लाख), राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (₹ 1,08,67.20 लाख), मास्टर प्लान तथा अन्य योजनाएं (₹ 1,18.60 लाख), राजस्थान झील विकास प्राधिकरण (₹ 3,85.60 लाख) एवं राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (₹ 4,52.96 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास – (समाप्त)					
2217. शहरी विकास –(समाप्त)					
80. सामान्य –(समाप्त)					
902. घटाईय-राजस्थान शहरी विकास निधि से राशि की पूर्ति	(-) 3,52,47.29	..	(-) 3,52,47.29	(-) 2,48,60.54	(+) 41.78
योग - 80	3.21 47,28,71.88	9,29,81.38	56,58,56.47	41,26,24.15	(+) 37.14
योग - 2217	3.21 48,36,08.86	11,46,09.61	59,82,21.68	42,74,79.99	(+) 39.94
योग-(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,69.22 83,88,16.98	11,47,01.83	95,36,88.03	77,43,31.87	(+) 23.16
(घ) सूचना तथा प्रसारण					
2220. सूचना तथा प्रचार					
60. अन्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,20,75.71	..	1,20,75.71	75,18.34	(+) 60.62
102. सूचना केन्द्र	14,29.35	..	14,29.35	6,47.78	(+) 120.65
106. क्षेत्र प्रचार	7,17.73	..	7,17.73	7,37.31	(-) 2.66
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,63.50	..	2,63.50	45.00	(+) 485.56

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सूचना तथा प्रसारण –(समाप्त)					
2220. सूचना तथा प्रचार –(समाप्त)					
60. अन्य –(समाप्त)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,39.77	..	2,39.77	66.95	(+) 258.13
योग - 2220	1,47,26.06	..	1,47,26.06	90,15.38	(+) 63.34
योग – (घ) सूचना तथा प्रसारण	1,47,26.06	..	1,47,26.06	90,15.38	(+) 63.34
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण					
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	17,46.45	..	17,46.45	16,40.49	(+) 6.46
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	3.20 2,82,09.53	38,13.65	3,20,26.38	2,51,47.79	(+) 27.35
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,49,10.82	2,51,26.90	4,00,37.72	5,28,55.32	(-) 24.25
793. अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	..	..	..	34,62.57	(-) 100.00
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 3.40	..	(-) 3.40	(-) 2.94	(+) 15.65
योग - 01	3.20 4,48,63.40	2,89,40.55	7,38,07.15	8,31,03.23	(-) 11.19

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–(क्रमशः)					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण –(क्रमशः)					
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	1,22,40.58	8,84.07	1,31,24.65	1,05,27.50	(+) 24.67
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1.60 2,22,05.08	2,36,82.22	4,58,88.90	5,71,51.43	(-) 19.71
योग – 02	1.60 3,44,45.66	2,45,66.29	5,90,13.55	6,76,78.93	(-) 12.80
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2,27.00	..	2,27.00	2,50.00	(-) 9.20
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	1,38,15.04	..	1,38,15.04	1,45,62.71	(-) 5.13
277. शिक्षा	8,06.04	51,73.93	59,79.97	77,16.83	(-) 22.51
800. अन्य व्यय	75.16	..	75.16	85.30	(-) 11.89
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.05	..	(-) 0.05	(-) 0.08	(-) 37.50
योग – 03	1,49,23.19	51,73.93	2,00,97.12	2,26,14.76	(-) 11.13
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	14,78.26	..	14,78.26	12,04.82	(+) 22.70
102. आर्थिक विकास	..	6.70	6.70	1,74.39	(-) 96.16
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2,25.31	..	2,25.31	3,30.00	(-) 31.72

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)					
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – (समाप्त)					
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण – (समाप्त)					
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण– (समाप्त)					
277. शिक्षा	1,93.80	30.76	2,24.56	2,90.00	(-) 22.57
800. अन्य व्यय	2,99.41 (क)	..	2,99.41	1,21.50	(+) 146.43
योग – 04	21,96.78	37.46	22,34.24	21,20.71	(+) 5.35
योग – 2225	4.80 9,64,29.03	5,87,18.23	15,51,52.06	17,55,17.63	(-) 11.60
योग – (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4.80 9,64,29.03	5,87,18.23	15,51,52.06	17,55,17.63	(-) 11.60
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास					
01. श्रम					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,34.06	..	5,34.06	5,36.05	(-) 0.37
101. औद्योगिक सम्बन्ध	24,73.48	..	24,73.48	23,44.68	(+) 5.49

(क) इसमें राजस्थान वक्फ बोर्ड, वक्फ विकास परिषद तथा हज कमेटी से सम्बन्धित अनुदान तथा व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)					
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण – (क्रमशः)					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास – (क्रमशः)					
01. श्रम –(समाप्त)					
102. कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा	11,43.33	..	11,43.33	10,73.60	(+) 6.49
103. सामान्य श्रम कल्याण	4,12,86.21 (क)	..	4,12,86.21	3,82,62.86	(+) 7.90
112. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	10.00	..	10.00	20.00	(-) 50.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2.19	..	2.19	1.92	(+) 14.06
796. जन जातीय क्षेत्र उप-योजना	31.56	..	31.56	28.38	(+) 11.21
योग – 01	4,54,80.83	..	4,54,80.83	4,22,67.49	(+) 7.60
02. रोजगार सेवाएं					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,85.19	..	4,85.19	4,58.77	(+) 5.76
101. रोजगार सेवाएं	14,49.38	17.35	14,66.73	14,89.44	(-) 1.52
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	20,14.40	24,71.60	44,86.00	..	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	67,65.14	..	67,65.14	50,04.61	(+) 35.18
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	54,86.06	..	54,86.06	36,09.12	(+) 52.01
800. अन्य व्यय	3,52,40.27 (ख)	..	3,52,40.27	2,64,20.69	(+)33.38
योग – 02	5,14,40.44	24,88.95	5,39,29.39	3,69,82.63	(+) 45.82
03. प्रशिक्षण					
003. शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	1,30,19.92	..	1,30,19.92	1,26,89.55	(+) 2.60

(क) इसमें राजस्थान भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरित ₹ 3,57,55.86 लाख और विभाग द्वारा निजी निक्षेप खाते में हस्तांतरित किये बिना सीधे ही व्यय किये गये ₹ 55,26.00 लाख सम्मिलित है।

(ख) इसमें मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (₹ 3,52,35.77 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः)					
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण – (समाप्त)					
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास – (समाप्त)					
03. प्रशिक्षण– (समाप्त)					
101. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	2,31.41	..	2,31.41	2,35.91	(-) 1.91
102. प्रशिक्षु प्रशिक्षण	3,81.43	..	3,81.43	3,67.65	(+) 3.75
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,76.70	..	1,76.70	1,14.20	(+) 54.73
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4,62.61	..	4,62.61	4,42.09	(+) 4.64
800. अन्य व्यय	1,35.00 (क)	..	1,35.00	1,45.00	(-) 6.90
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.80	..	(-) 1.80	..	..
योग – 03	1,44,05.27	..	1,44,05.27	1,39,94.40	(+) 2.94
योग – 2230	11,13,26.54	24,88.95	11,38,15.49	9,32,44.52	(+) 22.06
योग – (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण	11,13,26.54	24,88.95	11,38,15.49	9,32,44.52	(+) 22.06
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
02. समाज कल्याण					
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	29,91.73	1.67	29,93.40	26,62.11	(+) 12.44
102. बाल कल्याण	24,70.21	40,09.00	64,79.21	63,63.30	(+) 1.82
103. महिला कल्याण	11,02.55	1,18.22	12,20.77	15,13.43	(-) 19.34

(क) आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय राजस्थान को अनुदान ।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
	(₹ लाख में)				
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः)					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - (क्रमशः)					
02. समाज कल्याण- (समाप्त)					
104. वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण	37,24.75	..	37,24.75	34,31.15	(+) 8.56
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	7,73.15	..	7,73.15	8,44.00	(-) 8.39
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	6,95,64.73	3,11.29	6,98,76.02	5,38,33.25	(+) 29.80
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	20,82.25	..	20,82.25	14,57.64	(+) 42.85
200. अन्य कार्यक्रम	81,01.62	..	81,01.62	58,11.96	(+) 39.40
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,25.04	..	5,25.04	96.73	(+) 442.79
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,60.08	..	2,60.08	64.63	(+) 302.41
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 1.08	..	(-) 1.08	(-) 1.87	(-) 42.25
योग - 02	9,15,95.03	44,40.18	9,60,35.21	7,60,76.33	(+) 26.24
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम					
102. समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन	1,11.95	..	1,11.95	1,05.67	(+) 5.94
104. सम्बद्ध बीमा योजना-सरकारी भविष्य निधि	4.56 36,48.23	..	36,52.79	35,32.64	(+) 3.40
107. स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	10,55.63 (क)	..	10,55.63	12,54.36	(-) 15.84
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	80,46,48.88	4,61,64.53	85,08,13.41 (ख)	72,23,37.78	(+) 17.79
200. अन्य कार्यक्रम	68,46.75 (ग)	..	68,46.75	79,89.98	(-) 14.31

(क) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या कोष्ठक में दिखायी गयी है : स्वतन्त्रता सैनिक- केन्द्र (3) तथा राज्य (242)।

(ख) राज्य सरकार द्वारा सूचित पेंशनरों की संख्या जो कोष्ठक में दी गई है : वृद्धावस्था पेंशनर्स (57,19,718), विधवा एवं अकेली नारी पेंशनर्स (20,19,337) तथा विशेष योग्यजन्य पेंशनर्स (5,89,504)।

(ग) इसमें नाविकों, सैनिकों और वायु सैनिकों के बोर्ड (43,77.23 लाख), दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को राहत (1,91.26 लाख) के लिए व्यय तथा पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को मुआवजे के लिए अनुदान (22,40.81 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः)					
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - (समाप्त)					
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम- (समाप्त)					
800. अन्य व्यय	63,10.10	(क) ..	63,10.10	82,60.76	(-) 23.61
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 50.25	..	(-) 50.25	(-) 9.36	(+) 436.86
योग - 60	82,25,71.29	4.56 4,61,64.53	86,87,40.38	74,34,71.83	(+) 16.85
योग - 2235	91,41,66.32	4.56 5,06,04.71	96,47,75.59	81,95,48.16	(+) 17.72
2236. पोषण					
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण					
101. विशेष पोषण कार्यक्रम	2,65,09.71	1,89,81.02	4,54,90.73	3,32,57.98	(+) 36.78
196. जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	11,78.20	1,55.11	13,33.31	13,02.06	(+) 2.40
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	8,44,75.74	3,41,72.06	11,86,47.80	9,41,08.65	(+) 26.08
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,95,36.84	1,90,16.27	3,85,53.11	3,46,09.72	(+) 11.39
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	81,13.42	68,03.93	1,49,17.35	1,02,30.44	(+) 45.81
योग - 02	13,98,13.91	7,91,28.39	21,89,42.30	17,35,08.85	(+) 26.19

(क) 01.04.2004 को तथा बाद में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये मेडिकलेम (₹ 45,09.66 लाख) तथा नयी अंशदायी पेंशन योजना (₹ 17,97.82 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं – (क्रमशः) (छ) समाज कल्याण तथा पोषण – (क्रमशः)					
2236. पोषण – (समाप्त)					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,71.51	..	4,71.51	4,59.03	(+) 2.72
योग – 80	4,71.51	..	4,71.51	4,59.03	(+) 2.72
योग – 2236	14,02,85.42	7,91,28.39	21,94,13.81	17,39,67.88	(+) 26.12
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत					
01. सूखा					
102. पीने के पानी की पूर्ति	2,34.11	7,02.97	9,37.08	7,42.47	(+) 26.21
104. चारे की पूर्ति	2,80.29	9,20.94	12,01.23	40,59.47	(-) 70.41
800. अन्य व्यय	54,77.78	3,05,89.29	3,60,67.07 (क)	3,38,02.12	(+) 6.70
योग – 01	59,92.18	3,22,13.20	3,82,05.38	3,86,04.06	(-) 1.03
02. बाढ़, चक्रवात आदि					
101. आनुग्रहिक राहत	1.88	5.58	7.46	1,17.50	(-) 93.65
106. खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	30,84.35	86,73.80	1,17,58.15	38,40.68	(+) 206.15

(क) इसमें अग्नि सहायता (₹ 3,14.53 लाख), सर्च रेस्क्यू तथा संचार डिवाइस तथा उपकरणों का क्रय (₹ 1,65,75.87 लाख), कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लीज फसलों के लिये लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि आदान अनुदान (₹ 63,12.50 लाख), लघु एवं सीमान्त कृषकों से भिन्न के लिये कृषि आदान अनुदान (₹ 1,23,39.88 लाख) तथा प्रशिक्षण (₹ 1,55.33 लाख), आपातकालीन संचालन केन्द्रों की स्थापना/सुदृढीकरण (₹ 74.18 लाख) तथा आपदा प्रबंधन योजनाओं की योजना (₹ 2,80.65 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं - (क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण - (क्रमशः)					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत - (क्रमशः)					
02. बाढ़, चक्रवात आदि- (समाप्त)					
107. खराब सरकारी कार्यालय भवन की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	3.20	9.60	12.80	..	..
111. शोकार्त परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	40.00	1,20.00	1,60.00	5,50.77	(-) 70.95
113. घर की मरम्मत / पुनर्निमाण के लिए सहायता	60.82	1,84.20	2,45.02	33,97.53	(-) 92.79
114. कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	89.49	4,71,00.35	4,71,89.84	6,88,04.74	(-) 31.41
117. पशुधन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	5.64	16.98	22.62	(-) 3.19	(-) 809.09
122. खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी निर्माण-कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	1,89.65	5,49.54	7,39.19	1,29.49	(+) 470.85
282. लोक स्वास्थ्य	2,72,12.92	8,54,27.73	11,26,40.65	63,00.67	(+) 1,687.76
योग - 02	3,06,87.95	14,20,87.78	17,27,75.73	8,31,38.19	(+) 107.82
05. राज्य आपदा मोचन निधि					
101. आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को अन्तरण-राज्य आपदा मोचन निधि	4,94,00.00	23,34,25.00 (क)	28,28,25.00	26,00,76.50	(+) 8.75
901. घटाइये - राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 3,66,80.13	(-) 17,43,00.98	(-) 21,09,81.11 (ख)	(-) 12,17,42.25	(+) 73.30
योग - 05	1,27,19.87	5,91,24.02	7,18,43.89	13,83,34.25	(-) 48.07

(क) इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के ₹ 8,53,25.00 लाख तथा भारत सरकार से 2019-20 में प्राप्त ₹ 7,84,60.00 लाख सम्मिलित है।

(ख) इसमें विभिन्न कोषालयों तथा उपकोषालय द्वारा जमा कराये गयी गत वर्ष के ₹ 21,10.19 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण–(समाप्त)					
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –(समाप्त)					
80. सामान्य					
800. अन्य व्यय	7,95.98	..	7,95.98 (क)	8,70.85	(-) 8.60
योग – 80	7,95.98	..	7,95.98	8,70.85	(-) 8.60
योग – 2245	5,01,95.98	23,34,25.00	28,36,20.98	26,09,47.35	(+) 8.69
योग – (छ) समाज कल्याण तथा पोषण	4.56 1,10,46,47.72	36,31,58.10	1,46,78,10.38	1,25,44,63.39	(+) 17.01
(ज) अन्य					
2250.अन्य सामाजिक सेवाएं					
101. धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान	26.00	..	26.00	26.00	..
102. धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन	13.39 17,15.53	..	17,28.92	17,08.37	(+) 1.20
103. पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख-रखाव	25.36	..	25.36	34.36	(-) 26.19

(क) इसमें निदेशन तथा प्रशासन (₹ 7,65.98 लाख) तथा अन्य सहायता (₹ 25.00 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाएं –(समाप्त)					
(ज) अन्य –(समाप्त)					
2250. अन्य सामाजिक सेवाएं –(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	17.81	..	17.81	70.81	(-) 74.85
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	9.88	..	9.88	2,42.98	(-) 95.93
800. अन्य व्यय	8,96.11 (क)	..	8,96.11	11,02.17	(-) 18.70
	13.39				
योग –2250	26,90.69	..	27,04.08	31,84.69	(-) 15.09
2251. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं					
090. सचिवालय	32,30.69	..	32,30.69	28,74.02	(+) 12.41
योग – 2251	32,30.69	..	32,30.69	28,74.02	(+) 12.41
	13.39				
योग –(ज) अन्य	59,21.38	..	59,34.77	60,58.71	(-) 2.05
	4,53.75				
योग – ख. सामाजिक सेवाएं	6,31,81,37.78	1,08,23,67.99	7,40,09,59.52	6,83,13,22.57	(+) 8.34

(क) इसमें तीर्थयात्रा योजना (₹ 6,57.87 लाख) तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए सहायता (₹ 2,38.24 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप					
2401. फसल कृषि-कर्म					
001. निदेशन तथा प्रशासन	12.47 42,61.51	..	42,73.98	40,35.92	(+) 5.90
102. खाद्यान्न फसलें	6,60.64	9,90.95	16,51.59	18,14.83	(-) 8.99
103. बीज	7,18.95	..	7,18.95	6,20.92	(+) 15.79
105. खाद तथा उर्वरक	12,71.93	..	12,71.93	16,08.44	(-) 20.92
107. वनस्पति रक्षण	12,41.61	..	12,41.61	10,96.12	(+) 13.27
109. विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	43,28.33	15,24.77	58,53.10	32,70.18	(+) 78.98
110. फसल बीमा	14,70,08.14	..	14,70,08.14	7,28,32.91	(+) 101.84
111. कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी	..	..	..	4,61.80	(-) 100.00
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें	2,00,39.60	1,00,32.95	3,00,72.55	2,29,37.26	(+) 31.11
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	2,48,31.33	2,32,32.02	4,80,63.35	3,73,26.95	(+) 28.76
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	2,93,95.23	..	2,93,95.23	2,87,67.09	(+) 2.18
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,11,34.87	33,22.17	5,44,57.04	2,59,15.21	(+) 110.14
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4,53,29.27	36,48.71	4,89,77.98	2,06,36.64	(+) 137.34
800. अन्य व्यय	2,19,62.35	1,00,58.41	3,20,20.76	(क) 2,53,91.70	(+) 26.11
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 29.96	..	(-) 29.96	(-) 15.64	(+) 91.56
योग - 2401	12.47 35,21,53.80	5,28,09.98	40,49,76.25	24,67,00.33	(+) 64.16

(क) इसमें सिंचाई जल का समुचित उपयोग (₹ 64,09.40 लाख), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (₹ 1,19,85.94 लाख), राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (₹ 30,45.27 लाख) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹ 1,01,86.45 लाख) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप–(क्रमशः)					
2402. मृदा तथा जल संरक्षण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	7,54.71	..	7,54.71	8,55.80	(-) 11.81
102. मृदा-संरक्षण	2,55.29	..	2,55.29	2,99.90	(-) 14.87
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	51,59.83	..	51,59.83	46,38.24	(+) 11.25
796. जनजाति क्षेत्र उप-योजना	95.73	..	95.73	1,12.86	(-) 15.18
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 0.16	..	(-) 0.16	..	..
योग – 2402	62,65.40	..	62,65.40	59,06.80	(+) 6.07
2403. पशुपालन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	7,03,28.33	2.46 ..	7,03,30.79	6,65,51.68	(+) 5.68
101. पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	1,43,32.03	1,21.56	1,44,53.59	1,46,31.38	(-) 1.22
102. पशु तथा भैंस विकास	2,53,12.10	1,46.06	2,54,58.16	3,01,73.89	(-) 15.63
107. चारा तथा चारागाह विकास	2.82	4.25	7.07	0.69	(+) 924.64
108. पशुधन तथा मुर्गी बीमा	..	..	..	3,91.74	(-) 100.00
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	0.90	1.28	2.18	1,23.95	(-) 98.24
113. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	1,70.66	4,20.10	5,90.76	11,86.84	(-) 50.22
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,49,59.33	70.76	2,50,30.09	1,44,75.23	(+) 72.92
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,21,87.73	31.45	2,22,19.18	1,26,04.44	(+) 76.28
797. आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण	5,99,11.73	..	5,99,11.73	4,90,50.00	(+) 22.14
902. घटाईये-राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 5,74,01.45	..	(-) 5,74,01.45	(-) 4,75,33.46	(+) 20.76

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप –(क्रमशः)					
2403. पशुपालन –(समाप्त)					
911. घटार्थ-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 5.79	..	(-) 5.79	(-) 2.64	(+) 119.32
योग - 2403	15,97,98.39	7,95.46	16,05,96.31	14,16,53.74	(+) 13.37
2404.डेयरी विकास					
195. सहकारी समितियों को सहायता	52,50.00	29.63	52,79.63	1,00,00.00	(-) 47.20
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	48,75.00	..	48,75.00	1,00,00.00	(-) 51.25
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	48,75.00	..	48,75.00	..	..
योग - 2404	1,50,00.00	29.63	1,50,29.63	2,00,00.00	(-) 24.85
2405. मछली पालन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,60.00	..	11,60.00	11,45.07	(+) 1.30
101. अन्तर्देशीय मछली पालन	29.11	1,18.85	1,47.96	1,37.58	(+) 7.54
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	..	..	..	0.80	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	6.93	5.86	12.79	15.16	(-) 15.63
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	26.03	5.24	31.27	42.09	(-) 25.71
800. अन्य व्यय	0.26	..	0.26	0.26	..
योग - 2405	12,22.33	1,29.95	13,52.28	13,40.96	(+) 0.84
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी					
01. वानिकी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,99,73.40	..	5,00,77.25	5,13,68.42	(-) 2.51

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः)					
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी -(क्रमशः)					
01. वानिकी -(समाप्त)					
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	26,50.32	26.05	26,76.37	24,79.37	(+) 7.95
102. सामाजिक तथा फार्म वानिकी	5,55.23	..	5,55.23	8,53.02	(-) 34.91
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	9,15.98	..	9,15.98	11,87.65	(-) 22.87
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	11,30.52	..	11,30.52	9,35.15	(+) 20.89
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	16,99.69	..	16,99.69	15,86.47	(+) 7.14
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 2.47	..	(-) 2.47	(-) 3.74	(-) 33.96
योग - 01	1,03.85 5,69,22.67	26.05	5,70,52.57	5,84,06.34	(-) 2.32
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव					
110. वन्य जीव परिरक्षण	78,00.29	12,86.74	90,87.03	75,90.53	(+) 19.72
111. चिड़ियाघर	97.54	..	97.54	72.43	(+) 34.67
112. सार्वजनिक उद्यान	21,85.36	..	21,85.36	17,07.97	(+) 27.95
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	1.33	(-) 100.00
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 2.53	..	(-) 2.53	(-) 0.95	(+) 166.32
योग - 02	1,00,80.66	12,86.74	1,13,67.40	93,71.31	(+) 21.30
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास					
103. राज्य प्रतिकरात्मक (क्षतिपूर्ति) वनरोपण (एस.सी. ए.)	1,41,79.86	..	1,41,79.86	49,67.74	(+) 185.44
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	21,99.62	..	21,99.62	15,65.41	(+) 40.51
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	22,64.85	..	22,64.85	14,76.46	(+) 53.40

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(क्रमशः)					
2406. वानिकी तथा वन्य प्राणी -(समाप्त)					
04. वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास-(समाप्त)					
902. घटाइये-राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष से पुनर्भुगतान	(-) 1,86,44.33	..	(-) 1,86,44.33	(-) 80,09.61	(+) 132.77
योग - 04	..	..	..	..	..
योग - 2406	1,03.85 6,70,03.33	13,12.79	6,84,19.97	6,77,77.65	(+) 0.95
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा					
01. फसल कृषि-कर्म					
004. अनुसंधान	21,46.17	..	21,46.17	22,27.25	(-) 3.64
277. शिक्षा	2,30,83.95	..	2,30,83.95	2,54,54.24	(-) 9.31
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,94.00	..	3,94.00	3,69.55	(+) 6.62
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	8,18.84	..	8,18.84	7,90.76	(+) 3.55
योग - 01	2,64,42.96	..	2,64,42.96	2,88,41.80	(-) 8.32
03. पशु-पालन					
120. अन्य संस्थाओं को सहायता	1,41.00	..	1,41.00	1,28.40	(+) 9.81
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	37.00	..	37.00	33.33	(+) 11.01
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	28.00	..	28.00	25.20	(+) 11.11
योग - 03	2,06.00	..	2,06.00	1,86.93	(+) 10.20
योग - 2415	2,66,48.96	..	2,66,48.96	2,90,28.73	(-) 8.20

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप –(क्रमशः)					
2425. सहकारिता					
001. निदेशन तथा प्रशासन	56,93.53	..	56,93.53	55,24.86	(+) 3.05
003. प्रशिक्षण	63.39	..	63.39	1,41.24	(-) 55.12
101. सहकारी समितियों की लेखापरीक्षा	23,62.43	..	23,62.43	22,73.61	(+) 3.91
105. सूचना एवं प्रचार	1,50.04	..	1,50.04	1,72.03	(-) 12.78
107. क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता	35,59,09.12	..	35,59,09.12	33,92,58.40	(+) 4.91
108. अन्य सहकारी समितियों को सहायता	17.73	21.42	39.15	2,34.68	(-) 83.32
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,63,26.78	..	8,63,26.78	8,30,10.68	(+) 3.99
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	6,60,86.08	..	6,60,86.08	6,45,90.39	(+) 2.32
800. अन्य व्यय	..	..	..	2,06,92.00	(-) 100.00
योग – 2425	51,66,09.10	21.42	51,66,30.52	51,58,97.89	(+) 0.14
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम					
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण					
001. निदेशन तथा प्रशासन	10,67.83	..	10,67.83	10,00.63	(+) 6.72
101. विपणन सुविधाये	40,00.00	..	40,00.00	..	..
102. श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं	59.43	..	59.43	81.41	(-) 27.00
योग – 01	51,27.26	..	51,27.26	10,82.04	(+) 373.85

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः) (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप -(समाप्त)					
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम -(समाप्त)					
60. अन्य					
800. अन्य व्यय	..	..	..	22,00.00	(-) 100.00
योग - 2435	51,27.26	..	51,27.26	32,82.04	(+) 56.22
योग - (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप	1,14,98,28.57	5,50,99.23	1,20,50,46.58	1,03,15,88.14	(+) 16.81
(ख) ग्राम विकास					
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम					
05. बंजर भूमि विकास					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	5,57,98.94	3,74,03.60	9,32,02.54	4,00,62.20	(+) 132.64
902. घटाइये -जल संरक्षण उपकर निधि से राशि की प्रतिपूर्ति	(-) 2,61,77.31	..	(-) 2,61,77.31	..	..
योग - 05	2,96,21.63	3,74,03.60	6,70,25.23	4,00,62.20	(+) 67.30
06. स्वरोजगार कार्यक्रम					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	1,25,89.51	1,60,86.85	2,86,76.36	2,20,96.34	(+) 29.78
योग - 06	1,25,89.51	1,60,86.85	2,86,76.36	2,20,96.34	(+) 29.78
योग - 2501	4,22,11.14	5,34,90.45	9,57,01.59	6,21,58.54	(+) 53.96
2505. ग्राम रोजगार					
01. राष्ट्रीय कार्यक्रम					
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	22,37,47.04	3,92,89.57	26,30,36.61	22,79,23.72	(+) 15.41
योग -01	22,37,47.04	3,92,89.57	26,30,36.61	22,79,23.72	(+) 15.41

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(ख) ग्राम विकास -(समाप्त)					
2505. ग्राम रोजगार -(समाप्त)					
02. ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम					
101. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम	4,44,07.20	14,98,67.07	19,42,74.27	18,96,28.66	(+) 2.45
योग - 02	4,44,07.20	14,98,67.07	19,42,74.27	18,96,28.66	(+) 2.45
योग - 2505	26,81,54.24	18,91,56.64	45,73,10.88	41,75,52.38	(+) 9.52
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम					
001. निदेशन तथा प्रशासन	7.41 28,13.57	..	28,20.98	27,06.03	(+) 4.25
003. प्रशिक्षण	4,64.13	..	4,64.13	5,17.00	(-) 10.23
104. डी.आर.डी.ए. प्रशासन	5,00.19	..	5,00.19	4,84.20	(+) 3.30
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	4,28,18.49	3,44,85.11	7,73,03.60	13,29,63.35	(-) 41.86
197. ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	11,91,43.69	3,86,20.00	15,77,63.69	12,22,08.14	(+) 29.09
198. ग्राम पंचायतों को सहायता	21,78,96.32	14,70,52.92	36,49,49.24	51,28,45.64	(-) 28.84
800. अन्य व्यय	1,78,38.98 (क)	..	1,78,38.98	90,28.48	(+) 97.59
योग - 2515	7.41 40,14,75.37	22,01,58.03	62,16,40.81	78,07,52.84	(-) 20.38
योग -(ख) ग्राम विकास	7.41 71,18,40.75	46,28,05.12	1,17,46,53.28	1,26,04,63.76	(-) 6.81

(क) पंचायत चुनाव (₹ 1,66,34.37 लाख), राज्य निर्वाचन आयोग (₹ 3,63.50 लाख) तथा जिला नवाचार निधि योजना (₹ 8,25.00 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम					
2575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम					
01. डांग जिले					
101. डांग जिलों का विकास	51.71	..	51.71	63.97	(-) 19.17
योग - 01	51.71	..	51.71	63.97	(-) 19.17
02. पिछड़े क्षेत्र					
105. मगरा क्षेत्र का विकास	22.78	..	22.78	42.49	(-) 46.39
योग - 02	22.78	..	22.78	42.49	(-) 46.39
06. सीमा क्षेत्र विकास					
800. अन्य व्यय	..	2.88	2.88	49.16	(-) 94.14
योग - 06	..	2.88	2.88	49.16	(-) 94.14
योग - 2575	74.49	2.88	77.37	1,55.62	(-) 50.28
योग- (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	74.49	2.88	77.37	1,55.62	(-)50.28

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण					
2700. मुख्य सिंचाई					
01. भाखरा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	33,03.70	..	33,03.70	32,95.06	(+) 0.26
052. मशीनरी तथा उपस्कर	5.13	..	5.13	1.60	(+) 220.63
101. रखरखाव एवं मरम्मत	16,84.96	..	16,84.96	22,25.34	(-) 24.28
799. उचन्त	34.39	..	34.39	24.83	(+) 38.50
800. अन्य व्यय	7,17.27	..	7,17.27 *	7,15.06	(+) 0.31
योग - 01	57,45.45	..	57,45.45	62,61.89	(-) 8.25
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	12,40.18	..	12,40.18	10,95.69	(+) 13.19
101. रखरखाव एवं मरम्मत	11,31.25	..	11,31.25	10,04.03	(+) 12.67
800. अन्य व्यय	49,32.71	..	49,32.71 *	2,59.11	(+) 1803.71
योग - 02	73,04.14	..	73,04.14	23,58.83	(+) 209.65
03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	81,87.22	..	81,87.22	83,22.09	(-) 1.62
101. रखरखाव एवं मरम्मत	12,79.02	..	12,79.02	11,70.80	(+) 9.24
योग - 03	94,66.24	..	94,66.24	94,92.89	(-) 0.28

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण–(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई –(क्रमशः)					
04. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	81,44.60	..	81,44.60	77,72.59	(+) 4.79
052. मशीनरी तथा उपस्कर	0.25	..	0.25	..	..
101. रखरखाव एवं मरम्मत	52,13.05	..	52,13.05	53,00.91	(-) 1.66
799. उचन्त	..	..	..	(-) 5.21	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	4,50,66.73	..	4,50,66.73 *	4,28,07.00	(+) 5.28
योग – 04	5,84,24.63	..	5,84,24.63	5,58,75.29	(+) 4.56
05. इन्दिरा गांधी नहर फीडर (पंजाब हिस्सा)(मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग (नहरें) पंजाब/मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	7,96.18	..	7,96.18	14,31.94	(-) 44.40
101. रखरखाव एवं मरम्मत	9,03.62	..	9,03.62	5,41.25	(+) 66.95
800. अन्य व्यय	14,09.45	..	14,09.45 *	8,22.69	(+) 71.32
योग – 05	31,09.25	..	31,09.25	27,95.88	(+) 11.21
06. गुडगाँव नहर (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,32.94	..	1,32.94	1,61.52	(-) 17.69
योग – 06	1,32.94	..	1,32.94	1,61.52	(-) 17.69

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण -(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई -(क्रमशः)					
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	85.18	..	85.18 *	81.88	(+) 4.03
योग - 07	85.18	..	85.18	81.88	(+) 4.03
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,60.29	..	1,60.29	2,08.88	(-) 23.26
योग - 22	1,60.29	..	1,60.29	2,08.88	(-) 23.26
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	2,09,79.40	..	2,09,79.40 *	2,10,72.17	(-) 0.44
योग - 24	2,09,79.40	..	2,09,79.40	2,10,72.17	(-) 0.44
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	2,94.44	..	2,94.44	1,66.59	(+) 76.75
800. अन्य व्यय	4,60.86	..	4,60.86 *	4,60.86	..
योग - 25	7,55.30	..	7,55.30	6,27.45	(+) 20.38

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई –(क्रमशः)					
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,37.51	..	1,37.51	36.75	(+) 274.18
800. अन्य व्यय	19,46.56	..	19,46.56 *	19,39.29	(+) 0.37
योग – 26	20,84.07	..	20,84.07	19,76.04	(+) 5.47
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)					
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.96 86,90.69	..	86,91.65 (क)	84,29.89	(+) 3.11
योग – 27	0.96 86,90.69	..	86,91.65	84,29.89	(+) 3.11
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,34.38 10,26.02	..	11,60.40	11,28.07	(+) 2.87
800. अन्य व्यय	38,40.21	..	38,40.21 *	38,13.47	(+) 0.70
योग – 28	1,34.38 48,66.23	..	50,00.61	49,41.54	(+) 1.20

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज का कल्पित समायोजन से संबंधित ₹ 74,84.99 लाख सम्मिलित है।

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई –(क्रमशः)					
31. गंग नहर (वाणिज्यिक)					
(मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से)					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,36.36	..	5,36.36	4,73.24	(+) 13.34
101. रखरखाव एवं मरम्मत	9,36.05	..	9,36.05	9,26.79	(+) 1.00
800. अन्य व्यय	50,09.98	..	50,09.98 *	50,16.89	(-) 0.14
योग – 31	64,82.39	..	64,82.39	64,16.92	(+) 1.02
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	2,38,59.32	..	2,38,59.32 *	1,82,74.11	(+) 30.56
योग – 32	2,38,59.32	..	2,38,59.32	1,82,74.11	(+) 30.56
33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	0.04	..	0.04 *	0.04	..
योग – 33	0.04	..	0.04	0.04	..
34. परियोजना का पुनर्जीविकरण, उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	4,35.72	..	4,35.72 *	3,96.90	(+) 9.78
योग – 34	4,35.72	..	4,35.72	3,96.90	(+) 9.78

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2700. मुख्य सिंचाई –(समाप्त)					
35. धौलपुर लिफ्ट					
800. अन्य व्यय	22,00.45	..	22,00.45 *	13,81.47	(+) 59.28
योग – 35	22,00.45	..	22,00.45	13,81.47	(+) 59.28
36. जयसमन्द ई आर एम					
800. अन्य व्यय	4,33.65	..	4,33.65 *	1,64.35	(+) 163.86
योग – 36	4,33.65	..	4,33.65	1,64.35	(+) 163.86
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना					
800. अन्य व्यय	12,10.69	..	12,10.69 *	2,95.52	(+) 309.68
योग – 39	12,10.69	..	12,10.69	2,95.52	(+) 309.68
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,88.00	..	2,88.00	3,10.00	(-) 7.10
800. अन्य व्यय	46,55.62	..	46,55.62 (क)	30,61.63	(+) 52.06
योग – 80	49,43.62	..	49,43.62	33,71.63	(+) 46.62
योग –2700	1,35.34 16,13,69.69	..	16,15,05.03	14,45,85.09	(+) 11.70

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

(क) इसमें पूंजी लेखे पर ब्याज का कल्पित समायोजन से संबंधित ₹ 46,49.70 लाख सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई					
01. जवाई नहर (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	85.83	..	85.83	97.09	(-) 11.60
योग – 01	85.83	..	85.83	97.09	(-) 11.60
02. मेजा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,61.70	..	1,61.70	1,52.88	(+) 5.77
योग – 02	1,61.70	..	1,61.70	1,52.88	(+) 5.77
03. पारबती परियोजना (धौलपुर) (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	4,21.86	..	4,21.86	4,21.74	(+) 0.03
800. अन्य व्यय	5,52.69	..	5,52.69 *	5,35.80	(+) 3.15
योग – 03	9,74.55	..	9,74.55	9,57.54	(+) 1.78
04. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	52.14	..	52.14	56.26	(-) 7.32
योग – 04	52.14	..	52.14	56.26	(-) 7.32

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः)					
05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	56.07	..	56.07	54.33	(+) 3.20
योग – 05	56.07	..	56.07	54.33	(+) 3.20
06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,10.59	..	1,10.59	1,28.21	(-) 13.74
योग – 06	1,10.59	..	1,10.59	1,28.21	(-) 13.74
07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	16.32	..	16.32	15.44	(+) 5.70
योग – 07	16.32	..	16.32	15.44	(+) 5.70
08. वल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	26.23	..	26.23	25.35	(+) 3.47
योग – 08	26.23	..	26.23	25.35	(+) 3.47
09. बड़गाँव पाल परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	20.15	..	20.15	26.99	(-) 25.34
योग – 09	20.15	..	20.15	26.99	(-) 25.34

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः)					
10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	35.69	..	35.69	43.44	(-) 17.84
योग – 10	35.69	..	35.69	43.44	(-) 17.84
23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव और मरम्मत	3,88.88	..	3,88.88	3,73.26	(+) 4.18
योग – 23	3,88.88	..	3,88.88	3,73.26	(+) 4.18
24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,76.79	..	1,76.79	1,93.55	(-) 8.66
योग – 24	1,76.79	..	1,76.79	1,93.55	(-) 8.66
27. वागन डाइवर्सन परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	39.23	..	39.23	37.78	(+) 3.84
योग – 27	39.23	..	39.23	37.78	(+) 3.84

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई – (क्रमशः)					
30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	42.01	..	42.01	49.93	(-) 15.86
योग – 30	42.01	..	42.01	49.93	(-) 15.86
31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	35.69	..	35.69	44.96	(-) 20.62
योग – 31	35.69	..	35.69	44.96	(-) 20.62
33. बस्सी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	89.45	..	89.45	90.79	(-) 1.48
योग – 33	89.45	..	89.45	90.79	(-) 1.48
35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	62.73	..	62.73	59.66	(+) 5.15
योग – 35	62.73	..	62.73	59.66	(+) 5.15

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः)					
38. सावनभादों परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	73.78	..	73.78	90.46	(-) 18.44
योग – 38	73.78	..	73.78	90.46	(-) 18.44
40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	90.49	..	90.49	1,12.80	(-) 19.78
योग – 40	90.49	..	90.49	1,12.80	(-) 19.78
41. बांदिसेंदरा परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	51.72	..	51.72	55.88	(-) 7.44
योग – 41	51.72	..	51.72	55.88	(-) 7.44
43. चंवली परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	38.56	..	38.56	48.39	(-) 20.31
योग – 43	38.56	..	38.56	48.39	(-) 20.31

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः)					
44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	3,12.04	..	3,12.04	3,61.74	(-) 13.74
योग – 44	3,12.04	..	3,12.04	3,61.74	(-) 13.74
45. जयसमंद परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	0.56	..	0.56	0.50	(+) 12.00
योग – 45	0.56	..	0.56	0.50	(+) 12.00
48. उदय सागर परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	1,03.69	..	1,03.69	1,09.57	(-) 5.37
योग – 48	1,03.69	..	1,03.69	1,09.57	(-) 5.37
60. बेथलि परियोजना (वाणिज्यिक)					
101. रखरखाव एवं मरम्मत	72.94	..	72.94	1,06.01	(-) 31.20
योग– 60	72.94	..	72.94	1,06.01	(-) 31.20

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः)					
62. परियोजनाओं का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	22,14.82	..	22,14.82 *	20,56.21	(+) 7.71
योग- 62	22,14.82	..	22,14.82	20,56.21	(+) 7.71
63. गरदडा परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	17,63.95	..	17,63.95 *	14,86.83	(+) 18.64
योग- 63	17,63.95	..	17,63.95	14,86.83	(+) 18.64
64. परवन लिफ्ट (अवाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	3,10.41	..	3,10.41	2,80.32	(+) 10.73
योग- 64	3,10.41	..	3,10.41	2,80.32	(+) 10.73
65. हरिश्चन्द्र सागर (अवाणिज्यिक)					
101. स्खरखाव एवं मरम्मत	20.31	..	20.31	24.53	(-) 17.20
योग- 65	20.31	..	20.31	24.53	(-) 17.20

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः)					
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	12,47.28	..	12,47.28 *	11,00.12	(+) 13.38
योग- 66	12,47.28	..	12,47.28	11,00.12	(+) 13.38
67. लहासी परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	12,35.51	..	12,35.51 *	11,90.31	(+) 3.80
योग - 67	12,35.51	..	12,35.51	11,90.31	(+) 3.80
68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	..	..	..	4.83	(-) 100.00
योग - 68	..	..	..	4.83	(-) 100.00
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	21,95.02	..	21,95.02 *	20,33.11	(+) 7.96
योग - 69	21,95.02	..	21,95.02	20,33.11	(+) 7.96
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	14,57.19	..	14,57.19 *	12,49.82	(+) 16.59
योग- 72	14,57.19	..	14,57.19	12,49.82	(+) 16.59

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(क्रमशः)					
73. हाथियां देय परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	4,65.13	..	4,65.13 *	8.13	(+) 5621.16
योग- 73	4,65.13	..	4,65.13	8.13	(+) 5621.16
74. अंधेरी परियोजना (वाणिज्यिक)					
800. अन्य व्यय	5.75	..	5.75 *	..	..
योग- 74	5.75	..	5.75	..	..
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,22.80 5,88.92	..	8,11.72	8,54.47	(-) 5.00
002. आंकड़ा संग्रहण	..	1,80.63	1,80.63	47.61	(+) 279.40
003. प्रशिक्षण	4,47.00	..	4,47.00	2,13.50	(+) 109.37
004. अनुसंधान	1,61.84	..	1,61.84	1,85.25	(-) 12.64
005. सर्वेक्षण	20,19.25	..	20,19.25	19,04.21	(+) 6.04
006. परामर्शदात्री	11,08.95	..	11,08.95	10,90.83	(+) 1.66
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	3,08.24	..	3,08.24	4,02.60	(-) 23.44
197. ब्लाक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	11.72	..	11.72	17.29	(-) 32.22

* यह पूंजी लेखे पर ब्याज के कल्पित समायोजन का द्योतक है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(क्रमशः)					
2701. मध्यम सिंचाई –(समाप्त)					
80. सामान्य–(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,17.95	..	2,17.95	2,81.29	(-) 22.52
	0.80				
800. अन्य व्यय	16,05.74 (क)	..	16,06.54	14,89.02	(+) 7.89
911. घटाइये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 5.50	..	(-) 5.50	(-) 4.16	(+) 32.21
	2,23.60				
योग- 80	64,64.11	1,80.63	68,68.34	64,81.91	(+) 5.96
	2,23.60				
योग- 2701	2,04,97.31	1,80.63	2,09,01.54	1,92,08.93	(+) 8.81
2702. लघु सिंचाई					
01. सतही जल					
197. ब्लाक पंचायतों /मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	6,31.25	..	6,31.25	8,90.20	(-) 29.09
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	4.63	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	19.95	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	78,52.73	29.57	78,82.30 (ख)	55,36.92	(+) 42.36
योग- 01	84,83.98	29.57	85,13.55	64,51.70	(+) 31.96

(क) उपनिवेशन योजनाओं पर व्यय।

(ख) इसमें अन्य सिंचाई निर्माण कार्य (₹ 45,75.40 लाख), लिफ्ट सिंचाई योजना (₹ 3,84.52 लाख), राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम (₹ 3,72.90 लाख) तथा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (₹ 25,12.29 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –(समाप्त)					
2702. लघु सिंचाई –(समाप्त)					
02. भू-जल					
005. अन्वेषण	17,20.79	..	17,20.79	16,99.51	(+) 1.25
योग- 02	17,20.79	..	17,20.79	16,99.51	(+) 1.25
03. रखरखाव					
103. ट्यूब वैल्स	50,59.51	..	50,59.51	55,60.08	(-) 9.00
योग - 03	50,59.51	..	50,59.51	55,60.08	(-) 9.00
योग - 2702	1,52,64.28	29.57	1,52,93.85	1,37,11.29	(+) 11.54
2705. कमान क्षेत्र विकास					
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	3,01.32	..	3,01.32	3,01.17	(+) 0.05
102. चम्बल क्षेत्र का विकास	10,98.98	..	10,98.98	10,80.38	(+) 1.72
107. गंग नहर परियोजना	4,04.73	..	4,04.73	4,72.58	(-) 14.36
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,78.57	..	1,78.57	1,75.98	(+) 1.47
योग - 2705	19,83.60	..	19,83.60	20,30.11	(-) 2.29
योग –(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	3,58.94 19,91,14.88	2,10.20	19,96,84.02	17,95,35.42	(+) 11.22

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ङ) ऊर्जा					
2801. बिजली					
80. सामान्य					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	88,15,72.61	..	88,15,72.61	1,53,11,54.68	(-) 42.42
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	34,58,56.65	..	34,58,56.65	42,36,76.07	(-) 18.37
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	19,89,96.08	..	19,89,96.08	31,86,12.68	(-) 37.54
योग - 2801	1,42,64,25.34	..	1,42,64,25.34	2,27,34,43.43	(-) 37.26
2802. पेट्रोलियम					
01. कच्चे तेल तथा गैस की खोज तथा उत्पादन					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,09.32	..	1,09.32	11,03.56	(-) 90.09
योग - 01	1,09.32	..	1,09.32	11,03.56	(-) 90.09
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन					
101. तेल का परिष्करण	1.74	..	1.74	57.27	(-) 96.96
योग - 02	1.74	..	1.74	57.27	(-) 96.96
योग - 2802	1,11.06	..	1,11.06	11,60.83	(-) 90.43

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं -(क्रमशः)					
(ङ) ऊर्जा -(समाप्त)					
2810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,33.75	..	1,33.75	1,84.04	(-) 27.33
102. ग्रामीण आवेदकों के लिए अक्षय ऊर्जा	..	..	..	1,05.91	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	52.04	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	25.00	(-) 100.00
योग-2810	1,33.75	..	1,33.75	3,66.99	(-) 63.55
योग -(ङ) ऊर्जा	1,42,66,70.15	..	1,42,66,70.15	2,27,49,71.25	(-) 37.29
(च) उद्योग तथा खनिज					
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग					
001. निदेशन तथा प्रशासन	43.89	..	43.89	48.56	(-) 9.62
102. लघु उद्योग	5,62.91	..	5,62.91	2,89.63	(+) 94.35
103. हथकरघा उद्योग	49.26	..	49.26	35.17	(+) 40.06
104. हस्तशिल्प उद्योग	39.81	..	39.81	46.93	(-) 15.17
105. खादी तथा ग्रामोद्योग	46,38.50	..	46,38.50	49,34.84	(-) 6.01
111. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार योजना	2,36.83	..	2,36.83	2,92.46	(-) 19.02
200. अन्य ग्रामोद्योग	1.44	..	1.44	2.27	(-) 36.56

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(च) उद्योग तथा खनिज –(क्रमशः)					
2851. ग्राम तथा लघु उद्योग –(समाप्त)					
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	1,61.51	..	1,61.51	3,53.89	(-) 54.36
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,12.39	..	1,12.39	1,57.74	(-) 28.75
योग - 2851	58,46.54	..	58,46.54	61,61.49	(-) 5.11
2852. उद्योग					
08. उपभोक्ता उद्योग					
600. अन्य	17.28	..	17.28	9.49	(+) 82.09
योग - 08	17.28	..	17.28	9.49	(+) 82.09
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	48,39.79	..	48,39.79	1,83,85.32	(-) 73.68
003. औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	0.10	..	0.10	1.60	(-) 93.75
102. औद्योगिक उत्पादकता	25,11.71	..	25,11.71	22,02.25	(+) 14.05
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	..	..	..	1,00.00	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,76.94	..	2,76.94	1,08.37	(+) 155.55
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,61.95	..	1,61.95	76.92	(+) 110.54
योग - 80	77,90.49	..	77,90.49	2,08,74.46	(-) 62.68
योग - 2852	78,07.77	..	78,07.77	2,08,83.95	(-) 62.61

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(च) उद्योग तथा खनिज –(समाप्त)					
2853. अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग					
02. खानों का विनियमन तथा विकास					
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,25,54.25	..	1,25,54.25	1,23,53.36	(+) 1.63
101. सर्वेक्षण तथा मानचित्रण	..	..	..	1,57.49	(-) 100.00
102. खनिज खोज (समन्वेषण)	..	..	..	1,02.38	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,50.20	..	3,50.20	2,80.51	(+) 24.84
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,94.00	..	2,94.00	2,66.33	(+) 10.39
800. अन्य व्यय	25.72	..	25.72	..	..
902. घटाइये-खनन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 25.72	..	(-) 25.72	..	..
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 5.81	..	(-) 5.81	(-) 1.56	(+) 272.44
योग - 2853	1,31,92.64	..	1,31,92.64	1,31,58.51	(+) 0.26
योग –(च) उद्योग तथा खनिज	2,68,46.95	..	2,68,46.95	4,02,03.95	(-) 33.22
(छ) परिवहन					
3054. सड़क तथा सेतु					
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें					
337. सड़क निर्माण-कार्य	..	96,43.88	96,43.88	1,49,81.60	(-) 35.63
योग -02	..	96,43.88	96,43.88	1,49,81.60	(-) 35.63

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः) (छ) परिवहन–(क्रमशः)					
3054. सड़क तथा सेतु –(समाप्त) 03. राजकीय राजमार्ग	1,00.30				
337. सड़क निर्माण-कार्य	14,95.86	..	15,96.16	(-) 54.80	..
योग – 03	1,00.30 14,95.86	..	15,96.16	(-) 54.80	..
04. जिला तथा अन्य सड़कें					
800. अन्य व्यय	3,30,84.17	3,93.48	3,34,77.65 (क)	3,61,71.46	(-) 7.45
योग – 04	3,30,84.17	3,93.48	3,34,77.65	3,61,71.46	(-) 7.45
80. सामान्य					
107. रेल सुरक्षा निर्माण कार्य	2,99.99	..	2,99.99	3,00.00	..
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को अन्तरण	10,11,46.00	..	10,11,46.00 (ख)	15,85,16.70	(-) 36.19
800. अन्य व्यय	2,36.74 (ग)	..	2,36.74	3,40.39	(-) 30.45
योग – 80	10,16,82.73	..	10,16,82.73	15,91,57.09	(-) 36.11
योग – 3054	1,00.30 13,62,62.76	1,00,37.36	14,64,00.42	21,02,55.35	(-) 30.37

(क) जिला सड़कों (₹ 66,53.63 लाख), ग्रामीण सड़कों (₹ 2,57,96.24 लाख) तथा महानगरीय सड़कों (₹ 10,27.78 लाख) के संधारण और पुनर्निर्माण पर व्यय।

(ख) लोक लेखे के अंतर्गत "राज्य सड़क विकास निधि" को अंतरण।

(ग) इसमें "रोड़ कट की मरम्मत" पर (₹ 1,83.71 लाख) व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(छ) परिवहन –(समाप्त)					
3055. सड़क परिवहन					
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	2,88,59.91	..	2,88,59.91	3,79,99.94	(-) 24.05
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	65,24.84	..	65,24.84	19,93.93	(+) 227.24
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	49,28.53	..	49,28.53	15,07.47	(+) 226.94
797. आरक्षित निधि/जमा लेखा को/से अन्तरण	1,04,65.55	..	1,04,65.55	1,00,44.51	(+) 4.19
800. अन्य व्यय	2,73,09.88 (क)	..	2,73,09.88	86,88.18	(+) 214.33
902. घटाइये-सड़क सुरक्षा निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 3,87,63.25	..	(-) 3,87,63.25	(-) 1,21,89.58	(+) 218.00
योग - 3055	3,93,25.46	..	3,93,25.46	4,80,44.45	(-) 18.15
3075. अन्य परिवहन सेवाएँ					
60. अन्य					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,50.00	..	1,50.00	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,50.00	..	1,50.00	..	..
800. अन्य व्यय	2,00.00 (ख)	..	2,00.00	..	..
योग - 60	5,00.00	..	5,00.00	..	..
योग - 3075	5,00.00	..	5,00.00	..	..
योग –(छ) परिवहन	1,00.30 17,60,88.22	1,00,37.36	18,62,25.88	25,82,99.80	(-) 27.90

(क) "राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि" (₹ 2,51,35.63 लाख) तथा "समर्पित सड़क सुरक्षा निधि" (₹ 21,74.25 लाख) से सम्बन्धित व्यय।

(ख) क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण					
3425. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान					
01. भारतीय सर्वेक्षण					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3.00	..	3.00	12.80	(-) 76.56
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4.00	..	4.00	8.87	(-) 54.90
800. अन्य व्यय	11,11.69	1,81.87	12,93.56 (क)	11,64.80	(+) 11.05
योग - 3425	11,18.69	1,81.87	13,00.56	11,86.47	(+) 9.62
3435. परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण					
03. पर्यावरणीय अनुसंधान तथा पारिस्थितिक पुनरुद्भवन					
102. पर्यावरणीय योजना तथा समन्वय	3,11.39	..	3,11.39	3,56.32	(-) 12.61
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	6.94	..	6.94	2.95	(+) 135.25
योग - 3435	3,18.33	..	3,18.33	3,59.27	(-) 11.40
योग –(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	14,37.02	1,81.87	16,18.89	15,45.74	(+) 4.73
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं					
3451. सचिवालय – आर्थिक सेवाएं					
090. सचिवालय	38,23.88	..	38,23.88	36,72.19	(+) 4.13
911. घटाईये-अधिक भुगतान की वसूलियां	(-) 2.28	..	(-) 2.28	(-) 0.51	(+) 347.06
योग - 3451	38,21.60	..	38,21.60	36,71.68	(+) 4.08

(क) इसमें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (₹ 9,71.42 लाख), विज्ञान, संचार तथा लोकप्रियकरण (₹ 2,38.84 लाख) पर व्यय सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
3452. पर्यटन					
80. सामान्य					
001. निदेशन तथा प्रशासन	14,72.37	..	14,72.37	14,73.80	(-) 0.10
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,51.82	..	1,51.82	1,78.77	(-) 15.08
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	76.94	..	76.94	6,78.58	(-) 88.66
800. अन्य व्यय	9,59.57 (क)	..	9,59.57	26,46.01	(-) 63.74
योग - 3452	26,60.70	..	26,60.70	49,77.16	(-) 46.54
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
01. जनगणना					
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	4,95.60	4,95.60	..	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	3,30.40	3,30.40	..	..
800. अन्य व्यय	..	15,91.70 (ख)	15,91.70	..	..
योग - 01	..	24,17.70	24,17.70	..	..
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी					
001. निदेशन तथा प्रशासन	5,80.58	..	5,80.58	5,92.14	(-) 1.95
201. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	..	14.60	14.60	10.77	(+) 35.56

(क) इसमें पर्यटक सूचना तथा प्रचार पर व्यय (₹ 8,27.62 लाख) सम्मिलित है।

(ख) जनगणना 2021 से सम्बन्धित व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं –(क्रमशः)					
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी –(समाप्त)					
02. सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–(समाप्त)					
203. कम्प्यूटर सेवाएं	2,78,29.23	1.46	2,78,30.69	4,00,64.22	(-) 30.53
205. राज्य सांख्यिकी अभिकरण	66,64.20	..	66,64.20	75,46.22	(-) 11.69
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	93,13.66	..	93,13.66	1,15,90.19	(-) 19.64
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	68,29.09	..	68,29.09	92,79.87	(-) 26.41
800. अन्य व्यय	2,55.11 (क)	..	2,55.11	2,56.95	(-) 0.72
योग – 02	5,14,71.87	16.06	5,14,87.93	6,93,40.36	(-) 25.75
योग – 3454	5,14,71.87	24,33.76	5,39,05.63	6,93,40.36	(-) 22.26
3456. सिविल पूर्ति					
001. निदेशन तथा प्रशासन	66,56.35 8.38	7.66	66,72.39	59,12.67	(+) 12.85
102. सिविल पूर्ति योजना	3,06,04.62	2,12,30.75	5,18,35.37	2,66,52.71	(+) 94.48
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,12,61.93	1,91,08.86	4,03,70.79	1,91,84.21	(+) 110.44
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,49,75.03	1,38,79.83	2,88,54.86	1,40,60.65	(+) 105.22
योग – 3456	7,34,97.93 8.38	5,42,27.10	12,77,33.41	6,58,10.24	(+) 94.09

(क) पुनर्मूल्यांकन संगठन (₹ 2.00 लाख) तथा योजना (जन शक्ति) विभाग (₹ 2,53.11 लाख) पर व्यय।

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाएं –(समाप्त)					
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं –(समाप्त)					
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं					
106. भार और माप का विनियमन	2,91.85	..	2,91.85	2,69.83	(+) 8.16
108. शहरी उन्मुख रोजगार कार्यक्रम	66.93	1,01.22	1,68.15	1,33.91	(+) 25.57
191. नगर निगम को सहायता	7,66.66	11,49.98	19,16.64	23,49.21	(-) 18.41
192. नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता	17,06.43	25,59.62	42,66.05	52,28.91	(-) 18.41
201. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)	3.35	..	3.35	6.47	(-) 48.22
योग – 3475	28,35.22	38,10.82	66,46.04	79,88.33	(-) 16.80
योग-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं	8.38 13,42,87.32	6,04,71.68	19,47,67.38	15,17,87.77	(+) 28.32
योग – ग. आर्थिक सेवाएं	5,93.81 3,82,61,88.35	58,88,08.34	4,41,55,90.50	5,19,85,51.45	(-) 15.06

विवरण संख्या 15- (क्रमशः)

व्यय की प्रकृति	वर्ष 2020-21 के लिए वास्तविक			2019-20 के लिए वास्तविक	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के.यो.सहित)	योग		
(₹ लाख में)					
घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान					
3604. स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन					
101. भू – राजस्व	6.95	..	6.95	6.88	(+) 1.02
योग – 3604	6.95	..	6.95	6.88	(+) 1.02
योग-घ. सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	6.95	..	6.95	6.88	(+) 1.02
योग – व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	2,54,15,49.37 13,61,45,71.43	1,67,48,19.94	17,83,09,40.74	(क) 17,64,85,10.42	(+) 1.03

(क) इसमें सम्मिलित है :

- "01-संवैतन" मद के भुगतान पर किया गया ₹ 5,10,70,13.37 लाख का व्यय (कुल राजस्व व्यय का 28.64%)। नियंत्रक अधिकारी द्वारा मुख्य शीर्षवार किये गये संवेतन के भुगतान का विवरण इसी खण्ड के परिशिष्ट I में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विस्तृत शीर्ष "02- मजदूरी" द्वारा ₹ 5,48,93.07 लाख की मजदूरी भी वितरित की।
- ₹ 3,97,44,67.91 लाख का सहायतार्थ अनुदान [सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) ₹ 3,40,41,56.73 लाख, सहायतार्थ अनुदान (संवेतन) ₹ 46,83,66.45 लाख, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान ₹ 9,89,72.05 लाख तथा ₹ 29,72.68 लाख की अन्य निधियां पंचायती राज संस्थाओं को अन्य मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु शीर्ष 191, 192 तथा 196 के द्वारा जारी की गयीं] स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी निकायों तथा अन्य संस्थाओं को जारी किया गया। सहायतार्थ अनुदान का ब्यौरा विवरण संख्या 10 तथा परिशिष्ट III में दिया गया है।
- सहाय्य पर ₹ 1,48,28,49.25 लाख का व्यय विस्तृत शीर्ष "91 सहाय्य" के माध्यम से हुआ। राज्य सरकार द्वारा दी गयी सहाय्य का नियंत्रण अधिकारी वार उपशीर्ष/समूह शीर्ष स्तर तक का ब्यौरा इस खण्ड के परिशिष्ट II में दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. राजस्व लेखा पर व्यय:- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 17,83,09,40.74 लाख) गत वर्ष (₹17,64,85,10.42 लाख) की तुलना में ₹ 18,24,30.32 लाख से बढ़ा। वृद्धि/कमी मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :-

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
वृद्धि		
2217. शहरी विकास	17,07,41.69	स्थानीय निकाय निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों और नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को अधिक सहायता देने के कारण।
2071. पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	16,78,31.19	सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्तों, परिवार पेंशन, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को पेंशन, अवकाश नकदीकरण लाभ और निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान पर अधिक व्यय के कारण।
2401. फसल कृषि कर्म	15,82,75.92	फसल बीमा पर अधिक व्यय के कारण।
2049. ब्याज अदायगियां	15,58,54.31	बाजार कर्जों तथा राज्य आपदा मोचन निधि की अनिवेशित राशि पर ब्याज के भुगतान के कारण।
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	14,52,27.43	गत वर्ष की तुलना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2202. सामान्य शिक्षा	13,60,97.36	समग्र शिक्षा पर व्यय के कारण।
2040. बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,34,21.46	राजस्थान निवेश संवर्धन नीति पर अधिक व्यय के कारण।
3456. सिविल पूर्ति	6,19,23.17	गत वर्ष की तुलना में अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र उप-योजना हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना पर अधिक व्यय के कारण।
2236. पोषण	4,54,45.93	विशेष पोषण कार्यक्रम पर अधिक व्यय तथा ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को अधिक सहायता के कारण।
2505. ग्राम रोजगार	3,97,58.50	जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को अधिक सहायता तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर अधिक व्यय के कारण।
2501. ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	3,35,43.05	गत वर्ष की तुलना में जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को अधिक सहायता के कारण।
2245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	2,26,73.63	क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण और लोक स्वास्थ्य पर अधिक व्यय के कारण।
2055. पुलिस	2,18,00.90	गत वर्ष की तुलना में विशेष पुलिस तथा जिला पुलिस पर अधिक व्यय के कारण।
2230. श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	2,05,70.97	मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना पर व्यय के कारण।

विवरण संख्या 15 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (क्रमशः)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :- (क्रमशः)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
वृद्धि - (समाप्त)		
	(₹ लाख में)	
2211. परिवार कल्याण	1,94,18.39	गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर अधिक व्यय के कारण।
2403. पशु-पालन	1,89,42.57	राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि में अधिक अंतरण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र उप-योजना के लिए विशिष्ट संघटक योजना के तहत अधिक व्यय के कारण।
2700. मुख्य सिंचाई	1,69,19.94	गत वर्ष की तुलना में विभिन्न मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत अधिक व्यय के कारण।
2210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,32,32.74	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अधिक व्यय के कारण।
2215. जलपूर्ति तथा सफाई	87,30.64	ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रमों पर अधिक व्यय के कारण।
2014. न्याय प्रशासन	71,93.72	सिविल और सत्र न्यायालयों और कानूनी सलाहकारों और काउंसलर्स पर अधिक व्यय के कारण।
2059. लोक निर्माण कार्य	68,26.56	गत वर्ष की तुलना में निदेशन तथा प्रशासन पर अधिक व्यय के कारण।
2220. सूचना तथा प्रचार	57,10.68	गत वर्ष की तुलना में निदेशन तथा प्रशासन पर अधिक व्यय के कारण।
2053. जिला प्रशासन	48,59.10	जिला संस्थापनों तथा अन्य संस्थापनों पर अधिक व्यय के कारण।
2030. स्टाम्प तथा पंजीकरण	33,35.62	गत वर्ष की तुलना में स्टाम्पों की लागत पर बढ़े हुए व्यय के कारण।
2029. भू-राजस्व	27,61.91	भू-रिकार्ड पर अधिक व्यय के कारण।
2203. तकनीकी शिक्षा	27,31.50	गैर-सरकारी तकनीकी महाविद्यालयों और संस्थानों को अधिक सहायता के कारण।
2043. राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर संग्रहण प्रभार	22,91.82	गत वर्ष की तुलना में निदेशन तथा प्रशासन पर अधिक व्यय के कारण।
2435. अन्य कृषि कार्यक्रम	18,45.22	विपणन सुविधाओं पर अधिक व्यय के कारण।
2701. मध्यम सिंचाई	16,92.61	हथिया देह परियोजना पर पूंजीगत लेखे पर ब्याज का अधिक समायोजन के कारण।
2702. लघु सिंचाई	15,82.56	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर अधिक व्यय के कारण।
2054. खजाना तथा लेखा प्रशासन	13,13.07	कोषालय संस्थापन तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण पर अधिक व्यय के कारण।
2051. लोक सेवा आयोग	12,73.36	राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान अधीनस्थ तथा मंत्रालयिक कर्मचारी चयन बोर्ड पर अधिक व्यय के कारण।
2052. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	11,91.92	गत वर्ष की तुलना में सचिवालय के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण।

विवरण संख्या 15 - (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (समाप्त)

1. राजस्व लेखा पर व्यय :-(समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
	(₹ लाख में)	
कमी		
2801. बिजली	84,70,18.09	गत वर्ष की तुलना में ऊर्जा कम्पनियों को कम सहायता के कारण।
2515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	15,91,12.03	जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को कम सहायता के कारण।
3054. सड़क तथा सेतु	6,38,54.93	सामरिक और सीमावर्ती सड़कों पर कम व्यय, राज्य सड़क निधि को राशि का कम हस्तान्तरण तथा केन्द्रीय सड़क निधि को राशि का हस्तांतरण नहीं होने के कारण।
2015. चुनाव	2,73,87.14	संसद के चुनाव कराने के प्रभार के तहत कम व्यय के कारण।
2225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	2,03,65.57	विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण पर कम व्यय के कारण।
3454. जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	1,54,34.73	कम्प्यूटर सेवाओं पर कम व्यय के कारण।
2075. विविध सामान्य सेवाएं	1,50,99.56	गत वर्ष की तुलना में गारंटी रिडेम्पशन फंड को गारंटी फीस के कम अंतरण के कारण।
2852. उद्योग	1,30,76.18	गत वर्ष की तुलना में निदेशन तथा प्रशासन पर कम व्यय के कारण।
3055. सड़क परिवहन	87,18.99	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क/रियायती यात्रा की राशि की कम प्रतिपूर्ति होने के कारण।
2404. डेरी विकास	49,70.37	मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को कम अनुदान के कारण।
2415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	23,79.77	महाविद्यालय में कृषि शिक्षा पर कम व्यय के कारण।
3452. पर्यटन	23,16.46	गत वर्ष की तुलना में पर्यटन सूचना तथा प्रचार पर कम व्यय के कारण।
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20,16.28	होम गार्ड पर कम व्यय के कारण।
3475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13,42.29	गत वर्ष की तुलना में नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कम सहायता के कारण।
2205. कला एवं संस्कृति	12,63.44	कला तथा संस्कृति के उन्नयन पर कम व्यय के कारण।
2802. पेट्रोलियम	10,49.77	निदेशन तथा प्रशासन पर कम व्यय के कारण।

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) “राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
01.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	1,59,13.00	1,59,13.00	1,69,00.94	9,87.94	2,81,68.26
02.	निर्मल भारत अभियान (एन.बी.ए.)	2,29,26.07	2,29,26.07	2,29,26.07	..	2,29,26.07
03.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)	..	..	1,68,29.86	1,68,29.86	12,51,81.34
04.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)	22,91,62.65	21,74,43.52	26,02,67.33	4,28,23.81	36,51,13.01
07.	एकीकृत जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	4,49,89.60	4,49,89.60	3,74,03.60	(-) 75,86.00	6,23,39.32
10.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	8,25,16.45	8,25,16.45	14,98,67.07	6,73,50.62	19,42,90.38
11.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)	4,28,06.88	4,28,06.88	4,61,64.53	33,57.65	4,61,64.53
12.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)	2,37,15.41	2,37,15.41	3,53,60.48	1,16,45.07	5,89,33.80
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	2,67,95.68	2,67,95.68	1,72,19.97	(-) 95,75.71	3,11,78.63
14.	मिड डे मील (एम.डी.एम.)	7,11,00.05	7,11,00.05	5,60,47.16	(-) 1,50,52.89	8,81,32.25

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) “राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
17.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)	6,45,35.93	6,40,05.76	7,88,78.66	1,48,72.90	20,16,87.57
18.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	..	..	76,67.84	76,67.84	2,20,16.15
20.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)	..	..	2.88	2.88	25,71.58
21.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2,32,73.23	2,32,73.23	1,89,77.31	(-) 42,95.92	3,16,28.86
22.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	30,00.00	30,00.00	34,41.55	4,41.55	57,35.91
23.	राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन	16,53.58	16,53.58	1,09,28.12	92,74.54	1,82,13.54
25.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन	45,84.77	45,84.77	55,58.58	9,73.81	1,02,45.65
26.	राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना	..	..	29.63	29.63	29.63
27.	राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	10,54.72	10,54.72	1,91.97	(-) 8,62.75	3,15.92
28.	राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम	..	..	1,83.39	1,83.39	3,04.43

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) “राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
31.	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम (हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन)	..	..	97.15	97.15	1,61.92
32.	प्राकृतिक संसाधनों और परिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण	97.15	97.15	..	(-) 97.15	..
33.	वन्य जीव आवास हेतु समेकित विकास	2,63.78	2,63.78	6,29.11	3,65.33	15,20.10
34.	बाघ परियोजना	10,08.89	10,08.89	10,99.68	90.79	29,27.06
35.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	6,68,92.40	6,68,92.40	1,88,76.09	(-) 4,80,16.31	8,64,75.24
36.	राष्ट्रीय आयुष मिशन मय औषधीय पादपों हेतु मिशन	22,76.40	22,76.40	..	(-) 22,76.40	..
38.	पुलिस एवं अन्य सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना	13,53.00	13,53.00	37,73.63	24,20.63	1,85,43.60
39.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	39,30.70	39,30.70	38,10.82	(-) 1,19.88	63,50.84
42.	शिक्षण विकास हेतु प्रोत्साहन मय अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा	28,73.66	28,73.66	..	(-) 28,73.66	..
43.	उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लाक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना योजना	..	..	..	..	2,45,20.23
44.	अल्पसंख्यकों हेतु मदरसों एवं विशेष योग्यजनों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु योजना	4.50	4.50	..	(-) 4.50	64,80.00

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) “राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
45.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	12,29.33	12,29.33	15,33.87	3,04.54	23,16.04
46.	कौशल विकास मिशन	26,17.00	26,26.80	18,99.40	(-) 7,27.40	24,13.80
47.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा से असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा	..	..	..	..	10.00
48.	ग्राम न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास	29,90.00	29,90.00	55,15.33	25,25.33	97,09.76
49.	अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम	41,80.09	41,80.09	30.76	(-) 41,49.33	30.76
50.	राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबन्धन कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.)	..	..	..	..	2,48.77
51.	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु योजना	3,69,98.06	3,69,98.06	1,77,83.01	(-) 1,92,15.05	4,04,05.23
52.	अन्य पिछड़ा वर्ग, घूमंतू तथा अर्द्ध घूमंतू जनजाति के विकास हेतु योजना	34,55.06	34,55.06	68,72.93	34,17.87	1,22,95.27
54.	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.)	18,80.00	18,80.00	1,46,43.77	1,27,63.77	1,46,43.77
56.	सांख्यिकी तीव्रता के लिए सहायता	..	..	..	..	0.51
58.	गंतव्य एवं सर्किट का आधारभूत विकास	..	..	..	..	12,54.33
59.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला योजना	3,83,23.48	3,83,23.48	1,93,83.97	(-) 1,89,39.51	3,09,54.89

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (क्रमशः)

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) “राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
60.	राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मय इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)	14,49.38	14,49.38	1,20.35	(-) 13,29.03	2,00.42
61.	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.)	32,21.98	32,21.98	40,01.00	7,79.02	60,00.00
62.	नाबालिक लड़कियों के अधिकारों के लिए राजीव गांधी योजना	58.94	58.94	5,18.05	4,59.11	10,33.78
64.	राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	3,30.00	3,30.00	..	(-) 3,30.00	..
67.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	2,00,49.08	2,00,49.08	46,26.03	(-) 1,54,23.05	1,95,38.15
68.	स्व घरों के लिए संचार योजना	..	..	74.73	74.73	1,01.47
69.	प्रधानमंत्री आवास योजना	16.67	16.67	31.38	14.71	36.28
70.	स्मार्ट सिटी योजना	1,47,00.00	1,47,00.00	2,15,00.00	68,00.00	2,15,00.00
71.	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत योजना)	6,03,26.72	6,03,26.72	6,03,26.72	..	7,37,63.72
73.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	3,92,89.57	3,92,89.57	3,92,89.57	..	26,30,36.61

विवरण संख्या 15 का अनुबन्ध- (समाप्त)

बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी की गयी	पब्लिक फाइनेंस मोनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिए जारी राशि (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	मुख्य शीर्ष 1601-06-101(01) “राज्य आयोजना व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता” के अन्तर्गत दर्ज राशि भारतीय रिजर्व बैंक समाशोधन मीमों/ स्वीकृति आदेशों के अनुसार (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी सम्मिलित है)	इन योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता से हुआ व्यय (पूँजीगत व्यय सम्मिलित है)	घाटा/आधिक्य	राज्य निधि तथा केन्द्रीय सहायता को सम्मिलित करते हुए कुल व्यय (पूँजीगत व्यय भी सम्मिलित है)
		(₹ लाख में)				
74.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)	21,60.00	21,60.00	21,60.00	..	36,00.00
75.	नील क्रान्ति	2,10.82	2,10.82	1,62.33	(-) 48.49	2,39.45
76.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	12,98.10	12,98.10	12,35.10	(-) 63.00	20,58.50
77.	उज्जवला योजना	..	..	35.43	35.43	54.13
78.	हाथी परियोजना	..	..	4.50	4.50	4.50
81	राज्य औषधि विनियमन प्रणाली को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सहायता	..	..	5,78.29	5,78.29	9,63.80
82	एकीकृत शिक्षा	22,59,43.67	22,24,87.88	23,96,44.92	1,71,57.04	89,30,02.06
83	जल जीवन मिशन	6,30,50.80	6,30,50.80	5,80,06.96	(-) 50,43.84	12,33,03.37
84	पढ़ना लिखना अभियान	5,78.28	5,78.28	..	(-) 5,78.28	..
	योग	1,26,10,85.53	1,24,53,90.24	1,31,31,11.82	6,77,21.58	2,98,48,75.19

विवरण संख्या 16 – लघु शीर्ष तथा उप शीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण

तिरछे अंक प्रभासित व्यय के द्योतक हैं

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4047. अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
039. राज्य उत्पाद शुल्क	..	..	..	..	12.69	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	8.25	..	8.25	..	8.25 *	..
800. अन्य व्यय	0.96	..	0.96	3.78	1,81,78.53	(-) 74.60
योग - 4047	9.21	..	9.21	3.78	1,81,99.47	(+) 143.65
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	1,00.00 (क)	..
योग - 190	..	..	..	..	1,00.00	..
207. राज्य पुलिस						
(01) पुलिस आधुनिकीकरण	19,63.65	28,47.15	48,10.80	74,91.42	2,51,84.71	(-) 35.78
(02) जिला पुलिस	31,53.55	..	31,53.55	37,72.38	1,08,43.51	(-) 16.40
योग - 207	51,17.20	28,47.15	79,64.35	1,12,63.80	3,60,28.22	(-) 29.29
211. पुलिस आवास						
	49,34.08	..	49,34.08	53,11.64	9,71,99.14	(-) 7.11
योग - 211	49,34.08	..	49,34.08	53,11.64	9,71,99.14	(-) 7.11

* यह वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में राज्य की हिस्सेदारी से सम्बन्धित है।

(क) राजस्थान पुलिस हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(02) पुलिस आवास	15,92.88	..	15,92.88	23,42.02	1,56,68.28	(-) 31.99
योग - 789	15,92.88	..	15,92.88	23,42.02	1,56,68.28	(-) 31.99
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(02) पुलिस आवास	19,03.44	..	19,03.44	19,70.18	1,53,46.35	(-) 3.39
योग - 796	19,03.44	..	19,03.44	19,70.18	1,53,46.35	(-) 3.39
योग - 4055	1,35,47.60	28,47.15	1,63,94.75	2,08,87.64	16,43,41.99	(-) 21.51
4058. लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय						
103. सरकारी मुद्रणालय	..	..	..	..	8,87.38	..
योग - 4058	..	..	..	..	8,87.38	..
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय						
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	10,53.49	2,97.40	13,50.89	14,94.02	2,50,69.60	(-) 9.58
योग - 001	10,53.49	2,97.40	13,50.89	14,94.02	2,50,69.60	(-) 9.58

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा -(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः)						
80. सामान्य-(क्रमशः)						
051. निर्माण						
(01) सामान्य भवन (भू-राजस्व)	14,96.09	..	14,96.09	17,40.56	4,27,02.22	(-) 14.05
(02) सामान्य भवन (अन्य प्रशासनिक सेवाएं- सामान्य प्रशासनिक भवन)	8,15.79	..	8,15.79	13,59.10	2,44,61.01	(-) 39.98
(03) सामान्य भवन (न्याय प्रशासन)	52,91.97	31,43.66	84,35.63	91,00.31	8,69,73.99	(-) 7.30
(04) सामान्य भवन (जेल)	3,82.83	..	3,82.83	5,37.55	2,07,34.76	(-) 28.78
(05) सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)	32,85.98	..	32,85.98	25,62.29	5,37,94.23	(+) 28.24
(06) सामान्य भवन (पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत बनने वाले भवन)	54.18	1,04.02	1,58.20	3,26.84	68,14.63	(-) 51.60
(07) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)	14.84	..	14.84	1,66.81	11,87.75	(-) 91.10
(08) सामान्य भवन (गृह अभियोजन भवन)	1,92.87	..	1,92.87	1,21.86	11,02.16	(+) 58.27
(12) सामान्य भवन (लेखन सामग्री तथा मुद्रण)	..	..	..	..	1,18.75	..
(13) सामान्य भवन (स्टाम्प तथा पंजीकरण विभाग)	1,35.18	..	1,35.18	2,52.45	38,72.58	(-) 46.45
(15) सामान्य भवन (राज्य आबकारी)	2,64.12	..	2,64.12	4,21.55	59,66.35	(-) 37.35
(16) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	96.24	..	96.24	1,08.98	27,02.93	(-) 11.69
(19) सामान्य भवन (जिला स्तर पर प्रशासनिक सुधार)	..	..	..	..	1,31.29	..
(20) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के भवन का निर्माण)	..	..	..	..	3,59.18	..
(22) सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)	10,97.54	..	10,97.54	10,44.64	1,18,79.37	(+) 5.06
(23) सामान्य भवन (योजना भवन का निर्माण)	..	..	..	..	6,90.88	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
80. सामान्य–(क्रमशः)						
051. निर्माण–(क्रमशः)						
(25) सामान्य भवन (मुख्य निरीक्षक कारखाना बॉयलर्स)	..	..	..	3.13	1,02.13	(-) 100.00
(26) सामान्य भवन (रोजगार कार्यालय)	1.60	..	1.60	0.05	2,59.93	(+) 3100.00
(27) सामान्य भवन (विधान सभा भवन का निर्माण)	3,14.23	..	3,14.23	20.60	96,68.27	(+) 1425.39
(29) सामान्य भवन (यातायात भवनों का निर्माण)	87.90	..	87.90	1,90.11	52,96.63	(-) 53.76
(30) सामान्य भवन (राजभवन में निर्माण)	2,81.42	..	2,81.42	1,88.13	22,82.49	(+) 49.59
(31) सामान्य भवन (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	..	..	..	..	22,46.51	..
(33) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भवनों का निर्माण	..	..	..	..	13,14.61	..
(34) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत बनने वाले भवनों का निर्माण	..	..	..	..	19,39.30	..
(35) सामान्य भवन (चुनाव विभाग के माध्यम से)	..	..	..	..	27,60.26	..
(36) कार्मिक (सचिवालय) विभाग के निर्माण कार्य	1,73.63	..	1,73.63	48.77	59,24.08	(+) 256.02
(38) स्थानीय निकाय विभाग	..	..	..	..	3,16.59	..
(40) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	..	..	..	..	9,19.37	..
(42) सामान्य भवन (निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग)	2,40.62	..	2,40.62	3,56.80	38,99.24	(-) 32.56
(44) सामान्य भवन (राज्य सूचना आयोग)	..	..	..	..	4,70.00	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
80. सामान्य–(क्रमशः)						
051. निर्माण–(समाप्त)						
(46) सामान्य भवन (पेंशन विभाग के लिए भवन)	6.07	..	6.07	1,45.72	6,31.59	(-) 95.83
(47) सामान्य भवन (राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भवन)	..	..	..	..	1,55.39	..
(48) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर किये गये न्यायिक भवन का निर्माण	..	..	..	..	39,28.66	..
(49) खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	..	..	..	..	2,45.76	..
(51) तेरहवें वित्त आयोग के तहत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में निर्माण कार्य	..	..	..	..	3,08.51	..
(52) सामान्य भवन (भू-प्रबन्ध विभाग)	0.58	..	0.58	0.32	2,88.50	(+) 81.25
(54) निदेशालय गोपालन मे निर्माण कार्य	..	..	..	9.49	5,77.89	(-) 100.00
(55) सामान्य भवन (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला)	79.84	..	79.84	3,82.07	27,20.51	(-) 79.10
(56) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का आधुनिकीकरण	33.42	..	33.42	38.37	3,90.57	(-) 12.90
(57) राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का भवन निर्माण	..	..	..	..	7,50.00	..
(58) सामान्य भवन (राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	3,86.58	..	3,86.58	1,76.98	5,63.56	(+) 118.43
(59) सामान्य भवन (निर्वाचन विभाग के लिए)	10.88	..	10.88	88.29	16,81.37	(-) 87.68
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	39.55	..	39.55	..	68,19.23 (क)	..
योग – 051	1,47,83.95	32,47.68	1,80,31.63	1,93,91.77	31,99,53.03	(-) 7.01

(क) इसमें कार्यों की लागत का विचार किए बिना, अप्रचलित लेखा मदों पर व्यय से संबंधित राशि ₹ 65,41,78,765 सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
80. सामान्य–(क्रमशः)						
052. मशीनरी तथा उपस्कर	1,91.54	54.07	2,45.61	2,71.64	46,08.33	(-) 9.58
योग - 052	1,91.54	54.07	2,45.61	2,71.64	46,08.33	(-) 9.58
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
(01) रियल एस्टेट डवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	..	..	..	..	2,00.00	..
योग - 190	..	..	..	..	2,00.00	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सामान्य भवन (जेल विभाग)	19.92	..	19.92	1,09.71	2,87.98	(-) 81.84
(03) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)	3,87.76	..	3,87.76	4,35.59	23,43.41	(-) 10.98
(04) सामान्य भवन (भू-राजस्व)	2,15.78	..	2,15.78	4,48.15	36,78.45	(-) 51.85
(05) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	13.28	..	13.28	4.55	1,85.15	(+) 191.87
(06) सामान्य भवन (परिवहन विभाग)	53.91	..	53.91	62.81	3,69.31	(-) 14.17
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹1 करोड़ और कम लागत का	..	..	..	17.35	1,17.13	(-) 100.00
योग - 789	6,90.65	..	6,90.65	10,78.16	69,81.43	(-) 35.94

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
80. सामान्य–(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(01) सामान्य भवन (सहकारिता विभाग)	..	..	..	..	1,38.20	..
(02) सामान्य भवन (कोष एवं लेखा विभाग)	5.22	..	5.22	73.55	5,28.14	(-) 92.90
(03) सामान्य भवन (जेल विभाग)	26.55	..	26.55	5,00.00	8,57.87	(-) 94.69
(04) सामान्य भवन (पुलिस विभाग)	2,36.27	..	2,36.27	3,71.74	16,47.47	(-) 36.44
(05) न्यायिक भवन (जनजातिय क्षेत्र उपयोग)	8,48.96	12,56.61	21,05.57	13,10.46	61,68.08	(+) 60.67
(06) सामान्य भवन (आबकारी विभाग)	25.13	..	25.13	34.40	9,57.03	(-) 26.95
(07) सामान्य भवन (भू-राजस्व)	1,52.61	..	1,52.61	2,37.69	49,89.24	(-) 35.79
(08) सामान्य भवन (सार्वजनिक निर्माण विभाग)	9.87	..	9.87	5.79	1,38.77	(+) 70.47
(09) सामान्य भवन (परिवहन विभाग)	26.32	..	26.32	66.25	1,91.95	(-) 60.27
अन्य व्यय जो लागत का विचार किए बिना, अप्रचलित लेखा मदों से संबंधित है।	..	..	..	..	1,58.43	..
योग – 796	13,30.93	12,56.61	25,87.54	25,99.88	1,57,75.18	(-) 0.47
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	5.40	..
योग – 800	..	..	..	..	5.40	..
योग – 80	1,80,50.56	48,55.76	2,29,06.32	2,48,35.47	37,25,92.97	(-) 7.77
योग – 4059	1,80,50.56	48,55.76	2,29,06.32	2,48,35.47	37,25,92.97	(-) 7.77

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
003. प्रशिक्षण	5,07.56	..	5,07.56	6,14.87	77,82.34	(-) 17.45
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	4,06.00	..
योग – 4070	5,07.56	..	5,07.56	6,14.87	81,88.34	(-) 17.45
योग – क. सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	3,21,14.93	77,02.91	3,98,17.84	4,63,41.76	56,42,10.15	(-) 14.08
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय						
01. सामान्य शिक्षा						
201. प्रारम्भिक शिक्षा	1,55,85.94	1,25,47.27	2,81,33.21	1,90,78.36	8,43,67.04	(+) 47.46
202. माध्यमिक शिक्षा	4,51,22.86	1,53,83.50	6,05,06.36	2,64,27.48	16,34,06.75	(+) 128.95
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	52,24.88	4,85.75	57,10.63	64,49.42	4,05,67.17	(-) 11.46
204. प्रौढ़ शिक्षा	..	..	..	..	2.88	..
205. भाषा विकास	1,48.93	..	1,48.93	..	2,66.72	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	98,85.91	81,57.38	1,80,43.29	1,33,38.82	5,24,72.10	(+) 35.27
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	79,00.07	59,74.84	1,38,74.91	1,00,72.40	4,15,20.61	(+) 37.75
योग – 01	8,38,68.59	4,25,48.74	12,64,17.33	7,53,66.48	38,26,03.27	(+) 67.74

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय- (क्रमशः)						
02. तकनीकी शिक्षा						
104. बहुशिल्प	7,46.00	2,66.52	10,12.52	8.83	4,03,23.41	(+) 11366.82
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	91.46	1,09.42	2,00.88	13.17	29,17.79	(+) 1425.28
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	50.86	28,54.10	(-) 100.00
योग - 02	8,37.46	3,75.94	12,13.40	72.86	4,60,95.30	(+) 1565.39
03. खेलकूद तथा युवा सेवाएं						
102. खेलकूद स्टेडिया	1,40.77	..	1,40.77	14.42	1,27,29.57	(+) 876.21
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	1,50.00	23,38.78	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	30.00	..	30.00	50.00	20,35.80	(-) 40.00
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	1,32.21	..
योग - 03	1,70.77	..	1,70.77	2,14.42	1,72,36.36	(-) 20.36
04. कला तथा संस्कृति						
101. ललित कला शिक्षा	..	..	..	..	6,07.76	..
104. अभिलेखागार	..	..	..	..	5,04.64	..
105. सार्वजनिक पुस्तकालय	..	..	..	..	6,21.68	..
106. संग्रहालय	44.92	..	44.92	8,46.00	1,58,71.65	(-) 94.69
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	1,54.66	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
04. कला तथा संस्कृति –(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	1,19.68	..
800. अन्य व्यय	2,02.84	..	2,02.84 (क)	1,06.56	10,97.60	(+) 90.35
योग - 04	2,47.76	..	2,47.76	9,52.56	1,89,77.67	(-) 73.99
योग - 4202	8,51,24.58	4,29,24.68	12,80,49.26	7,66,06.32	46,49,12.60	(+) 67.15
योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	8,51,24.58	4,29,24.68	12,80,49.26	7,66,06.32	46,49,12.60	(+) 67.15
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय						
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं						
102. कर्मचारी राज्य बीमा योजना	..	..	..	..	1,55.19	..
110. अस्पताल तथा औषधालय	8,31.18	7,75.59	16,06.77	9,51.82	5,61,61.96	(+) 68.81
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	35,00.00	1,43.00	36,43.00	11,49.69	95,56.06	(+) 216.87

(क) अरबी और फारसी शोध संस्थान पर व्यय ।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
01. शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	95.00	95.00	..	18,26.25	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	9,39.91	..
योग -01	43,31.18	10,13.59	53,44.77	21,01.51	6,86,39.37	(+) 154.33
02. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं						
101. स्वास्थ्य उप-केन्द्र	..	..	..	..	65,29.18	..
103. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	..	..	..	..	90,22.96	..
104. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,79.34	..	1,79.34	..	66,12.36	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	40,17.03	..	40,17.03	31,28.62	2,51,84.71	(+) 28.40
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	45,67.00	..	45,67.00	37,84.82	2,20,77.32	(+) 20.67
800. अन्य व्यय	75,33.00	..	75,33.00 (क)	81,36.56	6,39,52.74	(-) 7.42
योग -02	1,62,96.37	..	1,62,96.37	1,50,50.00	13,33,79.27	(+) 8.28
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	4.75	7,77.34	(-) 100.00
101. आयुर्वेद	0.79	..	0.79	47.50	7,68.28	(-) 98.34
105. एलोपैथी	1,26,17.12	77,74.53	2,03,91.65	1,93,23.68	26,21,83.40	(+) 5.53

(क) नाबार्ड ऋण के द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण पर व्यय ।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः) (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–(समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	54,16.98	45,67.28	99,84.26	47,19.62	2,55,91.40	(+) 111.55
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	68,13.06	43,54.48	1,11,67.54	71,34.36	2,86,93.07	(+) 56.53
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	1,60.00	..
योग -03	2,48,47.95	1,66,96.29	4,15,44.24	3,12,29.91	31,81,73.49	(+) 33.03
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	5,00.00 (क)	..
योग -80	..	..	..	..	5,00.00	..
योग -4210	4,54,75.50	1,77,09.88	6,31,85.38	4,83,81.42	52,06,92.13	(+) 30.60
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
101. ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा	..	..	..	(-) 1,58.59	28,69.19	(-) 100.00
102. शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	..	..	..	..	78.70	..

(क) राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4211. परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
103. मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य	..	..	..	..	12,14.50	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	71,70.80	..
योग -4211	..	..	..	(-) 1,58.59	1,13,33.19	(-) 100.00
योग –(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा	4,54,75.50	1,77,09.88	6,31,85.38	4,82,22.83	53,20,25.32	(+) 31.03
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा						
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. जलपूर्ति						
003. प्रशिक्षण	..	..	..	..	99.12	..
101. शहरी जलपूर्ति	5,34,19.70	..	5,34,19.70	4,47,97.81	96,33,13.99	(+) 19.25
102. ग्रामीण जलपूर्ति	16,32,71.76	5,07,15.57	21,39,87.33	17,73,87.47	2,93,59,41.13 (क)	(+) 20.63
घटाइये-शीर्ष 8235 के अंतर्गत आरक्षित निधि से पूरित व्यय	..	..	..	..	(-) 2,08,71.19	..
शुद्ध -102	16,32,71.76	5,07,15.57	21,39,87.33	17,73,87.47	2,91,50,69.94	(+) 20.63

(क) इसमें राजस्थान जलपूर्ति तथा मल-जल निगम, जयपुर में निवेश (₹ 7,800) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
01. जलपूर्ति–(समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,18,48.68	1,42,29.55	6,60,78.23	5,44,39.11	58,23,34.64	(+) 21.38
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,93,32.51	1,04,89.48	4,98,21.99	4,18,96.76	44,47,52.87	(+) 18.92
799. उर्ध्व	(-) 33.91 (क)	..	(-) 33.91	(-) 89.53	66,16.07	(-) 62.12
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	8.48	..
902. घटाइये- मूल्य हास आरक्षित निधि से पूरित राशि-जलदाय विभाग	..	..	..	..	(-)1,48,02.01	..
योग -01	30,78,38.74	7,54,34.60	38,32,73.34	31,84,31.62	4,89,73,93.10	(+) 20.36
02. मल-जल तथा सफाई						
106. मल-जल सेवाएं	..	..	..	12.45	86,93.48	(-) 100.00
योग -02	..	..	..	12.45	86,93.48	(-) 100.00
योग -4215	30,78,38.74	7,54,34.60	38,32,73.34	31,84,44.07	4,90,60,86.58	(+) 20.36
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय						
01. सरकारी रिहायशी भवन						
106. साधारण पूल आवास	9,17.89	..	9,17.89	8,87.16	2,60,19.32	(+) 3.46

(क) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
01. सरकारी रिहायशी भवन–(समाप्त)						
107. पुलिस आवास	..	..	..	..	1,81,23.59	..
700. अन्य आवास	15,91.53	7,33.73	23,25.26	17,53.75	1,58,52.77	(+) 32.59
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,00.82	1,66.86	2,67.68	1,24.12	14,16.37	(+) 115.66
योग -01	26,10.24	9,00.59	35,10.83	27,65.03	6,14,12.05	(+) 26.97
02. शहरी आवास						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	55.15	..
योग -02	..	..	..	..	55.15	..
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	99.60 (क)	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	2.30	..
योग-80	..	..	..	..	1,01.90	..
योग-4216	26,10.24	9,00.59	35,10.83	27,65.03	6,15,69.10	(+) 26.97

(क) राजस्थान राज्य आवासीय सहकारी समितियों (₹ 62.85 लाख) तथा आवासीय सहकारी समितियों (₹ 36.75 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
02. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	12,50.00 (क)	..
योग-02	..	..	..	..	12,50.00	..
03. छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	33,00.00 (ख)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	30,16.83	1,07,56.25	1,37,73.08 *	48,08.90	5,98,95.68	(+) 186.41
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	22,91.00	81,32.04	1,04,23.04 *	36,35.65	4,51,95.22	(+) 186.69
800. अन्य व्यय	1,16,22.32	4,14,38.43	5,30,60.75 *	1,85,26.19	53,06,87.82	(+) 186.41
योग - 03	1,69,30.15	6,03,26.72	7,72,56.87	2,69,70.74	63,90,78.72	(+) 186.45
04. गंदी बस्तियों का विकास						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	1,18,82.57	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	89,20.37	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	7,80,06.56	..
योग - 04	..	..	..	..	9,88,09.50	..

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड में निवेश।

* स्थानीय निकायों इत्यादि को जारी निधियां।

(ख) राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं						
050. भूमि	7,11,10.01	0.16	..	7,11,10.17	4,25,20.99	49,23,89.19# (+) 67.24
051. निर्माण	..	..	..	..	2,02.04 @	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	18,24,74.54 (क)	..
योग – 60	7,11,10.01	0.16	..	7,11,10.17	4,25,20.99	67,50,65.77 (+) 67.24
योग –4217	8,80,40.16	0.16	6,03,26.72	14,83,67.04	6,94,91.73	1,41,42,03.99 (+) 113.50
योग – (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	39,84,89.14	0.16	13,66,61.91	53,51,51.21	39,07,00.83	6,38,18,59.67 (+) 36.97
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा						
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय						
60. अन्य						
101. भवन	25.64	..	..	25.64	1,26.00	18,28.05 (-) 79.65
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9.00	..	..	9.00	9.00	18.00 ..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	37.94	..	..	37.94	42.02	3,34.47 (-) 9.71
800. अन्य व्यय	34.00	..	..	34.00	34.00	68.00 ..
योग –4220	1,06.58	..	..	1,06.58	2,11.02	22,48.52 (-) 49.49
योग – (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	1,06.58	..	..	1,06.58	2,11.02	22,48.52 (-) 49.49

पूर्णांक के कारण 1 से कमी की गयी।

@ पूर्णांक के कारण 1 से वृद्धि की गयी।

(क) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 14,94,03.54 लाख), राजस्थान शहरी पेयजल, मल जल और ढांचागत लिमिटेड (₹ 51.00 लाख), अजमेर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 64,80.00 लाख), जयपुर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 1,00,00.00 लाख), उदयपुर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 1,00,00.00 लाख) तथा कोटा स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड (₹ 65,40.00 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा						
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	8,42.12 (क)	..
277. शिक्षा	..	..	..	..	5,53.66	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7,18.41	9.75	7,28.16	10,59.61	2,69,58.76 (ख)	(-) 31.28
योग – 01	7,18.41	9.75	7,28.16	10,59.61	2,83,54.54	(-) 31.28
02. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	4,17.00 (ग)	..
277. शिक्षा	..	..	..	..	53,77.25	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,99.81	1,48,88.17	1,51,87.98	1,33,60.21	24,70,10.57 (घ)	(+) 13.68
योग – 02	2,99.81	1,48,88.17	1,51,87.98	1,33,60.21	25,28,04.82	(+) 13.68
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	4,71.00 (च)	..
277. शिक्षा	10.00	..	10.00	..	15,11.12	..

(क) इसमें ₹ 4,01.46 लाख राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹ 7,80.89 लाख) तथा राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड (₹ 2,67.66 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) अनुसूचित सहकारी समितियों के अन्तर्गत राजस संघ में निवेश।

(घ) इसमें ₹ 21.75 लाख अनुसूचित सहकारी समितियों के अन्तर्गत सहकारिता में निवेश सम्मिलित है।

(च) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,60.00 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,11.00 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण–(समाप्त)						
800. अन्य व्यय	39,82.60	..	39,82.60	40,66.05	3,28,55.66 (क)	(-) 2.05
योग – 03	39,92.60	..	39,92.60	40,66.05	3,48,37.78	(-) 1.81
04 अल्पसंख्यकों का कल्याण						
102. आर्थिक विकास	22,75.88	31,33.48	54,09.36	37,64.43	2,75,65.95	(+) 43.70
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	11,71.33 (ख)	..
800. अन्य व्यय	5.71	..	5.71	12.91	12,42.30	(-) 55.77
योग – 04	22,81.59	31,33.48	54,15.07	37,77.34	2,99,79.58	(+) 43.36
80. सामान्य						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	8,15.90	..
योग – 80	..	..	..	..	8,15.90	..
योग –4225	72,92.41	1,80,31.40	2,53,23.81	2,22,63.21	34,67,92.62	(+) 13.75
योग – (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा	72,92.41	1,80,31.40	2,53,23.81	2,22,63.21	34,67,92.62	(+) 13.75

(क) व्यय देवनारायण योजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा --(क्रमशः) (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा						
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय						
01. पुनर्वास						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	(-) 28.17 (क)	..
योग - 01	..	..	..	..	(-) 28.17	..
02. समाज कल्याण						
101. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	..	..	..	..	4,85.71	..
102. बाल कल्याण	2.26	..	2.26	60.94	39,93.65	(-) 96.29
103. महिला कल्याण	2,13.34	..	2,13.34	5,04.81	79,00.14	(-) 57.74
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	5,90.44 (ख)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	4,34.43	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	3,59.19	..
800. अन्य व्यय	2,37.96	8,60.82	10,98.78 (ग)	15,69.85	1,09,92.96	(-) 30.01
योग - 02	4,53.56	8,60.82	13,14.38	21,35.60	2,47,56.52	(-) 38.45
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	5,00.00 (घ)	..

(क) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्तियां तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 3,90.44 लाख) तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,00.00 लाख) में निवेश।

(ग) रेबारी एवं अन्य माइग्रेटरी समुदाय के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं विकलांगता अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए रेम्प एवं लिफ्ट आदि का निर्माण पर व्यय।

(घ) राजस्थान एक्स सर्विस मेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
60. अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–(समाप्त)						
200. अन्य कार्यक्रम	..	..	..	..	6,92.36	..
800. अन्य व्यय	1,43.58	..	1,43.58	94.38	19,51.91	(+) 52.13
योग – 60	1,43.58	..	1,43.58	94.38	31,44.27	(+) 52.13
योग –4235	5,97.14	8,60.82	14,57.96	22,29.98	2,78,72.62	(-) 34.62
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय						
02. पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	26.00	39.01	65.01	3,27.36	28,89.87	(-) 80.14
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	26.19	39.29	65.48	2,32.20	23,42.31	(-) 71.80
800. अन्य व्यय	1,74.20	1,82.02	3,56.22	14,29.99	2,75,62.13	(-) 75.09
योग –4236	2,26.39	2,60.32	4,86.71	19,89.55	3,27,94.31	(-) 75.54
योग – (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	8,23.53	11,21.14	19,44.67	42,19.53	6,06,66.93	(-) 53.91

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
(छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
201. श्रम	31.27	..	31.27	5.91	6,35.63 (क)	(+) 429.10
203. रोजगार	67,11.44	6,27.80	73,39.24	41,85.42	6,15,53.19 #	(+) 75.35
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	15,39.06	..	15,39.06	13,70.27	1,45,47.38 #	(+) 12.32
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	14,09.25	..	14,09.25	8,85.27	90,14.92	(+) 59.19
800. अन्य व्यय	77.66	..	77.66	2,97.32	71,39.80	(-) 73.88
योग -4250	97,68.68	6,27.80	1,03,96.48	67,44.19	9,28,90.92	(+) 54.15
योग – (छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	97,68.68	6,27.80	1,03,96.48	67,44.19	9,28,90.92	(+) 54.15
योग – ख. सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	54,70,80.42	21,70,76.81	76,41,57.39	54,89,67.93	7,88,13,96.58	(+) 39.20
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा						
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	6.83	..
103. बीज	..	..	..	..	94.42	..
104. कृषि फार्म	..	..	..	..	57.19 (ख)	..

(क) इसमें श्रम ठेका सहकारी समितियों में निवेश के ₹ 6,13,333 (शुद्ध) सम्मिलित हैं।

पूर्णांक के कारण क्रमशः 1 से वृद्धि/कमी है।

(ख) इसमें कृषि सहकारी समितियों के अंतर्गत सहकारी समितियों में ₹ 83,695 का निवेश सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय – (समाप्त)						
105. खाद तथा उर्वरक	..	..	..	..	9,33.47	..
108. वाणिज्यिक फसलें	..	..	..	..	84.79	..
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें	16.98	..	16.98	32.66	7,45.58	(-) 48.01
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	9,68.62 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	18,67.41	11,45.49	30,12.90	19,14.28	2,27,36.59	(+) 57.39
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	13,34.96	9,84.69	23,19.65	18,78.60	1,96,37.94	(+) 23.48
800. अन्य व्यय	61,02.08	46,92.37	1,07,94.45 (ख)	41,92.69	16,57,12.06	(+) 157.46
योग -4401	93,21.43	68,22.55	1,61,43.98	80,18.23	21,09,77.49	(+) 101.34
4402. मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय						
102. मृदा संरक्षण	..	..	..	..	3,19,13.94	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	5,43.22	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	39,43.56	..
योग -4402	..	..	..	..	3,64,00.72	..

(क) इसमें (i) राजस्थान स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 4,12,96,700), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,10,00,000) तथा राजस्थान मिशन ऑन स्किल एण्ड लिवलीहुड कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,00,000) में निवेश, (ii) वर्ष 1990-91 में निवेश के रूप में गलत दिखाये गये ₹ 9,97,436 को सहायतार्थ अनुदान में सही प्रोफार्मा द्वारा सुधार, (iii) ₹ 10 राजस्थान सरकार के पक्ष में केन्द्र सरकार अंश विनिवेश हेतु स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित तथा (iv) ₹ 30,68,459 अन्य कार्यों से सम्बन्धित।

(ख) इसमें राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना (₹ 78,20,60,614) तथा राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना (₹ 21,45,78,152) पर व्यय सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः)						
4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय						
101. पशु-चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य	66,64.05	..	66,64.05	17,75.52	2,01,77.14	(+) 275.33
102. पशु तथा भैंस विकास	..	..	..	..	1,25.93	..
103. कुक्कुट विकास	..	..	..	..	82.89	..
104. भेड़ तथा ऊन विकास	..	..	..	..	52.43	..
105. सूअर बाड़ा-विकास	..	..	..	..	6.51	..
106. अन्य पशुधन विकास	..	..	..	..	11.82	..
107. चारा तथा चारागाह विकास	..	..	..	..	20.41	..
109. विस्तार तथा प्रशिक्षण	..	..	..	..	35.28	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	32,00.00	..	32,00.00	6,00.00	38,00.00	(+) 433.33
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	17,00.00	..	17,00.00	2,00.00	19,32.20	(+) 750.00
योग -4403	1,15,64.05	..	1,15,64.05	25,75.52	2,62,44.61	(+) 349.00
4404. डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
102. डेरी विकास परियोजनाएं	..	..	..	..	6,76.91 (क)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	69.99 (ख)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	(-) 0.02 (ग)	..
योग -4404	..	..	..	..	7,46.88	..

(क) इसमें डेयरी सहकारी समितियों (₹ 6,31,17,620) तथा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 15,69,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन को अनुदान।

(ग) ऋण आंकड़े, व्यय पर प्राप्ति तथा वसूलियां अधिक होने के कारण हैं।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4405. मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय						
101. अन्तर्देशीय मछली-पालन	47.00	47.00	94.00	1,04.09	15,54.30	(-) 9.69
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	2,67.90	..
योग -4405	47.00	47.00	94.00	1,04.09	18,22.20	(-) 9.69
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय						
01. वानिकी						
070. संचार तथा भवन	69.92	..	69.92	..	47,75.52	..
101. वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	31,72.82	71.10	32,43.92	28,61.69	2,55,90.10	(+) 13.36
102. समाज तथा फार्म वानिकी	28,60.72	..	28,60.72	11,94.28	9,21,61.39	(+) 139.54
105. वन उत्पाद	..	..	..	..	6,65.58	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	16.75 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	24,54.64	..	24,54.64	19,66.08	2,52,11.35	(+) 24.85
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	13,72.50	..	13,72.50	12,46.96	3,31,85.52	(+) 10.07
800. अन्य व्यय	7,14.31	..	7,14.31 (ख)	4,60.91	1,82,49.05	(+) 54.98
योग - 01	1,06,44.91	71.10	1,07,16.01	77,29.92	19,98,55.26	(+) 38.63

(क) राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

(ख) कृषि वानिकी विद्या तथा बड़े पौधों की तैयारी से संबंधित व्यय।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
02. पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव						
110. वन्य जीव	5,82.99	4,46.55	10,29.54	12,47.46	1,06,47.48	(-) 17.47
111. चिड़ियाघर	95.24	..	95.24	51.19	21,74.54	(+) 86.05
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,18.74	..	5,18.74	1,56.99	32,59.13	(+) 230.43
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	1,26.63	..
800. अन्य व्यय	2,78.74	..	2,78.74 (क)	2,30.05	46,12.12	(+) 21.16
योग - 02	14,75.71	4,46.55	19,22.26	16,85.69	2,08,19.90	(+) 14.03
योग -4406	1,21,20.62	5,17.65	1,26,38.27	94,15.61	22,06,75.16	(+) 34.23
4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय						
01. खाद्य						
101. अधिप्राप्ति तथा पूर्ति - निवल व्यय	..	..	..	..	(-) 14,35.17 (ख)	..
योग -01	..	..	..	..	(-) 14,35.17	..
02. भंडारण तथा भांडागार						
101. ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम	..	..	..	..	10,68.56 (ग)	..

(क) पर्यावरण वृक्षारोपण तथा स्मार्ट ग्रीन सिटी से संबंधित व्यय।

(ख) ऋण आंकड़े, प्राप्ति एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण हैं।

(ग) भांडागार तथा विपणन सहकारी समितियों के अंतर्गत सहकारी समितियों में गोदाम हेतु निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4408. खाद्य भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
02. भंडारण तथा भांडागार–(समाप्त)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	4,12.63 (क)	..
योग -02	..	..	..	..	14,81.19	..
योग -4408	..	..	..	..	46.02	..
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय						
01. फसल कृषि-कर्म						
004. अनुसंधान	..	..	..	..	1,45.23	..
277. शिक्षा	..	..	..	..	12,42.06	..
योग - 01	..	..	..	..	13,87.29	..
03. पशु-पालन						
277. शिक्षा	..	..	..	..	1,94.77	..
योग - 03	..	..	..	..	1,94.77	..

(क) अन्य सहकारी समितियों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भांडागार निगम, जयपुर (₹ 3,92.63 लाख) तथा राजस्थान राज्य सहकारी व्यापारिक संगठन (₹ 20.00 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4415. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
06. वानिकी						
004. अनुसंधान	..	..	..	..	17.85	..
योग – 06	..	..	..	..	17.85	..
योग – 4415	..	..	..	..	15,99.91	..
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय						
003. प्रशिक्षण	..	..	..	..	56.24	..
योग –003	..	..	..	..	56.24	..
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश						
(01) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारी समितियों के हिस्सों का क्रय	..	..	..	..	72,86.86 (क)	..
(02) पुनर्स्थापन योजना के अन्तर्गत निवेश	..	..	..	..	8,40.00 (क)	..
(05) नवगठित क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	1,50.00 (ख)	..

(क) क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश।

(ख) भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियों में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय– (क्रमशः)						
107. क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश–(समाप्त)						
लेखों के शीर्षों से संबंधित अन्य निवेश जो कार्य की लागत के बावजूद परिचालन में नहीं है						
	..	..	..	..	18,57.57 (क)	..
योग – 107	..	..	..	..	1,01,34.43	..
108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश						
(01) संसाधन सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	5,25.94 (ख)	..
(03) महिला सहकारी समितियों के लिये निवेश	..	..	..	..	1,11.97	..
(05) विशेष केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्य बहुल समितियों में निवेश	..	..	..	..	2,01.53	..
(09) स्पिन फेड में निवेश	..	..	..	..	38,91.13	..

(क) ऋण सहकारी समितियों के अन्तर्गत सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों में निवेश।

(ख) सहकारी समितियों के प्रसंस्करण में निवेश। पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 20,000 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय– (क्रमशः)						
108. अन्य सहकारी समितियों में निवेश–(समाप्त)						
अन्य सहकारी समितियां – अन्य निवेश प्रत्येक						
₹ 1 करोड़ और कम लागत का						
	..	..	..	..	43,55.04 (क)	..
योग – 108	..	..	..	..	90,85.41	..
195. सहकारिता में निवेश						
(01) क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	1,30,67.00	..
(03) अन्य सहकारी समितियों में निवेश	2.10	..	2.10	5,45.20	92,83.46 (ख)	(-) 99.61

(क) इसमें अप्रचलित लेखा मदों से सम्बन्धित राशि ₹ 43,54,47,624 (आवास सहकारी समितियों के तहत ₹ 64,95,444 तथा प्रसंस्करण सहकारी समितियों के तहत ₹ 42,89,52,180) का निवेश सम्मिलित है तथा अन्य सहकारी समितियों के तहत दिव्यांग जन की सहकारी समितियों में (₹ 56,000) निवेश भी शामिल है।

(ख) इसमें महिला सहकारी समितियों (₹ 36.95 लाख), अन्य सहकारी समितियों के तहत सूक्ष्म सहकारिता विकास (₹ 81,96.51 लाख), उपभोक्ता सहकारी समितियों के तहत सहकारी उपभोक्ता भंडार (₹ 50.00 लाख) तथा राजस्थान सहकारी वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड (₹ 10,00.00 लाख) में निवेश। पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 10,63,96,784 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय– (क्रमशः)						
195. सहकारिता में निवेश –(समाप्त)						
(05) जनजातियों के लिए सहकारी समितियों में निवेश	0.30	..	0.30	..	33,13.21 (क)	..
प्रत्येक निवेश ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	0.30	..	0.30	0.30	52.05 (ख)	..
योग – 195	2.70	..	2.70	5,45.50	2,57,15.72	(-) 99.51
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सहकारी समितियों के अंश का क्रय	..	..	..	..	1,25.00	..
योग – 789	..	..	..	..	1,25.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(01) सहकारी समितियों के अंश का क्रय	..	..	..	..	9,13.53	..
(02) अंश क्रय के लिए सहकारी समितियों में निवेश	..	..	..	..	2,64.58	..
(03) समग्र सहकारिता विकास हेतु निवेश	..	..	..	..	2,45.10	..
(04) पुर्नस्थापना पूंजी योजना के अंतर्गत निवेश	..	..	..	..	1,20.00	..
अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	..	..	..	..	5,10.62 (ग)	..
योग – 796	..	..	..	..	20,53.83	..

(क) इसमें महिला सहकारी समितियों में (₹ 8.25 लाख) तथा अन्य सहकारी समितियों के तहत सूक्ष्म सहकारिता विकास में (₹ 33,04.96 लाख) का निवेश सम्मिलित है। पूंजी विनिवेश के कारण ₹ 3,43,62,276 वर्ष के अन्त तक व्यय में से प्रोफार्मा द्वारा कम किये गये।

(ख) भांडागार तथा विपणन सहकारी समितियों के तहत क्रय विक्रय सहकारी समितियों (₹ 45.00 लाख) तथा महिला सहकारी समितियों (₹ 7.05 लाख) में निवेश।

(ग) इसमें जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹ 12,85,000), महिला सहकारी समितियों (₹ 12,85,000) के तहत अन्य निवेश तथा अप्रचलित लेखा मदों से सम्बन्धित राशि ₹ 4,86,47,593 का निवेश सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
800. अन्य व्यय						
अन्य निवेश प्रत्येक ₹ 1 करोड़ और कम लागत का	..	..	..	..	78.36 (क)	..
योग – 800	..	..	..	..	78.36	..
योग –4425	2.70	..	2.70	5,45.50	4,72,48.99	(-) 99.51
4435. अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण						
101. विपणन सुविधाएं	..	..	..	..	1,88.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	41,76.78 (ख)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	3,25.05 (ग)	..
योग –4435	..	..	..	..	46,89.83	..
योग – (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा	3,30,55.80	73,87.20	4,04,43.00	2,06,58.95	55,04,51.81	(+) 95.77

(क) अन्य सहकारी समितियों के तहत कम्प्यूटरीकरण (₹ 78,936) तथा कार्य योजना के लिए (₹ 77,57,200) सहकारी समितियों में निवेश।

(ख) ग्रामीण विपणन गोदामों (₹ 7,93,31,515), राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ, जयपुर (₹ 4,27,31,430) तथा भांडागार तथा विपणन समितियों के तहत सहकारी समितियां (₹ 6,33,15,358), राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,23,00,000) तथा प्रसंस्करण सहकारी समितियों के तहत तिलम संघ (₹ 22,00,00,000) में निवेश।

(ग) जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत विपणन समितियों (₹ 37.40 लाख) तथा अन्य समितियों (₹ 2,87.65 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
101. पंचायती राज						
(01) जवाहर रोजगार योजना	..	..	..	..	2,38,42.59	..
(02) सुनिश्चित रोजगार योजना	..	..	..	..	1,29,65.27	..
(03) अपना गांव अपना काम योजना	..	..	..	..	46,02.28	..
(04) निर्बन्ध जिला योजना	..	..	..	..	44,26.10	..
(05) बत्तीस जिले बत्तीस काम	..	..	..	..	62,65.50	..
(06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	..	..	..	..	51,75.81	..
(07) ग्रामीण विकास केन्द्रों हेतु जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	..	..	..	..	13,03.15	..
(11) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1,49,94.00	..	1,49,94.00 #	2,52,81.00	36,19,87.10	(-) 40.69
(12) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	..	..	..	..	1,84,73.01	..
(14) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	92,86.22	..
(15) राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम	..	..	..	..	3,34.55	..
(16) स्वविवेक जिला विकास योजना	9.70	..	9.70	49.00	51,41.43	(-) 80.20
(18) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	..	..	..	..	25,00.00	..
(19) ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	1,13,28.00	..
(20) गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना	10,20.00	..	10,20.00	1,30.51	2,69,07.51	(+) 681.55
योग – 101	1,60,23.70	..	1,60,23.70	2,54,60.51	49,45,38.52	(-) 37.06

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गई निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
102. सामुदायिक विकास	..	..	..	..	7,94.60	..
योग – 102	..	..	..	..	7,94.60	..
103. ग्राम विकास	2,39.75	..	2,39.75 *	1,54.50	85,22.34	(+) 55.18
योग – 103	2,39.75	..	2,39.75	1,54.50	85,22.34	(+) 55.18
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) सुनिश्चित रोजगार योजना	..	..	..	..	12,21.16	..
(02) जवाहर रोजगार योजना	..	..	..	..	14,68.40	..
(03) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	..	..	..	..	52,49.01	..
(04) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	39,69.00	..	39,69.00 #	66,62.25	8,19,93.35	(-) 40.43
(05) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	22,02.76	..
(06) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	..	..	..	..	16,66.75	..

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां ।

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना –(समाप्त)						
(07) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	..	..	..	..	3,90.77	..
(09) स्व विवेक जिला विकास योजना	3.00	..	3.00	15.00	9,21.38	(-) 80.00
(10) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से	63.00	..	63.00 *	40.10	17,53.71	(+) 57.11
(11) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	24,07.99	..
(13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	2,70.00	..	2,70.00	33.88	69,83.88	(+) 696.93
योग - 789	43,05.00	..	43,05.00	67,51.23	10,62,59.16	(-) 36.23
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(01) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत	..	..	..	..	37,47.96	..
(02) सुनिश्चित रोजगार योजना	..	..	..	..	12,89.55	..
(03) अपना गांव अपना काम योजना	..	..	..	..	6,80.29	..
(04) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	..	..	..	..	28,37.94	..
(05) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	30,87.00	..	30,87.00 #	50,69.25	6,03,28.75	(-) 39.10
(06) सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राज्यांश)	..	..	..	..	23,59.67	..

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां ।

यह जिला परिषदों (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –(समाप्त)						
(07) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	14,46.95	..
(08) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	..	..	..	..	42,75.70	..
(10) स्व विवेक जिला विकास योजना	2.30	..	2.30	11.00	6,81.25	(-) 79.09
(11) निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के माध्यम से	47.25	..	47.25 *	30.40	16,65.95	(+) 55.43
(12) ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना	..	..	..	..	17,64.00	..
(13) गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	2,10.00	..	2,10.00	26.96	52,99.96	(+) 678.93
योग – 796	33,46.55	..	33,46.55	51,37.61	8,63,77.97	(-) 34.86
800. अन्य व्यय						
(04) विश्व बैंक की सहायता के तहत जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना हेतु	..	..	..	..	1,13,96.14	..
योग – 800	..	..	..	..	1,13,96.14	..
योग –4515	2,39,15.00	..	2,39,15.00	3,75,03.85	70,78,88.73	(-) 36.23
योग – (ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	2,39,15.00	..	2,39,15.00	3,75,03.85	70,78,88.73	(-) 36.23

* पंचायत समितियों/जिला परिषदों को भवन निर्माण हेतु जारी की गयी निधियां ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा						
4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. डांग जिले						
101. डांग क्षेत्र का विकास	..	..	..	2,00.96	2,47,38.86	(-) 100.00
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	52.16	60,58.78	(-) 100.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	39.44	44,95.63	(-) 100.00
योग -01	..	..	..	2,92.56	3,52,93.27	(-) 100.00
02. पिछड़े क्षेत्र						
102. मेवात क्षेत्र का विकास	1,30.00	..	1,30.00	2,40.41	2,47,31.13	(-) 45.93
103. मगरा क्षेत्र का विकास	2,04.00	..	2,04.00 #	2,40.41	2,21,79.65	(-) 15.14
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	3,52.00	3,85.00	7,37.00 #	1,45.03	1,50,80.93	(+) 408.17
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,69.00	2,92.00	5,61.00 #	1,09.64	1,11,54.86	(+) 411.67
800. अन्य व्यय	9,89.00	14,83.00	24,72.00 #	77.84	1,28,43.38	(+) 3075.75
योग -02	19,44.00	21,60.00	41,04.00	8,13.33	8,59,89.95	(+) 404.59
03. जनजातीय क्षेत्र						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	11,80.00	..
योग -03	..	..	..	..	11,80.00	..

यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा –(समाप्त)						
4575. अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
06. सीमा क्षेत्र विकास						
789. अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना	4,70.00	..	4,70.00 #	15,91.00	3,01,68.95	(-) 70.46
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,65.00	..	3,65.00 #	13,26.00	2,08,42.13	(-) 72.47
800. अन्य व्यय	17,33.70	..	17,33.70 #	62,99.00	12,49,21.42	(-) 72.48
योग -06	25,68.70	..	25,68.70	92,16.00	17,59,32.50	(-) 72.13
60. अन्य						
277. शिक्षा	..	..	..	..	43,32.93	..
287. श्रम और रोजगार	..	..	..	..	1,34.01	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	2,45,15.87	..
योग -60	..	..	..	..	2,89,82.81	..
योग -4575	45,12.70	21,60.00	66,72.70	1,03,21.89	32,73,78.53	(-) 35.35
योग – (ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा	45,12.70	21,60.00	66,72.70	1,03,21.89	32,73,78.53	(-) 35.35

यह जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) को जारी की गयी निधियां दर्शाता है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. भाखड़ा नांगल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,39.95	..	1,39.95	65.53	97,43.07	(+) 113.57
052. मशीनरी तथा उपस्कर	..	..	..	(-) 0.14	(-) 0.92 (क)	(-) 100.00
799. उचंत	(-) 6.82 (क)	..	(-) 6.82	(-) 39.19	(-) 59.17 (क)	(-) 82.60
योग -01	1,33.13	..	1,33.13	26.20	96,82.98	(+) 408.13
02. चम्बल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	37,02.12	..	37,02.12	46,96.34	7,94,79.89	(-) 21.17
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	6,95.68	..	6,95.68	7,27.43	29,00.71	(-) 4.36
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	5,54.06	..	5,54.06	5,64.76	28,29.89	(-) 1.89
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 86.13 (क)	..
योग -02	49,51.86	..	49,51.86	59,88.53	8,51,24.36	(-) 17.31
03. ब्यास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,58,47.33	..
योग -03	..	..	..	..	1,58,47.33	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
04. इंदिरा गांधी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	10.08 2,47,21.30	..	2,47,31.38	2,24,51.05	56,62,11.27 (क)	(+) 10.16
052. मशीनरी तथा उपस्कर	1.98	..	1.98	1.23	(-) 6,06.88 (ख)	(+) 60.98
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	58,14.63	..	58,14.63	65,44.95	4,36,38.63	(-) 11.16
799. उंचंत	(-) 12.93 (ख)	..	(-) 12.93	(-) 1,46.23	(-) 67,12.93 (ख)	(-) 91.16
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	2,05,98.60	..
योग -04	10.08 3,05,24.98	..	3,05,35.06	2,88,51.00	62,31,28.69	(+) 5.84
05. इंदिरा गांधी फीडर (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	72,00.00	..	72,00.00	54,50.54	1,94,59.74	(+) 32.10
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	18,00.00	..	18,00.00	11,96.46	38,32.94	(+) 50.44
योग -05	90,00.00	..	90,00.00	66,47.00	2,32,92.68	(+) 35.40

(क) इसमें उपनिवेशन पर (₹ 2,02,30,183), विश्व खाद्य कार्यक्रम (₹ 26,82,481), राजस्थान भूमि विकास निगम से वसूली योग्य फार्म डवलपमेंट पर (₹ 7,47,28,985) तथा पूंजीकृत ब्याज (₹ 6,18,00,000) का व्यय सम्मिलित है।

(ख) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
06. गुडगांव नहर (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	26.63	..	26.63	..	45,60.41	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	1,03.98	..
योग -06	26.63	..	26.63	..	46,64.39	..
07. यमुना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	37.40	..	37.40	25.00	9,42.52	(+) 49.60
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	9.90	..	9.90	4.50	1,35.36	(+) 120.00
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	7.70	..	7.70	3.50	85.30	(+) 120.00
योग -07	55.00	..	55.00	33.00	11,63.18	(+) 66.67
22. जाखम परियोजना (वाणिज्यिक)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	1,41,81.39	..
योग -22	..	..	..	..	1,41,81.39	..
23. ओखला-वेयर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	20.00	..
योग -23	..	..	..	..	20.00	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - (क्रमशः)						
24. नर्बदा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	8,24.48	28,37.21	36,61.69	(-) 1,06,64.64	24,13,93.69	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	(-) 0.03 (क)	14,28.36	14,28.33	20,45.07	2,63,36.30	(-) 30.16
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	8,45.78	8,45.78	2,09.98	1,50,73.48	(+) 302.79
799. उर्चंत	..	..	..	..	(-) 96.86 (क)	..
योग -24	8,24.45	51,11.35	59,35.80	(-) 84,09.59	28,27,06.61	..
25. नोहर फीडर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	61,44.86	..
योग -25	..	..	..	..	61,44.86	..
26. सिद्धमुख परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,33.47	..	1,33.47	60.34	2,60,20.86	(+) 121.20
योग -26	1,33.47	..	1,33.47	60.34	2,60,20.86	(+) 121.20
27. माही परियोजना (वाणिज्यिक)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	19,49.01	..	19,49.01	75,06.82	10,07,74.43	(-) 74.04
योग -27	19,49.01	..	19,49.01	75,06.82	10,07,74.43	(-) 74.04

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
28. बीसलपुर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,09.52	..	4,09.52	1,97.91	4,77,41.98	(+) 106.92
052. मशीनरी तथा उपस्कर	..	..	..	..	(-) 82.54 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,00.88	..	1,00.88	4.73	9,57.60	(+) 2032.77
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	1,32.82	..
799. उंचंत	..	..	..	..	27,07.22	..
योग -28	5,10.40	..	5,10.40	2,02.64	5,14,57.08	(+) 151.88
29. इंदिरा लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	36,61.97	..
योग -29	..	..	..	..	36,61.97	..
31. गंग नहर (वाणिज्यिक) मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग के माध्यम से						
001. निदेशन तथा प्रशासन	30.32	..	30.32	(-) 2,50.14	6,23,25.77	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	35.68	44,62.95	(-) 100.00
योग -31	30.32	..	30.32	(-) 2,14.46	6,67,88.72	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्ति एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
32. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	6,82,27.00	..	6,82,27.00	4,06,94.89	22,92,33.78	(+) 67.65
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,29,31.37	..	1,29,31.37	1,05,58.48	8,36,42.21	(+) 22.47
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	81,16.18	..	81,16.18	84,10.93	5,10,28.93	(-) 3.50
योग -32	8,92,74.55	..	8,92,74.55	5,96,64.30	36,39,04.92	(+) 49.63
33. काली सिन्ध परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	0.61	..
योग -33	..	..	..	..	0.61	..
34. धौलपुर लिफ्ट परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	33,49.98	..	33,49.98	98,52.27	1,88,91.66	(-) 66.00
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	8,86.75	..	8,86.75	47,64.44	73,81.38	(-) 81.39
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	6,99.97	..	6,99.97	22,86.18	43,86.12	(-) 69.38
योग -34	49,36.70	..	49,36.70	1,69,02.89	3,06,59.16	(-) 70.79

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
37. परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	7,62.50	..	7,62.50	30.64	43,53.68	(+) 2388.58
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,14.39	..	1,14.39	0.11	7,12.72	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,27.56	..	1,27.56	..	13,02.13	..
योग -37	10,04.45	..	10,04.45	30.75	63,68.53	(+) 3166.50
39. राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,11,63.89	..	1,11,63.89	33,63.57	1,51,37.46	(+) 231.91
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	41,72.24	..	41,72.24	13,86.87	58,09.11	(+) 200.84
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	31,88.08	..	31,88.08	11,30.00	44,58.08	(+) 182.13
योग -39	1,85,24.21	..	1,85,24.21	58,80.44	2,54,04.65	(+) 215.01
40. जयसमन्द परियोजना का पुनर्जीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	19,79.28	..	19,79.28	29,15.88	69,70.24	(-) 32.12
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,98.40	..	4,98.40	7,71.81	18,19.52	(-) 35.42
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4,19.32	..	4,19.32	5,96.46	14,40.70	(-) 29.70
योग -40	28,97.00	..	28,97.00	42,84.15	1,02,30.46	(-) 32.38

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,24,41.21	..	1,24,41.21	2,16,01.88	5,08,90.60	(-) 42.41
003. प्रशिक्षण	..	..	..	..	83.99	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	31,69.73	..	31,69.73	53,63.61	1,97,83.47	(-) 40.90
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	23,90.68	..	23,90.68	40,63.12	1,18,41.72	(-) 41.16
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	8,51,14.08	..
योग -80	1,80,01.62	..	1,80,01.62	3,10,28.61	16,77,13.86	(-) 41.98
योग -4700	18,27,77.78	10.08 51,11.35	18,78,99.21	15,84,82.62	1,91,89,41.72	(+) 18.56
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
01. जवाई नहर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	6,97.36	..
योग -01	..	..	..	..	6,97.36	..
02. मेजा सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	45,54.74	..
योग -02	..	..	..	..	45,54.74	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
03. पारबती परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	3,93.98	..	3,93.98	57.67	75,71.58	(+) 583.16
योग -03	3,93.98	..	3,93.98	57.67	75,71.58	(+) 583.16
04. गुढ़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,63.29	..
योग -04	..	..	..	..	1,63.29	..
05. मोरेल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	2,35.54	..
योग -05	..	..	..	..	2,35.54	..
06. अलनिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,95.06	..
योग -06	..	..	..	..	1,95.06	..

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
07. पश्चिमी बनास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	67.03	..
योग –07	..	..	..	..	67.03	..
08. बल्लभ नगर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	86.37	..
योग –08	..	..	..	..	86.37	..
09. बड़गांव परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	76.02	..
योग –09	..	..	..	..	76.02	..
10. ओराई सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	63.42	..
योग –10	..	..	..	..	63.42	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
11. जैतपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,82.16	..
योग – 11	..	..	..	..	1,82.16	..
12. गोपालपुरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	2,52.18	..
योग – 12	..	..	..	..	2,52.18	..
21. परवन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	7.09	..
योग – 21	..	..	..	..	7.09	..
23. पांचना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,24,21.45	..
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 43.42 (क)	..
योग – 23	..	..	..	..	1,23,78.03	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
24. सोम कमला अम्बा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	2,62.30	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	2,19.81	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	2,13,45.01	..
योग -24	..	..	..	..	2,18,27.12	..
25. डाय़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,40.06	..
योग -25	..	..	..	..	1,40.06	..
26. झाडोल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	93.64	..
योग -26	..	..	..	..	93.64	..
27. वागन डाइवर्शन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	13,96.62	..
योग -27	..	..	..	..	13,96.62	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय -(क्रमशः)						
28. लसाडिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	7,65.91	..
योग -28	..	..	..	..	7,65.91	..
29. सोम कागदर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	30,98.65	..
योग -29	..	..	..	..	30,98.65	..
30. भीम सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	23,94.13	..
योग -30	..	..	..	..	23,94.13	..
31. कोठारी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	11,19.79	..
योग -31	..	..	..	..	11,19.79	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
32. गोकुल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	99.21	..
योग -32	..	..	..	..	99.21	..
33. बस्ती परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	11,63.34	..
योग -33	..	..	..	..	11,63.34	..
34. खारी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	9,68.92	..
योग -34	..	..	..	..	9,68.92	..
35. छापी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,07,04.84	..
योग -35	..	..	..	..	1,07,04.84	..
37. बिलास परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	21,88.89	..
योग -37	..	..	..	..	21,88.89	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
38. सावन भादों परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	41,06.18	..
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 25.06 (क)	..
योग -38	..	..	..	..	40,81.12	..
40. सुकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	44,48.76	..
योग -40	..	..	..	..	44,48.76	..
41. बांदी सेंदरा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	33,66.63	..
योग -41	..	..	..	..	33,66.63	..
42. कानोता परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1.60	..
योग -42	..	..	..	..	1.60	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
43. चंवली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	1,02,03.64	..
799. उचंत	..	..	..	..	(-) 32.91 (क)	..
योग -43	..	..	..	..	1,01,70.73	..
44. गंभीरी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	14,66.18	..
योग -44	..	..	..	..	14,66.18	..
45. जय समन्द परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	14,58.62	..
योग -45	..	..	..	..	14,58.62	..
46. माषी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	61.16	..
योग -46	..	..	..	..	61.16	..

(क) ऋण व्यय, प्राप्तियां एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
47. गलवा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	17,91.95	..
योग -47	..	..	..	..	17,91.95	..
49. छापरवाड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	2.84	..
योग -49	..	..	..	..	2.84	..
50. कालख परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	0.96	..
योग -50	..	..	..	..	0.96	..
53. पारबती परियोजना (कोटा) (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	7.00	..
योग -53	..	..	..	..	7.00	..
55. टैंक परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	28.44	..
योग -55	..	..	..	..	28.44	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
56. कालीसिल परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	29.54	..
योग -56	..	..	..	..	29.54	..
57. मातृ कुण्डिया परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	3,23.95	..
योग -57	..	..	..	..	3,23.95	..
58. नारायण सागर परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	61.55	..
योग -58	..	..	..	..	61.55	..
59. अन्य परियोजनाएं (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	3,38.38	..
योग -59	..	..	..	..	3,38.38	..
60. ब्रेथली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	52,13.61	..
योग -60	..	..	..	..	52,13.61	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा--(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
62. परियोजनाओं का पुनर्जीवीकरण/ उन्नयन/आधुनिकीकरण/ नवीनीकरण (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	11,99.37	..	11,99.37	16,88.86	2,21,62.48	(-) 28.98
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,19.19	..	3,19.19	4,36.96	50,18.80	(-) 26.95
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,47.03	..	2,47.03	3,38.22	35,94.82	(-) 26.96
योग -62	17,65.59	..	17,65.59	24,64.04	3,07,76.10	(-) 28.35
63. गरदड़ा परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	20,85.53	..	20,85.53	34,96.48	2,16,67.11	(-) 40.35
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,40.18	..	4,40.18	6,00.68	19,82.28	(-) 26.72
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3,67.20	..	3,67.20	3,99.83	12,19.32	(-) 8.16
योग -63	28,92.91	..	28,92.91	44,96.99	2,48,68.71	(-) 35.67
64. परवन लिफ्ट योजना (अवाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	39,86.38	..
योग -64	..	..	..	..	39,86.38	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा – (क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
65. हरिश्चन्द्र सागर परियोजना (अवाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	12,13.20	..
योग -65	..	..	..	..	12,13.20	..
66. तकली परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	13,39.21	..	13,39.21	12,83.76	1,42,97.43	(+) 4.32
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,54.70	..	3,54.70	3,77.00	19,85.36	(-) 5.92
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,75.58	..	2,75.58	2,94.00	12,82.20	(-) 6.27
योग -66	19,69.49	..	19,69.49	19,54.76	1,75,64.99	(+) 0.75
67. लहसी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	4,70.34	..	4,70.34	4,57.31	1,43,97.37	(+) 2.85
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	1,20.78	..	1,20.78	(-) 8.55	14,43.48	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	97.85	..	97.85	67.49	9,97.70	(+) 44.98
योग -67	6,88.97	..	6,88.97	5,16.25	1,68,38.55	(+) 33.46
68. मनोहर थाना परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	40.12	..
योग -68	..	..	..	..	40.12	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
69. राजगढ़ परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	14,70.75	..	14,70.75	15,57.23	2,03,50.11	(-) 5.55
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	4,25.13	..	4,25.13	3,74.80	57,68.83	(+) 13.43
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,09.62	..	2,09.62	2,79.99	50,48.07	(-) 25.13
योग -69	21,05.50	..	21,05.50	22,12.02	3,11,67.01	(-) 4.82
71. पीपलाद परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	..	..	..	..	65,76.87	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	3,28.31	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	88.00	..
योग -71	..	..	..	..	69,93.18	..
72. गागरिन परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	8,70.99	..	8,70.99	28,29.23	1,64,68.07	(-) 69.21
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,30.56	..	2,30.56	7,96.12	23,55.56	(-) 71.04
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1,81.92	..	1,81.92	6,20.95	12,94.94	(-) 70.70
योग -72	12,83.47	..	12,83.47	42,46.30	2,01,18.57	(-) 69.77

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
73. हाथियां देह परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	1,13,59.44	..	1,13,59.44	1,35.24	1,15,12.47	(+) 8299.47
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5,91.07	..	5,91.07	35.49	6,26.56	(+) 1565.43
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	52.03	..	52.03	28.00	80.03	(+) 85.82
योग -73	1,20,02.54	..	1,20,02.54	1,98.73	1,22,19.06	(+) 5939.62
74. अंधेरी परियोजना (वाणिज्यिक)						
001. निदेशन तथा प्रशासन	3.37	..	3.37	0.53	8.80	(+) 535.85
योग -74	3.37	..	3.37	0.53	8.80	(+) 535.85
80. सामान्य						
002. आंकड़ा संग्रहण	..	..	..	..	27.33	..
005. सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	..	..	..	..	13.84	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	4,07.33	..
योग -80	..	..	..	..	4,48.50	..
योग -4701	2,31,05.82	..	2,31,05.82	1,61,47.29	27,15,87.18	(+) 43.09

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
101. सतही जल	2,32,31.79	1,50.64	2,33,82.43	2,77,86.29	28,34,73.35	(-) 15.85
102. भू-जल	40.65	..	40.65	28.14	32,45.21 (क)	(+) 44.46
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	63,87.86	40.59	64,28.45	85,57.91	6,28,65.72	(-) 24.88
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	82,20.25	19.68	82,39.93	83,05.24	14,00,39.12	(-) 0.79
800. अन्य व्यय	..	1.00	1.00	1.84	8,66,23.58	(-) 45.65
902. घटाईये – जल संरक्षण उपकर निधि से पूरित व्यय	(-) 8,90.53	..	(-) 8,90.53	..	(-) 8,90.53	..
योग -4702	3,69,90.02	2,11.91	3,72,01.93	4,46,79.42	57,53,56.45	(-) 16.74
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय						
101. इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	32.47	..	32.47	23.65	12,12,41.14 (ख)	(+) 37.29
102. चम्बल क्षेत्र का विकास	2.06 5,03.22	..	5,05.28	5,41.84	2,54,66.12 (ग)	(-) 6.75
103. भाखड़ा और गंग क्षेत्र का विकास	50.91	..	50.91	66.35	82,64.02	(-) 23.27
104. माही बजाज सागर	..	..	..	..	3,93.93	..
105. सिद्धमुख नोहर परियोजना	6.17	..	6.17	56.95	1,33,35.19	(-) 89.17
106. बीसलपुर क्षेत्र का विकास	2,67.01	..	2,67.01	1,03.31	1,20,47.05	(+) 158.46

(क) इसमें राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (नलकूप निगम), जयपुर (₹ 1,27,00,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर (₹ 19,36.45 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) इसमें राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, जयपुर (₹ 0.65 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
107. गंग नहर परियोजना	42,44.15	21,80.80	64,24.95	34,23.57	4,47,31.31	(+) 87.67
108. भाखड़ा सिंचाई परियोजना	6,26.44	..	6,26.44	18,67.43	1,19,61.97	(-) 66.45
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,72.08	1,64.78	5,36.86	6,86.85	1,49,48.71	(-) 21.84
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	44.39	..	44.39	1,74.34	13,65.47	(-) 74.54
योग -4705	61,46.84	23,45.58	84,94.48	69,44.29	25,37,54.91	(+) 22.32
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
01. बाढ़ नियंत्रण						
001. निदेशन तथा प्रशासन	43.99	..	43.99	39.99	11,60.26	(+) 10.00
052. मशीनरी एवं उपस्कर	..	..	..	..	3.32	..
103. सिविल निर्माण कार्य	15,22.95	..	15,22.95	21,35.13	3,58,79.94	(-) 28.67
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,48.27	..	3,48.27	5,37.35	30,20.84	(-) 35.19
799. उर्ध्व	..	..	..	..	77.18	..
योग -4711	19,15.21	..	19,15.21	27,12.47	4,01,41.54	(-) 29.39
योग – (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	25,09,35.67	76,68.84	25,86,16.65	22,89,66.09	3,05,97,81.80	(+) 12.95

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
02. ताप विद्युत शक्ति उत्पादन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	45.00 (क)	..
योग -02	..	..	..	..	45.00	..
04. डीजल / गैस शक्ति उत्पादन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	5.00 (क)	..
योग -04	..	..	..	..	5.00	..
06. ग्रामीण विद्युतीकरण						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	66.25 (ख)	..
योग -06	..	..	..	..	66.25	..

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

(ख) इसमें अन्य सहकारी समितियों के अंतर्गत आबूरोड़ इलेक्ट्रीसिटी एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबूरोड़ (₹1.25 लाख) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति लिमिटेड, टोडाभीम (₹ 30.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
80. सामान्य						
101. राज्य विद्युत् बोर्ड में निवेश	..	..	..	..	5.00 (क)	..
योग – 101	..	..	..	..	5.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
(01) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में विनियोजन (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड)	..	..	..	..	2,00.00	..
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	22,62.72	..	22,62.72	2,27,50.00	84,80,20.46	(-) 90.05
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	1,52,50.00	36,73,27.01	(-) 100.00
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	78,14.56	..	78,14.56	1,24,62.83	47,91,37.26	(-) 37.30
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	1,01,30.28	..	1,01,30.28	1,28,89.90	44,30,82.75	(-) 21.41
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	72,29.76	..	72,29.76	77,86.58	43,95,10.33	(-) 7.15
(07) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में विनियोजन (मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट–ई.ए.पी.)	..	..	..	..	4,35.68	..
(08) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर में विनियोजन	..	..	..	..	4,93.43	..

(क) राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
80. सामान्य –(क्रमशः)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश–(समाप्त)						
(09) राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर	..	..	..	..	90,00.00	..
(10) उदय योजना के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	2,13,64.09	30,43,22.67	(-) 100.00
(11) उदय योजना के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	1,97,54.97	27,78,05.89	(-) 100.00
(12) उदय योजना के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	2,04,54.26	27,70,69.12	(-) 100.00
(13) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	34,51.49	..
(14) राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	2.75	..
(15) उदय योजना के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	5,67,90.25	..
(16) उदय योजना के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	5,56,35.29	..
(17) उदय योजना के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	6,67,86.34	..
योग – 190	2,74,37.32	..	2,74,37.32	13,27,12.63	3,62,90,70.72	(-) 79.33

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
80. सामान्य –(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	6,42.32	..	6,42.32	70,00.00	12,03,40.86	(-) 90.82
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	60,00.00	6,17,58.20	(-) 100.00
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	17,40.00	..	17,40.00	75,50.80	7,43,09.82	(-) 76.96
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	26,81.28	..	26,81.28	78,09.65	7,27,28.26	(-) 65.67
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	19,13.76	..	19,13.76	47,17.87	6,09,44.25	(-) 59.44
(07) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	56,55.20	8,98,92.05	(-) 100.00
(08) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	52,29.26	8,20,26.11	(-) 100.00
(09) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	54,14.36	8,17,09.08	(-) 100.00
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	8,81.01	..
(11) राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	1.50	..
(12) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	1,72,05.67	..
(13) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	1,68,55.79	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः) (ड) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः) 80. सामान्य –(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना –(समाप्त)						
(14) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	2,02,34.13	..
योग –789	69,77.36	..	69,77.36	4,93,77.14	69,88,86.73	(-) 85.87
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	4,22.96	..	4,22.96	52,50.00	7,67,61.68	(-) 91.94
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	37,50.00	4,00,18.56	(-) 100.00
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	19,37.44	..	19,37.44	34,72.37	4,85,90.60	(-) 44.20
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	20,85.44	..	20,85.44	35,91.45	4,67,76.12	(-) 41.93
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	14,88.48	..	14,88.48	21,69.55	4,00,00.01	(-) 31.39
(07) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	43,98.49	6,29,30.38	(-) 100.00
(08) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	40,67.20	5,74,57.50	(-) 100.00
(09) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	42,11.17	5,73,36.20	(-) 100.00
(10) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड में पूंजी विनियोजन	..	..	..	..	6,67.50	..

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
80. सामान्य –(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –(समाप्त)						
(11) राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड में विनियोजन	..	..	..	..	0.75	..
(12) उदय योजनान्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	1,15,64.08	..
(13) उदय योजनान्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	1,13,28.92	..
(14) उदय योजनान्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड में अधिग्रहण	..	..	..	..	1,35,99.53	..
योग –796	59,34.32	..	59,34.32	3,09,10.23	46,70,31.83	(-) 80.80
योग –80	4,03,49.00	..	4,03,49.00	21,30,00.00	4,79,49,94.28	(-) 81.06
योग –4801	4,03,49.00	..	4,03,49.00	21,30,00.00	4,79,51,10.53	(-) 81.06
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय						
02. तेल तथा गैस का परिष्करण तथा विपणन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	1,86,21.95	..	1,86,21.95	2,32,48.05	6,31,81.30 (क)	(-) 19.90
योग - 4802	1,86,21.95	..	1,86,21.95	2,32,48.05	6,31,81.30	(-) 19.90

(क) एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निवेश

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4810. नवीन और नवीनीकरण योग्य ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय						
102. सौर ऊर्जा	..	..	..	..	1,15.00 (क)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	7.50 (ख)	..
योग - 4810	..	..	..	..	1,22.50	..
योग –(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	5,89,70.95	..	5,89,70.95	23,62,48.05	4,85,84,14.33	(-) 75.04
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा						
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
101. औद्योगिक क्षेत्र	..	..	..	..	1,85.26	..
102. लघु उद्योग	..	..	..	..	5,21.89 (ग)	..
103. हथकरघा उद्योग	..	..	..	..	10,77.19 (घ)	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	41,40.98 (ङ)	..

(क) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड), जयपुर में निवेश।

(ख) सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड (₹ 2.50 लाख), एस्सल सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड (₹ 2.50 लाख) तथा अडाणी नवीनीकरण ऊर्जा पार्क लिमिटेड (₹ 2.50 लाख) में निवेश।

(ग) इसमें राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,11,88,700) में निवेश सम्मिलित है।

(घ) इसमें बुनकर संघ (₹ 65,60,000), राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,60,00,000) तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,50,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ङ) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,50.00 लाख) तथा राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 39,90.98 लाख) में निवेश।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4851. ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
200. अन्य ग्रामोद्योग	30.00	..	30.00	79.44	20,53.17	(-) 62.24
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	12.61	..
योग –4851	30.00	..	30.00	79.44	79,91.10	(-) 62.24
4852. लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. खनन						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	1.62 (क)	..
योग –4852	..	..	..	..	1.62	..
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास						
004. अनुसंधान तथा विकास	..	..	..	33,62.70	2,71,79.74 (ख)	(-) 100.00
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	31,81.97 (ग)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	2,43.91	40,40.78	(-) 100.00

(क) इसमें टाटा स्टील लिमिटेड (₹ 0.25 लाख), राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (₹ 0.09 लाख) तथा संबद्ध लौह और इस्पात उद्योग (₹ 1.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 30.50 लाख) तथा मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता (₹ 25.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ग) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 15,23.50 लाख) तथा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 13,78.66 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः) (घ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4853. अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
01. खनिज अन्वेषण तथा विकास–(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	1,77.77	1,03,99.80 (क)	(-) 100.00
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	1.95	..
902. घटाईये – खनिज क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य निधि से पूरित राशि	..	..	..	(-) 37,84.38	(-) 2,43,45.34	(-) 100.00
योग -01	..	..	..	..	2,04,58.90	..
60. अन्य खनन तथा धातुकर्म उद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश काम की लागत के बावजूद संचालन में नहीं लेखा शीर्षों से संबंधित अन्य व्यय	..	..	..	..	10.00 (ख)	..
	..	..	..	..	(-) 6,16.34 (ग)	..
योग -60	..	..	..	..	(-) 6,06.34	..
योग -4853	..	..	..	..	1,98,52.56	..
4857. रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. रसायन तथा पेस्टीसाईड उद्योग						
004. अनुसंधान तथा विकास	..	..	..	..	1,15.59	..
योग -4857	..	..	..	..	1,15.59	..

(क) इसमें राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर (₹ 56,60.80 लाख) तथा राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,44.25 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

(ग) ऋणव्यय, झामर कोटड़ा रॉक फास्फेट योजना से सम्बन्धित प्राप्ति एवं वसूलियां व्यय से अधिक होने के कारण है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4858. इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. विद्युत् इंजीनियरी उद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	7.50 (क)	..
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	16.40 (ख)	..
योग -4858	..	..	..	..	23.90	..
4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
01. वस्त्रोद्योग						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	32,76.87 (ग)	..
योग -01	..	..	..	..	32,76.87	..

(क) जयपुर बैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर में निवेश ।

(ख) इसमें मान इण्डस्ट्रीयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर तथा ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा में क्रमशः ₹ 15,00,000 तथा ₹ 3,66,500 की राशि का निवेश सम्मिलित है । इसमें अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड से सम्बन्धित ₹ 2,26,250 के ऋण आंकड़े भी सम्मिलित हैं, जो जांच के अधीन हैं ।

(ग) सहकारी स्पिनिंग मिल्स (₹ 31,47,34,900), मेवाड़ टैक्सटाईल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा (₹ 50,00,000), नेशनल टेक्सटाईल्स कॉरपोरेशन, नई दिल्ली (₹ 45,85,000), जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 17,45,800), आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर (₹ 16,00,000) तथा कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़ (₹ 20,833) में निवेश ।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4860. उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
04. चीनी						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	(-) 24.50 (क)	..	(-) 24.50	..	1,87,07.68 (ख)	..
योग -04	(-) 24.50	..	(-) 24.50	..	1,87,07.68	..
60. अन्य						
214. प्रसाधन उपक्रम	..	..	..	..	7.60 (ग)	..
218. नमक	..	..	..	..	1,23.08 (घ)	..
600. अन्य	..	..	..	..	1,16.62 (ङ)	..
योग -60	..	..	..	..	2,47.30	..
योग -4860	(-) 24.50	..	(-) 24.50	..	2,22,31.85	..

(क) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

(ख) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,80,51,80,136) तथा प्रसंस्करण सहकारी समितियों के तहत सहकारी समितियों (₹ 6,55,88,000) में निवेश।

(ग) हाईटेक प्रेसीसन ग्लास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर में निवेश जिसका राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में विलय कर दिया गया है।

(घ) इसमें सांभर साल्ट लिमिटेड (₹ 40,00,000) में निवेश सम्मिलित है।

(ङ) इसमें जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर (₹ 75,00,000), स्टोन वेअर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर (₹ 12,500), औद्योगिक सहकारी समितियों (₹ 4,76,013) तथा रामपुर उद्योग (₹ 6,960) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(घ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
4875. अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
60. अन्य उद्योग						
800. अन्य व्यय	..	..	..	..	11.40 (क)	..
योग -4875	..	..	..	..	11.40	..
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय						
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	1,26,27.70 (ख)	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	18,05.50 (ग)	..
योग -01	..	..	..	..	1,44,33.20	..
60. अन्य						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	14,99.09	..	14,99.09	4,57.90	19,83.37	(+) 227.38
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	9,55.97	..	9,55.97	4,24.51	16,03.05	(+) 125.19

(क) राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (नेशनल प्रोजेक्ट कन्सल्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली (₹ 10,00,000), श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर (₹ 1,30,000) तथा न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद (₹ 10,000) में निवेश ।

(ख) राजस्थान वित्त निगम, जयपुर में निवेश ।

(ग) इसमें राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 15,99.50 लाख) तथा राजस्थान वित्त निगम, जयपुर (₹ 2,03.00 लाख) में निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त)						
60. अन्य –(समाप्त)						
800. अन्य व्यय	25,14.77	..	25,14.77 (क)	18,45.98	3,18,23.83 (ख)	(+) 36.23
योग –60	49,69.83	..	49,69.83	27,28.39	3,54,10.25	(+) 82.15
योग –4885	49,69.83	..	49,69.83	27,28.39	4,98,43.45	(+) 82.15
योग –(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	49,75.33	..	49,75.33	28,07.83	10,00,71.47	(+) 77.19
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा						
5002. भारतीय रेल–वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय						
02. यातायात सुविधाएं						
200. अन्य यातायात सुविधाएं	..	..	..	..	0.24 (ग)	..
योग –5002	..	..	..	..	0.24	..

(क) इसमें दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर पर व्यय सम्मिलित है ।

(ख) इसमें अप्रचलित लेखा शीर्षों से सम्बन्धित ₹ 3,29,74,867 सम्मिलित है जिसमें परियोजना विकास निगम (₹ 75.00 लाख) तथा अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (₹ 1.65 लाख) सम्मिलित है इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,77,38.58 लाख), परियोजना विकास निगम (₹ 24.00 लाख) तथा राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ (₹ 50.00 लाख) में निवेश भी सम्मिलित है ।

(ग) सेन्ट्रल प्रोविन्सेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई (₹ 7,600), फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 9,500) तथा छापमुख सिलीघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता (₹ 6,365) में निवेश ।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5053. नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय						
01. हवाई सेवाएं						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	4,49.27 (क)	..
योग-5053	..	..	..	..	4,49.27	..
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय						
02. महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें						
337. सड़क निर्माण कार्य	..	16,65.01	16,65.01	37,74.17	8,73,54.16	(-) 55.88
योग -337	..	16,65.01	16,65.01	37,74.17	8,73,54.16	(-) 55.88
योग -02	..	16,65.01	16,65.01	37,74.17	8,73,54.16	(-) 55.88
03. राज्य राजमार्ग						
337. सड़क निर्माण कार्य	12,15,47.04	1,11,02.32	13,26,49.36	14,08,99.75	99,05,35.50	(-) 5.86
घटाइये- शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि	..	..	..	..	(-) 30,58,47.34	..
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 13,68,44.09	..
निवल - 337	12,15,47.04	1,11,02.32	13,26,49.36	14,08,99.75	54,78,44.07	(-) 5.86

(क) राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
03. राज्य राजमार्ग–(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,92,80.15	17,88.22	3,10,68.37	3,10,22.19	17,27,19.96*	(+) 0.15
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 1,45,75.20*	..
घटाइये– शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि	..	..	..	..	(-) 5,25,45.54	..
निवल – 789	2,92,80.15	17,88.22	3,10,68.37	3,10,22.19	10,55,99.22	(+) 0.15
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,10,66.34	11,88.55	2,22,54.89	2,23,29.70	11,37,95.70	(-) 0.34
घटाइये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 1,32,96.11	..
घटाइये– शीर्ष 8449 से स्थानान्तरित केन्द्रीय सड़क निधि	..	..	..	..	(-) 2,91,17.96	..
निवल – 796	2,10,66.34	11,88.55	2,22,54.89	2,23,29.70	7,13,81.63	(-) 0.34
799. उच्चत	..	..	..	..	5,92.13	..
योग –799	..	..	..	..	5,92.13	..

* पूर्णांक के कारण 1 कम किया गया ।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
03. राज्य राजमार्ग–(समाप्त)						
902. घटाईये						
(01) केन्द्रीय सड़क निधि से प्रतिपूर्ति	..	(-) 1,40,79.09	(-) 1,40,79.09	(-) 3,28,73.59	(-) 4,69,52.68	(-) 57.17
(02) राज्य सड़क विकास निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 3,97,61.29	..	(-) 3,97,61.29	(-) 4,33,49.42	(-) 8,31,10.71	(-) 8.28
योग –902	(-) 3,97,61.29	(-) 1,40,79.09	(-) 5,38,40.38	(-) 7,62,23.01	(-) 13,00,63.39	(-) 29.36
योग –03	13,21,32.24	..	13,21,32.24	11,80,28.63	59,53,53.66	(+) 11.95
04. जिला तथा अन्य सड़कें						
337. सड़क निर्माण कार्य	1,46,94.14	..	1,46,94.14	6,21.73	2,44,31.27	(+) 2263.43
योग – 337	1,46,94.14	..	1,46,94.14	6,21.73	2,44,31.27	(+) 2263.43
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,84,71.71	60,50.00	3,45,21.71	4,13,86.67	36,09,05.33	(-) 16.59
घटाईये– शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 1,80,39.81	..
निवल – 789	2,84,71.71	60,50.00	3,45,21.71	4,13,86.67	34,28,65.52	(-) 16.59

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
04. जिला तथा अन्य सड़कें–(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,10,99.49	46,07.00	2,57,06.49	3,28,37.85	29,34,45.28	(-) 21.72
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 1,17,96.02	..
निवल –796	2,10,99.49	46,07.00	2,57,06.49	3,28,37.85	28,16,49.26	(-) 21.72
800. अन्य व्यय	9,97,67.82	2,43,10.00	12,40,77.82	15,97,04.43	1,88,58,41.11	(-) 22.31
घटाइये- शीर्ष 8225 से स्थानान्तरित राज्य सड़क विकास निधि	..	..	..	..	(-) 10,97,67.19	..
निवल – 800	9,97,67.82	2,43,10.00	12,40,77.82	15,97,04.43	1,77,60,73.92	(-) 22.31
902. घटाइये						
(01) राज्य सड़क विकास निधि से प्रतिपूर्ति	(-) 5,93,07.27	..	(-) 5,93,07.27	(-) 7,11,77.07	(-) 13,04,84.34	(-) 16.68
योग –902	(-) 5,93,07.27	..	(-) 5,93,07.27	(-) 7,11,77.07	(-) 13,04,84.34	(-) 16.68
योग –04	10,47,25.89	3,49,67.00	13,96,92.89	16,33,73.61	2,29,45,35.63	(-) 14.49

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –(क्रमशः)						
05. सड़कें						
337. सड़क निर्माण कार्य	..	50.19	50.19	..	1,63,02.83	..
योग –337	..	50.19	50.19	..	1,63,02.83	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	..	..	..	..	27.62	..
योग –789	..	..	..	..	27.62	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	62.70	..
योग –796	..	..	..	..	62.70	..
योग –05	..	50.19	50.19	..	1,63,93.15	..
80. सामान्य						
001. निदेशन तथा प्रशासन	2,28,05.95	..	2,28,05.95	2,95,16.30	23,15,45.24	(-) 22.73
योग –001	2,28,05.95	..	2,28,05.95	2,95,16.30	23,15,45.24	(-) 22.73

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः) (छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(क्रमशः)						
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –(समाप्त) 80. सामान्य–(समाप्त)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	2,37,50.00 (क)	..
योग – 190	..	..	..	..	2,37,50.00	..
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	..	..	..	..	6,75.02	..
योग –796	..	..	..	..	6,75.02	..
800. अन्य व्यय	41,46.54	..	41,46.54	53,87.78	4,44,84.70	(-) 23.04
योग –800	41,46.54	..	41,46.54	53,87.78	4,44,84.70	(-) 23.04
योग –80	2,69,52.49	..	2,69,52.49	3,49,04.08	30,04,54.96	(-) 22.78
योग –5054	26,38,10.62	3,66,82.20	30,04,92.82	32,00,80.49	3,29,40,91.56	(-) 6.12

(क) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,00,00,00,000) एवं सड़क आधारभूत विकास कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर (₹ 1,37,49,99,970) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा–(समाप्त)						
5055. सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय						
050. भूमि तथा भवन	4,62.10	..	4,62.10	12,54.56	19,90.15	(-) 63.17
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	6,12,81.43 (क)	..
902. घटाईये:- समर्पित सड़क सुरक्षा निधि से पूरित राशि	(-) 4,62.10	..	(-) 4,62.10	(-) 12,54.56	(-) 19,54.86	(-) 63.17
योग -5055	..	..	..	..	6,13,16.72	..
योग –(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा	26,38,10.62	3,66,82.20	30,04,92.82	32,00,80.49	3,35,58,57.79	(-) 6.12
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा						
5425. अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय						
800. अन्य व्यय	28.09	..	28.09	77.90	22,70.14	(-) 63.94
योग -5425	28.09	..	28.09	77.90	22,70.14	(-) 63.94
योग –(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	28.09	..	28.09	77.90	22,70.14	(-) 63.94

(क) इसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, जयपुर (₹ 6,12,13,50,000), कोटा परिवहन कम्पनी लिमिटेड, कोटा (₹ 2,00,000), बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, बूंदी (₹ 12,423) तथा झालावाड़ परिवहन सर्विस लिमिटेड, झालावाड़ (₹ 10,000) में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
	(₹ लाख में)					
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा –(क्रमशः)						
(अ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा						
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय						
80. सामान्य						
105. पर्यटन यातायात	..	..	..	..	4,75.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	23,37.04 (क)	..
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	6,98.97	..	6,98.97	4,92.34	37,59.55	(+) 41.97
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2,88.58	..	2,88.58	..	42,61.18 (ख)	..
800. अन्य व्यय	9,59.62 (ग)	..	9,59.62	5,68.56	3,65,94.12	(+) 68.78
योग – 5452	19,47.17	..	19,47.17	10,60.90	4,74,26.89	(+) 83.54
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश						
01. सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश	..	..	..	..	73,69.39 (घ)	..
योग –01	..	..	..	..	73,69.39	..

(क) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 21,12.61 लाख) तथा राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 55.00 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

(ख) इसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 81.76 लाख) में निवेश सम्मिलित हैं।

(ग) इसमें पर्यटन स्थलों के विकास तथा ग्रामीण पर्यटन पर व्यय सम्मिलित हैं।

(घ) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर (₹ 27,29,32,330) तथा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर (₹ 46,40,07,150) में निवेश।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (क्रमशः)						
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (क्रमशः)						
5465. सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश - (समाप्त)						
02. व्यापारिक संस्थाओं में निवेश						
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	2,41.79 (क)	..
योग -02	..	..	..	..	2,41.79	..
योग -5465	..	..	..	..	76,11.18	..
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय						
101. भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)	..	..	..	..	1,29.84	..
102. नागरिक आपूर्ति	84.21	..	84.21	2.07	19,22.65 (ख)	(+) 3968.12
103. कृषि भूमि के लिए भूमि सीमा	..	..	..	..	2,16.07	..
107. जनगणना	..	50.00	50.00	..	50.00	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	..	..	..	..	55,60.00 (ग)	..
202. जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमिधारियों को मुआवजा	..	..	..	..	46,16.91(घ)	..

(क) राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर, (₹ 41.79 लाख) तथा राजस्थान राज्य बीवरेज निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 2,00.00 लाख) में निवेश।

(ख) इसमें उपभोक्ता सहकारी समितियों के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी भण्डार [₹ 6,63,39,670 (निवल)] में निवेश सम्मिलित है।

(ग) राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (₹ 60.00 लाख), राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर (₹ 50,00.00 लाख) तथा राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (₹ 5,00.00 लाख) में निवेश।

(घ) इसमें उपभोक्ता सहकारी समितियों के अन्तर्गत उपभोक्ता सहकारी भण्डार [₹ 4,13,42,880 (निवल)] में निवेश सम्मिलित है।

विवरण संख्या 16 – (क्रमशः)

व्यय के प्रकार	2020-21 के दौरान व्यय			2019-20 के दौरान व्यय	2020-21 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो. तथा के. यो. सहित)	योग			
(₹ लाख में)						
ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा - (समाप्त)						
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा- (समाप्त)						
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - (समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना	37,57.12	30.00	37,87.12	34,09.02	6,05,89.37	(+) 11.09
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	30,43.52	20.00	30,63.52	26,22.03	4,58,12.91(क)	(+) 16.84
800. अन्य व्यय	2,00,26.79	..	2,00,26.79 (ख)	1,27,35.88	22,46,29.83	(+) 57.25
योग -5475	2,69,11.64	1,00.00	2,70,11.64	1,87,69.00	34,35,27.58	(+) 43.92
योग -(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	2,88,58.81	1,00.00	2,89,58.81	1,98,29.90	39,85,65.65	(+) 46.04
योग - ग. आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	12.14 66,90,62.97	5,39,98.24	72,30,73.35	87,64,94.95	13,36,06,80.25	(-) 17.50
कुल योग	12.30 1,24,82,58.32	27,87,77.96	1,52,70,48.58 (ग)	1,47,18,04.64	21,80,62,86.98(घ)	(+) 3.75

(क) इसमें जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत विभिन्न समितियां (₹ 10.40 लाख) तथा कमजोर उपभोक्ता सहकारी भंडारों (₹ 4.50 लाख) में निवेश सम्मिलित है।

(ख) इसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग पर ₹ 1,98,84.28 लाख का व्यय सम्मिलित है।

(ग) इसमें स्थानीय निकायों को जारी निधियों से संबंधित ₹ 10,78,44.57 लाख का व्यय सम्मिलित है।

(घ) देखिये पाद टिप्पणी (ख) पृष्ठ क्रमांक 259, (ख) पृष्ठ क्रमांक 260 एवं (क) पृष्ठ क्रमांक 261।

विवरण संख्या 16 - (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. पूंजीगत लेखा पर व्यय :- वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय (₹1,52,70,48.58 लाख) गत वर्ष (₹1,47,18,04.64 लाख) की तुलना में ₹ 5,52,43.94 लाख से बढ़ा। कमी/वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत थी :-

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
(₹ लाख में)		
वृद्धि		
4217. शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	7,88,75.31	जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण के लिये अटल मिशन योजना तथा शहरी सड़कों एवं नालियों पर अधिक व्यय के कारण।
4215. जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	6,48,29.27	विभिन्न ग्रामीण जल प्रदाय परियोजनाओं के अन्तर्गत गत वर्ष की तुलना में कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण।
4202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5,14,42.94	प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण।
4700. मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,94,16.59	परवन परियोजना पर अधिक व्यय तथा नर्बदा परियोजना के अंतर्गत व्यय से कम प्राप्ति और वसूली के कारण।
4210. चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,48,03.96	गत वर्ष की तुलना में निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण।
4403. पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	89,88.53	पशु औषधालयों के निर्माण पर अधिक व्यय के कारण।
5475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	82,42.64	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत जिला परिषदों को अधिक निधियां जारी करने के कारण।
4401. फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	81,25.75	गत वर्ष की तुलना में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत अधिक व्यय के कारण।
4701. मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	69,58.53	हथिया देह परियोजना पर अधिक व्यय के कारण।
4250. अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	36,52.29	रोजगार के तहत प्रशिक्षण पर अधिक व्यय के कारण।
4406. वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	32,22.66	नाबार्ड की सहायता से वानिकी कार्यों पर अधिक व्यय के कारण।
4225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	30,60.60	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण।
4885. उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	22,41.44	दिल्ली-मुम्बई इण्डिस्ट्रियल कोरिडोर पर अधिक व्यय के कारण।
4705. कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	15,50.19	गंग नहर परियोजना पर अधिक व्यय के कारण।
5452. पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8,86.27	गत वर्ष की तुलना में पर्यटक स्थलों के विकास पर निर्माण कार्यों और ग्रामीण पर्यटन के अधिक निष्पादन के कारण।
4216. आवास पर पूंजीगत परिव्यय	7,45.80	सरकारी आवासीय भवन के निर्माण कार्यों के अधिक निष्पादन के कारण।

विवरण संख्या 16 - (समाप्त)
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ - (समाप्त)

1. पूंजीगत लेखा पर व्यय - (समाप्त)

लेखा का मुख्य शीर्ष	राशि	टिप्पणी
(₹ लाख में)		
कमी		
4801. बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	17,26,51.00	गत वर्ष की तुलना में विद्युत कम्पनियों में कम निवेश के कारण।
5054. सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,95,87.67	सामरिक और सीमा सड़कों के तहत सड़क कार्यों का निष्पादन न होने तथा जिला एवं अन्य सड़कों के तहत सड़क कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4515. अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	1,35,88.85	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला परिषदों को कम राशि जारी किये जाने के कारण।
4702. लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	74,77.49	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना पर कम व्यय के कारण।
4802. पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	46,26.10	गत वर्ष की तुलना में एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में कम निवेश के कारण।
4055. पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	44,92.89	पुलिस आधुनिकीकरण तथा पुलिस आवास पर कम व्यय के कारण।
4575. अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	36,49.19	सीमावर्ती क्षेत्र विकास पर कम व्यय के कारण।
4059. लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	19,29.15	गत वर्ष की तुलना में निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4236. पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	15,02.84	आंगन बाड़ी भवन के निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4711. बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7,97.26	विभिन्न जिलों में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7,72.02	चरवाहों के बच्चों के लिए विद्यालय भवन के कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4425. सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	5,42.80	गत वर्ष की तुलना में सहकारी समितियों में वर्ष के दौरान कम निवेश के कारण।
4070. अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,07.31	गत वर्ष की तुलना में प्रशिक्षण के तहत निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।
4220. सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	1,04.44	भवन निर्माण कार्यों के कम निष्पादन के कारण।

विवरण संख्या 17 –उधार तथा अन्य दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में		प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)								
ड लोक ऋण								
6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण *								
101. बाजार कर्ज								
(02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज	8.07	(-) 2.96 (क)	..	5.11	(-) 2.96	36.68		..
(04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020	45,00,00.00	..	45,00,00.00	..	(-) 45,00,00.00	100.00		2,48,65.00
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025	5,57,71,10.00	30,00,00.00	16,80,00.00	5,70,91,10.00	(+) 13,20,00.00	2.37		47,15,08.44
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030	10,20,87,82.00	32,50,00.00	..	10,53,37,82.00	(+) 32,50,00.00	3.18		81,82,51.26
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035	50,00,00.00	95,48,00.00	..	1,45,48,00.00	(+) 95,48,00.00	190.96		3,70,55.00
(08) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2036-2040	15,00,00.00	10,00,00.00	..	25,00,00.00	(+) 10,00,00.00	66.67		1,24,40.00
(09) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030 (द्वितीय)	..	2,25,61,00.00	..	2,25,61,00.00	(+) 2,25,61,00.00	..		3,66,31.25
(10) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 (द्वितीय)	..	1,00,00,00.00	..	1,00,00,00.00	(+) 1,00,00,00.00	..		1,72,40.00
(11) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2041-2050	..	57,50,00.00	..	57,50,00.00	(+) 57,50,00.00	..		82,76.25
(12) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2051-2060	..	22,50,00.00	..	22,50,00.00	(+) 22,50,00.00	..		32,75.00
योग - 101	16,88,59,00.07	5,73,58,97.04	61,80,00.00	22,00,37,97.11	(+) 5,11,78,97.04	30.31		1,42,95,42.20
103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	15,36.24	..	2,82.98	12,53.26	(-) 2,82.98	18.42		1,11.64
104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	21,94.80	..	4,03.72	17,91.08	(-) 4,03.72	18.39		1,97.62
105. कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक से कर्ज	87,42,46.03	19,14,33.67	18,60,78.07	87,96,01.63	(+) 53,55.60	0.61		4,56,51.29
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र	4,98,76,28.70	..	69,05,74.90	4,29,70,53.80	(-) 69,05,74.90	13.85		41,03,63.44

* प्रत्येक कर्जों का ब्यौरा इस विवरण के अनुबन्ध में दिया गया है।

(क) ऋण आंकड़े दावा नहीं किये गये शेषों को राजस्व प्राप्तियों को हस्तान्तरण करने के कारण है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण- (क्रमशः)							
6003. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण- (समाप्त)							
108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	1,05,18.11	55.87	28,89.39	76,84.59	(-) 28,33.52	26.94	12,12.17
109. अन्य संस्थाओं से कर्ज	6,33,61.94	70,40.00	65,84.92	6,38,17.02	(+) 4,55.08	0.72	42,67.52
110. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	..	2,34,83,57.00	2,34,83,57.00	..	..	..	13,84.83
111. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,38,23,55.55	..	15,84,75.95	1,22,38,79.60	(-) 15,84,75.95	11.46	13,46,93.89
योग - 6003	24,20,77,41.44	8,28,27,83.58	4,01,16,46.93	28,47,88,78.09	(+) 4,27,11,36.65	17.64	2,02,74,24.60
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम							
01. योजनेतर कर्ज							
800. अन्य कर्ज							
(01) पुलिस-पुलिस दल का आधुनिकीकरण	16,86.03	..	2,56.23	14,29.80	(-) 2,56.23	15.20	2,03.96
(02) मल व्ययन और जल प्रदाय-नल जल प्रदाय योजनाएं	1,90.00	..	1,35.00	55.00	(-) 1,35.00	71.05	17.57
(03) विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्च शिक्षा- छात्रवृत्तियां	70.15	..	..	70.15	..	..	..
(05) सीमान्त क्षेत्रों में परिचय पत्रों के लिए कर्ज	.. *	..	..	.. *	..	..	..
योग - 800	19,46.18	..	3,91.23	15,54.95	(-) 3,91.23	20.10	2,21.53
योग - 01	19,46.18	..	3,91.23	15,54.95	(-) 3,91.23	20.10	2,21.53

* मात्र ₹ 61।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण –(क्रमशः)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम –(क्रमशः)							
02. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज							
101. एक मुश्त कर्ज							
(01) वर्ष 2006-07 तक आयोजनागत योजनाओं हेतु कर्ज	6,53,79.17	82.33	1,24,99.57	5,29,61.93	(-) 1,24,17.24	18.99	59,30.29
(02) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु कर्ज	8,17,58.91	..	73,65.55	7,43,93.36	(-) 73,65.55	9.01	67,90.39
योग- 101	14,71,38.08	82.33	1,98,65.12	12,73,55.29	(-) 1,97,82.79	13.45	1,27,20.68
105. बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्ज	12,80,31.98	..	3,08,70.26	9,71,61.72	(-) 3,08,70.26	24.11	96,02.40
योग - 105	12,80,31.98	..	3,08,70.26	9,71,61.72	(-) 3,08,70.26	24.11	96,02.40
योग - 02	27,51,70.06	82.33	5,07,35.38	22,45,17.01	(-) 5,06,53.05	18.41	2,23,23.08
03. केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज							
800. अन्य कर्ज							
(02) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशेष योजना	3.69	(-) 3.69 (क)	..	..	(-) 3.69	100.00	..
(03) पुनर्वासि-अन्य पुनर्वासि योजनाएं	.. *	..#	..	..	..	..	..
(04) सहकारिता-अन्य उधार	1.21	(-) 1.21 (क)	..	..	(-) 1.21	100.00	..
योग - 800	4.90	(-) 4.90	..	..	(-) 4.90	100.00	..
योग - 03	4.90	(-) 4.90	..	..	(-) 4.90	100.00	..

(क) ऋण आंकड़े गत वर्षों के गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण हैं।

* मात्र ₹ 500।

मात्र ₹ (-) 500।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में		प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)								
ड लोक ऋण –(क्रमशः)								
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम –(क्रमशः)								
04. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज								
284. सामान्य (शहरी विकास) – अन्य उधार	3,01.71	@	..	..	3,01.71	..	..	..
योग – 284	3,01.71		..	..	3,01.71	..	..	..
307. भू और जल संरक्षण								
(01) भू संरक्षण योजनाएं	..	6,87.60	(-) 6,87.60 (क)	..	..	(-) 6,87.60	100.00	..
योग – 307	6,87.60	(-) 6,87.60		..	..	(-) 6,87.60	100.00	..
321. ग्राम और लघु उद्योग								
(01) हथकरघा उद्योग		.. *	.. #	..	..	..	..	..
योग – 321	..		..	..	..	..	..	..
334. पारेषण और वितरण								
अन्य उधार	3.56	..	..	..	3.56	..	..	..
योग – 334	3.56	..	..	..	3.56	..	..	..

@ पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष को 1 से घटाया गया।

(क) ऋण आंकड़े संबंधित मंत्रालयों द्वारा कर्ज के अपलेखन के कारण हैं।

* मात्र ₹ 105।

मात्र ₹ (-) 105।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में	प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
ड लोक ऋण - (क्रमशः)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम - (क्रमशः)							
04. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज - (समाप्त)							
337. अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कें अन्य उधार	1,43.98	(-) 1,43.98 (क)	..	..	(-) 1,43.98	100.00	..
योग - 337	1,43.98	(-) 1,43.98	..	..	(-) 1,43.98	100.00	..
800. अन्य उधार (03) कमान क्षेत्र विकास-आयकट विकास	(-) 6.15 * & (ख)	6.15	..	..	(+) 6.15	100.00	..
योग - 800	(-) 6.15	6.15	..	..	(+) 6.15	100.00	..
योग - 04	11,30.70	(-) 8,25.43	..	3,05.27	(-) 8,25.43	73.00	..
07. 1984-85 पूर्व के कर्ज							
102. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज स्कीम (01) 1974 से पूर्व की उधार	2,11.37	..	..	2,11.37	..	..	..
योग - 102	2,11.37	..	..	2,11.37	..	..	..

(क) ऋण आंकड़े वित्त विभाग के निर्देशानुसार ऋण के अपलेखन के कारण है।

* पूर्णांक के कारण प्रारम्भिक शेष में 1 से वृद्धि की गयी।

(ख) तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त मंत्रालय के अलावा मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को अग्रिम दिये गये केन्द्रीय कर्जों को अपलिखित करने के कारण हैं। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं की पुनःभुगतान राशि को वित्त मंत्रालयीन कर्जों में समायोजित किया गया है। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्य द्वारा अभी तक असमायोजित ऋणों के कुछ पुनःभुगतान रहने के परिणामतः इन शीर्षों के अन्तर्गत ऋण शेष प्रदर्शित हो रहे हैं।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकाए	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
लोक ऋण – (समाप्त)							
6004. केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम – (समाप्त)							
07. 1984–85 पूर्व के कर्ज – (समाप्त)							
105. लघु बचत कर्ज	33.59	..	..	33.59	..	..	..
योग – 105	33.59	..	..	33.59	..	..	..
107. 25 वर्ष तथा 30 वर्ष के कर्ज में पुनः समेकित किए गए 1979–80 पूर्व के समेकित कर्ज	2,95.08	1.26	..	2,96.34	(+) 1.26	0.43	..
योग – 107	2,95.08	1.26	..	2,96.34	(+) 1.26	0.43	..
योग – 07	5,40.04	1.26	..	5,41.30	(+) 1.26	0.23	..
09. राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज							
101. एकमुश्त कर्ज							
(02) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजना स्कीमों के लिए वित्त वर्ष 2017–18 एवं इसके पश्चात के अन्य कर्ज	1,45,14,58.11	15,37,63.25	3,95,24.91	1,56,56,96.45	(+) 11,42,38.34	7.87	1,64,16.21
(03) पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना	..	10,02,00.00	..	10,02,00.00	(+) 10,02,00.00	..	..
(04) जीएसटी क्षतिपूर्ति एवज में ऋण	..	46,04,00.00	..	46,04,00.00	(+) 46,04,00.00	..	..
योग – 101	1,45,14,58.11	71,43,63.25	3,95,24.91	2,12,62,96.45	(+) 67,48,38.34	46.49	1,64,16.21
योग – 09	1,45,14,58.11	71,43,63.25	3,95,24.91	2,12,62,96.45	(+) 67,48,38.34	46.49	1,64,16.21
योग – 6004	1,73,02,49.99	71,36,16.51	9,06,51.52	2,35,32,14.98	(+) 62,29,64.99	36.00	3,89,60.82
योग – ड लोक ऋण	25,93,79,91.43	8,99,64,00.09	4,10,22,98.45	30,83,20,93.07	(+) 4,89,41,01.64	18.87	2,06,63,85.42

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकाये	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
लोक लेखा *							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि (ख) राज्य भविष्य निधियां							
8009. राज्य भविष्य निधि	3,42,34,81.16	65,46,98.58	40,74,58.06	3,67,07,21.68	(+) 24,72,40.52	7.22	25,96,62.70
योग-(ख) राज्य भविष्य निधियां	3,42,34,81.16	65,46,98.58	40,74,58.06	3,67,07,21.68	(+) 24,72,40.52	7.22	25,96,62.70
(ग) अन्य लेखा							
8011. बीमा तथा पेंशन निधि	1,72,33,80.66	71,58,61.95	47,73,95.12	1,96,18,47.49	(+) 23,84,66.83	13.84	15,35,29.00
योग-(ग) अन्य लेखा	1,72,33,80.66	71,58,61.95	47,73,95.12	1,96,18,47.49	(+) 23,84,66.83	13.84	15,35,29.00
योग -झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	5,14,68,61.82	1,37,05,60.53	88,48,53.18	5,63,25,69.17	(+) 48,57,07.35	9.44	41,31,91.70
ज. आरक्षित निधि (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8115. मूल्य ह्रास /नवीकरण आरक्षित निधि	67,47.59	..	..	67,47.59	..	..	..
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	37,64,38.74	29,71,92.20	22,75,15.25	44,61,15.69	(+) 6,96,76.95	18.51	1,43,67.20
योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	38,31,86.33	29,71,92.20	22,75,15.25	45,28,63.28	(+) 6,96,76.95	18.18	1,43,67.20

* विस्तृत लेखा विवरण संख्या 21 में दिया गया है ।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकाए	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में प्रतिशत में		ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)							
लोक लेखा –(क्रमशः)							
ज. आरक्षित निधि –(समाप्त)							
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां							
8225. सड़क तथा सेतु निधि	30,32.99	10,11,46.00	9,90,68.56	51,10.43	(+) 20,77.44	68.49	..
8229. विकास तथा कल्याण निधि	9,14,53.45	17,05,66.72	15,98,20.34	10,21,99.83	(+) 1,07,46.38	11.75	..
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	32,34,07.99	22,38,94.39	19,35,73.30	35,37,29.08	(+) 3,03,21.09	9.38	..
योग – (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	41,78,94.43	49,56,07.11	45,24,62.20	46,10,39.34	(+) 4,31,44.91	10.32	..
योग-ज. आरक्षित निधि	80,10,80.76	79,27,99.31	67,99,77.45	91,39,02.62	(+) 11,28,21.86	14.08	1,43,67.20
ट. जमा तथा अग्रिम							
(क) ब्याज वाली जमा							
8338. स्थानीय निधियों की जमा	46,13,78.46	20,51,22.50	11,26,21.89	55,38,79.07	(+) 9,25,00.61	20.05	..
8342. अन्य जमा	30,52,86.30	49,71,69.01	22,92,98.78	57,31,56.53	(+) 26,78,70.23	87.74	..
योग- (क) ब्याज वाली जमा	76,66,64.76	70,22,91.51	34,19,20.67	1,12,70,35.60	(+) 36,03,70.84	47.01	2,06,55.73 *

* मुख्य शीर्ष वार ब्याज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण - (समाप्त)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) ₹ में		प्रतिशत में	ब्याज अदायगी
(₹ लाख में)								
लोक लेखा –(समाप्त)								
ट. जमा तथा अग्रिम –(समाप्त)								
(ख) बिना ब्याज वाली जमा								
8443. सिविल जमा	2,14,14,15.18	3,99,93,58.68	4,19,24,48.27	1,94,83,25.59	(-) 19,30,89.59	9.02		..
8448. स्थानीय निधियों की जमा	45,92,35.98	7,62,22,03.95	7,48,83,32.59	59,31,07.34	(+) 13,38,71.37	29.15		..
8449. अन्य जमा	1,69,30.36	5,74,17,47.06	5,75,57,65.17	29,12.25	(-) 1,40,18.11	82.80		..
योग–(ख) बिना ब्याज वाली जमा	2,61,75,81.52	17,36,33,09.69	17,43,65,46.03	2,54,43,45.18	(-) 7,32,36.33	2.80		..
योग – ट. जमा	3,38,42,46.28	18,06,56,01.20	17,77,84,66.70	3,67,13,80.78	(+) 28,71,34.51	8.48		2,06,55.73
योग – लोक लेखा	9,33,21,88.86	20,22,89,61.04	19,34,32,97.33	10,21,78,52.57	(+) 88,56,63.72	9.49		44,82,14.63
कुल योग	35,27,01,80.29	29,22,53,61.13	23,44,55,95.78	41,04,99,45.64	(+) 5,77,97,65.36	16.39		2,51,46,00.05

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा

वर्ष	बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक)	जीवन बीमा निगम	कर्ज जहाँ से सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	अर्थोपाय अग्रिम	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	अन्य संस्थाओं से कर्ज	योग
(₹ लाख में)										
2020-21 तक	5.11	..	..	..	..	..	..	..	..	5.11
2021-22	60,00,00.00	..	..	19,00,27.29	69,05,74.90	..	15,84,75.95	..	..	1,63,90,78.14
2022-23	90,41,10.00	..	..	17,78,24.41	69,05,74.90	..	15,84,75.95	..	..	1,93,09,85.26
2023-24	1,70,00,00.00	..	..	17,43,40.30	69,05,74.90	..	15,84,75.95	..	..	2,72,33,91.15
2024-25	1,88,00,00.00	..	..	13,69,44.16	69,05,74.90	..	15,84,75.95	..	..	2,86,59,95.01
2025-26	2,40,50,00.00	..	..	9,65,25.82	69,05,77.90	..	13,64,74.35	..	..	3,32,85,78.07
2026-27	1,82,33,78.00	..	..	6,36,23.92	27,55,76.30	..	11,24,58.05	..	..	2,27,50,36.27
2027-28	2,40,84,00.00	..	..	4,03,15.73	2,70,00.00	..	9,92,66.00	..	..	2,57,49,81.73
2028-29	3,01,78,04.00	..	..	..	54,16,00.00	..	8,22,76.35	..	..	3,64,16,80.35
2029-30	2,61,42,00.00	..	..	..	..	..	6,16,48.80	..	..	2,67,58,48.80
2030-31	3,10,09,00.00	..	..	..	..	..	3,64,34.55	..	..	3,13,73,34.55
2031-32	20,00,00.00	..	..	..	..	..	1,81,72.70	..	..	21,81,72.70
2032-33	10,00,00.00	..	..	..	..	..	84,72.15	..	..	10,84,72.15
2033-34	..	..	..	..	..	..	79,48.65	..	..	79,48.65
2034-35	20,00,00.00	..	..	..	..	..	76,32.45	..	..	20,76,32.45

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि - (क्रमशः)

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋणों की परिपक्व रूप रेखा- (समाप्त)

वर्ष	बाजार कर्ज (राजस्थान राज्य विकास ऋण अथवा राजस्थान सरकार स्टॉक)	जीवन बीमा निगम	कर्ज जहाँ से सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	अर्थोपाय अग्रिम	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	अन्य संस्थाओं से कर्ज	योग
(₹ लाख में)										
2035-36	10,00,00.00	..	..	..	..	..	69,11.90	..	..	10,69,11.90
2036-37	..	..	..	..	..	..	48,99.95	..	..	48,99.95
2037-38	..	..	..	..	..	..	48,99.95	..	..	48,99.95
2038-39	15,00,00.00	..	..	..	..	..	24,79.95	..	..	15,24,79.95
2040-41	22,50,00.00	..	..	..	..	..	..	..	..	22,50,00.00
2045-46	10,00,00.00	..	..	..	..	..	..	..	..	10,00,00.00
2050-51	37,50,00.00	..	..	..	..	..	..	..	..	37,50,00.00
2055-56	10,00,00.00	..	..	..	..	..	..	..	..	10,00,00.00
*	..	12,53.26	17,91.08	..	..	..	..	76,84.59	6,38,17.02	7,45,45.95
योग	22,00,37,97.11	12,53.26	17,91.08	87,96,01.63	4,29,70,53.80	..	1,22,38,79.60	76,84.59	6,38,17.02	28,47,88,78.09

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ख) परिपक्व रूपरेखा, अर्थात् विभिन्न वर्षों में ऋण की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में भुगतान योग्य राशि - (समाप्त)

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम की परिपक्व रूपरेखा

वर्ष	योजनेत्तर कर्ज	संघ/राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए कर्ज	1984-85 से पूर्व के कर्ज	राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की स्कीमों के लिए अन्य कर्ज	योग
(₹ लाख में)							
2021-22	3,08.33	..	..	..	..	..	3,08.33
2022-23	2,50.24	..	..	..	..	..	2,50.24
2023-24	2,47.14	..	..	..	..	..	2,47.14
2024-25	2,45.59	..	..	..	..	..	2,45.59
2025-26	2,45.59	..	..	..	..	..	2,45.59
2026-27	1,54.54	..	..	..	..	..	1,54.54
2027-28	32.34	..	..	..	..	..	32.34
2028-29	1.03	..	..	..	..	..	1.03
*	70.15	22,45,17.01	..	3,05.27	5,41.30	2,12,62,96.45	2,35,17,30.18
योग	15,54.95	22,45,17.01	..	3,05.27	5,41.30	2,12,62,96.45	2,35,32,14.98

* सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 - (क्रमशः)

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा

(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

ब्याज की दर (प्रतिशत)	31 मार्च 2021 को बकाया राशि									योग में हिस्सा
	ब्याज वाले बाजार कर्ज	क्षतिपूर्ति तथा अन्य बंध पत्र	भारत सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	जीवन बीमा निगम	सामान्य बीमा निगम	नाबार्ड	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	अन्य	योग	
	(₹ लाख में)									
02.00 से 02.99	..	..	..	..	..	19,14,33.67	..	..	19,14,33.67	0.67
03.00 से 03.99	..	..	..	..	..	6,89,70.38	..	..	6,89,70.38	0.24
04.00 से 04.99	15,00,00.00	..	..	..	..	25,98,07.22	..	..	40,98,07.22	1.44
05.00 से 05.99	1,06,00,00.00	..	..	..	..	35,14,90.23	..	..	1,41,14,90.23	4.96
06.00 से 06.99	4,95,11,00.00	1,11,11.00	..	..	..	79,00.13	..	..	4,97,01,11.13	17.45
07.00 से 07.99	6,33,37,28.00	9,32,14.30	..	..	..	..	..	..	6,42,69,42.30	22.57
08.00 से 08.99	8,34,06,64.00	3,75,87,28.50	..	..	..	..	..	..	12,09,93,92.50	42.49
09.00 से 09.99	1,16,83,00.00	13,40,00.00	..	..	..	..	..	..	1,30,23,00.00	4.57
10.00 से 10.99	..	30,00,00.00	..	..	..	..	..	..	30,00,00.00	1.05
*	..	..	1,22,38,79.60	12,53.26	17,91.08	..	76,84.59	6,38,17.02	1,29,84,25.55	4.56
योग	22,00,37,92.00 #	4,29,70,53.80	1,22,38,79.60	12,53.26	17,91.08	87,96,01.63	76,84.59	6,38,17.02	28,47,88,72.98 #	100.00

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

इसमें बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज से सम्बन्धित ₹ 5.11 लाख सम्मिलित नहीं है {शीर्ष 6003-101(02)}।

विवरण संख्या 17 - (समाप्त)

(ग) बकाया ऋणों के ब्याज दर की रूपरेखा - (समाप्त)

(ii) भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम

ब्याज की दर (प्रतिशत)	31 मार्च 2021 को बकाया राशि		योग में हिस्सा
	भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
	(₹ लाख में)		
9 से 9.99	22,45,72.00		9.54
11 से 11.99	2,25.42		0.01
12 से 12.99	12,04.38		0.05
*	2,12,72,13.18		90.40
योग	2,35,32,14.98		100.00

* ब्याज की दर से सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
		(₹ लाख में)		
ड. लोक ऋण				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण				
101. बाजार कर्ज				
(02) बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज				
कालातीत ऋण:				
[24] 8.75% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2000	28.08.1983	2.96	(-) 2.96 (क)	..
[25] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2001	01.09.1986	0.94	..	0.94
[26] 11.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2002	17.08.1987	1.00	..	1.00
[27] 13.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2003	15.07.1993	0.50	..	0.50
[28] 12.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2004	25.04.1994	0.20	..	0.20
[29] 14.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2005	22.05.1995	1.00	..	1.00
[30] 13.85% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2006	15.05.1996	0.60	..	0.60
[32] 13.00% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2007	20.07.1992	0.82	..	0.82
[37] 11.50% राजस्थान राज्य विकास ऋण, 2009	21.04.1999	0.05	..	0.05
	योग -(02)	8.07	(-) 2.96	..
(04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020				
[03] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	25.05.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[04] 8.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	09.06.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[05] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	23.06.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[06] 8.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	07.07.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[07] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	21.07.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00

(क) ऋण आंकड़े दावा नहीं किये गये शेषों को राजस्व प्राप्तियों को हस्तान्तरण के कारण हैं।

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(04) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2020—(समाप्त)				
[08] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	25.08.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[09] 8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	06.10.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[10] 8.51% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	27.10.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[11] 8.39% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2020	24.11.2010	5,00,00.00	..	5,00,00.00
	योग—(04)	45,00,00.00	..	45,00,00.00
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025				
[01] 8.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	02.02.2011	8,00,00.00	..	8,00,00.00
[02] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	17.02.2011	8,80,00.00	..	8,80,00.00
[03] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	21.09.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[04] 8.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	05.10.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[05] 9.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	12.10.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[06] 9.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	09.11.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[07] 9.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	07.12.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[08] 9.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	24.11.2011	3,83,00.00	..	3,83,00.00
[09] 8.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	21.12.2011	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[10] 8.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	11.01.2012	6,17,00.00	..	6,17,00.00
[11] 9.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	30.03.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[12] 9.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	23.05.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
		(₹ लाख में)		
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025—(क्रमशः)				
[13] 8.87% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	06.06.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[14] 8.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	04.07.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[15] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	18.07.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[16] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	08.08.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[17] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	22.08.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[18] 8.91% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	05.09.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[19] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (प्रथम श्रृंखला)	19.09.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[20] 8.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	03.10.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[21] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	17.10.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[22] 8.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (तृतीय श्रृंखला)	21.11.2012	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[23] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022 (द्वितीय श्रृंखला)	19.12.2012	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[24] 8.56% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	23.01.2013	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[25] 8.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	20.03.2013	5,41,10.00	..	5,41,10.00
[26] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	08.05.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[27] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	22.05.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज —(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025—(क्रमशः)				
[28] 7.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	05.06.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[29] 7.74% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	19.06.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[30] 7.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	03.07.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[31] 9.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	01.08.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[32] 9.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	14.08.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[33] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	28.08.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[34] 9.52% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	11.09.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[35] 9.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	25.09.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[36] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	09.10.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[37] 9.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	23.10.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[38] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (प्रथम श्रृंखला)	06.11.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[39] 9.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	20.11.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[40] 9.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023 (द्वितीय श्रृंखला)	04.12.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[41] 9.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	18.12.2013	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[42] 9.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	26.03.2014	8,00,00.00	..	8,00,00.00
[43] 9.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.04.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025—(क्रमशः)				
[44] 9.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	23.04.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[45] 9.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	15.05.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[46] 9.11% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	28.05.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[47] 8.79% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	11.06.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[48] 8.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	25.06.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[49] 8.96% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	09.07.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[50] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 (प्रथम श्रृंखला)	23.07.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[51] 9.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	13.08.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[52] 8.94% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024 (द्वितीय श्रृंखला)	27.08.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[53] 8.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.09.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[54] 8.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	24.09.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[55] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	16.10.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[56] 8.71% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	29.10.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[57] 8.42% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	12.11.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[58] 8.43% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	26.11.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[59] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.12.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[60] 8.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	24.12.2014	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025—(क्रमशः)				
[61] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	14.01.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[62] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	28.01.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[63] 8.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	11.02.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[64] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	25.02.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[65] 8.02% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	25.03.2015	3,00,00.00	..	3,00,00.00
[66] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (तृतीय श्रृंखला)	15.04.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[67] 8.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (चतुर्थ श्रृंखला)	29.04.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[68] 8.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	13.05.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[69] 8.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (प्रथम श्रृंखला)	10.06.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[70] 8.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	24.06.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[71] 8.29% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	29.07.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[72] 8.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025 (द्वितीय श्रृंखला)	09.09.2015	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[73] 7.95% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	14.10.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[74] 7.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	28.10.2015	10,00,00.00	..	10,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025—(क्रमशः)				
[75] 8.14% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	13.11.2015	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[76] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	26.11.2015	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[77] 8.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	23.05.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[78] 8.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2021	20.06.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[79] 6.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	04.09.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[80] 6.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	11.09.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[81] 6.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	18.09.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[82] 6.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	25.09.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[83] 6.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	25.09.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[84] 6.83% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	25.09.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[85] 7.00% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	25.09.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[86] 6.56% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	30.10.2019	7,00,00.00	..	7,00,00.00
[87] 6.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2022	06.11.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[88] 6.78% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	13.11.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[89] 6.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	13.11.2019	2,50,00.00	..	2,50,00.00
[90] 6.87% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	27.11.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[91] 6.80% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	01.01.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[92] 6.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	29.01.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[93] 6.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	05.02.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[94] 6.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	04.03.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण –(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज –(क्रमशः)				
(05) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025 –(समाप्त)				
[95] 6.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	11.03.2020	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[96] 6.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	08.04.2020	..	15,00,00.00	15,00,00.00
[97] 5.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	27.05.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[98] 5.80% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	27.05.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
	योग –(05)	5,57,71,10.00	30,00,00.00	5,70,91,10.00
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030				
[01] 8.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	13.01.2016	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[02] 8.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	27.01.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[03] 8.48% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	10.02.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[04] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	24.02.2016	8,00,00.00	..	8,00,00.00
[05] 8.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.03.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[06] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	23.03.2016	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[07] 7.98% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	20.04.2016	7,50,00.00	..	7,50,00.00
[08] 8.00% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	25.05.2016 07.08.2019	12,50,00.00	..	12,50,00.00
[09] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	15.06.2016	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[10] 7.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.08.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[11] 7.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	24.08.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[12] 7.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	14.09.2016	20,00,00.00	..	20,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030—(क्रमशः)				
[13] 7.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	28.09.2016	9,00,00.00	..	9,00,00.00
[14] 7.21% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	26.10.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[15] 7.37% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	09.11.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[16] 6.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	23.11.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[17] 6.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	30.11.2016	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[18] 7.06% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	14.12.2016	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[19] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	11.01.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[20] 7.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	15.02.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[21] 7.73% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	01.03.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[22] 7.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	15.03.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[23] 7.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	29.03.2017	6,53,78.00	..	6,53,78.00
[24] 7.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	14.06.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[25] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	28.06.2017	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[26] 7.51% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	24.05.2017	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[27] 7.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	13.09.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[28] 7.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	27.09.2017	25,00,00.00	..	25,00,00.00
[29] 7.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	11.10.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[30] 7.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	01.11.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[31] 7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027 (प्रथम श्रृंखला)	29.11.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030—(क्रमशः)				
[32] 7.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027 (द्वितीय श्रृंखला)	06.12.2017	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[33] 7.86% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	27.12.2017	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[34] 7.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	24.01.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[35] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	31.01.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[36] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028 (प्रथम श्रृंखला)	21.02.2018	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[37] 8.33% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	28.02.2018	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[38] 8.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	27.03.2018	4,14,00.00	..	4,14,00.00
[39] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028 (द्वितीय श्रृंखला)	14.03.2018	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[40] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	07.03.2018	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[41] 7.98% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	11.04.2018	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[42] 8.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	09.05.2018	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[43] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	05.06.2018	10,29,60.00	..	10,29,60.00
[44] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	20.06.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[45] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	27.06.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[46] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	25.07.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[47] 8.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	04.07.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[48] 8.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	11.07.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030—(क्रमशः)				
[49] 8.43% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	07.08.2018	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[50] 8.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	20.08.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[51] 8.53% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	28.08.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[52] 8.63% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	03.09.2018	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[53] 8.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	12.09.2018	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[54] 8.76% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	26.09.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[55] 8.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	03.10.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[56] 8.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	31.10.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[57] 8.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	06.11.2018	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[58] 8.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	20.11.2018	7,00,00.00	..	7,00,00.00
[59] 8.38% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	05.12.2018	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[60] 8.36% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	12.12.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[61] 8.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2028	26.12.2018	8,70,00.00	..	8,70,00.00
[62] 8.27% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	02.01.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[63] 8.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	30.01.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[64] 8.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	06.02.2019	12,56,00.00	..	12,56,00.00
[65] 8.44% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	27.02.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[66] 8.41% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	06.03.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[67] 8.40% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	13.03.2019	18,22,44.00	..	18,22,44.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030—(क्रमशः)				
[68] 8.12% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	10.04.2019	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[69] 8.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	16.04.2019	20,00,00.00	..	20,00,00.00
[70] 8.07% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	08.05.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[71] 8.01% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	27.07.2019	8,86,50.00	..	8,86,50.00
[72] 7.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	04.06.2019	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[73] 7.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	12.06.2019	4,95,00.00	..	4,95,00.00
[74] 7.31% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	26.06.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[75] 7.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	03.07.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[76] 7.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	31.07.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[77] 7.08% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	28.08.2019	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[78] 7.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	04.09.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[79] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	09.10.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[80] 7.16% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	16.10.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[81] 7.18% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	04.12.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[82] 7.27% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2029	11.12.2019	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[83] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	01.01.2020	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[84] 7.17% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	08.01.2020	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[85] 7.27% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	15.01.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[86] 7.18% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	29.01.2020	2,50,00.00	..	2,50,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(06) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030—(समाप्त)				
[87] 7.14% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	05.02.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[88] 7.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	12.02.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[89] 6.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	26.02.2020	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[90] 7.04% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	04.03.2020	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[91] 6.84% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	11.03.2020	15,00,00.00	..	15,00,00.00
[92] 7.08% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	18.03.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[93] 7.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	24.03.2020	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[94] 7.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	31.03.2020	5,10,50.00	..	5,10,50.00
[95] 7.90% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	08.04.2020	..	5,80,00.00	5,80,00.00
[96] 8.31% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	08.04.2020	..	6,70,00.00	6,70,00.00
[97] 6.71% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	06.05.2020	..	15,00,00.00	15,00,00.00
[98] 6.78% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	13.05.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
योग -(06)		10,20,87,82.00	32,50,00.00	10,53,37,82.00
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035				
[01] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	26.07.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[02] 7.23% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	09.08.2017	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[03] 7.31% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	26.06.2019	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[04] 7.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2034	26.06.2019	20,00,00.00	..	20,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(07) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2031-2035—(समाप्त)				
[05] 7.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2032	31.03.2020	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[06] 6.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	06.01.2021	..	6,00,00.00	6,00,00.00
[07] 6.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (प्रथम श्रृंखला)	13.01.2021	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[08] 6.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	27.01.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[09] 6.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	03.02.2021	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[10] 6.95% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	10.02.2021	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[11] 7.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031 (द्वितीय श्रृंखला)	17.02.2021	..	15,00,00.00	15,00,00.00
[12] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031-I	03.03.2021	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[13] 7.13% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031	10.03.2021	..	13,10,00.00	13,10,00.00
[14] 7.15% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2031-II	17.03.2021	..	16,38,00.00	16,38,00.00
योग -(07)	50,00,00.00	95,48,00.00	..	1,45,48,00.00
(08) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2036-2040				
[01] 8.25% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2038	23.05.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[02] 8.28% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2038	05.06.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(08) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2036-2040—(समाप्त)				
[03] 8.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2038	27.06.2018	5,00,00.00	..	5,00,00.00
[04] 7.03% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2036	17.02.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[05] 7.24% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2036	03.03.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
	योग -(08)	15,00,00.00	10,00,00.00	25,00,00.00
(09) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030-द्वितीय				
[01] 6.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	27.05.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[02] 6.58% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	03.06.2020	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[03] 6.57% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	10.06.2020	..	15,00,00.00	15,00,00.00
[04] 6.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	17.06.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[05] 6.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	24.06.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[06] 6.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	01.07.2020	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[07] 6.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	29.07.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[08] 6.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	12.08.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[09] 6.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	19.08.2020	..	7,00,00.00	7,00,00.00
[10] 6.64% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	26.08.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[11] 6.46% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	02.09.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[12] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	09.09.2020	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[13] 6.67% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	16.09.2020	..	7,50,00.00	7,50,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(क्रमशः)				
(09) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2026-2030-द्वितीय—(समाप्त)				
[14] 6.72% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	23.09.2020	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[15] 6.85% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	30.09.2020	..	2,50,00.00	2,50,00.00
[16] 6.92% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	07.10.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[17] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	14.10.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[18] 6.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	28.10.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[19] 6.10% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	28.10.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[20] 6.75% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	04.11.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[21] 6.61% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	11.11.2020	..	7,61,00.00	7,61,00.00
[22] 6.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	18.11.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[23] 6.59% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	25.11.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[24] 6.62% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	02.12.2020	..	15,00,00.00	15,00,00.00
[25] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	09.12.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[26] 6.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2030	30.12.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[27] 5.82% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	06.01.2021	..	6,00,00.00	6,00,00.00
[28] 6.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2027	03.02.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[29] 6.09% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2026	10.02.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
योग -(09)	..	2,25,61,00.00	..	2,25,61,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध –(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण –(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज –(क्रमशः)				
(10) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2021-2025- द्वितीय				
[01] 5.47% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	03.06.2020	..	10,00,00.00	.. 10,00,00.00
[02] 5.65% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	03.06.2020	..	7,50,00.00	.. 7,50,00.00
[03] 5.75% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	10.06.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[04] 4.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	17.06.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[05] 4.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	08.07.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[06] 4.54% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	29.07.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[07] 5.05% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	29.07.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[08] 5.45% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	08.07.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[09] 5.49% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	05.08.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[10] 5.39% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	12.08.2020	..	2,50,00.00	.. 2,50,00.00
[11] 5.89% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	26.08.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[12] 5.30% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2023	30.09.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[13] 5.60% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	07.10.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[14] 5.35% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	16.12.2020	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[15] 5.32% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	30.12.2020	..	10,00,00.00	.. 10,00,00.00
[16] 5.39% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	27.01.2021	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[17] 5.42% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2024	10.03.2021	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
[18] 5.93% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2025	10.03.2021	..	5,00,00.00	.. 5,00,00.00
योग -(10)	..	1,00,00,00.00	..	1,00,00,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
101. बाजार कर्ज—(समाप्त)				
(11) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2041-2050				
[01] 6.70% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	24.06.2020	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[02] 6.67% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	01.07.2020	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[03] 6.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	15.07.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[04] 6.50% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2050	05.08.2020	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[05] 6.62% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	27.01.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[06] 6.88% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2046	03.02.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[07] 6.96% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	10.02.2021	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[08] 6.99% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	17.02.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[09] 7.22% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2041	24.02.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
[10] 7.20% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2046	03.03.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
योग -(11)	..	57,50,00.00	..	57,50,00.00
(12) ब्याज वाले बाजार कर्ज, 2051-2060				
[01] 6.55% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2055	15.07.2020	..	10,00,00.00	10,00,00.00
[02] 6.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2051-I	10.02.2021	..	7,50,00.00	7,50,00.00
[03] 6.97% राजस्थान सरकार स्टॉक, 2051-II	17.02.2021	..	5,00,00.00	5,00,00.00
योग -(12)	..	22,50,00.00	..	22,50,00.00
योग -101	16,88,59,00.07	5,73,58,97.04	61,80,00.00	22,00,37,97.11

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
103. भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	15,36.24	..	2,82.98	12,53.26
योग - 103	15,36.24	..	2,82.98	12,53.26
104. भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	21,94.80	..	4,03.72	17,91.08
योग - 104	21,94.80	..	4,03.72	17,91.08
105. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज				
(02) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अन्तर्गत उधार	87,42,46.03	19,14,33.67	18,60,78.07	87,96,01.63
योग - 105	87,42,46.03	19,14,33.67	18,60,78.07	87,96,01.63
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र				
(03) विद्युत् वितरण निगम से बन्ध पत्रों का क्रय				
[01] 10.03% विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2014	30,00,00.00	..	30,00,00.00
[02] 9.99% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2014	3,40,00.00	..	3,40,00.00
[03] 9.16% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	17.10.2014	10,00,00.00	..	10,00,00.00
[04] 8.45% राजस्थान सरकार विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	15.01.2015	8,06,00.00	..	8,06,00.00
योग -(03)		51,46,00.00	..	51,46,00.00

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र—(क्रमशः)				
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन				
[02] 8.47% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[03] 8.55% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[04] 8.55% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[05] 8.54% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[06] 8.45% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[07] 8.55% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[08] 8.49% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[09] 8.57% विशेष बॉण्ड्स, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[10] 8.41% विशेष बॉण्ड्स, 2028 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	2,70,00.00	..	2,70,00.00
[14] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[15] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[16] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[17] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[18] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[19] 8.39% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	29.03.2016	31,61,65.00	..	31,61,65.00
[23] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[24] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[25] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[26] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र—(क्रमशः)				
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन—(क्रमशः)				
[27] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,29.50	..	9,88,29.50
[28] 8.21% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	31.03.2016	9,88,32.50	..	9,88,32.50
[31] 8.01% विशेष बॉण्ड्स, 2020 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[32] 8.15% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[33] 8.27% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[34] 8.27% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[35] 8.29% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[36] 8.33% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,93.00	..	23,11,93.00
[37] 8.19% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	22.06.2016	23,11,88.00	..	23,11,88.00
[42] 6.97% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[43] 7.07% विशेष बॉण्ड्स, 2021 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[44] 7.01% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[45] 7.11% विशेष बॉण्ड्स, 2022 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[46] 7.02% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[47] 7.12% विशेष बॉण्ड्स, 2023 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[48] 7.15% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[49] 7.25% विशेष बॉण्ड्स, 2024 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[50] 7.29% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[51] 7.39% विशेष बॉण्ड्स, 2025 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध—(क्रमशः)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण—(क्रमशः)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण—(क्रमशः)				
106. प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्र—(समाप्त)				
(04) उदय योजनान्तर्गत बॉण्ड्स का अधिग्रहण एवं नॉन एस.एल.आर. बॉण्ड्स का निर्गमन—(समाप्त)				
[52] 6.98% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,11.00	..	1,11,11.00
[53] 7.08% विशेष बॉण्ड्स, 2026 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.40	..	62,76.40
[54] 7.30% विशेष बॉण्ड्स, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	1,11,12.00	..	1,11,12.00
[55] 7.40% विशेष बॉण्ड्स, 2027 (डिस्काम से अधिग्रहित)	07.02.2017	62,76.30	..	62,76.30
योग -(04)		4,47,30,28.70	..	69,05,74.90
योग -106		4,98,76,28.70	..	69,05,74.90
108. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज		1,05,18.11	55.87	28,89.39
योग - 108		1,05,18.11	55.87	28,89.39
109. अन्य संस्थाओं से कर्ज				
(01) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से उधार		1.45	..	1.45
(04) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से उधार		38.51	..	38.51
(05) आवासन तथा शहरी विकास निगम से उधार		1,76.10	..	1,76.10
(08) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड		6,31,45.88	70,40.00	65,84.92
योग - 109		6,33,61.94	70,40.00	65,84.92

विवरण संख्या 17 का अनुबन्ध – (समाप्त)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान चुकारे	31 मार्च 2021 को शेष
(₹ लाख में)				
ड. लोक ऋण – (समाप्त)				
6003. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण – (समाप्त)				
110. भारतीय रिजर्व बैंक से आर्थोपाय अग्रिम	..	2,34,83,57.00 (क)	2,34,83,57.00 (क)	..
योग – 110	..	2,34,83,57.00	2,34,83,57.00	..
111. केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां				
(01) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,38,23,55.55	..	15,84,75.95	1,22,38,79.60
योग – 111	1,38,23,55.55	..	15,84,75.95	1,22,38,79.60
योग – 6003	24,20,77,41.44	8,28,27,83.58	4,01,16,46.93	28,47,88,78.09

(क) इसमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (₹ 74,12,49.00 लाख) तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम (₹ 1,60,71,08.00 लाख) सम्मिलित है।

विवरण संख्या 18 – सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और पेशगियों का ब्यौरेवार विवरण

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जें								
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति								
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्जें								
01. सामान्य शिक्षा								
202. माध्यमिक शिक्षा								
(01) सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ को उधार	..	3,60.00	3,60.00	..	..	3,60.00	3,60.00	..
योग – (01)	..	3,60.00	3,60.00	..	..	3,60.00	3,60.00	..
योग - 202	..	3,60.00	3,60.00	..	..	3,60.00	3,60.00	..
203. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा								
(01) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्तियां	95.37	..	95.37	..	..	95.37	..	..
योग – (01)	95.37	..	95.37	..	..	95.37	..	..
(02) विश्वविद्यालयों को उधार								
[01] जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को उधार	8,99.73	..	8,99.73	4,00.00	..	4,99.73	(-) 4,00.00	44.46
[02] मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार	2,40.00	..	2,40.00	80.00	..	1,60.00	(-) 80.00	33.33
योग – (02)	11,39.73	..	11,39.73	4,80.00	..	6,59.73	(-) 4,80.00	42.12
योग – 203	12,35.10	..	12,35.10	4,80.00	..	7,55.10	(-) 4,80.00	38.86
योग – 01	12,35.10	3,60.00	15,95.10	4,80.00	..	11,15.10	(-) 1,20.00	9.72

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति - (समाप्त)								
6202. शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज - (समाप्त)								
02. तकनीकी शिक्षा								
800. अन्य कर्ज								
(01) अध्ययन के लिये छात्रों को उधार	3.98	..	3.98	..	..	3.98	..	..
योग - 800	3.98	..	3.98	..	..	3.98	..	..
योग - 02	3.98	..	3.98	..	..	3.98	..	..
योग - 6202	12,39.08	3,60.00	15,99.08	4,80.00	..	11,19.08	(-) 1,20.00	9.68
योग - (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	12,39.08	3,60.00	15,99.08	4,80.00	..	11,19.08	(-) 1,20.00	9.68
(ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण								
6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज								
03. चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान								
101. आयुर्वेद								
(01) राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल, जयपुर को उधार-बचनबद्धता	10.00	..	10.00	10.00	..	..	(-) 10.00	100.00
योग -03	10.00	..	10.00	10.00	..	..	(-) 10.00	100.00

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण - (समाप्त)								
6210. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज - (समाप्त)								
80. सामान्य								
190. सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों को कर्ज								
(01) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को कर्ज	16,22.04	..	16,22.04	4,95.60	..	11,26.44	(-) 4,95.60 30.55	87.24
योग - 80	16,22.04	..	16,22.04	4,95.60	..	11,26.44	(-) 4,95.60 30.55	87.24
योग - 6210	16,32.04	..	16,32.04	5,05.60	..	11,26.44	(-) 5,05.60 30.98	87.24
योग - (ख) चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	16,32.04	..	16,32.04	5,05.60	..	11,26.44	(-) 5,05.60 30.98	87.24

(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास

6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

01. जलपूर्ति

192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज

(01) नगरपालिकाओं को उधार-सीधे उधार

3,06.70 .. 3,06.70 3,06.70

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	योग	वर्ष के दौरान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम	31 मार्च 2021	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान	का अपलेखन	को शेष	राशि प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास (क्रमशः)								
6215. जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज- (समाप्त)								
01. जलपूर्ति- (समाप्त)								
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज- (समाप्त)								
(02) नगरपालिकाओं को उधार -								
जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	34,59.99	..	34,59.99	..	..	34,59.99	..	3,39.71
योग - 192	37,66.69	..	37,66.69	..	..	37,66.69	..	3,39.71
योग - 01	37,66.69	..	37,66.69	..	..	37,66.69	..	3,39.71
02. मल-जल तथा सफाई								
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज	2.53	..	2.53	..	..	2.53	..	..
योग - 192	2.53	..	2.53	..	..	2.53	..	..
योग - 02	2.53	..	2.53	..	..	2.53	..	..
योग - 6215	37,69.22	..	37,69.22	..	..	37,69.22	..	3,39.71

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास- (क्रमशः)								
6216. आवास के लिए कर्ज								
02. शहरी आवास								
192. नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज								
(01) नगर विकास न्यास/ नगर पालिकाओं को उधार	0.09	..	0.09	..	..	0.09	..	..
योग - 192	0.09	..	0.09	..	..	0.09	..	..
201. आवास बोर्डों को कर्ज								
(01) राजस्थान आवासन मण्डल	15.63	..	15.63	..	..	15.63	..	..
(02) राजस्थान आवास विकास एवं आधारभूत लिमिटेड	2,78,13.01	..	2,78,13.01	..	..	2,78,13.01	..	..
योग - 201	2,78,28.64	..	2,78,28.64	..	..	2,78,28.64	..	..
योग - 02	2,78,28.73	..	2,78,28.73	..	..	2,78,28.73	..	..
80. सामान्य								
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना								
(01) जनजातीय क्षेत्र में अल्प आय वर्ग आवास योजना	22.21	..	22.21	..	..	22.21	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6216. आवास के लिए कर्ज- (समाप्त)								
80. सामान्य- (समाप्त)								
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना- (समाप्त)								
(02) जनजातीय क्षेत्र में मध्यम आय वर्ग आवास योजना	84.45	..	84.45	..	..	84.45	..	..
योग - 796	1,06.66	..	1,06.66	..	..	1,06.66	..	..
800. अन्य कर्ज								
(01) औद्योगिक आवास योजना	2.22	..	2.22	..	..	2.22	..	..
(02) निम्न आय वर्ग आवास योजना	..	..	..	0.21	..	(-) 0.21	(-) 0.21	0.45
(03) मध्यम आय वर्ग आवास योजना	3,05.45	..	3,05.45	1.92	..	3,03.53	(-) 1.92	0.63
(04) गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना	15.15	..	15.15	..	..	15.15	..	..
(05) मेहतरों के लिये आवास योजना	15.22	..	15.22	..	..	15.22	..	..
योग - 800	3,38.04	..	3,38.04	2.13	..	3,35.91	(-) 2.13	0.63
योग - 80	4,44.70	..	4,44.70	2.13	..	4,42.57	(-) 2.13	0.48
योग - 6216	2,82,73.43	..	2,82,73.43	2.13	..	2,82,71.30	(-) 2.13	0.01

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	योग	वर्ष के दौरान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम	31 मार्च 2021	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान	का अपलेखन	को शेष	राशि	प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज									
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास									
191. नगर निगम को उधार									
(01) नगर निगम को उधार- आर. यू. आई. डी. पी. फेज - I									
[01] नगर निगम, अजमेर	4,70.13	..	4,70.13	53.07	..	4,17.06	(-) 53.07	11.29	8,56.41
[02] नगर निगम, बीकानेर	1,40.76	..	1,40.76	15.89	..	1,24.87	(-) 15.89	11.29	..
[03] नगर निगम, जयपुर	7,99.28	..	7,99.28	90.23	..	7,09.05	(-) 90.23	11.29	..
[04] नगर निगम, जोधपुर	11,73.00	..	11,73.00	1,32.42	..	10,40.58	(-) 1,32.42	11.29	..
[05] नगर निगम, कोटा	12,42.15	..	12,42.15	1,40.22	..	11,01.93	(-) 1,40.22	11.29	..
योग -191	38,25.32	..	38,25.32	4,31.83	..	33,93.49	(-) 4,31.83	11.29	8,56.41
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज									
(01) आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- II									
[01] नगर पालिका/नगर परिषद, अलवर	6,35.66	..	6,35.66	..	..	6,35.66	..	..	..
[02] नगर पालिका/नगर परिषद, भरतपुर	8,73.31	..	8,73.31	..	..	8,73.31	..	..	..
[03] नगर पालिका/नगर परिषद, धौलपुर	5,29.72	..	5,29.72	..	..	5,29.72	..	..	..
[04] नगर पालिका/नगर परिषद, सवाई माधोपुर	3,72.25	..	3,72.25	..	..	3,72.25	..	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (क्रमशः)								
192. नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को कर्ज - (समाप्त)								
(01) आर. यू. आई. डी. पी.-फैज-II - (समाप्त)								
[05] नगर पालिका/नगर परिषद, करौली	1,27.75	..	1,27.75	..	..	1,27.75	..	..
[06] नगर पालिका/नगर परिषद, झालावाड़	2,42.01	..	2,42.01	..	..	2,42.01	..	..
[07] नगर पालिका/नगर परिषद, राजसमंद	10,39.43	..	10,39.43	..	..	10,39.43	..	..
[08] नगर पालिका/नगर परिषद, बांरा	1,71.04	..	1,71.04	..	..	1,71.04	..	..
[09] नगर पालिका/नगर परिषद, बूंदी	4,41.15	..	4,41.15	..	..	4,41.15	..	..
[10] नगर पालिका/नगर परिषद, चित्तौड़गढ़	1,48.05	..	1,48.05	..	..	1,48.05	..	..
[11] नगर पालिका/नगर परिषद, जैसलमेर	4,33.12	..	4,33.12	..	..	4,33.12	..	..
[12] नगर पालिका/नगर परिषद, बाड़मेर	1,71.47	..	1,71.47	..	..	1,71.47	..	..
[13] नगर पालिका/नगर परिषद, सीकर	31,23.23	..	31,23.23	..	..	31,23.23	..	..
[14] नगर पालिका/नगर परिषद, नागौर	2,86.96	..	2,86.96	..	..	2,86.96	..	..
[15] नगर पालिका/नगर परिषद, चूरू	26,36.46	..	26,36.46	..	..	26,36.46	..	..
योग - 192	1,12,31.61	..	1,12,31.61	..	..	1,12,31.61	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास - (क्रमशः)								
800. अन्य कर्ज								
(01) नगरपालिकाओं/स्थानीय निकायों को लघु एवं मध्यम कस्बे के विकास योजना के तहत उधार	41.90	..	41.90	..	..	41.90	..	5.27
योग -(01)	41.90	..	41.90	..	..	41.90	..	5.27
(02) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.) फेज-II								
[04] नगर सुधार न्यास, अलवर	0.01	..	0.01	..	..	0.01	..	..
[05] नगर सुधार न्यास, भरतपुर	0.01	..	0.01	..	..	0.01	..	..
योग -(02)	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..
(03) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.) फेज-I								
[01] नगर सुधार न्यास, अजमेर	5,30.69	..	5,30.69	34.26	..	4,96.43	(-) 34.26	6.46
[03] जोधपुर विकास प्राधिकरण	16,49.63	..	16,49.63	..	..	16,49.63	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	योग	वर्ष के दौरान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम	31 मार्च 2021	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व	
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान	का अपलेखन	को शेष	राशि	प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्जें - (क्रमशः)									
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास -(क्रमशः)									
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज -(क्रमशः)									
03. छोटे तथा मध्यम वर्ग के शहरों का समेकित विकास-(समाप्त)									
800. अन्य कर्ज -(समाप्त)									
(03) राजस्थान शहरी आधारभुत विकास परियोजना (आर. यू. आई. डी. पी.-फेज- I) -(समाप्त)									
[04] नगर सुधार न्यास, कोटा	22,28.92	..	22,28.92	1,38.54	..	20,90.38	(-) 1,38.54	6.22	..
योग -(03)	44,09.24	..	44,09.24	1,72.80	..	42,36.44	(-) 1,72.80	3.92	..
योग -800	44,51.16	..	44,51.16	1,72.80	..	42,78.36	(-) 1,72.80	3.88	5.27
योग -03	1,95,08.09	..	1,95,08.09	6,04.63	..	1,89,03.46	(-) 6,04.63	3.10	8,61.68
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) मेट्रो रेल परियोजना									
[01] जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज	2,63,96.46	..	2,63,96.46	..	..	2,63,96.46	..	..	..
योग -(01)	2,63,96.46	..	2,63,96.46	..	..	2,63,96.46	..	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (क्रमशः)								
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं - (क्रमशः)								
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - (समाप्त)								
(02) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि								
[02] जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	98,65.00	..	98,65.00	..	..	98,65.00	..	..
योग - (02)	98,65.00	..	98,65.00	..	..	98,65.00	..	..
(03) जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड को कर्ज (फेज-1 बी)								
[01] एशियन विकास बैंक से कर्ज	6,72,55.39	1,27,00.00	7,99,55.39	..	..	7,99,55.39	(+) 1,27,00.00	18.88
[02] राज्य सरकार का कर्ज	67,69.57	..	67,69.57	50,00.00	..	17,69.57	(-) 50,00.00	73.86
योग - (03)	7,40,24.96	1,27,00.00	8,67,24.96	50,00.00	..	8,17,24.96	(+) 77,00.00	10.40
योग - 190	11,02,86.42	1,27,00.00	12,29,86.42	50,00.00	..	11,79,86.42	(+) 77,00.00	6.98

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास - (समाप्त)								
6217. शहरी विकास के लिए कर्ज - (समाप्त)								
60. अन्य शहरी विकास योजनाएं - (समाप्त)								
191. नगर निगमों को कर्ज								
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि								
[01] नगर निगम, जोधपुर	8,19.00	..	8,19.00	..	..	8,19.00	..	..
योग - 191	8,19.00	..	8,19.00	..	..	8,19.00	..	..
800. अन्य कर्ज								
(02) नगर सुधार न्यास को उधार	0.10	..	0.10	..	..	0.10	..	..
(05) नगर सुधार न्यासों को कर्ज								
[01] नगर सुधार न्यास, अलवर	10,00.00	..	10,00.00	1,00.00	..	9,00.00	(-) 1,00.00	10.00
योग - 800	10,00.10	..	10,00.10	1,00.00	..	9,00.10	(-) 1,00.00	10.00
योग - 60	11,21,05.52	1,27,00.00	12,48,05.52	51,00.00	..	11,97,05.52	(+) 76,00.00	6.78
योग - 6217	13,16,13.61	1,27,00.00	14,43,13.61	57,04.63	..	13,86,08.98	(+) 69,95.37	5.32
योग - (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	16,36,56.26	1,27,00.00	17,63,56.26	57,06.76	..	17,06,49.50	(+) 69,93.24	4.27
								12,03.07

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण								
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज								
01. अनुसूचित जातियों का कल्याण								
800. अन्य कर्ज								
(01) राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	0.80	..	0.80	..	..	0.80	..	..
योग - 800	0.80	..	0.80	..	..	0.80	..	..
योग - 01	0.80	..	0.80	..	..	0.80	..	..
03. पिछड़े वर्गों का कल्याण								
800. अन्य कर्ज								
(01) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	2,85.00	..	2,85.00	0.02	..	2,84.98	(-) 0.02	0.01
(02) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को उधार	2,49.58	..	2,49.58	..	..	2,49.58	..	..
योग - 800	5,34.58	..	5,34.58	0.02	..	5,34.56	(-) 0.02	..
योग - 03	5,34.58	..	5,34.58	0.02	..	5,34.56	(-) 0.02	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - (समाप्त)								
6225. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज- (समाप्त)								
04. अल्पसंख्यकों का कल्याण								
800 अन्य कर्ज								
(01) राजस्थान अल्पसंख्यकों वित्त तथा विकास सहकारिता निगम को कर्ज	6,70.00	..	6,70.00	..	..	6,70.00	..	..
योग -800	6,70.00	..	6,70.00	..	..	6,70.00	..	..
योग -04	6,70.00	..	6,70.00	..	..	6,70.00	..	..
योग - 6225	12,05.38	..	12,05.38	0.02	..	12,05.36	(-) 0.02	..
योग - (ड) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	12,05.38	..	12,05.38	0.02	..	12,05.36	(-) 0.02	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण								
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज								
02. समाज कल्याण								
800 अन्य कर्ज								
(01) बलवों से प्रभावित व्यक्तियों को कर्ज	5.81	..	5.81	..	..	5.81	..	..
(02) राजस्थान के राजनीतिक पीड़ितों को उधार तथा अग्रिम	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..
(03) राज्य सरकार के पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना हेतु राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार	1,25,00.00	..	1,25,00.00	..	..	1,25,00.00	..	..
(04) पेंशनरों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा योजना								
[01] राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल फण्ड को उधार	1,80,00.00	1,50,00.00	3,30,00.00	..	..	3,30,00.00	(+) 1,50,00.00	83.33
योग - 800	3,05,05.81	1,50,00.00	4,55,05.81	..	..	4,55,05.81	(+) 1,50,00.00	49.17
योग - 02	3,05,05.81	1,50,00.00	4,55,05.81	..	..	4,55,05.81	(+) 1,50,00.00	49.17

* ₹ 96 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण- (क्रमशः)								
6235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज - (समाप्त)								
60. अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम								
800. अन्य कर्ज								
(01) भूमि धारकों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को उधार								
[01] जागीरदारों को उधार	10.83	..	10.83	..	..	10.83	..	..
योग - (01)	10.83	..	10.83	..	..	10.83	..	..
(02) अन्य कर्ज								
[01] जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	..	1.51	..	..	1.51	..	..
[02] पाकिस्तान से आये विस्थापितों को उधार	1,90.13	..	1,90.13	..	..	1,90.13	..	..
[03] बर्मा से लौटे हुए विस्थापितों को उधार	3.06	..	3.06	..	..	3.06	..	..
[04] वृत्तिहीन स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	..	49.79	..	..	49.79	..	..
योग- (02)	2,44.49	..	2,44.49	..	..	2,44.49	..	..
योग - 800	2,55.32	..	2,55.32	..	..	2,55.32	..	..
योग - 60	2,55.32	..	2,55.32	..	..	2,55.32	..	..
योग - 6235	3,07,61.13	1,50,00.00	4,57,61.13	..	..	4,57,61.13	(+) 1,50,00.00	48.76

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	योग	वर्ष के दौरान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम	31 मार्च 2021	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान	का अपलेखन	को शेष	राशि	प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज – (क्रमशः)									
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण – (समाप्त)									
6245. प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज									
01. सूखा									
800. अन्य कर्ज									
(02) कृषकों को उधार – दुर्भिक्ष अग्रिम	43.69	..	43.69	..	..	43.69	..	..	..
(03) सहायता आयुक्त के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार	5.44	..	5.44	..	..	5.44	..	..	..
(04) पशुपालन विभाग के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिए गौ सेवा संघ को उधार	11.82	..	11.82	..	..	11.82	..	..	..
(05) नगरपालिकाओं /नगर विकास न्यास को उधार	0.04	..	0.04	..	..	0.04	..	..	..
(06) अन्य उधार	3.75	..	3.75	1.74	..	2.01	(-) 1.74	46.40	..
योग – 6245	64.74	..	64.74	1.74	..	63.00	(-) 1.74	2.69	..
योग – (छ) समाज कल्याण तथा पोषण	3,08,25.87	1,50,00.00	4,58,25.87	1.74	..	4,58,24.13	(+) 1,49,98.26	48.65	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज - (समाप्त)								
(ज) अन्य								
6250. अन्य समाज सेवाओं के लिए कर्ज								
60. अन्य								
800. अन्य कर्ज								
(05) वन श्रम सहकारी समितियों को उधार मुख्य वन संरक्षक के माध्यम द्वारा	0.05	..	0.05	..	..	0.05	..	..
(06) राज कौशल सोसायटी को उधार	1,37.64	..	1,37.64	..	..	1,37.64	..	..
(08) राजस्थान पर्यटन प्रशिक्षण सोसायटी, उदयपुर को उधार	5,00.00	..	5,00.00	..	..	5,00.00	..	..
योग 800	6,37.69	..	6,37.69	..	..	6,37.69	..	..
योग - 6250	6,37.69	..	6,37.69	..	..	6,37.69	..	..
योग -(ज) अन्य	6,37.69	..	6,37.69	..	..	6,37.69	..	..
योग -2. सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज	19,91,96.32	2,80,60.00	22,72,56.32	66,94.12	..	22,05,62.20	(+) 2,13,65.88	10.73
								12,90.31

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप								
6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज								
103. बीज								
(01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार	1,72.14	..	1,72.14	..	..	1,72.14	..	..
(02) राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	17,50.75	..	17,50.75	..	..	17,50.75	..	..
(03) राजस्थान बीज निगम को उधार	64.36	..	64.36	..	..	64.36	..	..
योग - 103	19,87.25	..	19,87.25	..	..	19,87.25	..	..
105. खाद तथा उर्वरक								
(01) पंचायती राज संस्थाओं को उधार	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..
योग-(01)	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..
(02) नगर पालिकाओं को उधार								
[01] खाद्य परिवहन	0.03	..	0.03	..	..	0.03	..	..
[02] विशेष विकास कार्यक्रम	0.13	..	0.13	..	..	0.13	..	..
योग-(02)	0.16	..	0.16	..	..	0.16	..	..

* ₹ 112 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः)								
6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज- (क्रमशः)								
105. खाद तथा उर्वरक- (समाप्त)								
(03) जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियों को उधार								
[01] स्थानीय खादों के संसाधनों का विकास	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..
योग-(03)	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..
योग - 105	0.68	..	0.68	..	..	0.68	..	..
195. कृषि सहकारिताओं को कर्ज								
(03) अन्य क्षेत्रों में स्थित कृषि सहकारी समितियों को उधार	0.14	..	0.14	..	..	0.14	..	..
योग - 195	0.14	..	0.14	..	..	0.14	..	..
800. अन्य कर्ज								
(02) कृषकों को उधार								
[01] तकावी अग्रिम (राजस्व विभाग के माध्यम द्वारा)	..	..	..	.. (क)	..	.. (ख)	.. (ख)	0.10
[04] भूमि विकास	.. *	..	.. *	..	..	.. *	..	..
[06] बैलों व ऊँटों के लिए उधार	.. #	..	.. #	..	..	.. #	..	..
योग- (02)	.. @	..	.. @	.. (क)	..	.. \$	.. (ख)	0.10

(क) ₹ 200 मात्र ।

(ख) ₹ (-) 200 मात्र ।

* ₹ 129 मात्र ।

₹ 119 मात्र ।

@ ₹ 248 मात्र ।

\$ ₹ 48 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप - (क्रमशः)								
6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
800. अन्य कर्ज - (क्रमशः)								
(04) एकीकृत शुष्क कृषि भूमि के विकास हेतु उधार	14.31	..	14.31	..	..	14.31	..	..
योग - (04)	14.31	..	14.31	..	..	14.31	..	..
(06) कृषि विश्वविद्यालय को कर्ज								
[01] महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को उधार	36,66.11	..	36,66.11	..	..	36,66.11	..	..
[02] स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार	1,04,30.65	..	1,04,30.65	..	..	1,04,30.65	..	..
योग - (06)	1,40,96.76	..	1,40,96.76	..	..	1,40,96.76	..	..
(09) विश्वविद्यालय को कर्ज								
[02] स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को उधार	1,14,24.00	58,44.00	1,72,68.00	..	..	1,72,68.00	(+) 58,44.00	51.16
योग - (09)	1,14,24.00	58,44.00	1,72,68.00	..	..	1,72,68.00	(+) 58,44.00	51.16

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमलाप- (क्रमशः)								
6401. फसल कृषि - कर्म के लिए कर्ज - (समाप्त)								
800. अन्य कर्ज - (समाप्त)								
(10) कृषि उपज मण्डियों को उधार (नाबार्ड)								
[01] कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर को कर्ज	20,00.00	15,00.00	35,00.00	..	..	35,00.00	(+) 15,00.00	75.00
योग - (10)	20,00.00	15,00.00	35,00.00	..	..	35,00.00	(+) 15,00.00	75.00
योग - 800	2,75,35.07	73,44.00	3,48,79.07	..	..	3,48,79.07	(+) 73,44.00	26.67
योग- 6401	2,95,23.14	73,44.00	3,68,67.14	..	..	3,68,67.14	(+) 73,44.00	24.88
6402. मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज								
102. मृदा संरक्षण								
(02) कृषकों को उधार								
[01] कृषि विभाग के माध्यम द्वारा	7.60	..	7.60	..	..	7.60	..	..
योग - 6402	7.60	..	7.60	..	..	7.60	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः)								
6403. पशुपालन के लिए कर्ज								
102. पशु तथा भैंस विकास (02) गहन पशु विकास योजना	7.68	..	7.68	..	..	7.68	..	..
103. कुक्कुट विकास	0.01	..	0.01	..	..	0.01	..	..
104. भेड़ तथा ऊन विकास (01) भेड़ पालकों को उधार	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..
योग - 6403	7.71	..	7.71	..	..	7.71	..	..
6404. डेयरी विकास के लिए कर्ज								
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (01) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों को उधार	3,09.71	..	3,09.71	..	..	3,09.71	..	..
(02) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम- डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	..	0.18	..	..	0.18	..	..
योग - 190	3,09.89	..	3,09.89	..	..	3,09.89	..	..
योग - 6404	3,09.89	..	3,09.89	..	..	3,09.89	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	वर्ष के दौरान प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः)									
6405. मछली पालन के लिए कर्ज									
800. अन्य कर्ज									
(01) मत्स्य किसान विकास अभिकरण को कर्ज (निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से)	0.33	..	0.33	..	..	0.33	..	..	..
योग - 800	0.33	..	0.33	..	..	0.33	..	..	..
योग - 6405	0.33	..	0.33	..	..	0.33	..	..	..
6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज									
02. भण्डारण तथा भाण्डागार									
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) गोदामों का निर्माण									
[01] राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम को उधार	2,87,58.82	..	2,87,58.82	12,64.71	..	2,74,94.11	(-) 12,64.71	4.40	7,62.35
योग - 190	2,87,58.82	..	2,87,58.82	12,64.71	..	2,74,94.11	(-) 12,64.71	4.40	7,62.35
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									
(01) गोदाम निर्माण हेतु उधार	2.54	..	2.54	..	..	2.54	..	..	..
योग - 796	2.54	..	2.54	..	..	2.54	..	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः)								
6408. खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिए कर्ज - (समाप्त)								
02. भण्डारण तथा भाण्डागार- (समाप्त)								
800. अन्य कर्ज								
(03) ग्रामीण क्षेत्र में गोदाम निर्माण हेतु उधार	1.30	..	1.30	..	..	1.30	..	..
(04) यातायात वाहन क्रय हेतु उधार	0.75	..	0.75	..	..	0.75	..	..
योग - 800	2.05	..	2.05	..	..	2.05	..	..
योग - 02	2,87,63.41	..	2,87,63.41	12,64.71	..	2,74,98.70	(-) 12,64.71	4.40
योग - 6408	2,87,63.41	..	2,87,63.41	12,64.71	..	2,74,98.70	(-) 12,64.71	4.40
6425. सहकारिता के लिए कर्ज								
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज								
(02) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को उधार	11,65.19	..	11,65.19	11,68.32	..	(-) 3.13 (क)	(-) 11,68.32	100.27
(03) राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, जयपुर द्वारा जारी किये गये ऋणपत्रों की खरीद								
[02] ए.आर.सी. की विशिष्ट योजनाओं के ऋणपत्र	12,28.81	..	12,28.81	3,32.14	..	8,96.67	(-) 3,32.14	27.03
(07) राजस्थान राज्य सहकारी सुदृढ़ीकरण कोष की स्थापना हेतु उधार	0.18	..	0.18	..	..	0.18	..	..
(09) आर्थिक दृष्टि से कमजोर सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु उधार	0.10	..	0.10	..	..	0.10	..	..

(क) ऋण शेष ऋण की अधिक वसूली के कारण है जो विचाराधीन है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)								
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप- (क्रमशः)								
6425. सहकारिता के लिए कर्ज- (क्रमशः)								
107. जमा सहकारी समितियों को कर्ज- (समाप्त)								
(10) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) को स्टेट रिवाॉल्विंग फण्ड हेतु उधार								
[01] महिला सहकारी समितियों एवं कैम्पस को ऋण देने हेतु	6,00.00	..	6,00.00	..	..	6,00.00	..	..
योग - 107	29,94.28	..	29,94.28	15,00.46	..	14,93.82	(-) 15,00.46	50.11
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज								
(01) विधायन इकाइयों को अवशोषित पूंजी हेतु उधार	1,09.87	..	1,09.87	..	..	1,09.87	..	..
(03) सहकारी खाद्य तेल मिलों को उधार	17,74.37	..	17,74.37	..	..	17,74.37	..	..
(04) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार	42,98.29	..	42,98.29	13,14.08	..	29,84.21	(-) 13,14.08	30.57
(05) राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ (तिलम संघ) को उधार	51,66.82	..	51,66.82	..	..	51,66.82	..	..
(06) महिला सहकारी समितियों को उधार	0.80	..	0.80	0.11	..	0.69	(-) 0.11	13.75
(07) स्पिन फेड/कॉटन कॉम्पलैक्स को उधार	1,48,45.02	2,83.98	1,51,29.00	..	..	1,51,29.00	(+) 2,83.98	1.91
(08) राजस्थान सहकारी आवासन संघ को उधार	2,13.89	..	2,13.89	..	..	2,13.89	..	..
(10) राजस्थान राज्य क्रय विक्रय सहकारी संघ को उधार	25.00	..	25.00	..	..	25.00	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	योग	वर्ष के दौरान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम	31 मार्च 2021	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान	का अपलेखन	को शेष	राशि	प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज – (क्रमशः)									
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप–(समाप्त)									
6425. सहकारिता के लिए कर्ज– (समाप्त)									
108. अन्य सहकारी समितियों को कर्ज–(समाप्त)									
(11) अन्य सहकारी संस्थाओं को उधार									
[02] राजफेड को उधार	4,50,00.00	..	4,50,00.00	..	..	4,50,00.00	..	..	..
योग – 108	7,14,34.06	2,83.98	7,17,18.04	13,14.19	..	7,04,03.85	(-) 10,30.21	1.44	9,11.14 *
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना									
(06) समग्र सहकारिता विकास परियोजना हेतु उधार	26,90.06	..	26,90.06	1,06.74	..	25,83.32	(-) 1,06.74	3.97	..
योग–796	26,90.06	..	26,90.06	1,06.74	..	25,83.32	(-) 1,06.74	3.97	..
800. अन्य कर्ज									
(01) कार्य योजना	38.67	..	38.67	0.10	..	38.57	(-) 0.10	0.26	..
योग – 800	38.67	..	38.67	0.10	..	38.57	(-) 0.10	0.26	..
योग – 6425	7,71,57.07	2,83.98	7,74,41.05	29,21.49	..	7,45,19.56	(-) 26,37.51	3.42	10,27.99
योग – (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप	13,57,69.15	76,27.98	14,33,97.13	41,86.20	..	13,92,10.93	(+) 34,41.78	2.54	17,90.44

* सहकारी समितियों वार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ख) ग्राम विकास								
6506. भूमि सुधार के लिए कर्ज								
104. फालतू भूमि के आवंटियों के लिए कर्ज	5.96	..	5.96	..	..	5.96	..	..
योग - 6506	5.96	..	5.96	..	..	5.96	..	..
योग - (ख) ग्राम विकास	5.96	..	5.96	..	..	5.96	..	..
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण								
6705. कमान क्षेत्र विकास के लिए कर्ज								
800. अन्य कर्ज								
(01) मृदा संरक्षण	9.47	..	9.47	..	..	9.47	..	..
(02) विश्व खाद्य कार्यक्रम सं. 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	..	1.00	..	..	1.00	..	..
(04) अपेक्स केन्द्रीय सहकारी बैंकों की उनकी अवधिपर बकाया के संबंध में उधार	1.12	..	1.12	..	..	1.12	..	..
योग - 800	11.59	..	11.59	..	..	11.59	..	..
योग - 6705	11.59	..	11.59	..	..	11.59	..	..
योग - (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	11.59	..	11.59	..	..	11.59	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज –(क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	5,06,96.55	..	5,06,96.55	17,75.01	..	4,89,21.54	(-) 17,75.01	3.50	..
[02] राजस्थान इंद्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	1,51,60.88	25,67.20	1,77,28.08	23,26.82	..	1,54,01.26	(+) 2,40.38	1.59	..
योग – (02)	6,58,57.43	25,67.20	6,84,24.63	41,01.83	..	6,43,22.80	(-) 15,34.63	2.33	..
(03) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	.. *	..	.. *	.. (क)	..	..	.. #	..	4,10,63.15
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	9,18,08.52	..	9,18,08.52	..	..	9,18,08.52	..	..	6,68.48
योग – (03)	9,18,08.52	..	9,18,08.52	.. *	..	9,18,08.52	.. #	..	4,17,31.63

* ₹ (-) 170 मात्र ।

(क) ₹ (-) 170 मात्र, गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण है।

₹ 170 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	योग	वर्ष के दौरान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम	31 मार्च 2021	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान	का अपलेखन	को शेष	राशि	प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज –(क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज –(क्रमशः)									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज–(समाप्त)									
(04) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	..	..	..	..	..	..	..	..	3,79,62.71
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	7,10,30.56	..	7,10,30.56	..	..	7,10,30.56	..	..	4,99.42
योग – (04)	7,10,30.56	..	7,10,30.56	..	..	7,10,30.56	..	..	3,84,62.13
(05) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	(-) 0.01	..	(-) 0.01	(-) 0.01 *	..	..	0.01	100	3,93,11.76
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	7,22,05.78	..	7,22,05.78	..	..	7,22,05.78	..	..	5,12.49
योग – (05)	7,22,05.77	..	7,22,05.77	(-) 0.01	..	7,22,05.78	0.01	..	3,98,24.25
योग – 190	30,09,02.28	25,67.20	30,34,69.48	41,01.82	..	29,93,67.66	(-) 15,34.62	0.51	12,00,18.01

* ऋण शेष गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)								
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना								
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	.. *	..	.. *	.. *	..	..	.. #	..
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	2,40,91.10	..	2,40,91.10	..	..	2,40,91.10	..	..
योग - (01)	2,40,91.10	..	2,40,91.10	..*	..	2,40,91.10	..#	..
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[02] वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	1,86,38.84	..	1,86,38.84	..	..	1,86,38.84	..	..
योग - (02)	1,86,38.84	..	1,86,38.84	..	..	1,86,38.84	..	..

* ₹ 71 मात्र ।

₹ (-) 71 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)								
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)								
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)								
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संगठक योजना - (समाप्त)								
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	.. @	..	.. @	.. @	..	..	.. \$	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	1,89,47.23	..	1,89,47.23	..	..	1,89,47.23	..	..
योग - (03)	1,89,47.23	..	1,89,47.23	.. @	..	1,89,47.23	.. \$	..
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	1,80,93.38	..	1,80,93.38	6,37.89	..	1,74,55.49	(-) 6,37.89	3.53
[02] राजस्थान इंटरास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	78,30.16	14,00.29	92,30.45	11,83.82	..	80,46.63	(+) 2,16.47	2.76
योग - (04)	2,59,23.54	14,00.29	2,73,23.83	18,21.71	..	2,55,02.12	(-) 4,21.42	1.63
योग - 789	8,76,00.71	14,00.29	8,90,01.00	18,21.71	..	8,71,79.29	(-) 4,21.42	0.48

@ ₹ 50 मात्र ।

\$ ₹ (-) 50 मात्र ।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)								
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)								
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्जे - (क्रमशः)								
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोग								
(01) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	.. *	..	.. *	.. *	..	..	.. #	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	1,84,86.20	..	1,84,86.20	..	..	1,84,86.20	..	..
योग - (01)	1,84,86.20	..	1,84,86.20	.. *	..	1,84,86.20	.. #	..
(02) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	1,43,02.43	..	1,43,02.43	..	..	1,43,02.43	..	..
योग - (02)	1,43,02.43	..	1,43,02.43	..	..	1,43,02.43	..	..

* ₹ 499 मात्र।

₹ (-) 499 मात्र।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)								
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना - (समाप्त)								
(03) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] उदय योजना अन्तर्गत उधार	.. @	..	.. @	.. (क)	..	..	.. \$	..
[02] वित्तीय सुदृढीकरण हेतु सुधारों को लागू करने के लिए उधार (विश्व बैंक से)	1,45,39.06	..	1,45,39.06	..	..	1,45,39.06	..	..
योग - (03)	1,45,39.06	..	1,45,39.06	.. @	..	1,45,39.06	.. \$	..
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	1,04,34.81	..	1,04,34.81	3,60.55	..	1,00,74.26	(-) 3,60.55	3.46
[02] राजस्थान इंस्ट्रास्ट्रेट ट्रांसमिशन सिस्टम के वित्त पोषण हेतु ग्रीन एनर्जी कोरिडोर परियोजना (के.एफ.डब्ल्यू.)	38,23.26	7,00.14	45,23.40	5,71.50	..	39,51.90	(+) 1,28.64	3.36
योग - (04)	1,42,58.07	7,00.14	1,49,58.21	9,32.05	..	1,40,26.16	(-) 2,31.91	1.63
योग - 796	6,15,85.76	7,00.14	6,22,85.90	9,32.05	..	6,13,53.85	(-) 2,31.91	0.38

@ ₹ (-) 500 मात्र।

(क) ₹ (-) 500 मात्र, गलत वर्गीकरण के सुधार के कारण है।

\$ ₹ 500 मात्र।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020	वर्ष के दौरान	योग	वर्ष के दौरान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम	31 मार्च 2021	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		प्राप्त ब्याज तथा राजस्व
	को शेष	अग्रिम		पुनर्भुगतान	का अपलेखन	को शेष	राशि	प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज –(क्रमशः)									
(ड) ऊर्जा–(क्रमशः)									
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज –(क्रमशः)									
800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज									
(02) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को उधार									
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	10.39	..	10.39	10.39	..	..	(-) 10.39	100.00	2,24.57
[02] अन्य उधार	31,96.86	..	31,96.86	7,45.47	..	24,51.39	(-) 7,45.47	23.32	..
[03] राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की भारत सरकार के उपक्रमों की बकाया हेतु विशेष बॉण्ड्स (पॉवर बाण्ड्स)	1,47,51.28	..	1,47,51.28	..	..	1,47,51.28	..	..	..
[04] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	1,34,59.54	..	1,34,59.54	46,67.63	..	87,91.91	(-) 46,67.63	34.68	..
[05] विभिन्न विद्युत् परियोजना (आयोजना ऋण) हेतु उधार	4,42.00	..	4,42.00	..	..	4,42.00	..	..	..
योग – (02)	3,18,60.07	..	3,18,60.07	54,23.49	..	2,64,36.58	(-) 54,23.49	17.02	2,24.57 *
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड को उधार									
[02] अन्य उधार	3.19	..	3.19	1.73	..	1.46	(-) 1.73	54.23	18,98.73
[03] विभिन्न विद्युत् परियोजना (आयोजना ऋण) हेतु उधार	1,38,07.00	..	1,38,07.00	..	..	1,38,07.00	..	..	..
योग – (03)	1,38,10.19	..	1,38,10.19	1.73	..	1,38,08.46	(-) 1.73	0.01	18,98.73 *

* ऋणवार ब्याज का विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(ड) ऊर्जा - (क्रमशः)								
6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज - (क्रमशः)								
(04) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	19,77.96	..	19,77.96	5,35.19	..	14,42.77	(-) 5,35.19	27.06
[02] अन्य उधार	63,10.78	..	63,10.78	13,49.57	..	49,61.21	(-) 13,49.57	21.39
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	1,89,00.82	..	1,89,00.82	..	..	1,89,00.82	..	..
योग - (04)	2,71,89.56	..	2,71,89.56	18,84.76	..	2,53,04.80	(-) 18,84.76	6.93
(05) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	13,53.61	..	13,53.61	4,20.68	..	9,32.93	(-) 4,20.68	31.08
[02] अन्य उधार	49,08.97	..	49,08.97	10,53.20	..	38,55.77	(-) 10,53.20	21.45
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	1,41,73.76	..	1,41,73.76	..	..	1,41,73.76	..	..
योग - (05)	2,04,36.34	..	2,04,36.34	14,73.88	..	1,89,62.46	(-) 14,73.88	7.21
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार								
[01] त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम हेतु उधार	10,42.29	..	10,42.29	2,90.34	..	7,51.95	(-) 2,90.34	27.86

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा

(₹ लाख में)

3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)

(ड) ऊर्जा - (समाप्त)

6801. बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज - (समाप्त)

800. विद्युत् बोर्डों के लिए अन्य कर्ज - (समाप्त)

(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को उधार - (समाप्त)

[02] अन्य उधार	55,10.76	..	55,10.76	12,44.04	..	42,66.72	(-) 12,44.04	22.57	..
[03] अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति हेतु उधार	1,41,75.86	..	1,41,75.86	..	..	1,41,75.86	..	..	..

योग - (06)	2,07,28.91	..	2,07,28.91	15,34.38	..	1,91,94.53	(-) 15,34.38	7.40	..

योग - 800	11,40,25.07	..	11,40,25.07	1,03,18.24	..	10,37,06.83	(-) 1,03,18.24	9.05	21,23.30

योग - 6801	56,41,13.82	46,67.63	56,87,81.45	1,71,73.82	..	55,16,07.63	(-) 1,25,06.19	2.22	12,21,41.31

योग - (ड) ऊर्जा	56,41,13.82	46,67.63	56,87,81.45	1,71,73.82	..	55,16,07.63	(-) 1,25,06.19	2.22	12,21,41.31

(च) उद्योग तथा खनिज

6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज

102. लघु उद्योग

(01) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	75.00	..	75.00	..	..	75.00	..	..	..
(02) कुटीर घरेलू उद्योगों के लिए- निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा उधार	2.11	..	2.11	..	..	2.11	..	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)								
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
102. लघु उद्योग - (समाप्त)								
(03) नई यूनिट की स्थापना हेतु शिक्षित बेरोजगारों को मार्जिन मनी हेतु उधार - निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम से	16.27	..	16.27	..	..	16.27	..	..
योग - 102	93.38	..	93.38	..	..	93.38	..	..
103. हाथकरघा उद्योग								
(06) राजस्थान राज्य बुनकर संघ को अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत मार्जिन मनी हेतु उधार	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..
योग - 103	0.52	..	0.52	..	..	0.52	..	..
109. सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग								
सहकारी समितियां								
(01) हाथकरघा समितियां	38.65	..	38.65	..	..	38.65	..	..
(02) अनुसूचित जाति तथा जनजाति हथकरघा बुनकरों के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष पैकेज योजना	14.93	..	14.93	0.08	..	14.85	(-) 0.08	0.54

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)								
6851. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज - (समाप्त)								
109. सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां - (समाप्त)								
(04) औद्योगिक सहकारी समितियों को उधार	2.33	..	2.33	..	..	2.33	..	..
योग - 109	55.91	..	55.91	0.08	..	55.83	(-) 0.08	0.14
200. अन्य ग्राम उद्योग								
(02) ग्राम औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के लिए उधार	17.02	..	17.02	0.02	..	17.00	(-) 0.02	0.12
(03) बन्द इकाइयों को पुनःजीवित होने पर ऋण सुविधा	9.35	..	9.35	..	..	9.35	..	..
(04) बिक्री कर के एवज में ब्याज मुक्त ऋण	0.06	..	0.06	..	..	0.06	..	..
(05) वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण	1,54.13	..	1,54.13	..	..	1,54.13	..	..
योग - 200	1,80.56	..	1,80.56	0.02	..	1,80.54	(-) 0.02	0.01
योग - 6851	3,30.37	..	3,30.37	0.10	..	3,30.27	(-) 0.10	0.03

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)								
6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज								
01. वस्त्र उद्योग								
800. अन्य कर्ज								
(01) मेवाड़ टेक्सटाईल्स लिमिटेड को उधार	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..
योग - (01)	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..
योग - 800	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..
योग - 01	0.02	..	0.02	..	..	0.02	..	..
04. चीनी								
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज								
(01) सरकारी कम्पनियों को उधार								
[01] मैसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को उधार	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..
योग - (01)	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..
योग - 190	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..
योग - 04	10.54	..	10.54	..	..	10.54	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)								
6860. उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज - (समाप्त)								
60. अन्य								
600. अन्य								
(01) सरकारी कम्पनियों को उधार								
[02] मैसर्स जयपुर मैटल एवं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर को उधार	12,65.95	..	12,65.95	..	..	12,65.95	..	..
योग - (01)	12,65.95	..	12,65.95	..	..	12,65.95	..	..
(02) संयुक्त स्टॉक कम्पनियां								
[01] जयपुर मैटल एवं इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर को कर्ज	50.00	40.00	90.00	..	..	90.00	(+) 40.00	80.00
योग - (02)	50.00	40.00	90.00	..	..	90.00	(+) 40.00	80.00
योग - 600	13,15.95	40.00	13,55.95	..	..	13,55.95	(+) 40.00	3.04
योग - 60	13,15.95	40.00	13,55.95	..	..	13,55.95	(+) 40.00	3.04
योग - 6860	13,26.51	40.00	13,66.51	..	..	13,66.51	(+) 40.00	3.02

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(च) उद्योग तथा खनिज - (क्रमशः)								
6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज								
01. औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज								
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज								
(01) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम लिमिटेड को उधार	5,37.22	..	5,37.22	..	..	5,37.22	..	..
(02) राजस्थान वित्त निगम को उधार	1,26.27	..	1,26.27	..	..	1,26.27	..	..
योग - 01	6,63.49	..	6,63.49	..	..	6,63.49	..	..
02. पिछड़े क्षेत्रों का विकास								
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना								
(01) जनजातीय क्षेत्र में उद्योगों को उधार	9.04	..	9.04	..	..	9.04	..	..
(02) ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार	7.82	..	7.82	..	..	7.82	..	..
(03) राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त ऋण	9.55	..	9.55	..	..	9.55	..	..
योग - 02.	26.41	..	26.41	..	..	26.41	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)								
(च) उद्योग तथा खनिज - (समाप्त)								
6885. उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज - (समाप्त)								
60. अन्य								
800. अन्य कर्ज								
(01) उद्योग व उद्योगपतियों को उधार								
[01] सचिव, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा	27.37	..	27.37	..	..	27.37	..	..
[02] निदेशक, उद्योग विभाग के माध्यम द्वारा	13,36.03	..	13,36.03	0.01	..	13,36.02	(-) 0.01	4.24
[03] ग्रामीण कारीगरों को ऋण देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को उधार	1.37	..	1.37	..	..	1.37	..	..
[04] राज्य अनुदान की एवज में ब्याज मुक्त उधार	46.66	..	46.66	..	..	46.66	..	..
[05] अन्य निजी कंपनियों को उधार	5,77.62	..	5,77.62	..	..	5,77.62	..	..
योग - 60	19,89.05	..	19,89.05	0.01	..	19,89.04	(-) 0.01	4.24
योग - 6885	26,78.95	..	26,78.95	0.01	..	26,78.94	(-) 0.01	4.24
योग - (च) उद्योग तथा खनिज	43,35.83	40.00	43,75.83	0.11	..	43,75.72	(+) 39.89	0.92

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज –(क्रमशः)									
(छ) परिवहन									
7055. सड़क परिवहन के लिए कर्ज									
190. सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज									
(01) राजस्थान आधारभूत परिवहन विकास निधि									
[01] राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड	2,93,00.00	50,00.00	3,43,00.00	90,00.00	..	2,53,00.00	(-) 40,00.00	13.65	..
(02) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को उधार	3,80,27.13	..	3,80,27.13	2,90.00	..	3,77,37.13	(-) 2,90.00	0.76	..
(06) राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण	2,39.96	25.00	2,64.96	..	..	2,64.96	(+) 25.00	10.42	..
योग - 190	6,75,67.09	50,25.00	7,25,92.09	92,90.00	..	6,33,02.09	(-) 42,65.00	6.31	..
योग - 7055	6,75,67.09	50,25.00	7,25,92.09	92,90.00	..	6,33,02.09	(-) 42,65.00	6.31	..
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज									
01. सड़क तथा पुल									
800. अन्य कर्ज									
(01) युद्धावश्यक सड़कों के ठेकेदारों को उधार	0.82	..	0.82	..	..	0.82	..	..	..
योग – (01)	0.82	..	0.82	..	..	0.82	..	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व प्रतिशत	को जमा
(₹ लाख में)									
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज - (क्रमशः)									
(छ) परिवहन - (समाप्त)									
7075. अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज - (समाप्त)									
01. सड़क तथा पुल - (समाप्त)									
800. अन्य कर्ज - (समाप्त)									
(02) सड़कों तथा सेतुओं के निर्माण हेतु कर्ज									
[01] राजस्थान सड़क आधारभूत विकास कम्पनी को कर्ज (रिडकोर)	41,68.00	..	41,68.00	..	..	41,68.00	..	..	..
[02] राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	53,47.56	21,06.13	74,53.69	..	..	74,53.69	(+) 21,06.13	39.38	..
योग - (02)	95,15.56	21,06.13	1,16,21.69	..	..	1,16,21.69	(+) 21,06.13	22.13	..
योग - 800	95,16.38	21,06.13	1,16,22.51	..	..	1,16,22.51	(+) 21,06.13	22.13	..
योग - 01	95,16.38	21,06.13	1,16,22.51	..	..	1,16,22.51	(+) 21,06.13	22.13	..
योग - 7075	95,16.38	21,06.13	1,16,22.51	..	..	1,16,22.51	(+) 21,06.13	22.13	..
योग - (छ) परिवहन	7,70,83.47	71,31.13	8,42,14.60	92,90.00	..	7,49,24.60	(-) 21,58.87	2.80	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (क्रमशः)								
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं								
7452. पर्यटन के लिए कर्ज								
60. अन्य								
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज								
(04) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को उधार	34,50.00	15,00.00	49,50.00	..	..	49,50.00	(+) 15,00.00	43.48
(05) राजस्थान स्टेट होटल निगम लिमिटेड को उधार	10,00.00	..	10,00.00	..	..	10,00.00	..	..
योग - 7452	44,50.00	15,00.00	59,50.00	..	..	59,50.00	(+) 15,00.00	33.71
7453. विदेश व्यापार निर्यात संवर्धन के लिए कर्ज								
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज								
(01) निर्यात संवर्धन हेतु कॉरपस फण्ड								
[01] राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद	..	75.00	75.00	..	..	75.00	(+) 75.00	..
योग - 7453	..	75.00	75.00	..	..	75.00	(+) 75.00	..
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज								
103. सिविल आपूर्ति								
(01) उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	2.00	..	2.00	..	..	2.00	..	..

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण - (क्रमशः)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (समाप्त)								
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं- (समाप्त)								
7475. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज- (समाप्त)								
103. सिविल आपूर्ति- (समाप्त)								
(03) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उधार	2.15	..	2.15	..	..	2.15	..	..
(05) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय उपभोक्ता भण्डारों को उधार	0.07	..	0.07	..	..	0.07	..	..
योग - 103	4.22	..	4.22	..	..	4.22	..	..
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज								
(01) राजस्थान राज्य नागरिक आपूर्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उधार	..	..	..	0.05	..	(-) 0.05 (क)	(-) 0.05	..
योग - 190	..	..	..	0.05	..	(-) 0.05	(-) 0.05	..
योग - 7475	4.22	..	4.22	0.05	..	4.17	(-) 0.05	1.18
योग - (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएँ	44,54.22	15,75.00	60,29.22	0.05	..	60,29.17	(+) 15,74.95	35.36
योग- 3. आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	78,57,74.04	2,10,41.74	80,68,15.78	3,06,50.18	..	77,61,65.60	(-) 96,08.44	1.22
								12,39,35.99

(क) ऋण शेष जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 18 - (क्रमशः)

खण्ड:1 मुख्य एवं लघु शीर्षवार ऋण एवं अग्रिम का विवरण -(समाप्त)

मुख्य लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को शेष	वर्ष के दौरान अग्रिम	योग	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अवसूली योग्य उधार तथा अग्रिम का अपलेखन	31 मार्च 2021 को शेष	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत	प्राप्त ब्याज तथा राजस्व को जमा
(₹ लाख में)								
4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे								
7610. सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे								
201. भवन निर्माण अग्रिम	..	..	..	0.22	..	(-) 0.22	(-) 0.22	0.23
202. मोटर वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम	(-) 2,49.84	..	(-) 2,49.84	7.28	..	(-) 2,57.12 (क)	(-) 7.28	81.36
203. अन्य वाहनों का क्रय करने के लिए अग्रिम	16.72	..	16.72	0.24	..	16.48	(-) 0.24	12.16
796. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	(-) 13.97	..	(-) 13.97	0.45	..	(-) 14.42 (क)	(-) 0.45	..
800. अन्य अग्रिम	36.77	..	36.77	0.10	..	36.67	(-) 0.10	0.19
योग- 7610	(-) 2,10.32	..	(-) 2,10.32	8.29	..	(-) 2,18.61	(-) 8.29	93.94
योग- 4. सरकारी कर्मचारियों को कर्जे	(-) 2,10.32	..	(-) 2,10.32	8.29	..	(-) 2,18.61	(-) 8.29	93.94
5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जे								
7615. विविध कर्ज								
200. विविध कर्ज	32.19	..	32.19	..	..	32.19	..	..
योग - 7615	32.19	..	32.19	..	..	32.19	..	..
योग-5. विविध उद्देश्यों के लिए कर्जे s	32.19	..	32.19	..	..	32.19	..	..
कुल योग	98,47,92.23	4,91,01.74	1,03,38,93.97	3,73,52.59	..	99,65,41.38	(+) 1,17,49.15	1.19 12,53,20.24

(क) ऋण शेष जांच के अधीन हैं।

विवरण संख्या 18 – (क्रमशः)
खण्ड 2: अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया पुनर्भुगतान

(₹ लाख में)					
ऋणी संस्था	31 मार्च, 2021 को बकाया राशि			शीघ्रतम अवधि जिसमे बकाया संबंधित है	31 मार्च, 2021 को संस्था की तुलना में कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	जोड़		
सूचना उपलब्ध नहीं है					

विवरण संख्या 18 – (क्रमशः)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण

वर्ष के दौरान दिये गये नये ऋण तथा अग्रिम : *

ऋणी इकाई	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि (₹ लाख में)	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो
सैनिक विद्यालय, चित्तोड़गढ़	1	3,60.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	1,27,00.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा निधि	5	1,50,00.00	ब्याज मुक्त	शून्य
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	12	58,44.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), उदयपुर	1	15,00.00	4.75	2 वर्ष
स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स	4	2,83.98	10.00	शून्य
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	3	46,67.63	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रीकल लिमिटेड, जयपुर	2	40.00	9.50	उपलब्ध नहीं
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	1	50,00.00	ब्याज मुक्त	5 वर्ष
राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण	1	25.00	ब्याज मुक्त	1 वर्ष
राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड	1	21,06.13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 18 – (क्रमशः)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण – (क्रमशः)

वर्ष के दौरान दिये गये नये ऋण तथा अग्रिम – (समाप्त)

ऋणी इकाई	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि (₹ लाख में)	नियम एवं शर्तें	
			ब्याज दर	अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	15,00.00	ब्याज मुक्त	2 वर्ष
राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद	1	75.00	ब्याज मुक्त	5 वर्ष
कुल योग		4,91,01.74		

विवरण संख्या 18 – (क्रमशः)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण – (क्रमशः)

ऋण और अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देन दर्शाने वाले प्रकटन:

1. निम्नलिखित ऋण के मामलों को “स्थायी ऋण” के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।

क्र.सं.	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति आदेश सं.	राशि (₹ लाख में)	ब्याज दर
1.	2.	3.	4.	5.

सूचना उपलब्ध नहीं है।

2. निम्नलिखित ऋणों को स्वीकृति सरकार ने दे दी है जबकि निबंधन और शर्तें अभी निर्धारित की जानी हैं:

ऋणी संस्था	ऋणों की संख्या	कुल राशि (₹ लाख में)	शीघ्रतम अवधि जिससे ऋण संबंधित है
1.	2.	3.	4.

सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 18 – (समाप्त)

अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण – (समाप्त)

ऋण और अग्रिमों से संबंधित असाधारण लेन-देन दर्शाने वाले प्रकटन: – (समाप्त)

3. वर्ष के दौरान ऋणी इकाईयों को जारी किये गये नवीन ऋण तथा अग्रिम जिनसे पूर्व ऋणों का पुर्नभुगतान बकाया है: *

ऋणी संस्थाओं का नाम	चालू वर्ष के दौरान वितरित ऋण		31 मार्च 2021 को बकाया राशि			बकाया की प्रारम्भिक अवधि	चालू वर्ष के दौरान वितरण के लिए कारण
	ब्याज दर	मूल	मूल	ब्याज	योग	जिससे बकाया संबंधित है	
(₹ लाख में)							
स्पिन फेड/कॉटन कॉम्पलेक्स	10.00	2,83.98	1,51,29.00	..	1,51,29.00	उपलब्ध नहीं	मजदूरों एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान तथा कानूनी दायित्वों का भुगतान
जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर	9.50	40.00	13,55.95	..	13,55.95	उपलब्ध नहीं	आवश्यक व्यय का भुगतान

* इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार ।

विवरण संख्या 19 – सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण #

क्र.सं.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
I. सांविधिक निगम											
प्रचलित निगम											
01.	राजस्थान वित्त निगम, जयपुर	2013-14 तक	विशेष शेयरों का वर्ग इक्विटी	1,75,000	100	1,75.00	79.83	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 5,96.94 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी है। वर्ष 2019-20 तक ₹ 1,14,68.91 लाख की संचित हानि थी ।	
				1,26,55,700	100	1,26,55.70					
				1,28,30.70							
02.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर	1998-99 तक	इक्विटी	3,92,630	100	3,92.63	50.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,14,47.28 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।	
03.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर	2014-15 तक	पूंजी शेयर इक्विटी	(क)	(क)	26,10.00	95.80	..	..	वर्ष 2018-19 तक ₹ 49,69,74.61 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
				(क)	(क)	5,86,03.50					
				6,12,13.50							
04.	राजस्थान नॉल्लेज निगम लिमिटेड, जयपुर	2007-08	इक्विटी	6,00,000	10	60.00	30.00	18.00	..	लाभांश वर्ष 2019-20 का है। वर्ष 2009-10 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
अप्रचलित निगम											
05.	राजस्थान भूमि विकास निगम, जयपुर	1992-93 तक	इक्विटी	1,81,145	1,000	19,36.45 (ख)	88.30	..	..	वर्ष 2004-05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	

सूचना का स्रोत : राज्य सरकार ।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) इसमें 31 मार्च 1978 तक भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से ₹ 1,25.00 लाख का निवेश सम्मिलित है ।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
I. सांविधिक निगम- (समाप्त)				(₹ लाख में)			(₹ लाख में)			
अप्रचलित निगम - (समाप्त)										
06.	राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर	1977-78	(क)	(क)	(क)	0.65	..	..	..	निगम अभी बनाया नहीं गया है और राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के पास रखी हुई है।
07.	राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर	1979-80	(क)	(क)	(क))	0.08 (ख)	..	..	..	राज्य सरकार द्वारा निगम को बंद करने के निर्णय के कारण ₹ 10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल, 1980 में जमा करा दिये गये।
योग- I						7,64,34.01 (ग)	18.00	..		
II. ग्रामीण बैंक										
08.	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर	2014-15 तक	इक्विटी	2,72,93,237	10	27,29.32 (घ)	15.00	..	..	वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।
09.	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर	2012-13 तक	इक्विटी	4,64,00,715	10	46,40.07 (ड)	15.00	..	..	वर्ष 2015-16 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।
योग - II						73,69.39 (च)				
(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।						(ख) वास्तविक निवेश ₹ 7,800 ।		(ग) वास्तविक निवेश ₹ 7,64,34,00,800 ।		
(घ) राज्य सरकार का निवेश ₹ 27,29,32,330 परन्तु बैंक द्वारा ₹ 2,72,93,237 शेयर दिये गये जो जांच के अधीन है।						(च) वास्तविक निवेश ₹ 73,69,39,480 ।				
(ड) वास्तविक निवेश ₹ 46,40,07,150 ।										

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
III. सरकारी कम्पनियां											
प्रचलित कम्पनियां											
10.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर *	2018-19 तक	इक्विटी पूर्वाधिकार वापसी	3,60,68,248 1,11,000	50 50	1,80,28.40 (क) 55.50 (-) 24.50 1,80,59.40 (ग)	99.98	6.36 (ख)	..	लाभांश वर्ष 2019-20 का है । 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 57,10.82 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया ।	
11.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर	2010-11 तक	इक्विटी	6,64,387	100	6,64.39 (घ)	95.40	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 36.78 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी । वर्ष 2019-20 तक ₹ 25,12.26 लाख की संचित हानि थी।	
12.	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13 तक	इक्विटी	21,622	1,000	2,16.22	100.00	..	..	वर्ष 2015-16 तक ₹ 8,71.37 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2016-17 तथा उसके बाद के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।	

* हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर का विलय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर में कर दिया गया है जैसा कि वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र सं. P.1(4)Fin. (Exp.-4 P1)/93-IV दिनांक 24.07.2014 द्वारा सूचित किया है। ₹ 7,60,000 के निवेश के विरुद्ध कम्पनी ने ₹ 7,59,950 की राशि के 15,199 अंश ₹ 50 की दर से जारी किये। यद्यपि, ₹ 50 की शेष अन्तर राशि के समायोजन से संबंधित मामला राज्य सरकार के साथ पत्राचाराधीन है।

(क) ₹ 1,80,28,40,136 के कुल निवेश में ₹ 18,23,050 (पूर्ण प्रदत्त मूल्य) की कीमत के 36,461 शेयर सम्मिलित हैं जिन्हें ₹ 12,50,736 (बट्टे पर) में खरीदा गया परिणामस्वरूप कम्पनी लेखों के विरुद्ध राज्य लेखों में निवेश ₹ 5,72,314 से कम दिखाया गया।

(ख) वास्तविक लाभांश ₹ 6,35,500।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 1,80,59,40,136।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 6,64,38,700।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
III सरकारी कम्पनियां– (क्रमशः)											
प्रचलित कम्पनियां– (क्रमशः)											
13.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर	2008-09 तक	इक्विटी	21,01,858	1,000	1,93,68.58 (क)	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 3,95,69.18 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।	
14.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर	1993-94 तक	इक्विटी	6,17,32,900	10	61,73.29 (ख)	99.99	..	..	वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
		2002-03	इक्विटी	57,15,500	10	5,71.55 (ग)					
		2003-04	इक्विटी	1,01,10,000	10	10,11.00					
						77,55.84 (घ)					
15.	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	1977-78 तक	इक्विटी पूर्वाधिकार	1,019 550	1,000 1,000	10.19 5.50	5.46	..	..	वर्ष 2015-16 तथा उसके बाद के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
						15.69					
16.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जयपुर	1998-99 तक	इक्विटी पूर्वाधिकार	5,68,250 64,750	100 100	5,68.25 64.75	83.58	63.30	..	लाभांश वर्ष 2019-20 का है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 8,83.75 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।	
						6,33.00					

(क) वर्ष 2002-03 तथा 2004-05 में भारत सरकार द्वारा सीधे ही ₹ 16,50.00 लाख का निवेश रीको में किया गया जो राज्य लेखों में प्रदर्शित नहीं हुआ। रीको ने अपने लेखों में इस निवेश को राज्य सरकार के निवेश के रूप में शामिल किया है तथा राजस्थान के राज्यपाल के नाम से अंश जारी किये हैं। यद्यपि यह निवेश राज्य वित्त लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा नगद व्यय नहीं किया गया है।

(ख) ₹ 61,73,29,634 के निवेश में ₹ 11,32,360 अंकित मूल्य के 1,13,226 अंश की ₹ 1,69,854 की प्रीमियम पर खरीद सम्मिलित है परिणामस्वरूप कम्पनी लेखों के विरुद्ध राज्य लेखों में ₹ 1,69,854 से निवेश अधिक दिखाया गया है। यद्यपि, राज्य सरकार की सूचना के अनुसार कम्पनी ने निवेश के विरुद्ध 1,30,158 अंश जारी किये हैं।

(ग) क्र.स. 49 पर टिप्पणी देखें। (घ) वास्तविक निवेश ₹ 77,55,84,634।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
III सरकारी कम्पनियां-- (क्रमशः)											
प्रचलित कम्पनियां-- (क्रमशः)											
17.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	1,00,00,000	100	1,00,00.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 19,44.32 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।	
18.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2004-05 तक	इक्विटी	1,84,437	1,000	18,44.37	100.00	..	..	वर्ष 2016-17 तक ₹ 1,51,80.91 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2017-18 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
		2012-13	(क)	(क)	(क)	3,50.00					
						21,94.37					
19.	राजस्थान परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड), नई दिल्ली	1957-58 तक	इक्विटी	1,000	1,000	10.00	0.33	..	..	वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
20.	सांभर साल्ट लिमिटेड, जयपुर	1961-62	इक्विटी	4,000	1,000	40.00	40.00	..	..	वर्ष 2010-11 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
21.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली	1975-76	इक्विटी	4,585	1,000	45.85	1.61	..	..	वर्ष 2003-04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ पत्रों का अंकित					
(₹ लाख में)										
III सरकारी कम्पनियां– (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां– (क्रमशः)										
22.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड, जयपुर (ट्यूब वेल कॉरपोरेशन)	1992-93 तक	इक्विटी	1,27,000	100	1,27.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 19.53 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2019-20 तक ₹ 2,19.29 लाख की संचित हानि थी।
23.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	4,55,098	1,000	45,50.98	98.80	..	..	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 63.92 लाख की शुद्ध हानि (कर से पहले) दर्शायी गयी। वर्ष 2018-19 तक ₹ 50,53.25 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।
24.	राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	18-19 तक	इक्विटी	10,06,79,50,000	10	1,00,67,95.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,43,80.45 लाख (कर से पहले) का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2019-20 तक ₹ 43,21,91.16 लाख की संचित हानि थी।
		2019-20	इक्विटी	35,00,00,000	10	3,50,00.00				
		2020-21	इक्विटी	3,32,80,000	10	33,28.00				
								1,04,51,23.00		
25.	राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड	18-19 तक	इक्विटी	4,44,10,37,700	10	44,41,03.77	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,48,84.70 लाख (कर से पहले) का शुद्ध लाभ दर्शाया गया। वर्ष 2019-20 तक ₹ 12,31,88.02 लाख की संचित हानि थी।
		2019-20	इक्विटी	25,00,00,000	10	2,50,00.00				
								46,91,03.77		

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
III सरकारी कम्पनियां--(क्रमशः)											
प्रचलित कम्पनियां--(क्रमशः)											
26.	जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	18-19 तक	इक्विटी	10,78,34,70,000	10	1,07,83,47.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 21,88,15.06 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया । वर्ष 2019-20 तक ₹ 2,88,72,34.42 लाख की संचित हानि थी।	
		2019-20	इक्विटी	54,90,37,800	10	5,49,03.78					
		2020-21	इक्विटी	11,49,20,000	10	1,14,92.00					
						1,14,47,42.78					
27.	जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	18-19 तक	इक्विटी	9,95,45,72,000	10	99,54,57.20	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 9,84.88 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया । वर्ष 2019-20 तक ₹ 2,97,64,92.05 लाख की संचित हानि थी।	
		2019-20	इक्विटी	53,34,24,300	10	5,33,42.43					
		2020-21	इक्विटी	17,89,70,000	10	1,48,97.00					
						1,06,36,96.63					
28.	अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	18-19 तक	इक्विटी	10,01,80,32,000	10	1,00,18,03.20	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 7,88,05.61 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया । वर्ष 2019-20 तक ₹ 2,82,30,49.00 लाख की संचित हानि थी।	
		2019-20	इक्विटी	44,75,37,900	10	4,47,53.79					
		2020-21	इक्विटी	10,63,20,000	10	1,06,32.00					
						1,05,71,88.99					
29.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर (राजस्थान राज्य पावर निगम लिमिटेड)	06-07 तक	इक्विटी	1,29,41,078	10	12,94.11 (क)	100.00	1,29.41 (ख)	..	लाभांश वर्ष 2019-20 के लिए है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 31,01.86 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया।	

(क) वास्तविक निवेश ₹ 12,94,10,780।

(ख) वास्तविक लाभांश ₹ 1,29,41,078।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
(₹ लाख में)										
III सरकारी कम्पनियां – (क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां – (क्रमशः)										
30.	राजस्थान राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर	2004-05	इक्विटी	2,00,000	100	2,00.00	100.00	20.00	..	लाभांश वर्ष 2019-20 के लिए है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 19,80.29 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।
31.	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत लिमिटेड	2015-16 तक	इक्विटी	4,09,91,700	10	33,51.00 (क)	84.22	..	..	31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 95.78 लाख का लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।
32.	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13 तक	इक्विटी	41,100	1,000	4,11.00	100.00	..	..	वर्ष 2018-19 तक ₹ 5,95.49 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।
33.	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2011-12 तक	इक्विटी	26,000	1,000	2,60.00	100.00	..	..	सरकारी निवेश के वर्ष से लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।

(क) राजस्थान शहरी आधारभूत वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड तथा राजस्थान आवास विकास तथा आधारभूत लिमिटेड (राविल) का राज्य सरकार के निवेश क्रमशः ₹ 33,00,00,000 तथा ₹ 51,00,000 सहित राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत लिमिटेड में विलय कर दिया गया है। योजना के तहत कार्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा विलय परिवर्तन अनुपात 1:15.67 अनुमोदित किया गया जिसके अनुसार राविल की अंश पूंजी ₹ 51,00,000 के एवज में आर.यू.आइ.एफ.डी.सी.ओ. द्वारा राज्य सरकार को 79,91,700 अंश जारी किये गये। 74,81,700 अतिरिक्त अंशों के आवंटन के कारण राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकासी तथा आधारभूत लिमिटेड के लेखों में सरकारी निवेश के आंकड़ों की तुलना में राज्य लेखों में सरकारी निवेश ₹ 7,48.17 लाख से कम दिखाया गया है।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
(₹ लाख में)							(₹ लाख में)			
III. सरकारी कम्पनियां—(क्रमशः)										
प्रचलित कम्पनियां—(क्रमशः)										
34.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	18-19 तक	इक्विटी	2,34,266	1,000	23,42.66	1.30	..	..	वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।
35.	राजस्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड	2005-06 तक	(क)	(क)	(क)	6,69.12 (ख)	51.00	..	..	वर्ष 2005–06 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।
36.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ	2005-06 तक	इक्विटी	1,00,000	50	1,15.60 (ग)	71.34	..	..	वर्ष 2018–19 तक ₹ 8,45.79 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019–20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।
37.	राजस्थान राज्य नागरिक विमानन निगम लिमिटेड, जयपुर	12-13 तक	इक्विटी	44,92,700	10	4,49.27	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 37,80.58 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है। वर्ष 2019–20 तक ₹ 6,31.03 लाख की संचित हानि थी ।
38.	राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, जयपुर	2010-11	इक्विटी	50,00,000	10	5,00.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 40,14.04 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है। (ख) गत वर्षों में क्रेडिट सहकारी समितियों के अन्तर्गत गलत तरीके से दिखाए गए ₹ 4,01.46 लाख के निवेश को सही किया गया।

(ग) गत वर्षों में अन्य सहकारी समितियों के अन्तर्गत गलत तरीके से दिखाए गए ₹ 65.60 लाख के निवेश को सही किया गया।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
III. सरकारी कम्पनियां – (क्रमशः)											
प्रचलित कम्पनियां – (क्रमशः)											
39.	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	2013-14 तक	इक्विटी	1,49,40,354	1,000	14,94,03.54	88.19	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 39,65.17 लाख की शुद्ध हानि दर्शायी गयी। वर्ष 2019–20 तक ₹ 3,28,19.14 लाख की संचित हानि थी।	
40.	राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, जयपुर	2010-11	इक्विटी	5,00,00,000	10	50,00.00	100.00	..	..	वर्ष 2017–18 तथा आगे के लेखे प्रतिक्षित है (जुलाई 2021)।	
41.	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जयपुर	2011-12	इक्विटी	50,00,000	10	5,00.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 7,35.84 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।	
42.	राजस्थान स्क्रिप्ट एंड लिक्विडिटी विकास निगम, जयपुर	2011-12	इक्विटी	50,000	10	5.00	100.00	..	..	वर्ष 2018–19 तक संचित हानि ₹ 2,83.76 लाख थी। वर्ष 2019–20 के लेखे प्रतिक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
43.	राजस्थान राज्य पावर वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर	13-14 तक	इक्विटी	9,00,000	1,000	90,00.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 16.97 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।	

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
III. सरकारी कम्पनियां – (क्रमशः)											
प्रचलित कम्पनियां – (समाप्त)											
44.	राजस्थान एक्स-सर्विस मैन निगम लिमिटेड, जयपुर	2012-13	इक्विटी	5,00,000	100	5,00.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 5,45.06 लाख का लाभ दर्शाया गया है।	
45.	राजस्थान पुलिस आधारभूत विकास निगम लिमिटेड	2015-16 तक	इक्विटी	1,00,000	100	1,00.00	100.00	10.00	..	वर्ष 2019-20 का लाभांश है। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 1,51.64 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।	
46.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	2013-14	इक्विटी	(क)	(क)	12,50.00	12.50	..	..	वर्ष 2018-19 लेखों में ₹ 2,79.03 लाख का शुद्ध लाभ दर्शाया गया है।	
47.	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	50,00,000	100	50,00.00	100.00	..	..	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों में ₹ 0.32 लाख का शुद्ध लाभ (कर से पहले) दर्शाया गया है।	
48.	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क कम्पनी	2020-21	इक्विटी	(क)	(क)	8.25 (ख)	1.61	..	..		

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 8,24,957।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)
खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
III. सरकारी कम्पनियां-- (समाप्त)											
अप्रचलित कम्पनियां											
49.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2002-03 तक	इक्विटी	16,750	100	16.75	100.00	..	..	वर्ष 2004-05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
50.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	94-95 तक 2002-03	इक्विटी	16,33,000	100	16,33.00 (-) 5,71.55 10,61.45	..	..	..	कम्पनी का 19/02/2003 से राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, जयपुर में विलय हो चुका है, जिसके पश्चात् इस कम्पनी ने ₹ 5,71,55,000 के 35:10 के शेयर विनिमय अनुपात में शेयर जारी किये। ₹ 10,61,45,000 की शेष राशि को आरक्षित पूंजी माना गया है तथा आर. एस. एम. एम. एल. द्वारा कम्पनी के लेखों में दर्शाया गया है।	
51.	राजस्थान राज्य विद्युत् निगम, जयपुर	1997-98	इक्विटी	50,000	10	5.00	100.00	..	..	वर्ष 2003-04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
52.	राजस्थान राज्य विद्युत् वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	इक्विटी	(क)	(क)	5.00	100.00	..	..	निगम की स्थापना केबिनेट के आदेश सं. 2016 दिनांक 28.11.2016 से की गई एवं आदेश सं. 54/2018 दिनांक 20.3.2018 से बन्द किया गया।	
परिसमापन के तहत कम्पनियां											
53.	राजस्थान राज्य एग्री उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर	1995-96 तक	इक्विटी	6,00,733	100	4,12.97 (ख)	68.74	..	..	दिनांक 09.08.2018 से कम्पनी परिसमापन के अन्तर्गत है।	
योग – III						5,02,53,97.21 (ग)	2,29.07 (घ)		..		

(क) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 4,12,96,700। भारत सरकार द्वारा किया गया ₹ 1,87,77,600 (1,87,776 अंश) का एक निवेश 1995-96 में विनिवेश हुआ तथा राज्य सरकार को ₹ 1,000 की टोकन राशि के भुगतान के एवज में स्थानान्तरित किया गया परिणामस्वरूप राज्य लेखों में ₹ 1,87,77,600 के कुल निवेश के स्थान पर ₹ 1,000 का निवेश दिखाया गया।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 5,02,53,97,20,907।

(घ) वास्तविक लाभांश ₹ 2,29,06,578।

विवरण संख्या 19 - (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
(₹ लाख में)						(₹ लाख में)				
IV. संयुक्त पूंजी कम्पनियां										
54.	रियल एस्टेट विकास तथा निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	20,00,000	10	2,00.00	50.00	..	..	वर्ष 2015-16 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।
55.	सूर्या ऊर्जा कम्पनी राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	50.00	..	..	वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।
56.	एस्सेल सूर्या ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	50.00	..	..	वर्ष 2018-19 तक ₹ 72.08 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।
57.	अडानी अक्षय ऊर्जा पार्क लिमिटेड	2015-16	इक्विटी	25,000	10	2.50	50.00	..	..	वर्ष 2018-19 तक ₹ 5,62.95 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021) ।
58.	जयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	10,00,00,000	10	1,00,00.00	50.00	..	..	वर्ष 2019-20 के लेखों में ₹ 54.22 लाख का (कर से पहले) शुद्ध लाभ दर्शाया गया है
59.	उदयपुर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	इक्विटी	10,00,00,000	10	1,00,00.00	50.00	..	..	वर्ष 2019-20 तक ₹ 12.38 लाख की संचित हानि थी।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
IV. संयुक्त पूंजी कम्पनियां-- (समाप्त)											
60.	अजमेर स्मार्ट सिटी, योजना	2017-18	इक्विटी	6,48,00,000	10	64,80.00	50.00	..	..	वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
61.	कोटा स्मार्ट सिटी, योजना	2017-18	इक्विटी	6,54,00,000	10	65,40.00	50.00	..	..	वर्ष 2016-17 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2020)।	
62.	एच.पी.सी.एल. राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	2019-20 तक	इक्विटी	44,55,93,500	10	4,45,59.35 (क)	26.00	..	..	वर्ष 2018-19 तक ₹ 12,18.39 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
		2020-21	इक्विटी	18,62,21,950	10	1,86,21.95 (ख)					
						6,31,81.30 (ग)					
63.	परियोजना विकास निगम लिमिटेड, जयपुर	2006-07 तक	इक्विटी	9,90,000	10	99.00	50.00	..	..	वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
64.	राजस्थान सड़क ढांचागत विकास कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	2014-15 तक	इक्विटी	13,74,99,997	10	1,37,50.00 (घ)	50.00	..	..	वर्ष 2018-19 तक ₹ 5,70,31.83 लाख की संचित हानि थी। वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
योग – IV						11,02,57.80 (ङ)		..	..		

(क) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, पूर्व में राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड, जयपुर में दर्ज वास्तविक निवेश ₹ 4,45,59,34,668 को सम्मिलित करते हुए ₹ 1.30 लाख का निवेश एच.पी.सी.एल., राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में दर्शाया जा रहा है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 1,86,21,95,230।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 6,31,81,29,898।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 1,37,49,99,970।

(ड) वास्तविक निवेश ₹ 11,02,57,79,868।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)
खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
V. संयुक्त स्टॉक कम्पनियां											
प्रचलित कम्पनियां											
65.	मान औद्योगिक निगम लिमिटेड, जयपुर	1951-52	इक्विटी संचयी पूर्वाधिकार	5,000 10,000	100 100	5.00 10.00 15.00	..	..	..	वर्ष 2004-05 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
66.	रामपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामपुर	1946-47	इक्विटी	300	10	0.07 (क)	..	..	..	वर्ष 2012-13 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
67.	टाटा स्टील लिमिटेड, मुम्बई (टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई)	1998-99 तक	पूर्वाधिकार/ बॉण्ड्स/ इक्विटी अंश	(ख)	(ख)	0.25 (ग)	..	..	..	वर्ष 2011-12 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
68.	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, अजमेर	1980-81 तक	इक्विटी	1,60,000	10	16.00	..	..	..	वर्ष 2009-10 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
69.	ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा	1962-63	इक्विटी	3,665	100	3.66 (घ)	..	..	..	वर्ष 1984-85 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
70.	एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा)	1963-64	इक्विटी	1,000	100	1.00	..	..	..	31 दिसम्बर 1985 को समाप्त हुए वर्ष तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	

(क) ₹ 6,960 की राशि के ₹ 23.20 प्रति अंश की दर से 300 शेयर क्रय किये गये।

(ख) इक्विटी शेयरों की संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ग) पूर्वाधिकार/बॉण्ड्स/इक्विटी शेयरों में कुल निवेश ₹ 1,27,500, जिसमें 1907-08 से 1995-96 तक खरीदे गये 255 पूर्वाधिकार शेयर ₹ 158.08 प्रत्येक सम्मिलित हैं, में से ₹ 25,000 का शेष छोड़ते हुए वर्ष 1998-99 तक विभिन्न वर्षों में ₹ 1,02,500 की सीमा तक की राशि वापस प्राप्त हुई।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 3,66,500।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
				हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)					(₹ लाख में)
V. संयुक्त स्टॉक कम्पनियां- (क्रमशः)											
अप्रचलित कम्पनियां											
71.	मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोलकाता	1960-61	इक्विटी	2,50,000	10	25.00	..	..	..	लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
72.	अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड (केल्वीनेटर ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली में सम्मिलित)	1998-99 तक	इक्विटी	..	..	(-) 0.61 (क)	..	..	..	30 जून 1988 को समाप्त हुए वर्ष तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
73.	न्यूज पेपर लिमिटेड, इलाहाबाद	1929-30	इक्विटी	1,000	10	0.10	..	..	..	वर्ष 2009-10 तथा इसके आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
74.	डी सेन्ट्रल प्रोविंसेज रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई	1910-11	इक्विटी	76	100	0.08 (ख)	..	..	..	वर्ष 2003-04 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
75.	जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जयपुर	1987-88	इक्विटी	7,500	100	7.50	..	..	..	वर्ष 1996-97 तथा आगे के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	

(क) वास्तविक राशि ₹ 61,250। अधिक वापसी से संबंधित मामले को निपटारे हेतु राज्य सरकार के पास भेजा जा चुका है।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 7,600।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या					
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)		
V.	संयुक्त स्टॉक कम्पनियां- (क्रमशः)								
परिसमापन के तहत कम्पनियां									
76.	बूंदी विद्युत् आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, बूंदी	1936-37	इक्विटी	(क)	10	0.12 (ख)	..	..	कम्पनी 1965-66 से परिसमापनाधीन है।
77.	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़	1946-47	इक्विटी	100	100	0.10	..	..	कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है।
78.	स्टोन वेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	#	इक्विटी	1,250	10	0.12 (ग)	..	..	कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है।
79.	श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर	1947-48	इक्विटी	13,000	10	1.30	..	..	कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है।
80.	आबू रोड इलैक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड	1945-46	इक्विटी	1,250	100	1.25	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा वर्ष 1975-76 के दौरान पूर्ववर्ती राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा अधिग्रहण किया जा चुका है।
81.	कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा	1946-47	इक्विटी	2,000	100	2.00	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।

(क) शेयर की राशि की वापसी के पश्चात् वास्तविक संख्या से संबंधित सूचना प्रतीक्षित है।

(ख) ₹ 41,410 के कुल निवेश में से राशि क्रमशः ₹ 20,705 तथा ₹ 8,282 वर्ष 1976-77 व 1977-78 में वापस प्राप्त हुई।

सूचना जयपुर रियासत के शामिल होने से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है। सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 12,500।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)			
V. संयुक्त स्टॉक कम्पनियां--(समाप्त)										
परिसमापन के तहत कम्पनियां-- (समाप्त)										
82.	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर।	1943-44	इक्विटी	4,987	100	4.99 (क)	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
			पूर्वाधिकार	12,471	100	12.47 (क)				
						17.46 (क)				
83.	फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1927-28	इक्विटी	95	100	0.10 (ख)	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
84.	दी चपरमुख सिलीघाट रेलवे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1990-91 तक	इक्विटी	95*	100	0.06 (ग)	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
85.	मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	1996-97 तक	पूर्वाधिकार	10,000	100	10.00	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
			इक्विटी	40,000	100	40.00				
						50.00				
86.	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	1948-49	संचयी पूर्वाधिकार	75,000	100	75.00	..	..	..	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
योग –V						2,15.56 (घ)	..	..	..	

(क) वास्तविक निवेश क्रमशः ₹ 4,98,700, ₹ 12,47,100 तथा ₹ 17,45,800।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 9,500।

* 1990-91 में पूर्व में वापस किये गये शेयरों की संख्या राज्य सरकार से विवरण के अभाव में कम नहीं की जा सकी।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 6,365।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 2,15,56,398।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण- (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
VI. साझेदारी व्यापार संस्थाएं											
87.	कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किशनगढ़	1900-01	रुपये में 26 पैसे या कुल पूंजी का 25/96			0.21 (क)	..	..	..	वर्ष 2019-20 के लेखे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2021)।	
योग -VI						0.21 (क)	..	..			
VII. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश #											
01.	क्रेडिट-सहकारी समितियां *	18-19 तक	(ख)	(ख)	(ख)	2,30,51.42 (ग)	..	38.11 (घ)	..		
02.	आवास सहकारी समितियां *	2013-14 तक	(ख)	(ख)	(ख)	1,64.55 (ड)	..	..	..		

(क) वास्तविक निवेश ₹ 20,833।

गत वर्षों में सहकारी समितियों में विनिवेश के गलत वर्गीकरण के कारण संबंधित सहकारी समितियों के तहत दर्शाने के लिए विभिन्न सहकारी समितियों के अन्तर्गत निवेश को पुनरीक्षित किया गया है।

* सहकारी बैंकों तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ख) इकट्ठी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 2,30,51,42,395।

(घ) वास्तविक लाभांश ₹ 38,10,897।

(ड) वास्तविक निवेश ₹ 1,64,55,444।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य					
(₹ लाख में)							(₹ लाख में)			
VII. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश –(क्रमशः)										
03.	श्रम सहकारी समितियां *	2011-12 तक	(क)	(क)	(क)	6.01 (ख)	..	..	..	
04.	कृषि सहकारी समितियां *	2014-15 तक	(क)	(क)	(क)	0.84 (ग)	..	..	..	
05.	भाण्डागार और विपणन सहकारी समितियां *	2014-15 तक	(क)	(क)	(क)	31,17.34 (घ)	..	2.21 (ङ)	..	
06.	प्रक्रिया सहकारी समितियां *	2013-14 तक	(क)	(क)	(क)	76,71.34 (च)	..	..	..	
		2020-21	वापसी			(-) 0.20				
						76,71.14 (छ)				
07.	डेयरी सहकारी समितियां *	2015-16 तक	(क)	(क)	(क)	6,31.18 (ज)	..	..	..	
08.	सहकारी कताई मिलें *	2012-13 तक	(क)	(क)	(क)	70,38.48 (झ)	..	..	..	

* सहकारी बैंकों तथा समितियों की संख्या से संबंधित सूचना राज्य सरकार से बार-बार माँगे जाने पर भी प्रतीक्षित है।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार माँगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 6,01,333 ।

(ग) वास्तविक निवेश ₹ 83,695 ।

(घ) वास्तविक निवेश ₹ 31,17,34,166 ।

(ङ) वास्तविक लाभांश ₹ 2,21,147 ।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 76,71,34,185 ।

(छ) वास्तविक निवेश ₹ 76,71,14,185 ।

(ज) वास्तविक निवेश ₹ 6,31,17,620 ।

(झ) वास्तविक निवेश ₹ 70,38,47,900 ।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)

खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (क्रमशः)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान ला प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
							(₹ लाख में)	(₹ लाख में)			
VII. सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश –(क्रमशः)											
09.	उपभोक्ता सहकारी समितियां *	2011-12 तक	(क)	(क)	(क)	11,26.83 (ख)	..	1.33	..		
10.	राजस्थान सहकारी वित्त और विकास निगम #	2013-14	(क)	(क)	(क)	10,00.00	..	..	..		
11.	औद्योगिक सहकारी समितियां *	2003-04 तक	(क)	(क)	(क)	4.76 (ग)	..	..	..		
12.	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत विविध समितियां*	2018-19 तक 2020-21	(क) वापसी	(क)	(क)	67,94.80 (घ) (-) 3,43.62 (ड) 64,51.18 (च)	..	..	..		

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।
 (क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।
 (ख) वास्तविक निवेश ₹ 11,26,82,550 ।
 (ड) वास्तविक वापसी ₹ 3,43,62,276 ।

संस्था का प्रकार राज्य सरकार से प्रतीक्षित है ।
 (ग) वास्तविक निवेश ₹ 4,76,013 ।
 (घ) वास्तविक निवेश ₹ 67,94,79,582 ।
 (च) वास्तविक निवेश ₹ 64,51,17,306 ।

विवरण संख्या 19 – (क्रमशः)
खण्ड 1 : 2020-21 तक के निवेशों का विवरण– (समाप्त)

क्र.स.	संस्था का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश का विवरण			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी पर सरकारी निवेश का प्रतिशत	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश तथा सरकार को जमा	घोषित लाभांश परन्तु सरकारी लेखे को जमा नहीं हुआ	अभ्युक्तियां	
			प्रकार	हिस्सा/ ऋण पत्र की संख्या	प्रत्येक हिस्सा/ऋण पत्रों का अंकित मूल्य						
						(₹ लाख में)	(₹ लाख में)				
VII सहकारी बैंकों/समितियों में निवेश – (समाप्त)											
13.	महिला सहकारी समितियां *	2019-20 तक	(क)	(क)	(क)	1,74.37	..	..	..		
		2020-21	(क)	(क)	(क)	2.70					
						1,77.07					
14.	अन्य सहकारी समितियां *	2019-20 तक	(क)	(क)	(क)	93,89.40 (ख)	..	0.43 (ग)	..		
		2020-21	वापसी			(-) 10,63.97 (घ)					
						83,25.43 (ड)					
योग – VII @						5,87,66.23 (च)		42.08 (छ)	..		
कुल योग						5,27,84,40.41 (ज)		2,89.15 (झ)	..		

* सहकारी बैंकों और समितियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(क) इक्विटी शेयरों का प्रकार, संख्या और उनके अंकित मूल्य राज्य सरकार से बार-बार मांगे जाने पर भी प्रतीक्षित है ।

(ख) वास्तविक निवेश ₹ 93,89,40,103 ।

(ग) वास्तविक लाभांश ₹ 42,694 ।

(घ) वास्तविक वापसी ₹ 10,63,96,784 ।

(ड) वास्तविक निवेश ₹ 83,25,43,319 ।

(च) वास्तविक निवेश ₹ 5,87,66,22,926 ।

@ वास्तविक निवेश ₹ 5,87,66,22,926 । गत वर्षों के राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (₹ 4,01.46 लाख) और बुनकर संघ (₹ 65.60 लाख) में निवेश क्रमशः क्रेडिट सहकारी समितियां तथा अन्य सहकारी समितियों के तहत गलत दर्शाया गया जिसे सही किया गया परिणामतः सहकारी समितियों में कुल निवेश ₹ 4,67.16 लाख से घटाया गया।

(छ) वास्तविक लाभांश ₹ 42,07,738 ।

(ज) वास्तविक निवेश ₹ 5,27,84,40,41,212 ।

(झ) वास्तविक लाभांश ₹ 2,89,14,316 ।

विवरण संख्या 19 - (समाप्त)

खण्ड 2 : वर्ष के दौरान मुख्य तथा लघु शीर्षवार निवेश का विवरण

(मात्र वही मामले सम्मिलित करने हैं जिनसे विवरण संख्या 19 में दर्शायी राशियां मिलान नहीं करती हैं)

विवरण संख्या 19 की क्रम संख्या	मुख्य / लघु शीर्ष	गत वर्ष के अंत में निवेश	वर्ष के दौरान निवेश	वर्ष के दौरान विनिवेश	वर्ष के अंत में निवेश	प्राप्त लाभांश/ ब्याज
(₹ लाख में)						
						..
		शून्य				

विवरण संख्या – 20 सरकार द्वारा दी गई गारन्टियों का ब्यौरेवार विवरण

क – वर्गवार गारन्टियों का विवरण #

वर्ग (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि*	वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में बकाया*	वर्ष के दौरान बढ़त*	घटत* (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया*	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज के भुगतान, नगद जमा सुविधा, वित्तीय मौसमी कृषि कार्य तथा कम्पनियों, निगमों एवं सहकारी समितियों तथा बैंको को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए गारन्टी (477)	15,68,22,18.80	8,06,31,24.92	1,58,41,83.99	1,38,60,63.32	..	..	8,26,12,45.59	7,40,81.51	4,39,63.79	(क) ..
कुल योग-	15,68,22,18.80	8,06,31,24.92	1,58,41,83.99	1,38,60,63.32	..	..	8,26,12,45.59	7,40,81.51	4,39,63.79	..

सूचना का स्रोत : राज्य सरकार ।

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है ।

(क) वर्ष के दौरान ₹ 3,01,17.72 लाख बकाया रहा ।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख- प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण #

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि*	वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में बकाया*	वर्ष के दौरान बढ़त*	घटत* (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया *	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
वर्ग (1)										
ऊर्जा (5)										
कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी										
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (42)	1,28,21,09.40	62,78,74.61	8,77,19.00	8,21,11.78	..	..	63,34,81.83	50,79.37	50,79.37	..
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (36)	3,02,35,60.00	2,15,80,30.14	42,44,53.19	27,42,17.12	..	..	2,30,82,66.21	2,70,72.80	.. (क)	..
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (85)	3,15,41,60.99	1,22,38,26.10	17,91,98.85	6,50,04.78	..	..	1,33,80,20.17	1,22,79.04	1,22,79.04	..
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (102)	2,71,31,96.26	1,14,09,90.88	15,29,44.88	4,19,40.03	..	..	1,25,19,95.73	1,10,18.52	1,10,18.52	..
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (68)	2,68,61,40.84	1,22,96,40.00	22,92,97.06	3,51,48.11	..	..	1,42,37,88.95	1,27,04.14	1,27,04.14	..
योग-ऊर्जा	12,85,91,67.49	6,38,03,61.73	1,07,36,12.98	49,84,21.82	..	..	6,95,55,52.89	6,81,53.87	4,10,81.07	..
सहकारी समितियाँ (6)										
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (3) कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी	72,50,00.00	54,65,00.65	..	44,65,00.65	..	..	10,00,00.00	..	..	..

सूचना का स्रोत : राज्य सरकार ।

विवरण में सभी इकाइयों के समक्ष कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े राज्य सरकार द्वारा दी गयी गारन्टीयों की संख्या के द्योतक हैं ।

* गारन्टी में ब्याज, यदि कोई हो, सम्मिलित है ।

(क) वर्ष के दौरान ₹ 2,70,72.80 लाख बकाया रहा ।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख- प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण - (क्रमशः)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
सहकारी समितियाँ (6) – (क्रमशः)										
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (3) कृषि एवं ग्रामीण विकास के राष्ट्रीय बैंक तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी	17,00,00.00	9,30,17.08	4,46,20.00	4,24,21.83	..	..	9,52,15.25	90.43	90.43	..
राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लिमिटेड (4) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी	30,00,00.00	2,78,31.00	27,21,69.00	24,77,34.00	..	..	5,22,66.00	94.72	94.72	..
राजस्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति वित्त तथा विकास सहकारी निगम लिमिटेड (12) विभिन्न निगमों से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिये गारन्टी	3,44,00.11	1,76,38.97	66,13.13	41,07.15	..	..	2,01,44.95	1,67.69	1,67.69	..
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी	1,35,00.00	96,87.09	5,00.00	7,26.81	..	..	94,60.28	1,44.34	1,44.34	..

विवरण संख्या – 20 (क्रमशः)

ख- प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण – (क्रमशः)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष 2020-21 के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान बढ़त	घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष 2020-21 के अन्त में बकाया	गारन्टी कमीशन अथवा फीस		अन्य आवश्यक विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई		प्राप्त होने योग्य	प्राप्त	
(₹ लाख में)										
सहकारी समितियाँ (6) – (समाप्त)										
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (2) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त कर्जों के पुनर्भुगतान के लिए गारन्टी	1,50,66.00	20,46.86	7,00.00	7,03.73	..	..	20,43.13	22.40	22.40	..
योग - सहकारी समितियाँ	1,25,79,66.11	69,67,21.65	32,46,02.13	74,21,94.17	..	..	27,91,29.61	5,19.58	5,19.58	..
सड़क तथा परिवहन (1)										
राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम लिमिटेड (15) हुडको से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी	45,18,43.00	30,85,63.32	6,10,26.90	7,51,17.05	..	..	29,44,73.17	30,44.92	.. (क)	..
योग - सड़क तथा परिवहन	45,18,43.00	30,85,63.32	6,10,26.90	7,51,17.05	..	..	29,44,73.17	30,44.92	..	..

(क) वर्ष के दौरान ₹ 30,44.92 लाख बकाया रहे।

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख- प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण - (क्रमशः)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष	वर्ष के दौरान बढ़त	घटत (वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	वर्ष के दौरान याचिका		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक आवश्यक विवरण
		2020-21 के प्रारम्भ में बकाया			2020-21 के अन्त में बकाया	अथवा फीस				
		चुकाई गई			नहीं चुकाई	प्राप्त होने योग्य	प्राप्त			
(₹ लाख में)										
राज्य वित्तीय निगम (1)										
राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड (4) <i>कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i>	4,00,00.00	4,00,00.00	..	1,74,00.00	..	..	2,26,00.00	2,68.91	2,68.91	..
योग - राज्य वित्तीय निगम	4,00,00.00	4,00,00.00	..	1,74,00.00	..	..	2,26,00.00	2,68.91	2,68.91	..
नगरीय विकास एवं आवासन (3)										
राजस्थान नगरीय पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम (3)	21,35,61.00	14,68,74.60	..	1,04,11.81	..	..	13,64,62.79	1,28.93	1,28.93	..
जयपुर विकास प्राधिकरण (8)	16,57,29.00	13,15,60.32	49,00.00	1,25,48.51	..	..	12,39,11.81	12,82.55	12,82.55	..
विभिन्न जिला परिषदें (80) <i>ग्रामीण क्षेत्रों में इडब्ल्यूएस परिवारों के लिए रहने योग्य युनिटों के निर्माण हेतु आवासन तथा नगरीय विकास निगम लिमिटेड से लिये गये कर्जों तथा उन पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i>	39,48,66.30	19,01,53.76	50,41.98	1,47,54.24	..	..	18,04,41.50	..	..	..
योग - नगरीय विकास एवं आवासन	77,41,56.30	46,85,88.68	99,41.98	3,77,14.56	..	..	44,08,16.10	14,11.48	14,11.48	..

विवरण संख्या - 20 (क्रमशः)

ख- प्रत्येक वर्गवार गारन्टियों के लिये क्षेत्रवार विवरण - (समाप्त)

वर्ग तथा क्षेत्र (गारन्टियों की संख्या)	गारन्टी की गई अधिकतम राशि	वर्ष	वर्ष के	घटत	वर्ष के दौरान		वर्ष	गारन्टी कमीशन		अन्य आवश्यक विवरण
		2020-21 के प्रारम्भ में बकाया	दौरान बढ़त	(वर्ष के दौरान की गई याचिका के अतिरिक्त)	याचिका	चुकाई गई नहीं चुकाई	2020-21 के अन्त में बकाया	अथवा फीस	प्राप्त होने योग्य प्राप्त	
(₹ लाख में)										
अन्य कोई (4)										
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (1) <i>कर्ज/ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान, बॉण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके ली गई राशि और उन पर खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई से नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i>	37,40.00	6,55.08	..	18.25	..	..	6,36.83	0.65	0.65	..
राजस्थान राज्य जलपूर्ति तथा मल निकासी निगम (10) <i>भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गये कर्जों के पुनर्भुगतान तथा उन पर नियत दर पर ब्याज के भुगतान के लिए गारन्टी</i>	78,45.90	7,34.46	..	1,97.47	..	..	5,36.99	7.10	7.10	..
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर (3) <i>राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर द्वारा जारी किये गये बॉण्ड पर ब्याज का भुगतान तथा मूलधन के पुनर्भुगतान की गारन्टी</i>	8,75,00.00	6,75,00.00	1,50,00.00	1,50,00.00	..	..	6,75,00.00	6,75.00	6,75.00	..
राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड (2)	20,00,00.00	10,00,00.00	10,00,00.00	..	..	..	20,00,00.00	..	..	..
योग - अन्य कोई	29,90,85.90	16,88,89.54	11,50,00.00	1,52,15.72	..	..	26,86,73.82	6,82.75	6,82.75	..
कुल योग	15,68,22,18.80	8,06,31,24.92	1,58,41,83.99	1,38,60,63.32	..	..	8,26,12,45.59	7,40,81.51	4,39,63.79	..

विवरण संख्या – 20 (क्रमशः)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(क) गारन्टी मोचन निधि : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में गारन्टी मोचन निधि की स्थापना की गई थी। निधि का विस्तृत लेखा नीचे दर्शाया जा रहा है :-

		(₹ लाख में)
(i)	प्रारम्भिक शेष	39,85,99.29 (क)
(ii)	जोड़िये- वर्ष के दौरान निधि में राशि का हस्तान्तरण	4,37,33.58
(iii)	योग	44,23,32.87
(iv)	घटाइये- याचिका की गई गारन्टी के चुकारे के लिए निधि से प्राप्त राशि	..
(v)	अन्तिम शेष	44,23,32.87 (ख)
(vi)	गारन्टी मोचन निधि में से निवेश की गई राशि	19,33,18.81

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के दृष्टिगत कुछ मामलों में, संस्थाओं द्वारा गारन्टी कमीशन का भुगतान आवश्यक है। प्राप्त होने योग्य गारन्टी फीस ₹ 7,40,81.51 लाख के विरुद्ध ₹ 4,39,63.79 लाख की राशि शीर्ष “0075-108” के अन्तर्गत प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान ₹ 2,37.55 लाख का शेष छोड़ते हुए ₹ 4,37,33.58 लाख (2019-20 से संबंधित ₹ 7.34 लाख सम्मिलित) निधि को हस्तान्तरित किये गये।

(ख) वर्ष 2020-21 के दौरान कोई गारन्टी याचिका नहीं की गई।

1. मै. जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को गारन्टी दी गई जो 30 जून 1988 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 2,74.14 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 16.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। तदनुसार राज्य सरकार ने बैंक को दिनांक 31 मार्च 1995 को ₹ 2,96.06 लाख का भुगतान किया। कम्पनी समापनाधीन है तथा प्रकरण न्यायालय में लम्बित है (जून 2021)।
2. मै. जयपुर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड को गारन्टी दी गई जो 23 फरवरी 1984 को मांगी गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 5,04.76 लाख तथा भुगतान होने की दिनांक तक 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने को कहा गया। मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेशानुसार ₹ 5,04.76 लाख ऋण वसूली के अधिकरण को जमा कराये गये। गारन्टर से राशि वसूल करने के लिये मामला जयपुर जिला न्यायालय में अप्रैल 2003 में दायर किया गया (जून 2021)।
3. मै. मेवाड़ टैक्सटाईल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा के पक्ष में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को दी गई ₹ 3,85.00 लाख की गारन्टी के विरुद्ध राज्य सरकार ने गारन्टी का सम्मान करने के लिये दिनांक 28 जनवरी 2002 को ₹ 3,72.41 लाख का ऋण स्वीकृत किया जिसमें से ₹ 2,07.41 लाख चार वित्तीय संस्थाओं को वर्ष 2001-02 में चुकाए गये। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा चुकाई गई राशि को बैंकों [आई सी आई सी आई बैंक (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड), ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनिन बैंक ऑफ इण्डिया] द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तथा वसूली हेतु न्यायालय में गये। कम्पनी का समापनाधीन प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन है। समापनाधीन अधिकारी की नियुक्ति अभी की जानी है (जून 2021)।

(क) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 9,31,30.56 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) गारन्टी मोचन निधि के निवेश पर प्राप्त ब्याज ₹ 10,30,98.56 लाख सम्मिलित नहीं हैं।

विवरण संख्या 20- (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ- (समाप्त)

4. राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को दी गई गारन्टी की माँग वर्ष 2003-04 में की गई तथा राज्य सरकार को गारन्टी के ₹ 1.80 करोड़ तथा भुगतान होने की तिथि तक ब्याज देने को कहा गया। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य हथकर्घा विकास निगम को ₹ 1.08 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर वर्ष 2003-04 के दौरान आई.सी.आई.सी.आई.बैंक को (भूतपूर्व दी बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड) को ₹ 1.08 करोड़ चुकाये। कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण निगम द्वारा पुनर्भुगतान नहीं किया गया (जून 2021)।

(ग) वर्ष 2020-21 के दौरान “लेटर ऑफ कम्फर्ट” जारी नहीं किये गये।

(घ) राज्य सरकार के बजट दस्तावेज में गारण्टी का विवरण सम्मिलित है।

(ङ.) वर्तमान में वित्त (बजट) विभाग सरकार में गारण्टी के लिए ट्रेकिंग इकाई के रूप में कार्यरत है।

(च) वित्तीय विवरण में गारण्टी मोचन निधि का ब्यौरा सम्मिलित है।

विवरण संख्या 21 – आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष			31 मार्च 2021 को अन्त शेष		निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत	
(₹ लाख में)							
भाग II. आकस्मिकता निधि							
8000. आकस्मिकता निधि							
201. समेकित निधि से विनियोजन	जमा	5,00,00.00	..	..	जमा	5,00,00.00	
योग – भाग II. आकस्मिकता निधि	जमा	5,00,00.00	..	..	जमा	5,00,00.00	
भाग III . लोक लेखा							
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि							
(ख) राज्य भविष्य निधियां							
8009. राज्य भविष्य निधि							
01. सिविल							
101. सामान्य भविष्य निधि	जमा	3,23,34,30.13	64,02,31.76	40,58,95.57	जमा	3,46,77,66.32	(+) 23,43,36.19 7.25
102. अंशदायी भविष्य निधि	जमा	4,99.83	(-) 0.21 (क)	..	जमा	4,99.62	(-) 0.21 0.04
104. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	जमा	57,30.84	13,59.56	15,61.00	जमा	55,29.40	(-) 2,01.44 3.52
योग – 01	जमा	3,23,96,60.80	64,15,91.11	40,74,56.57	जमा	3,47,37,95.34	(+) 23,41,34.54 7.23
02. रक्षा							
101. रक्षा बचत भविष्य निधि	जमा	0.24	..	..	जमा	0.24	
योग – 02	जमा	0.24	..	..	जमा	0.24	

(क) ऋण आकड़े जांच के अधीन हैं ।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत
(₹ लाख में)						
भाग III . लोक लेखा- (क्रमशः)						
झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि - (समाप्त)						
(ख) राज्य भविष्य निधियां- (समाप्त)						
8009. राज्य भविष्य निधि - (समाप्त)						
60. अन्य भविष्य निधियां						
101. कामगार अंशदायी भविष्य निधि	जमा 12,60,66.67	89,96.24	1.49	जमा 13,50,61.42	(+) 89,94.75	7.13
103. अन्य विविध भविष्य निधियां	जमा 5,77,53.45	41,11.23	..	जमा 6,18,64.68	(+) 41,11.23	7.12
योग - 60	जमा 18,38,20.12	1,31,07.47	1.49	जमा 19,69,26.10	(+) 1,31,05.98	7.13
योग - 8009	जमा 3,42,34,81.16	65,46,98.58	40,74,58.06	जमा 3,67,07,21.68	(+) 24,72,40.52	7.22
योग-(ख) राज्य भविष्य निधियां	जमा 3,42,34,81.16	65,46,98.58	40,74,58.06	जमा 3,67,07,21.68	(+) 24,72,40.52	7.22
(ग) अन्य लेखे						
8011. बीमा तथा पेंशन निधि						
105. राज्य सरकार बीमा निधि	जमा 1,86,49,20.38	48,61,57.60	20,54,56.46	जमा 2,14,56,21.52	(+) 28,07,01.14	15.05
106. अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां	जमा(-) 16,15,82.57	22,65,55.24	27,11,58.11	जमा(-) 20,61,85.44(क)	(-) 4,46,02.87	27.60
107. राज्य सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	जमा 2,00,42.85	31,49.11	7,80.55	जमा 2,24,11.41	(+) 23,68.56	11.82
योग - 8011	जमा 1,72,33,80.66	71,58,61.95	47,73,95.12	जमा 1,96,18,47.49	(+) 23,84,66.83	13.84
योग-(ग) अन्य लेखे	जमा 1,72,33,80.66	71,58,61.95	47,73,95.12	जमा 1,96,18,47.49	(+) 23,84,66.83	13.84
योग -झ. अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	जमा 5,14,68,61.82	1,37,05,60.53	88,48,53.18	जमा 5,63,25,69.17	(+) 48,57,07.35	9.44

(क) ऋण शेष कोषालयों द्वारा प्राप्तियों की तुलना में अधिक भुगतान के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत
(₹ लाख में)						
भाग III . लोक लेखा- (क्रमशः)						
ज. आरक्षित निधि						
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8115. मूल्य ह्रास /नवीकरण आरक्षित निधि						
103. मूल्य ह्रास आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम	जमा 67,47.59	..	..	जमा 67,47.59	..	..
योग - 8115	जमा 67,47.59	..	..	जमा 67,47.59	..	..
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां						
122. राज्य आपदा मोचन निधि	जमा 20,96,22.40	29,71,92.20 (क)	20,88,70.92	जमा 29,79,43.68	(+) 8,83,21.28	42.13
129. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (एस सी ए एफ)	जमा 16,68,16.34	..	1,86,44.33	जमा 14,81,72.01	(-) 1,86,44.33	11.18
योग - 8121	जमा 37,64,38.74	29,71,92.20	22,75,15.25	जमा 44,61,15.69	(+) 6,96,76.95	18.51
योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	जमा 38,31,86.33	29,71,92.20	22,75,15.25	जमा 45,28,63.28	(+) 6,96,76.95	18.18
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8225. सड़क तथा सेतु निधि						
02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि						
101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि	जमा 30,32.99	10,11,46.00	9,90,68.56	जमा 51,10.43	(+) 20,77.44	68.49
योग - 8225.	जमा 30,32.99	10,11,46.00	9,90,68.56	जमा 51,10.43	(+) 20,77.44	68.49

(क) इसमें (i) राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्र (₹ 14,81,00.00 लाख) तथा राज्य (₹ 4,94,00.00 लाख) दोनों का कुल अंशदान ₹ 19,75,00.00 लाख, (ii) राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में गत वर्ष के ₹ 7,84,60.00 लाख सहित ₹ 8,53,25.00 लाख तथा (iii) राज्य सरकार द्वारा अनिवेशित रही राशि पर किया गया ₹ 1,43,67.20 लाख का ब्याज भुगतान सम्मिलित है।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष			31 मार्च 2021 को अन्त शेष		निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत	
(₹ लाख में)							
भाग III लोक लेखा – (क्रमशः)							
ज. आरक्षित निधि– (समाप्त)							
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां – (समाप्त)							
8229. विकास तथा कल्याण निधि							
103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	जमा	0.74	..	0.74	जमा	..	(-) 0.74 100.00
104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि	जमा	47,35.35	5,99,11.73	5,74,01.45	जमा	72,45.63	(+) 25,10.28 53.01
106. औद्योगिक विकास निधि	जमा	7,45.64	..	7,45.64	जमा	..	(-) 7,45.64 100.00
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि	जमा	8,59,71.72	11,06,54.99	10,16,72.51	जमा	9,49,54.20	(+) 89,82.48 10.45
योग – 8229	जमा	9,14,53.45	17,05,66.72	15,98,20.34	जमा	10,21,99.83	(+) 1,07,46.38 11.75
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां							
117. गारंटी मोचन निधि	जमा	49,17,29.85	5,37,01.58	..	जमा	54,54,31.43	(+) 5,37,01.58 10.92
120. गारंटी मोचन निधि–निवेश लेखा	नामे	17,00,32.00	17,00,32.00	19,33,18.81	नामे	19,33,18.81	(-) 2,32,86.81 13.70
200. अन्य निधियां							
सकल	जमा	1,87,64.95	1,60.81	2,54.49	जमा	1,86,71.27	(-) 93.68 0.50
निवेश	नामे	1,70,54.81	..	..	नामे	1,70,54.81	
निवल–200	जमा	17,10.14	1,60.81	2,54.49	जमा	16,16.46	(-) 93.68 5.48
योग – 8235.	जमा	32,34,07.99	22,38,94.39	19,35,73.30	जमा	35,37,29.08	(+) 3,03,21.09 9.38
योग – (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	जमा	41,78,94.43	49,56,07.11	45,24,62.20	जमा	46,10,39.34	(+) 4,31,44.91 10.32
योग–ज. आरक्षित निधि	जमा	80,10,80.76	79,27,99.31	67,99,77.45	जमा	91,39,02.62	(+) 11,28,21.86 14.08

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत
(₹ लाख में)						
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)						
ट. जमा तथा अग्रिम						
(क) ब्याज वाली जमा						
8338. स्थानीय निधियों की जमा						
103. राज्य आवासन मण्डल की जमा	जमा 3,97.71	..	..	जमा 3,97.71	..	..
104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा	जमा 46,09,80.75	20,51,22.50	11,26,21.89	जमा 55,34,81.36	(+) 9,25,00.61	20.07
योग - 8338.	जमा 46,13,78.46	20,51,22.50	11,26,21.89	जमा 55,38,79.07	(+) 9,25,00.61	20.05
8342. अन्य जमा						
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा	जमा 25,41,87.66	16,99,85.17	12,58,60.92	जमा 29,83,11.91	(+) 4,41,24.25	17.36
117. सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	जमा 35.86	2,13.86	2,00.64	जमा 49.08	(+) 13.22	36.87
120. विविध जमा	जमा 5,10,62.78	32,69,69.98	10,32,37.22	जमा 27,47,95.54	(+) 22,37,32.76	438.15
योग - 8342.	जमा 30,52,86.30	49,71,69.01	22,92,98.78	जमा 57,31,56.53	(+) 26,78,70.23	87.74
योग- (क) ब्याज वाली जमा	जमा 76,66,64.76	70,22,91.51	34,19,20.67	जमा 1,12,70,35.60	(+) 36,03,70.84	47.01
(ख) बिना ब्याज वाली जमा						
8443. सिविल जमा						
101. राजस्व जमा	जमा 43,58.18	6,91.32	5,31.55	जमा 45,17.95	(+) 1,59.77	3.67
103. प्रतिभूति जमा	जमा 5,43,93.05	3,52,44.30	2,71,09.71	जमा 6,25,27.64	(+) 81,34.59	14.96
104. सिविल न्यायालय जमा	जमा 34,45.95	20,31.25	4,25.52	जमा 50,51.68	(+) 16,05.73	46.60

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत
(₹ लाख में)						
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)						
ट. जमा तथा अग्रिम - (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8443. सिविल जमा- (क्रमशः)						
105. आपराधिक न्यायालय जमा	जमा 75.25	0.67	5.98	जमा 69.94	(-) 5.31	7.06
106. व्यक्तिगत जमा	जमा 1,62,89,06.71	3,77,14,41.67	3,96,20,53.27	जमा 1,43,82,95.11	(-) 19,06,11.60	11.70
108. लोक निर्माण कार्य जमा	जमा 43,58,64.84	16,22,70.24	18,25,08.28	जमा 41,56,26.80	(-) 2,02,38.04	4.64
109. वन जमा	जमा 8,97.96	15,45.31	7,83.51	जमा 16,59.76	(+) 7,61.80	84.84
111. अन्य विभागीय जमा	जमा 6,01.80	2,08.61	5.54	जमा 8,04.87	(+) 2,03.07	33.74
116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा	जमा 1,97.99	1,23.48	96.57	जमा 2,24.90	(+) 26.91	13.59
117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिये किये गये कार्य के लिये जमा	जमा 69.04	1,58.96	1,09.92	जमा 1,18.08	(+) 49.04	71.03
118. गैर - सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा	जमा 0.01	..	..	जमा 0.01	..	..
119. कम्पनी परिसमापन लेखा	जमा .. *	..	..	जमा .. *	..	..
121. चुनावों के संबंध में जमा	जमा 29.93	1.09	..	जमा 31.02	(+) 1.09	3.64

* ₹ 373 मात्र।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष			31 मार्च 2021 को अन्त शेष		निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत	
	प्राप्तियां	संवितरण					
(₹ लाख में)							
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)							
ट. जमा तथा अग्रिम - (क्रमशः)							
(ख) बिना ब्याज वाली जमा - (क्रमशः)							
8443. सिविल जमा- (समाप्त)							
123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा	जमा 1,40,04.23	1,46,63.51	1,09,52.74	जमा 1,77,15.00	(+) 37,10.77	26.50	
800. अन्य जमा	नामे 14,29.76	1,09,78.27	78,65.68	जमा 16,82.83	(+) 31,12.59	217.70	
योग - 8443.	जमा 2,14,14,15.18	3,99,93,58.68	4,19,24,48.27	जमा 1,94,83,25.59	(-) 19,30,89.59	9.02	
8448. स्थानीय निधियों की जमा							
102. नगरपालिका संबंधी निधियां	जमा 14,42,73.66	45,91,65.93	36,14,48.60	जमा 24,19,90.99	(+) 9,77,17.33	67.73	
107. राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यकारी निधियां	जमा 3,60,04.30	6,74,49,34.97	6,77,55,28.97	जमा 54,10.30	(-) 3,05,94.00	84.97	
109. पंचायत निकाय निधियां	जमा 24,72,62.55	31,15,99.56	26,73,92.77	जमा 29,14,69.34	(+) 4,42,06.79	17.88	
110. शिक्षा निधियां	जमा 28,41.58	29,87.42	17,93.97	जमा 40,35.03	(+) 11,93.45	42.00	
111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां	जमा 1,81.08	3,35.23	3,09.97	जमा 2,06.34	(+) 25.26	13.95	
120. अन्य निधियां	जमा 2,86,72.81	10,31,80.84	8,18,58.31	जमा 4,99,95.34	(+) 2,13,22.53	74.36	
योग -8448.	जमा 45,92,35.98	7,62,22,03.95	7,48,83,32.59	जमा 59,31,07.34	(+) 13,38,71.36	29.15	
8449. अन्य जमा							
103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	जमा 1,54,49.66	..	1,40,79.09	जमा 13,70.57	(-) 1,40,79.09	91.13	
105. बाजार कर्ज की जमा राशि	..	5,73,59,00.00	5,73,59,00.00	..	..	..	

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष			प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष		निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत	
(₹ लाख में)									
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)									
ट. जमा तथा अग्रिम - (समाप्त)									
(ख) बिना ब्याज वाली जमा - (समाप्त)									
8449. अन्य जमा- (समाप्त)									
120. विविध जमा	जमा	14,80.59	1,32.97	72.74	जमा	15,40.82	(+) 60.23	4.07	
123. राष्ट्रीय खनिज खनन ट्रस्ट जमा	जमा	0.11	57,14.09	57,13.34	जमा	0.86	(+) 0.75	681.82	
योग- 8449	जमा	1,69,30.36	5,74,17,47.06	5,75,57,65.17	जमा	29,12.25	(-) 1,40,18.11	82.80	
योग-(ख) बिना ब्याज वाली जमा	जमा	2,61,75,81.52	17,36,33,09.69	17,43,65,46.03	जमा	2,54,43,45.18	(-) 7,32,36.34	2.80	
(ग) अग्रिम									
8550. सिविल अग्रिम									
101. वन अग्रिम	नामे	19.90	..	..	नामे	19.90	..	..	
103. अन्य विभागीय अग्रिम	नामे	1,83.32	..	..	नामे	1,83.32	..	..	
104. अन्य अग्रिम	नामे	1,18.58	4.24	..	नामे	1,14.34	(-) 4.24	3.58	
योग- 8550	नामे	3,21.80	4.24	..	नामे	3,17.56	(-) 4.24	1.32	
योग - (ग) अग्रिम	नामे	3,21.80	4.24	..	नामे	3,17.56	(-) 4.24	1.32	
योग - ट. जमा तथा अग्रिम	जमा	3,38,39,24.48	18,06,56,05.44	17,77,84,66.70	जमा	3,67,10,63.22	(+) 28,71,38.74	8.49	

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष			प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष		निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि प्रतिशत	
(₹ लाख में)									
भाग III. लोक लेखा – (क्रमशः)									
ठ. उच्चन्त तथा विविध (ख) उच्चन्त									
8658. उच्चन्त लेखा									
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय-उच्चन्त	नामे	1,19,41.72	(-) 40,79.52	(क)	(-) 24,48.99	(क)	नामे	1,35,72.25	(+) 16,30.53 13.65
102. उच्चन्त लेखा (सिविल)	जमा	75,79.85	35,31.47		6,30.79		जमा	1,04,80.53	(+) 29,00.68 38.27
106. दूरसंचार लेखा कार्यालय उच्चन्त	नामे	0.01	..		..		नामे	0.01	
109. रिजर्व बैंक उच्चन्त-मुख्यालय	नामे	0.04	.. *		..		नामे	0.04	
112. स्रोत स्तर पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उच्चन्त	जमा	42,98.19	93,76.64		..		जमा	1,36,74.83	(+) 93,76.64 218.15
123. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	जमा	16.94	5.55		4.94		जमा	17.55	(+) 0.61 3.60
129. सामग्री क्रय परिनिर्धारण उच्चन्त लेखा	नामे	3,27.10	..		23.25		नामे	3,50.35	(-) 23.25 7.11
139. वस्तु एवं सेवा कर- खाँत पर कर की कटौती उच्चन्त	जमा	33,61.79	19,06.38		(-) 1.84	(क)	जमा	52,70.01	(+) 19,08.22 56.76
योग – 8658	जमा	29,87.90	1,07,40.52		(-) 17,91.85		जमा	1,55,20.27	(+) 1,25,32.37 419.44
योग- (ख) उच्चन्त	जमा	29,87.90	1,07,40.52		(-) 17,91.85		जमा	1,55,20.27	(+) 1,25,32.37 419.44
(ग) अन्य लेखा									
8671. विभागीय शेष									
101. सिविल	नामे	84.99	8.47		0.30		नामे	76.82	(-) 8.17 9.61
योग – 8671	नामे	84.99	8.47		0.30		नामे	76.82	(-) 8.17 9.61
8672.स्थायी रोकड़ अग्रदाय									
101. सिविल	नामे	2,84.69	0.67		0.30		नामे	2,84.32	(-) 0.37 0.13
योग – 8672	नामे	2,84.69	0.67		0.30		नामे	2,84.32	(-) 0.37 0.13

(क) ऋण आंकड़े गत वर्ष की बकाया राशि के निस्तारण के कारण हैं।

* ₹ (-) 240 मात्र गत वर्ष की राशि के निस्तारण के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 - (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष			प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष		निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत
(₹ लाख में)									
भाग III. लोक लेखा - (क्रमशः)									
ठ. उच्चन्त तथा विविध - (समाप्त)									
(ग) अन्य लेखा- (समाप्त)									
8673. रोकड़ शेष निवेश लेखा									
101. रोकड़ शेष निवेश लेखा	नामे	58,07,72.68	8,24,54,74.00	8,10,87,14.00	नामे	44,40,12.68	(-) 13,67,60.00	23.55	
	योग - 8673	नामे	58,07,72.68	8,24,54,74.00	8,10,87,14.00	नामे	44,40,12.68	(-) 13,67,60.00	23.55
8674. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा									
101. सरकार द्वारा की गई प्रतिभूति जमा	नामे	1,49,92.31	..	9,23.39	नामे	1,59,15.70	(+) 9,23.39	6.16	
	योग - 8674	नामे	1,49,92.31	..	9,23.39	नामे	1,59,15.70	(+) 9,23.39	6.16
	योग - (ग) अन्य लेखा	नामे	59,61,34.67	8,24,54,83.14	8,10,96,37.99	नामे	46,02,89.52	(-) 13,58,45.15	22.79
(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे									
8679. अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे									
105. पाकिस्तान	नामे	10.35	..	..	नामे	10.35	..	..	
106. सिंगापुर	नामे	0.03	..	..	नामे	0.03	..	..	
	योग- 8679	नामे	10.38	..	..	नामे	10.38	..	..
	योग-(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	नामे	10.38	..	..	नामे	10.38	..	..
	योग-ठ. उच्चन्त तथा विविध	नामे	59,31,57.15	8,25,62,23.66	8,10,78,46.14	नामे	44,47,79.63	(-) 14,83,77.52	25.01

विवरण संख्या 21 – (क्रमशः)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को आदि शेष	प्राप्तियां	संवितरण	31 मार्च 2021 को अन्त शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (-) राशि	प्रतिशत
(₹ लाख में)						
भाग III. लोक लेखा – (समाप्त)						
ड. प्रेषण						
(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण						
8782. उसी लेखाधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन						
101. खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच नकद प्रेषण	..	77,47,39.50	77,47,39.50	..	..	..
102. लोक निर्माण प्रेषण	जमा 2,59.09	2,73.87	3,02.54	जमा 2,30.42	(-) 28.67	11.07
103. वन प्रेषण	जमा 8.65	0.04	..	जमा 8.69	(+) 0.04	0.46
108. अन्य विभागीय प्रेषण	नामे 2.73	..	..	नामे 2.73	..	..
129. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत अन्तरण	नामे 74.29	..	..	नामे 74.29	..	..
योग – 8782	जमा 1,90.72	77,50,13.41	77,50,42.04	जमा 1,62.09	(-) 28.63	15.01
योग – (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	जमा 1,90.72	77,50,13.41	77,50,42.04	जमा 1,62.09	(-) 28.63	15.01
(ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा						
8793. अन्तर्राज्यीय उच्चतम लेखा	नामे 12,27.25	(-) 10.64	(क) (-) 12,26.25	(क) नामे 11.64	(-) 12,15.61	99.05
योग – 8793	नामे 12,27.25	(-) 10.64	(-) 12,26.25	नामे 11.64	(-) 12,15.61	99.05
योग – (ख) अन्तः सरकार समायोजन लेखा	नामे 12,27.25	(-) 10.64	(-) 12,26.25	नामे 11.64	(-) 12,15.61	99.05
योग – ड. प्रेषण	नामे 10,36.53	77,50,02.77	77,38,15.79	जमा 1,50.45	(-) 11,86.98	114.51
योग – भाग III. लोक लेखा	जमा 8,73,76,73.38	29,26,01,91.71	28,22,49,59.26	जमा 9,77,29,05.83	(+) 1,03,52,32.45	11.85

(क) ऋण आंकड़े गत वर्षों के गलत वर्गीकरण के निष्पादन के कारण हैं।

विवरण संख्या 21 – (समाप्त)

लेखा शीर्ष	1 अप्रैल 2020 को	31 मार्च 2021 को	निवल वृद्धि (+) कमी (-)	
	आदि शेष	अन्त शेष	राशि	प्रतिशत
	(₹ लाख में)			
ढ. रोकड़ शेष				
8999. रोकड़ शेष				
101. खजानों में रोकड़	5.54	5.54	..	..
102. रिजर्व बैंक में जमा	49,02.89	20,98.90 (क)	(-) 28,03.99	57.19
104. स्थानीय मार्गस्थ प्रेषण	(-) 26,96.86	(-) 81,01.21 (ख)	(-) 54,04.35	200.39
योग-ढ. रोकड़ शेष	22,11.57	(-) 59,96.77	(-) 82,08.34	371.15

(क) 'रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत शेष सरकारी लेखों के अनुसार शेष को दर्शाता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक को 15 अप्रैल 2021 तक अन्तर शासकीय मौद्रिक निपटान एडवाइस सम्मिलित है। लेखों में दर्शाये गये [₹ 20,98.90 लाख (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित [₹ 18,91.93 लाख (जमा)] आंकड़ों के मध्य ₹ 2,06.97 लाख (जमा) का निवल अंतर था। ₹ 1,95.56 लाख (जमा) का अन्तर मिलान तथा समाशोधित किया गया। ₹ 11.41 लाख (जमा) का शुद्ध अन्तर मिलान के अधीन है।

(ख) 31 मार्च 2021 को असमायोजित रहे कोषालयों और रोकड़ तिजोरियों के मध्य प्रेषण को प्रदर्शित करता है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध – उच्चतम तथा प्रेषण शेषों का विश्लेषण

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2021 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उच्चन्त शेष						
8658. उच्चन्त लेखा						
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चन्त						
वेतन तथा लेखा कार्यालय केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली						
	अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान	1,35,25.08	7.22	केन्द्र सरकार के पेंशनर्स पर व्यय	2016-17 से 2019-20	राज्य में रहने वाले पेंशनरों के लिए केन्द्रीय पेंशन का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	अन्य भुगतान तथा प्राप्तियां	2.00	..	केन्द्र सरकार के अन्य विभागों पर व्यय	2014-15, 2015-16 एवं 2019-20	मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	सेवा में नियुक्त ए.आई.एस. अधिकारियों को एन.पी.एस. के तहत सेवा में मृत्यु/विकलांगता पर अतिरिक्त लाभ	3.42	..	केन्द्र सरकार के एन.पी.एस. पेंशनरों पर व्यय	2018-19	मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय (एन एच), सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (0550)	7,95.46	2.13	राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यय/प्राप्ति	2014-15 से 2018-19	राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय का पुनर्भरण मंत्रालय द्वारा भुगतान योग्य है। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय निर्वाचन कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली (0726)	..	11.59	वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा आर. ओ. निर्वाचन विभाग में समायोजित जमा राशि	2016-17 एवं 2019-20	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय (विधिक मामले), विधि तथा न्याय मंत्रालय एवं भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (0533)	50.00	50.33	प्रावधानी निधि उच्चन्त शेष	2016-17, 2019-20 एवं 2020-21	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	वेतन तथा लेखा कार्यालय, वस्तु एवं सेवा कर (स्त्रोत पर कर की कटौती)	..	54.62	वस्तु एवं सेवा कर (स्त्रोत पर कर की कटौती) प्राप्तियां	2018-19	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2021 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उच्चन्त शेष –(क्रमशः)						
8658. उच्चन्त लेखा –(क्रमशः)						
101. वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चन्त –(समाप्त)						
	वेतन तथा लेखा कार्यालय खनन मंत्रालाय, नई दिल्ली	..	6,77.94	रॉयल्टी पर प्राप्तियां	2018-19 एवं 2019-20	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में कमी होती। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
	1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1701)	..	(-) 0.02	1960 के पूर्व आर आर कर्जे	1960 से पूर्व	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	1960 के पहले आर.आर. कर्जे (आवक) (1702)	0.13	0.03	1960 के पूर्व आर आर कर्जे	1960 से पूर्व	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
योग 101 - वेतन तथा लेखा कार्यालय– उच्चन्त		1,43,76.09	8,03.84	शुद्ध नामे	1,35,72.25	
102. उच्चन्त लेखा (सिविल)						
अवर्गीकृत उचंत (03)						
	अन्य उचंत (अवर्गीकृत उचंत)	30.86	2.90	वाउचर/चालान की प्राप्ति नहीं होना	2020–21	राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
रक्षा लेखा (05)						
	सी.डी.ए. (पेंशन) इलाहाबाद (1801)	1.82	..	रक्षा पेंशन के संदर्भ में व्यय	1979–80 से 2014-15 एवं 2018-19	राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
	सी.डी.ए. (एस सी) पुणे (1813)	33.88	..	भूमि अधिग्रहण	1977–78	राज्य सरकार द्वारा प्राप्ति योग्य तथा दावों को पुनर्भरण हेतु चुना गया। वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है।
असफल ई–भुगतान (15)						
	असफल लेन देन	(-) 0.86	1,05,07.53	व्यय शीर्ष में राशि डेबिट नहीं की गयी।	2018-19, 2019-20 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2021 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उच्चत शेष –(क्रमशः)						
8658.	उच्चत लेखा शेष –(क्रमशः)					
102.	उच्चत लेखा (सिविल) –(समाप्त)					
	आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क (16)					
	सिविल विभाग	2,03.55	2,08.90	प्राप्ति	2019-20 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है ।
	निर्माण विभाग	3,92.80	4,22.57	प्राप्ति	2019-20 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है ।
	वन विभाग	6.30	6.98	प्राप्ति	2019-20 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य । वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है ।
योग 102 - उच्चत लेखा (सिविल)		6,68.35	1,11,48.88	शुद्ध जमा	1,04,80.53	
106.	दूर संचार लेखा कार्यालय उच्चत	0.01	..	..	..	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती । वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है ।
योग 106 - दूर संचार लेखा कार्यालय उच्चत		0.01	..	शुद्ध नामे	0.01	
109.	आर.बी.आई. उचंत (मुख्यालय)	0.04	..	उचंत	2019-20	परिशोधन लेखे की प्राप्ति से राज्य सरकार के रोकड़ शेष में वृद्धि होती । वर्तमान में रोकड़ शेष कम दर्शाया गया है ।
योग 109 - आर.बी.आई. उचंत (मुख्यालय)		0.04	..	शुद्ध नामे	0.04	

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2021 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
क. उच्चत शेष –(समाप्त)						
8658. उच्चत लेखा शेष –(समाप्त)						
112.	स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उच्चत	..	1,36,74.83	आयकर प्राप्ति	2016-17, 2017-18 एवं 2020-21	राज्य सरकार द्वारा स्त्रोत पर कर की कटौती को राज्य के अंतर्गत संग्रहित कर केन्द्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर को भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
योग 112 - स्त्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) उच्चत		..	1,36,74.83	शुद्ध जमा	1,36,74.83	
123.	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	..	17.55	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	2017-18 से 2019-20	राज्य में भारत सरकार के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का अंशदान राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
योग 123 - अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना		..	17.55	शुद्ध जमा	17.55	
129.	सामग्री क्रय परिशोधन उच्चत लेखा	..	(-) 3,50.35	उच्चत	1994 से पूर्व 2020–21 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों से भंडार के क्रय के लेखागत समायोजन प्रतीक्षित हैं।
योग 129 - सामग्री क्रय परिशोधन उच्चत लेखा		..	(-) 3,50.35	शुद्ध जमा	(-) 3,50.35	
139.	स्त्रोत पर कर कटौती (जी.एस.टी) उच्चत	..	52,70.01	जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) प्राप्ति	2019-20 से 2020–21	राज्य सरकार द्वारा भुगतान योग्य। वर्तमान में रोकड़ शेष अधिक दर्शाया गया है।
योग 139 - स्त्रोत पर कर कटौती (जी.एस.टी) उच्चत		..	52,70.01	शुद्ध जमा	52,70.01	
योग 8658 उच्चत लेखा		1,50,44.49	3,05,64.76	शुद्ध जमा	1,55,20.27	
योग क उच्चत लेखा		1,50,44.49	3,05,64.76	शुद्ध जमा	1,55,20.27	

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2021 को शेष		संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
		नामे	जमा			
(₹ लाख में)						
ख.	प्रेषण शेष					
8782.	उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नक्द प्रेषण तथा समायोजन					
102.	लोक निर्माण प्रेषण					
	खजानों में प्रेषण	6.21	..	प्रेषण	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है।
	लोक निर्माण कार्य चैक	..	28,81.12	प्रेषण	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है।
	अन्य प्रेषण					
	पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा समायोजनीय मदें	24,73.14	..	प्रेषण	2019-20 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	राजस्थान नहर परियोजना ऋण मदें	(-) 67.15	..	प्रेषण	2019-20 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	पंजाब के साथ आई.जी.एन.पी.उचंत	61.98	..	प्रेषण	2019-20 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	आई.जी.एन.पी. (आर सी पी) चैक	..	(-) 3.62	प्रेषण	2019-20 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
	लोक निर्माण अधिकारियों के बीच लेन- देन	1,72.90	..	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों के मध्य केवल लेखागत समायोजन प्रतीक्षित है।
योग 102 - लोक निर्माण प्रेषण		26,47.08	28,77.50	शुद्ध जमा	2,30.42	

विवरण संख्या 21 का अनुबंध - (क्रमशः)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2021 को शेष नामे	जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
(₹ लाख में)						
ख. प्रेषण शेष- (क्रमशः)						
8782.	उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नक्द प्रेषण तथा समायोजन- (क्रमशः)					
103.	वन प्रेषण					
	खजानों में प्रेषण	4.75	..	खण्ड द्वारा चालान का प्रेषण तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। कोषालयों से प्रेषण की केवल पावती प्रतीक्षित है।
	वन चैक	..	13.44	वन खण्ड द्वारा जारी चैक तथा खजाना अधिकारी द्वारा उनकी पावती	2015-16 तक	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं। खंडों द्वारा जारी चैकों की कोषालयों से केवल पावती प्रतीक्षित है।
योग 103 - वन प्रेषण		4.75	13.44	शुद्ध जमा	8.69	
108.	अन्य विभागीय प्रेषण	2.73	..	अन्य प्रेषण	1990 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
योग 108 - अन्य विभागीय प्रेषण		2.73	..	शुद्ध नामे	2.73	
129.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण					
	सी. ए. ओ. द्वारा समायोजनीय मदें	..	76,66.70	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।

विवरण संख्या 21 का अनुबन्ध - (समाप्त)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष मंत्रालय/विभाग के साथ बकाया	31 मार्च 2021 को शेष नाम	जमा	संक्षेप में व्यवहार की प्रकृति	पूर्व के वर्ष से बकाया	बकाया का रोकड़ शेष पर प्रभाव
(₹ लाख में)						
ख. प्रेषण शेष- (समाप्त)						
8782.	उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन- (समाप्त)					
129.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण- (समाप्त)					
	सी. ए. ओ. द्वारा समायोजनीय मदें	79,44.00	..	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
	खण्ड द्वारा समायोजनीय मदें	(-) 2,03.01	..	प्रेषण	1994 से पूर्व	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
योग 129 - इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत अंतरण		77,40.99	76,66.70	शुद्ध नामे	74.29	
योग 8782. उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन		1,03,95.55	1,05,57.64	शुद्ध जमा	1,62.09	
8793.	अन्तर्राज्यीय उच्चत लेखा	1.86	(-) 9.78	अन्तर्राज्यीय लेन देन	2014-15 एवं 2015-16	रोकड़ शेष पर कोई प्रभाव नहीं।
योग 8793. अन्तर्राज्यीय उच्चत लेखा		1.86	(-) 9.78	शुद्ध नामे	11.64	
योग ख प्रेषण शेष		1,03,97.41	1,05,47.86	शुद्ध जमा	1,50.45	
वृहद योग		2,54,41.90	4,11,12.62	शुद्ध जमा	1,56,70.72	

विवरण संख्या 22 – पृथक् आरक्षित शेषों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
<i>(₹ लाख में)</i>						
ज. आरक्षित निधि						
(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8115. मूल्यहास/ नवीकरण आरक्षित निधि						
103. मूल्यहास आरक्षित निधि –सरकारी वाणिज्यिक विभाग तथा उपक्रम						
(01) जलदाय विभाग	67,27.14	..	67,27.14	67,27.14	..	67,27.14
(07) झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना	20.45	..	20.45	20.45	..	20.45
योग - 8115	67,47.59	..	67,47.59	67,47.59	..	67,47.59
8121. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां						
122. राज्य आपदा मोचन निधि						
(01) राजस्व लेखों से/को स्थानान्तरण	29,79,43.68	..	29,79,43.68	20,96,22.40	..	20,96,22.40
योग - 122	29,79,43.68	..	29,79,43.68	20,96,22.40	..	20,96,22.40
129. राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.)						
(01) प्रतिकरात्मक वनरोपण	2,46,40.38	..	2,46,40.38	2,69,79.53	..	2,69,79.53
(02) जलागम क्षेत्र शोधन योजना	63,74.54	..	63,74.54	63,74.54	..	63,74.54
(03) समेकित वन्य जीव प्रबंधन योजना	1,28,12.83	..	1,28,12.83	1,31,66.47	..	1,31,66.47
(04) वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	8,88,64.63	..	8,88,64.63	10,48,09.97	..	10,48,09.97
(05) ब्याज	51,34.18	..	51,34.18	51,34.18	..	51,34.18
(06) अन्य	1,03,45.45	..	1,03,45.45	1,03,51.65	..	1,03,51.65
योग - 129	14,81,72.01	..	14,81,72.01	16,68,16.34	..	16,68,16.34
योग - 8121	44,61,15.69	..	44,61,15.69	37,64,38.74	..	37,64,38.74
योग - (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां	45,28,63.28	..	45,28,63.28	38,31,86.33	..	38,31,86.33

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ज. आरक्षित निधि - (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां						
8225. सड़क तथा सेतु निधि						
02. राज्य सड़क तथा सेतु निधि						
101. राज्य सड़क तथा सेतु निधि	51,10.43	..	51,10.43	30,32.99	..	30,32.99
योग - 8225	51,10.43	..	51,10.43	30,32.99	..	30,32.99
8229. विकास तथा कल्याण निधि						
103. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि						
(01) कृषक सुधार निधि	..	..	..	0.74	..	0.74
योग - 103	..	..	..	0.74	..	0.74
104. पशुपालन प्रयोजनों के लिए विकास निधि						
(01) विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता से गहन अंडा तथा मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि	0.95	..	0.95	0.95	..	0.95
(02) राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्द्धन निधि	64,58.12	..	64,58.12	39,47.84	..	39,47.84
(03) राजस्थान गौ संरक्षण और संवर्द्धन निधि, आरक्षित निधि	7,86.56	..	7,86.56	7,86.56	..	7,86.56
योग - 104	72,45.63	..	72,45.63	47,35.35	..	47,35.35
106. औद्योगिक विकास निधि						
(01) राज्य नवीकरण सलाहकार निधि	..	..	..	7,45.64	..	7,45.64
योग - 106	..	..	..	7,45.64	..	7,45.64

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ज. आरक्षित निधि-(क्रमशः)						
(ख) बिना व्याज वाली आरक्षित निधियां-(क्रमशः)						
8229. विकास तथा कल्याण निधि-(समाप्त)						
200. अन्य विकास तथा कल्याण निधि						
(01) मण्डी विकास निधि	4.67	..	4.67	4.67	..	4.67
(02) राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड निधि	19.13	..	19.13	56.07	..	56.07
(03) रूपान्तरित आबादी भूमि के विकास के लिए विशेष शुल्क (पैरिफेरल) की जमा	3,24.59	..	3,24.59	3,24.59	..	3,24.59
(04) राजस्थान कारागार कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि	53.48	..	53.48	42.43	..	42.43
(05) नगरीय नवीकरण निधि	20,95.54	..	20,95.54	20,20.82	..	20,20.82
(06) राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
(07) पर्यावरण खनिज क्षेत्र में सुधार तथा स्वास्थ्य निधि	79,25.17	..	79,25.17	79,50.88	..	79,50.88
(09) खनन क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन निधि	6.31	..	6.31	4.69	..	4.69
(10) राजस्थान शहरी विकास निधि	1,96.43	..	1,96.43	2.17	..	2.17
(11) जल संरक्षण उपकर निधि	2,34,47.39	..	2,34,47.39	2,36,31.05	..	2,36,31.05
(12) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि	2,98,67.75	..	2,98,67.75	2,20,38.55	..	2,20,38.55
(13) राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	3,10,13.73	..	3,10,13.73	2,98,95.79	..	2,98,95.79
योग - 200	9,49,54.20	..	9,49,54.20	8,59,71.72	..	8,59,71.72
योग - 8229	10,21,99.83	..	10,21,99.83	9,14,53.45	..	9,14,53.45
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां						
117. गारंटी मोचन निधि						
(01) राजकीय प्रतिभूति मुक्ति निधि	54,54,31.43	..	54,54,31.43	49,17,29.85	..	49,17,29.85
योग - 117	54,54,31.43	..	54,54,31.43	49,17,29.85	..	49,17,29.85

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ज. आरक्षित निधि - (समाप्त)						
(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां - (समाप्त)						
8235. सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां- (समाप्त)						
120. गारन्टी मोचन निधि-निवेश लेखा						
(01) प्रतिभूतियों में निवेश	(-) 19,33,18.81	19,33,18.81	..	(-) 17,00,32.00	17,00,32.00	..
योग - 120	(-) 19,33,18.81	19,33,18.81	..	(-) 17,00,32.00	17,00,32.00	..
200. अन्य निधियां						
(02) जलपूर्ति योजना पी एम सी, चूरु हेतु के. एफ. डब्ल्यू. जर्मनी से प्राप्त राशि का पूंजी लेखे से/को अंतरण	2.22	..	2.22	2.22	..	2.22
(03) राज्य सड़क विकास निधि	4,02.08	..	4,02.08	4,02.08	..	4,02.08
(04) संसाधन विकास निधि	10,33.64	1,70,54.81	1,80,88.45	10,33.64	1,70,54.81	1,80,88.45
(06) राजस्थान फोरेस्ट्री एवं बायो-डायवर्सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त राशि	1,78.51	..	1,78.51	2,72.19	..	2,72.19
(08) राजस्थान राज्य निवेश निधि	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
योग - 200	16,16.46	1,70,54.81	1,86,71.27	17,10.14	1,70,54.81	1,87,64.95
योग - 8235	35,37,29.08	21,03,73.62	56,41,02.70	32,34,07.99	18,70,86.81	51,04,94.80
योग - (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	46,10,39.34	21,03,73.62	67,14,12.96	41,78,94.43	18,70,86.81	60,49,81.24
योग -ज. आरक्षित निधियां	91,39,02.62	21,03,73.62	1,12,42,76.24	80,10,80.76	18,70,86.81	98,81,67.57

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम						
(क) ब्याज वाली जमा						
8338. स्थानीय निधियों की जमा						
103. राज्य आवास बोर्ड की जमा	3,97.71	..	3,97.71	3,97.71	..	3,97.71
योग - 103	3,97.71	..	3,97.71	3,97.71	..	3,97.71
104. अन्य स्वायत्त निकायों की जमा						
(01) सामान्य प्रावधायी निधियों की जमा	5,92,21.88	..	5,92,21.88	6,05,82.71	..	6,05,82.71
(02) अंशदायी प्रावधायी निधियों की जमा	13,79,60.43	..	13,79,60.43	12,92,88.63	..	12,92,88.63
(03) उपदान (ग्रेच्यूटी) की जमा	97,94.76	..	97,94.76	82,08.99	..	82,08.99
(04) पेंशन निधियों की जमा	9,51,16.39	..	9,51,16.39	8,34,54.78	..	8,34,54.78
(05) अन्य निधियों की जमा	25,12,95.92	..	25,12,95.92	17,93,53.66	..	17,93,53.66
(06) जोखिम निधि की जमा	91.98	..	91.98	91.98	..	91.98
योग - 104	55,34,81.36	..	55,34,81.36	46,09,80.75	..	46,09,80.75
योग - 8338	55,38,79.07	..	55,38,79.07	46,13,78.46	..	46,13,78.46
8342. अन्य जमा						
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा						
(03) राजस्थान एग्री इण्डस्ट्रीज की जमा	0.14	..	0.14	0.14	..	0.14
(04) राजस्थान लघु उद्योग निगम की जमा	1.88	..	1.88	1.88	..	1.88
(05) राजस्थान भूमि विकास निगम की जमा	41,40.64	..	41,40.64	40,40.64	..	40,40.64
(07) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम की जमा	35,04.55	..	35,04.55	35,03.55	..	35,03.55
(08) राजस्थान स्टेट बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी की जमा	20.00	..	20.00	20.00	..	20.00

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम - (क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा - (क्रमशः)						
8342. अन्य जमा - (क्रमशः)						
103. सरकारी कम्पनियों, निगमों आदि की जमा- (क्रमशः)						
(09) राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की जमा	1,55,50.63	..	1,55,50.63	2,50,50.63	..	2,50,50.63
(10) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जमा	1,04,80.27	..	1,04,80.27	1,50,01.55	..	1,50,01.55
(12) राजस्थान राज्य सड़क विकास तथा निर्माण निगम की जमा	0.39	..	0.39	0.39	..	0.39
(13) राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जमा	35.57	..	35.57	35.57	..	35.57
(14) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास तथा विनियोजन निगम की जमा	1,68,27.40	..	1,68,27.40	1,68,00.05	..	1,68,00.05
(15) राजस्थान जल संसाधन विकास निगम की जमा	0.37	..	0.37	0.37	..	0.37
(17) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की जमा	1.51	..	1.51	1.51	..	1.51
(18) राजस्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मण्डल की जमा	5,85,26.68	..	5,85,26.68	5,74,64.68	..	5,74,64.68
(19) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जमा	.. #	..	.. #	.. #	..	.. #
(20) राजस्थान राज्य होटल निगम की जमा	0.06	..	0.06	0.06	..	0.06
(21) राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय संघ की जमा	3,50,00.44	..	3,50,00.44	0.44	..	0.44
(24) राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल की जमा	10.30	..	10.30	10.30	..	10.30
(25) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	11,02,46.03	..	11,02,46.03	9,68,39.08	..	9,68,39.08
(29) अरावली	10.00	..	10.00	10.00	..	10.00

₹ 344 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8342. अन्य जमा - (क्रमशः)						
103. सरकारी कंपनियों, निगमों आदि की जमा- (समाप्त)						
(33) इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान	5.01	..	5.01	5.01	..	5.01
(35) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	17.05	..	17.05	6,19.72	..	6,19.72
(36) राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड	71,01.48	..	71,01.48	1,00,00.00	..	1,00,00.00
(37) अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड	..	..	..	5,82.09	..	5,82.09
(40) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल	1,55,40.02	..	1,55,40.02	1,50,00.00	..	1,50,00.00
(41) राजस्थान स्टेट बीवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	50,00.00	..	50,00.00	50,00.00	..	50,00.00
(42) अन्य निगम/बोर्ड/मण्डल आदि की जमा	64,74.39	..	64,74.39	20,00.00	..	20,00.00
(43) राजकीय विश्वविद्यालय	98,17.10	..	98,17.10	22,00.00	..	22,00.00
योग - 103	29,83,11.91	..	29,83,11.91	25,41,87.66	..	25,41,87.66
117. सरकारी कर्मचारी के लिए निर्धारित पेंशन योजना						
(01) अखिल भारतीय सेवा के लिए अनिवार्य-टीयर 1	48.98	..	48.98	35.76	..	35.76
(02) अखिल भारतीय सेवा के लिए वैकल्पिक-टीयर 2	0.10	..	0.10	0.10	..	0.10
योग - 117	49.08	..	49.08	35.86	..	35.86
120. विविध जमा						
(01) प्रत्यास निधि	1,05,08.87	..	1,05,08.87	88,90.14	..	88,90.14
(02) राजस्थान पेंशनर्स चिकित्सा सहायता निधि	61,48.19	..	61,48.19	49,30.62	..	49,30.62

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग

(₹ लाख में)

ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)

(क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)

8342. अन्य जमा - (क्रमशः)

120. विविध जमा- (क्रमशः)

(03) पत्रकार कल्याण निधि	20,78.72	..	20,78.72	18,71.93	..	18,71.93
(04) राजस्थान राज्य फसल बीमा निधि	13.36	..	13.36	13.36	..	13.36
(05) विश्व खाद्य कार्यक्रम की जमा	12.53	..	12.53	16.51	..	16.51
(06) प्रन्यास और विविध निधि विनियोजन लेखा	45,89.72	..	45,89.72	56,96.17	..	56,96.17
(11) गौ सेवा आयोग	2.71	..	2.71	2.63	..	2.63
(12) जिला बाल पुनर्स्थापन समिति	2,62.37	..	2,62.37	2,54.55	..	2,54.55
(13) राजस्थान मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष सोसायटी	0.02	..	0.02	0.02	..	0.02
(14) राज्य महिला आयोग	8.96	..	8.96	9.83	..	9.83
(15) राजस्थान राज्य पुस्तकालय विकास समिति	47,15.91	..	47,15.91	44,98.84	..	44,98.84
(16) राजस्थान फाउन्डेशन	.. *	..	.. *	.. *	..	.. *
(19) कृषि उपज मण्डी समिति, झुन्झुनू	3,14.49	..	3,14.49	3,49.67	..	3,49.67
(20) कृषि उपज मण्डी समिति, अजमेर	39.84	..	39.84	1,46.52	..	1,46.52
(21) कृषि उपज मण्डी समिति, सांचोर (जालौर)	4,34.49	..	4,34.49	4,19.75	..	4,19.75
(22) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर (भीलवाड़ा)	9.24	..	9.24	9.24	..	9.24
(23) कृषि उपज मण्डी समिति, भीनमाल	5.33	..	5.33	5.15	..	5.15
(24) कृषि उपज मण्डी समिति, जालौर	94.72	..	94.72	91.52	..	91.52
(25) कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीमाधोपुर	4,89.47	..	4,89.47	4,89.47	..	4,89.47
(27) कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर (फल तथा सब्जी)	10,41.42	..	10,41.42	10,89.42	..	10,89.42

* ₹ 151 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8342. अन्य जमा - (क्रमशः)						
120. विविध जमा- (क्रमशः)						
(28) कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़	1.64	..	1.64	1.58	..	1.58
(30) अल्प बचत विभाग	.. #	..	..#	..	..	..
(32) राजकीय कुक्कुट शाला	58.35	..	58.35	56.35	..	56.35
(33) पुलिस कल्याण निधि	2,00.31	..	2,00.31	2,00.31	..	2,00.31
(35) रिटनन्द बलदेव शिक्षा फाउण्डेशन	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(37) सिंघानियां फाउण्डेशन शिक्षा समिति पचेरी बड़ी (झुन्झुनू)	1,62.68	..	1,62.68	1,62.68	..	1,62.68
(38) जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00
(39) राय फाउण्डेशन	1.80	..	1.80	1.80	..	1.80
(40) इण्डियन मेडिकल ट्रस्ट, जयपुर	1,12.29	..	1,12.29	1,08.50	..	1,08.50
(41) डा.एम.पी.खूटेडा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र समिति	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00
(42) मेवाड़ शिक्षा समिति, चित्तौड़गढ़	1,04.14	..	1,04.14	1,18.47	..	1,18.47
(43) श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबरेवाल निजी विश्वविद्यालय, झुन्झुनू	1,03.60	..	1,03.60	1,04.50	..	1,04.50
(44) भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर	2,00.01	..	2,00.01	3,07.78	..	3,07.78
(45) श्री पदमपत सिंघानियां विश्वविद्यालय, उदयपुर	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00
(46) ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(47) जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल शिक्षा समिति, दिल्ली	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(48) सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00
(49) राफल्स विश्वविद्यालय, नीमराना, अलवर	1,59.11	..	1,59.11	1,55.61	..	1,55.61

₹ 32 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(क) ब्याज वाली जमा- (समाप्त)						
8342. अन्य जमा - (समाप्त)						
120. विविध जमा- (समाप्त)						
(50) जोधपुर निजी विश्वविद्यालय, जोधपुर	1,00.00	..	1,00.00	1,04.46	..	1,04.46
(51) कृषि उपज मण्डी समिति	50,87.05	..	50,87.05	44,41.79	..	44,41.79
(53) विश्वकर्मा अंशदायी पेंशन योजना	5,05.15	..	5,05.15	4,75.73	..	4,75.73
(54) निजी विश्वविद्यालय	80,96.84	..	80,96.84	76,53.30	..	76,53.30
(55) नगर विकास न्यास	8,10.00	..	8,10.00	1,88.81	..	1,88.81
(56) पंचायत समितियां	0.24	..	0.24	0.24	..	0.24
(57) अराजकीय मंदिरों की सम्पत्तियों से प्राप्त मुआवजा तथा अमानत राशि	81,35.23	..	81,35.23	61,59.89	..	61,59.89
(58) महाविद्यालय	2,06.18	..	2,06.18	2,06.18	..	2,06.18
(59) राजस्थान राज्य जैव विविधता मण्डल	98.62	..	98.62	70.00	..	70.00
(60) राज्य नवाचार परिषद्	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	1,00.00
(62) राजस्थान पर्यटक प्रशिक्षण समिति, उदयपुर	5,00.00	..	5,00.00	5,00.00	..	5,00.00
(63) राजस्थान पुलिस आवास तथा निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर	3,89.85	..	3,89.85	59.46	..	59.46
(65) डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फन्ड	13,72,53.22	..	13,72,53.22	..	..	..
(67) स्टेट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट फन्ड	8,00,00.43	..	8,00,00.43	..	..	..
(68) राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	5,38.44	..	5,38.44	..	..	..
योग - 120	27,47,95.54	..	27,47,95.54	5,10,62.78	..	5,10,62.78
योग - 8342	57,31,56.53	..	57,31,56.53	30,52,86.30	..	30,52,86.30
योग - (क) ब्याज वाली जमा	1,12,70,35.60	..	1,12,70,35.60	76,66,64.76	..	76,66,64.76

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा						
8443. सिविल जमा						
101. राजस्व जमा	45,17.95	..	45,17.95	43,58.18	..	43,58.18
योग - 101	45,17.95	..	45,17.95	43,58.18	..	43,58.18
103. प्रतिभूति जमा	6,25,27.64	..	6,25,27.64	5,43,93.05	..	5,43,93.05
योग - 103	6,25,27.64	..	6,25,27.64	5,43,93.05	..	5,43,93.05
104. सिविल न्यायालय जमा	50,51.68	..	50,51.68	34,45.95	..	34,45.95
योग - 104	50,51.68	..	50,51.68	34,45.95	..	34,45.95
105. आपराधिक न्यायालय जमा	69.94	..	69.94	75.25	..	75.25
योग - 105	69.94	..	69.94	75.25	..	75.25
106. व्यक्तिगत जमा	1,43,82,95.11	..	1,43,82,95.11	1,62,89,06.71	..	1,62,89,06.71
योग - 106	1,43,82,95.11	..	1,43,82,95.11	1,62,89,06.71	..	1,62,89,06.71
108. लोक निर्माण कार्य जमा	41,56,26.80	..	41,56,26.80	43,58,64.84	..	43,58,64.84
योग - 108	41,56,26.80	..	41,56,26.80	43,58,64.84	..	43,58,64.84

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना व्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8443. सिविल जमा- (क्रमशः)						
109. वन जमा	16,59.76	..	16,59.76	8,97.96	..	8,97.96
योग - 109	16,59.76	..	16,59.76	8,97.96	..	8,97.96
111. अन्य विभागीय जमा						
(01) उद्योग तथा रसद विभाग की जमा	29.41	..	29.41	29.41	..	29.41
(02) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की जमा	5,11.84	..	5,11.84	5,17.13	..	5,17.13
(03) सहायता एवं पुनर्वास विभाग की जमा	0.02	..	0.02	0.02	..	0.02
(05) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्विकास प्राधिकरण जयपुर की जमा	2,63.60	..	2,63.60	55.24	..	55.24
योग - 111	8,04.87	..	8,04.87	6,01.80	..	6,01.80
116. विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा						
(01) मिनीमम वेजेज एक्ट, 1948 के अधीन धारा 22-डी की जमा	1,38.13	..	1,38.13	1,15.83	..	1,15.83
(02) सेन्ट्रल लेबर रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन एक्ट, 1970 की जमा	86.77	..	86.77	82.16	..	82.16
योग - 116	2,24.90	..	2,24.90	1,97.99	..	1,97.99
117. सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिए किये गये कार्य के लिये जमा						
	1,18.08	..	1,18.08	69.04	..	69.04
योग - 117	1,18.08	..	1,18.08	69.04	..	69.04

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना व्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8443. सिविल जमा- (क्रमशः)						
118. गैर सरकारी निकायों के लिये किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
योग - 118	0.01	..	0.01	0.01	..	0.01
119. कम्पनी परिसमापन लेखा	.. *	..	.. *	.. *	..	.. *
योग - 119	.. *	..	.. *	.. *	..	.. *
121. चुनावों के सम्बन्ध में जमा						
(01) राजस्थान विधान मण्डल के अभ्यर्थियों द्वारा किये गये जमा	25.46	..	25.46	25.12	..	25.12
(02) निर्वाचन याचिका के लिए किए गए जमा	3.88	..	3.88	3.71	..	3.71
(03) निर्वाचन अपील के लिए किए गए जमा	1.68	..	1.68	1.10	..	1.10
योग - 121	31.02	..	31.02	29.93	..	29.93
123. शैक्षणिक संस्थाओं की जमा	1,77,15.00	..	1,77,15.00	1,40,04.23	..	1,40,04.23
योग - 123	1,77,15.00	..	1,77,15.00	1,40,04.23	..	1,40,04.23

* ₹ 373 मात्र ।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8443. सिविल जमा- (समाप्त)						
800. अन्य जमा						
(02) राजस्थान भूमि विकास निगम के जमा (मशीनों तथा उपक्रमों के आनुपातिक व्यय सहित)	49.79	..	49.79	49.79	..	49.79
(03) अन्य विविध निधियां	1,67.04	..	1,67.04	1,45.72	..	1,45.72
(04) ओ.एफ.डी. वर्क्स के अन्तर्गत कृषकों का अंशदान	14,65.98	..	14,65.98	14,65.98	..	14,65.98
(05) विद्युत् कम्पनियां	..*	..	.. *	(-) 30,91.27	..	(-) 30,91.27
(06) जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन	0.02	..	0.02	0.02	..	0.02
योग - 800	16,82.83	..	16,82.83	(-) 14,29.76	..	(-) 14,29.76
योग - 8443	1,94,83,25.59	..	1,94,83,25.59	2,14,14,15.18	..	2,14,14,15.18
8448. स्थानीय निधियों की जमा						
102. नगरपालिका सम्बन्धी निधियां	24,19,90.99	..	24,19,90.99	14,42,73.66	..	14,42,73.66
योग - 102	24,19,90.99	..	24,19,90.99	14,42,73.66	..	14,42,73.66
107. राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां						
(03) राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम के खाते की प्राप्ति	..	..	..	1,45,81.00	..	1,45,81.00
(04) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम के खाते की प्राप्ति	4,31.00	..	4,31.00	77,65.00	..	77,65.00

* ₹ (-) 10 मात्र जांच के अधीन है।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8448. स्थानीय निधियों की जमा - (क्रमशः)						
107. राज्य विद्युत बोर्ड कार्यकारी निधियां- (समाप्त)						
(05) जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के खातों की प्राप्ति	..	..	..	39,16.00	..	39,16.00
(06) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के खातों की प्राप्ति	..	..	..	36,67.00	..	36,67.00
(07) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के खातों की प्राप्ति	..	..	..	60,75.00	..	60,75.00
(08) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के खातों का वितरण (निवल)	0.30	..	0.30	0.30	..	0.30
(11) अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड के खातों का वितरण (निवल)	49,79.00	..	49,79.00	..	..	..
योग - 107	54,10.30	..	54,10.30	3,60,04.30	..	3,60,04.30
109. पंचायत निकाय निधियां						
(01) ग्राम पंचायत निधि	(-) 0.60	..	(-) 0.60 (क)	0.53	..	0.53
(02) पंचायत समिति निधि	14,24,21.21	..	14,24,21.21	11,72,54.70	..	11,72,54.70
(03) जिला परिषद निधि	14,90,48.73	..	14,90,48.73	13,00,07.32	..	13,00,07.32
योग - 109	29,14,69.34	..	29,14,69.34	24,72,62.55	..	24,72,62.55
110. शिक्षा निधियां	40,35.03	..	40,35.03	28,41.58	..	28,41.58
योग - 110	40,35.03	..	40,35.03	28,41.58	..	28,41.58

(क) ऋण शेष जांच के अधीन है।

विवरण संख्या 22- (क्रमशः)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (क्रमशः)						
(ख) बिना व्याज वाली जमा- (क्रमशः)						
8448. स्थानीय निधियों की जमा- (समाप्त)						
111. चिकित्सा तथा धर्मार्थ निधियां	2,06.34	..	2,06.34	1,81.08	..	1,81.08
योग - 111	2,06.34	..	2,06.34	1,81.08	..	1,81.08
120. अन्य निधियां						
(02) मुख्यमंत्री सहायता निधि	0.28	..	0.28	0.28	..	0.28
(03) कृषि उपज मण्डी निधि	2,54,89.95	..	2,54,89.95	1,55,02.64	..	1,55,02.64
(04) नगर सुधार न्यास की जमा	15,82.41	..	15,82.41	15,77.93	..	15,77.93
(05) राजस्थान मुख्यमंत्री बाल कल्याण कोष	2,15,58.16	..	2,15,58.16	1,11,83.65	..	1,11,83.65
(06) प्राकृतिक आपदा निधि	1.10	..	1.10	1.10	..	1.10
(07) राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष	10,25.77	..	10,25.77	74.13	..	74.13
(08) कर्मकार प्रतिकार क्षतिपूर्ति	45.10	..	45.10	40.71	..	40.71
(09) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान निधि	2,92.57	..	2,92.57	2,92.37	..	2,92.37
योग - 120	4,99,95.34	..	4,99,95.34	2,86,72.81	..	2,86,72.81
योग - 8448	59,31,07.34	..	59,31,07.34	45,92,35.98	..	45,92,35.98
8449. अन्य जमा						
103. केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	13,70.57	..	13,70.57	1,54,49.65	..	1,54,49.65
योग - 103	13,70.57	..	13,70.57	1,54,49.65	..	1,54,49.65

विवरण संख्या 22- (समाप्त)

आरक्षित निधि या जमा लेखों का नाम	31 मार्च 2021 को शेष			1 अप्रैल 2020 को शेष		
	रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
(₹ लाख में)						
ट. जमा तथा अग्रिम- (समाप्त)						
(ख) बिना ब्याज वाली जमा - (समाप्त)						
8449. अन्य जमा- (समाप्त)						
120. विविध जमा						
(01) प्रन्यास और अन्य विविध निधियां (राजस्थान)	46.44	..	46.44	46.44	..	46.44
(04) विदेशों में दुर्घटना ग्रस्त भारतीय परिवारों को मुआवजे व अन्य बकाया भुगतानों की जमा	66.84	..	66.84	6.62	..	6.62
(10) राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने हेतु भारत सरकार से जमा राशि	14,27.54	..	14,27.54	14,27.54	..	14,27.54
योग - 120	15,40.82	..	15,40.82	14,80.60	..	14,80.60
123. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास जमा						
(01) खनिज न्यास जमा	0.86	..	0.86	0.11	..	0.11
योग - 123	0.86	..	0.86	0.11	..	0.11
योग - 8449	29,12.25	..	29,12.25	1,69,30.36	..	1,69,30.36
योग - (ख) बिना ब्याज वाली जमा	2,54,43,45.18	..	2,54,43,45.18	2,61,75,81.52	..	2,61,75,81.52
योग - ट. जमा तथा अग्रिम	3,67,13,80.78	..	3,67,13,80.78	3,38,42,46.28	..	3,38,42,46.28
योग - पृथक् आरक्षित निधियां	4,58,52,83.40	21,03,73.62	4,79,56,57.02	4,18,53,27.04	18,70,86.81	4,37,24,13.85

भाग II

(परिशिष्ट)

परिशिष्ट संख्या I - संवेतन पर तुलनात्मक व्यय *

तिरछे अंक प्रभारित खर्च के द्योतक हैं

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर	2011.	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	18.00 59,72.81	..	59,90.81	22.18 57,40.52	..	57,62.70
शासन सचिव, राज्यपाल सचिवालय राजस्थान, जयपुर	2012.	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	10,75.35	..	10,75.35	9,87.61	..	9,87.61
	2075.	विविध सामान्य सेवाएं	9.64	..	9.64	8.65	..	8.65
		राज्यपाल सचिवालय के संवेतन पर कुल व्यय	10,75.35 9.64	..	10,84.99	9,87.61 8.65	..	9,96.26
शासन सचिव, सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4), जयपुर	2013.	मंत्रि परिषद्	3,93.12	..	3,93.12	4,43.94	..	4,43.94
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	3,95.52	..	3,95.52	3,72.22	..	3,72.22
	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	60,61.26	..	60,61.26	58,16.47	..	58,16.47
		सामान्य प्रशासनिक विभाग (ग्रुप-4) के संवेतन पर कुल व्यय	68,49.90	..	68,49.90	66,32.63	..	66,32.63
महा पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर	2014.	न्याय प्रशासन	1,10,53.24 7,64,97.25	..	8,75,50.49	1,02,81.03 7,25,82.69	..	8,28,63.72

* आंकड़े लेखों के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष "01-संवेतन" में दर्ज व्यय को प्रदर्शित करते हैं ।

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	40,98.66	..	40,98.66	37,63.85	18.95	37,82.80
निदेशक, गृह (अभियोजन) विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	93,03.99	..	93,03.99	84,92.51	..	84,92.51
उपशासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर	2014.	न्याय प्रशासन	17,77.44	..	17,77.44	16,51.59	..	16,51.59
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, जयपुर	2015.	निर्वाचन	49,84.37	..	49,84.37	45,19.04	..	45,19.04
आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, जयपुर	2029.	भू-राजस्व	32,18.72	..	32,18.72	35,36.08	..	35,36.08
पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर	2029.	भू-राजस्व	6,45,53.91	..	6,45,53.91	6,15,16.21	..	6,15,16.21
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	27,73.03	..	27,73.03	26,79.77	..	26,79.77
	2053.	जिला प्रशासन	4,87,60.53	..	4,87,60.53	4,40,33.83	..	4,40,33.83
		राजस्व मण्डल के संवेतन पर कुल व्यय	11,60,87.47	..	11,60,87.47	10,82,29.81	..	10,82,29.81
निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर	2029.	भू-राजस्व	5,91.56	..	5,91.56	12,83.91	..	12,83.91

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
संयुक्त निदेशक (ओ.एस.डी.), कृषि गणना, जयपुर	2029.	भू-राजस्व	..	75.35	75.35	..	94.82	94.82
	2701.	मध्यम सिंचाई	..	42.50	42.50	..	33.47	33.47
		कृषि गणना के संवेतन पर कुल व्यय	..	1,17.85	1,17.85	..	1,28.29	1,28.29
महानिरीक्षक, मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग, अजमेर	2030.	स्टाम्प तथा पंजीकरण	48,21.32	..	48,21.32	41,67.79	..	41,67.79
आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर	2039.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,28,34.89	..	1,28,34.89	1,25,78.97	..	1,25,78.97
आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,87,96.11	..	1,87,96.11	1,76,93.78	..	1,76,93.78
आयुक्त, परिवहन विभाग,जयपुर	2041.	वाहन कर	85,46.98	..	85,46.98	82,22.67	..	82,22.67
	3055.	सड़क परिवहन	55.79	..	55.79	36.53	..	36.53
		परिवहन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	86,02.77	..	86,02.77	82,59.20	..	82,59.20
सदस्य, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर	2041.	वाहन कर	35.99	..	35.99	32.54	..	32.54

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर	2045.	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	5,75.37	..	5,75.37	5,59.90	..	5,59.90
निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,53,07.23	..	1,53,07.23	1,44,48.54	..	1,44,48.54
वित्तीय सलाहकार, सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	2705.	कमान क्षेत्र विकास	8,17.44	..	8,17.44	6,73.49	2,25.20	8,98.69
	4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	17,31.12	..	17,31.12	8,21.89	8,22.88	16,44.77
सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संवेतन पर कुल व्यय			25,48.56	..	25,48.56	14,95.38	10,48.08	25,43.46
निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055.	पुलिस	20,49.93	..	20,49.93	18,77.54	..	18,77.54
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण	3,28.86	..	3,28.86	3,90.20	..	3,90.20
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	3,32,10.40	1,32.49	3,33,42.89	3,45,81.06	1,77.12	3,47,58.18
	वन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		3,35,39.26	1,32.49	3,36,71.75	3,49,71.26	1,77.12	3,51,48.38
निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	20,23.33	..	20,23.33	19,46.92	..	19,46.92

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,01,89.83	..	1,01,89.83	97,93.46	..	97,93.46
प्रमुख शासन सचिव, राज्य उपक्रम विभाग, जयपुर	2852.	उद्योग	1,17.48	..	1,17.48	97.48	..	97.48
मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	22 15.	जलपूर्ति तथा सफाई	15,27,27.43	91.61	15,28,19.04	15,72,41.48	87.46	15,73,28.94
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	2051.	लोक सेवा आयोग	16,27.63	..	16,27.63	14,84.29	..	14,84.29
शासन सचिव, कार्मिक विभाग (ग्रुप-1), जयपुर	20 14.	न्याय प्रशासन	4.91	..	4.91	4.20	..	4.20
	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1,58,29.20	..	1,58,29.20	1,45,44.63	..	1,45,44.63
	225 1.	सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	32,03.99	..	32,03.99	28,35.02	..	28,35.02
	345 1.	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	35,62.43	..	35,62.43	34,05.80	..	34,05.80
		कार्मिक विभाग (ग्रुप-1) के संवेतन पर कुल व्यय	2,26,00.53	..	2,26,00.53	2,07,89.65	..	2,07,89.65
पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण, जयपुर	2052.	सचिवालय- सामान्य सेवाएं	3,20.00	..	3,20.00	3,17.82	..	3,17.82
निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	1,21,15.37	..	1,21,15.37	1,03,40.36	..	1,03,40.36

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	38,44.14	..	38,44.14	32,84.30	..	32,84.30
निदेशक, एच.सी.एम. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	21,16.39	..	21,16.39	23,94.64	..	23,94.64
निदेशक, निरीक्षण विभाग, जयपुर	2054.	खजाना तथा लेखा प्रशासन	13,93.07	..	13,93.07	13,46.88	..	13,46.88
महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, जयपुर	2055.	पुलिस	56,68,47.87	..	56,68,47.87	54,66,99.29	..	54,66,99.29
महानिदेशक, राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, जयपुर	2055.	पुलिस	79,77.97	..	79,77.97	67,91.73	..	67,91.73
महानिदेशक कारागार, कारागार विभाग, जयपुर	2056.	जेल	1,40,13.16	..	1,40,13.16	1,25,04.79	..	1,25,04.79
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर	2058.	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	21,65.26	..	21,65.26	24,35.90	..	24,35.90
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (भवन एवं पथ) जयपुर	2059.	लोक निर्माण कार्य	3,36,72.31	..	3,36,72.31	3,36,40.04	..	3,36,40.04
	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,17.81	..	1,17.81	1,16.71	..	1,16.71
	2406.	वानिकी तथा वन्य प्राणी	11,99.56	..	11,99.56	12,65.05	..	12,65.05
सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) के संवेतन पर कुल व्यय			3,49,89.68	..	3,49,89.68	3,50,21.80	..	3,50,21.80

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	2202.	सामान्य शिक्षा	72,20,01.55	11,52,57.89	83,72,59.44	63,08,61.50	13,97,75.65	77,06,37.15
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	13.08	..	13.08	11.98	..	11.98
		प्राथमिक शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	72,20,14.63	11,52,57.89	83,72,72.52	63,08,73.48	13,97,75.65	77,06,49.13
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर	2202.	सामान्य शिक्षा	1,89,45,55.34	51,93.30	1,89,97,48.64	1,79,89,39.78	1,29,79.79	1,81,19,19.57
	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	8,07.88	..	8,07.88	7,62.69	..	7,62.69
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	9,07.79	..	9,07.79	8,89.20	..	8,89.20
		माध्यमिक शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	1,89,62,71.01	51,93.30	1,90,14,64.31	1,80,05,91.67	1,29,79.79	1,81,35,71.46
आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर	2401.	फसल कृषि-कर्म	4,46,84.68	7,83.85	4,54,68.53	4,28,95.11	6,72.19	4,35,67.30
निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर	2403.	पशु-पालन	8,50,75.49	1,66.87	8,52,42.36	7,30,10.10	1,59.78	7,31,69.88
आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,14,37.76	..	1,14,37.76	1,04,21.96	1.61	1,04,23.57
	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	24,03.98	..	24,03.98	16,45.52	..	16,45.52
		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	1,38,41.74	..	1,38,41.74	1,20,67.48	1.61	1,20,69.09

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	35,75,42.34	3,70.82	35,79,13.16	33,00,53.67	1,81.86	33,02,35.53
निदेशक, आयुर्वेद विभाग,अजमेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	7,83,01.92	..	7,83,01.92	7,75,59.10	..	7,75,59.10
निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	2205.	कला एवं संस्कृति	15,55.31	..	15,55.31	15,46.84	..	15,46.84
निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग,जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	4,50,44.64	..	4,50,44.64	4,24,63.72	..	4,24,63.72
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	9,58,39.35	..	9,58,39.35	10,58,93.15	..	10,58,93.15
निदेशक, उद्यान विभाग,जयपुर	2401.	फसल कृषि-कर्म	52,86.31	..	52,86.31	52,64.36	..	52,64.36
सचिव, लोकायुक्त सचिवालय,जयपुर	2062.	सर्तकता	5,33.39	..	5,33.39	6,82.01	..	6,82.01
निदेशक, सिविल रक्षा एवं गृह सुरक्षा विभाग, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20,62.69	12,57.35	33,20.04	20,69.84	12,45.01	33,14.85

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	2851.	ग्राम तथा लघु उद्योग	43.72	..	43.72	48.27	..	48.27
	2852.	उद्योग	41,76.01	..	41,76.01	41,21.89	..	41,21.89
		उद्योग विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	42,19.73	..	42,19.73	41,70.16	..	41,70.16
परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर	2217.	शहरी विकास	4,29.68	..	4,29.68	2,18.09	..	2,18.09
	4217.	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	12,22.36	..	12,22.36	13,72.87	..	13,72.87
		राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, जयपुर के संवेतन पर कुल व्यय	16,52.04	..	16,52.04	15,90.96	..	15,90.96
निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10,17.48	..	10,17.48	9,47.67	..	9,47.67
	2202.	सामान्य शिक्षा	7,83.56	..	7,83.56	8,86.14	..	8,86.14
निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	1,54.57	..	1,54.57	1,20.94	..	1,20.94
	2205.	कला एवं संस्कृति	10,66.17	..	10,66.17	10,66.59	..	10,66.59
भाषा विभाग, जयपुर		भाषा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	12,20.74	..	12,20.74	11,87.53	..	11,87.53

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
पीठासीन अधिकारी, गैर राजकीय शिक्षण संस्थान अभिकरण, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	92.40	..	92.40	85.91	..	85.91
निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर	2203.	तकनीकी शिक्षा	1,86,52.96	..	1,86,52.96	1,65,00.21	..	1,65,00.21
	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	1,22,09.34	..	1,22,09.34	1,15,69.11	..	1,15,69.11
		तकनीकी शिक्षा विभाग के संवेतन पर कुल व्यय	3,08,62.30	..	3,08,62.30	2,80,69.32	..	2,80,69.32
निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204.	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	24,16.73	..	24,16.73	23,12.43	..	23,12.43
निदेशक, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर	2205.	कला एवं संस्कृति	1,85.76	..	1,85.76	2,26.39	..	2,26.39
निदेशक, मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक	2205.	कला एवं संस्कृति	2,11.33	..	2,11.33	2,15.46	..	2,15.46
निदेशक, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर	2205.	कला एवं संस्कृति	5,66.42	..	5,66.42	5,25.45	..	5,25.45
निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर	3452.	पर्यटन	11,15.92	..	11,15.92	11,19.44	..	11,19.44
प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,81,07.04	..	1,81,07.04	1,68,56.47	..	1,68,56.47

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
प्राचार्य, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6,61,85.92	..	6,61,85.92	6,11,91.50	..	6,11,91.50
प्राचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,80,58.28	..	1,80,58.28	1,80,46.24	..	1,80,46.24
प्राचार्य, डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2,74,19.73	..	2,74,19.73	2,64,15.19	..	2,64,15.19
प्राचार्य, रविन्द्र नाथ मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2,34,78.46	..	2,34,78.46	2,25,63.38	..	2,25,63.38
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (ई.एस.आई.), जयपुर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,17,70.17	..	1,17,70.17	1,08,38.16	..	1,08,38.16
प्राचार्य, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	12,23.45	..	12,23.45	12,45.55	..	12,45.55
निदेशक, भ्रमणशील चिकित्सा इकाई, जयपुर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	13,23.38	..	13,23.38	11,59.25	..	11,59.25
प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, कोटा	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1,87,22.54	..	1,87,22.54	1,77,21.15	..	1,77,21.15
निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर	22 11.	परिवार कल्याण	1,42,67.85	7,64,30.11	9,06,97.96	4,04,51.85	4,17,69.58	8,22,21.43

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,जयपुर	2217.	शहरी विकास	10,31.34	..	10,31.34	10,36.88	..	10,36.88
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	54.72	82.85	1,37.57	57.62	48.74	1,06.36
	स्थानीय निकाय विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		10,86.06	82.85	11,68.91	10,94.50	48.74	11,43.24
निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर	2515.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	30,49.92	..	30,49.92	29,17.72	..	29,17.72
	2202.	सामान्य शिक्षा	44,34.88	..	44,34.88	40,82.53	..	40,82.53
	2225.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों ,अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	30,04.71	13,74.89	43,79.60	28,13.38	15,33.05	43,46.43
जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		74,39.59	13,74.89	88,14.48	68,95.91	15,33.05	84,28.96	
आयुक्त श्रम विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	28,44.58	..	28,44.58	27,07.71	..	27,07.71
मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2515.	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3,33.77	..	3,33.77	2,65.05	..	2,65.05

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर	22 17.	शहरी विकास	12,90.48	..	12,90.48	13,89.62	..	13,89.62
निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, जयपुर	2220.	सूचना तथा प्रचार	22,49.53	..	22,49.53	22,01.57	..	22,01.57
मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	10,55.68	..	10,55.68	10,11.90	..	10,11.90
सचिव, राजस्थान बिक्री कर बोर्ड, अजमेर	2040.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,57.90	..	3,57.90	3,23.51	..	3,23.51
निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर	2230.	श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	18,38.42	..	18,38.42	17,61.14	..	17,61.14
उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) जयपुर	22 10.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3,27.74	..	3,27.74	3,57.32	..	3,57.32
शासन सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, जयपुर	2245.	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	7,28.18	..	7,28.18	7,29.99	..	7,29.99
निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	2236.	पोषण	1,86,45.88	32,31.87	2,18,77.75	1,65,98.59	31,15.69	1,97,14.28

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	27,97.39	..	27,97.39	26,24.05	..	26,24.05
	2401.	फसल कृषि-कर्म	..	..	..	..	4,41.58	4,41.58
	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	63,43.66	..	63,43.66	58,89.10	..	58,89.10
	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		63,43.66	..	63,43.66	58,89.10	4,41.58	63,30.68
शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर	2515.	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,96.00	..	4,96.00	4,73.11	..	4,73.11
	2575.	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	68.51	..	68.51	93.56	..	93.56
	ग्रामीण विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		5,64.51	..	5,64.51	5,66.67	..	5,66.67
	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं	12,72.00	..	12,72.00	12,29.11	..	12,29.11
आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	3604.	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	2.91	..	2.91	1.75	..	1.75
	देवस्थान विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		12,74.91	..	12,74.91	12,30.86	..	12,30.86

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग,जोधपुर	2702.	लघु सिंचाई	49,55.99	..	49,55.99	48,58.83	..	48,58.83
निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	3425.	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	7,30.23	1,79.92	9,10.15	6,41.62	1,43.29	7,84.91
पीठासीन अधिकारी, वक्फ बोर्ड, जयपुर	2250.	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,04.17	..	1,04.17	1,19.13	..	1,19.13
निदेशक, जल संग्रहण तथा मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर	2402.	मृदा तथा जल संरक्षण	58,83.04	..	58,83.04	54,48.69	..	54,48.69
निदेशक, मत्स्य पालन विभाग, जयपुर	2405.	मछली पालन	10,83.29	11.74	10,95.03	10,67.09	23.97	10,91.06
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर	2700.	मुख्य सिंचाई	12,97.48	..	12,97.48	11,92.73	..	11,92.73
	2701.	मध्यम सिंचाई	1,50,22.23	..	1,50,22.23	1,44,17.61	..	1,44,17.61
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,87.75	..	5,87.75	6,09.77	..	6,09.77
	4701.	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,63.99	..	1,63.99	1,44.62	..	1,44.62
	4702.	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,74.24	..	2,74.24	3,08.27	..	3,08.27
जल संसाधन विभाग के संवेतन पर कुल व्यय			1,73,45.69	..	1,73,45.69	1,66,73.00	..	1,66,73.00

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
आयुक्त, खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग, जयपुर	3456.	सिविल पूर्ति	60,90.33	..	60,90.33	55,52.62	..	55,52.62
	3475.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,46.68	..	2,46.68	2,37.08	..	2,37.08
	खाद्य एवं सिविल पूर्ति विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		63,37.01	..	63,37.01	57,89.70	..	57,89.70
पंजीयक, सहकारी विभाग, जयपुर	2425.	सहकारिता	79,43.30	21.32	79,64.62	76,67.31	20.17	76,87.48
	2435.	अन्य कृषि कार्यक्रम	10,67.18	..	10,67.18	10,27.97	..	10,27.97
निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर								
क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, कोटा	2700.	मुख्य सिंचाई	9,05.46	..	9,05.46	8,26.99	..	8,26.99
	2705.	कमान क्षेत्र विकास	10,00.82	..	10,00.82	10,01.46	..	10,01.46
	4705.	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3,99.52	..	3,99.52	4,08.90	..	4,08.90
	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		23,05.80	..	23,05.80	22,37.35	..	22,37.35

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) विभाग, हनुमानगढ़	2700.	मुख्य सिंचाई	60,96.93	..	60,96.93	65,79.12	..	65,79.12
	2701.	मध्यम सिंचाई	9,87.59	..	9,87.59	9,05.84	..	9,05.84
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,21.97	..	1,21.97	46.28	..	46.28
	4711.	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	42.63	..	42.63	38.39	..	38.39
	जल संसाधन (उत्तर) विभाग के संवेतन पर कुल व्यय		72,49.12	..	72,49.12	75,69.63	..	75,69.63
वित्तीय सलाहकार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान अंतर्राज्य नियंत्रण मंडल (सिंचाई व विद्युत),कोटा	2700.	मुख्य सिंचाई	97.68	..	97.68	71.68	..	71.68
	2700.	मुख्य सिंचाई	22,73.77	..	22,73.77	21,39.07	..	21,39.07
	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	25,65.48	..	25,65.48	25,21.57	..	25,21.57
	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संवेतन पर कुल व्यय		48,39.25	..	48,39.25	46,60.64	..	46,60.64
आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर	2701.	मध्यम सिंचाई	15,18.76	..	15,18.76	13,67.28	..	13,67.28

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
वित्तीय सलाहकार (प्री-चैक सेट अप), इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,60.70	..	3,60.70	3,57.59	..	3,57.59
निदेशक, आयोजना (जन शक्ति) विभाग, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2,36.69	..	2,36.69	2,44.03	..	2,44.03
उप शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, जयपुर	3451.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	1,43.81	..	1,43.81	1,28.73	..	1,28.73
निदेशक, खान एवं भूगर्भ विभाग, उदयपुर	2853.	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	93,96.03	..	93,96.03	89,94.96	..	89,94.96
निदेशक, पेट्रोलियम विभाग, जयपुर	2802.	पेट्रोलियम	1,04.67	..	1,04.67	99.31	..	99.31
निदेशक, पर्यावरण विभाग, जयपुर	3435.	परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	1,07.00	..	1,07.00	1,03.73	..	1,03.73
निदेशक, मूल्यांकन संगठन, जयपुर	3454.	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	5,70.62	..	5,70.62	5,76.36	..	5,76.36
सचिव, इंदिरा गांधी नहर मंडल, जयपुर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,77.54	..	4,77.54	5,05.69	..	5,05.69
निदेशक, राजस्व आसूचना विभाग, जयपुर	2047.	अन्य राजकोषीय सेवाएं	3,59.83	..	3,59.83	3,06.66	..	3,06.66

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
मुख्य अभियन्ता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर	4700.	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	8,89.38	..	8,89.38	8,96.30	..	8,96.30
निदेशक, होम्योपैथी विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	40,18.19	..	40,18.19	37,31.79	..	37,31.79
निदेशक, यूनानी विभाग, जयपुर	2210.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	28,34.43	..	28,34.43	29,88.63	..	29,88.63
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, एस.डब्ल्यू.आर.पी.डी., जयपुर	2702.	लघु सिंचाई	3,39.00	..	3,39.00	3,45.53	..	3,45.53
निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	19,07.65	8.94	19,16.59	18,24.08	9.84	18,33.92
मुख्य अभियंता, गुण नियंत्रण तथा ई.ए.पी. जल संसाधन विभाग, जयपुर	2702.	लघु सिंचाई	5,43.34	..	5,43.34	2,30.24	..	2,30.24
निदेशालय, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7,21.12	..	7,21.12	7,30.31	..	7,30.31
निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	12,75.66	..	12,75.66	9,76.33	..	9,76.33
निदेशक, नागरिक विमानन विभाग, जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	95.22	..	95.22	93.43	..	93.43

परिशिष्ट संख्या I - (क्रमशः)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
निदेशक, लोक सेवाएं, जयपुर	2053.	जिला प्रशासन	4,76.39	..	4,76.39	3,58.40	..	3,58.40
उप सचिव , अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	2225.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	12.37	..	12.37	18.80	..	18.80
निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग,जयपुर	2235.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3,43.10	..	3,43.10	3,05.93	..	3,05.93
सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,जयपुर	2051.	लोक सेवा आयोग	4,49.31	..	4,49.31	3,97.12	..	3,97.12
गौ सेवा राजस्थान, जयपुर	2403.	पशुपालन	2,89.96	..	2,89.96	2,71.94	..	2,71.94
अतिरिक्त मुख्य सचिव, देहली-मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरिडोर, जयपुर	2852.	उद्योग	2,04.33	..	2,04.33	1,89.49	..	1,89.49
निदेशक, पी.एम.यू.आयोजना विभाग, जयपुर	3451.	सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	2.44	..	2.44	..	..	..
निदेशक, नागरिक सुरक्षा,जयपुर	2070.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	9,34.85	..	9,34.85	8,80.62	..	8,80.62
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायो-फ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर	2810.	नवीन तथा नवीकरण ऊर्जा	71.43	..	71.43	71.50	..	71.50
आयुक्त, मिड डे मील, जयपुर	2202.	सामान्य शिक्षा	..	1,05.08	1,05.08	1,03.44	..	1,03.44
संयुक्त सचिव (ई.ए.डी.) एस.पी.एफ. एम., पी.एम.यू. सचिवालय, जयपुर	2054.	कोष एवं लेखा प्रशासन	28.91	..	28.91	37.54	..	37.54

परिशिष्ट संख्या I - (समाप्त)

विभाग	मुख्य शीर्ष	विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग
(₹ लाख में)								
ड्रग नियंत्रक संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग जयपुर	22 10.	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	14,74.92	..	14,74.92	15,22.76	..	15,22.76
		संवैतन पर कुल व्यय (राजस्व)	1,37,74.22 4,88,84,20.40	20,48,18.75	5,10,70,13.37	1,27,75.11 4,63,32,49.60	20,28,62.26	4,84,88,86.97
		संवैतन पर कुल व्यय (पूँजीगत)	88,36.68	..	88,36.68	80,32.14	8,22.88	88,55.02
		संवैतन पर कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत)	1,37,74.22 4,89,72,57.08	20,48,18.75	5,11,58,50.05	1,27,75.11 4,64,12,81.74	20,36,85.14	4,85,77,41.99

परिशिष्ट संख्या II - सहाय्य पर तुलनात्मक व्यय

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य *						
उप सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर						
2852. उद्योग						
80. सामान्य						
102. औद्योगिक उत्पादकता						
(25) राजस्थान वित्त निगम						
[01] युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना	6,75.00	..	6,75.00	7,25.00	..	7,25.00
उद्योग (ग्रुप-1) विभाग को कुल सहाय्य	6,75.00	..	6,75.00	7,25.00	..	7,25.00
निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर						
2801. बिजली						
80. सामान्य						
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता						
(32) ब्याज अनुदान						
[02] राजस्थान विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड	18,98.46	..	18,98.46	18,98.46	..	18,98.46
योग- (32)	18,98.46	..	18,98.46	18,98.46	..	18,98.46
(41) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	.. (क)	..	..	32,83,45.48	..	32,83,45.48
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	..	..	..	25,39,11.95	..	25,39,11.95
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	(-) 0.01 (ख)	..	(-) 0.01	8,39,03.20	..	8,39,03.20
योग- (41)	(-) 0.01	..	(-) 0.01	66,61,60.63	..	66,61,60.63

* आंकड़े लेखों में सहाय्य शीर्ष "91 सहाय्य" के अंतर्गत पुस्तकित व्यय के द्योतक है।

(क) ₹ 400 मात्र।

(ख) ऋण आंकड़े गत वर्ष दी गई सहाय्य के अधिक भुगतान की वसूली के कारण है।

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य - (क्रमशः)						
निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर - (क्रमशः)						
2801. बिजली - (क्रमशः)						
80. सामान्य (क्रमशः)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता - (क्रमशः)						
(43) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	24,26,70.83	..	24,26,70.83	16,10,91.45	..	16,10,91.45
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	34,99,40.35	..	34,99,40.35	20,12,30.86	..	20,12,30.86
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	18,46,67.07	..	18,46,67.07	11,76,37.64	..	11,76,37.64
योग- (43)	77,72,78.25	..	77,72,78.25	47,99,59.95	..	47,99,59.95
(44) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	3,40,00.00	..	3,40,00.00	4,16,39.12	..	4,16,39.12
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	2,76,65.12	..	2,76,65.12	2,58,44.35	..	2,58,44.35
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	3,45,12.04	..	3,45,12.04	3,33,47.88	..	3,33,47.88
योग- (44)	9,61,77.16	..	9,61,77.16	10,08,31.35	..	10,08,31.35
(45) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	12,51.04	..	12,51.04	6,44.64	..	6,44.64
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	2,66.32	..	2,66.32	1,53.67	..	1,53.67
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	5,69.24	..	5,69.24	3,68.95	..	3,68.95
योग- (45)	20,86.60	..	20,86.60	11,67.26	..	11,67.26

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः)						
निदेशक,						
वित्त विभाग, जयपुर -(क्रमशः)						
2801. बिजली -(क्रमशः)						
80. सामान्य-(क्रमशः)						
190. सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-(समाप्त)						
(46) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता						
[01] बकाया अनुदान का भुगतान	10,20.00	..	10,20.00	9,75.00	..	9,75.00
योग- (46)	10,20.00	..	10,20.00	9,75.00	..	9,75.00
(49) ग्रिड से जुड़े हुये पम्प सेटों के सौर ऊर्जीकरण हेतु कुसुम योजना के अन्तर्गत सहायता						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	13,91.00	..	13,91.00	..	..	..
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	3,86.00	..	3,86.00	..	..	..
योग- (49)	17,77.00	..	17,77.00	..	..	..
(50) कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत् दरों में राहत प्रदान करने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण के माध्यम से सहायता						
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	13,35.14	..	13,35.14	..	..	..
योग- (50)	13,35.14	..	13,35.14	..	..	..
योग - 190	88,15,72.60	..	88,15,72.60	1,25,09,92.65	..	1,25,09,92.65

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः)						
निदेशक,						
वित्त विभाग, जयपुर -(क्रमशः)						
2801. बिजली -(क्रमशः)						
80. सामान्य-(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	..	..	..	8,62,90.19	..	8,62,90.19
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	..	..	..	6,67,28.84	..	6,67,28.84
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड	..	..	..	2,20,50.00	..	2,20,50.00
योग- (01)	..	..	..	17,50,69.03	..	17,50,69.03
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	10,21,79.57	..	10,21,79.57	4,95,66.60	..	4,95,66.60
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	14,32,19.51	..	14,32,19.51	6,19,17.18	..	6,19,17.18
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	7,41,76.58	..	7,41,76.58	3,61,96.20	..	3,61,96.20
योग- (02)	31,95,75.66	..	31,95,75.66	14,76,79.98	..	14,76,79.98
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	90,00.00	..	90,00.00	1,10,22.12	..	1,10,22.12
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	73,23.12	..	73,23.12	68,41.15	..	68,41.15
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	91,35.54	..	91,35.54	88,27.38	..	88,27.38
योग- (03)	2,54,58.66	..	2,54,58.66	2,66,90.65	..	2,66,90.65

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः)						
निदेशक,						
वित्त विभाग, जयपुर -(क्रमशः)						
2801. बिजली -(क्रमशः)						
80. सामान्य -(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना -(समाप्त)						
(04) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	3,31.16	..	3,31.16	1,70.64	..	1,70.64
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	70.50	..	70.50	40.68	..	40.68
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	1,50.67	..	1,50.67	97.66	..	97.66
योग- (04)	5,52.33	..	5,52.33	3,08.98	..	3,08.98
(05) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता						
[01] बकाया अनुदान का भुगतान	2,70.00	..	2,70.00	3,00.00	..	3,00.00
योग- (05)	2,70.00	..	2,70.00	3,00.00	..	3,00.00
योग- 789	34,58,56.65	..	34,58,56.65	35,00,48.64	..	35,00,48.64
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोग						
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	..	..	..	6,47,54.29	..	6,47,54.29
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	..	..	..	5,00,74.97	..	5,00,74.97

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः)						
निदेशक,						
वित्त विभाग, जयपुर -(क्रमशः)						
2801. बिजली -(क्रमशः)						
80. सामान्य -(क्रमशः)						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -(क्रमशः)						
(01) उदय योजना के अन्तर्गत वितरण निगमों को सहायता -(समाप्त)						
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	..	..	..	1,65,46.86	..	1,65,46.86
योग- (01)	..	..	..	13,13,76.12	..	13,13,76.12
(02) विद्युत् दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	5,61,36.11	..	5,61,36.11	3,71,74.95	..	3,71,74.95
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	8,02,81.84	..	8,02,81.84	4,64,37.89	..	4,64,37.89
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	4,21,37.34	..	4,21,37.34	2,71,47.15	..	2,71,47.15
योग- (02)	17,85,55.29	..	17,85,55.29	11,07,59.99	..	11,07,59.99
(03) विद्युत् शुल्क के प्रति अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	70,00.00	..	70,00.00	85,72.76	..	85,72.76
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	56,95.76	..	56,95.76	53,20.90	..	53,20.90
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	71,05.42	..	71,05.42	68,65.74	..	68,65.74
योग- (03)	1,98,01.18	..	1,98,01.18	2,07,59.40	..	2,07,59.40

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य --(क्रमशः)						
निदेशक,						
वित्त विभाग, जयपुर --(समाप्त)						
2801. बिजली --(समाप्त)						
80. सामान्य --(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना --(समाप्त)						
(04) विद्युत् चोरी के अपराध के प्रषमन की राशि के विरुद्ध अनुदान						
[01] जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	2,57.56	..	2,57.56	1,32.72	..	1,32.72
[02] जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	54.84	..	54.84	31.65	..	31.65
[03] अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को सहायता	1,17.21	..	1,17.21	75.96	..	75.96
योग- (04)	4,29.61	..	4,29.61	2,40.33	..	2,40.33
(05) राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता						
[01] बकाया अनुदान का भुगतान	2,10.00	..	2,10.00	2,25.00	..	2,25.00
योग- (05)	2,10.00	..	2,10.00	2,25.00	..	2,25.00
योग- 796	19,89,96.08	..	19,89,96.08	26,33,60.84	..	26,33,60.84
वित्त विभाग को कुल सहाय्य	1,42,64,25.33	..	1,42,64,25.33	1,86,44,02.13	..	1,86,44,02.13
आयुक्त, उद्यान विभाग, जयपुर						
2401. फसल कृषि-कर्म						
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें						
(02) बागवानी का विकास	49.48	..	49.48	7,44.23	..	7,44.23

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य --(क्रमशः)						
आयुक्त, उद्यान विभाग, जयपुर --(क्रमशः)						
2401. फसल कृषि-कर्म --(क्रमशः)						
119. बागवानी तथा वनस्पति फसलें --(समाप्त)						
(25) राष्ट्रीय बागवानी मिशन	16,01.42	24,02.14	40,03.56	18,08.20	27,12.30	45,20.50
(26) प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- सूक्ष्म सिंचाई)	49,80.56	74,70.84	1,24,51.39	31,62.04	47,43.05	79,05.09
(29) फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता	4.56	..	4.56	5.54	..	5.54
(30) उद्यान फसलों की प्रदर्शनी हेतु सहायता	18.02	..	18.02	17.67	..	17.67
(31) सयंत्र सुरक्षा कार्य हेतु सहायता	5.08	..	5.08	5.09	..	5.09
(32) ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त अनुदान	4,48.20	..	4,48.20	7,88.38	..	7,88.38
(33) अभिनव कार्यक्रम हेतु सहायता	2.80	..	2.80	2.86	..	2.86
(36) सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	60,01.04	..	60,01.04	20,53.71	..	20,53.71
(37) आटोमेशन पर सहायता	1,21.42	..	1,21.42	..	..	..
योग - 119	1,32,32.58	98,72.98	2,31,05.56	85,87.72	74,55.35	1,60,43.07
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से						
[01] उद्यान का विकास	..	..	..	9.96	..	9.96
[04] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	3,08.83	4,63.24	7,72.07	3,24.92	4,87.38	8,12.30
[05] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना- सूक्ष्म सिंचाई)	4,67.95	7,01.93	11,69.88	4,12.78	6,19.17	10,31.95
[07] फल बगीचों की स्थापना हेतु सहायता	0.79	..	0.79	0.47	..	0.47

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	आयोजना	योग
	व्यय	(केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)		व्यय	(केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य –(क्रमशः)						
आयुक्त,उद्यान विभाग, जयपुर –(क्रमशः)						
2401. फसल कृषि-कर्म –(क्रमशः)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ठ संघटक योजना –(समाप्त)						
(02) उद्यान विभाग के माध्यम से –(समाप्त)						
[08] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी हेतु सहायता	4.85	..	4.85	4.44	..	4.44
[09] संयंत्र सुरक्षा कार्य हेतु सहायता	1.33	..	1.33	1.36	..	1.36
[10] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त अनुदान	1,95.43	..	1,95.43	1,56.72	..	1,56.72
[11] अभिनव कार्यक्रम हेतु सहायता	1.23	..	1.23	1.12	..	1.12
[12] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	6,79.18	..	6,79.18	6,96.27	..	6,96.27
[13] आटोमेशन पर सहायता	5.61	..	5.61	..	..	..
योग - 789	16,65.20	11,65.17	28,30.37	16,08.04	11,06.55	27,14.59
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से						
[01] उद्यान का विकास	..	..	..	17.73	..	17.73
[03] राष्ट्रीय बागवानी मिशन	3,33.26	4,99.89	8,33.15	3,31.84	4,97.76	8,29.60
[04] प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु सहायता (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	6,03.85	9,05.78	15,09.63	5,44.26	8,16.39	13,60.65
[06] फल बगीचे की स्थापना हेतु सहायता	0.66	..	0.66	0.44	..	0.44
[07] उद्यान फसलों की प्रदर्शनी हेतु सहायता	3.29	..	3.29	3.44	..	3.44

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः)						
आयुक्त, उद्यान विभाग, जयपुर -(समाप्त)						
2401. फसल कृषि-कर्म -(समाप्त)						
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना -(समाप्त)						
(51) उद्यान विभाग के माध्यम से-(समाप्त)						
[08] संयंत्र सुरक्षा कार्य हेतु सहायता	0.79	..	0.79	0.98	..	0.98
[09] ग्रीन हाऊस पर अतिरिक्त अनुदान	1,15.54	..	1,15.54	1,45.52	..	1,45.52
[10] अभिनव कार्यक्रम हेतु सहायता	0.21	..	0.21	0.12	..	0.12
[11] सोलर पम्प सेट पर अतिरिक्त अनुदान	8,41.46	..	8,41.46	3,47.71	..	3,47.71
[12] आटोमेशन पर सहायता	9.83	..	9.83	..	..	..
योग - 796	19,08.89	14,05.67	33,14.56	13,92.04	13,14.15	27,06.19
उद्यान विभाग को कुल सहाय्य	1,68,06.67	1,24,43.82	2,92,50.49	1,15,87.80	98,76.05	2,14,63.85
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग						
111. बेरोजगार शिक्षित युवाओं हेतु रोजगार योजना						
(03) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु सहायता	11.50	..	11.50	58.27	..	58.27
योग - 111	11.50	..	11.50	58.27	..	58.27

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य –(क्रमशः)						
आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर- (समाप्त)						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग- (समाप्त)						
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु सहायता	2.89	..	2.89	3.98	..	3.98
योग - 789	2.89	..	2.89	3.98	..	3.98
796. जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
(22) उद्यम स्थापना, विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण						
[01] मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हेतु सहायता	1.60	..	1.60	0.93	..	0.93
योग -796	1.60	..	1.60	0.93	..	0.93
उद्योग विभाग को कुल सहाय्य	15.99	..	15.99	63.18	..	63.18
उप सचिव, उद्योग (ग्रुप-II) विभाग, जयपुर						
2851. ग्रामीण तथा लघु उद्योग						
105. खादी तथा ग्रामोद्योग						
(03) खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट हेतु सहायता-प्रतिबद्ध	20,00.00	..	20,00.00	7,50.00	..	7,50.00
उद्योग (ग्रुप-II) विभाग को कुल सहाय्य	20,00.00	..	20,00.00	7,50.00	..	7,50.00

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य –(क्रमशः)						
आयुक्त,						
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर						
3456. नागरिक आपूर्ति						
102. नागरिक आपूर्ति योजना						
(07) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
[01] अन्तोदय परिवार अन्न योजना	94,67.17	..	94,67.17	39,35.58	..	39,35.58
योग-102	94,67.17	..	94,67.17	39,35.58	..	39,35.58
789. अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजना						
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
[02] अन्तोदय परिवार अन्न योजना	68,54.54	..	68,54.54	38,03.19	..	38,03.19
योग 789	68,54.54	..	68,54.54	38,03.19	..	38,03.19
796. जन जाति क्षेत्र उपयोगिता						
(03) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना						
[02] अन्तोदय परिवार अन्न योजना	47,68.70	..	47,68.70	26,43.55	..	26,43.55
योग 796	47,68.70	..	47,68.70	26,43.55	..	26,43.55
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग को कुल सहाय्य	2,10,90.41	..	2,10,90.41	1,03,82.32	..	1,03,82.32

परिशिष्ट संख्या II - (क्रमशः)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य -(क्रमशः)						
निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर						
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण						
02. समाज कल्याण						
196. जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता						
(26) इंदिरा महिला शक्ति योजना						
[01] महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग	1,10.20	..	1,10.20	..	..	..
योग 196	1,10.20	..	1,10.20	..	..	..
महिला अधिकारिता विभाग को कुल सहाय्य	1,10.20	..	1,10.20	..	..	..
मुख्य अभियान्ता, गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता जल संसाधन विभाग, जयपुर						
2702. लघु सिंचाई						
01. सतही जल						
800. अन्य व्यय						
(09) राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर डब्ल्यू एस एल आई पी)						
[01] मुख्य अभियंता, जल संसाधन (गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता) के माध्यम से	18,13.44	..	18,13.44	..	..	..
गुण नियंत्रण एवं बाह्य सहायता जल संसाधन विभाग को कुल सहाय्य	18,13.44	..	18,13.44	..	..	..

परिशिष्ट संख्या II - (समाप्त)

विभाग मुख्य शीर्ष विवरण	2020-21 के वास्तविक आंकड़े			2019-20 के वास्तविक आंकड़े		
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय योजना सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	आयोजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा केन्द्रीय आयोजना सहित)	योग
(₹ लाख में)						
स्पष्ट सहाय्य –(समाप्त)						
निदेशालय,						
निःशक्तजन विभाग, जयपुर						
2235. सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण						
02. समाज कल्याण						
101. विशेष योग्यजन का कल्याण						
(38) निदेशालय, विशेष योग्यजन						
[02] विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान (अनुसूचित जाति/ जनजाति निगम के माध्यम से)						
	..	..	..	5,33.89	..	5,33.89
निःशक्तजन विभाग को कुल सहाय्य	..	..	..	5,33.89	..	5,33.89
निदेशक, नागरिक विमानन, जयपुर						
2070. अन्य प्रशासनिक सेवाएं						
114. वाहन का क्रय तथा रखरखाव						
(06) नागरिक विमानन निदेशालय						
[01] नागरिक विमानन निदेशालय-प्रतिबद्ध						
	14,68.39	..	14,68.39	6,79.69	..	6,79.69
नागरिक विमानन को कुल सहाय्य	14,68.39	..	14,68.39	6,79.69	..	6,79.69
कुल स्पष्ट सहाय्य	1,47,04,05.43	1,24,43.82	1,48,28,49.25	1,88,91,24.01	98,76.05	1,89,90,00.06

**परिशिष्ट संख्या III –राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता/ सहायतार्थ अनुदान
(संस्थावार तथा योजनावार)**

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
(₹ लाख में)										
नगर निगम	चुंगी प्रतिपूर्ति	सामान्य	7,20,88.07	..	7,20,88.07	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,87,12.05	..	1,87,12.05	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,41,46.86	..	1,41,46.86	..	..	..	..	..
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	सामान्य	3,25,23.12	..	3,25,23.12	..	84,22.78	..	84,22.78	..
		अ.जा.उ.यो.	84,42.09	..	84,42.09	..	21,86.31	..	21,86.31	..
		ज.जा.उ.यो.	63,82.47	..	63,82.47	..	16,52.91	..	16,52.91	..
	केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	सामान्य	..	2,41,11.44	2,41,11.44	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	62,58.65	62,58.65	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	..	47,31.73	47,31.73	..	..	..	..	..
	सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान	सामान्य	53,85.03	..	53,85.03	..	11,50.00	..	11,50.00	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	5,26.62	7,89.92	13,16.54	..	6,45.46	9,68.22	16,13.68	..
		अ.जा.उ.यो.	1,36.69	2,05.04	3,41.73	..	1,67.55	2,51.31	4,18.86	..
		ज.जा.उ.यो.	1,03.35	1,55.02	2,58.37	..	1,26.67	1,90.00	3,16.67	..

* इस परिशिष्ट में निम्नलिखित संकेत चिन्हों का प्रयोग उनके विस्तृत स्वरूप को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है :-

3. वि.आ.(सा.)- वित्त आयोग (सामान्य)	1. ज.जा.उ.यो. - जनजातीय उप-योजना	2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना
6. रा.वि.आ.(अ.जा.उ.यो.) - राज्य वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उप-योजना)	4. रा.वि.आ.(सा.) - राज्य वित्त आयोग (सामान्य)	5. रा.वि.आ.(ज.जा.उ.यो.) - राज्य वित्त आयोग (जनजातीय उप-योजना)
	7. ई.ए.पी- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		
			राज्य निधि		योग	राज्य निधि		योग			
			व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)				
			(₹ लाख में)								
नगर निगम –(समाप्त)											
	अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	11,11.15	..	11,11.15	..	..	..	..		
		अ.जा.उ.यो.	2,87.59	..	2,87.59	..	..	..	..		
		ज.जा.उ.यो.	2,17.94	..	2,17.94	..	..	..	..		
	राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत निष्पादन हेतु	सामान्य	9,75.97	..	9,75.97	..	..	..	..		
		अ.जा.उ.यो.	2,53.33	..	2,53.33	..	..	..	..		
		ज.जा.उ.यो.	1,91.54	..	1,91.54	..	..	..	..		
	चुनावों के लिए वित्तीय रूप से कमजोर नगर निगमों को विशेष अनुदान	सामान्य	13,14.33	..	13,14.33	..	2,35.79	..	2,35.79	..	
		सीवरेज लाइनों की सफाई	सामान्य	9,00.50	..	9,00.50	..	..	..	..	..
			अ.जा.उ.यो.	2,33.50	..	2,33.50	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.		1,76.67	..	1,76.67	..	..	..	..	..	
	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सामान्य	9,00.50	..	9,00.50	..	..	..	..	..	
		अ.जा.उ.यो.	2,33.50	..	2,33.50	..	..	..	..	..	
ज.जा.उ.यो.		1,76.67	..	1,76.67	..	..	..	..	..		
जोधपुर विकास प्राधिकरण	अनुदान	सामान्य	5,84.00	..	5,84.00	..	4,00.00	..	4,00.00	4,00.00	
	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	सामान्य	3,43.33	..	3,43.33	3,43.33	6,18.00	..	6,18.00	6,18.00	
		अ.जा.उ.यो.	89.17	..	89.17	89.17	1,60.50	..	1,60.50	1,60.50	
		ज.जा.उ.यो.	67.50	..	67.50	67.50	1,21.50	..	1,21.50	1,21.50	
	विशेष अनुदान	सामान्य	..	..	..	9,54,06.34	..	9,54,06.34			

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना
						रूपरेखा से)				रूपरेखा से)
(₹ लाख में)										
नगर निगम –(समाप्त)										
	चोदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत	सामान्य	..	..	..	..	..	2,13,41.08	2,13,41.08	..
	सामान्य बुनियादी अनुदान	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	55,39.55	55,39.55	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	41,88.06	41,88.06	..
	चोदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत	सामान्य	..	..	..	..	..	60,65.79	60,65.79	..
	निष्पादन अनुदान	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	15,74.52	15,74.52	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	11,90.37	11,90.37	..
	स्वच्छ भारत अभियान	सामान्य	..	..	..	..	1,17.46	3,52.38	4,69.84	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	30.49	91.47	1,21.96	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	23.05	69.15	92.20	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	..	11.45	11.45	..	..	2.55	2.55	..
		अ.जा.उ.यो.	..	2.97	2.97	..	..	0.66	0.66	..
		ज.जा.उ.यो.	..	2.25	2.25	..	..	0.50	0.50	..
		योग-नगर निगम	16,65,03.54	3,62,68.47	20,27,72.01	5,00.00	11,14,64.81	4,18,25.61	15,32,90.42	13,00.00
नगर पालिकाएं/नगर परिषद										
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत	रा.वि.आ.(सा.)	8,18,03.14	..	8,18,03.14	..	2,11,62.36	..	2,11,62.36	..
	अनुदान	रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	2,12,33.81	..	2,12,33.81	..	54,93.15	..	54,93.15	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	1,60,53.38	..	1,60,53.38	..	41,52.98	..	41,52.98	..
	चुंगी प्रतिपूर्ति	सामान्य	7,10,61.88	..	7,10,61.88	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,84,45.68	..	1,84,45.68	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,39,45.46	..	1,39,45.46	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
(₹ लाख में)										
नगर पालिकाएं/नगर परिषद –(क्रमशः)										
	केन्द्रिय वित्त आयोग के अर्न्तगत अनुदान	सामान्य	..	3,97,35.92	3,97,35.92	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	1,03,14.34	1,03,14.34	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	..	77,97.92	77,97.92	..	..	..	..	..
	शहरी ट्रस्टों की जलपूर्ति योजनाओं का संचालन और रखरखाव	सामान्य	84,42.65	..	84,42.65	..	..	..	..	..
	सार्वजनिक रोशनी के बिजली बिलों का भुगतान	सामान्य	82,57.50	..	82,57.50	..	..	..	..	..
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य	11,72.15	17,58.21	29,30.36	..	14,36.70	21,55.03	35,91.73	..
		अ.जा.उ.यो.	3,04.26	4,56.38	7,60.64	..	3,72.93	5,59.38	9,32.31	..
		ज.जा.उ.यो.	2,30.02	3,45.03	5,75.05	..	2,81.95	4,22.92	7,04.87	..
	राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अन्तर्गत निष्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	28,86.67	..	28,86.67	..	..	..	..	..
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	7,49.28	..	7,49.28	..	..	..	..	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	5,66.48	..	5,66.48	..	..	..	..	..
	अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	25,73.34	..	25,73.34	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	6,73.09	..	6,73.09	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	5,09.17	..	5,09.17	..	..	..	..	..
	सीवरेज लाइनों की सफाई	सामान्य	21,22.82	..	21,22.82	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	5,50.25	..	5,50.25	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	4,16.26	..	4,16.26	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि		योग	राज्य निधि		योग	
			व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
			(₹ लाख में)						
नगर पालिकाएं/नगर परिषद- (क्रमशः)									
	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सामान्य	21,22.82	..	21,22.82	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	5,50.25	..	5,50.25	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	4,16.26	..	4,16.26	..	..	..	..
	चुनाव के लिए फाइनेंशली विकर नगर पालिकाएं/नगर परिषद को अनुदान	सामान्य	16,51.20	..	16,51.20	..	5,35.06	..	5,35.06
	सीवरेज योजनाओं का रखरखाव	सामान्य	6,60.00	..	6,60.00	..	..	..	..
	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	3.37	10.10	13.47	..	2.47	7.43	9.90
		अ.जा.उ.यो.	0.87	2.62	3.49	..	0.64	11,79.88	11,80.52
		ज.जा.उ.यो.	0.66	1.98	2.64	..	0.49	3,56.00	3,56.49
	विशेष अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	9,43,34.87	..	9,43,34.87
	चोदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत	वि.आ.(सा.)	..	..	..	..	..	5,30,59.12	5,30,59.12
	सामान्य बुनियादी अनुदान	वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	..	..	..	..	..	1,37,72.66	1,37,72.66
		वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	..	..	..	..	..	1,04,12.53	1,04,12.53
	चोदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत	सामान्य	..	..	..	..	..	77,85.57	77,85.57
	निष्पादन अनुदान	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	20,20.92	20,20.92
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	15,27.87	15,27.87
	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	सामान्य	..	..	..	..	15,14.17	..	15,14.17
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	3,93.15	..	3,93.15
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	2,97.68	..	2,97.68

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
नगर पालिकाएं/नगर परिषद-- (समाप्त)										
	स्वच्छ भारत अभियान	सामान्य	..	..	..	..	2,74.07	8,22.22	10,96.29	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	71.14	2,13.43	2,84.57	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	53.79	1,61.35	2,15.14	..
	योग-नगर पालिकाएं/नगर परिषद		25,74,02.72	6,04,22.50	31,78,25.22	..	13,03,77.60	9,44,56.31	22,48,33.91	22,05.00
जिला परिषद										
	प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य	8,06,75.90	1,23,51.48	9,30,27.38	..	5,19,71.44	5,19,83.57	10,39,55.01	..
		अ.जा.उ.यो.	3,99,26.08	2,12,09.27	6,11,35.35	..	2,54,78.76	2,66,92.85	5,21,71.61	..
		ज.जा.उ.यो.	10,31,45.06	57,28.82	10,88,73.88	..	1,94,33.52	5,23,63.58	7,17,97.10	..
	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	सामान्य	2,74,09.46	9,20,79.97	11,94,89.43	..	2,41,73.59	9,33,96.00	11,75,69.59	..
		अ.जा.उ.यो.	98,40.80	3,26,73.03	4,25,13.83	..	85,77.72	3,31,41.01	4,17,18.73	..
		ज.जा.उ.यो.	71,56.94	2,37,62.74	3,09,19.68	..	62,38.34	2,41,02.00	3,03,40.34	..
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- वाटर शेड कम्पोनेट	सामान्य	1,66,71.07	2,50,06.60	4,16,77.67	..	1,20,22.67	1,80,34.00	3,00,56.67	..
		अ.जा.उ.यो.	58,75.99	88,14.00	1,46,89.99	..	28,39.33	42,59.00	70,98.33	..
		ज.जा.उ.यो.	23,88.66	35,83.00	59,71.66	..	10,73.33	16,10.00	26,83.33	..
	अनाथ बच्चों के लिए पालनहार योजना के अन्तर्गत सहायता	सामान्य	3,45,99.78	..	3,45,99.78	..	2,31,76.04	..	2,31,76.04	..
		अ.जा.उ.यो.	1,35,82.26	..	1,35,82.26	..	71,82.76	..	71,82.76	..
		ज.जा.उ.यो.	84,01.22	..	84,01.22	..	53,68.57	..	53,68.57	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रुपरेखा से)	
			राज्य निधि		योग	राज्य निधि		योग	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रुपरेखा से)	
			व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
			(₹ लाख में)							
जिला परिषद-- (क्रमशः)										
ग्रामीण बी.पी.एल.आवास	सामान्य	1,92,77.81	..	1,92,77.81	1,05,38.79	2,98,55.51	..	2,98,55.51	1,63,17.66	
	अ.जा.उ.यो.	50,65.62	..	50,65.62	27,69.30	77,20.88	..	77,20.88	41,66.28	
	ज.जा.उ.यो.	37,99.24	..	37,99.24	20,76.99	57,59.80	..	57,59.80	31,04.46	
जल संरक्षण उपकर कोष से राजीव गांधी जल आरक्षित योजना	सामान्य	2,61,77.31	..	2,61,77.31	..	..	..	..	..	
	सामान्य	..	1,55,42.70	1,55,42.70	..	1,68,56.94	2,51,04.61	4,19,61.55	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	26,82.61	26,82.61	..	1,06,34.66	86,93.97	1,93,28.63	..	
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	ज.जा.उ.यो.	..	47,00.76	47,00.76	..	53,33.73	52,01.43	1,05,35.16	..	
	सामान्य	64,73.89	97,10.84	1,61,84.73	..	37,70.70	56,56.05	94,26.75	..	
	अ.जा.उ.यो.	16,48.26	24,72.39	41,20.65	..	10,05.95	15,08.93	25,14.88	..	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन	ज.जा.उ.यो.	9,73.69	14,60.54	24,34.23	..	8,51.42	12,77.14	21,28.56	..	
	सामान्य	41,91.59	68,08.41	1,10,00.00	..	36,26.93	49,48.51	85,75.44	..	
	अ.जा.उ.यो.	25,15.55	40,84.45	66,00.00	..	20,59.69	28,08.58	48,68.27	..	
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ज.जा.उ.यो.	16,77.04	27,22.96	44,00.00	..	15,67.25	24,32.62	39,99.87	..	
	सामान्य	..	62,95.72	62,95.72	..	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	16,54.35	16,54.35	..	..	..	..	..	
केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	ज.जा.उ.यो.	..	12,40.75	12,40.75	..	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	32,29.68	32,08.65	64,38.33	..	20,87.28	21,40.00	42,27.28	..	
	ज.जा.उ.यो.	8,83.28	8,84.07	17,67.35	..	5,46.39	5,43.77	10,90.16	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योजना	
						रुप्ररेखा से)			रुप्ररेखा से)	
(₹ लाख में)										
जिला परिषद-- (क्रमशः)										
	राज्य वित्त आयोग की अनुशंषा	रा.वि.आ.(सा.)	49,49.49	..	49,49.49	..	49,58.75	..	49,58.75	..
	के अन्तर्गत सहायता	रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	13,24.96	..	13,24.96	..	13,03.03	..	13,03.03	..
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	9,59.72	..	9,59.72	..	9,77.27	..	9,77.27	..
	स्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	57,49.29	..	57,49.29	..	57,00.00	..	57,00.00	..
	राजीव गांधी जल संरक्षण योजना	सामान्य	31,75.79	..	31,75.79	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	6,60.67	..	6,60.67	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	8,49.45	..	8,49.45	..	..	..	..	..
	राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक संशोधित	सामान्य	10,00.00	12,35.52	22,35.52	..	..	6,85.80	6,85.80	..
	परियोजना	अ.जा.उ.यो.	3,98.98	6,35.51	10,34.49	..	..	4,11.48	4,11.48	..
		ज.जा.उ.यो.	6,00.00	6,00.00	12,00.00	..	..	2,74.32	2,74.32	..
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन--	सामान्य	12,95.68	15,17.66	28,13.34	..	4,26.39	5,21.14	9,47.53	..
	कृषि विस्तार	अ.जा.उ.यो.	3,63.46	4,33.54	7,97.00	..	1,69.33	2,07.66	3,76.99	..
		ज.जा.उ.यो.	2,28.60	2,72.58	5,01.18	..	1,10.26	1,34.78	2,45.04	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन--तिलहन	सामान्य	9,73.82	14,60.71	24,34.53	..	5,20.49	7,80.73	13,01.22	..
		अ.जा.उ.यो.	1,88.89	2,83.33	4,72.22	..	2,74.29	4,11.43	6,85.72	..
		ज.जा.उ.यो.	1,55.40	2,33.09	3,88.49	..	1,12.77	1,69.15	2,81.92	..
	सहयोग योजना के अन्तर्गत सहायता	सामान्य	15,95.76	..	15,95.76	..	9,63.16	..	9,63.16	..
		अ.जा.उ.यो.	8,42.33	..	8,42.33	..	4,78.85	..	4,78.85	..
		ज.जा.उ.यो.	5,48.89	..	5,48.89	..	3,27.50	..	3,27.50	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
			(₹ लाख में)								
जिला परिषद-- (क्रमशः)											
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-- कृषि अभियांत्रिकी	सामान्य	8,88.12	13,32.19	22,20.31	..	5,39.90	8,09.84	13,49.74	..	
		अ.जा.उ.यो.	53.56	80.33	1,33.89	..	12.49	18.73	31.22	..	
		ज.जा.उ.यो.	79.75	1,19.62	1,99.37	..	10.72	16.07	26.79	..	
	अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन राशि	अ.जा.उ.यो.	17,50.00	6,05.00	23,55.00	..	12,25.00	6,00.00	18,25.00	..	
	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	रा.वि.आ.(सा.)	10,94.00	..	10,94.00	..	56.08	15,84.50	16,40.58	..	
		रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	6,56.40	..	6,56.40	..	32.53	9,50.70	9,83.23	..	
		रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	4,37.60	..	4,37.60	..	23.55	6,33.80	6,57.35	..	
	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	सामान्य	6,47.73	9,71.60	16,19.33	..	11,50.00	17,25.00	28,75.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	1,00.33	1,50.50	2,50.83	..	..	..	..	..	
		ज.जा.उ.यो.	75.34	1,13.00	1,88.34	..	..	..	..	..	
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	स्थापना व्यय के लिए अनुदान (राज्य हिस्सा)	सामान्य	5,43.89	7,13.62	12,57.51	..	5,70.92	7,93.73	13,64.65	..	
		अ.जा.उ.यो.	1,82.86	2,12.80	3,95.66	..	1,50.42	1,89.58	3,40.00	..	
		ज.जा.उ.यो.	1,42.22	2,06.70	3,48.92	..	1,24.53	1,58.59	2,83.12	..	
स्वैच्छिक अभिकरण	शारीरिक तथा विमंदित क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	सामान्य	15,01.69	..	15,01.69	..	12,64.56	..	12,64.56	..	
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-- पोष्टिक अनाज	सामान्य	4,19.22	6,28.82	10,48.04	..	2,29.11	3,43.67	5,72.78	..	
		अ.जा.उ.यो.	78.28	1,17.41	1,95.69	..	29.79	44.69	74.48	..	
		ज.जा.उ.यो.	53.13	79.70	1,32.83	..	16.92	25.38	42.30	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योजना	
						रूपरेखा से)			रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)										
जिला परिषद- (क्रमशः)										
	सामाजिक लेखा परीक्षा, जिम्मेदारी और पारदर्शिता	सामान्य	..	13,51.33	13,51.33	..	..	..	..	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं	सामान्य	3,88.81	5,83.22	9,72.03	..	4,79.25	7,18.88	11,98.13	..
		अ.जा.उ.यो.	38.81	58.21	97.02	..	88.77	1,33.15	2,21.92	..
		ज.जा.उ.यो.	45.75	68.63	1,14.38	..	76.34	1,14.50	1,90.84	..
	अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ स्टाफ	सामान्य	9,15.98	..	9,15.98	..	11,87.65	..	11,87.65	..
	सामूहिक विवाह अनुदान योजना	सामान्य	6,88.35	..	6,88.35	..	5,87.95	..	5,87.95	..
		अ.जा.उ.यो.	1,45.52	..	1,45.52	..	1,31.34	..	1,31.34	..
		ज.जा.उ.यो.	78.92	..	78.92	..	49.47	..	49.47	..
	जिला नवाचार निधि योजना	सामान्य	4,12.50	..	4,12.50	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,47.50	..	2,47.50	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,65.00	..	1,65.00	..	..	..	..	..
	जल प्रबन्धन	अ.जा.उ.यो.	3,89.82	..	3,89.82	..	5,96.68	..	5,96.68	..
		ज.जा.उ.यो.	3,67.29	..	3,67.29	..	76.02	..	76.02	..
	नवजीवन योजना	सामान्य	4,36.12	..	4,36.12	..	1,46.46	..	1,46.46	..
		अ.जा.उ.यो.	2,87.75	..	2,87.75	..	2,89.93	..	2,89.93	..
		ज.जा.उ.यो.	15.89	..	15.89	..	8.99	..	8.99	..
	परम्परागत कृषि विकास योजना	सामान्य	2,32.58	3,48.86	5,81.44	..	12,31.65	18,47.47	30,79.12	..
		अ.जा.उ.यो.	49.57	74.36	1,23.93	..	3,01.62	4,52.42	7,54.04	..
		ज.जा.उ.यो.	13.06	19.60	32.66	..	2,10.72	3,16.09	5,26.81	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
			(₹ लाख में)							
जिला परिषद-- (क्रमशः)										
	टिकाऊ खेती मिशन	सामान्य	1,75.47	2,63.20	4,38.67	..	72.18	1,08.27	1,80.45	..
	रेन फेड क्षेत्र विकास	अ.जा.उ.यो.	42.02	63.04	1,05.06	..	2.72	4.08	6.80	..
		ज.जा.उ.यो.	34.70	52.04	86.74	..	4.36	6.54	10.90	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-	सामान्य	1,79.03	2,68.55	4,47.58	..	1,54.08	2,31.12	3,85.20	..
	मोटा अनाज	अ.जा.उ.यो.	30.31	45.47	75.78	..	34.80	52.20	87.00	..
		ज.जा.उ.यो.	12.57	18.86	31.43	..	49.26	73.89	1,23.15	..
	संस्थापना व्यय के लिए अनुदान-मध्यम सिंचाई	सामान्य	3,08.24	..	3,08.24	..	4,02.60	..	4,02.60	..
	गाड़िया लुहारों के लिए एकीकृत परियोजना	सामान्य	1,99.35	..	1,99.35	..	1,39.70	..	1,39.70	..
	सतत कृषि मिशन-मृदा	सामान्य	56.99	85.49	1,42.48	..	1.49	2.24	3.73	..
	स्वास्थ्य प्रबंधन	अ.जा.उ.यो.	6.69	10.02	16.71	..	2.27	3.41	5.68	..
		ज.जा.उ.यो.	7.12	10.67	17.79	..	1.58	2.34	3.92	..
स्वयं सहायता संस्था	स्वयं सहायता संस्थाओं के माध्यम से वृद्धावस्था आश्रम की स्थापना तथा संचालन	सामान्य	1,59.99	..	1,59.99	..	1,56.62	..	1,56.62	..
उच्च शिक्षा विभाग	बालिकाओं के लिए देवनारायण स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना	सामान्य	1,52.22	..	1,52.22	..	29.07	..	29.07	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रुपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रुपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
(₹ लाख में)										
जिला परिषद-- (क्रमशः)										
	बीज विकास	सामान्य	89.82	..	89.82	..	2,19.82	..	2,19.82	..
		अ.जा.उ.यो.	32.43	..	32.43	..	74.69	..	74.69	..
		ज.जा.उ.यो.	27.03	..	27.03	..	71.42	..	71.42	..
	विकलांगों के विवाह के लिए कैम्प	सामान्य	1,29.50	..	1,29.50	..	1,22.75	..	1,22.75	..
		ज.जा.उ.यो.	13.50	..	13.50	..	12.75	..	12.75	..
	समाज कल्याण हेतु संयुक्त सहायता के लिए अनुदान	सामान्य	97.71	..	97.71	..	80.49	..	80.49	..
		ज.जा.उ.यो.	14.83	..	14.83	..	16.03	..	16.03	..
	कीट तथा बीमारियों का नष्टीकरण	सामान्य	97.65	..	97.65	..	1,91.45	..	1,91.45	..
		अ.जा.उ.यो.	8.54	..	8.54	..	3.14	..	3.14	..
		ज.जा.उ.यो.	2.17	..	2.17	..	4.74	..	4.74	..
महिला सुरक्षा तथा सम्पर्क केन्द्र	समाज कल्याण के लिए अनुदान	सामान्य	73.95	..	73.95	..	76.50	..	76.50	..
		अ.जा.उ.यो.	15.92	..	15.92	..	14.86	..	14.86	..
		ज.जा.उ.यो.	13.77	..	13.77	..	9.80	..	9.80	..
शिक्षा विभाग	देवनाराण गुरुकुल योजना	सामान्य	85.75	..	85.75	..	15,77.75	..	15,77.75	..
	अनुसूचित जन जाति छात्रावासों का संचालन	सामान्य	53.98	..	53.98	..	2,85.92	..	2,85.92	..
	अनुसूचित जाति छात्रावासों का संचालन	सामान्य	51.32	..	51.32	..	2,35.09	..	2,35.09	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
(₹ लाख में)										
जिला परिषद्- (समाप्त)										
कृषि प्रदर्शनी/मिनिकिट्स	सामान्य	18.55	..	18.55	..	1,47.66	..	1,47.66	..	
	अ.जा.उ.यो.	1.50	..	1.50	..	54.86	..	54.86	..	
	ज.जा.उ.यो.	10.05	..	10.05	..	15.75	..	15.75	..	
सम्बल गांवों का विकास	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	3,34.31	..	3,34.31	..	
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना	सामान्य	..	..	..	..	1,46.49	..	1,46.49	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	32.04	..	32.04	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	38.30	..	38.30	..	
एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,93.75	89.75	2,83.50	..	2,07.05	56.04	2,63.09	..	
	अ.जा.उ.यो.	10.98	3.82	14.80	..	10.00	0.87	10.87	..	
	ज.जा.उ.यो.	15.60	13.95	29.55	..	12.38	9.96	22.34	..	
योग- जिला परिषद		46,74,93.70	30,41,10.41	77,16,04.11	1,53,85.08	31,14,81.42	38,15,21.86	69,30,03.28	2,35,88.40	
पंचायत समितियां										
प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनुदान	सामान्य	14,72,49.68	..	14,72,49.68	..	17,80,71.55	..	17,80,71.55	..	
	ज.जा.उ.यो.	1,21,09.90	..	1,21,09.90	..	2,00,09.33	..	2,00,09.33	..	
संस्थापना के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	8,21,67.83	..	8,21,67.83	..	8,36,52.28	..	8,36,52.28	..	
केन्द्रिय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य	..	2,64,54.70	2,64,54.70	..	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	69,51.60	69,51.60	..	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	52,13.70	52,13.70	..	..	..	..	..	
राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.)	1,97,79.98	..	1,97,79.98	..	1,98,35.00	..	1,98,35.00	..	
	रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.)	51,97.64	..	51,97.64	..	52,12.12	..	52,12.12	..	
	रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	38,98.23	..	38,98.23	..	39,09.10	..	39,09.10	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
पंचायत समितियां -(समाप्त)										
	हैंण्ड पम्प श्रमिकों तथा फिटर्स के लिए तदर्थ सहायता	सामान्य	81,00.00	..	81,00.00	..	95,99.64	..	95,99.64	..
	सिंचाई निर्माण कार्यों का संस्थापन व्यय	सामान्य	6,41.44	..	6,41.44	..	9,07.49	..	9,07.49	..
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	1.53	..	1.53	..	..	..	..	..
	योग- पंचायत समितियां		27,91,46.23	3,86,20.00	31,77,66.23	..	32,11,96.51	..	32,11,96.51	..
ग्राम पंचायत										
	राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुदान	रा.वि.आ.(सा.) रा.वि.आ. (अ.जा.उ.यो.) रा.वि.आ. (ज.जा.उ.यो.)	14,92,15.86 3,92,09.81 2,94,07.35		14,92,15.86 3,92,09.81 2,94,07.35		60,08.84 15,79.15 11,84.37		60,08.84 15,79.15 11,84.37	
	केन्द्रिय वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.		9,92,05.12 2,60,68.50 1,95,51.38	9,92,05.12 2,60,68.50 1,95,51.38					
	चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य अ.जा.उ.यो. ज.जा.उ.यो.		15,20.67 4,07.69 2,99.56	15,20.67 4,07.69 2,99.56		34,59,47.45 9,00,67.16 6,79,63.70	34,59,47.45 9,00,67.16 6,79,63.70	34,59,47.45 9,00,67.16 6,79,63.70	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	63.30	..	63.30	..	94.97	..	94.97	..
	योग-ग्राम पंचायत		21,78,96.32	14,70,52.92	36,49,49.24	..	88,67.33	50,39,78.31	51,28,45.64	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
सांविधिक निगम										
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	अन्य सहायता	सामान्य	2,08,70.00	..	2,08,70.00	8,70.00	2,05,00.00	..	2,05,00.00	5,00.00
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	अ.जा.उ.यो.	65,24.84	..	65,24.84	..	19,93.93	..	19,93.93	..
		ज.जा.उ.यो.	49,28.53	..	49,28.53	..	15,07.47	..	15,07.47	..
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त/रियायती यात्राओं की राशि के पुनर्भुगतान के लिए अनुदान	सामान्य	79,89.91	..	79,89.91	..	1,74,99.94	..	1,74,99.94	..
जयपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	शहरी विकास योजना - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	20,60.70	..	20,60.70	..	27,46.95	..	27,46.95	..
		अ.जा.उ.यो.	5,34.90	..	5,34.90	..	7,13.03	..	7,13.03	..
		ज.जा.उ.यो.	4,04.40	..	4,04.40	..	5,39.08	..	5,39.08	..
कोटा सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	राजस्थान परिवहन-आधारभूत विकास निधि	सामान्य	1,37.38	..	1,37.38	..	2,33.63	..	2,33.63	..
		अ.जा.उ.यो.	35.66	..	35.66	..	60.64	..	60.64	..
		ज.जा.उ.यो.	26.96	..	26.96	..	46.85	..	46.85	..
जयपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	वैश्विक प्रयावरण सुविधा	सामान्य	..	1,28.23	1,28.23	..	..	40.61	40.61	..
जोधपुर सिटी परिवहन सेवाएं लिमिटेड	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	25.40	..	25.40	..	53.64	..	53.64	..
		अ.जा.उ.यो.	6.59	..	6.59	..	13.91	..	13.91	..
		ज.जा.उ.यो.	4.99	..	4.99	..	10.50	..	10.50	..
योग- सांविधिक निगम			4,35,50.26	1,28.23	4,36,78.49	8,70.00	4,59,19.57	40.61	4,59,60.18	5,00.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना
						रूपरेखा से)				रूपरेखा से)
(₹ लाख में)										
सरकारी कम्पनियाँ										
राजस्थान चिकित्सा सेवाएं	निःशुल्क दवा वितरण योजना	सामान्य	2,93,22.97	..	2,93,22.97	..	1,78,41.55	..	1,78,41.55	..
निगम		अ.जा.उ.यो.	94,94.40	..	94,94.40	..	59,07.74	..	59,07.74	..
		ज.जा.उ.यो.	74,53.65	..	74,53.65	..	48,58.15	..	48,58.15	..
जयपुर मेट्रो रेल	राजस्थान परिवहन आधारभूत	सामान्य	75,00.00	..	75,00.00	..	73,97.00	..	73,97.00	..
निगम लिमिटेड	विकास निधि									
राजस्थान अल्पसंख्यक	अल्पसंख्यकों का कल्याण	सामान्य	1,70.31	..	1,70.31	..	2,80.00	..	2,80.00	..
वित्त तथा विकास सहकारी निगम										
राजस्थान राज्य अन्य	अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	सामान्य	95.00	..	95.00	..	1,10.00	..	1,10.00	..
पिछड़ा वर्ग आयोग										
अजमेर विद्युत् वितरण	उदय योजनान्तर्गत सहायता	सामान्य	..	..	..	..	28,01,62.03	..	28,01,62.03	28,01,62.03
निगम लिमिटेड		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	7,36,27.43	..	7,36,27.43	7,36,27.43
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	5,52,51.84	..	5,52,51.84	5,52,51.84
राजस्थान अक्षय ऊर्जा	ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर	सामान्य	..	..	..	..	1,05.91	..	1,05.91	..
निगम लिमिटेड, जयपुर	विद्युतीकरण	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	28.04	..	28.04	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	21.80	..	21.80	..
रिको	रिको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी के	सामान्य	..	..	..	..	..	1,00.00	1,00.00	..
	औद्योगिक प्रयास प्रबंधन प्रणाली									
	का उन्नयन									
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	48.00	..	48.00	..	1,88.24	..	1,88.24	57.27
		अ.जा.उ.यो.	15.00	..	15.00	..	9.00	..	9.00	..
		ज.जा.उ.यो.	2.00	..	2.00	..	..	..	..	..
योग- सरकारी कम्पनियाँ			5,41,01.33	..	5,41,01.33	..	44,57,88.73	1,00.00	44,58,88.73	40,90,98.57

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
गैर सरकारी संगठन										
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय सैनिक विद्यालय, झुन्झुनु	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	35,75.00	..	35,75.00	34,00.00	21,49.99	..	21,49.99	20,00.00
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	6,00.00	..	6,00.00	50.00	5,50.00	..	5,50.00	..
माणिक्य लाल वर्मा टैक्सटाईल संस्था, भीलवाड़ा	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	5,14.20	..	5,14.20	44.20	4,30.00	..	4,30.00	..
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय सैनिक विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	2,50.00	..	2,50.00	..	2,25.00	..	2,25.00	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	66.66	..	66.66	66.66	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	66.67	..	66.67	66.67	..	..	..	..
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय अन्य विद्यालय	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	1,31.78	..	1,31.78	..	..	..	..	..
संस्कृत अकादमी	भाषा विकास के लिए अनुदान	सामान्य	1,19.28	..	1,19.28	..	1,25.29	..	1,25.29	15.00
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय सैनिक विद्यालय,चित्तौड़गढ़	माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	4,07.01	..	4,07.01	4,07.01
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	50.00	..	50.00	50.00
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,37.77	..	1,37.77	50.00	25.51	..	25.51	25.51
योग-गैर सरकारी संगठन			56,61.36	..	56,61.36	38,77.53	39,62.80	..	39,62.80	24,97.52

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई	
		उपयोजना /	सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
		अनुसूचित जाति उपयोजना /									
(₹ लाख में)											
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं											
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	मॉडल स्कूल	सामान्य	1,58,28.00	..	1,58,28.00	..	1,29,27.00	..	1,29,27.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	42,00.00	..	42,00.00	..	31,53.70	..	31,53.70	..	
		ज.जा.उ.यो.	31,69.16	..	31,69.16	..	23,79.30	..	23,79.30	..	
राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-एलौपेथी	सामान्य	83,95.90	6,15.60	90,11.50	11,74.00	73,50.00	36,00.00	1,09,50.00	60,00.00	
		अ.जा.उ.यो.	24,50.00	..	24,50.00	..	..	..	..	..	
		ज.जा.उ.यो.	18,12.50	..	18,12.50	..	..	..	..	..	
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	1,18,00.00	..	1,18,00.00	..	1,15,00.00	..	1,15,00.00	..	
राजस्थान विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	1,10,00.00	..	1,10,00.00	..	1,10,00.00	..	1,10,00.00	..	
झालावाड़ अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सोसायटी	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-एलौपेथी	सामान्य	54,75.00	..	54,75.00	..	57,22.50	..	57,22.50	5,62.50	
		अ.जा.उ.यो.	19,28.71	..	19,28.71	78.71	22,07.50	..	22,07.50	6,37.50	
		ज.जा.उ.यो.	24,20.00	..	24,20.00	..	28,87.22	..	28,87.22	8,17.22	
पशुपालन विश्वविद्यालय	पशु पालन के लिए अनुदान	सामान्य	40,01.00	..	40,01.00	1,30.00	50,33.16	..	50,33.16	2,60.00	
		अ.जा.उ.यो.	23,55.00	..	23,55.00	3,70.00	20,71.89	..	20,71.89	1,40.00	
		ज.जा.उ.यो.	15,44.00	..	15,44.00	..	16,08.10	..	16,08.10	..	
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कृषि शिक्षा	सामान्य	68,05.00	..	68,05.00	1,00.00	74,23.13	..	74,23.13	1,50.00	
		अ.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	
मदरसा विद्यालय	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	64,80.00	..	64,80.00	1,00.00	62,81.11	..	62,81.11	2,23.11	
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,जोबनेर	कृषि शिक्षा	सामान्य	57,83.37	..	57,83.37	1,52.21	70,74.57	..	70,74.57	5,95.00	
		ज.जा.उ.यो.	4,57.84	..	4,57.84	23.00	4,52.43	..	4,52.43	23.00	
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	कृषि शिक्षा	सामान्य	55,92.50	..	55,92.50	..	56,12.44	..	56,12.44	1,54.40	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः)										
सुरखाड़िया विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	48,00.00	..	48,00.00	..	52,00.00	..	52,00.00	..
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	कृषि शिक्षा	सामान्य	29,13.08	..	29,13.08	7,80.00	28,02.10	..	28,02.10	2,86.00
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	शहरी स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद	सामान्य	17,92.50	..	17,92.50	2,20.00	18,70.00	..	18,70.00	3,50.00
		अ.जा.उ.यो.	4,90.00	..	4,90.00	1,00.00	5,10.00	..	5,10.00	1,00.00
		ज.जा.उ.यो.	4,30.00	..	4,30.00	80.00	4,70.00	..	4,70.00	95.00
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	कृषि शिक्षा	सामान्य	19,90.00	..	19,90.00	1,18.00	25,42.00	..	25,42.00	3,07.00
राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर	प्राथमिक शिक्षा के तहत एकीकृत शिक्षा	सामान्य	7,55.45	5,20.00	12,75.45	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,91.91	1,50.00	3,41.91	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,52.45	1,05.00	2,57.45	..	..	..	..	..
झालावाड़ अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सोसायटी	यू.जी.सीटों में वृद्धि	सामान्य	1,90.65	15,60.96	17,51.61	17,51.61	..	3,00.00	3,00.00	3,00.00
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	9,28.00	..	9,28.00	..	8,26.81	..	8,26.81	..
		अ.जा.उ.यो.	1,94.00	..	1,94.00	..	1,69.55	..	1,69.55	..
		ज.जा.उ.यो.	3,61.00	..	3,61.00	..	3,38.33	..	3,38.33	..
हरि देव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	6,65.00	..	6,65.00	..	8,00.00	..	8,00.00	5,00.00
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	6,07.75	..	6,07.75	..	6,43.00	..	6,43.00	..
राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थाएं	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	सामान्य	2,27.03	3,22.30	5,49.33	..	8,71.14	13,60.32	22,31.46	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियों सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियों सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
(₹ लाख में)											
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः)											
सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा तथा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर	शिक्षा एवं प्रशिक्षण	सामान्य	5,00.00	..	5,00.00	..	3,92.25	..	3,92.25	..	
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	1,05.60	1,58.40	2,64.00	..	1,33.20	1,99.80	3,33.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	40.80	61.20	1,02.00	..	40.80	61.20	1,02.00	..	
		ज.जा.उ.यो.	31.20	46.80	78.00	..	31.20	46.80	78.00	..	
डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	4,20.00	..	4,20.00	30.00	..	..	..	..	
संस्कृत विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	4,16.53	..	4,16.53	36.53	4,45.59	..	4,45.59	1,24.59	
स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	कृषि अनुसंधान	सामान्य	3,98.50	..	3,98.50	..	4,84.03	..	4,84.03	1,03.90	
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	80.00	1,20.00	2,00.00	..	2,34.40	3,51.60	5,86.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	14.80	22.20	37.00	..	61.20	91.80	1,53.00	..	
		ज.जा.उ.यो.	12.00	18.00	30.00	..	46.80	70.20	1,17.00	..	
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी	भाषा विकास- भारतीय भाषा में साहित्य	सामान्य	2,35.00	..	2,35.00	..	1,93.00	..	1,93.00	..	
खुला विश्वविद्यालय, कोटा	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	2,25.00	..	2,25.00	..	8,50.00	..	8,50.00	..	
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	55.84	83.76	1,39.60	..	16.00	24.00	40.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	27.20	40.80	68.00	..	13.60	20.40	34.00	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (क्रमशः)										
महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	पशु पालन के लिए अनुदान	सामान्य	1,41.00	..	1,41.00	..	1,28.40	..	1,28.40	..
		अ.जा.उ.यो.	37.00	..	37.00	..	33.33	..	33.33	..
		ज.जा.उ.यो.	28.00	..	28.00	..	25.20	..	25.20	..
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..
मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	1,87.50	..	1,87.50	..	3,94.50	..	3,94.50	2,10.00
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर	तकनीकी शिक्षा	सामान्य	1,80.00	..	1,80.00	..	1,49.99	..	1,49.99	..
गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय	अनुदान	ज.जा.उ.यो.	1,71.00	..	1,71.00	1,00.00	4,29.00	..	4,29.00	3,00.00
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	कृषि अनुसंधान	सामान्य	1,60.00	..	1,60.00	..	2,20.51	..	2,20.51	..
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	47.35	71.02	1,18.37	..	52.80	79.20	1,32.00	..
		अ.जा.उ.यो.	12.64	18.95	31.59	..	11.20	16.80	28.00	..
शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	1,42.50	..	1,42.50	..	4,50.50	..	4,50.50	3,20.50
राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय,बीकानेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	30.00	45.00	75.00	..	2,40.00	3,60.00	6,00.00	..
साहित्य अकादमी	आधुनिक भारतीय भाषा तथा साहित्य का संवर्धन-भाषा विकास	सामान्य	62.17	..	62.17	..	1,12.93	..	1,12.93	..
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	8.54	12.80	21.34	..	40.00	60.00	1,00.00	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	8.80	13.20	22.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग
		(₹ लाख में)								
विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं - (समाप्त)										
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सामान्य	..	..	..	..	50,00.00	47,60.00	97,60.00	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	12,74.00	30,60.00	43,34.00	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	10,00.00	23,60.00	33,60.00	..
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए अनुदान एलोपैथी	सामान्य	..	..	..	..	50,02.37	..	50,02.37	47,55.69
राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर	अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	3,82.04	3,09.05	6,91.09	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	87.04	75.06	1,62.10	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	66.04	57.39	1,23.43	..
झालावाड़ अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज सोसायटी	तृतीय कैंसर देखभाल केन्द्र	सामान्य	..	..	..	..	1,08.00	3,00.00	4,08.00	4,08.00
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	52.00	..	52.00	52.00
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	40.00	..	40.00	40.00
बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	4,33.80	..	4,33.80	3,01.30
		सामान्य	3,76.63	..	3,76.63	33.75	3,81.19	..	3,81.19	67.50
		ज.जा.उ.यो.	66.67	..	66.67	66.67	..	..	..	..
योग-विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाएं			12,28,00.27	39,72.79	12,67,73.06	56,44.48	13,11,92.69	1,75,76.82	14,87,69.51	1,83,84.21
सहकारी संस्थाएं										
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक)	कृषि ऋण माफी योजना	सामान्य	31,62,00.00	..	31,62,00.00	..	30,12,78.51	..	30,12,78.51	..
		अ.जा.उ.यो.	7,67,28.00	..	7,67,28.00	..	6,92,94.00	..	6,92,94.00	..
		ज.जा.उ.यो.	5,88,00.00	..	5,88,00.00	..	5,39,27.00	..	5,39,27.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
सहकारी संस्थाएं-- (समाप्त)										
क्रेडिट सहकारी समितियां	ब्याज भुगतान के लिए सहायता	सामान्य	3,88,00.00	..	3,88,00.00	..	3,66,49.90	..	3,66,49.90	..
		अ.जा.उ.यो.	94,00.00	..	94,00.00	..	82,87.00	..	82,87.00	..
		ज.जा.उ.यो.	71,25.00	..	71,25.00	..	66,63.69	..	66,63.69	..
राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी संघ	मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना	सामान्य	52,50.00	..	52,50.00	..	1,00,00.00	..	1,00,00.00	..
		अ.जा.उ.यो.	48,75.00	..	48,75.00	..	1,00,00.00	..	1,00,00.00	..
		ज.जा.उ.यो.	48,75.00	..	48,75.00	..	..	..	..	..
राजफैड	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अनुदान	सामान्य	6,40.00	9,60.00	16,00.00	..	3,99.60	5,99.40	9,99.00	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	1,99.60	2,99.40	4,99.00	..
ग्राम सेवा सहकारी समितियां	अनुदान	सामान्य	4,20.00	..	4,20.00	4,20.00	8,40.00	..	8,40.00	8,40.00
		अ.जा.उ.यो.	96.00	..	96.00	96.00	2,04.00	..	2,04.00	2,04.00
		ज.जा.उ.यो.	84.00	..	84.00	84.00	1,56.00	..	1,56.00	1,56.00
क्रय-विक्रय सहकारी समितियां	अनुदान	सामान्य	3,25.00	..	3,25.00	3,25.00	3,50.00	..	3,50.00	3,50.00
		अ.जा.उ.यो.	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	75.00	..	75.00	75.00
		ज.जा.उ.यो.	75.00	..	75.00	75.00	75.00	..	75.00	75.00
क्रेडिट सहकारी संस्थाएं	सहकारी समितियों के अच्छे देनदारों को ब्याज अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	2,06,92.00	..	2,06,92.00	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	51,48.00	..	51,48.00	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	37,68.00	..	37,68.00	..
सहकारी संस्थाएं	एकीकृत सहकारी विकास	सामान्य	..	..	..	..	88.05	1,12.25	2,00.30	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	75.34	29.63	1,04.97	..	1,49.87	..	1,49.87	..
		अ.जा.उ.यो.	2.78	..	2.78	..	2.68	..	2.68	..
		ज.जा.उ.यो.	2.08	..	2.08	..	0.70	..	0.70	..
योग-सहकारी संस्थाएं			52,38,73.20	9,89.63	52,48,62.83	11,00.00	52,82,48.60	10,11.05	52,92,59.65	17,00.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग				
		(₹ लाख में)									
विकास प्राधिकरण											
राजस्थान अ.जा./ज.जा. विकास निगम	अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनुदान	अ.जा.उ.यो.	10,00.00	..	10,00.00	..	11,46.00	..	11,46.00	..	
राजस्थापन वक्फ बोर्ड	अल्पसंख्यकों का कल्याण	ज.जा.उ.यो.	2,50.00	..	2,50.00	..	33.96	..	33.96	33.96	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	27.61	..	27.61	..	60.99	..	60.99	..	
		ज.जा.उ.यो.	..	8.89	8.89	..	..	..	..	..	
	योग-विकास प्राधिकरण		12,77.61	8.89	12,86.50	..	12,40.95	..	12,40.95	33.96	
राज्य विधान सभा											
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	23.07	..	23.07	..	22.70	..	22.70	..	
	योग-राज्य विधान सभा		23.07	..	23.07	..	22.70	..	22.70	..	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर											
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति- निवेश सहाय्य	सामान्य	6,79,54.13	..	6,79,54.13	..	2,80,00.98	..	2,80,00.98	..	
उद्योग विभाग	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-ब्याज अनुदान	सामान्य	67,00.00	..	67,00.00	..	39,96.98	..	39,96.98	..	
		अ.जा.उ.यो.	34,50.00	..	34,50.00	..	19,99.00	..	19,99.00	..	
		ज.जा.उ.यो.	27,55.00	..	27,55.00	..	15,02.94	..	15,02.94	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)				
(₹ लाख में)														
बिक्री, व्यापार आदि पर कर – (समाप्त)														
उद्योग विभाग	राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना-विशेष प्रोत्साहन पैकेज	सामान्य	57,86.00	..	57,86.00	..	25,00.00	..	25,00.00	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	29,82.00	..	29,82.00	..	17,14.24	..	17,14.24	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	25,32.00	..	25,32.00	..	2,61.32	..	2,61.32	..	..	..	..	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-निवेश सहाय्य (आर आई पी एस-2014)	सामान्य	72,05.25	..	72,05.25	..	54,16.00	..	54,16.00	..	..	..	..	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-रोजगार सर्जन सहाय्य	सामान्य	15,22.11	..	15,22.11	..	14,95.29	..	14,95.29	..	..	..	..	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-ब्याज अनुदान	सामान्य	11,11.52	..	11,11.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-रोजगार सर्जन सहाय्य (आर आई पी एस-2014)	सामान्य	5,86.64	..	5,86.64	..	4,07.98	..	4,07.98	..	..	..	..	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन नीति-मजदूरी/रोजगार अनुदान	सामान्य	2,62.73	..	2,62.73	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना-जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान्ट	सामान्य	1,00.00	..	1,00.00	1,00.00	..	..	..	..	..	..	..	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	10.00	..	10.00	..	21.17	..	21.17	..	..	..	..	..
योग-बिक्री, व्यापार आदि पर कर			10,29,57.38	..	10,29,57.38	1,00.00	4,73,15.90	..	4,73,15.90	..	..	..	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
		(₹ लाख में)								
राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	7.37	..	7.37	..	1.61	..	1.61	..
	योग - राज्य वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क		7.37	..	7.37	..	1.61	..	1.61	..
सचिवालय-सामान्य सेवाएं										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	50.00	..	50.00	..	90.00	..	90.00	..
	योग-सचिवालय-सामान्य सेवाएं		50.00	..	50.00	..	90.00	..	90.00	..
पुलिस										
	पुलिस विभाग के कर्मिकों का विशेष अनुदान-पुलिस कर्मियों का कल्याण	सामान्य	1,26.90	..	1,26.90	..	1,51.79	..	1,51.79	..
	योग- पुलिस		1,26.90	..	1,26.90	..	1,51.79	..	1,51.79	..
जेल										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	47.15	..	47.15	..	55.61	..	55.61	..
	योग-जेल		47.15	..	47.15	..	55.61	..	55.61	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
		(₹ लाख में)								
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	1,00.09	..	1,00.09	..	69.52	..	69.52	..
	योग-अन्य प्रशासनिक सेवाएं		1,00.09	..	1,00.09	..	69.52	..	69.52	..
विविध सामान्य सेवाएं	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	25.32	..	25.32	..	74.25	..	74.25	..
	योग-विविध सामान्य सेवाएं		25.32	..	25.32	..	74.25	..	74.25	..
शिक्षा	विद्यालयों में राष्ट्रीय मिड डे मिल कार्यक्रम	सामान्य	2,24,02.09	3,58,22.00	5,82,24.09	..	1,72,49.60	2,90,67.93	4,63,17.53	..
		अ.जा.उ.यो.	51,60.66	1,10,66.57	1,62,27.23	..	69,23.65	90,87.74	1,60,11.39	..
		ज.जा.उ.यो.	45,22.34	83,84.61	1,29,06.95	..	45,61.41	69,65.71	1,15,27.12	..
	प्राथमिक शिक्षा के तहत एकीकृत शिक्षा पर सामान्य व्यय	सामान्य	1,79,70.00	3,35,15.06	5,14,85.06	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	47,70.00	95,62.78	1,43,32.78	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	36,23.56	73,77.51	1,10,01.07	..	..	..	..	..
	माध्यमिक शिक्षा के तहत एकीकृत शिक्षा	सामान्य	82,54.26	1,82,16.78	2,64,71.04	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	20,23.34	45,32.46	65,55.80	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	15,04.73	33,59.27	48,64.00	..	..	..	..	..
	माँ बाड़ी केन्द्र का संचालन	ज.जा.उ.यो.	86,52.50	..	86,52.50	..	53,76.19	..	53,76.19	..
शिक्षा कर्मी बोर्ड	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	70,30.00	..	70,30.00	..	66,55.00	..	66,55.00	..
शिक्षा कर्मी बोर्ड	राजस्थान दूध पोषण कार्यक्रम (मिड डे मिल)	सामान्य	32,50.00	..	32,50.00	..	3,38,54.80	..	3,38,54.80	..
		अ.जा.उ.यो.	10,00.00	..	10,00.00	..	1,29,64.49	..	1,29,64.49	..
		ज.जा.उ.यो.	7,50.00	..	7,50.00	..	1,17,63.15	..	1,17,63.15	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग/ बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
शिक्षा- (समाप्त)										
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत महाविद्यालय के छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	13,01.30	..	13,01.30	..	15,84.01	..	15,84.01	..
	पढना लिखना अभियान	सामान्य	2,67.16	4,00.75	6,67.91	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	77.10	1,15.66	1,92.76	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	41.25	61.88	1,03.13	..	..	..	..	..
	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	अ.जा.उ.यो.	54.00	81.00	1,35.00	..	2,14.51	3,38.27	5,52.78	..
		ज.जा.उ.यो.	38.56	57.83	96.39	..	1,57.81	2,49.33	4,07.14	..
मदरसा बोर्ड	प्राथमिक शिक्षा	सामान्य	1,81.00	..	1,81.00	..	1,96.00	..	1,96.00	..
	सर्व शिक्षा अभियान	सामान्य	..	..	..	..	1,06,82.00	2,57,96.67	3,64,78.67	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	50,62.00	74,28.00	1,24,90.00	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	23,76.00	49,45.33	73,21.33	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	0.50	..	0.50	..	..	..	..	..
		योग-शिक्षा	9,28,74.35	13,25,54.16	22,54,28.51	..	11,96,20.62	8,38,78.98	20,34,99.60	..
खेल और युवा सेवाएं										
राजस्थान खेल परिषद्	अनुदान	सामान्य	29,35.00	..	29,35.00	..	18,86.90	..	18,86.90	..
		अ.जा.उ.यो.	2,40.00	..	2,40.00	..	1,78.30	..	1,78.30	..
		ज.जा.उ.यो.	1,60.00	..	1,60.00	..	1,34.80	..	1,34.80	..
राजस्थान भारत स्काउट एवं गाइड	छात्रों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम	सामान्य	10,72.25	..	10,72.25	..	12,53.37	..	12,53.37	15.00
		अ.जा.उ.यो.	22.74	..	22.74	..	54.50	..	54.50	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	35.47	..	35.47	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)			
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग
			(₹ लाख में)											
खेल और युवा सेवाएं- (समाप्त)														
	शारीरिक शिक्षा-विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम	सामान्य	7,63.59	..	7,63.59	..	7,14.60	..	7,14.60	..				
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	17.18	..	17.18	..	33.00	..	33.00	..				
	योग-खेल कूद तथा युवा सेवाएं		52,10.76	..	52,10.76	..	42,90.94	..	42,90.94	15.00				
कला एवं संस्कृति														
आमेर विकास तथा प्रबंध प्राधिकरण	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	22,39.33	..	22,39.33	3,23.40	28,32.00	..	28,32.00	3,75.00				
राजस्थान धरोहर संरक्षण तथा प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	13,89.00	..	13,89.00	12,00.00	17,69.39	..	17,69.39	15,17.90				
जवाहर कला केन्द्र	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	3,89.99	..	3,89.99	10.00	8,46.47	..	8,46.47	62.88				
रवीन्द्र मंच	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,78.00	..	1,78.00	33.00	2,05.00	..	2,05.00	30.00				
ललित कला अकादमी	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,73.37	..	1,73.37	..	1,58.19	..	1,58.19	..				
भारत लोक कला मण्डल	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,63.10	..	1,63.10	4.00	1,76.59	..	1,76.59	3.75				
संगीत नाटक अकादमी	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,32.53	..	1,32.53	..	1,38.10	..	1,38.10	..				
कथक केन्द्र	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	1,22.71	..	1,22.71	..	86.55	..	86.55	..				
स्वायत्तशासी निकायों तथा स्वेच्छिक अभिकरण	कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन	सामान्य	28.56	..	28.56	..	1,62.00	..	1,62.00	..				

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग			
		(₹ लाख में)								
कला एवं संस्कृति - (समाप्त)										
	महापुरुष महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह से संबंधित महोत्सव,समारोह, संगोष्ठी	सामान्य	6.39	..	6.39	..	2,41.38	..	2,41.38	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	..	..	..	..	20.00	..	20.00	..
	योग-कला एवं संस्कृति		48,22.98	..	48,22.98	15,70.40	66,35.67	..	66,35.67	19,89.53
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य										
	लोक स्वास्थ्य बीमा योजना	सामान्य	1,90,00.00	..	1,90,00.00	..	5,44,33.14	..	5,44,33.14	..
		अ.जा.उ.यो.	90,00.00	..	90,00.00	..	1,29,48.05	..	1,29,48.05	..
		ज.जा.उ.यो.	70,00.00	..	70,00.00	..	96,66.15	..	96,66.15	..
आयुर्वेद विभाग	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	10,42.44	17,36.98	27,79.42	..	14,02.74	21,04.10	35,06.84	..
		अ.जा.उ.यो.	2,70.58	3,50.62	6,21.20	..	11,35.55	17,03.32	28,38.87	..
		ज.जा.उ.यो.	2,04.58	1,88.80	3,93.38	..	8,01.56	12,02.35	20,03.91	..
	ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथी	सामान्य	6,74.72	..	6,74.72	..	6,13.90	..	6,13.90	..
	पी.पी.पी. मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य	अ.जा.उ.यो.	5,37.35	..	5,37.35	..	5,59.66	..	5,59.66	..
	केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	4,44.75	..	4,44.75	..	5,05.88	..	5,05.88	..
	राज्य कर्मचारी बीमा योजना-क्षतिपूर्ति (लाखेरी सीमेन्ट फैक्ट्री के कर्मचारियों सहित)	सामान्य	14,45.66	..	14,45.66	..	12,53.00	..	12,53.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
(₹ लाख में)											
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य- (समाप्त)											
सामान्य अस्पताल	अनुदान	सामान्य	11,46.80	..	11,46.80	..	15,00.00	..	15,00.00	..	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	..	..	..	..	13.41	..	13.41	..	
योग-चिकित्सा तथा स्वास्थ्य			4,07,66.88	22,76.40	4,30,43.28	..	8,48,33.04	50,09.77	8,98,42.81	..	
परिवार कल्याण											
	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	4,63,27.82	11,84,16.35	16,47,44.17	3,66,53.94	7,97,08.10	7,89,82.85	15,86,90.95	2,82,02.53	
		अ.जा.उ.यो.	1,80,07.00	3,02,48.59	4,82,55.59	1,08,96.00	2,13,12.95	2,28,10.07	4,41,23.02	89,37.49	
		ज.जा.उ.यो.	1,35,30.00	2,08,90.00	3,44,20.00	73,09.33	1,70,15.88	1,47,37.34	3,17,53.22	62,58.21	
	राज्यवार आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवा योजना- एन.आर.एच.एम.	सामान्य	22,90.00	43,58.00	66,48.00	..	52,34.59	16,23.18	68,57.77	..	
		अ.जा.उ.यो.	6,68.00	14,91.00	21,59.00	..	21,05.30	3,92.26	24,97.56	..	
		ज.जा.उ.यो.	5,02.00	11,28.00	16,30.00	..	15,97.11	2,96.56	18,93.67	..	
	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	सामान्य	16,24.00	24,37.00	40,61.00	10,16.00	13,00.36	19,10.08	32,10.44	5,86.11	
		अ.जा.उ.यो.	4,22.00	6,32.00	10,54.00	2,63.00	5,14.06	7,91.10	13,05.16	49.40	
		ज.जा.उ.यो.	3,18.00	4,77.00	7,95.00	2,00.00	2,84.90	4,47.82	7,32.72	59.23	
योग- परिवार नियोजन			8,36,88.82	18,00,77.94	26,37,66.76	5,63,38.27	12,90,73.25	12,19,91.26	25,10,64.51	4,40,92.97	
जलपूर्ति तथा सफाई											
राजस्थान प्रदूषित जल नियंत्रण बोर्ड एवं राहत	वाटर सेस अनुदान	सामान्य	12,07.00	..	12,07.00	..	..	..	..	..	
योग- जलपूर्ति तथा सफाई			12,07.00	..	12,07.00	..	..	..	..	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)												
शहरी विकास	उदयपुर स्मार्ट सिटी	सामान्य	..	1,17,00.00	1,17,00.00	..	..	30,00.00	30,00.00	..		
	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	1,08,67.20	..	1,08,67.20	1,08,67.20	1,30,39.64	..	1,30,39.64	1,30,39.64		
	अजमेर स्मार्ट सिटी	सामान्य	..	49,00.00	49,00.00	..	..	..	..	..		
	जयपुर स्मार्ट सिटी	सामान्य	..	49,00.00	49,00.00	..	..	..	..	..		
	राजस्थान झील विकास प्राधिकरण	सामान्य	3,85.60	..	3,85.60	3,50.60	..	..	..	..		
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	..	..	..	..	56.85	..	56.85	..		
सूचना एवं प्रचार		योग-शहरी विकास	1,12,52.80	2,15,00.00	3,27,52.80	1,12,17.80	1,30,96.49	30,00.00	1,60,96.49	1,30,39.64		
	निदेशन तथा प्रशासन के लिए अनुदान	सामान्य	2,00.00	..	2,00.00	..	75.00	..	75.00	..		
		योग- सूचना एवं प्रचार	2,00.00	..	2,00.00	..	75.00	..	75.00	..		
सामाजिक न्याय	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	अ.जा.उ.यो.	..	1,46,43.50	1,46,43.50	..	..	2,26.50	2,26.50	..		
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु एकीकृत परियोजना	ज.जा.उ.यो.	26,99.30	..	26,99.30	..	26,89.79	..	26,89.79	..		

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /	सामान्य/वित्त आयोग /			करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना
						रूपरेखा से)				रूपरेखा से)
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (क्रमशः)										
	अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि के तहत स्वरोजगार के लिए अनुदान	ज.जा.उ.यो.	19,58.90	..	19,58.90	..	..	..	..	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य के लिए सहायता	ज.जा.उ.यो.	17,86.48	..	17,86.48	..	15,35.36	..	15,35.36	..
	कृषि विकास तथा उपकरण	ज.जा.उ.यो.	..	10,30.50	10,30.50	..	..	12,40.00	12,40.00	..
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनायें- जनजाति लड़कों तथा लड़कियों के लिए कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	..	10,00.00	10,00.00	..	..	..	..	..
	प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अनुसूचित जनजाति किसानों को सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	8,00.00	8,00.00	..	..	..	..	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	7,49.66	..	7,49.66	..	8,40.04	..	8,40.04	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चल रही योजना- सहरिया विकास की सी सी डी योजनाओं के तहत माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	..	7,04.20	7,04.20	..	..	8,02.36	8,02.36	..
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति निगम	ऋण माफी के लिए अनुदान	ज.जा.उ.यो.	6,29.00	..	6,29.00	..	..	..	..	..
	विशेष योजना (टी. डब्ल्यू.एफ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	5,46.38	..	5,46.38	..	5,49.80	..	5,49.80	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20		जारी की गई	
		उपयोजना /				कुल राशि,			कुल राशि,	
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित			सम्पत्तियाँ सृजित	
		उपयोजना /				करने			करने	
		सामान्य/वित्त आयोग /	योग			के लिये स्वीकृत			के लिये स्वीकृत	
		बाह्य सहायता				राशि			राशि	
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति			(स्वीकृति	
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योजना	
						रूपरेखा से)			रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (क्रमशः)										
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	4,39.00	4,39.00	..	..	5,25.00	5,25.00	..
	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत संचालित योजनायें-परियोजना निर्माण	ज.जा.उ.यो.	..	3,19.00	3,19.00	..	(-) 1.17	6,56.42	6,55.25	..
	पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	3,01.10	3,01.10	..	..	4,00.00	4,00.00	..
	कौशल विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	3,00.00	3,00.00	..	..	4,50.00	4,50.00	..
	स्व-रोजगार हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	2,50.00	2,50.00	..	..	..	..	..
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में बागवानी विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	2,22.00	2,22.00	..	..	2,50.00	2,50.00	..
	माडा के अंतर्गत कृषि विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	2,00.00	2,00.00	..	..	3,50.00	3,50.00	..
	जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत एकीकृत खेरवा विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	1,96.72	..	1,96.72	..	1,95.69	..	1,95.69	..
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु कृषि विकास परियोजनाएं	ज.जा.उ.यो.	..	1,90.00	1,90.00	..	..	3,60.00	3,60.00	..
अम्बेडकर पीठ	अनुदान	अ.जा.उ.यो.	1,42.06	..	1,42.06	..	78.00	..	78.00	..
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग	अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	सामान्य	1,32.00	..	1,32.00	..	1,40.00	..	1,40.00	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (क्रमशः)										
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु स्व-रोजगार हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	1,25.00	1,25.00	..	..	..	..	..
	माडा के अंतर्गत स्व-रोजगार हेतु सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	1,25.00	1,25.00	..	..	..	..	..
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	1,20.30	1,20.30	..	..	1,75.00	1,75.00	..
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित -प्रशासनिक खर्च, प्रशिक्षण, देख-रेख तथा एम.आई.एस.	ज.जा.उ.यो.	..	1,20.00	1,20.00	..	..	5,00.00	5,00.00	..
	विशेष योजना (टी.डब्ल्यू.एफ.) कार्यक्रम के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए महाविद्यालय स्तरीय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	1,00.33	..	1,00.33	..	44.22	..	44.22	..
	माडा के अंतर्गत कौशल विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	1,00.00	1,00.00	..	..	1,50.00	1,50.00	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत चल रही योजना- सहरिया विकास की सी सी डी योजनाओं के तहत सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी को मानदेय	ज.जा.उ.यो.	..	1,00.00	1,00.00	..	..	1,00.24	1,00.24	..
	जन जाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया विकास हेतु महाविद्यालय स्तरीय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	..	1,00.00	..	69.10	..	69.10	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20		जारी की गई	
		उपयोजना /				कुल राशि,			कुल राशि,	
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित			सम्पत्तियाँ सृजित	
		उपयोजना /				करने			करने	
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत			के लिये स्वीकृत	
		बाह्य सहायता				राशि			राशि	
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति			(स्वीकृति	
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योजना	
						रूपरेखा से)			रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (क्रमशः)										
	माडा के अंतर्गत पशुपालन परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	78.60	78.60	..	..	1,25.00	1,25.00	..
	माडा तथा सहरिया क्षेत्रों के अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु कोशल विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	..	65.00	65.00	..	..	1,90.00	1,90.00	..
	अल्पसंख्यक लड़कों के छात्रावासों का संचालन	सामान्य	45.51	..	45.51	..	1,36.33	..	1,36.33	..
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	36.00	36.00	..	..	1,25.00	1,25.00	..
	अनुप्रति योजना	सामान्य	0.92	..	0.92	..	25.03	..	25.03	..
		अ.जा.उ.यो.	11.20	..	11.20	..	61.40	..	61.40	..
		ज.जा.उ.यो.	20.65	..	20.65	..	1,06.70	..	1,06.70	..
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र विकास के लिए पी एम टी/ पी ई टी/ आई आई टी आदि की प्रवेश परीक्षा की कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	18.95	..	18.95	..	1,20.05	..	1,20.05	..
	संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत संचालित योजनाओं का निमार्ण - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन	ज.जा.उ.यो.	..	17.20	17.20	..	..	12,55.02	12,55.02	..
	अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु अनुदान	सामान्य	..	..	..	..	..	34,60.96	34,60.96	..
	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत संचालित योजनाओं - लघु वन उत्पाद संग्रहण	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	5,62.74	5,62.74	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना
						रूपरेखा से)				रूपरेखा से)
(₹ लाख में)										
सामाजिक न्याय- (समाप्त)										
	अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों का पौधारोपण के लिए सहायता	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	4,00.00	4,00.00	..
	विभागीय योजनाओं का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	2,00.00	2,00.00	..
राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारिता संघ लिमिटेड	न्यूनतम वन उत्पादन संग्रह के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	1,59.42	..	1,59.42	1,59.42
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए डेयरी विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	1,50.00	1,50.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	89.41	..	89.41	..	1,11.80	..	1,11.80	..
		अ.जा.उ.यो.	42.17	..	42.17	..	38.50	..	38.50	..
		ज.जा.उ.यो.	2,77.53	1,49.50	4,27.03	..	3,17.84	1,87.92	5,05.76	..
	योग-सामाजिक न्याय		95,47.17	2,14,35.90	3,09,83.07	..	72,17.90	1,28,42.16	2,00,60.06	1,59.42
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास										
भवन तथा अन्य निर्माण श्रम कल्याण श्रम कल्याण मण्डल, राजस्थान	श्रम कल्याण	सामान्य	4,12,81.86	..	4,12,81.86	..	3,82,58.67	..	3,82,58.67	..
राजस्थान कौशल तथा आजीविका मिशन	संकल्प योजना	सामान्य	3,76.37	9,51.16	13,27.53	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	90.92	2,11.09	3,02.01	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	47.11	1,09.35	1,56.46	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)			
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)				
(₹ लाख में)														
श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास –(समाप्त)														
राजस्थान कौशल तथा	प्रधानमंत्री कौशल विकास	सामान्य	..	8,24.00	8,24.00	..	..	..	..	..	..	..	..	
आजीविका मिशन	योजना	अ.जा.उ.यो.	..	2,14.00	2,14.00	..	..	..	..	..	..	..	..	
		ज.जा.उ.यो.	..	1,62.00	1,62.00	..	..	..	..	..	..	..	..	
राजस्थान आई.एल.डी.	प्रशिक्षण के लिए अनुदान	सामान्य	1,35.00	..	1,35.00	..	1,45.00	..	1,45.00	..	1,45.00	..	..	
कौशल विश्वविद्यालय														
राजस्थान आई.एल.डी.	शिल्पकार और पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण	सामान्य	..	..	..	..	60.00	1,40.00	2,00.00	1,49.00	2,00.00	1,49.00	1,49.00	
कौशल विश्वविद्यालय	के लिए मॉडल आई टी आई की स्थापना													
योग-श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			4,19,31.26	24,71.60	4,44,02.86	..	3,84,63.67	1,40.00	3,86,03.67	1,49.00	3,86,03.67	1,49.00	1,49.00	
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण														
	मुख्यमंत्री सहायता कोष से सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना आदि के लिए सहायता	सामान्य	80,00.00	..	80,00.00	..	55,00.00	..	55,00.00	..	55,00.00	..	..	
	एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	सामान्य	19,99.00	40,01.00	60,00.00	..	22,00.00	35,20.00	57,20.00	..	57,20.00	..	..	
	राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रभावितों तथा उनके आश्रितों को क्षतिपूर्ति	सामान्य	22,40.81	..	22,40.81	..	32,36.60	..	32,36.60	..	32,36.60	..	..	
	मानसिक विमंदित पुर्नवास गृहों का संचालन	सामान्य	11,69.26	..	11,69.26	..	7,32.51	..	7,32.51	..	7,32.51	..	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण –(समाप्त)										
	विशेष योग्यजनों के लिए स्वरोगजगार योजना	सामान्य	4,70.43	..	4,70.43	..	..	..	..	..
राज्य मानवाधिकार आयोग	समाज कल्याण	सामान्य	4,25.15	..	4,25.15	..	5,44.00	..	5,44.00	..
राज्य सूचना आयोग	समाज कल्याण	सामान्य	3,48.00	..	3,48.00	..	3,00.00	..	3,00.00	..
राज्य महिला आयोग	महिला कल्याण के लिए अनुदान	सामान्य	2,30.00	..	2,30.00	..	2,30.00	..	2,30.00	..
	कारगिल पैकेज के अन्तर्गत शहीदों को सहायता	सामान्य	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..
	दंगा प्रभावित लोगों को सहायता	सामान्य	1,91.26	..	1,91.26	..	..	..	..	..
	चिकित्सा सुविधा योजना के तहत राज्य पेंशनरों को अनुदान	सामान्य	1,11.95	..	1,11.95	..	1,05.67	..	1,05.67	..
	स्वाधार गृह संचालन योजना	सामान्य	26.74	74.73	1,01.47	..	30.97	46.45	77.42	..
	निदेशक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से कल्याण विस्तार योजना	सामान्य	65.00	..	65.00	..	1,10.00	..	1,10.00	..
	बाल गृह क्रेच का संचालन	सामान्य	..	8.00	8.00	..	67.55	1,02.57	1,70.12	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	21.46	32.11	53.57	..
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	15.83	23.90	39.73	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,32.91	35.43	1,68.34	..	1,38.16	0.44	1,38.60	..
योग-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			1,56,10.51	41,19.16	1,97,29.67	..	1,34,32.75	37,25.47	1,71,58.22	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाढ़ सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
(₹ लाख में)										
एकीकृत बाल विकास सेवाएं										
	प्रधान मंत्री मातृत्व वंदन योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	सामान्य	54,40.00	..	54,40.00	..	43,51.14	..	43,51.14	..
		अ.जा.उ.यो.	12,60.00	..	12,60.00	..	6,00.00	..	6,00.00	..
		ज.जा.उ.यो.	13,00.00	..	13,00.00	..	4,66.50	..	4,66.50	..
	एकीकृत बाल विकास योजना	सामान्य	2,48.82	2,26.92	4,75.74	..	2,27.54	1,51.28	3,78.82	..
	योग-एकीकृत बाल विकास सेवाएं		82,48.82	2,26.92	84,75.74	..	56,45.18	1,51.28	57,96.46	..
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत										
	छोटे तथा मध्यम कृषकों को बाढ़ द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	(-) 2.20 (क)	2,16,41.83	2,16,39.63	..	7,32.48	3,65,19.12	3,72,51.60	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त कृषि आवक अनुदान	सामान्य	12,91.54	1,10,48.34	1,23,39.88	..	25,06.72	2,21,50.68	2,46,57.40	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	(-) 11.46 (क)	95,68.15	95,56.69	..	(-) 20,14.38	27,63.72	7,49.34	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त बाढ़ द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	..	78,41.95	78,41.95	..	5,94.15	1,54,15.66	1,60,09.81	..
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के लिए कृषि फसल, बागवानी फसल तथा वार्षिक लीज फसल हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	(-) 23.04 (a)	63,35.54	63,12.50	..	5,88.83	55,48.44	61,37.27	..

(क) ऋण राशि गत वर्षों की बकाया राशि के जमा कराने के कारण है।

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योजना	
						रूपरेखा से)			रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)										
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत- (क्रमशः)										
	छोटे तथा मध्यम कृषकों के अतिरिक्त ओलावृष्टि द्वारा फसल हानि हेतु कृषि आवक अनुदान	सामान्य	(-) 11.32 (क)	51,74.46	51,63.14	..	(-) 3,21.07	26,17.59	22,96.52	..
	कीट आक्रमण पर व्यय	सामान्य	1,12.91	21,62.13	22,75.04	..	..	1,21,46.85	1,21,46.85	..
	पशु शिविर/गौशाला	सामान्य	1,60.52	5,60.69	7,21.21	..	6,69.18	28,76.57	35,45.75	..
	शीतलहर द्वारा फसल के नुकसान के लिए लघु और सीमांत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान	सामान्य	1.57	4,31.93	4,33.50	..	16.72	50.06	66.78	..
	अग्नि सहायता	सामान्य	78.19	2,36.34	3,14.53	..	1,18.42	4,48.58	5,67.00	..
	शीतलहर द्वारा फसल के नुकसान के लिए लघु और सीमांत किसानों को छोड़कर कृषि इनपुट अनुदान	सामान्य	..	2,95.19	2,95.19	..	70.96	2,12.90	2,83.86	..
	शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान	सामान्य	40.00	1,20.00	1,60.00	..	1,25.88	4,24.89	5,50.77	..
	अत्यधिक क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए सहायता	सामान्य	24.26	72.92	97.18	..	85.53	2,89.21	3,74.74	..
	बाढ़ से आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सहायता	सामान्य	14.10	44.84	58.94	..	1,30.66	4,52.22	5,82.88	..
	बाढ़ से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुये कच्चे घरों के लिए सहायता	सामान्य	7.21	21.64	28.85	..	1,53.52	8,92.64	10,46.16	..

(क) ऋण राशि गत वर्षों की बकाया राशि के जमा कराने के कारण है।

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग				
		(₹ लाख में)									
प्राकृतिक आपदाओं पर राहत- (समाप्त)											
	कपड़े तथा बर्तन के लिए मुआवजा राहत	सामान्य	0.49	1.43	1.92	..	21.50	93.60	1,15.10	..	
	पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए पक्के घर के लिए सहायता	सामान्य	3.04	8.18	11.22	..	3,43.56	10,06.56	13,50.12	..	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	48.05	57.75	1,05.80	..	(-) 51.69	1,76.66	1,24.97	..	
	योग-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत		17,33.86	6,56,23.31	6,73,57.17	..	37,70.97	10,40,85.95	10,78,56.92	..	
अन्य सामाजिक सेवाएं											
	वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना	सामान्य	6,28.87	..	6,28.87	..	9,59.17	..	9,59.17	..	
		अ.जा.उ.यो.	17.81	..	17.81	..	62.81	..	62.81	..	
		ज.जा.उ.यो.	9.88	..	9.88	..	2,41.98	..	2,41.98	..	
जनजातिय क्षेत्र के मंदिर	न्यासों द्वारा संचालित मंदिरों के पुनरुद्धार हेतु सहायता	सामान्य	2,38.24	..	2,38.24	2,38.24	80.00	..	80.00	80.00	
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	60.12	..	60.12	..	96.33	..	96.33	..	
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	8.00	..	8.00	..	
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	1.00	..	1.00	..	
	योग-अन्य सामाजिक सेवाएं		9,54.92	..	9,54.92	2,38.24	14,49.29	..	14,49.29	80.00	
फसल कृषि-कर्म											
	फसल बीमा	सामान्य	14,64,54.81	..	14,64,54.81	..	7,24,46.62	..	7,24,46.62	..	
		अ.जा.उ.यो.	4,68,11.85	..	4,68,11.85	..	1,75,97.43	..	1,75,97.43	..	
		ज.जा.उ.यो.	4,05,16.10	..	4,05,16.10	..	1,34,50.51	..	1,34,50.51	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /	2020-21			के लिये स्वीकृत	2019-20			के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योजना	
						रूपरेखा से)			रूपरेखा से)	
(₹ लाख में)										
फसल कृषि-कर्म- (क्रमशः)										
कृषि विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य	74,39.31	27,47.14	1,01,86.45	..	18,37.78	27,56.66	45,94.44	..
		अ.जा.उ.यो.	3,53.68	5,30.53	8,84.21	..	5,23.60	7,85.39	13,08.99	..
		ज.जा.उ.यो.	3,65.58	5,48.36	9,13.94	..	1,25.40	1,88.10	3,13.50	..
कृषि विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग के माध्यम से	सामान्य	30,03.83	45,05.75	75,09.58	..	8,80.04	13,20.05	22,00.09	..
		अ.जा.उ.यो.	7,36.68	11,05.02	18,41.70	..	2,31.33	3,46.99	5,78.32	..
		ज.जा.उ.यो.	8,14.34	12,21.77	20,36.11	..	1,31.85	1,97.77	3,29.62	..
	जल प्रबन्धन	सामान्य	64,09.40	..	64,09.40	..	30,60.60	..	30,60.60	..
	राजस्थान कुषि	सामान्य	25,78.32	..	25,78.32	3,65.90	59,85.78	..	59,85.78	1,14.55
	प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	अ.जा.उ.यो.	4,48.51	..	4,48.51	75.73	5,94.63	..	5,94.63	17.37
		ज.जा.उ.यो.	5,97.94	..	5,97.94	1,13.12	8,90.09	..	8,90.09	8.45
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन	सामान्य	6,36.55	9,54.82	15,91.37	..	6,13.17	9,62.40	15,75.57	..
		अ.जा.उ.यो.	1,44.53	2,16.80	3,61.33	..	28.21	42.32	70.53	..
		ज.जा.उ.यो.	1,35.80	2,03.70	3,39.50	..	79.30	1,18.95	1,98.25	..
	बूँद-बूँद सिंचाई राज्य योजना	सामान्य	10,85.71	..	10,85.71	..	13,28.42	..	13,28.42	..
		अ.जा.उ.यो.	2,10.77	..	2,10.77	..	1,94.09	..	1,94.09	..
		ज.जा.उ.यो.	2,30.68	..	2,30.68	..	2,04.86	..	2,04.86	..
उद्यान विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उद्यान विभाग के माध्यम से	सामान्य	3,99.12	5,98.69	9,97.81	..	7,75.21	11,63.37	19,38.58	..
		अ.जा.उ.यो.	70.97	1,06.45	1,77.42	..	1,02.95	1,54.43	2,57.38	..
		ज.जा.उ.यो.	42.65	63.97	1,06.62	..	63.55	95.43	1,58.98	..
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन- कृषि अभियांत्रिकी	सामान्य	3,20.00	4,80.00	8,00.00	..	..	..	..	..
	राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन-बीज तथा बीजारोपण सामग्री	सामान्य	5,75.77	..	5,75.77	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	23.87	..	23.87	..
		ज.जा.उ.यो.	0.38	..	0.38	..	69.43	1,66.66	2,36.09	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
			(₹ लाख में)								
फसल कृषि-कर्म- (क्रमशः)											
पशु पालन विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	65.77	98.66	1,64.43	..	2,38.20	3,57.76	5,95.96	..	
		अ.जा.उ.यो.	22.96	34.43	57.39	..	35.87	53.37	89.24	..	
		ज.जा.उ.यो.	38.49	57.74	96.23	..	73.06	1,09.59	1,82.65	..	
गोपालन विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	73.24	1,09.85	1,83.09	..	24.80	37.21	62.01	..	
		अ.जा.उ.यो.	1.87	2.80	4.67	..	..	..	..	..	
	शून्य लागत आधारित कृषि	सामान्य	1,09.47	..	1,09.47	..	0.62	..	0.62	..	
		अ.जा.उ.यो.	29.13	..	29.13	..	0.32	..	0.32	..	
		ज.जा.उ.यो.	26.01	..	26.01	..	0.02	..	0.02	..	
	नवाचार कार्यक्रम/मिनीकिट वितरण	सामान्य	74.10	..	74.10	..	96.77	..	96.77	..	
		अ.जा.उ.यो.	39.88	..	39.88	..	61.34	..	61.34	..	
		ज.जा.उ.यो.	43.81	..	43.81	..	52.11	..	52.11	..	
	मस्त्य विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सामान्य	30.35	45.52	75.87	..	62.18	93.27	1,55.45	..
			अ.जा.उ.यो.	3.79	5.69	9.48	..	8.00	11.99	19.99	..
			ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	33.23	49.86	83.09	..
महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	ज.जा.उ.यो.	32.00	48.00	80.00	..	50.40	75.60	1,26.00	..	
		सामान्य	15.20	22.80	38.00	..	79.96	1,19.93	1,99.89	..	
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	3.99	6.00	9.99	..	
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन	ज.जा.उ.यो.	0.80	1.20	2.00	..	0.80	1.20	2.00	..	
		सामान्य	..	..	..	..	7,00.00	10,50.00	17,50.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	4,00.00	6,00.00	10,00.00	..	
डेयरी विभाग	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	1,26.67	1,90.00	3,16.67	..	
		सामान्य	..	..	..	..	1,67.00	2,50.00	4,17.00	..	
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	60.00	90.00	1,50.00	..	
राजफेड	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	
राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, बीकानेर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
फसल कृषि-कर्म- (समाप्त)										
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	47.50	56.25	1,03.75	..	35.01	44.59	79.60	..
		अ.जा.उ.यो.	0.70	1.05	1.75	..	5.80	5.59	11.39	..
		ज.जा.उ.यो.	1.90	2.85	4.75	..	2.81	4.20	7.01	..
		योग-फसल कृषि कर्म	26,10,40.25	1,37,69.84	27,48,10.09	5,54.75	12,35,57.68	1,14,48.68	13,50,06.36	1,40.37
पशुपालन										
गौशाला	पशु तथा भैंस विकास	सामान्य	2,36,07.01	..	2,36,07.01	8,26.81	2,73,85.67	..	2,73,85.67	2,25.00
		अ.जा.उ.यो.	1,64,98.01	..	1,64,98.01	..	1,07,19.37	..	1,07,19.37	..
		ज.जा.उ.यो.	1,72,70.19	..	1,72,70.19	..	83,64.98	..	83,64.98	..
स्वयं सहायता समूह	पशु प्रजनन सुधार योजना	सामान्य	11,07.33	..	11,07.33	..	9,98.48	..	9,98.48	..
		ज.जा.उ.यो.	4,40.95	..	4,40.95	..	4,69.34	..	4,69.34	..
	कुक्कुट विकास	सामान्य	40.00	60.00	1,00.00	..	18.11	27.17	45.28	..
	गौ संरक्षण एवं विकास	सामान्य	..	..	..	..	10,63.43	..	10,63.43	..
	पशु बीमा	सामान्य	..	..	..	..	1,90.87	2,00.87	3,91.74	..
पशु पालन विभाग	पशुधन तथा पशुपालक बीमा के लिए सहायता	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	81.75	81.75	1,63.50	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	1,42.18	4.25	1,46.43	..	1,02.96	5.04	1,08.00	..
		योग-पशुपालन	5,91,05.67	64.25	5,91,69.92	8,26.81	4,93,94.96	3,14.83	4,97,09.79	2,25.00

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		
(₹ लाख में)										
मछली पालन	नील कांति: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन	सामान्य	18.25	1,01.02	1,19.27	..	11.27	86.63	97.90	..
		अ.जा.उ.यो.	3.90	5.86	9.76	..	4.00	6.01	10.01	..
		ज.जा.उ.यो.	3.49	5.24	8.73	..	2.02	3.02	5.04	..
	एक करोड़ से कम योजनाएं	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	6.00	6.00	12.00	..
		योग-मछली पालन		25.64	1,12.12	1,37.76	..	23.29	1,01.66	1,24.95
वन	वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	सामान्य	1,14,80.87	..	1,14,80.87	..	44,07.37	..	44,07.37	..
		अ.जा.उ.यो.	21,99.62	..	21,99.62	..	15,65.41	..	15,65.41	..
		ज.जा.उ.यो.	22,64.85	..	22,64.85	..	14,76.46	..	14,76.46	..
	प्रतिकात्मक वनारोपण	सामान्य	23,39.14	..	23,39.14	..	3,70.48	..	3,70.48	..
	राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना फेज-II के लिए प्राप्त बाह्य सहायता	ई.ए.पी. (सामान्य)	5,48.41	..	5,48.41	7.69	6,64.66	..	6,64.66	10.66
		ई.ए.पी. (अ.जा.उ.यो.)	3,33.95	..	3,33.95	1,41.00	3,99.00	..	3,99.00	2,67.00
		ई.ए.पी. (ज.जा.उ.यो.)	3,22.33	..	3,22.33	..	1,34.00	..	1,34.00	..
	बाघ परियोजना, रणथम्भौर	सामान्य	5,00.00	..	5,00.00	..	..	..	..	..
	एकीकृत वन्य जीवन प्रबंधन योजना	सामान्य	3,53.64	..	3,53.64	..	1,88.91	..	1,88.91	..
	ईको पर्यटन का विकास	सामान्य	1,80.61	..	1,80.61	..	22.27	..	22.27	..
	राज्य वानिकी विकास प्राधिकरण	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	सामान्य	..	..	..	44.27	1,34.72	1,78.99	1,78.99
			अ.जा.उ.यो.	..	..	..	11.55	35.15	46.70	46.70
			ज.जा.उ.यो.	..	..	..	8.34	25.38	33.72	33.72
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	1,16.20	..	1,16.20	..	40.98	..	40.98	..
		योग-वन		2,06,39.62	..	2,06,39.62	1,48.69	93,33.70	1,95.25	95,28.95

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)		जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)			
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग
			(₹ लाख में)											
अन्य कृषि कार्यक्रम														
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	विकास योजना के लिए सहायता	सामान्य	40,00.00	..	40,00.00	..	..	..	..	..	..	..	..	
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	कृषक कल्याण निधि (के-3)	सामान्य	..	..	..	..	22,00.00	..	22,00.00	..	22,00.00	..	..	
योग - अन्य कृषि कार्यक्रम			40,00.00	..	40,00.00	..	22,00.00	..	22,00.00	..	22,00.00	..	..	
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम														
इंदिरा गांधी पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास संस्था	प्रशिक्षण	सामान्य	1,33.00	..	1,33.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	..	
योग- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			1,33.00	..	1,33.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	..	
मुख्य सिंचाई														
राजस्थान नदी घाटी तथा जल संसाधन योजना प्राधिकरण	मुख्य सिंचाई	सामान्य	2,88.00	..	2,88.00	..	3,10.00	..	3,10.00	..	3,10.00	..	..	
योग-मुख्य सिंचाई			2,88.00	..	2,88.00	..	3,10.00	..	3,10.00	..	3,10.00	..	..	

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /	सामान्य/वित्त आयोग /				करने			
		बाह्य सहायता				के लिये स्वीकृत				के लिये स्वीकृत
		प्राप्त परियोजना *				राशि				राशि
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		(स्वीकृति				(स्वीकृति
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	आदेश/
						योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		योजना
						रुपरेखा से)				रुपरेखा से)
(₹ लाख में)										
मध्यम सिंचाई										
सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र	प्रशिक्षण	सामान्य	3,66.00	..	3,66.00	1.00	1,78.50	..	1,78.50	1.00
		अ.जा.उ.यो.	99.45	..	99.45	..	58.00	..	58.00	..
सिंचाई प्रबंध प्रशिक्षण केन्द्र, बीकानेर	प्रशिक्षण	सामान्य	81.00	..	81.00	..	35.00	..	35.00	..
		अ.जा.उ.यो.	1,18.50	..	1,18.50	..	75.00	..	75.00	..
योग-मध्यम सिंचाई			6,64.95	..	6,64.95	1.00	3,46.50	..	3,46.50	1.00
ग्राम एवं लघु उद्योग										
राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	खादी ग्रामोद्योग के लिए अनुदान	सामान्य	26,38.50	..	26,38.50	..	41,84.84	..	41,84.84	..
		अ.जा.उ.यो.	75.00	..	75.00	..	2,73.29	..	2,73.29	..
		ज.जा.उ.यो.	88.00	..	88.00	..	1,33.41	..	1,33.41	..
मुख्य मंत्री लघु स्तर उद्योग प्रोत्साहन योजना		सामान्य	2,92.07	..	2,92.07	..	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2.23	..	2.23	..	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1.24	..	1.24	..	..	..	..	..
भामाशाह रोजगार सृजन योजना		सामान्य	2,25.33	..	2,25.33	..	2,34.19	..	2,34.19	..
		अ.जा.उ.यो.	25.14	..	25.14	..	32.58	..	32.58	..
		ज.जा.उ.यो.	16.07	..	16.07	..	9.16	..	9.16	..
एम.एस.एम.ई. पॉलिसी 2015		सामान्य	99.36	..	99.36	99.00	1,20.02	..	1,20.02	..
एक करोड़ से कम योजनाएं		सामान्य	3.00	..	3.00	..	9.81	..	9.81	..
		अ.जा.उ.यो.	0.15	..	0.15	..	6.37	..	6.37	..
योग-ग्राम एवं लघु उद्योग			34,66.09	..	34,66.09	99.00	50,03.67	..	50,03.67	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति	2020-21			जारी की गई	2019-20			जारी की गई
		उपयोजना /				कुल राशि,				कुल राशि,
		अनुसूचित जाति				सम्पत्तियाँ सृजित				सम्पत्तियाँ सृजित
		उपयोजना /				करने				करने
		सामान्य/वित्त आयोग /	2020-21			के लिये स्वीकृत	2019-20			के लिये स्वीकृत
		बाह्य सहायता				राशि				राशि
		प्राप्त परियोजना *				(स्वीकृति				(स्वीकृति
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता		आदेश/	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	आदेश/	
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	योजना	व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योजना	रुपरेखा से)
						रुपरेखा से)				
(₹ लाख में)										
उद्योग										
	एकीकृत प्रक्रिया विभाग योजना	सामान्य	8,00.00	..	8,00.00	..	1,00.00	..	1,00.00	..
		अ.जा.उ.यो.	2,50.00	..	2,50.00	..	85.00	..	85.00	..
		ज.जा.उ.यो.	1,50.00	..	1,50.00	..	65.00	..	65.00	..
निवेश संवर्द्धन ब्यूरो	उद्योग उत्पादकता	सामान्य	9,40.00	..	9,40.00	..	11,56.96	..	11,56.96	..
ग्रामीण गैर-कृषि विकास अभिकरण	उद्योग उत्पादकता	सामान्य	94.00	..	94.00	..	85.00	..	85.00	..
		अ.जा.उ.यो.	15.00	..	15.00	..	15.00	..	15.00	..
		ज.जा.उ.यो.	11.00	..	11.00	..	11.00	..	11.00	..
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	..	..	..	..	26.09	..	26.09	26.09
	योग-उद्योग		22,60.00	..	22,60.00	..	15,44.05	..	15,44.05	26.09
सड़क परिवहन										
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	सामान्य	2,51,35.63	..	2,51,35.63	..	76,81.60	..	76,81.60	..
	योग-सड़क परिवहन		2,51,35.63	..	2,51,35.63	..	76,81.60	..	76,81.60	..
अन्य परिवहन सेवाएं										
राजस्थान राज्य क्षेत्र परिवहन निगम	क्षेत्रीय रैपिड ट्राजिस्ट सिस्टम, दिल्ली, गुडगांव, रेवाड़ी, अलवर कोरिडोर	सामान्य	2,00.00	..	2,00.00	2,00.00	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,50.00	..	1,50.00	1,50.00	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,50.00	..	1,50.00	1,50.00	..	..	..	..
	योग- अन्य परिवहन सेवाएं		5,00.00	..	5,00.00	5,00.00	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या III – (क्रमशः)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)	2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रूपरेखा से)
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (के.प्र.यो./के.यो. सहित)	योग	
		(₹ लाख में)								
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	64.89	..	64.89	..	52.74	..	52.74	..
		अ.जा.उ.यो.	3.00	..	3.00	..	12.80	..	12.80	..
		ज.जा.उ.यो.	4.00	..	4.00	..	7.70	..	7.70	..
	योग-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान		71.89	..	71.89	..	73.24	..	73.24	..
परिस्थितिकी तथा पर्यावरण										
राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड	पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय के लिए अनुदान	सामान्य	61.00	..	61.00	..	1,30.98	..	1,30.98	..
	योग-परिस्थितिकी तथा पर्यावरण		61.00	..	61.00	..	1,30.98	..	1,30.98	..
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं										
	एक करोड़ से कम अन्य योजनाएं	सामान्य	58.75	..	58.75	..	58.75	..	58.75	..
	योग-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		58.75	..	58.75	..	58.75	..	58.75	..
पर्यटन										
	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	1,14.00	..	1,14.00	..	95.03	..	95.03	..
	योग-पर्यटन		1,14.00	..	1,14.00	..	95.03	..	95.03	..

परिशिष्ट संख्या III –(समाप्त)

प्राप्तकर्ता	योजना	जनजाति उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना / सामान्य/वित्त आयोग / बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना *	2020-21			2019-20			जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रुपरेखा से)	जारी की गई कुल राशि, सम्पत्तियाँ सृजित करने के लिये स्वीकृत राशि (स्वीकृति आदेश/ योजना रुपरेखा से)
			राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग		
			व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)		व्यय	(के.प्र.यो./के.यो. सहित)			
(₹ लाख में)										
देवस्थान	एक करोड़ से कम योजनाएं	सामान्य	4.03	..	4.03 *	..	5.13	..	5.13	..
		योग-देवस्थान	4.03	..	4.03	..	5.13	..	5.13	..
	कुल योग	2,93,86,62.47	1,03,58,05.44	3,97,44,67.91	9,89,72.05	2,71,50,85.74	1,38,73,95.86	4,10,24,81.60	51,97,62.75	

* पंचायती राज संस्थाओं को सहायतार्थ अनुदान के अलावा जारी निधियां, जिसे विवरण संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन के अन्तर्गत अलग से दिखाया गया है।

परिशिष्ट संख्या IV – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के व्यौरे*

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय [#]		
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग					
(₹ लाख में)															
विश्व बैंक	जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (परियोजना पूर्ण)	..	5,73,00.00	5,73,00.00	..	..	..	1,36,52.81	3,18,56.57	4,55,09.38	5,28.42	2,81,03.39	..	6,53,63.47	
विश्व बैंक	राजस्थान उर्जा क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना (परियोजना पूर्ण)	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	1,17.60	1,17.60	7.84	62.72	..	..	
विश्व बैंक	राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना योजना	..	9,70,00.00	9,70,00.00	..	..	..	1,73,28.65	4,07,26.34	5,80,54.99	11,10.88	3,02,79.04	..	8,34,25.06	
विश्व बैंक	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	..	4,72,58.00	4,72,58.00	..	..	..	1,08,29.72	2,52,69.36	3,60,99.08	11,72.73	1,49,54.96	..	4,55,66.37	
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	ग्रामीण जल पूर्ति योजना फेज-I	..	4,29,65.00	4,29,65.00	..	..	..	97,20.57	2,21,89.53	3,19,10.10	7.80	2,21,87.09	..	3,97,10.29	
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान वानिकी तथा बायोडायवर्सिटी परियोजना फेज-II	..	4,42,14.00	4,42,14.00	..	..	..	43,30.80	1,00,45.20	1,43,76.00	3,71.41	71,99.68	12,04.68	8,86,37.78	
जे.आई.सी.ए.	बीसलपुर जयपुर जलपूर्ति योजना	..	4,63,00.00	4,63,00.00	..	..	..	1,09,38.61	2,55,23.37	3,64,61.98	13,66.43	1,43,84.34	..	4,84,14.40	
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान लघु सिंचाई विकास योजना	..	6,12,29.00	6,12,29.00	..	..	..	91,24.78	2,12,90.90	3,04,15.68	10,71.68	51,23.91	..	1,89,79.78	
एशियन विकास बैंक	राजस्थान शहरी आधारभूत योजना फेज-I	..	17,75,00.00	17,75,00.00	..	..	..	3,25,83.66	8,05,66.48	11,31,50.14	16,75.70	6,13,15.65	(-) 1,00.05	20,03,34.90	
के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी	आवासीय विद्यालय वंचित समूह योजना	..	83,28.00	83,28.00	..	..	..	20,35.20	47,48.80	67,84.00	52.66	43,30.01	..	80,39.18	
विश्व बैंक	लोक वित्त प्रबंधन तथा प्रोक्थोरमेंट इन राजस्थान (बैंक टू बैंक)	..	1,41,46.00	1,41,46.00	..	5,31.27	5,31.27	1,51.21	30,04.67	31,55.88	..	..	9,47.85	50,51.37	
ई.सी.	क्षेत्रीय नीति सहयोग कार्यक्रम राज्य सहभागिता (बैंक टू बैंक)	..	4,50,00.00	4,50,00.00	..	..	..	4,18,83.32	..	4,18,83.32	..	..	3,73.89	2,71,69.79	

* राज्य सरकार से प्राप्त सूचना पर आधारित।

व्यय लेखों पर आधारित हैं तथा इसमें राज्यांश भी सम्मिलित हैं।

उ. न. इस परिशिष्ट में "सूचना उपलब्ध नहीं है" के लिए उपयोग किया गया है।

परिशिष्ट संख्या IV – (क्रमशः)

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय		
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग					
(₹ लाख में)															
विश्व बैंक	पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन (बैंक टू बैंक)	..	2,91,00.00	2,91,00.00	..	..	..	2,97.98	1,58,76.52	1,61,74.50	6,20.66	15,11.37	..	1,59,97.23	
विश्व बैंक	राजस्थान ग्रामीण पशुधन परियोजना	..	7,69,90.00	7,69,90.00	..	..	..	..	6,91,16.39	6,91,16.39	..	1,50,95.58	..	6,47,60.00	
आई. डी. ए.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	..	5,45,00.00	5,45,00.00	..	82,01.85	82,01.85	..	3,99,35.77	3,99,35.77	13,79.69	1,31,13.19	79,96.69	5,62,56.09	
ए.एफ.डी.	जोधपुर शहरी जलपूर्ति योजना का पुर्नगठन	..	3,50,61.00	3,50,61.00	..	..	..	..	3,81,37.87	3,81,37.87	28,34.91	94,55.94	42,48.81	5,21,87.81	
ए.डी.बी.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश परियोजना ट्रांच-I,II एवं III	..	17,62,00.00	17,62,00.00	..	..	..	..	11,26,70.04	11,26,70.04	50,98.74	2,50,57.77	2,98,27.61	24,16,34.40	
जे.आई.सी.ए.	नागौर लिफ्ट केनाल पेय जलपूर्ति परियोजना फेज -II	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	90,83.99	90,83.99	..	..	2,13,63.38	17,14,20.46	
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	35,29.32	35,29.32	1,11.56	11,35.64	..	..	
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान वानिकी विकास योजना	..	8,84,80.00	8,84,80.00	..	13,99.67	13,99.67	..	8,70,59.16	8,70,59.16	..	..	..	1,09,91.08	
ए.डी.बी.	जयपुर मेट्रो रेल लाइन फेज-1 बी परियोजना	..	9,69,00.00	9,69,00.00	..	1,21,31.74	1,21,31.74	..	8,09,86.23	8,09,86.23	..	..	1,27,00.00	8,87,90.84	
विश्व बैंक	राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकीकरण परियोजना	..	9,60,00.00	9,60,00.00	..	..	..	..	7,75,09.82	7,75,09.82	28,72.82	1,25,49.17	6,12.29	9,22,33.56	
ए.डी.बी.	राजस्थान अक्षय ऊर्जा ट्रांसमिशन निवेश कार्यक्रम	..	9,00,00.00	9,00,00.00	..	..	..	..	8,09,78.59	8,09,78.59	18,41.37	45,27.30	..	8,05,53.33	
केएफडब्ल्यू जर्मनी	ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर इन्फ्रा ट्रांसमिशन सौर परियोजना	3,17,56.00	4,76,34.00	7,93,90.00	..	46,67.63	46,67.63	..	3,33,28.00	3,33,28.00	40,82.14	59,28.21	46,67.63	3,33,28.00	
विश्व बैंक	डिस्काम, राजस्थान को वित्तीय स्थिरता सुधार हेतु सहायता	उ. न.	उ. न.	उ. न.	..	..	..	..	34,40,49.72	34,40,49.72	..	..	..	17,61,95.91	

परिशिष्ट संख्या IV - (समाप्त)

सहायता अभिकरण	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						राशि चुकाई गई		व्यय		
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			वर्ष तक			वर्ष के दौरान	वर्ष तक	वर्ष के दौरान	वर्ष तक	
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग					
(₹ लाख में)															
ए.डी.बी.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास परियोजना	12,00.00	30,00,00.00	30,12,00.00	99.88	1,40,57.04	1,41,56.92	10,65.60	24,33,56.14	24,44,21.74	2,06,83.02	3,52,70.39	2,73,08.65	6,65,26.30	
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान ग्रामीण जलपूर्ति एवं फ्लोराइड उन्मूलन परियोजना, नागौर	..	22,12,00.00	22,12,00.00	..	2,06,01.52	2,06,01.52	..	18,13,85.93	18,13,85.93	..	..	..	..	
ए.डी.बी.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना- I	..	14,30,00.00	14,30,00.00	..	1,45,90.69	1,45,90.69	..	12,45,70.37	12,45,70.37	..	..	5,61,02.28	11,68,30.42	
ए.डी.बी.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना- II	..	..	..	..	4,64,92.29	4,64,92.29	..	5,25,64.74	5,25,64.74	..	..	3,95,54.47	5,56,94.37	
जे.आई.सी.ए.	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना	..	9,08,84.00	9,08,84.00	..	1,03,57.22	1,03,57.22	..	3,05,97.08	3,05,97.08	..	..	1,30,14.26	3,09,52.22	
एन.डी.बी.	राजस्थान मरु क्षेत्र जल पुर्नगठन कार्यक्रम	..	6,69,40.00	6,69,40.00	..	1,55,57.64	1,55,57.64	..	5,64,25.97	5,64,25.97	..	..	1,80,01.63	4,90,30.23	
विश्व बैंक	सिटी बस सर्विस परियोजना	उ. न.	उ. न.	उ. न.	2,33.86	..	2,33.86	6,16.21	..	6,16.21	..	..	1,28.23	1,68.84	
ए.डी.बी.	राजस्थान माध्यमिक टाउनशिप विकास सेक्टर परियोजना	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	51,74.69	51,74.69	..	51,74.69	51,74.69	..	..	..	..	
योग		3,29,56.00	2,25,41,29.00	2,28,70,85.00	3,33.74	15,37,63.25	15,40,96.99	15,45,59.12	1,95,16,75.16	2,10,62,34.28	4,68,90.46	31,15,85.35	23,79,52.30	2,03,42,43.48	

परिशिष्ट संख्या V- आयोजनागत योजना व्यय

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं) @

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21 [*]			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी [#]	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी [#]	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
कृषि गणना	राष्ट्रीय भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम	सामान्य	..	2,48.77	2,48.77	..	..	2,48.77	2,48.77	..	..	78.00	78.00
	कृषि गणना योजना	सामान्य	78.81	..	78.81	..	78.80	..	78.80	..	2,32.99	..	2,32.99
	पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण- राजस्थान पुलिस एकेडमी का आधुनिकीकरण	सामान्य	2,81.24	2,15.45	4,96.69	..	2,81.23	2,15.45	4,96.68	..	2,02.38	2,51.70	4,54.08
	पुलिस फोर्स का आधुनिकीकरण- फोरेंसिक लेब का आधुनिकीकरण	सामान्य	2,45.85	2,13.49	4,59.34	..	2,45.85	2,13.23	4,59.08	..	4,08.47	2,17.75	6,26.22
	पुलिस आधुनिकीकरण- सामान्य पुलिस	सामान्य	22,78.66	13,20.11	35,98.77	..	22,78.66	13,20.11	35,98.77	..	43,14.52	25,48.63	68,63.15
	पुलिस आधुनिकीकरण - पुलिस फोर्स में कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	47.07	2,64.96	3,12.03	..	47.07	2,64.96	3,12.03	..	..	..	..
	पुलिस आवास निर्माण कार्य	सामान्य	..	49,36.60	49,36.60	..	..	49,34.08	49,34.08	..	..	53,11.64	53,11.64
		ज.जा.उ.यो.	..	19,03.45	19,03.45	..	..	19,03.44	19,03.44	..	..	19,70.18	19,70.18
		अ.जा.उ.यो.	..	15,92.88	15,92.88	..	..	15,92.88	15,92.88	..	..	23,42.02	23,42.02
	नगर नागरिक सुरक्षा	सामान्य	7,99.77	51,39.99	59,39.76	..	7,99.77	51,40.00	59,39.77	..	21,11.32	46,41.31	67,52.63
मदरसा विद्यालय	सामान्य	..	64,80.00	64,80.00	..	..	64,80.00	64,80.00	..	..	62,81.11	62,81.11	
अनुसूचित जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	अ.जा.उ.यो.	32,89.02	42,35.60	75,24.62	38,27.00	31,97.41	41,64.81	73,62.22	..	24,65.51	41,75.67	66,41.18	
अनुसूचित जन जाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियां	ज.जा.उ.यो.	44,33.48	37,24.06	81,57.54	31,26.90	43,76.18	35,76.40	79,52.58	..	39,07.15	17,37.87	56,45.02	

@ ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक प्रावधान अथवा व्यय की योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

* अंतिम आवंटन पर आधारित।

भारत सरकार द्वारा योजनावार जारी राशियां केवल वही दर्शायी गई हैं जहां राज्य एवं केन्द्र योजना समान है। यद्यपि, वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 1,90,94,43.51 लाख जारी किये गये। इस खण्ड के विवरण संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 के अंतर्गत ब्यौरे दिये गये हैं।

इस परिशिष्ट में प्रयुक्त संक्षिप्त रूपों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है :-

1. ज.जा.उ.यो. — जनजाति उप-योजना

2. अ.जा.उ.यो. — अनुसूचित जाति उप-योजना

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोगिता/ अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	सामान्य	17,48.32	46,72.04	64,20.36	15,55.06	16,99.00	46,17.22	63,16.22	..	7,86.41	8,32.14	16,18.55
	लड़कों के लिए माध्यमिक विद्यालय	सामान्य	..	47,44,48.10	47,44,48.10	..	..	47,44,20.35	47,44,20.35	..	..	44,26,31.48	44,26,31.48
		ज.जा.उ.यो.	..	4,20,22.42	4,20,22.42	..	..	4,20,22.13	4,20,22.13	..	..	3,93,25.07	3,93,25.07
		अ.जा.उ.यो.	..	6,31,62.15	6,31,62.15	..	..	6,31,61.72	6,31,61.72	..	..	5,81,95.81	5,81,95.81
	लड़कियों के लिए माध्यमिक विद्यालय	सामान्य	..	6,07,43.60	6,07,43.60	..	..	6,07,36.96	6,07,36.96	..	..	5,75,43.56	5,75,43.56
		ज.जा.उ.यो.	..	32,27.16	32,27.16	..	..	32,27.17	32,27.17	..	..	30,83.02	30,83.02
अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय	शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन संस्थान	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	2,00.49	1,82.25	3,82.74
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	6.44	5.24	11.68
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	8.68	8.03	16.71
जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालय (डाईट)	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	13,82.50	29,97.90	43,80.40
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	2,64.96	4,29.37	6,94.33
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	3,60.36	8,08.40	11,68.76
	तकनीकी शिक्षा पॉलिटेक्निक भवन	सामान्य	2,66.52	..	2,66.52	..	2,66.52	..	2,66.52	..	..	8.83	8.83
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	50.86	50.86
		अ.जा.उ.यो.	1,09.42	..	1,09.42	..	1,09.42	..	1,09.42	..	..	..	..
	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	..	6,87.22	6,87.22	..	..	6,87.20	6,87.20	..	..	4,70.04	4,70.04
	शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत अस्पताल तथा औषधालय-सामान्य अस्पताल	सामान्य	..	86,54.75	86,54.75	..	..	86,54.46	86,54.46	..	..	70,31.99	70,31.99
		ज.जा.उ.यो.	..	11,81.37	11,81.37	..	..	11,81.35	11,81.35	..	..	10,03.49	10,03.49
		अ.जा.उ.यो.	..	8,33.02	8,33.02	..	..	8,33.02	8,33.02	..	..	4,69.45	4,69.45
	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेदिक अनुसंधान-आयुर्वेदिक फार्मसी	सामान्य	..	1,96.66	1,96.66	..	..	1,96.56	1,96.56	..	..	1,57.64	1,57.64
	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद-राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान	सामान्य	..	14,57.50	14,57.50	..	..	14,57.50	14,57.50	..	..	14,30.00	14,30.00
		ज.जा.उ.यो.	..	4,30.00	4,30.00	..	..	4,30.00	4,30.00	..	..	4,70.00	4,70.00
		अ.जा.उ.यो.	..	4,90.00	4,90.00	..	..	4,90.00	4,90.00	..	..	5,10.00	5,10.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोजना/अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	..	78.85	78.85	..	..	78.19	78.19	..	..	1,01.27	1,01.27
			..	33.26	33.26	..	..	33.25	33.25	..	..	34.00	34.00
	लोक स्वास्थ्य-औषधी नियंत्रण स्थापना	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,80.37	1,80.37
	शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-जिला अस्पताल भवन का निर्माण	सामान्य अ.जा.उ.यो.	..	8,31.06	8,31.06	..	..	8,31.18	8,31.18	..	..	8,61.55	8,61.55
			..	35,00.00	35,00.00	..	..	35,00.00	35,00.00	..	..	10,61.33	10,61.33
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में निर्माण कार्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	6,07.86	6,07.86	..	..	6,07.86	6,07.86	..	..	13,14.88	13,14.88
			..	5,16.62	5,16.62	..	..	5,16.62	5,16.62	..	..	14,76.33	14,76.33
			7.48	2,80.60	2,88.08	..	7.48	2,80.60	2,88.08	..	32.84	9,73.14	10,05.98
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण	परिवार कल्याण प्रशिक्षण-क्षेत्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	सामान्य	3,31.81	5.12	3,36.93	..	3,31.58	5.13	3,36.71	..	1,98.65	1,33.68	3,32.33
प्रशिक्षण केन्द्र	सहायक नर्स, मिडवाइफ, दाई तथा महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	सामान्य	21,81.44	1,13.37	22,94.81	..	21,79.68	1,19.41	22,99.09	..	12,71.14	8,68.74	21,39.88
परिवहन	परिवार कल्याण-ग्रामीण उप केन्द्रों की ब्लॉक स्तर स्थापना	सामान्य	6,52,62.58	9,75.42	6,62,38.00	..	6,52,71.63	9,84.20	6,62,55.83	..	3,51,55.82	2,70,82.28	6,22,38.10
शहरी परिवार कल्याण	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	सामान्य	31,46.74	27,68.41	59,15.15	..	31,46.03	27,67.84	59,13.87	..	16,50.41	25,50.62	42,01.03
	परिवार कल्याण-जिला परिवार कल्याण ब्यूरो	सामान्य	46,98.22	65,16.89	1,12,15.11	..	46,98.51	65,23.95	1,12,22.46	..	30,89.63	63,14.11	94,03.74

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोगिता/ अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत			भारत	व्यय			भारत	व्यय		
			सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	12,01,53.33 2,10,78.80 3,05,99.21	4,73,70.26 1,37,34.58 1,82,77.58	16,75,23.59 3,48,13.38 4,88,76.79	13,55,09.80 2,13,39.12 4,21,92.41	12,01,53.33 2,10,78.80 3,05,99.21	4,73,70.26 1,37,34.58 1,82,77.58	16,75,23.59 3,48,13.38 4,88,76.79		8,10,86.95 1,59,39.69 2,45,13.39	8,11,10.84 1,78,17.44 2,24,48.50	16,21,97.79 3,37,57.13 4,69,61.89
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सामान्य	21,24.65	4,34,41.76	4,55,66.41	..	21,20.73	4,33,37.47	4,54,58.20	..	23,66.89	3,87,65.62	4,11,32.51
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	बीसलपुर दूध जलपूर्ति योजना (नाबार्ड) (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									4,07.60 44.34 1,07.80	2,61.78 57.44 79.54	6,69.38 1,01.78 1,87.34
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	ग्रामीण जलपूर्ति योजना- नर्बदा जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		80.65 14.74 20.85	80.65 14.74 20.85			80.65 14.74 20.85	80.65 14.74 20.85		2.03		2.03
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	पोकरण फलसूंड जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		16,88.58 2,78.14 4,10.88	16,88.58 2,78.14 4,10.88			16,88.58 2,78.14 4,10.88	16,88.58 2,78.14 4,10.88		13,26.37 5,48.48 7,47.19	25,90.93 5,33.85 4,36.22	39,17.30 10,82.33 11,83.41
	डींग जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									10,10.12 1,85.42 2,56.25	7,37.87 1,46.22 2,02.43	17,47.99 3,31.64 4,58.68
	आवास- न्यायिक आवास	सामान्य ज.जा.उ.यो.	7,52.72 1,66.85	6,35.18 1,08.67	13,87.90 2,75.52		7,33.74 1,66.86	6,54.18 1,00.82	13,87.92 2,67.68		2,27.15 38.67	7,16.74 85.46	9,43.89 1,24.13
	शहरी विकास - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	सामान्य	..	1,50.55	1,50.55	..	..	1,50.53	1,50.53	..	..	1,61.83	1,61.83
	अन्तर्जातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन	अ.जा.उ.यो.	6,05.00	17,50.00	23,55.00	..	6,05.00	17,50.00	23,55.00	..	6,00.00	12,25.00	18,25.00
	नागरिक अधिकारों की रक्षा	ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	8,84.07 32,08.65	8,83.29 32,29.68	17,67.36 64,38.33	.. 47,70.06	8,84.07 32,08.65	8,83.29 32,29.68	17,67.36 64,38.33		5,43.77 21,40.00	5,46.39 20,87.28	10,90.16 42,27.28
अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जातियों का कल्याण- अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	34,62.57	..	34,62.57

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत			भारत	व्यय			भारत	व्यय		
			सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कल्याण-लड़कियों के छात्रावास	अ.जा.उ.यो.	..	1,36.69	1,36.69	..	..	1,36.69	1,36.69	..	..	1,42.68	1,42.68
	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण-लड़कों के छात्रावास	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	10.01 2,86.50 9.75	10.01 2,86.50 3,89.12	..	..	10.00 2,86.50 9.74	10.00 2,86.50 3,89.11	..	..	.. 1,14.80 5,04.21	.. 1,14.80 5,31.77
	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कल्याण-महाविद्यालय स्तरीय लड़कों/लड़कियों के छात्रावास का निर्माण	अ.जा.उ.यो.	..	2,02.35	2,02.35	..	..	2,02.35	2,02.35	..	35.34	3,49.82	3,85.16
	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	21,89.55 55.50 1,76.69	21,89.55 55.50 1,76.69	..	..	21,89.58 55.50 1,76.70	21,89.58 55.50 1,76.70	..	..	15,03.40 35.60 1,14.20	15,03.40 35.60 1,14.20
	महिला कल्याण-महिला कल्याण कार्यक्रम	सामान्य	..	31.27	31.27	..	..	31.28	31.28	..	..	2,12.49	2,12.49
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,58,85.66 79,44.01 64,76.00	.. 79,44.01 ..	1,58,85.66 79,44.01 64,76.00	3,31,44.66	1,58,84.73 79,44.01 64,75.82	.. 79,44.01 ..	1,58,84.73 79,44.01 64,75.82	..	1,07,84.89 65,26.76 42,57.63	.. 65,26.76 ..	1,07,84.89 65,26.76 42,57.63
पूरक पोषण	पोषाहार क्रेष कार्यक्रम	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,24,30.11 62,50.62 1,80,10.45	1,24,30.11 62,50.62 1,80,47.66	2,48,60.22 1,25,01.24 3,60,58.11	..	1,24,30.11 62,49.96 1,80,22.64	1,24,30.10 62,49.96 1,80,22.64	2,48,60.21 1,24,99.92 3,60,45.28	..	72,76.24 42,88.36 1,66,67.08	72,76.25 42,88.35 1,66,67.09	1,45,52.49 85,76.71 3,33,34.17
	कृषि विकास-खाद तथा उर्वरक योजना	सामान्य	..	2,54.87	2,54.87	..	..	2,54.87	2,54.87	..	..	6,39.05	6,39.05
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	पौधों का संरक्षण-	सामान्य	..	4,52.31	4,52.31	..	..	4,52.30	4,52.30	..	..	4,98.08	4,98.08
	गैर एंटीमिक क्षेत्रों में कीड़ों	ज.जा.उ.यो.	..	2.17	2.17	..	..	2.17	2.17	..	..	4.73	4.73
	तथा रोग का उन्मूलन	अ.जा.उ.यो.	..	8.54	8.54	..	..	8.54	8.54	..	..	3.14	3.14

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोगा	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत			भारत	व्यय			भारत	व्यय		
			सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
फसल बीमा	कृषि-फसल बीमा योजना विकास	सामान्य	..	14,70,07.12	14,70,07.12	..	..	14,70,08.14	14,70,08.14	..	..	7,28,32.91	7,28,32.91
		ज.जा.उ.यो.	..	4,05,81.80	4,05,81.80	..	..	4,05,81.99	4,05,81.99	..	..	1,35,21.09	1,35,21.09
		अ.जा.उ.यो.	..	4,68,96.45	4,68,96.45	..	..	4,68,96.15	4,68,96.15	..	..	1,76,88.01	1,76,88.01
फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान के लिए समयबद्ध सूचना योजना	कृषि आर्थिक तथा सांख्यिकी- फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के अनुमान के लिए समयबद्ध सूचना योजना	सामान्य	2,08.68	..	2,08.68	..	..	..	..	..	3,28.67	..	3,28.67
		सामान्य	88.60	..	88.60	..	..	..	..	..	1,33.13	..	1,33.13
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सामान्य	24,79.31	16,52.87	41,32.18	25,70.00	24,78.41	16,52.27	41,30.68	..	27,89.81	18,59.88	46,49.69
		ज.जा.उ.यो.	5,00.08	3,33.39	8,33.47	2,60.00	4,99.89	3,33.27	8,33.16	..	4,97.76	3,31.84	8,29.60
		अ.जा.उ.यो.	4,63.24	3,08.83	7,72.07	1,70.00	4,63.24	3,08.83	7,72.07	..	4,87.38	3,24.92	8,12.30
सूक्ष्म सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- सूक्ष्म सिंचाई	सामान्य	75,54.96	50,36.63	1,25,91.59	..	75,54.54	50,36.36	1,25,90.90	..	48,09.61	32,06.41	80,16.02
		ज.जा.उ.यो.	9,05.78	6,03.86	15,09.64	..	9,05.78	6,03.85	15,09.63	..	8,16.39	5,44.26	13,60.65
		अ.जा.उ.यो.	7,01.93	4,67.95	11,69.88	..	7,01.93	4,67.96	11,69.89	..	6,19.17	4,12.78	10,31.95
	कौशल और आजीविका पर राजस्थान मिशन (आर एम ओ एल)	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6,86.87	6,86.87
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,34.80	1,34.80
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,78.30	1,78.30
	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	सामान्य	1,18,83.92	79,22.61	1,98,06.53	1,10,95.00	1,18,83.92	79,22.62	1,98,06.54	55,95.00	73,85.02	49,23.00	1,23,08.02
		ज.जा.उ.यो.	24,68.94	16,45.97	41,14.91	21,01.00	24,68.94	16,45.98	41,14.92	11,80.00	19,63.36	13,09.18	32,72.54
		अ.जा.उ.यो.	25,48.08	16,98.72	42,46.80	27,17.00	25,48.08	16,98.72	42,46.80	14,11.00	23,47.39	15,65.24	39,12.63
पशु बीमारी के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	पशु बीमारी नियंत्रण योजना (ए एस सी ए डी)	सामान्य	1,06.99	71.31	1,78.30	..	1,06.92	71.38	1,78.30	..	74.29	49.77	1,24.06
		ज.जा.उ.यो.	29.81	19.46	49.27	..	29.82	19.46	49.28	..	7.75	5.15	12.90
		अ.जा.उ.यो.	37.21	24.19	61.40	..	37.18	24.19	61.37	..	10.76	6.62	17.38
पशुधन उत्पाद के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण	पशुधन गणना	सामान्य	2,29.75	..	2,29.75	..	2,29.75	..	2,29.75	..	8,37.94	..	8,37.94

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
पशुधन उत्पाद के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण	पशुधन उत्पादन सर्वेक्षण योजना	सामान्य	1,90.34	1,70.69	3,61.03	..	1,90.35	1,70.66	3,61.01	..	1,87.46	1,61.44	3,48.90
	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	सामान्य	97.15	64.77	1,61.92	..	97.15	64.77	1,61.92	..	93.10	..	93.10
बाघ परियोजना	वन्य जीवन संरक्षण - बाघ परियोजना, रणथम्भौर	सामान्य	2,48.99	9,12.82	11,61.81	..	2,48.95	9,11.76	11,60.71	..	3,33.77	3,30.95	6,64.72
बाघ परियोजना	वन्य जीवन संरक्षण - बाघ परियोजना, सरिस्का	सामान्य	6,00.15	5,91.84	11,91.99	..	5,95.50	5,89.70	11,85.20	..	3,60.51	2,99.28	6,59.79
अन्य अभ्यारण्य का रख-रखाव	वन्य जीवन संरक्षण - वन क्षेत्र का रख-रखाव	सामान्य	5,82.18	6,27.27	12,09.45	..	5,86.70	6,28.84	12,15.54	..	5,06.08	5,04.24	10,10.32
राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास	वन्य जीवन संरक्षण - राष्ट्रीय मरु उद्यान का विकास	सामान्य	31.50	52.32	83.82	..	31.50	52.33	83.83	..	39.61	62.80	1,02.41
	चिड़ियाघर का सुधार	सामान्य	..	1,44.91	1,44.91	..	..	1,42.01	1,42.01	..	..	1,20.20	1,20.20
एकीकृत सहकारिता विकास	सहयोग-समग्र सहकारिता विकास परियोजना	सामान्य	21.42	..	21.42	..	21.42	..	21.42	..	6,77.22	88.05	7,65.27
	सहयोग - स्पिन फेड को सहायता	सामान्य	..	2,83.98	2,83.98	..	..	2,83.98	2,83.98	..	..	3,32.97	3,32.97
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	सामान्य	9,34,31.30	2,74,25.58	12,08,56.88	8,25,16.46	9,34,31.30	2,74,25.57	12,08,56.87	21,22,46.14	9,33,96.00	2,41,92.63	11,75,88.63
		ज.जा.उ.यो.	2,37,62.74	71,56.94	3,09,19.68	..	2,37,62.74	71,56.94	3,09,19.68	..	2,41,02.00	62,38.34	3,03,40.34
		अ.जा.उ.यो.	3,26,73.03	98,40.80	4,25,13.83	..	3,26,73.03	98,40.80	4,25,13.83	..	3,31,41.01	85,77.72	4,17,18.73
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	ग्रामीण विकास कार्यक्रम-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	सामान्य	7,13.62	10,44.08	17,57.70	..	7,13.62	10,44.07	17,57.69	..	7,93.73	10,55.12	18,48.85
		ज.जा.उ.यो.	2,06.70	1,42.22	3,48.92	..	2,06.70	1,42.22	3,48.92	..	1,58.59	1,24.53	2,83.12
		अ.जा.उ.यो.	2,12.80	1,82.86	3,95.66	..	2,12.80	1,82.86	3,95.66	..	1,89.58	1,50.42	3,40.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत	राज्य	योग	भारत	व्यय			भारत	व्यय		
			सरकार का हिस्सा			सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	सरकार द्वारा जारी	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मिड-डे मील	राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम मिड-डे मील	सामान्य	3,64,16.11	2,24,02.09	5,88,18.20	4,64,55.87	3,64,16.10	2,24,02.09	5,88,18.19	3,05,11.11	2,95,91.02	1,72,49.60	4,68,40.62
		ज.जा.उ.यो.	84,47.11	45,22.34	1,29,69.45	1,04,57.81	84,47.11	45,22.34	1,29,69.45	72,39.13	70,35.49	45,61.41	1,15,96.90
		अ.जा.उ.यो.	1,11,83.95	51,60.66	1,63,44.61	1,41,86.37	1,11,83.95	51,60.66	1,63,44.61	95,02.52	91,70.65	69,23.65	1,60,94.30
	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामान्य	2.88	17,33.70	17,36.58	..	2.88	17,33.70	17,36.58	38,53.00	26,68.16	36,80.00	63,48.16
		ज.जा.उ.यो.	..	3,65.00	3,65.00	..	..	3,65.00	3,65.00	..	5,14.00	8,12.00	13,26.00
		अ.जा.उ.यो.	..	4,70.00	4,70.00	..	..	4,70.00	4,70.00	..	6,70.00	9,21.00	15,91.00
	सिंचाई-चम्बल दांयी मुख्य नहर	सामान्य	..	25,16.66	25,16.66	..	..	29,39.61	29,39.61	..	..	35,84.38	35,84.38
		ज.जा.उ.यो.	..	4,23.78	4,23.78	..	..	4,23.78	4,23.78	..	..	3,51.84	3,51.84
		अ.जा.उ.यो.	..	5,23.33	5,23.33	..	..	5,23.33	5,23.33	..	..	4,27.43	4,27.43
	सिंचाई-नर्मदा परियोजना (ए.आई.बी.पी.)	सामान्य	28,38.48	37,77.46	66,15.94	..	28,37.21	8,24.48	36,61.69	..	15,69.01 (-)	1,22,33.65 (-)	1,06,64.64
		ज.जा.उ.यो.	8,45.78	..	8,45.78	..	8,45.78	..	8,45.78	..	2,09.98	..	2,09.98
		अ.जा.उ.यो.	14,28.36	..	14,28.36	..	14,28.36	(-) 0.03	14,28.33	..	2,69.83	17,75.24	20,45.07
	गंग नहर परियोजना-निर्देशन तथा प्रशासन	सामान्य	..	24,15.33	24,15.33	..	..	24,08.08	24,08.08	..	8,93.16	16,90.38	25,83.54
		अ.जा.उ.यो.	..	1,14.23	1,14.23	..	..	1,10.74	1,10.74	..	..	2,20.11	2,20.11
	लघु सिंचाई गणना	सामान्य	1,37.63	..	1,37.63	..	1,37.63	..	1,37.63	..	13.42	..	13.42
	सिंचाई प्रशिक्षण - सिंचाई प्रबन्ध और प्रशिक्षण केन्द्र	सामान्य	..	4,47.00	4,47.00	..	..	4,47.00	4,47.00	..	..	2,13.50	2,13.50
		अ.जा.उ.यो.	..	2,17.95	2,17.95	..	..	2,17.95	2,17.95	..	..	1,33.00	1,33.00
स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण	स्वीकार्य शोध तथा मृदा सर्वेक्षण स्टेज- II-इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास	सामान्य	..	12.24	12.24	..	..	12.22	12.22	..	..	10.84	10.84
		अ.जा.उ.यो.	..	1,37.31	1,37.31	..	..	1,37.29	1,37.29	..	..	1,47.91	1,47.91
	चम्बल क्षेत्र का विकास	सामान्य	..	5,05.27	5,05.27	..	..	5,05.27	5,05.27	..	..	5,41.84	5,41.84
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	34.37	34.37
	बीसलपुर क्षेत्र का विकास	सामान्य	..	3.92	3.92	..	..	3.92	3.92	..	..	1,03.31	1,03.31
		ज.जा.उ.यो.	..	44.39	44.39	..	..	44.39	44.39	..	..	1,39.97	1,39.97
		अ.जा.उ.यो.	..	59.18	59.18	..	..	59.18	59.18	..	..	1,74.99	1,74.99

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोगिता/अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	वैज्ञानिक अनुसंधान-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	सामान्य	1,81.88	1,41.19	3,23.07	..	1,81.87	1,41.19	3,23.06	..	1,47.25	1,25.89	2,73.14
	कमान क्षेत्र विकास (सचिवालय)	सामान्य	..	1,48.59	1,48.59	..	..	1,48.58	1,48.58	..	..	1,33.04	1,33.04
	पर्यटन सूचना एवं प्रचार	सामान्य	..	8,27.62	8,27.62	..	..	8,27.62	8,27.62	..	..	25,30.64	25,30.64
		ज.जा.उ.यो.	..	76.94	76.94	..	..	76.94	76.94	..	..	6,78.58	6,78.58
		अ.जा.उ.यो.	..	1,51.83	1,51.83	..	..	1,51.83	1,51.83	..	..	1,78.77	1,78.77
	पर्यटन विकास - पर्यटन स्थलों का विकास	सामान्य	..	4,89.64	4,89.64	..	..	4,89.64	4,89.64	..	..	4,82.85	4,82.85
		ज.जा.उ.यो.	..	2,00.00	2,00.00	..	..	2,00.00	2,00.00	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	5,64.69	5,64.69	..	..	5,64.69	5,64.69	..	..	3,17.34	3,17.34
	पर्यटन विकास - ग्रामीण पर्यटन का विकास	सामान्य	..	4,69.99	4,69.99	..	..	4,69.99	4,69.99	..	..	85.72	85.72
		ज.जा.उ.यो.	..	88.58	88.58	..	..	88.58	88.58	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	..	1,34.28	1,34.28	..	..	1,34.28	1,34.28	..	..	1,74.99	1,74.99
	आपराधिक जांच और सर्तकता (आपराधिक शाखा)	सामान्य	3,98.10	..	3,98.10	..	3,98.10	..	3,98.10	..	..	..	..
	लोक निर्माण-पुलिस प्रशासन भवन	सामान्य	..	28,85.98	28,85.98	..	..	28,85.98	28,85.98	..	..	23,62.29	23,62.29
		ज.जा.उ.यो.	..	2,38.37	2,38.37	..	..	2,36.26	2,36.26	..	..	3,71.74	3,71.74
		अ.जा.उ.यो.	..	3,87.76	3,87.76	..	..	3,87.76	3,87.76	..	..	4,35.59	4,35.59
	लोक निर्माण - पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भवन	सामान्य	1,04.02	64.35	1,68.37	..	1,04.02	54.18	1,58.20	..	2,65.00	61.84	3,26.84
	सीमा नागरिक सुरक्षा	सामान्य	14,48.43	4,72.93	19,21.36	..	14,48.43	4,72.90	19,21.33	..	11,50.51	2,86.17	14,36.68
	महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	सामान्य	..	17,24.31	17,24.31	..	..	17,24.31	17,24.31	..	..	18,95.30	18,95.30
ज.जा.उ.यो.		..	11,12.94	11,12.94	..	..	11,12.94	11,12.94	..	..	12,15.67	12,15.67	
अ.जा.उ.यो.		..	11,99.66	11,99.66	..	..	11,99.66	11,99.66	..	..	10,60.64	10,60.64	
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, बीकानेर द्वारा निशुल्क दवा योजना	सामान्य	..	3,49.07	3,49.07	..	..	3,49.05	3,49.05	..	..	3,06.90	3,06.90	

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति/उपयोजना/अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21			वास्तविक 2019-20				
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		योग	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	4,73.54	4,73.54	..	..	4,73.54	4,73.54	..	..	3,42.31	3,42.31
			..	12,15.55	12,15.55	..	..	12,15.56	12,15.56	..	..	10,83.52	10,83.52
			..	53,91.03	53,91.03	..	..	53,91.02	53,91.02	..	..	49,73.58	49,73.58
	चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, उदयपुर द्वारा निशुल्क दवा योजना	सामान्य	..	5,61.26	5,61.26	..	..	5,69.94	5,69.94	..	..	5,08.57	5,08.57
	महाविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	24,86.69	24,86.69	..	..	24,86.69	24,86.69	..	..	21,52.96	21,52.96
			..	11,98.78	11,98.78	..	..	11,98.78	11,98.78	..	..	11,66.62	11,66.62
			..	36,04.60	36,04.60	..	..	36,04.57	36,04.57	..	..	38,08.83	38,08.83
	चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर द्वारा निशुल्क दवा योजना	सामान्य	..	6,03.90	6,03.90	..	..	6,03.90	6,03.90	..	..	5,15.36	5,15.36
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में निर्माण कार्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	71.59	71.59	..	..	71.58	71.58	..	..	34.38	34.38
			..	7,26.52	7,26.52	..	..	7,25.63	7,25.63	..	..	1,33.07	1,33.07
			..	1,97.28	1,97.28	..	..	1,97.28	1,97.28	..	..	7,55.36	7,55.36
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में निर्माण कार्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	6,81.89	6,81.89	..	..	5,87.74	5,87.74	..	..	7,71.15	7,71.15
			..	6,95.62	6,95.62	..	..	6,95.62	6,95.62	..	..	5,49.57	5,49.57
			..	3,75.96	3,75.96	..	..	3,75.95	3,75.95	..	..	3,10.22	3,10.22
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में निर्माण कार्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	4,93.81	4,93.81	..	..	4,93.80	4,93.80	..	..	2,28.26	2,28.26
			..	3,53.80	3,53.80	..	..	3,53.80	3,53.80	..	..	1,25.41	1,25.41
			..	3,24.13	3,24.13	..	..	3,24.13	3,24.13	..	..	1,95.78	1,95.78
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में निर्माण कार्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	6,57.52	6,57.52	..	..	6,57.34	6,57.34	..	..	2,87.37	2,87.37
			68.29	18,56.82	19,25.11	..	68.29	18,56.83	19,25.12	..	..	15,61.20	15,61.20
			..	2,93.58	2,93.58	..	..	2,93.58	2,93.58	..	..	1,64.44	1,64.44

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोगिता/अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में निर्माण कार्य	सामान्य अ.जा.उ.यो.	..	0.01	0.01	..	..	..	..	..	..	2,27.77	2,27.77
			..	80.24	80.24	..	..	80.23	80.23	..	..	52.38	52.38
			..	8,99.94	8,99.94	..	..	8,99.92	8,99.92	..	..	5,80.43	5,80.43
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर में अन्य व्यय	सामान्य	..	3,13.34	3,13.34	..	..	3,13.34	3,13.34	..	..	2,86.96	2,86.96
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में अन्य व्यय	सामान्य	..	5,21.67	5,21.67	..	..	5,21.67	5,21.67	..	..	6,39.29	6,39.29
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान-चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में अन्य व्यय	सामान्य	..	7,55.88	7,55.88	..	..	7,55.87	7,55.87	..	..	3,01.05	3,01.05
	परिवार कल्याण-राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	7,85.63	52.37	8,38.00	..	7,85.63	52.64	8,38.27	..	3,98.92	4,29.82	8,28.74
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	चम्बल-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना, भरतपुर	सामान्य ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	3,02.53	1,92.95	4,95.48
	(आर.डब्ल्यू.एस.एस.) (नाबार्ड)	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	71.86	56.60	1,28.46
			..	..	..	..	..	..	..	..	98.12	77.63	1,75.75
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	इन्द्रोका-माणकलाव	सामान्य	..	1,32.59	1,32.59	..	..	1,32.59	1,32.59	..	..	2,06.78	2,06.78
	दौंतीवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.) (नाबार्ड)	ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	25.42	25.42	..	..	25.42	25.42	..	..	31.69	31.69
			..	34.39	34.39	..	..	34.39	34.39	..	..	46.57	46.57

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	उम्मेद सागर-धावा समदरी जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)(नाबार्ड)	सामान्य	..	2,40.00	2,40.00	..	..	2,40.00	2,40.00	..	..	1,89.95	1,89.95
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	कोलायत नोखा जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	..	2,51.05	2,51.05	..	..	2,51.05	2,51.05	..	..	21.97	21.97
			..	1,06.57	1,06.57	..	..	1,06.57	1,06.57	..	..	2.59	2.59
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, अजमेर- पीसागन (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	2,26.45	2,26.45	..	..	2,13.45	2,13.45	..	..	97.34	97.34
			..	43.28	43.28	..	..	43.28	43.28	..	..	24.35	24.35
			..	58.97	58.97	..	..	58.97	58.97	..	..	33.54	33.54
			..	6,45.33	6,45.33	..	..	6,45.33	6,45.33	..	..	18,37.24	18,37.24
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	तीवरी-मथानिया-औसियां-बावड़ी-भोपालगढ़ जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.) (नाबार्ड)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	..	2,08.63	2,08.63	..	..	2,08.63	2,08.63	..	..	2,63.53	2,63.53
			..	59.59	59.59	..	..	59.59	59.59	..	..	35.00	35.00
	रेवा-झालावाड़ जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	93.88	93.88	..	..	93.88	93.88	..	..	10.35	10.35
			..	21.47	21.47	..	..	21.47	21.47	..	..	1.71	1.71
पांचला-देवरा-चिराई जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)			..	30.30	30.30	..	..	30.30	30.30	..	..	2.36	2.36
			..	11.02	11.02	..	..	11.02	11.02	..	5,50.00	15,21.49	20,71.49
			..	2.15	2.15	..	..	2.15	2.15	..	1,07.00	2,72.84	3,79.84
			..	2.83	2.83	..	..	2.83	2.83	..	1,43.00	3,98.87	5,41.87
नर्मदा-गुडामालानी जलपूर्ति परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.एस.)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4.37	..	4.37	..	4.37	..	4.37	..	1,85.24	1,89.26	3,74.50
			0.07	..	0.07	..	0.07	..	0.07	..	28.94	29.56	58.50
			0.08	..	0.08	..	0.08	..	0.08	..	25.82	26.38	52.20
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुण नियंत्रण तथा संचालन कार्यक्रम		सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	74.32	2,62.23	3,36.55

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
ग्राम न्यायालय	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	सामान्य	79,50.42	..	79,50.42	82,87.12	79,50.15	..	79,50.15	..	74,63.29	..	74,63.29
		ज.जा.उ.यो.	33,56.77	..	33,56.77	..	33,56.77	..	33,56.77	..	32,10.51	..	32,10.51
		अ.जा.उ.यो.	34,14.98	..	34,14.98	..	34,14.96	..	34,14.96	..	30,75.80	..	30,75.80
	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना	सामान्य	6,69.36	..	6,69.36	13,75.10	6,69.33	..	6,69.33	..	5,17.52	..	5,17.52
		ज.जा.उ.यो.	2,10.15	..	2,10.15	..	2,10.15	..	2,10.15	..	1,74.88	..	1,74.88
		अ.जा.उ.यो.	2,58.62	..	2,58.62	..	2,58.61	..	2,58.61	..	1,99.34	..	1,99.34
	ग्राम न्यायालय	सामान्य	..	11,62.88	11,62.88	..	..	11,62.04	11,62.04	..	..	11,57.77	11,57.77
		ज.जा.उ.यो.	..	3,12.26	3,12.26	..	..	3,12.27	3,12.27	..	..	3,03.44	3,03.44
		अ.जा.उ.यो.	..	1,95.08	1,95.08	..	..	1,94.98	1,94.98	..	..	2,02.36	2,02.36
सर्व शिक्षा अभियान	सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारन्टी योजना)	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	12,94,57.48	34,43,26.72	47,37,84.20
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	2,82,06.24	4,81,24.17	7,63,30.41
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	3,39,65.03	7,65,03.30	11,04,68.33
	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	2,65,28.65	4,32,00.73	6,97,29.38
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	61,37.12	76,62.36	1,37,99.48
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	82,69.54	1,12,44.65	1,95,14.19
	उत्कृष्टता के मानक के रूप में ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए योजना (आर एम एस ए)	सामान्य	..	1,67,71.45	1,67,71.45	..	..	1,67,70.99	1,67,70.99	..	..	1,29,27.00	1,29,27.00
		ज.जा.उ.यो.	..	33,26.05	33,26.05	..	..	33,31.74	33,31.74	..	..	23,79.30	23,79.30
		अ.जा.उ.यो.	..	44,10.50	44,10.50	..	..	44,17.50	44,17.50	..	..	31,53.70	31,53.70
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.)	राज्यव्यापी आपातकालीन एम्बुलेन्स सेवाएं (एन.आर.एच.एम.) (ई एम आर आई)	सामान्य	43,58.00	22,90.00	66,48.00	..	43,58.00	22,90.00	66,48.00	..	16,23.18	52,34.59	68,57.77
		ज.जा.उ.यो.	11,28.00	5,02.00	16,30.00	..	11,28.00	5,02.00	16,30.00	..	2,96.56	15,97.11	18,93.67
		अ.जा.उ.यो.	14,91.00	6,68.00	21,59.00	..	14,91.00	6,68.00	21,59.00	..	3,92.26	21,05.30	24,97.56
	विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में वानिकी	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	4,00.00	..	4,00.00
	विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना	सामान्य	..	2,31.39	2,31.39	..	..	2,31.40	2,31.40	..	..	2,35.91	2,35.91

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	राजीव गांधी सशक्तिकरण की किशोर लड़कियां योजना (सबला)	सामान्य	5,25.51	5,08.36	10,33.87	58.94	5,18.05	5,15.73	10,33.78	..	1,30.34	1,21.89	2,52.23
.	सिंचाई-अभिवृद्धि सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा क्षेत्र मे लघु सिंचाई निर्माण कार्य (ए आई बी पी)	सामान्य	..	32.80	32.80	..	..	33.63	33.63	..	..	(-) 5.11	(-) 5.11
		ज.जा.उ.यो.	..	1,33.83	1,33.83	..	..	1,33.72	1,33.72	..	..	4.99	4.99
		अ.जा.उ.यो.	..	7.20	7.20	..	..	7.39	7.39	..	..	0.96	0.96
लोक निर्माण	होम गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा भवन	सामान्य	..	4,00.00	4,00.00	..	..	4,00.00	4,00.00	..	..	2,00.00	2,00.00
	लोक निर्माण - न्यायालय भवन	ज.जा.उ.यो.	12,56.61	8,48.95	21,05.56	..	12,56.61	8,48.95	21,05.56	..	3,73.48	9,36.99	13,10.47
	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चों को प्री मेट्रिक छात्रवृत्ति	अ.जा.उ.यो.	..	2,48.60	2,48.60	..	..	2,42.92	2,42.92	..	..	1,42.46	1,42.46
	निःशर्तों के लिए माध्यमिक विद्यालयों में सवावेशी शिक्षा	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	3,21.72	9,84.28	13,06.00
.	ग्रामीण जलपूर्ति योजना- बाइमेर लिफ्ट केनाल जलपूर्ति परियोजना फेज- II	सामान्य	5,05.52	10,64.16	15,69.68	..	5,05.52	10,63.00	15,68.52	..	..	4.02	4.02
		ज.जा.उ.यो.	1,90.71	2,01.11	3,91.82	..	1,90.71	2,01.11	3,91.82	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,83.12	2,02.53	4,85.65	..	2,83.12	2,02.53	4,85.65	..	..	..	..
ग्रामीण जलपूर्ति योजना	अनुसूचित जाति बस्ती में ग्रामीण जलपूर्ति	अ.जा.उ.यो.	7,30.06	1,10,93.31	1,18,23.37	..	7,30.06	1,10,75.83	1,18,05.89	..	7,14.41	93,04.68	1,00,19.09
	टाडा क्षेत्र में ग्रामीण जलपूर्ति	ज.जा.उ.यो.	4,96.82	84,22.34	89,19.16	..	4,96.82	84,05.64	89,02.46	..	5,03.78	70,64.54	75,68.32
	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	अ.जा.उ.यो.	1,46,43.76	..	1,46,43.76	18,80.00	1,46,43.76	..	1,46,43.76	1,03,79.00	2,26.50	..	2,26.50

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21 [*]			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
समेकित बाल संरक्षण योजना	बाल कल्याण - समेकित बाल संरक्षण योजना	सामान्य	40,01.00	19,99.00	60,00.00	32,21.98	40,01.00	19,99.00	60,00.00	31,95.88	35,38.95	22,17.86	57,56.81
	समेकित बाल विकास सेवाएं	सामान्य ज.जा.उ.यो.	3,30,46.85	6,63,22.00	9,93,68.85	..	3,30,46.23	6,63,21.02	9,93,67.25	..	2,47,28.11	5,31,01.00	7,78,29.11
			50,89.32	1,03,71.52	1,54,60.84	..	50,90.87	1,03,40.08	1,54,30.95	..	35,97.96	84,63.57	1,20,61.53
	पुलिस (आई सी डी एस)- सामान्य पुलिस का आधुनिकीकरण (वायरलेस)	सामान्य	2,40.19	1,63.13	4,03.32	..	2,40.19	1,63.13	4,03.32	..	1,74.18	..	1,74.18
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	68,08.41	41,91.59	1,10,00.00	..	68,08.41	41,91.59	1,10,00.00	..	49,48.51	36,26.93	85,75.44
			27,22.96	16,77.04	44,00.00	..	27,22.96	16,77.04	44,00.00	..	24,32.62	15,67.25	39,99.87
		अ.जा.उ.यो.	40,84.45	25,15.55	66,00.00	..	40,84.45	25,15.55	66,00.00	..	28,08.58	20,59.69	48,68.27
	सामरिक तथा सीमावर्ती सड़कें	सामान्य	..	..	..	..	1,13,08.89	..	1,13,08.89	..	1,87,55.77	..	1,87,55.77
	सिंचाई-	सामान्य	..	7,62.51	7,62.51	..	..	7,62.51	7,62.51	..	..	10,97.52	10,97.52
	चम्बल बांयी मुख्य नहर	ज.जा.उ.यो.	..	1,30.29	1,30.29	..	..	1,30.29	1,30.29	..	..	2,12.92	2,12.92
		अ.जा.उ.यो.	..	1,72.34	1,72.34	..	..	1,72.34	1,72.34	..	..	3,00.00	3,00.00
	चम्बल क्षेत्र का विकास- निवेशन तथा प्रशासन	सामान्य	..	4,21.49	4,21.49	..	..	4,21.49	4,21.49	..	..	3,93.11	3,93.11
	केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	सामान्य ज.जा.उ.यो.	1,11,02.32	..	1,11,02.32	1,41,80.90	1,11,02.32	..	1,11,02.32	4,15,16.70	2,15,82.95	..	2,15,82.95
			11,88.55	..	11,88.55	..	11,88.55	..	11,88.55	..	41,36.90	..	41,36.90
	अ.जा.उ.यो.	17,88.21	..	17,88.21	..	17,88.22	..	17,88.22	..	71,53.75	..	71,53.75	
ग्रामीण जलपूर्ति योजना (आर डब्ल्यू एस एस)	ग्रामीण जलपूर्ति योजना का संचालन और रखरखाव व्यय (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	91,47.00	91,47.00	..	..	87,12.00	87,12.00
			..	..	..	..	..	24,15.00	24,15.00	..	..	23,00.00	23,00.00
	सिंचाई-लघु सिंचाई अभिनव योजना (आर.आर.आर.)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	1,50.64	5,44.07	6,94.71	..	1,50.64	5,66.64	7,17.28	..	1,99.60	8,20.35	10,19.95
			19.68	1,12.85	1,32.53	..	19.68	1,12.85	1,32.53	..	45.63	1,80.81	2,26.44
	(ए.आई.बी.पी.)	अ.जा.उ.यो.	40.59	1,47.13	1,87.72	..	40.59	1,53.32	1,93.91	..	71.88	2,69.31	3,41.19

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		योग	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
सूचना के अधिकार के तहत निजि विद्यालयों के शुल्क का पुनर्भरण (आर.टी.ई.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	94,43.53	1,95,96.64	2,90,40.17	..	94,27.24	1,95,81.58	2,90,08.82	..	1,20,01.40	85,18.59	2,05,19.99
आपणी योजना फेज-II (चूरु एवं झुंझनू जलपूर्ति योजना) (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	7,58.32	1,17.30	8,75.62
बोरावास-मण्डाना जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	2,78.81	2,78.81	..	..	2,78.81	2,78.81	..	..	3,52.69	3,52.69
चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस) (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	8,10.52	8,10.52	..	..	8,10.52	8,10.52	..	..	6,98.42	6,98.42
चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर जलपूर्ति योजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	(-) 0.06	1,07.57	1,07.51
नागौर लिफ्ट केनाल जलपूर्ति परियोजना फेज-I (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	40,73.94	40,73.94
बीसलपुर डेम से टोंक, उनियारा तथा देवली जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15,41.65	15,41.65
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में उद्यान विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	2,22.00	..	2,22.00	..	2,22.00	..	2,22.00	..	2,50.00	..	2,50.00
पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	3,01.10	..	3,01.10	..	3,01.10	..	3,01.10	..	4,00.00	..	4,00.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में स्वरोजगार सहायता	ज.जा.उ.यो.	2,50.00	..	2,50.00	..	2,50.00	..	2,50.00	..	..	..	..
	अनुसूचित क्षेत्रों में औजारों के वितरण को सम्मिलित करते हुए कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)	ज.जा.उ.यो.	10,30.50	..	10,30.50	..	10,30.50	..	10,30.50	..	12,40.00	..	12,40.00
	माडा क्षेत्र में कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)	ज.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	3,50.00	..	3,50.00
	माड़ा क्षेत्र में पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)	ज.जा.उ.यो.	78.60	..	78.60	..	78.60	..	78.60	..	1,25.00	..	1,25.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में स्वरोजगार	ज.जा.उ.यो.	1,25.00	..	1,25.00	..	1,25.00	..	1,25.00	..	..	..	..
	बिखरे क्षेत्र मे कृषि विकास परियोजना (वि.के.स.)	ज.जा.उ.यो.	1,90.00	..	1,90.00	..	1,90.00	..	1,90.00	..	3,60.00	..	3,60.00
	बिखरे क्षेत्र मे पशुपालन परियोजना (वि.के.स.)	ज.जा.उ.यो.	1,20.30	..	1,20.30	..	1,20.30	..	1,20.30	..	1,75.00	..	1,75.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरें क्षेत्र में स्वरोजगार	ज.जा.उ.यो.	1,25.00	..	1,25.00	..	1,25.00	..	1,25.00	..	..	..	..
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	18,90.81	..	18,90.81	..	18,90.34	..	18,90.34	..	51,89.28	(-) 0.68	51,88.60

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोगिता/ अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		योग	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		
(₹ लाख में)													
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत परियोजना निर्माण	ज.जा.उ.यो.	3,19.00	..	3,19.00	..	3,19.00	..	3,19.00	..	6,56.42	(-) 1.17	6,55.25	
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में जल संरक्षण संरचना का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	17,15.67	..	17,15.67	..	17,15.67	..	17,15.67	..	8,00.00	..	8,00.00	
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में नहर प्रणाली की मजबूती	ज.जा.उ.यो.	12,33.75	..	12,33.75	..	12,33.75	..	12,33.75	..	6,00.00	..	6,00.00	
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई का निर्माण तथा बंद लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	18,33.61	..	18,33.61	..	18,33.61	..	18,33.61	..	10,00.00	..	10,00.00	
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आश्रम छात्रावासों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	26,20.00	..	26,20.00	..	26,20.00	..	26,20.00	..	8,00.00	..	8,00.00	
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बिखरे क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बस्तियों से सेवा केन्द्रों का सम्पर्क	ज.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालय भवन का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	2,00.00	..	2,00.00	

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोगिता/अनु0 जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21			वास्तविक 2019-20		
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय	
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा

(₹ लाख में)

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बस्तियों से सेवा केन्द्रों का सम्पर्क	ज.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	16,00.00	..	16,00.00	..	16,00.00	..	16,00.00	..	2,72.00	..	2,72.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत हेण्ड पम्पों के लगाने सहित पीने योग्य पानी की योजनाएं	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	5,00.00	..	5,00.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सामुदायिक हॉल का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	2,00.00	..	2,00.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत खेल छात्रावास भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	5,50.00	..	5,50.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालय (सभी क्षेत्र) की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	ज.जा.उ.यो.	30,17.00	..	30,17.00	..	30,17.00	..	30,17.00	..	35,00.00	..	35,00.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		योग	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत राजकीय शिक्षण संस्थान में अतिरिक्त कमरें का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	3,50.00	..	3,50.00
भाखड़ा नहर परियोजना का विकास	सामान्य	सामान्य	..	6,32.20	6,32.20	..	..	6,26.43	6,26.43	..	1,65.59	17,01.84	18,67.43
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	15.00	15.00	..	..	14.61	14.61	..	..	2,63.02	2,63.02
अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित बस्तियों से सेवा केन्द्रों का जुड़ाव (वि.के.स.)	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	11,75.05	..	11,75.05	..	11,75.05	..	11,75.05	..	10,50.00	..	10,50.00
लोक निर्माण - अन्य न्यायिक भवन	सामान्य	सामान्य	31,43.72	25,53.60	56,97.32	..	31,43.66	25,45.21	56,88.87	..	29,72.72	38,41.19	68,13.91
सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु लघु वनोत्पाद का संग्रह	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	5,62.74	..	5,62.74
सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु सहरिया के लिए माँ बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	7,04.20	..	7,04.20	..	7,04.20	..	7,04.20	..	8,02.36	..	8,02.36
सी.सी.डी. योजना के अन्तर्गत सहरिया के विकास हेतु स्वास्थ्य कर्मों को मानदेय	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	..	1,00.00	..	1,00.00	..	1,00.00	..	1,00.24	..	1,00.24
आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत आंगन बाड़ी केन्द्र का निर्माण	सामान्य	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	5,89.20	3,92.80	9,82.00
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	96.00	64.00	1,60.00
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	1,42.20	94.80	2,37.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
ए.डब्ल्यू.सी. का कमोन्नयन तथा रखरखाव (आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अन्तर्गत पालना गृह के निर्माण सहित)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,82.02 39.29 39.01	1,21.34 26.19 26.00	3,03.36 65.48 65.01		1,82.02 39.29 39.01	1,21.34 26.19 26.00	3,03.36 65.48 65.01		2,21.88 43.32 54.22	1,47.92 28.88 36.14	3,69.80 72.20 90.36
लक्षित लोक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4,81.54 2,33.01 3,21.04	3,03.89 1,84.56 2,54.28	7,85.43 4,17.57 5,75.32		4,81.54 2,33.01 3,21.04	3,03.56 1,84.56 2,54.28	7,85.10 4,17.57 5,75.32		11.37 1.76 2.54	11.62 1.66 2.51	22.99 3.42 5.05
निवाई और टोंक तहसील के 199 गावों की जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)		सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	(-) 1,56.81	(-) 1,56.81
नर्मदा जलपूर्ति परियोजना (डी.आर.)(आर डब्ल्यू एस एस)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		52.10 10.11 13.41	52.10 10.11 13.41			52.10 10.11 13.41	52.10 10.11 13.41			1,24.96 21.18 30.87	1,24.96 21.18 30.87
बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट बी (68 क्लस्टर गाँव) (आर डब्ल्यू एस एस)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									2,21.00 13.60 28.41	1,87.90 25.42 23.54	4,08.90 39.02 51.95
बाड़मेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज- II पार्ट सी (473 क्लस्टर गाँव) (आर डब्ल्यू एस एस)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									25,14.60 7,04.44 9,05.84	17,76.68 6,93.76 9,12.65	42,91.28 13,98.20 18,18.49
जवाई-पाली-जोधपुर-पीपलु परियोजना फेज -II (क्लस्टर परियोजना)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		99.55 18.82 25.65	99.55 18.82 25.65			99.55 18.82 25.65	99.55 18.82 25.65			46.25 6.78 10.65	46.25 6.78 10.65
विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना		ज.जा.उ.यो.	3,00.00	..	3,00.00	..	3,00.00	..	3,00.00	..	4,50.00	..	4,50.00
विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत माडा क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना		ज.जा.उ.यो.	1,00.00	..	1,00.00	..	1,00.00	..	1,00.00	..	1,50.00	..	1,50.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोगिता/अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		योग	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत बिखरें क्षेत्र में कौशल विकास परियोजना		ज.जा.उ.यो.	65.00	..	65.00	..	65.00	..	65.00	..	1,90.00	..	1,90.00
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण- भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्रशासकीय व्यय,प्रशिक्षण, संचालन तथा प्रबंध सूचना प्रणाली		ज.जा.उ.यो.	1,20.00	..	1,20.00	..	1,20.00	..	1,20.00	..	5,00.00	..	5,00.00
भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं में वृद्धि		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	7,00.00	..	7,00.00
सिंचाई- इंदिरा गांधी मुख्य नहर कि.मी.० से 74-प्रथम स्टेज		सामान्य अ.जा.उ.यो.	..	4,72.28	4,72.28	..	..	4,57.62	4,57.62	..	..	4,46.62	4,46.62
			..	28.38	28.38	..	..	28.18	28.18	..	..	1,76.01	1,76.01
फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)		सामान्य ज.जा.उ.यो.	1,09.97	2,35.11	3,45.08	..	1,09.97	2,35.11	3,45.08	..	21,04.73	4,72.62	25,77.35
		अ.जा.उ.यो.	25.66	32.55	58.21	..	25.66	32.55	58.21	..	3,48.28	61.00	4,09.28
			39.69	15.14	54.83	..	39.69	15.14	54.83	..	4,74.28	1,16.96	5,91.24
अल्पसंख्यकों का कल्याण- अल्पसंख्यक क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम एस डी पी)		सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	12,19.54	25,69.28	37,88.82
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत नये चिकित्सा महाविद्यालय		सामान्य ज.जा.उ.यो.	70,56.48	47,04.32	1,17,60.80	..	70,56.48	47,04.32	1,17,60.80	..	48,78.36	32,52.24	81,30.60
		अ.जा.उ.यो.	18,00.00	12,00.00	30,00.00	..	18,00.00	12,00.00	30,00.00	..	..	..	..
			24,00.00	16,00.00	40,00.00	..	24,00.00	16,00.00	40,00.00	..	..	..	..
ब्यावर- जवाजा क्लस्टर परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)		सामान्य ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	18,80.67	(-) 3,92.70	14,87.97
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	4,27.02	3,71.00	7,98.02
			..	..	..	..	..	..	..	..	5,66.53	5,15.00	10,81.53

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोजना/अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
गागरिन जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7,06.13	6,16.90	13,23.03
			..	..	..	..	..	..	1,35.87	1,08.09	2,43.96		
			..	..	..	..	..	1,74.00	1,70.99	3,44.99			
जवाई क्लस्टर परियोजना-II (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	11,75.76 2,77.75 3,45.43	4,03.60	28.57	15,79.36 3,06.32 3,86.82	..	11,75.76 2,77.75 3,45.43	4,03.60 28.57 41.39	15,79.36 3,06.32 3,86.82	..	8,19.43 57.46 82.90	..	8,19.43 57.46 82.90
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बीसलपुर-दूदू परियोजना-चाकरू, फागी तथा बस्सी (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,30.28 63.73 83.12	83.28	15.19	3,13.56 78.92 1,04.65	..	2,30.28 63.73 83.12	83.28 15.19 21.53	3,13.56 78.92 1,04.65	..	3,38.83 70.35 (-) 2,03.24	5,29.52 1,11.07 1,52.03	8,68.35 1,81.42 (-) 51.21
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज 1 पार्ट 2 (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	42,65.48 5,27.26 7,33.32	32,15.31 9,57.71 12,63.71	74,80.79 14,84.97 19,97.03
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बांरा क्लस्टर परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10,77.93 2,28.77 2,49.83	6,50.74 1,09.15 1,70.39	17,28.67 3,37.92 4,20.22
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
ग्रामीण जलपूर्ति योजना-बांसवाड़ा जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	60.90 2,13.11 4,89.75	89.39	0.27	1,50.29 2,13.38 4,90.14	..	60.90 2,13.11 4,89.75	89.39 0.27 0.39	1,50.29 2,13.38 4,90.14	..	..	19.32 3.64 5.04	
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
चम्बल- भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना - क्लस्टर (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	64,68.04 15,52.55 21,95.04	78,56.17 26,34.78 41,50.80	1,43,24.21 41,87.33 63,45.84
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	15,38.13 3,22.24 4,14.63	10,11.12 1,69.95 2,35.31	25,49.25 4,92.19 6,49.94
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
नर्मदा एफ.आर. क्लस्टर परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	17,82.34 4,68.22 6,13.71	20,66.89	6,08.42	38,49.23 10,76.64 14,39.32	..	17,82.34 4,68.22 6,13.71	20,66.89 6,08.42 8,25.61	38,49.23 10,76.64 14,39.32	..	49,62.99 9,72.93 12,91.62	2,00.00 3,67.00 4,61.49	51,62.99 13,39.93 17,53.11
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
नर्मदा डी.आर. क्लस्टर परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	19,02.19 3,95.47 5,26.34	6,59.26 1,66.50 2,25.21	25,61.45 5,61.97 7,51.55
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
			..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए योजना	सामान्य	89.26	..	89.26	..	89.26	..	89.26	..	1,71.18	..	1,71.18
	नर्मदा (205 गाँवों) से बाड़मेर जिले के शिव तहसील की जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									12,71.58 2,51.17 3,52.24	7,77.64 1,93.67 3,25.49	20,49.22 4,44.84 6,77.73
	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-विशेष योग्यजन के लिए रेम्प तथा लिफ्ट इत्यादि का निर्माण	सामान्य	8,61.75	..	8,61.75	..	8,60.82	..	8,60.82	..	4,11.81	..	4,11.81
	ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएँ-राजीव गांधी लिफ्ट केनाल से गचर, कानासर और बोप जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		84.11 14.19 19.51	84.11 14.19 19.51			84.11 14.19 19.51	84.11 14.19 19.51			17.25 2.89 4.00	17.25 2.89 4.00
	भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे के 256 गांवों के लिए ग्रामीण जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									8,32.03 1,62.81 2,20.16	6,09.23 1,20.18 1,66.39	14,41.26 2,82.99 3,86.55
	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	26,49.36 5,00.05 6,61.42	17,65.70 3,33.37 4,40.95	44,15.06 8,33.42 11,02.37	28,77.28 1,69.02 8,84.40	26,49.35 5,00.05 6,61.42	17,65.70 3,33.37 4,40.95	44,15.05 8,33.42 11,02.37	27,89.48 1,63.85 8,57.42	31,79.27 6,12.92 8,10.69	21,60.05 4,08.62 5,40.48	53,39.32 10,21.54 13,51.17
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,06,63.20 1,36,50.39 1,87,98.29	3,07,03.18 1,47,97.34 2,10,15.97	5,13,66.38 2,84,47.73 3,98,14.26		2,06,59.08 1,36,46.82 1,87,87.82	3,06,83.61 1,47,90.47 2,10,07.65	5,13,42.69 2,84,37.29 3,97,95.47	17,50.80	90,95.18 45,45.36 61,58.44	1,78,94.70 95,11.87 1,30,20.72	2,69,89.88 1,40,57.23 1,91,79.16
	वानिकी विकास-सोलर पम्प सेट के लिए अतिरिक्त सहाय्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		60,19.72 8,41.46 6,79.18	60,19.72 8,41.46 6,79.18		.. 8,41.46 6,79.18	60,19.72 8,41.46 6,79.18	60,19.72 8,41.46 6,79.18			20,71.66 3,47.71 6,96.27	20,71.66 3,47.71 6,96.27

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
पशुधन तथा पशुधन प्रजनन बीमा	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2,00.87	1,90.87	3,91.74
	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	81.75	81.75	1,63.50
राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	15,61.64	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	1,55.42	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	2,70.54	..	..	..
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम)	सामान्य	24,37.00	16,24.00	40,61.00	24,92.00	24,37.00	16,24.00	40,61.00	..	19,10.08	13,00.36	32,10.44	
	ज.जा.उ.यो.	4,77.00	3,18.00	7,95.00	4,95.00	4,77.00	3,18.00	7,95.00	..	4,47.82	2,84.90	7,32.72	
	अ.जा.उ.यो.	6,32.00	4,22.00	10,54.00	6,42.00	6,32.00	4,22.00	10,54.00	..	7,91.10	5,14.06	13,05.16	
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	सामान्य	2,47,03.48	1,64,69.32	4,11,72.80	2,37,15.41	2,47,03.48	1,64,69.32	4,11,72.80	1,84,74.00	21,93.84	19,27.56	41,21.40	
	ज.जा.उ.यो.	46,07.00	30,71.00	76,78.00	..	46,07.00	30,71.00	76,78.00	..	4,85.28	3,23.52	8,08.80	
	अ.जा.उ.यो.	60,50.00	40,33.00	1,00,83.00	..	60,50.00	40,33.00	1,00,83.00	..	6,41.88	4,27.92	10,69.80	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गोहू)	सामान्य	5,83.22	3,88.81	9,72.03	..	5,83.22	3,88.81	9,72.03	..	7,30.17	4,86.78	12,16.95	
	ज.जा.उ.यो.	68.63	45.75	1,14.38	..	68.63	45.75	1,14.38	..	1,14.50	76.34	1,90.84	
	अ.जा.उ.यो.	58.21	38.81	97.02	..	58.21	38.81	97.02	..	1,35.55	90.36	2,25.91	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दालें)	सामान्य	97,69.32	65,12.88	1,62,82.20	..	97,69.31	65,12.86	1,62,82.17	..	58,13.91	38,75.94	96,89.85	
	ज.जा.उ.यो.	14,61.74	9,74.49	24,36.23	..	14,61.74	9,74.49	24,36.23	..	12,78.34	8,52.22	21,30.56	
	अ.जा.उ.यो.	24,72.84	16,48.56	41,21.40	..	24,72.39	16,48.26	41,20.65	..	15,14.92	10,09.95	25,24.87	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (मोटा अनाज)	सामान्य	2,68.55	1,79.03	4,47.58	..	2,68.55	1,79.03	4,47.58	..	2,31.12	1,54.08	3,85.20	
	ज.जा.उ.यो.	18.86	12.57	31.43	..	18.86	12.57	31.43	..	73.89	49.26	1,23.15	
	अ.जा.उ.यो.	45.47	30.31	75.78	..	45.47	30.31	75.78	..	52.20	34.80	87.00	
कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (कृषि विस्तार)	सामान्य	26,86.64	20,75.02	47,61.66	18,65.32	26,86.64	20,75.00	47,61.64	..	15,18.89	10,96.83	26,15.72	
	ज.जा.उ.यो.	3,06.49	2,51.23	5,57.72	3,66.55	3,06.50	2,51.20	5,57.70	..	1,82.18	1,41.91	3,24.09	
	अ.जा.उ.यो.	4,99.79	4,07.63	9,07.42	4,83.30	4,99.80	4,07.62	9,07.42	..	3,02.91	2,32.83	5,35.74	
कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (बीज तथा पौधारोपण सामग्री)	सामान्य	..	5,75.77	5,75.77	80.00	..	5,75.77	5,75.77	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	0.38	0.38	..	..	0.38	0.38	..	1,66.65	69.43	2,36.08	
	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	23.87	23.87	
कृषि विस्तार तथा तकनीकी का राष्ट्रीय मिशन (कृषि अभियांत्रिकी)	सामान्य	18,13.35	12,08.90	30,22.25	13,89.60	18,13.36	12,08.90	30,22.26	..	8,10.40	5,40.26	13,50.66	
	ज.जा.उ.यो.	1,19.62	79.75	1,99.37	3,25.00	1,19.62	79.75	1,99.37	..	16.07	10.72	26.79	
	अ.जा.उ.यो.	80.33	53.55	1,33.88	75.00	80.33	53.56	1,33.89	..	18.73	12.49	31.22	

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
टिकाऊ कृषि राष्ट्रीय मिशन (बारानी क्षेत्र विकास)	सामान्य	सामान्य	2,67.74	1,78.50	4,46.24	2,06.10	2,67.75	1,78.50	4,46.25	..	1,08.60	72.40	1,81.00
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	52.22	34.81	87.03	40.50	52.04	34.69	86.73	..	6.54	4.36	10.90
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	63.04	42.02	1,05.06	53.40	63.04	42.02	1,05.06	..	4.08	2.72	6.80
टिकाऊ कृषि राष्ट्रीय मिशन (मृदा रक्षण प्रबंध)	सामान्य	सामान्य	7,44.83	4,96.57	12,41.40	9,29.84	7,44.85	4,96.55	12,41.40	..	4,14.94	2,76.65	6,91.59
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	81.99	54.67	1,36.66	2,12.53	81.99	54.67	1,36.66	..	1,00.38	66.94	1,67.32
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	49.02	32.68	81.70	1,85.97	49.01	32.68	81.69	..	62.07	41.37	1,03.44
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-राजनेट	सामान्य	सामान्य	..	74,00.00	74,00.00	..	..	74,00.00	74,00.00	..	..	83,60.00	83,60.00
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	22,50.00	22,50.00	..	..	22,50.00	22,50.00	..	..	36,36.00	36,36.00
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	28,50.00	28,50.00	..	..	28,50.00	28,50.00	..	..	36,00.00	36,00.00
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	सामान्य	सामान्य	27.14	17.04	44.18	..	27.14	17.04	44.18	..	1,85.59	4,30.85	6,16.44
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	8.44	8.44	..	..	8.44	8.44	..	33.66	69.91	1,03.57
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	1.01	1.01	..	..	1.01	1.01	..	56.69	1,01.90	1,58.59
राष्ट्रीय ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम का संचालन एवं रखरखाव	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	17,87.00	17,87.00	..	..	17,02.29	17,02.29
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (प्रोत्साहन निधि)	सामान्य	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	5,00.00	7,06.74	12,06.74
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-भामाशाह योजना	सामान्य	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4,21.64	4,21.64
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.											
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.											
पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-खुरपका तथा मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	सामान्य	सामान्य	7.95	5.24	13.19	..	8.02	5.29	13.31	..	12,45.31	8,39.63	20,84.94
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	1.63	1.05	2.68	..	1.63	1.05	2.68	..	2,62.57	1,76.36	4,38.93
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	3,70.06	2,41.66	6,11.72
जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा	सामान्य	सामान्य	1,65.95	76.38	2,42.33	..	1,65.95	76.22	2,42.17	..	1,86.24	2,03.05	3,89.29

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		योग	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-सामुदायिक झालावाड़	सामान्य ज.जा.उ.यो.	..	43,40.00	43,40.00	..	..	43,40.00	43,40.00	..	..	46,12.50	46,12.50
	अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालय समिति को सहायतार्थ अनुदान	अ.जा.उ.यो.	..	24,20.00	24,20.00	..	..	24,20.00	24,20.00	..	..	28,87.22	28,87.22
	प्रचलित राजकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान का मॉडल आई.टी.आई. में उन्नयन	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	1,40.00	60.00	2,00.00
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत टी ए डी भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	4,00.00	..	4,00.00
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत टी ए डी भवनों के अतिरिक्त अन्य निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	4,75.00	..	4,75.00	..	4,75.00	..	4,75.00	..	..	..	..
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र मे अन्तराल विश्लेषण के लिए विभागीय योजनाएं	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	2,00.00	..	2,00.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में टी ए डी भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	4,00.00	..	4,00.00
	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	1,34.72	44.27	1,78.99
		ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	25.38	8.34	33.72
		अ.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	35.15	11.55	46.70

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोगिता/ अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
वन्य जीव संरक्षण - ' मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान		सामान्य	2,55.28	3,25.93	5,81.21	..	2,55.22	3,25.92	5,81.14	..	2,30.28	1,37.86	3,68.14
गंग नहर परियोजना क्षेत्र का विकास		सामान्य अ.जा.उ.यो.	21,84.21 1,65.51	22,76.95 2,12.89	44,61.16 3,78.40		21,80.80 1,64.78	22,71.10 2,11.91	44,51.90 3,76.69		6,04.56 45.10	4,57.91 22.22	10,62.47 67.32
चम्बल-बूंदी जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस) (कलस्टर वितरण)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									88.92 24.79 31.69	2,61.70 51.95 71.95	3,50.62 76.74 1,03.64
नागौर लिफ्ट नहर परियोजना फेज- II (डी डी पी) (आर डब्ल्यू एस एस)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		5,94.73 1,27.49 1,65.23	5,94.73 1,27.49 1,65.23			5,94.73 1,27.49 1,65.23	5,94.73 1,27.49 1,65.23			3,45.00 19.50 27.44	3,45.00 19.50 27.44
लोक स्वास्थ्य बीमा योजना (डी.एम.एच.एस. के माध्यम से)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		1,90,00.00 70,00.00 90,00.00	1,90,00.00 70,00.00 90,00.00			1,90,00.00 70,00.00 90,00.00	1,90,00.00 70,00.00 90,00.00			5,44,33.14 96,66.15 1,29,48.05	5,44,33.14 96,66.15 1,29,48.05
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- एस एम एस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में राज्य कैसर संस्थान की स्थापना		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	.. 7,47.18 5,39.87	8,26.36 46.38 ..	8,26.36 7,93.56 5,39.87		.. 7,47.17 5,39.87	8,26.36 46.38 ..	8,26.36 7,93.55 5,39.87			94.00	94.00
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	8,08.05 1,50.34 1,96.61	5,50.87 1,00.23 1,31.07	13,58.92 2,50.57 3,27.68	8,75.35 1,19.12 2,34.86	8,08.05 1,50.34 1,96.61	5,50.87 1,00.23 1,31.07	13,58.92 2,50.57 3,27.68		33,36.82 6,21.86 8,13.12	21,20.94 3,93.54 5,14.58	54,57.76 10,15.40 13,27.70
शहरी विकास- स्मार्ट सिटी		सामान्य	2,15,00.00	..	2,15,00.00	1,47,00.00	2,15,00.00	..	2,15,00.00	98,00.00	30,00.00	..	30,00.00
लोक निर्माण कार्य-पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण		सामान्य	..	79.84	79.84	..	..	79.84	79.84	..	..	3,82.08	3,82.08
स्वच्छ भारत मिशन		सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.									11,74.60 2,30.50 3,04.90	3,91.53 76.84 1,01.63	15,66.13 3,07.34 4,06.53

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोजना/ अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
परम्परागत कृषि विकास योजना	सामान्य		3,48.86	2,32.58	5,81.44	17.42	3,48.86	2,32.58	5,81.44	..	18,65.74	12,43.82	31,09.56
	ज.जा.उ.यो.		19.60	13.06	32.66	3.28	19.60	13.06	32.66	..	3,16.09	2,10.72	5,26.81
	अ.जा.उ.यो.		74.36	49.57	1,23.93	4.54	74.36	49.57	1,23.93	..	4,52.42	3,01.62	7,54.04
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	सामान्य		27,47.14	74,39.31	1,01,86.45	1,36,00.00	27,47.14	74,39.31	1,01,86.45	..	27,56.66	18,37.78	45,94.44
	ज.जा.उ.यो.		5,48.36	3,65.58	9,13.94	28,00.00	5,48.36	3,65.58	9,13.94	..	1,88.10	1,25.40	3,13.50
	अ.जा.उ.यो.		5,31.73	3,54.48	8,86.21	36,00.00	5,30.53	3,53.68	8,84.21	..	7,85.40	5,23.59	13,08.99
शहरी परिवर्तन एवं कायाकल्प के लिए अटल मिशन (अमृत)	सामान्य		4,14,38.43	92,29.88	5,06,68.31	6,03,26.72	4,14,38.43	92,29.88	5,06,68.31	1,60,43.35	1,19,98.09	59,31.25	1,79,29.34
	ज.जा.उ.यो.		81,32.04	18,11.30	99,43.34	..	81,32.04	18,11.30	99,43.34	..	23,54.55	11,63.97	35,18.52
	अ.जा.उ.यो.		1,07,56.25	23,95.82	1,31,52.07	..	1,07,56.25	23,95.82	1,31,52.07	..	31,14.37	15,39.59	46,53.96
प्रधानमंत्री आवास योजना	सामान्य		21.55	3.37	24.92	16.67	21.55	3.37	24.92	14.73	9.98	2.47	12.45
	ज.जा.उ.यो.		4.23	0.66	4.89	..	4.23	0.66	4.89	3,54.54	3,56.50	0.49	3,56.99
	अ.जा.उ.यो.		5.59	0.87	6.46	..	5.59	0.88	6.47	11,77.95	11,80.54	0.64	11,81.18
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड घटक	सामान्य		2,50,06.60	1,66,71.07	4,16,77.67	3,14,69.60	2,50,06.60	1,66,71.07	4,16,77.67	..	1,80,34.00	1,20,22.67	3,00,56.67
	ज.जा.उ.यो.		35,83.00	23,88.66	59,71.66	35,83.00	35,83.00	23,88.66	59,71.66	..	16,10.00	10,73.33	26,83.33
	अ.जा.उ.यो.		88,14.00	58,75.99	1,46,89.99	99,37.00	88,14.00	58,75.99	1,46,89.99	..	42,59.00	28,39.33	70,98.33
पीने के पानी के लिए नर्बदा नहर में पी.एच.ई.डी. की हिस्सा लागत (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य		..	20,67.34	20,67.34	..	..	20,67.34	20,67.34	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.		..	3,23.84	3,23.84	..	..	3,23.84	3,23.84	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.		..	5,35.65	5,35.65	..	..	5,35.65	5,35.65	..	..	..	..
महिला कल्याण-स्वच्छ भारत मिशन का संचालन (ग्रामीण)	सामान्य		74.73	26.74	1,01.47	..	74.73	26.74	1,01.47	87.20	46.45	30.97	77.42
स्वच्छ भारत मिशन (आर डब्ल्यू एस एस) (ग्रामीण)	सामान्य		1,55,42.70	..	1,55,42.70	1,55,42.70	1,55,42.70	..	1,55,42.70	2,51,04.61	2,51,04.61	1,68,56.94	4,19,61.55
	ज.जा.उ.यो.		47,00.76	..	47,00.76	26,82.61	47,00.76	..	47,00.76	50,65.88	52,01.43	53,33.73	1,05,35.16
	अ.जा.उ.यो.		26,82.61	..	26,82.61	47,00.76	26,82.61	..	26,82.61	88,29.52	86,93.97	1,06,34.66	1,93,28.63
आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित गांवों में सामुदायिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य		..	..	..	..	..	..	..	..	29,78.38	..	29,78.38
	ज.जा.उ.यो.		..	..	..	..	..	..	..	..	3,43.44	..	3,43.44
	अ.जा.उ.यो.		..	..	..	..	..	..	..	..	4,50.25	..	4,50.25

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
जिला एवं अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	सामान्य	सामान्य	2,14.47	34.60	2,49.07	..	2,14.47	34.00	2,48.47	..	2,28.90	54.22	2,83.12
सिंचाई-चौ कुम्भा राम आर्य लिफ्ट (नोहर सांवा लिफ्ट)	सामान्य	सामान्य	..	7,36.76	7,36.76	..	..	7,36.76	7,36.76	..	..	7,36.61	7,36.61
सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	80.00	80.00	..	..	80.00	80.00	..	..	3,68.95	3,68.95
सिंचाई-पन्ना लाल भेरुपाल लिफ्ट (गजनेर लिफ्ट)	सामान्य	सामान्य	..	24,25.54	24,25.54	..	..	24,25.54	24,25.54	..	..	11,45.78	11,45.78
सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	5,34.47	5,34.47	..	..	5,34.47	5,34.47	..	..	3,89.21	3,89.21
सिंचाई-डा. करणी सिंह लिफ्ट (कोलायत लिफ्ट)	सामान्य	सामान्य	..	24,41.78	24,41.78	..	..	24,41.78	24,41.78	..	..	9,24.93	9,24.93
सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	5,35.00	5,35.00	..	..	5,35.00	5,35.00	..	..	3,31.72	3,31.72
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	सामान्य	सामान्य	1,23,51.48	8,06,75.90	9,30,27.38	1,23,51.48	1,23,51.48	8,06,75.90	9,30,27.38	5,19,83.57	5,19,83.57	5,19,71.44	10,39,55.01
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	57,28.82	10,31,45.06	10,88,73.88	57,28.82	57,28.82	10,31,45.06	10,88,73.88	5,23,63.58	5,23,63.58	1,94,33.52	7,17,97.10
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	2,12,09.27	3,99,26.08	6,11,35.35	2,12,09.27	2,12,09.27	3,99,26.08	6,11,35.35	2,66,92.85	2,66,92.85	2,54,78.76	5,21,71.61
विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन मिशन (एन.आर.यू.एम.)	सामान्य	सामान्य	14,83.00	9,89.00	24,72.00	21,60.00	14,83.00	9,89.00	24,72.00	..	..	77.84	77.84
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	2,92.00	1,94.00	4,86.00	..	2,92.00	1,94.00	4,86.00	..	..	15.28	15.28
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	3,85.00	2,57.00	6,42.00	..	3,85.00	2,57.00	6,42.00	..	..	20.21	20.21
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.)	सामान्य	सामान्य	..	10,94.00	10,94.00	..	..	10,94.00	10,94.00	..	15,84.50	56.08	16,40.58
	ज.जा.उ.यो.	ज.जा.उ.यो.	..	4,37.60	4,37.60	..	..	4,37.60	4,37.60	..	6,33.80	23.55	6,57.35
	अ.जा.उ.यो.	अ.जा.उ.यो.	..	6,56.40	6,56.40	..	..	6,56.40	6,56.40	..	9,50.70	32.53	9,83.23
राजकीय विद्यालयों में कक्षा I से VIII के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	सामान्य	सामान्य	42,00.00	27,97.62	69,97.62	..	42,00.00	27,97.62	69,97.62	..	42,87.52	28,58.35	71,45.87
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	सामान्य	सामान्य	..	47,95.90	47,95.90	..	..	47,95.90	47,95.90	..	35,78.69	23,94.82	59,73.51

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	बाड़मेर लिफ्ट नहर परियोजना फेज- II पार्ट-डी (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	18,88.23 5,30.34 7,31.43	9,50.37 1,82.93 2,47.70	28,38.60 7,13.27 9,79.13		18,88.23 5,30.34 7,31.43	9,50.37 1,82.93 2,47.70	28,38.60 7,13.27 9,79.13		23,37.50 3,54.00 4,56.51		23,37.50 3,54.00 4,56.51
	नील-क्रांति: समन्वित विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,52.59 5.24 5.86	69.05 3.49 4.60	2,21.64 8.73 10.46	9.25	1,51.23 5.24 5.86	69.03 3.49 4.60	2,20.26 8.73 10.46	2,19.22 27.00 19.98	1,39.35 3.03 6.00	67.00 2.01 6.97	2,06.35 5.04 12.97
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण अनुसंधान- राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति के लिए सहायतार्थ अनुदान (राजमेस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6,15.60	83,95.90 18,12.50 24,50.00	90,11.50 18,12.50 24,50.00		6,15.60	83,95.90 18,12.50 24,50.00	90,11.50 18,12.50 24,50.00				
पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसुचित जाति	अ.जा.उ.यो.	1,04,83.13	1,30,86.41	2,35,69.54	2,84,01.00	1,04,83.13	1,30,86.39	2,35,69.52	..	2,77,90.45	2,35,14.47	5,13,04.92
पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसुचित जनजाति	ज.जा.उ.यो.	1,50,08.40	79,94.53	2,30,02.93	2,55,57.03	1,50,07.79	79,94.53	2,30,02.32	..	2,42,86.77	82,45.56	3,25,32.33
पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं वजीफा	पश्च मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	51,73.93	8,01.73	59,75.66	19,00.00	51,73.93	8,05.12	59,79.05	..	58,13.30	18,78.51	76,91.81
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	माही बांध से जिला झालावाड़ के ब्लॉक सज्जनगढ़ तथा कुशलगढ़ के गांवों के लिए जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	18,07.07 3,21.51 4,37.90	86,63.96 26,73.27 34,62.38	1,04,71.03 29,94.78 39,00.28		18,07.07 3,21.51 4,37.90	86,63.96 26,73.28 34,62.38	1,04,71.03 29,94.79 39,00.28			31,28.50 11,52.65 17,28.51	31,28.50 11,52.65 17,28.51
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	जिला बून्दी चाकन बांध से इन्द्रगढ़ जलपूर्ति परियोजना (आर डब्ल्यू एस एस)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		3,53.89 66.21 92.07	3,53.89 66.21 92.07			3,53.89 66.21 92.07	3,53.89 66.21 92.07			1,97.15 36.70 50.55	1,97.15 36.70 50.55

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति/उपयोजना/अनु० जाति उपयोगा	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा		योग	भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
बाल कल्याण- बाल गृह-क्रेच का संचालन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	1,02.56 23.90 32.12	67.56 15.83 21.45	1,70.12 39.73 53.57		
टिकाऊ कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (कृषि वानिकी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	44.03 16.53 3.81	29.35 11.02 2.54	73.38 27.55 6.35		44.03 16.54 3.81	29.35 11.02 2.55	73.38 27.56 6.36		58.55 13.76 3.13	39.03 9.18 4.15	97.58 22.94 7.28	
भेड़ तथा बकरी का अनुवांशिक सुधार	सामान्य अ.जा.उ.यो.	79.25 7.80	51.59 4.87	1,30.84 12.67		78.55 7.81	51.41 4.87	1,29.96 12.68		20.36 3.35	13.78 2.29	34.14 5.64	
पोल्ट्री उत्पादकता परियोजना	सामान्य अ.जा.उ.यो.	67.50 24.00	45.00 16.00	1,12.50 40.00		67.50 24.00	45.00 16.00	1,12.50 40.00		88.80 22.20	59.19 14.79	1,47.99 36.99	
शहरी विकास- 14 वें वित्त आयोग के तहत नगर निगम और नगर पालिकाओं/नगर परिषद के लिए अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.								12,83,43.00	8,82,51.56 1,73,18.83 2,29,07.65		8,82,51.56 1,73,18.83 2,29,07.65	
प्राकृतिक विपत्ति पर राहत-राज्य आपदा मोचन निधि	सामान्य	17,97,76.39	3,68,12.55	21,65,88.94	14,81,00.00	17,43,00.98	3,66,80.13	21,09,81.11	10,05,00.00	11,69,35.54	48,06.71	12,17,42.25	
ग्रामीण विकास- 14 वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	15,20.68 2,99.56 4,07.69		15,20.68 2,99.56 4,07.69		15,20.67 2,99.56 4,07.69		15,20.67 2,99.56 4,07.69		34,59,47.45 6,79,63.70 9,00,67.16		34,59,47.45 6,79,63.70 9,00,67.16	
ग्रामीण विकास कार्यक्रम-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर जी एस ए)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	9,71.60 1,13.00 1,50.50	6,47.73 75.34 1,00.33	16,19.33 1,88.34 2,50.83	9,71.60 1,13.00 2,13.50	9,71.60 1,13.00 1,50.50	6,47.73 75.34 1,00.33	16,19.33 1,88.34 2,50.83		17,25.00	11,50.00	28,75.00	
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-टर्सरी कैसर केयर सेंटर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	85.56	5.10	90.66		85.56	5.10	90.66		4,48.80	2,12.91 40.00 52.00	6,61.71 40.00 52.00	

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य योजना	सामान्य	87.23	1,39.50	2,26.73	..	87.22	1,39.50	2,26.72	..	3,10.95	..	3,10.95
	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-यू.जी.सीटों में वृद्धि	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	15,60.98 2,91.61 5,36.55	1,90.67 0.02 3,70.89	17,51.65 2,91.63 9,07.44		15,60.96 2,91.58 5,36.55	1,90.65 .. 3,68.34	17,51.61 2,91.58 9,04.89		3,00.00 28.37 ..	 0.13	3,00.00 28.37 0.13
	भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत मौँ-वाडी केन्द्रों का निर्माण, नवीनीकरण और सुविधाओं का विस्तार	ज.जा.उ.यो.	6,60.00	..	6,60.00	..	6,60.00	..	6,60.00	..	9,60.00	..	9,60.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत अनुसूचित क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	4,39.00	..	4,39.00	..	4,39.00	..	4,39.00	..	5,25.00	..	5,25.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत माडा क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	36.00	..	36.00	..	36.00	..	36.00	..	1,25.00	..	1,25.00
	विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत विखरें क्षेत्र में डेयरी विकास कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	..	..	..	..	..	..	..	..	1,50.00	..	1,50.00
	राष्ट्रीय पोषण मिशन (एन.एन.एम.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	17,94.45 2,04.91 9,80.28	4,52.20 51.58 2,45.19	22,46.65 2,56.49 12,25.47		17,96.09 2,05.20 9,79.75	4,49.03 51.30 2,44.93	22,45.12 2,56.50 12,24.68		34,13.09 3,93.03 5,21.23	8,53.27 98.26 1,30.31	42,66.36 4,91.29 6,51.54
	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6,94.35 80.64 13.89	59,05.48 13,54.23 12,69.26	65,99.83 14,34.87 12,83.15	4,18.00	6,94.72 80.89 13.88	59,03.14 13,53.93 12,69.26	65,97.86 14,34.82 12,83.14		5,27.23 56.13 14.41	47,02.62 5,03.92 6,09.60	52,29.85 5,60.05 6,24.01

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोजना/अनु० जाति उपयोजना	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	ग्रामीण जलपूर्ति योजना-डूंगरपुर, आशपुर तथा डोवाड़ा पेयजल परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4,21.31 1,16.61 1,52.08	29,80.04 5,30.26 7,20.70	34,01.35 6,46.87 8,72.78	..	4,21.31 1,16.61 1,52.08	29,80.04 5,30.26 7,20.70	34,01.35 6,46.87 8,72.78	..	..	..	..
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषित अनाज	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6,28.82 79.70 1,17.41	4,19.22 53.13 78.28	10,48.04 1,32.83 1,95.69	..	6,28.82 79.70 1,17.41	4,19.22 53.13 78.28	10,48.04 1,32.83 1,95.69	..	3,43.67 25.38 44.69	2,29.11 16.92 29.79	5,72.78 42.30 74.48
	जवाई क्लस्टर परियोजना -IV, जिला पाली	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.				..				..	6,25.84 1,26.98 1,70.09	38,82.24 10,69.46 14,02.96	45,08.08 11,96.44 15,73.05
	पी.एम.एस.एस.वाई फेज III के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.				..				..	.. 6,09.00 8,01.00	30,90.00 6,09.00 8,01.00	30,90.00 6,09.00 8,01.00
	महिला शक्ति केन्द्र	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	66.36 14.81 20.34	44.97 9.87 13.27	1,11.33 24.68 33.61	9.38	67.56 14.78 20.31	45.76 9.87 13.27	1,13.32 24.65 33.58	..	64.42 12.53 19.81	41.16 8.23 12.11	1,05.58 20.76 31.92
	शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण, उदयपुर के लिए राजस्थान राज्य परिषद को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.				..				..	3,09.05 57.39 75.06	3,82.04 66.04 87.04	6,91.09 1,23.43 1,62.10
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	24,58.55 4,39.70 5,06.42	16,39.04 2,93.14 3,37.61	40,97.59 7,32.84 8,44.03	..	24,58.57 4,39.69 5,06.48	16,39.05 2,93.14 3,37.65	40,97.62 7,32.83 8,44.13	..	17,84.86 2,92.40 4,54.49	11,61.49 1,94.93 3,02.99	29,46.35 4,87.33 7,57.48
	औषधी विनियमन प्रणाली का सुदृढीकरण	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	12,44.89 95.00 1,43.00	2,92.68	15,37.57 95.00 1,43.00	..	12,44.88 95.00 1,43.00	2,92.68	15,37.56 95.00 1,43.00	15,35.00 3,01.00 3,99.00	2,75.19	1,67.49	4,42.68
	पी.जी.सीटों फेज- II में वृद्धि के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों का सुदृढीकरण तथा उन्नयन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	5,48.53 14,47.45 10,83.40	3,72.02 7,34.97 3,10.19	9,20.55 21,82.42 13,93.59	..	5,48.51 14,47.43 10,83.39	3,72.00 7,34.96 3,10.18	9,20.51 21,82.39 13,93.57	..	2,43.56 2.03 1.28	16.65	2,60.21 2.03 1.28

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोगिता/अनु० जाति उपयोगिता	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी के औद्योगिक प्रवाह प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन		सामान्य	..	..	..	..	..	..	..	..	1,00.00	..	1,00.00
औद्योगिक मूल्य वर्धन के लिए कौशल का सुदृढीकरण		सामान्य	6,27.80	..	6,27.80	14,17.00	6,27.80	..	6,27.80	18,17.54	..	..	..
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (एन.आर.ई.टी.पी.)		सामान्य	12,35.52	10,00.00	22,35.52	..	12,35.52	10,00.00	22,35.52	..	6,85.80	..	6,85.80
		ज.जा.उ.यो.	6,00.00	6,00.00	12,00.00	..	6,00.00	6,00.00	12,00.00	..	2,74.32	..	2,74.32
		अ.जा.उ.यो.	6,35.51	3,98.98	10,34.49	..	635.51	3,98.98	10,34.49	..	4,11.48	..	4,11.48
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.)		सामान्य	31,40.19	22,75.88	54,16.07	..	31,40.19	22,75.88	54,16.07	..	..	..	..
जनगणना -2021		सामान्य	16,41.70	..	16,41.70	..	16,41.70	..	16,41.70	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	3,50.40	..	3,50.40	..	3,50.40	..	3,50.40	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	5,25.60	..	5,25.60	..	5,25.60	..	5,25.60	..	..	..	..
केन्द्रीय वित्त आयोग		सामान्य	6,38,47.36	..	6,38,47.36	18,59,00.00	6,38,47.36	..	6,38,47.36	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,25,29.65	..	1,25,29.65	..	1,25,29.65	..	1,25,29.65	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,65,72.99	..	1,65,72.99	..	1,65,72.99	..	1,65,72.99	..	..	..	..
केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को सामान्य बुनियादी अनुदान		सामान्य	13,19,55.54	..	13,19,55.54	..	13,19,55.54	..	13,19,55.54	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	2,60,05.83	..	2,60,05.83	..	2,60,05.83	..	2,60,05.83	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	3,46,74.45	..	3,46,74.45	..	3,46,74.45	..	3,46,74.45	..	..	..	..
समग्र शिक्षा		सामान्य	15,47,40.44	48,88,90.71	64,36,31.15	14,58,46.27	15,47,35.25	48,88,84.40	64,36,19.65	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	3,95,37.43	6,52,14.42	10,47,51.85	3,23,37.71	3,95,36.97	6,52,12.38	10,47,49.35	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	4,53,73.27	9,92,60.45	14,46,33.72	4,43,03.90	4,53,72.70	9,92,60.36	14,46,33.06	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)		सामान्य	8,24.00	..	8,24.00	..	8,24.00	..	8,24.00	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,62.00	..	1,62.00	..	1,62.00	..	1,62.00	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,14.00	..	2,14.00	..	2,14.00	..	2,14.00	..	..	..	..
संकल्प योजना		सामान्य	9,51.16	3,76.37	13,27.53	..	9,51.16	3,76.37	13,27.53	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,09.36	47.11	1,56.47	..	1,09.36	47.10	1,56.46	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,11.09	90.92	3,02.01	..	2,11.09	90.92	3,02.01	..	..	..	..
निर्भया निधि योजना द्वारा राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण		सामान्य	2,79.82	..	2,79.82	..	2,79.69	..	2,79.69	..	..	..	..
जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण जलपूर्ति योजना का पुनर्निर्माण एवं वृद्धि		सामान्य	1,12,28.40	1,06,88.52	2,19,16.92	..	1,12,28.39	1,06,88.52	2,19,16.91	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	20,10.22	16,89.61	36,99.83	..	20,08.34	16,91.49	36,99.83	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	26,38.13	23,46.07	49,84.20	..	26,21.43	23,60.95	49,82.38	..	..	..	..
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच		सामान्य	3,05.28	3,52.28	6,57.56	..	3,02.82	3,54.02	6,56.84	..	..	..	..
जल जीवन मिशन की सहायक गतिविधियां		सामान्य	18,02.80	6,70.59	24,73.39	..	18,02.80	6,70.59	24,73.39	..	..	..	..
चम्बल-धोलपुर-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना		सामान्य	2,47.27	2,28.93	4,76.20	..	2,47.27	2,28.93	4,76.20	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	49.10	43.08	92.18	..	49.10	43.08	92.18	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	63.92	59.76	1,23.68	..	63.92	59.76	1,23.68	..	..	..	..
बीसलपुर-दद-फुलेरा जलपूर्ति परियोजना		सामान्य	1,99.51	51.54	2,51.05	..	1,99.51	(-) 44.22	1,55.29	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	74.01	..	74.01	..	74.01	..	74.01	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	82.39	..	82.39	..	82.39	..	82.39	..	..	..	..
चुरू-झुन्झुन जलपूर्ति परियोजना फेज- II		सामान्य	12,50.06	..	12,50.06	..	12,50.06	..	12,50.06	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	2,12.95	..	2,12.95	..	2,12.95	..	2,12.95	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,90.07	..	2,90.07	..	2,90.07	..	2,90.07	..	..	..	..
डीग जलपूर्ति परियोजना		सामान्य	11,20.19	2,22.71	13,42.90	..	11,20.19	2,22.72	13,42.91	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	1,87.25	42.76	2,30.01	..	1,87.25	42.76	2,30.01	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	2,94.59	57.00	3,51.59	..	2,94.59	57.00	3,51.59	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
	बाइमेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज-II पार्ट-बी (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,32.36 36.87 61.34	2,43.58 51.70 18.33	3,75.94 88.57 79.67	..	1,32.36 36.87 61.34	2,43.58 51.70 18.33	3,75.94 88.57 79.67	..	..	..	..
	बाइमेर लिफ्ट केनाल परियोजना फेज-II पार्ट-सी (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	65,81.08 11,45.98 15,77.94	50,99.90 8,90.03 14,64.25	1,16,80.98 20,36.01 30,42.19	..	65,81.08 11,45.98 15,77.94	50,99.90 8,90.03 14,64.25	1,16,80.98 20,36.01 30,42.19	..	..	..	..
	व्यावर-ज्वाजा क्लस्टर परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	11,87.93 3,30.29 4,28.77	7,99.77 1,53.32 2,07.99	19,87.70 4,83.61 6,36.76	..	11,87.93 3,30.29 4,28.77	6,12.75 1,53.32 2,07.99	18,00.68 4,83.61 6,36.76	..	..	..	..
	गागरिन जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	7,68.26 1,71.04 2,16.70	6,87.96 1,32.73 1,78.31	14,56.22 3,03.77 3,95.01	..	7,68.26 1,71.04 2,16.70	6,87.96 1,32.73 1,78.31	14,56.22 3,03.77 3,95.01	..	..	..	..
	बांरा क्लस्टर परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,67.76 58.57 69.00	30.80 5.79 8.03	2,98.56 64.36 77.03	..	2,67.76 58.57 69.00	30.80 5.79 8.03	2,98.56 64.36 77.03	..	..	..	..
	चम्बल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	44,34.69 9,40.90 10,65.73	72,33.82 17,98.13 24,60.52	1,16,68.51 27,39.03 35,26.25	..	43,07.43 9,40.90 10,65.73	68,42.58 17,98.13 24,60.52	1,11,50.01 27,39.03 35,26.25	..	..	..	..
	चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना फेज-I पार्ट-II (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	30,59.38 11,22.16 15,25.69	17,70.01 7,40.82 10,21.80	48,29.39 18,62.98 25,47.49	..	30,59.38 11,22.16 15,25.69	17,70.01 7,40.82 10,21.80	48,29.39 18,62.98 25,47.49	..	..	..	..
	बांसवाड़ा-प्रतापगढ़ जलपूर्ति परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	30,98.88 5,59.74 7,59.36	4,81.00 6,53.74 1,25.00	35,79.88 6,53.74 8,84.36	..	30,98.88 5,59.74 7,59.36	4,81.00 6,53.74 1,25.00	35,79.88 6,53.74 8,84.36	..	..	..	..
	नर्बदा जलपूर्ति परियोजना क्लस्टर (डी.आर.) (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	9,03.89 2,32.35 3,03.48	9,72.36 3,18.28 4,11.89	18,76.25 5,50.63 7,15.37	..	9,03.89 2,32.35 3,03.48	9,72.36 3,18.28 4,11.89	18,76.25 5,50.63 7,15.37	..	..	..	..
	बाइमेर जिले की शिव तहसील से नर्बदा ग्रामीण जलपूर्ति योजना (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	32,77.99 4,53.00 7,18.00	43,40.21 5,96.41 7,90.83	76,18.20 10,49.41 15,08.83	..	32,77.99 4,53.00 7,18.00	43,40.21 5,96.41 7,90.83	76,18.20 10,49.41 15,08.83	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/ जनजाति उपयोग/ अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21 [*]			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
चम्बल-बूंदी क्लस्टर परियोजना	सामान्य	22.00	1,76.69	1,98.69	..	22.00	1,76.69	1,98.69	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	4.00	30.25	34.25	..	4.00	30.25	34.25	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	6.00	43.06	49.06	..	6.00	43.06	49.06	..	..	..	..	
जवाई क्लस्टर परियोजना- IV	सामान्य	1,15.00	71,78.47	72,93.47	..	1,15.00	71,78.47	72,93.47	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	22.00	14,36.00	14,58.00	..	22.00	14,36.00	14,58.00	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	30.00	18,92.50	19,22.50	..	30.00	18,92.50	19,22.50	..	..	..	..	
नागौर लिफ्ट कैनाज फेज-I	सामान्य	..	14,41.68	14,41.68	..	..	14,41.68	14,41.68	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	2,70.32	2,70.32	..	..	2,70.32	2,70.32	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	3,57.28	3,57.28	..	..	3,57.28	3,57.28	..	..	..	..	
निवाई तथा टोंक तहसील के 199 गाँवों की ग्रामीण जलपूर्ति योजना	सामान्य	..	1,00.10	1,00.10	..	..	1,00.10	1,00.10	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	18.68	18.68	..	..	18.68	18.68	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	25.94	25.94	..	..	25.94	25.94	..	..	..	..	
बीसलपुर बांध से टोंक, उनियारा तथा देवली जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	..	9,71.67	9,71.67	..	..	9,70.90	9,70.90	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	1,76.93	1,76.93	..	..	1,76.93	1,76.93	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	2,51.12	2,51.12	..	..	2,32.16	2,32.16	..	..	..	..	
बीसलपुर चाकसू परियोजना	सामान्य	..	94.49	94.49	..	..	94.49	94.49	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	18.29	18.29	..	..	18.29	18.29	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	24.32	24.32	..	..	24.32	24.32	..	..	..	..	
बीसलपुर फागी परियोजना	सामान्य	2,41.85	1,03.18	3,45.03	..	2,41.85	1,03.18	3,45.03	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	83.14	21.00	1,04.14	..	83.14	21.00	1,04.14	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	86.00	28.00	1,14.00	..	86.00	28.00	1,14.00	..	..	..	..	
अन्ता-मांगरोल तहसील जिला बांरा की सोनवा जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	..	13,62.42	13,62.42	..	..	13,62.42	13,62.42	..	..	..	..	
	ज.जा.उ.यो.	..	1,06.85	1,06.85	..	..	1,06.85	1,06.85	..	..	..	..	
	अ.जा.उ.यो.	..	1,23.53	1,23.53	..	..	1,23.53	1,23.53	..	..	..	..	
जनजाति लड़कियों तथा लड़कों के लिए कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	10,00.00	..	10,00.00	..	10,00.00	..	10,00.00	..	..	..	..	
प्रधानमंत्री कुसुम योजना	ज.जा.उ.यो.	8,00.00	..	8,00.00	..	8,00.00	..	8,00.00	..	..	..	..	

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

क-केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाएं)- (समाप्त)

भारत सरकार की योजना (के.प्र.यो., केन्द्रीय योजना तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित योजनाएं)	व्यय लेखा शीर्ष के अन्तर्गत राज्य योजना	सामान्य/जनजाति उपयोग/अनु० जाति उपयोग	बजट प्रावधान 2020-21*			वास्तविक 2020-21				वास्तविक 2019-20			
			भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग	भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय			भारत सरकार द्वारा जारी	व्यय		
							भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग		भारत सरकार का हिस्सा	राज्य हिस्सा	योग
(₹ लाख में)													
पढ़ना लिखना अभियान		सामान्य	4,00.75	2,67.16	6,67.91	..	4,00.75	2,67.16	6,67.91	..	..	..	..
		ज.जा.उ.यो.	61.88	41.25	1,03.13	..	61.88	41.25	1,03.13	..	..	..	..
		अ.जा.उ.यो.	1,15.66	77.10	1,92.76	..	1,15.66	77.10	1,92.76	..	..	..	..
अन्य योजनाएं जहां प्रावधान तथा व्यय ₹ 1 करोड़ से कम है		सामान्य	7,19.86	10,91.93	18,11.79	..	7,20.34	10,84.92	18,05.26	35.28	6,96.04	9,90.12	16,86.16
		ज.जा.उ.यो.	3,21.44	47.79	3,69.23	..	3,21.45	47.78	3,69.23	..	2,70.94	31.53	3,02.47
		अ.जा.उ.यो.	8.40	98.73	1,07.13	..	8.40	98.72	1,07.12	..	14.31	62.73	77.04
कुल योग			1,90,29,24.51	2,77,65,24.73	4,67,94,49.24	1,30,56,47.62	1,90,80,42.70	2,78,58,42.72	4,69,38,85.42	78,33,67.43	2,04,60,82.41	2,27,06,82.47	4,31,67,64.88

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं *

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./ अ.जा.उ.यो.#	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
राजस्थान निवेश संवर्धन नीति	सामान्य	3,94,91.66	3,94,36.08	7,86,42.38	3,53,85.06	7,86,42.38	3,53,20.25
लोक कार्य-राजस्व भवन	सामान्य	16,56.12	26,19.56	15,17.72	17,46.21	14,96.09	17,33.35
	ज.जा.उ.यो.	3,12.17	5,75.98	1,52.61	2,38.98	1,52.61	2,37.70
	अ.जा.उ.यो.	3,80.81	7,02.62	2,19.24	5,00.14	2,15.78	4,48.15
लोक कार्य-सचिवालय में निर्माण	सामान्य	4,05.81	3,90.59	1,73.62	48.77	1,73.62	48.77
प्राथमिक शिक्षा- निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	1,25.77	1,33.98	29.78	1,01.61	29.28	1,00.63
लड़कों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	सामान्य	2,07,02.02	2,17,72.60	54,23.22	1,65,58.84	54,22.90	1,65,54.70
	ज.जा.उ.यो.	2,50.00	3,00.02	60.07	1,82.55	60.07	1,82.55
	अ.जा.उ.यो.	1,07.60	1,07.60	1,06.86	1,07.60	1,06.86	1,07.60
लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय	सामान्य	30,00.21	26,40.52	9,17.62	26,62.43	9,17.62	26,62.37
	ज.जा.उ.यो.	0.01	7.02	..	0.84	..	0.84
प्राथमिक शिक्षा निरीक्षण	सामान्य	5,33.50	5,31.10	4,87.45	3,84.02	4,87.45	3,84.02
जनजाति क्षेत्र विकास के माध्यम से आश्रम छात्रवासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	77,94.64	78,10.35	76,28.69	73,82.27	75,94.31	73,78.68
मदरसा बोर्ड	सामान्य	2,03.00	1,96.84	1,81.00	1,96.00	1,81.00	1,96.00
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर	सामान्य	3,41.17	7,35.48	36.53	1,45.59	36.53	1,45.59
लड़कों के राजकीय महाविद्यालय	सामान्य	85,60.20	74,43.21	85,66.07	85,44.09	85,64.21	85,43.45
	ज.जा.उ.यो.	13,33.15	14,16.66	14,14.48	11,53.78	14,12.33	11,52.66
	अ.जा.उ.यो.	12,92.60	10,77.62	17,65.36	13,92.78	17,64.13	13,92.76
लड़कियों के राजकीय महाविद्यालय	सामान्य	38,06.66	20,04.71	32,91.19	34,35.53	32,90.72	34,35.51

* परियोजनाओं में ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक का राज्य निधि/योजनागत परिव्यय अथवा बजट आवंटन अथवा व्यय को सम्मिलित किया गया है।

इस परिशिष्ट में प्रयुक्त निम्न संक्षिप्त रूपों का पूर्ण विवरण इस प्रकार है:- 1. ज.जा.उ.यो. - जनजाति उप-योजना 2. अ.जा.उ.यो. - अनुसूचित जाति उप-योजना।

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम	सामान्य	1,84.54	3,67.79	1,16.12	1,65.09	1,16.13	1,65.08
	ज.जा.उ.यो.	16.92	34.41	12.93	14.25	12.93	14.25
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
भाषा विकास (संस्कृत शिक्षा)- संस्कृत विद्यालय	सामान्य	70,89.95	73,04.42	66,20.33	61,14.73	66,24.13	61,14.73
	ज.जा.उ.यो.	7,82.15	9,22.15	8,35.09	6,66.16	8,35.09	6,66.16
	अ.जा.उ.यो.	17,03.45	17,03.25	13,91.76	14,59.04	13,91.76	14,59.03
माध्यमिक शिक्षा - माध्यमिक विद्यालय भवन	सामान्य	2,00.00	2,00.00	41.24	1,75.19	39.56	1,75.19
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा- उच्च शिक्षा भवन	सामान्य	15,04.88	32,24.12	45,87.25	32,23.79	45,92.13	32,23.12
	अ.जा.उ.यो.	4,17.83	6,67.83	14,16.29	3,32.53	14,16.28	3,32.52
युवा तथा खेलकूद सेवाएं- जिला खेलकूद परिसर	सामान्य	2,86.72	2,97.95	1,20.00	..	1,20.00	..
	ज.जा.उ.यो.	3,54.49	5,22.88	30.00	50.00	30.00	50.00
	अ.जा.उ.यो.	3,58.76	5,29.17	..	1,50.00	..	1,50.00
कला एवं संस्कृति-मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण तथा उन्नयन	सामान्य	1,73.74	3,50.01	2,02.84	1,06.57	2,02.84	1,06.57
विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम	सामान्य	10,00.00	16,00.00	7,63.59	7,14.60	7,63.59	7,14.60
राजस्थान राज्य भारत स्काउट तथा गाइड्स	सामान्य	2,40.03	4,31.17	1,37.25	3,38.61	1,37.25	3,38.61
	ज.जा.उ.यो.	22.47	51.50	..	35.47	..	35.47
	अ.जा.उ.यो.	37.50	78.33	22.74	54.50	22.74	54.50
खेलकूद तथा युवा सेवाएं - राजस्थान खेलकूद परिषद	सामान्य	13,73.80	13,73.80	4,00.00	6,86.90	4,00.00	6,86.90
	ज.जा.उ.यो.	2,69.60	2,69.60	1,60.00	1,34.80	1,60.00	1,34.80
	अ.जा.उ.यो.	3,56.60	3,56.60	2,40.00	1,78.30	2,40.00	1,78.30
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर	सामान्य	1,45.01	1,50.01	35.00	86.40	35.00	86.40
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - जवाहर कला केन्द्र	सामान्य	6,75.00	7,93.00	2,15.00	6,40.97	2,15.00	6,40.97

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
कला तथा संस्कृति का संवर्द्धन - स्वायत्तशासी निकायों, स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	सामान्य	1,90.00	2,00.00	28.56	1,62.00	28.56	1,62.00
अनुसूचित जातियों का कल्याण - अम्बेडकर पीठ	अ.जा.उ.यो.	2,38.00	2,38.50	1,42.06	78.00	1,42.06	78.00
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	1,00.00	99.97	99.54	99.56	99.54
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद - निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	8,18.87	7,64.88	7,18.48	7,07.80	7,18.10	7,07.75
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद - अस्पताल तथा औषधालय	सामान्य अ.जा.उ.यो.	18,77.39 2,44.43	17,17.45 3,07.20	15,79.72 1,65.32	16,02.86 1,95.04	15,78.91 1,64.34	16,01.64 1,95.00
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेदिक शिक्षा-आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	4,35.78 22.50 12.00	1,41.45 19.50 8.50	39.98 18.93 8.00	84.85 13.58 7.36	36.20 18.93 8.00	84.84 13.58 7.37
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, होम्योपैथी - अस्पताल तथा औषधालय (शहरी)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	7,36.05 3,02.30	7,06.06 2,92.11	6,61.97 2,62.86	5,62.90 2,18.67	6,61.97 2,62.85	5,62.90 2,18.66
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - यूनानी अस्पताल तथा औषधालय (शहरी)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	8,61.02 82.00	10,01.07 81.03	7,91.38 56.46	7,61.93 66.66	7,87.71 56.09	7,61.93 66.66
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-स्वास्थ्य उप केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर पंचायतों को सहायता (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	49,19.68	38,69.09	36,88.27	32,89.86	36,88.80	32,89.55
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर पंचायतों को सहायता (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	75,72.81	60,21.82	56,67.30	53,88.92	56,68.76	53,88.82
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	47,15.13	25,69.35	35,95.53	31,03.88	35,94.56	31,03.00
चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	67,22.03 1,67.00 90,36.01	53,47.04 1,60.00 80,35.02	65,90.40 1,67.47 89,38.70	54,10.58 1,41.74 77,16.74	65,87.69 1,67.47 89,38.69	54,08.95 1,41.74 77,16.74

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जयपुर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना	सामान्य	20,35.00	14,30.00	20,32.51	19,92.54	20,31.92	19,92.23
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान	सामान्य	42,60.01	1,02,60.01	..	50,02.37	..	50,02.37
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं- नर्स/कम्पाउन्डर आयुर्वेद प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर का सुधार	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,99.90 29.66 88.36	2.56 0.01 45.00		2.56 .. 88.36		2.56 .. 88.36
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	सामान्य अ.जा.उ.यो.	.. 6,22.00	0.01 7,82.00	.. 1,17.03		.. 1,17.03	
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन	सामान्य	2,42.61	0.01	1,79.34	..	1,79.34	..
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान - मेडिकल महाविद्यालय, जयपुर में अन्य व्यय	सामान्य	16,20.01	20,51.48	11,65.62	17,66.69	11,65.62	17,50.25
जलपूर्ति के लिए प्रशिक्षण- अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान	सामान्य	2,02.94	1,93.15	1,64.45	1,49.87	1,64.45	1,49.87
पाइप लाईन के माध्यम से ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं	सामान्य	1,07,00.70	1,11,33.05	..	94,73.90	1,06,41.40	92,73.90
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - मशीनरी, फिल्टर संयंत्रों तथा मुख्य कार्यों का आधुनिकीकरण, कार्याकल्प तथा पुर्नजीवीकरण, फिल्टर संयंत्रों के लिए उपकरणों की खरीद सहित	सामान्य	1,64.50	1,75.00	5.00	54.10	5.00	54.10
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता	सामान्य	84,81.00	89,25.00	90,64.61	65,04.38	90,33.68	65,00.58
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - पम्प तथा मोटर को बदलना	सामान्य	10,34.00	11,00.00	9,41.41	7,29.32	9,41.30	7,29.32

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु	सामान्य	20,68.00	22,00.00	8,47.67	14,33.76	8,39.51	14,29.92
शहरी जलपूर्ति योजना - चम्बल-सवाई माधोपुर-बालेर जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	20.00	27,05.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	4.00	7,85.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	6.00	10,10.00	..	..	..	..
शहरी जलपूर्ति योजना - आपणी योजना फेज-II (चूरु तथा झुंझुनू जलपूर्ति परियोजना) (शहरी)	सामान्य	2,40.00	8,97.00	1,29.24	8,97.00	1,29.24	8,97.00
	ज.जा.उ.यो.	48.00	1,69.00	37.59	1,58.47	37.59	1,58.47
	अ.जा.उ.यो.	62.00	2,34.00	48.57	2,14.52	48.57	2,14.52
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - जनता जल योजना	सामान्य	56,40.00	60,00.00	13,59.27	35,46.98	13,48.97	35,39.63
ग्रामीण जलपूर्ति योजना - सलाहकारों के माध्यम से परियोजनाओं की तैयारी	सामान्य	24.00	25.00	1,63.92	11.99	1,63.92	11.99
शहरी जलपूर्ति योजना - नागौर लिफ्ट नहर जलपूर्ति परियोजना फेज-1 (शहरी)	सामान्य	25,00.00	28,00.00	25,19.49	2,89.39	25,19.49	2,89.39
आवासीय- सामान्य पूल आवास	सामान्य	7,00.00	5,46.08	9,17.89	8,87.42	9,17.89	8,87.16
शहरी विकास-राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नगर निगम और नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए अनुदान	सामान्य	8,32,50.21	3,57,67.26	11,81,88.90	2,95,85.14	11,81,88.90	2,95,85.14
	ज.जा.उ.यो.	1,63,37.36	70,19.12	2,31,93.87	58,05.89	2,31,93.87	58,05.89
	अ.जा.उ.यो.	2,16,09.43	92,84.17	3,06,78.51	76,79.46	3,06,78.51	76,79.46
शहरी जन सहभागिता योजना	सामान्य	6,87.00	6,87.00	45.28	2,56.13	45.28	2,56.13
	ज.जा.उ.यो.	1,35.00	1,35.00	8.89	50.27	8.89	50.27
	अ.जा.उ.यो.	1,78.00	1,78.00	11.75	66.49	11.75	66.49
शहरी नवीनीकरण - सड़क और नालियां	सामान्य	30,91.05	3,43.45	23,47.16	3,40.72	23,47.16	3,40.72
	ज.जा.उ.यो.	6,06.60	67.40	4,60.62	66.86	4,60.61	66.87
	अ.जा.उ.यो.	8,02.35	89.15	6,09.26	88.44	6,09.26	88.44
शहरी विकास - नगर नियोजन	सामान्य	0.01	1,77.32	..	1,25.94	..	1,25.94
सूचना तथा प्रचार- सूचना केन्द्र तथा कार्यालय भवन	सामान्य	62.18	2,46.94	33.29	1,43.27	25.64	1,26.00
	ज.जा.उ.यो.	31.34	1,40.16	30.94	35.02	30.95	35.02
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	0.01	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
छात्रावासों का रखरखाव	सामान्य	1,06,97.02	1,25,58.52	72,70.22	1,08,66.59	72,70.21	1,08,66.16
सम्बल ग्राम का विकास	अ.जा.उ.यो.	2,00.00	3,34.31	..	3,34.31	..	3,34.31
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कल्याण- राजस्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को सहायता (आर एस एफ डी सी सी)	अ.जा.उ.यो.	10,00.00	10,00.00	10,00.00	11,46.00	10,00.00	11,46.00
पालनहार योजना	सामान्य	1,68,00.00	1,68,00.00	3,45,97.31	2,32,73.00	3,45,99.78	2,31,76.04
	ज.जा.उ.यो.	32,00.00	32,00.00	83,85.66	53,88.53	84,01.22	53,68.57
	अ.जा.उ.यो.	60,00.00	60,00.00	1,35,82.34	74,85.62	1,35,82.26	71,82.76
अनुप्रति योजना	सामान्य	20.00	30.00	0.93	25.03	0.93	25.03
	ज.जा.उ.यो.	1,30.00	1,50.00	20.65	1,07.60	20.65	1,06.70
	अ.जा.उ.यो.	1,00.00	1,50.00	11.20	61.40	11.20	61.40
सहयोग योजना	सामान्य	8,00.00	8,00.00	15,95.74	10,27.48	15,95.76	9,63.16
	ज.जा.उ.यो.	3,00.00	2,80.00	5,44.52	3,30.00	5,48.89	3,27.50
	अ.जा.उ.यो.	4,00.00	4,10.00	8,42.73	4,80.85	8,42.33	4,78.85
अल्पसंख्यकों का कल्याण- राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान (आर एम एफ डी सी सी)	सामान्य	2,15.00	2,16.00	1,70.31	2,80.00	1,70.31	2,80.00
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - गाड़िया लुहार के लिए एकीकृत परियोजना	सामान्य	1,50.00	1,50.00	1,99.35	1,40.40	1,99.35	1,39.70
रोजगार मेला	सामान्य	1,00.00	3,00.00	12.00	59.56	12.00	59.56
	ज.जा.उ.यो.	26.00	26.00	1.27	9.61	1.27	9.61
	अ.जा.उ.यो.	36.00	36.00	3.00	23.14	3.00	23.14
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-विश्वास योजना	सामान्य	1,00.00	2,04.75	97.71	80.49	97.71	80.49
	ज.जा.उ.यो.	25.00	70.00	14.83	16.03	14.83	16.03
बाल कल्याण- बाल कल्याण योजनाओं का विस्तार	सामान्य	65.00	60.00	65.00	1,10.00	65.00	1,10.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
महिला कल्याण –महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान	सामान्य	1,56.60	2,84.62	49.89	1,39.08	52.87	1,34.94
पोषण - महिला कल्याण कोष	सामान्य	7,51.18	6,14.85	4,62.11	4,46.12	4,51.12	4,42.24
	ज.जा.उ.यो.	1,10.53	85.23	74.07	64.31	71.69	64.30
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -	सामान्य	1,30.00	1,00.00	1,30.00	1,23.25	1,29.50	1,22.75
विकलांगों के विवाह के लिए शिविर	ज.जा.उ.यो.	15.00	15.00	13.50	12.75	13.50	12.75
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण – सार्वजनिक जागरूकता, अनुसंधान प्रकाशन तथा नशा विरोधी का प्रचार और अन्य कुप्रथाओं की रोकथाम	सामान्य	75.00	70.00	47.87	1,98.53	47.87	1,98.53
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - पशुपालकों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन	सामान्य	4,35.51	4,05.61	4,29.79	3,64.52	4,29.80	3,64.52
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ घूमंतु जनजातियों के बच्चों के लिए एकल एवं संयुक्त छात्रावास	सामान्य	1,10.00	1,45.00	42.92	46.41	42.92	46.41
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - रेबारी एवं अन्य प्रवासी समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भवन	सामान्य	2,66.68	6,00.00	2,37.97	3,58.05	2,37.96	3,58.04
श्रम कल्याण-खण्डीय तथा जिला कार्यालय भवन	सामान्य	25.74	1,15.54	25.73	..	25.74	..
औद्योगिक प्रशिक्षण –औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई)	सामान्य	58,66.00	55,97.00	62,35.66	34,80.35	62,35.65	34,36.44
	ज.जा.उ.यो.	3,50.00	7,80.90	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	5,50.00	8,00.00	1.15	0.82	1.15	0.82
तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं का निर्माण	सामान्य	2,35.64	6,21.35	77.65	2,97.48	77.66	2,97.32
	ज.जा.उ.यो.	25.01	96.60	..	..	..	..
कृषि विकास- बीज विकास	सामान्य	4,65.00	4,40.68	1,58.04	2,65.81	1,58.03	2,65.71
	ज.जा.उ.यो.	90.00	90.00	27.03	71.34	27.03	71.42
	अ.जा.उ.यो.	1,10.00	1,10.00	32.43	74.58	32.43	74.69

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जिला स्तरीय कृषि योजनाएं- कृषि विस्तार सेवाएं	सामान्य	2,02.20	2,02.20	23.61	1,18.15	23.60	1,18.18
	ज.जा.उ.यो.	27.70	27.70	4.80	20.90	4.80	20.92
	अ.जा.उ.यो.	36.60	36.60	4.50	27.14	4.51	27.15
कृषि सूचना	सामान्य	8,22.02	1,61.02	8,09.51	92.27	8,09.51	92.31
	ज.जा.उ.यो.	1,53.01	30.01	1,52.88	23.13	1,52.87	23.13
	अ.जा.उ.यो.	2,08.01	38.01	2,07.41	35.38	2,07.41	35.38
जिला स्तरीय कृषि योजनाएं- कृषि प्रदर्शनी	सामान्य	2,52.00	2,75.00	18.55	1,47.41	18.55	1,47.66
	ज.जा.उ.यो.	32.00	45.00	10.05	15.70	10.05	15.75
	अ.जा.उ.यो.	66.00	77.00	1.50	55.17	1.50	54.86
कृषि विकास-प्रोत्साहन कार्यक्रम	सामान्य	3,50.25	3,50.00	1,93.74	1,88.53	1,93.73	1,88.53
	ज.जा.उ.यो.	1,59.00	1,59.00	64.78	67.61	64.78	67.61
	अ.जा.उ.यो.	1,48.00	1,48.00	62.63	78.25	62.64	78.25
बागवानी का विकास	सामान्य	15,99.73	17,35.57	15,76.49	21,78.11	15,76.48	21,78.09
	ज.जा.उ.यो.	1,70.62	2,65.66	1,32.82	1,62.01	1,32.83	1,62.00
	अ.जा.उ.यो.	1.00	1.01	0.70	9.96	0.70	9.96
कृषि विकास-जल प्रबंधन	सामान्य	71,69.58	32,97.10	64,09.40	30,60.60	64,09.40	30,60.60
	ज.जा.उ.यो.	7,15.33	3,48.00	3,67.29	76.01	3,67.29	76.01
	अ.जा.उ.यो.	17,46.08	7,12.00	3,90.82	5,95.69	3,89.82	5,96.69
मृदा संरक्षण-स्थापना व्यय	सामान्य	30,60.02	19,53.16	31,72.56	29,51.72	31,72.56	29,47.94
पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य- पशु अस्पताल तथा औषधालय	सामान्य	1,12,07.99	1,07,51.56	1,42,58.89	1,13,62.81	1,42,52.78	1,13,62.78
	ज.जा.उ.यो.	26,70.81	10,26.71	15,79.52	8,43.27	15,79.47	8,42.71
	अ.जा.उ.यो.	35,55.60	15,40.00	48,81.22	4.00	48,80.62	4.00
पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य- पशु पॉलीक्लिनक्स	सामान्य	..	12,73.62	..	10,23.39	..	10,23.38
परिभाषित वनों का पुर्नवास	सामान्य	9,35.10	10,12.17	9,57.18	9,52.95	9,51.23	9,52.95
	ज.जा.उ.यो.	11,06.97	13,07.47	11,17.52	12,63.49	11,17.33	12,63.37
	अ.जा.उ.यो.	5,66.71	6,77.33	6,06.67	6,10.15	6,06.57	6,10.14
जैव विविधता संरक्षण परिस्थितिकीय पर्यटन गतिविधियों को शामिल करते हुए	सामान्य	2,41.82	4,42.17	2,11.41	1,87.70	2,11.89	1,87.56
	ज.जा.उ.यो.	5.00	5.00	5.17	3.84	5.18	3.84

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
फार्म वानिकी	सामान्य	3,55.41	2,71.91	3,23.84	1,91.53	3,25.26	1,90.01
घना पक्षी अभ्यारण का विकास (गोवर्धन ड्रेन)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	0.01 1,10.00	0.01 1,20.00	.. 1,69.98	.. 1,44.95	.. 1,69.98	.. 1,44.95
वानिकी संचार तथा भवन का आधुनिकीकरण, कायाकल्प, नवीनीकरण और उन्नयन	सामान्य	1,40.00	2,94.00	2,15.75	1,31.54	2,17.64	1,31.29
भाखड़ा नांगल नहर पौधारोपण	सामान्य	5,22.18	5,17.28	4,26.71	4,93.52	4,26.60	4,93.52
गंग नहर पौधारोपण	सामान्य	1,53.51	1,53.51	1,50.52	1,18.90	1,50.46	1,18.85
पर्यावरणीय वानिकी	सामान्य	2,75.00	2,33.50	2,47.74	2,30.15	2,47.69	2,30.05
कृषि अनुसंधान - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो.	6,50.55 0.03	5,09.04 0.03	3,98.50 ..	4,84.03 ..	3,98.50 ..	4,84.03 ..
कृषि अनुसंधान - महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	9,28.19 3,60.95 1,94.37	8,26.81 3,38.33 1,69.55	9,28.00 3,61.00 1,94.00	8,26.81 3,38.33 1,69.55	9,28.00 3,61.00 1,94.00	8,26.81 3,38.33 1,69.55
सहकारिता-प्रकाशन तथा प्रचार	सामान्य	1,25.00	1,25.00	1,11.28	1,23.66	1,11.28	1,23.66
सहकारिता - सहकारी साख संस्थाओं को ब्याज सहाय्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,78,00.00 70,00.00 92,00.00	3,15,00.00 0.01 0.01	3,88,00.00 71,25.00 94,00.00	3,66,49.90 66,63.69 82,87.00	3,88,00.00 71,25.00 94,00.00	3,66,49.90 66,63.69 82,87.00
सहकारिता - सहकारी समितियों के अच्छे ऋण धारकों को ब्याज सहाय्य	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	0.01 0.01 0.01	1,05,42.00 18,84.00 25,74.00		2,06,92.00 37,68.00 51,48.00		2,06,92.00 37,68.00 51,48.00
ग्रामीण विकास कार्यक्रम - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	17,47,13.20 1,91,77.05 3,29,02.75	10,96,16.57 2,16,00.81 2,88,03.83	17,39,45.33 3,42,65.30 4,57,32.41	3,08,06.61 60,71.39 80,95.17	17,39,45.33 3,42,65.30 4,57,32.41	3,08,02.59 60,70.74 80,94.30
ग्रामीण विकास कार्यक्रम - विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,06,00.00 63,00.00 81,00.00	3,08,25.00 60,75.00 81,00.00	1,49,94.00 30,87.00 39,69.00	2,52,81.00 50,69.25 66,62.25	1,49,94.00 30,87.00 39,69.00	2,52,81.00 50,69.25 66,62.25

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ग्रामीण विकास कार्यक्रम - जिला परिषद् तथा पंचायत समिति भवन का आधुनिकीकरण	सामान्य	2,39.75	9,61.80	2,39.75	1,54.50	2,39.75	1,54.50
	ज.जा.उ.यो.	47.25	1,75.50	47.25	30.40	47.25	30.40
	अ.जा.उ.यो.	63.00	2,49.20	63.00	40.10	63.00	40.10
विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम - मेवात क्षेत्र का विकास	सामान्य	4,64.00	4,93.00	1,30.00	2,40.41	1,30.00	2,40.41
	ज.जा.उ.यो.	1,05.00	93.00	30.00	47.18	30.00	47.18
	अ.जा.उ.यो.	1,30.00	1,14.00	40.00	62.41	40.00	62.41
विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम - डांग क्षेत्र का विकास	सामान्य	4,64.99	5,05.00	51.72	2,64.93	51.71	2,64.93
	ज.जा.उ.यो.	1,05.00	87.00	..	39.44	..	39.44
	अ.जा.उ.यो.	1,30.00	1,08.00	..	52.16	..	52.16
विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम - मगरा क्षेत्र का विकास	सामान्य	3,30.00	5,05.00	2,26.78	2,82.90	2,26.78	2,82.90
	ज.जा.उ.यो.	75.00	88.00	45.00	47.18	45.00	47.18
	अ.जा.उ.यो.	95.00	1,07.00	55.00	62.41	55.00	62.41
सिंचाई - भाखड़ा नांगल परियोजना	सामान्य	1,48.90	1,00.00	1,29.77	23.07	1,33.13	26.20
सिंचाई-राणा प्रताप सागर बांध	सामान्य	0.01	68.00	..	5.83	..	5.85
	ज.जा.उ.यो.	..	14.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	18.00	..	..	..	..
सिंचाई - इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर-द्वितीय स्टेज	सामान्य	54,42.42	60,08.73	54,43.42	53,10.23	54,66.44	53,20.01
	अ.जा.उ.यो.	1,63.00	9,44.85	1,33.04	6,12.35	1,31.67	6,12.36
सिंचाई - रतनपुरा वितरिका	सामान्य	1,40.00	1,00.00	1,33.47	60.34	1,33.47	60.34
सिंचाई - माही परियोजना	ज.जा.उ.यो.	15,00.06	30,00.06	19,49.01	75,06.91	19,49.01	75,06.83
सिंचाई - बीसलपुर परियोजना	सामान्य	3,56.70	1,79.14	4,10.13	1,79.13	4,09.52	1,97.91
	अ.जा.उ.यो.	78.30	4.50	90.23	4.32	1,00.88	4.73
सिंचाई - परवन परियोजना	सामान्य	5,88,88.00	3,74,00.00	6,98,00.57	4,06,36.85	6,82,27.00	4,06,94.89
	ज.जा.उ.यो.	1,16,24.00	77,00.00	81,16.30	84,10.93	81,16.17	84,10.93
	अ.जा.उ.यो.	1,60,88.00	99,00.00	1,31,27.90	1,07,97.99	1,29,31.37	1,05,58.48
सिंचाई - धौलपुर लिफ्ट परियोजना	सामान्य	2,21,00.00	1,21,08.00	33,25.76	1,26,58.09	33,49.98	98,52.27
	ज.जा.उ.यो.	39,61.68	28,00.00	6,99.98	29,36.18	6,99.98	22,86.18
	अ.जा.उ.यो.	64,38.32	50,92.00	8,80.34	52,24.16	8,86.75	47,64.44

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सिंचाई सर्वेक्षण	सामान्य	24,25.02	25,25.03	20,21.98	19,05.79	20,19.25	19,04.21
	अ.जा.उ.यो.	5,96.59	5,96.59	..	1,48.29	..	1,48.29
सिंचाई सोम कमला अम्बा परियोजना	ज.जा.उ.यो.	9,37.07	0.01	..	..	..	..
सिंचाई - मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का	सामान्य	23,80.00	17,00.00	11,94.56	16,83.72	11,99.37	16,88.86
आधुनिकीकरण/ पुर्नजीविकरण/उन्नयन/पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	5,18.00	3,50.00	2,47.43	3,45.34	2,47.03	3,38.22
	अ.जा.उ.यो.	6,30.00	4,50.00	3,16.88	4,41.92	3,19.19	4,36.96
सिंचाई - गरदडा परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	27,20.00	40,80.00	20,72.10	34,90.19	20,85.52	34,96.48
	ज.जा.उ.यो.	5,60.00	8,40.00	3,67.21	3,99.82	3,67.21	3,99.82
	अ.जा.उ.यो.	7,20.00	10,80.00	4,38.91	5,99.60	4,40.18	6,00.69
सिंचाई - तकली परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	27,18.99	20,40.00	13,29.54	12,77.81	13,39.21	12,83.77
	ज.जा.उ.यो.	5,60.00	4,20.00	2,75.58	2,94.00	2,75.58	2,94.00
	अ.जा.उ.यो.	7,20.00	5,40.00	3,52.14	3,75.24	3,54.70	3,76.99
सिंचाई - ल्हासी परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	4,76.00	6,80.00	4,66.94	4,72.52	4,70.33	4,57.31
	ज.जा.उ.यो.	98.00	1,40.00	97.85	97.99	97.85	67.50
	अ.जा.उ.यो.	1,26.00	1,80.00	1,23.52	1,25.08	1,20.79	(-) 8.55
सिंचाई - राजगढ़ परियोजना	सामान्य	4,08.00	13,60.00	14,60.12	15,50.00	14,70.75	15,57.23
	ज.जा.उ.यो.	84.00	2,80.00	2,09.62	2,79.99	2,09.62	2,79.99
	अ.जा.उ.यो.	1,08.00	3,60.00	4,22.06	3,73.06	4,25.13	3,74.80
सिंचाई - गागरिन परियोजना (नाबार्ड)	सामान्य	30,60.00	20,40.00	8,64.69	28,16.11	8,70.99	28,29.24
	ज.जा.उ.यो.	6,30.00	4,20.00	1,81.92	6,20.95	1,81.92	6,20.95
	अ.जा.उ.यो.	8,10.00	5,40.00	2,28.90	7,92.42	2,30.56	7,96.11
सिंचाई - हथिया देय परियोजना	सामान्य	27,23.37	46,40.20	1,13,56.30	1,34.61	1,13,59.45	1,35.24
	ज.जा.उ.यो.	5,60.69	10,50.00	52.03	28.00	52.03	28.00
	अ.जा.उ.यो.	7,20.89	13,50.00	5,87.74	35.33	5,91.06	35.49
सिंचाई - लघु सिंचाई निर्माण कार्य	सामान्य	95,77.24	1,20,33.41	1,01,26.12	97,84.32	96,89.42	95,74.59
(नाबार्ड)	ज.जा.उ.यो.	66,00.00	53,00.00	56,48.58	45,71.80	56,37.36	44,93.02
	अ.जा.उ.यो.	33,21.76	38,52.81	33,29.38	33,08.88	33,51.11	32,85.98
सिंचाई - लघु सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण/	सामान्य	13,60.00	13,60.00	15,66.87	6,06.76	15,77.20	6,09.42
विस्तार/पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	2,80.00	2,80.00	2,81.54	1,23.40	2,81.45	1,23.40
	अ.जा.उ.यो.	3,60.00	3,60.00	3,43.75	1,68.38	3,45.04	1,69.16

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
लघु सिंचाई-भूजल विभाग द्वारा निष्पादित कार्य	सामान्य ज.जा.उ.यो.	1,99.65 0.35	17.03 20.00	40.65 0.35	28.15 26.99	40.65 0.35	28.12 26.99
सिंचाई - जल संरक्षण ढाँचा (नाबार्ड)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	33,32.00 6,86.00 8,82.00	33,98.00 7,00.00 9,02.00	18,39.95 3,30.74 3,42.61	25,02.81 4,55.13 6,48.30	18,44.29 3,30.73 3,45.11	25,12.85 4,55.10 6,51.27
इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास - मंडियों में सड़कों का निर्माण	सामान्य अ.जा.उ.यो.	30.00 10.00	75.00 25.00	30.00 16.92	23.28 0.05	30.00 16.92	23.28 0.05
घग्घर बाढ़ नियंत्रण कार्य	सामान्य अ.जा.उ.यो.	2,14.00 36.00	3,64.00 36.00	5,06.84 1,17.79	3,36.09 35.65	5,07.74 1,17.79	3,36.19 35.65
अन्य जिलों में बाढ़ नियंत्रण कार्य	सामान्य अ.जा.उ.यो.	16,53.12 3,66.42	22,95.99 5,04.00	10,51.54 2,28.82	18,81.94 4,99.37	10,59.20 2,30.49	18,38.93 5,01.70
विद्युतीकरण-राजस्थान राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,11,75.00 57,75.00 1,15,50.00	3,17,62.50 86,62.50 1,73,25.00	22,62.72 4,22.96 6,42.32	2,27,50.00 52,50.00 70,00.00	22,62.72 4,22.96 6,42.32	2,27,50.00 52,50.00 70,00.00
विद्युतीकरण-राजस्थान राज्य विद्युत् प्रसारण निगम लिमिटेड में निवेश	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,51,25.00 41,25.00 82,50.00	2,27,52.95 62,05.35 1,24,10.70		1,52,50.00 37,50.00 60,00.00		1,52,50.00 37,50.00 60,00.00
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा-निर्देशन तथा प्रशासन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,09.81 8.00 25.00	85.00 1,10.00 55.00	19.67	68.29 3.20 24.00	19.66	68.29 3.20 24.00
लघु उद्योग - क्लस्टर विकास	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,19.99 30.01 40.00	1,29.99 33.01 37.00	66.91 .. 25.00	1,15.95 5.50 4.00	66.91 .. 25.00	1,15.95 5.50 4.00
खादी ग्रामोद्योग-राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,26.00 88.00 75.00	3,34.84 33.41 73.29	2,26.00 88.00 75.00	7,34.84 1,33.41 2,73.29	2,26.00 88.00 75.00	7,34.84 1,33.41 2,73.29
उद्योग उत्पादकता - निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी आई पी) को अनुदान	सामान्य	9,40.00	6,20.00	9,40.00	11,56.96	9,40.00	11,56.96

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
उद्योग उत्पादकता - राजस्थान लघु स्तरीय औद्योगिक निगम को अनुदान (राजसीको)	सामान्य	99.99	1,00.00	..	99.99	..	99.99
उद्योग उत्पादकता - ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण (रूडा) को अनुदान	सामान्य	1,74.00	1,70.00	94.00	85.00	94.00	85.00
	ज.जा.उ.यो.	21.00	21.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	अ.जा.उ.यो.	30.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00
खानों का विनियमन तथा विकास - गहन पूर्वक्षेपण तथा खनिज सर्वेक्षण	सामान्य	20,33.28	19,66.42	16,15.64	16,21.89	16,15.64	16,21.88
	ज.जा.उ.यो.	3,31.21	3,42.20	2,94.00	2,66.32	2,94.00	2,66.33
	अ.जा.उ.यो.	3,42.17	3,23.23	3,51.14	2,80.72	3,50.20	2,80.51
उद्योगों का विकास- जिला उद्योग केन्द्र (डी.आई.सी.) भवन	सामान्य	62.00	1,15.00	39.08	70.13	39.09	70.13
	ज.जा.उ.यो.	..	55.00	..	32.38	..	32.38
	अ.जा.उ.यो.	..	30.01	..	30.00	..	30.00
राज्य राजमार्ग का विकास - सड़क निर्माण	सामान्य	91,18.14	86,00.00	1,10,89.99	76,10.61	1,10,89.99	76,02.12
	ज.जा.उ.यो.	17,89.38	14,40.00	21,94.62	12,74.33	21,94.62	12,74.33
	अ.जा.उ.यो.	23,66.81	19,60.00	28,43.29	17,34.51	28,43.29	17,34.43
राज्य राजमार्ग का विकास - भू अधिग्रहण	सामान्य	3,03.94	89.30	1,11.22	75.46	1,11.11	75.46
	ज.जा.उ.यो.	59.65	17.52	0.69	4.94	0.69	4.94
	अ.जा.उ.यो.	78.89	23.18	1.24	8.06	1.24	8.06
राज्य राजमार्ग का विकास - मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण तथा पुनरुद्धार	सामान्य	60,78.76	49,90.00	89,15.26	44,07.06	89,17.38	43,95.40
	ज.जा.उ.यो.	11,92.92	12,50.00	15,92.40	10,48.23	16,00.12	10,48.23
	अ.जा.उ.यो.	15,77.88	12,60.00	22,86.55	11,14.54	23,06.66	11,14.54
जिला सड़कों का विकास - ग्रामीण सड़कें	सामान्य	7,38,56.95	8,05,50.07	3,16,90.12	7,83,96.91	3,16,90.12	7,82,76.57
	ज.जा.उ.यो.	1,44,93.98	1,58,07.43	60,10.07	1,52,19.99	60,10.07	1,52,11.08
	अ.जा.उ.यो.	1,91,71.19	2,09,08.49	82,80.89	2,01,76.06	82,80.97	2,01,55.88
जिला सड़कों का विकास - शहरी सड़कें	सामान्य	3,03.94	13,50.00	1,98.49	12,05.60	1,98.49	11,87.60
	ज.जा.उ.यो.	59.65	2,70.00	39.77	1,38.07	39.76	1,38.07
	अ.जा.उ.यो.	78.89	3,80.00	49.01	1,35.14	49.01	1,35.14
हवाई पट्टियों का निर्माण	सामान्य	5,30.97	7,02.64	23,72.78	6,21.73	23,72.78	6,21.73
	ज.जा.उ.यो.	2,33.09	2,87.38	2,33.08	2,61.87	2,33.08	2,61.87
	अ.जा.उ.यो.	3,24.43	4,00.01	3,24.43	3,53.97	3,24.43	3,53.97

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रम	सामान्य	1,25.00	1,09.02	1,40.43	1,15.74	1,40.43	1,15.73
	ज.जा.उ.यो.	3.00	3.30	6.94	2.95	6.94	2.95
राज्य आयोजना मशीनरी	सामान्य	96.80	1,02.83	82.24	76.34	82.23	76.34
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय)	सामान्य	26,61.19	25,15.07	27,36.73	23,12.68	27,36.72	23,12.68
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी - आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालय	सामान्य	39,79.02	38,54.50	31,57.51	30,07.98	31,57.48	30,08.00
	ज.जा.उ.यो.	4,62.52	5,22.53	5,37.59	3,88.07	5,37.58	3,88.06
	अ.जा.उ.यो.	6,08.50	6,26.01	5,52.59	5,10.27	5,52.58	5,10.28
अल्पसंख्यकों का कल्याण - राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान	सामान्य	2,85.34	3,92.63	..	33.96	..	33.96
लोक निर्माण कार्य- सामान्य प्रशासनिक भवन	सामान्य	10,48.15	22,57.92	8,15.87	13,59.10	8,15.80	13,59.10
लोक निर्माण कार्य- जेल भवन	सामान्य	11,44.16	9,67.00	3,84.31	5,37.55	3,82.83	5,37.55
	ज.जा.उ.यो.	68.73	10,50.00	26.55	5,00.00	26.55	5,00.00
	अ.जा.उ.यो.	2,82.69	4,00.00	19.92	1,09.71	19.92	1,09.71
लोक निर्माण कार्य- सहकारी काम्प्लेक्स भवन	सामान्य	70.80	1,30.00	14.84	61.01	14.84	61.01
	ज.जा.उ.यो.	2.55	0.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	..	..	..	..
लोक निर्माण कार्य- अभियोजन भवन	सामान्य	2,10.76	2,16.51	1,92.88	1,21.86	1,92.87	1,21.86
लोक निर्माण कार्य- स्टाम्प एवं पंजीकरण भवन	सामान्य	5,30.97	7,59.81	1,40.09	2,53.19	1,35.18	2,52.45
लोक निर्माण कार्य- राज्य उत्पाद भवन	सामान्य	4,83.94	10,30.00	2,64.12	4,25.53	2,64.12	4,21.55
	ज.जा.उ.यो.	30.97	45.00	25.14	34.39	25.14	34.39
लोक निर्माण कार्य- वाणिज्यिक कर विभाग भवन	सामान्य	14,02.06	14,91.39	10,97.54	10,44.64	10,97.54	10,44.64
लोक निर्माण कार्य- रोजगार कार्यालय भवन	सामान्य	..	2,75.49	..	0.05	..	0.05

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
लोक निर्माण कार्य- राजस्थान विधानसभा भवन	सामान्य	9,58.96	1,83.22	3,14.22	20.60	3,14.22	20.60
लोक निर्माण कार्य- परिवहन भवन तथा ड्राइविंग ट्रेक	सामान्य	2,51.42	3,77.35	88.31	1,90.65	87.90	1,90.11
	ज.जा.उ.यो.	59.87	89.86	26.32	66.26	26.32	66.25
	अ.जा.उ.यो.	79.24	1,18.92	53.91	62.81	53.91	62.81
लोक निर्माण कार्य- राजभवन में निर्माण	सामान्य	3,40.52	5,15.46	2,81.41	1,88.13	2,81.41	1,88.13
लोक निर्माण कार्य- कोष एवं लेखा विभाग भवन	सामान्य	3,63.72	4,33.32	2,40.62	3,56.82	2,40.62	3,56.80
	ज.जा.उ.यो.	22.21	90.00	5.22	73.55	5.22	73.55
	अ.जा.उ.यो.	22.13	30.00	..	17.35	..	17.35
हरीश चन्द्र माथुर लोक प्रशासन क्षेत्रीय संस्थान में निर्माण कार्य	सामान्य	12,00.00	10,18.87	5,06.28	6,23.17	5,07.56	6,14.87
माध्यमिक शिक्षा – निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	1,04.80	1,64.50	93.95	71.12	93.94	71.12
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता कोटा विश्वविद्यालय	सामान्य	1,35.00	1,35.02	33.75	67.50	33.75	67.50
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	1,00.00	0.01	50.00		50.00	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	66.66	0.01	66.66	..	66.66	..
	ज.जा.उ.यो.	66.67	0.01	66.67	..	66.67	..
	अ.जा.उ.यो.	66.67	0.01	66.67	..	66.67	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भरतपुर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	1,00.00	1,22.50	1,00.00	50.00	1,00.00	50.00
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-क्षेत्रीय तथा जिला स्थापना के लिए जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	सामान्य	5,79.50	6,10.25	4,36.63	5,00.57	4,36.17	4,99.26
चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	सामान्य	12,42.25	12,56.64	12,01.49	11,56.97	12,01.42	11,56.88
	ज.जा.उ.यो.	3,75.30	1,88.43	3,47.35	1,99.42	3,47.35	1,99.42
	अ.जा.उ.यो.	39,09.10	37,86.86	36,40.01	32,91.21	36,40.01	32,91.20

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, अजमेर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना	सामान्य	2,15.00	3,15.00	2,16.71	1,62.14	2,16.66	1,62.13
चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा	सामान्य	8,80.75	7,50.77	10,12.32	8,00.30	10,12.32	8,00.30
	ज.जा.उ.यो.	22,45.02	21,35.21	26,64.36	21,23.01	26,64.34	21,23.01
	अ.जा.उ.यो.	20,95.35	18,15.15	20,96.31	20,32.16	20,96.31	20,32.16
चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना	सामान्य	3,50.00	4,00.01	3,47.69	2,74.65	3,47.69	2,73.52
नई जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन	सामान्य	3,83.29	3,83.31	3,04.98	2,89.87	3,04.98	2,89.87
	ज.जा.उ.यो.	75.22	75.22	59.85	56.89	59.85	56.89
	अ.जा.उ.यो.	99.49	99.49	79.17	75.24	79.17	75.24
बी.पी.एल. महिलाओं को प्रथम प्रसव पर सहायता	सामान्य	1,50.00	1,00.00	1,81.85	1,24.51	1,81.53	1,24.51
	ज.जा.उ.यो.	1,50.00	1,50.00	1,48.82	1,22.45	1,49.36	1,22.31
	अ.जा.उ.यो.	1,50.00	1,50.00	1,10.04	1,04.14	1,09.93	1,03.96
बोर होल्स का विकास तथा पम्पिंग सेटों के पुनरुद्धार को सम्मिलित करते हुए शहरी जलपूर्ति योजनाओं का संवर्द्धन तथा पुनर्गठन	सामान्य	2,64,46.00	2,06,50.00	3,28,00.29	2,54,62.42	3,27,15.57	2,54,40.81
शहरी जलपूर्ति योजनाएं – बीसलपुर से जयपुर जलपूर्ति परियोजना (जे बी आई सी)	सामान्य	..	68.70	..	14.75	..	14.75
	ज.जा.उ.यो.	..	13.50	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	17.80	..	..	..	..
पुरानी एवं पर्यावरण को दूषित करने वाली पाइप लाइनों को बदलने और उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल सुविधा हेतु	सामान्य	20,60.00	27,75.00	15,31.60	20,19.88	15,22.46	20,18.46
	ज.जा.उ.यो.	4,05.00	4,70.25	2,22.00	3,32.00	2,22.00	3,32.00
	अ.जा.उ.यो.	5,35.00	6,75.85	3,16.19	4,24.52	3,16.19	4,24.45
शहरी जलपूर्ति योजनाओं का पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण तथा कायाकल्प	सामान्य	4,50.00	5,22.52	2,06.93	1,38.30	2,06.93	1,38.30
शहरी जलपूर्ति योजना के फिल्टर प्लांट का कायाकल्प एवं उन्नयन	सामान्य	3,53.00	3,75.00	2,79.51	2,12.82	2,79.51	2,12.82
अधिशाषी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/ अति.मुख्य अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता के प्रशासनिक कार्यालयों का विस्तार/ आधुनिकीकरण/कायाकल्प	सामान्य	3,29.00	3,50.00	3,53.46	2,85.55	3,53.46	2,85.55

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - चम्बल-धौलपुर-भरतपुर जलपूर्ति परियोजना	सामान्य	4,91.51	0.01	1,37.84	..	1,37.84	..
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - जवाई-पाली- जालौर जलपूर्ति योजना (जवाई-जोधपुर पाइपलाइन परियोजना)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6,86.00 1,36.00 1,78.00	17,25.00 3,25.00 4,50.00	36.72 7.42 9.80	74.78 10.81 3.60	36.72 7.42 9.80	74.78 10.81 3.60
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - पोकरण-फलसून्ड (फलौदी) जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6,86.00 1,36.00 1,78.00	17,25.00 3,25.00 4,50.00		4,83.88 71.57 54.70		4,83.88 71.57 54.70
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - बीसलपुर बांध से टोंक-उनियारा-देवली जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	19,23.00 3,78.00 4,99.00	28,50.00 9,50.00 12,00.00	10,85.25 1,18.59 1,61.57	9,85.08 2,63.34 3,35.07	10,84.93 1,17.29 1,61.57	9,85.03 2,63.33 3,35.07
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - राजगढ़-बूंदी जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	65.00 12.00 17.00	69.00 13.00 18.00	2,44.26 31.49 17.00	5,63.01 88.60 1,43.44	2,44.27 31.49 17.00	5,63.01 88.60 1,43.44
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास द्वारा पोषित परियोजनाएं	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	0.01 0.01 0.01	0.01 0.01 0.01	1,13.36 22.22 29.37		1,13.36 22.22 29.37	
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - शहरी क्षेत्र के लिए ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता	सामान्य	12,00.00	10,00.00	12,26.85	10,54.19	12,16.95	10,53.39
जनजाति कल्याण निधि के तहत अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में गैर बी. पी. एल. अनुसूचित जनजाति मरीजों को आंतरिक उपचार के लिए मेडिकल सहायता तथा टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम	ज.जा.उ.यो.	18,00.00	17,66.52	17,91.81	15,35.36	17,86.48	15,35.36
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण - देवनागरीयण योजना	सामान्य	1,74,25.58	1,81,88.39	1,72,26.69	1,80,41.73	1,72,26.68	1,80,28.97
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में छात्रावास भवन	ज.जा.उ.यो.	0.01	4,00.00	..	2,62.16	..	2,62.16
बाल कल्याण - बाल अधिकार सुरक्षा आयोग	सामान्य	2,10.31	2,07.78	1,52.85	1,45.10	1,52.71	1,44.98

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण - सैनिक विश्राम गृह का निर्माण	सामान्य	1,30.01	3,87.07	1,19.98	47.06	1,19.98	47.06
बूंद-बूंद सिंचाई - राज्य योजना	सामान्य	10,99.04	16,00.00	10,85.71	13,30.93	10,85.71	13,28.42
	ज.जा.उ.यो.	2,48.31	2,78.32	2,30.67	2,04.76	2,30.68	2,04.86
	अ.जा.उ.यो.	2,30.33	3,00.00	2,10.77	1,93.94	2,10.77	1,94.09
पशु पालन- राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को अनुदान	सामान्य	42,24.83	49,33.22	40,01.00	50,33.16	40,01.00	50,33.16
	ज.जा.उ.यो.	15,45.18	15,28.12	15,44.00	16,08.10	15,44.00	16,08.10
	अ.जा.उ.यो.	33,32.87	19,81.89	23,55.00	20,71.89	23,55.00	20,71.89
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी - ई-ग्राम योजना	सामान्य	..	1,17.79	..	64.83	..	64.83
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी - ई-संचार	सामान्य	2,64.01	4,08.01	2,64.00	4,08.00	2,64.00	4,08.00
	ज.जा.उ.यो.	60.01	84.01	60.00	84.00	60.00	84.00
	अ.जा.उ.यो.	76.01	1,08.01	76.00	1,08.00	76.00	1,08.00
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	1,30.00	1,38.00	1,30.00	1,64.63	1,30.00	1,64.63
	ज.जा.उ.यो.	24.00	26.00	24.00	23.10	24.00	23.10
	अ.जा.उ.यो.	34.00	36.00	34.00	35.51	34.00	35.51
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- नागौर लिफ्ट कैनाल फेज-II (शहरी)	सामान्य	29,25.00	48,06.90	29,25.00	39,50.37	29,25.00	38,55.46
	ज.जा.उ.यो.	5,75.00	9,45.00	5,73.04	6,80.79	5,73.04	6,80.79
	अ.जा.उ.यो.	7,60.00	12,48.10	7,60.00	8,90.78	7,60.00	8,78.26
सिंचाई- इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, जैसलमेर (द्वितीय चरण)	सामान्य	47,80.86	56,01.80	41,46.87	41,24.75	41,10.32	41,28.68
	अ.जा.उ.यो.	7,46.16	9,25.16	6,65.29	3,86.74	6,65.30	3,86.31
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी- आयोजना (जनशक्ति) विभाग	सामान्य	3,27.10	2,89.31	2,53.12	2,54.57	2,53.11	2,54.57
	ज.जा.उ.यो.	..	0.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	..	..	..
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	सामान्य	30,20.11	28,55.61	27,42.50	26,03.53	27,42.49	26,03.52
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- जनाना अस्पताल, अजमेर	सामान्य	2,75.90	3,17.90	2,29.18	2,50.93	2,29.18	2,50.92
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- पी.बी.एम. पुरुष अस्पताल, बीकानेर	सामान्य	27,85.30	24,92.34	25,52.72	28,84.02	25,52.62	28,84.04

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	सामान्य	14,00.02	12,00.05	17,24.54	12,71.63	17,23.63	12,71.54
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- मनोरोग केन्द्र, जयपुर	सामान्य	1,15.02	88.02	1,06.79	83.69	1,06.79	83.70
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- सर पदमपत माँ और शिशु स्वास्थ्य संस्थान अस्पताल, जयपुर	सामान्य	7,90.07	5,85.07	9,40.00	6,67.94	9,40.01	6,67.93
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- महिला अस्पताल, जयपुर	सामान्य	2,40.03	1,15.03	2,74.92	1,51.37	2,74.07	1,51.37
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	14,43.98	14,80.00	15,11.35	12,91.32	15,11.35	12,91.32
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- एम.डी.एम. अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	24,52.70	21,60.57	29,46.45	22,63.01	29,45.31	22,63.03
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- एम.बी.एस. अस्पताल, उदयपुर	सामान्य	35,76.41	35,83.87	29,68.01	32,58.94	29,67.14	32,58.93
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- जनाना अस्पताल, उदयपुर	सामान्य	7,16.00	7,44.50	6,83.16	6,37.81	6,83.15	6,37.82
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा	सामान्य	11,76.30	11,25.60	12,32.78	10,75.67	12,32.75	10,75.67
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- जे.के.लोन अस्पताल, कोटा	सामान्य	13,06.19	12,06.50	12,48.24	11,16.24	12,47.83	11,15.92
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- नवीन चिकित्सालय, कोटा	सामान्य	29,63.18	22,39.30	29,69.80	25,49.85	29,69.17	25,47.98
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गणगौरी बाजार, जयपुर	सामान्य	11,60.01	10,75.14	11,24.05	10,43.60	11,24.06	10,43.13
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के तहत भ्रमणशील अस्पताल- भ्रमणशील सर्जिकल चिकित्सा इकाई, जयपुर	सामान्य	1,75.01	1,24.77	1,84.77	1,61.19	1,84.74	1,60.73
	ज.जा.उ.यो.	1,24.05	75.53	89.92	1,11.54	89.93	1,11.54
	अ.जा.उ.यो.	1,22.95	82.17	1,48.44	1,12.70	1,48.31	1,12.65

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
शहरी स्वास्थ्य सेवाओं के तहत औषधालय तथा अस्पताल-औषधालय	सामान्य	1,50.34	1,10.45	96.26	82.29	96.02	82.29
ग्राम उद्योगों का विकास - साल्ट क्षेत्र में सड़कों का विकास	सामान्य	1,00.00	1,00.00	30.00	79.44	30.00	79.44
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - नवजीवन योजना	सामान्य	1,63.14	1,63.14	4,39.46	1,55.03	4,39.46	1,55.03
	ज.जा.उ.यो.	10.00	10.00	15.89	8.99	15.89	8.99
	अ.जा.उ.यो.	2,00.00	2,00.00	2,87.75	2,89.93	2,87.75	2,89.93
क्षेत्रीय यातायात कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	15,53.34	16,06.51	14,18.53	12,45.05	14,18.53	12,45.05
	ज.जा.उ.यो.	2,78.16	3,82.55	2,24.79	3,10.62	2,24.79	3,10.62
	अ.जा.उ.यो.	3,97.41	5,06.28	3,71.20	4,56.77	3,71.20	4,56.77
कोषालय स्थापना	सामान्य	1,60.00	1,90.00	63.34	2,53.63	63.34	2,53.63
मिशन मोड परियोजना के अन्तर्गत कोषालय का कम्प्यूटराईजेशन	सामान्य	10,00.00	10,00.64	13,00.00	9,61.01	13,00.00	9,61.01
लोक निर्माण कार्य - पेंशन विभाग भवन	सामान्य	7.87	1,63.43	6.86	1,64.68	6.07	1,45.72
लोक निर्माण कार्य - राजस्थान लोक सेवा आयोग भवन	सामान्य	1,14.90	0.01	..	..	..	..
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - महाविद्यालय शिक्षा भवन	सामान्य	..	0.01	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	4,63.30	3,60.23	7,93.27	1,75.01	7,91.28	1,75.01
आईआईटी, जोधपुर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	0.02	0.02	7,46.00	..	7,46.00	..
एस.एम.एस. टॉउन हॉल तथा जलेबी चौक में अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय	सामान्य	1,00.00	0.01	..	..	..	..
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल-जनाना अस्पताल, जयपुर	सामान्य	1,25.00	68.50	1,39.31	64.36	1,39.31	63.95
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल-महात्मा गाँधी अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	12,93.97	11,68.75	12,92.65	11,80.65	12,92.66	11,80.66

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - निदेशन तथा प्रशासन-होम्योपैथी	सामान्य	2,67.89	2,10.51	2,04.80	2,06.56	2,03.77	2,06.53
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - निदेशन तथा प्रशासन-यूनानी	सामान्य ज.जा.उ.यो.	2,24.80 50.30	1,73.34 44.32	1,73.68 32.41	1,58.46 30.92	1,73.01 32.41	1,58.46 30.93
तकनीकी शिक्षा - पॉलीटेक्निक विद्यालय	सामान्य	2,50.30	2,10.65	2,40.83	2,26.07	2,40.84	2,26.07
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	4,91.41	4,47.64	3,84.08	4,08.99	3,84.07	4,08.99
लोक स्वास्थ्य-ब्लॉक स्तर स्थापना	सामान्य	1,66.50	4,01.52	1,44.87	1,36.81	1,43.73	1,36.81
लोक स्वास्थ्य- जीवाणुतत्व सम्बन्धी प्रयोगशाला	सामान्य	1,31.06	1,04.82	80.59	75.86	80.59	75.83
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- स्वास्थ्य शिक्षा भवन	सामान्य	4,20.00	10.00	..	4.75	..	4.75
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- डीग जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	34.00 7.00 9.00	13,80.00 2,60.00 3,60.00	6,58.65 67.00 91.77	1,73.31 32.65 45.21	6,58.65 67.00 91.77	1,73.31 32.65 45.21
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- शहरी जलपूर्ति योजनाएं, बीकानेर के तहत शोभासर सेक्शन तथा अन्य सहायक कार्य में 40 एम एल डी जल उपचार संयंत्र का निर्माण और कमिशनिंग	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	94.00 2.20 19.00	1,00.00 2.41 20.00	66.43 .. 16.50	48.17 .. 16.00	66.43 .. 16.50	48.17 .. 16.00
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- नागदा, अंता- बलदेवपुरा जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	97.00 18.00 25.00	1,03.50 19.50 27.00	29.56 10.63 1.01	61.14 4.54 6.32	29.56 10.63 1.01	61.14 4.54 6.32
ग्रामीण जलपूर्ति योजना के विभिन्न घटकों का सुदृढीकरण तथा कायाकल्प	सामान्य	14,10.00	15,00.00	4,52.79	9,83.39	4,51.11	9,83.23
अनुसूचित जाति बस्ती में शहरी जलपूर्ति	अ.जा.उ.यो.	68,65.00	68,50.00	82,77.78	60,13.52	82,68.20	60,10.59
जनजाति क्षेत्र विकास में शहरी जलपूर्ति योजनाएं	ज.जा.उ.यो.	51,89.00	53,46.51	59,07.88	47,77.27	58,86.62	47,76.38

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
विशेष रूप से विकलांगों का समाज कल्याण- निर्देशन तथा प्रशासन का निर्देशालय, विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति	सामान्य	2,59.22	2,78.01	2,53.84	2,38.67	2,50.21	2,38.35
महिला कल्याण-जिला महिला कल्याण अभिकरणों के स्थापना व्यय	सामान्य	30,50.00	29,02.01	25,64.07	28,19.25	25,64.80	28,14.78
	ज.जा.उ.यो.	5,09.00	5,17.00	3,14.98	4,06.45	3,14.95	4,06.45
	अ.जा.उ.यो.	6,81.00	6,46.00	6,43.84	5,26.19	6,43.10	5,23.88
अल्पसंख्यकों का कल्याण - अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास भवन	सामान्य	4,00.00	4,17.30	5.71	..	5.71	..
पशुपालन - निर्देशन तथा प्रशासन	सामान्य	3,68.04	10,67.20	3,76.35	9,77.63	3,76.36	9,76.54
	ज.जा.उ.यो.	..	1,28.93	..	91.01	..	91.00
वन्य जीव संरक्षण - परिस्थितीकीय पर्यटन का विकास	सामान्य	50.00	1,00.00	1,80.61	22.27	1,80.61	22.27
विश्वविद्यालय में कृषि शिक्षा- स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	5,84.84	4,37.44	1,92.50	3,62.44	1,92.50	3,62.44
पंजाब में इन्दिरा गांधी फीडर तथा संबंधित निर्माण कार्य	सामान्य	2,05,00.00	0.01	72,00.00	54,50.54	72,00.00	54,50.54
	अ.जा.उ.यो.	45,00.00	0.01	18,00.00	11,96.46	18,00.00	11,96.46
पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक उत्थान राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड	सामान्य	1,32.01	1,74.01	61.00	1,30.98	61.00	1,30.98
पिछड़े वर्गों का कल्याण-राजस्थान अन्य पिछड़े वर्गों वित्त तथा विकास सहकारी निगमों (आर ओ बी सी एफ डी सी सी) को ऋण	सामान्य	0.01	1,00.00	..	..	..	..
विद्युतीकरण - जयपुर डिस्कॉम में निवेश	सामान्य	3,50,22.86	1,24,62.83	78,14.56	1,24,62.83	78,14.56	1,24,62.83
	ज.जा.उ.यो.	97,58.00	34,72.37	19,37.44	34,72.37	19,37.44	34,72.37
	अ.जा.उ.यो.	2,12,19.14	75,50.80	17,40.00	75,50.80	17,40.00	75,50.80

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
विद्युतीकरण - जोधपुर डिस्कॉम में निवेश	सामान्य	2,50,99.52	1,28,89.90	1,01,30.28	1,28,89.90	1,01,30.28	1,28,89.90
	ज.जा.उ.यो.	69,93.35	35,91.45	20,85.44	35,91.45	20,85.44	35,91.45
	अ.जा.उ.यो.	1,52,07.13	78,09.65	26,81.28	78,09.65	26,81.28	78,09.65
विद्युतीकरण - अजमेर डिस्कॉम में निवेश	सामान्य	2,05,03.14	77,86.58	72,29.76	77,86.58	72,29.76	77,86.58
	ज.जा.उ.यो.	1,19,62.50	21,69.55	14,88.48	21,69.55	14,88.48	21,69.55
	अ.जा.उ.यो.	1,53,84.36	47,17.87	19,13.76	47,17.87	19,13.76	47,17.87
फसल कृषि -कर्म विभाग के भवनों का निर्माण	सामान्य	4,00.00	4,00.00	1,10.00	4,00.00	1,10.00	4,00.00
	ज.जा.उ.यो.	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00
	अ.जा.उ.यो.	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00
विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा - महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	4,05.30	4,23.13	4,05.00	4,23.13	4,05.00	4,23.13
	अ.जा.उ.यो.	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00	2,00.00
पशुपालन विकास - महाराणा प्रताप कृषि तथा तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर को अनुदान	सामान्य	1,41.24	1,28.40	1,41.00	1,28.40	1,41.00	1,28.40
	ज.जा.उ.यो.	27.72	25.20	28.00	25.20	28.00	25.20
	अ.जा.उ.यो.	36.66	33.33	37.00	33.33	37.00	33.33
सिंचाई- नोहर-सावा लिफ्ट योजना	सामान्य	27,84.44	35,17.69	21,41.26	37,78.75	21,41.81	37,78.75
	अ.जा.उ.यो.	12,68.15	4,73.44	12,18.59	11,92.88	12,18.59	11,92.88
सिंचाई- गजनेर लिफ्ट योजना	सामान्य	29,66.85	11,99.48	24,39.57	20,60.76	24,38.28	20,60.76
	अ.जा.उ.यो.	11,54.00	22,83.69	11,83.98	23,69.22	11,83.73	23,69.22
सिंचाई- कोलायत लिफ्ट योजना	सामान्य	18,09.14	26,66.19	16,85.47	23,19.81	16,88.47	23,19.80
	अ.जा.उ.यो.	9,13.36	2,78.16	8,31.28	4,24.08	8,31.29	4,24.07
सिंचाई- फलौदी लिफ्ट योजना	सामान्य	7,54.95	10,62.81	10,22.10	9,03.08	10,12.25	9,02.95
	अ.जा.उ.यो.	34.00	1,40.00	33.34	1,13.48	33.34	1,13.48
सिंचाई- पोकरण लिफ्ट योजना	सामान्य	3,42.52	4,37.38	3,12.16	3,78.69	3,12.02	3,78.69
	अ.जा.उ.यो.	25.00	1,10.94	21.03	11.98	21.03	11.98
सिंचाई- बाँगड़सर लिफ्ट योजना	सामान्य	1,68.03	2,11.17	1,53.89	2,26.33	1,53.89	2,26.33
	अ.जा.उ.यो.	14.00	16.02	11.27	4.08	11.27	4.08

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सिंचाई- कैवरसेन लिफ्ट योजना	सामान्य	1,10.00	2,30.16	1,09.99	57.72	1,09.62	57.72
	अ.जा.उ.यो.	25.00	49.84	23.32	20.22	23.32	20.22
इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास - कृषि विस्तार (स्टेज -II)	सामान्य	2,31.21	2,14.49	2,67.55	2,72.97	2,67.54	2,72.95
	अ.जा.उ.यो.	..	0.08	..	..	..	..
राज्य सड़क विकास निधि द्वारा पोषित सड़कें	सामान्य	9,61,66.00	7,40,00.00	6,79,55.30	7,96,67.20	6,80,27.20	7,96,54.73
	ज.जा.उ.यो.	1,88,72.00	1,51,00.00	1,33,33.85	1,58,93.13	1,33,56.96	1,58,76.02
	अ.जा.उ.यो.	2,49,62.00	1,79,00.00	1,76,73.90	1,90,02.53	1,76,84.40	1,89,95.74
खनिज अन्वेषण और विकास - खनिज कार्यालय भवन	सामान्य	1,00.01	50.01	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	10.98	0.01	..	..	..	..
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी- सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (जिला कार्यालय)	सामान्य	67,16.23	62,12.33	62,96.43	54,88.61	62,96.43	54,88.59
	ज.जा.उ.यो.	11,22.92	11,93.52	7,90.16	6,85.85	7,90.16	6,85.84
	अ.जा.उ.यो.	23,42.92	23,52.72	18,11.41	16,72.38	18,11.40	16,72.30
लोक निर्माण कार्य - सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन	सामान्य	1,82.36	2,06.07	96.25	1,08.98	96.25	1,08.98
	ज.जा.उ.यो.	35.79	40.44	9.87	5.78	9.87	5.78
	अ.जा.उ.यो.	47.34	53.49	13.28	5.51	13.28	4.55
आवास-उप खंडीय अधिकारी तथा तहसीलदार के लिए आवास	सामान्य	5,00.00	5,26.65	4,79.46	4,40.11	4,79.29	4,39.76
जल तथा मल-जल परियोजना	सामान्य	0.01	15,14.17	..	15,14.17	..	15,14.17
	ज.जा.उ.यो.	0.01	2,97.68	..	2,97.68	..	2,97.68
	अ.जा.उ.यो.	0.01	3,93.15	..	3,93.15	..	3,93.15
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-मानसिक रूप से विमंदित पुनर्वास गृह	सामान्य	8,00.00	7,50.07	11,69.26	7,32.51	11,69.26	7,32.51
अल्पसंख्यक लड़कों तथा लड़कियों हेतु रोजगार योजना	सामान्य	2,00.00	2,00.00	..	1,50.00	..	1,50.00
अल्पसंख्यकों का कल्याण - अल्पसंख्यक लड़कियों के छात्रावास	सामान्य	2,24.26	1,71.42	1,08.06	89.14	1,07.16	89.13
महिला कल्याण- राजस्थान पुनर्वास संस्थान के लिए भवन	सामान्य	3,09.00	3,80.00	1,50.93	3,79.99	1,50.93	3,79.99
महिला कल्याण-खण्ड मुख्यालय पर मानसिक रूप से विमंदित पुनर्वास गृह भवन का निर्माण	सामान्य	1,24.82	0.01	62.41	1,24.82	62.41	1,24.82

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
बागवानी विकास-ग्रीन हाउस पर अतिरिक्त सहाय्य	सामान्य	10,99.04	10,00.00	4,48.20	7,88.38	4,48.20	7,88.38
	ज.जा.उ.यो.	2,48.31	1,99.70	1,15.54	1,45.52	1,15.54	1,45.52
	अ.जा.उ.यो.	2,30.28	3,00.30	1,95.43	1,56.72	1,95.43	1,56.72
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - आर एस डब्ल्यू ए एन होरीजोन्टल	सामान्य	42,86.21	40,80.00	33,99.94	48,91.92	33,99.94	48,91.92
	ज.जा.उ.यो.	8,82.46	8,40.00	9,50.00	10,91.20	9,49.99	10,91.20
	अ.जा.उ.यो.	11,34.59	10,80.00	11,50.00	14,02.96	11,49.99	14,02.96
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - वेबसाइट का विकास एवं रखरखाव	सामान्य	66.01	1,36.01	66.00	0.11	66.00	0.10
	ज.जा.उ.यो.	15.01	28.01	15.00	..	15.00	..
	अ.जा.उ.यो.	19.01	36.01	19.00	..	19.00	..
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - मुख्यमंत्री सूचना प्रणाली (सी एम आई एस)	सामान्य	1,09.00	1,12.01	1,09.00	1,12.00	1,09.00	1,12.00
	ज.जा.उ.यो.	24.00	22.85	24.00	22.84	24.00	22.84
	अ.जा.उ.यो.	31.00	30.01	31.00	30.00	31.00	30.00
जिला सड़कों का विकास- नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ-XVIII की सड़कें	सामान्य	..	68.69	..	67.63	..	59.72
	ज.जा.उ.यो.	..	13.48	..	1,42.48	..	1,42.48
	अ.जा.उ.यो.	..	17.83	..	15.14	..	15.14
वैज्ञानिक अनुसंधान- राज्य रिमोट संवेदना प्रयोग केन्द्र	सामान्य	40.00	1,91.00	13.67	21.18	13.67	21.18
	ज.जा.उ.यो.	1.00	1,00.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	1.00	1,50.00	..	..	..	..
वैज्ञानिक अनुसंधान - संचार तथा विज्ञान की लोकप्रियता	सामान्य	2,69.50	3,08.02	2,39.32	2,19.06	2,38.84	2,16.76
	ज.जा.उ.यो.	4.00	8.50	..	1.36	..	1.17
	अ.जा.उ.यो.	2.59	2.59	..	..	..	..
ग्रामीण विकास कार्यक्रम-ग्रामीण बी पी एल आवास	सामान्य	2,88,30.28	3,00,06.42	1,92,77.81	2,98,55.51	1,92,77.81	2,98,55.51
	ज.जा.उ.यो.	56,81.88	59,13.68	37,99.24	57,59.80	37,99.24	57,59.80
	अ.जा.उ.यो.	75,75.84	78,84.90	50,65.62	77,20.88	50,65.62	77,20.88
प्रतिभाशाली लड़कियों हेतु गार्गी/ प्रोत्साहन पुरस्कार	सामान्य	35,00.00	33,12.00	4,50.68	33,12.00	4,50.68	33,12.00
	ज.जा.उ.यो.	6,50.00	6,48.00	..	6,48.00	..	6,48.00
	अ.जा.उ.यो.	8,50.00	8,40.00	..	8,40.00	..	8,40.00
जिला शिक्षा अधिकारी तथा उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को जीप का किराया	सामान्य	85.00	77.85	72.37	71.85	72.34	71.85
	ज.जा.उ.यो.	15.00	12.15	12.84	10.32	12.84	10.32

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को साइकिल वितरण	सामान्य	77,50.00	62,50.00	29,67.11	36,79.90	29,67.11	36,71.21
	ज.जा.उ.यो.	16,25.00	16,25.00	7,52.11	15,11.59	7,52.11	15,11.59
	अ.जा.उ.यो.	21,25.00	21,25.00	10,16.35	19,10.80	10,16.35	19,10.80
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों का दुर्घटना बीमा	सामान्य	1,80.20	1,80.20	1,80.19	1,80.20	1,80.19	1,80.20
	ज.जा.उ.यो.	34.68	34.68	34.68	34.68	34.68	34.68
	अ.जा.उ.यो.	47.61	47.61	47.61	47.61	47.61	47.61
महिला कल्याण-महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स	सामान्य	0.01	6,31.00	..	1,66.05	..	1,66.05
	ज.जा.उ.यो.	0.01	1,30.00	..	24.89	..	24.89
	अ.जा.उ.यो.	0.01	1,67.00	..	43.16	..	43.16
सहकारिता में ई-गवर्नेंस	सामान्य	5,00.00	13,63.60	..	..	..	..
नाबार्ड द्वारा वानिकीकरण कार्य	सामान्य	4,24.87	6,52.36	22,63.76	5,81.92	22,83.66	5,81.92
	ज.जा.उ.यो.	68.10	1,23.93	4,29.46	1,40.47	4,29.46	1,40.47
	अ.जा.उ.यो.	81.95	12,28.67	5,76.83	3,14.42	5,78.19	3,13.67
मौसम परिवर्तन तथा रेगिस्तान बढ़ाव को रोकना	सामान्य	17,17.94	15,43.05	17,77.43	13,23.79	17,75.14	13,23.60
	अ.जा.उ.यो.	19,58.92	17,32.21	20,67.00	15,33.15	20,66.45	15,31.71
भाषा विकास (संस्कृत शिक्षा)- संस्कृत महाविद्यालय	सामान्य	1,02.08	1,46.09	1,06.76	94.57	1,06.75	94.58
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.04	..	..	..	..
तकनीकी शिक्षा बोर्ड का सुदृढीकरण	सामान्य	1,01.18	1,11.70	1,07.45	89.56	1,07.44	89.54
औद्योगिक प्रशिक्षण-नये आई टी आई की स्थापना	अ.जा.उ.यो.	16,00.00	16,90.68	15,37.91	13,69.45	15,37.91	13,69.45
तकनीकी शिक्षा - केन्द्रीय सरकार सहायता से बहुशिल्प	सामान्य	15,62.50	15,88.00	16,54.53	14,12.33	16,54.53	14,12.25
तकनीकी शिक्षा - महिला बहुशिल्प महाविद्यालय	अ.जा.उ.यो.	1,35.50	1,22.39	1,46.99	41.99	1,46.98	29.92
औद्योगिक प्रशिक्षण - अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नये आई टी आई की स्थापना	सामान्य	8,32.85	13,09.62	10,09.27	11,46.87	10,09.27	11,46.86
तकनीकी शिक्षा - बहुशिल्प हेतु अन्य सेवाएं	सामान्य	50.00	1,00.01	29.72	47.29	29.72	47.29

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
तकनीकी शिक्षा-सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बांसवाड़ा तथा बाड़मेर सहित पॉलिटेक्निक्स में भवन निर्माण कार्य	अ.जा.उ.यो.	4,15.01	0.01	..	..	..	..
औद्योगिक प्रशिक्षण - शाहबाद में नई आई टी आई की स्थापना	ज.जा.उ.यो.	10,50.00	8,92.56	14,09.26	8,85.28	14,09.25	8,85.28
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, आयुर्वेद-अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	20,79.81 4,76.75	17,21.08 4,47.77	16,94.52 3,22.75	17,60.27 4,04.46	16,92.42 3,22.02	17,60.27 4,04.46
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	2,85,26.03 57,88.34	2,36,66.71 33,71.28	2,75,77.78 54,02.95	2,26,36.36 39,68.84	2,75,80.08 54,02.74	2,26,35.17 39,68.84
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-स्वास्थ्य उप केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर की पंचायतों को सहायता (ग्रामीण)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	93,83.19 12,07.27	82,34.36 12,07.28	82,60.07 11,56.89	76,98.37 9,81.64	82,58.78 11,56.90	76,98.38 9,81.64
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, होम्योपैथी-अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	6,12.97 1,70.78	5,92.73 1,52.08	5,30.56 1,36.28	4,92.33 1,31.02	5,30.56 1,36.27	4,92.18 1,31.01
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, एलोपैथी-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ब्लॉक पंचायतों/मध्यम स्तर की पंचायतों को सहायता (ग्रामीण)	सामान्य अ.जा.उ.यो.	2,66,73.96 43,10.10	2,45,10.79 30,65.80	2,31,04.47 33,52.81	2,08,20.98 28,90.06	2,30,98.55 33,52.81	2,08,15.36 28,90.00
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, यूनानी-अस्पताल तथा औषधालय (ग्रामीण)	सामान्य ज.जा.उ.यो.	4,51.85 75.20	4,60.90 64.74	3,58.14 40.13	3,60.62 51.97	3,47.25 40.13	3,60.62 51.98
युवा सेवाएं - राष्ट्रीय कैडेट कोर	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,33.27 0.01 0.01	1,85.26 0.01 0.01	1,17.40	89.72	1,17.15	89.71
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	92,00.00	86,40.00	86,92.90	53,76.19	86,52.50	53,76.19
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में पब्लिक स्कूलों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	5,00.50	5,46.10	4,04.18	4,40.47	4,01.67	4,40.47
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में खेल छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	4,97.50	4,97.50	3,73.93	4,18.68	3,72.01	4,18.69

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	7,77.60	7,89.30	6,70.66	6,62.75	6,70.48	6,62.76
जन कल्याण निधि के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के छात्रों को शैक्षणिक उत्प्रेरण	ज.जा.उ.यो.	21,45.00	28,95.00	27,94.32	10,59.78	27,85.90	10,57.47
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में महाविद्यालय छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	1,67.40	1,70.38	1,37.48	1,39.80	1,33.91	1,39.03
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति समुदाय को टी.आर.आई. के द्वारा कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	1,10.00	1,10.00	23.58	99.23	23.03	99.23
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आश्रम छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	15,67.50	15,69.50	11,68.42	13,08.98	11,64.28	13,07.31
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	4,50.30	4,89.30	3,48.90	3,56.86	3,38.10	3,56.79
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु आवासीय विद्यालयों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	8,32.50	8,38.00	7,42.77	7,02.32	7,42.11	7,02.29
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में महाविद्यालय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	70.00	70.00	1,05.77	44.67	1,00.33	44.22
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माडा क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शैक्षिक उत्प्रेरण	ज.जा.उ.यो.	2,94.00	4,00.00	7,18.91	97.05	7,18.21	96.95
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	1,15.00	1,15.00	1,15.03	0.65	1,15.03	0.65
जनजाति कल्याण निधि के तहत माडा क्षेत्र में पीएमटी/पीईटी, आईआईटी आदि की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	1,00.00	18.95	1,21.70	18.95	1,20.05
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु महाविद्यालय छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	1,20.00	1,00.00	69.70	1,00.00	69.10
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	11,00.00	11,00.00	7,49.66	8,40.04	7,49.66	8,40.04

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	4,56.10	4,51.70	3,04.56	3,45.60	3,04.54	3,45.11
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा छात्रों को शिक्षण प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	2,95.00	4,00.00	5,04.56	76.03	5,03.96	76.03
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु आश्रम छात्रावासों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	6,34.58	6,29.58	4,58.46	5,39.81	4,58.30	5,39.16
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माँ-बाड़ी भवनों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	0.01	13,20.00	..	..	..	..
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत बिखरी क्षेत्र में छात्रावास भवनों का निर्माण तथा पुनरुद्धार	ज.जा.उ.यो.	0.01	2,75.00	..	79.60	..	79.60
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र में महाविद्यालय छात्रों के लिए शैक्षिक प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	20,00.00	20,00.00	13,09.55	15,86.46	13,01.30	15,84.01
लोक निर्माण कार्य- राजस्थान उच्च न्यायालय का नया भवन, जोधपुर	सामान्य	34,00.00	36,50.00	19,70.84	15,74.83	19,70.84	15,74.83
लोक निर्माण कार्य- राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी भवन, जोधपुर	सामान्य	5,00.00	2,70.55	..	1,00.00	..	1,00.00
जिला स्तरीय कृषि योजनाएं- कृषि शिक्षा हेतु लड़कियों को प्रोत्साहन	सामान्य	7,40.00	6,40.00	8,09.71	7,27.38	8,09.71	7,29.01
	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	1,00.00	1,23.76	95.59	1,23.76	95.89
	अ.जा.उ.यो.	1,10.00	1,10.00	1,39.80	1,07.09	1,39.80	1,06.99
फसल कृषि-कर्म- किसान सेवा केन्द्र मय गाँव ज्ञान केन्द्र का निर्माण	सामान्य	1,00.00	4,00.00	6,78.20	2,46.36	6,78.20	(-) 13,56.81
	ज.जा.उ.यो.	50.00	1,00.00	1,24.63	9.90	1,24.63	(-) 88.56
	अ.जा.उ.यो.	50.00	1,50.00	1,01.13	56.30	1,01.13	(-) 1,88.32
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के माध्यम से निःशुल्क दवा वितरण योजना	सामान्य	1,07,30.70	97,41.53	89,38.84	78,96.41	89,35.77	78,83.17
	ज.जा.उ.यो.	20,55.36	18,06.84	14,64.66	13,41.22	14,64.32	13,40.74
	अ.जा.उ.यो.	28,69.81	28,26.65	26,25.74	23,28.01	26,25.31	23,27.18
राजस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निगम के माध्यम से निःशुल्क दवा वितरण योजना	सामान्य	2,93,23.97	2,79,67.94	2,93,22.97	1,78,41.55	2,93,22.97	1,78,41.55
	ज.जा.उ.यो.	74,54.18	58,00.02	74,53.65	48,58.15	74,53.65	48,58.15
	अ.जा.उ.यो.	94,95.20	75,00.02	94,94.40	59,07.74	94,94.40	59,07.74

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में निर्माण कार्य	सामान्य	1,80.00	4,50.01	28.09	77.90	28.09	77.90
पुलिस विकास - पुलिस विकास निधि	सामान्य	5,00.03	20,00.00	33,82.02	41,58.76	33,82.02	41,58.76
शहरी विकास- राजस्थान यातायात आधारभूत विकास निधि	सामान्य	5,34,69.28	2,45,85.83	5,07,26.89	3,56,54.58	5,07,26.31	3,56,52.46
	ज.जा.उ.यो.	29,35.22	12,57.27	53,64.88	21,03.90	53,64.88	21,03.90
	अ.जा.उ.यो.	38,85.76	16,60.17	71,01.99	27,81.51	71,01.99	27,81.51
लैपटॉप वितरण (माध्यमिक शिक्षा)	सामान्य	33,12.00	31,00.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	6,48.00	17,00.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	8,40.00	12,00.00	..	..	..	..
सहकारिता-कोर बैंकिंग	सामान्य	22,27.75	22,27.75	..	..	..	..
सहकारिता - के.वी.एस.एस.	सामान्य	0.02	0.02	3,25.00	3,50.00	3,25.00	3,50.00
	ज.जा.उ.यो.	0.02	0.02	75.00	75.00	75.00	75.00
	अ.जा.उ.यो.	0.02	0.02	1,00.00	75.00	1,00.00	75.00
सहकारिता - ग्राम सेवा सहकारी समिति	सामान्य	0.02	0.02	4,20.00	8,40.00	4,20.00	8,40.00
	ज.जा.उ.यो.	0.02	0.02	84.00	1,56.00	84.00	1,56.00
	अ.जा.उ.यो.	0.02	0.02	96.00	2,04.00	96.00	2,04.00
राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012	सामान्य	0.01	3,57,07.00	..	2,64,13.22	..	2,64,13.21
	ज.जा.उ.यो.	..	73,00.00	..	35,90.00	..	35,90.00
	अ.जा.उ.यो.	..	94,00.00	..	49,81.46	..	49,81.46
मत्स्य विकास- पर्यवेक्षीय स्टाफ का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	83.59	76.10	65.43	57.05	65.41	57.06
	ज.जा.उ.यो.	30.45	31.55	22.54	25.38	22.54	25.05
शहरी विकास - मल-जल ट्रीटमेंट संयंत्र	सामान्य	89,85.49	12,46.35	3,43.33	6,18.00	3,43.33	6,18.00
	ज.जा.उ.यो.	17,66.46	2,45.02	67.50	1,21.50	67.50	1,21.50
	अ.जा.उ.यो.	23,33.05	3,23.61	89.17	1,60.50	89.17	1,60.50
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता - बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	सामान्य	4,00.00	4,33.80	..	4,33.80	..	4,33.80
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता - शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर	सामान्य	2,30.00	6,50.00	1,42.50	4,50.50	1,42.50	4,50.50

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
पर्यटन विकास-राजस्थान पर्यटन विकास निगम में पूंजी निवेश	सामान्य	0.01	0.01	15,00.00	..	15,00.00	..
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता-हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय	सामान्य	29,00.00	3,00.01	6,65.00	8,00.00	6,65.00	8,00.00
जिला सड़कों का विकास - आर आई डी एफ- XIX के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सड़कें	सामान्य	0.01	68.69	21.89	3,48.00	(-) 42.97	3,44.85
	ज.जा.उ.यो.	0.01	13.48	..	20.23	..	20.23
	अ.जा.उ.यो.	0.01	17.83	1.50	9.88	1.50	9.88
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल-टी.बी. अस्पताल बाड़ी, उदयपुर	सामान्य	3,71.00	3,51.00	3,79.35	3,37.53	3,79.35	3,37.53
जनजाति आधिक्य क्षेत्र के लिए बहुशिल्प विद्यालय	ज.जा.उ.यो.	3,01.10	1,65.97	2,52.54	1,69.10	2,52.54	1,69.10
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय को सहायता-मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	सामान्य	4,80.00	7,34.00	1,87.50	3,94.50	1,87.50	3,94.50
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल-टी.बी. तथा आइसोलेशन डिजिज अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	2,87.00	2,72.10	2,24.48	2,53.23	2,24.48	2,53.14
मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना	सामान्य	10,39.00	10,51.20	8,72.25	8,62.25	8,69.89	8,62.25
	ज.जा.उ.यो.	15,92.00	10,92.26	13,32.60	7,58.96	13,32.59	7,58.71
	अ.जा.उ.यो.	15,00.00	10,00.00	11,89.78	8,46.00	11,80.65	8,43.27
नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत भवन का निर्माण	सामान्य	10,00.00	10,00.02	4,84.05	5,00.00	4,84.05	5,00.00
जलपूर्ति योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु वाहनों को किराये पर लेना (शहरी)	सामान्य	2,17.00	2,17.00	2,88.13	2,01.72	2,88.13	2,01.32
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- जयपुर बीसलपुर जलपूर्ति परियोजना हेतु सूरजपुरा पर 200 एम एल डी जल शुद्धिकरण संयंत्र (शहरी)	सामान्य	34.00	36.00	..	..	..	(-) 2,40.50
	ज.जा.उ.यो.	5.60	6.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	7.50	8.00	..	..	..	..
जलपूर्ति योजनाओं का निरीक्षण (ग्रामीण)-वाहनों को किराये पर लेना	सामान्य	7,00.00	7,00.00	10,38.44	6,49.62	10,37.49	6,49.41

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत सहरिया जनजाति हेतु एकीकृत विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	22,00.00	22,00.00	26,99.30	26,89.79	26,99.30	26,89.79
जनजाति कल्याण निधि के अन्तर्गत माड़ा क्षेत्र में माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन	ज.जा.उ.यो.	5,50.00	5,50.00	5,46.38	5,49.80	5,46.38	5,49.80
उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों को सहायता- डा.भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय	सामान्य	0.03	3,00.01	4,20.00	..	4,20.00	..
सिंचाई गुणवत्ता नियंत्रण	सामान्य	12,89.06	13,22.75	11,09.08	10,90.85	11,08.94	10,90.83
योग्यजनों का कल्याण-वृद्धावस्था गृह का संचालन	सामान्य	1,07.28	1,06.21	85.43	81.17	85.42	81.17
सरकारी तथा निजी क्षेत्र के मध्य साझेदारी आधार पर महाविद्यालय स्थापना	सामान्य	1,00.01	1,80.01	..	25.49	..	25.49
	ज.जा.उ.यो.	0.02	0.02	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.02	0.02	..	..	..	..
सिंचाई योजनाएं-चम्बल सिंचाई परियोजना के तहत कोटा बेराज का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	2,57.74	2,29.49	2,39.04	2,22.09	2,39.04	2,22.02
पुलिस शिक्षा तथा प्रशिक्षण के तहत पुलिस विश्वविद्यालय-सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा तथा आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर को अनुदान	सामान्य	5,00.01	5,23.01	5,00.00	3,92.25	5,00.00	3,92.25
शहरी विकास- मास्टर योजना तथा अन्य योजनाएं	सामान्य	1,85.82	2,56.32	1,18.60	2,00.50	1,18.60	2,00.50
	ज.जा.उ.यो.	6.66	10.55	10.00	10.02	10.00	10.01
पशुपालन के लिए प्रशिक्षण- पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर	सामान्य	..	1,37.97	..	1,24.95	..	1,23.95
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति	सामान्य	10,00.00	15,00.00	13,38.32	6,58.49	13,11.81	6,19.56
	ज.जा.उ.यो.	10,50.00	10,50.00	10,23.95	1,42.96	10,02.10	1,42.11
	अ.जा.उ.यो.	14,00.00	15,00.00	16,87.02	2,48.86	16,53.79	2,48.86
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- चम्बल-बूंदी जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य	24.00	1,72.50	56.28	26.59	56.28	26.59
	ज.जा.उ.यो.	5.00	32.50	11.34	5.10	11.34	5.10
	अ.जा.उ.यो.	6.00	45.00	14.36	7.10	14.36	7.10
लोक निर्माण कार्य-नेहरू सहकार भवन का रखरखाव, जल संचयन तथा केन्द्रीय शीतलक प्रणाली	सामान्य	1,58.40	2,00.00	..	1,05.80	..	1,05.80

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
बहरे, गूंगे तथा अंधों के स्कूलों के लिए सॉफ्टवेयर	सामान्य	1,12.21	1,60.21	88.58	88.21	88.58	88.22
डी एम एच एस के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	1,31,23.00	85,77.40	86,86.28	81,85.47	86,79.83	81,78.90
	ज.जा.उ.यो.	42,34.37	22,97.51	24,98.30	19,38.64	24,99.71	19,37.85
	अ.जा.उ.यो.	46,68.40	28,20.51	31,35.98	20,92.65	31,35.50	20,92.05
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. के तहत स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण (85:15)	सामान्य	6,10.00	8,17.00	6,10.00	8,17.00	6,10.00	8,17.00
	ज.जा.उ.यो.	6,12.00	7,53.00	6,12.00	7,00.00	6,12.00	7,00.00
	अ.जा.उ.यो.	2,80.00	5,75.00	2,80.00	4,00.00	2,80.00	4,00.00
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (85:15)	सामान्य	24,90.00	50,74.00	33,50.00	46,72.00	33,50.00	46,72.00
	ज.जा.उ.यो.	10,72.00	24,23.00	19,32.00	16,93.00	19,32.00	16,93.00
	अ.जा.उ.यो.	8,90.00	18,53.00	17,50.00	13,53.00	17,50.00	13,53.00
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (85:15)	सामान्य	26,93.35	29,53.00	35,73.00	26,47.56	35,73.00	26,47.56
	ज.जा.उ.यो.	11,52.84	14,46.00	20,23.00	13,91.82	20,23.00	13,91.82
	अ.जा.उ.यो.	9,99.81	11,06.00	18,70.00	13,75.62	18,70.00	13,75.62
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, जोधपुर के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	15,55.31	14,15.33	15,05.83	13,89.49	15,05.83	13,87.70
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, कोटा के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	15,10.21	13,51.73	16,18.17	13,93.17	16,18.18	13,92.07
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, जयपुर के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	30,85.91	26,90.03	30,97.24	29,65.67	30,96.87	29,61.48
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, अजमेर के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	10,91.86	9,28.62	10,20.25	9,44.10	10,20.18	9,44.60
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, बीकानेर के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	12,40.00	11,15.03	12,33.78	10,88.30	12,33.74	10,87.95
चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध अस्पतालों के समूह, उदयपुर के माध्यम से निःशुल्क जांच योजना	सामान्य	13,11.02	10,20.02	13,34.35	11,00.03	13,34.36	11,00.03
शहरी विकास-जोधपुर विकास प्राधिकरण को अनुदान	सामान्य	6,35.01	0.02	5,84.00	4,00.00	5,84.00	4,00.00
सिंचाई- इन्दिरा गांधी मुख्य नहर किमी 74 से 189- प्रथम चरण	सामान्य	24.11	50.00	16.25	27.26	12.88	24.64
	अ.जा.उ.यो.	2,58.58	3,05.00	1,78.20	1,44.47	1,78.20	1,44.47

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	सामान्य	5,00.01	6,00.01	4,85.43	5,35.89	4,70.43	5,33.89
अल्पसंख्यकों का कल्याण- अल्पसंख्यक छात्रों के छात्रावास	सामान्य	2,76.27	2,28.13	84.28	1,70.06	84.24	1,70.07
वृद्धों का कल्याण - गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से वृद्ध आश्रम गृहों का संचालन	सामान्य	1,50.00	1,60.00	1,59.99	1,56.62	1,59.99	1,56.62
पशुधन प्रजनन सुधार योजना	सामान्य	10,00.00	10,00.00	11,57.33	9,98.48	11,07.33	9,98.47
	ज.जा.उ.यो.	10,00.00	5,00.00	4,40.95	4,69.34	4,40.95	4,69.34
विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा - संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण	सामान्य	4,45.85	3,85.66	3,08.91	..	3,08.91	..
	ज.जा.उ.यो.	70.06	30.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	0.01	..	..	..	..
सड़क परिवहन- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को अनुदान	सामान्य	2,10,00.00	0.03	2,08,70.00	2,05,00.00	2,08,70.00	2,05,00.00
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना-समूह (शहरी)	सामान्य	10,30.00	17,25.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	2,03.00	3,25.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	2,67.00	4,50.00	..	..	..	..
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं- इसरदा बांध का निर्माण	सामान्य	2,15,00.00	67,86.00	60,54.53	16,90.08	60,16.17	15,86.07
	ज.जा.उ.यो.	80,98.00	29,92.00	22,81.18	7,53.51	22,80.47	7,25.57
	अ.जा.उ.यो.	1,07,95.00	37,22.00	30,40.24	8,67.91	29,91.78	8,67.91
सिंचाई-मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का पुर्नजीविकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार	सामान्य	10,20.00	10,20.00	7,56.98	30.49	7,62.50	30.64
	ज.जा.उ.यो.	2,10.00	2,10.00	1,27.56	..	1,27.56	..
	अ.जा.उ.यो.	2,70.00	2,70.00	1,13.56	0.10	1,14.38	0.11
महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नवाचार/नयी योजनाएं	सामान्य	0.01	2,47.02	..	..	..	..
सामाजिक सेवाएं - वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना	सामान्य	10,46.83	10,75.00	6,28.86	9,59.17	6,28.87	9,59.17
	ज.जा.उ.यो.	2,69.87	2,25.00	9.88	2,41.98	9.88	2,41.98
	अ.जा.उ.यो.	83.30	1,00.00	17.81	62.81	17.81	62.81
बाल कल्याण-बाल अधिकारिता निदेशालय का निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	1,74.83	1,54.56	1,75.09	1,45.10	1,75.05	1,45.05
बाल कल्याण - जिला स्तरीय बाल अधिकारिता तथा बाल सुरक्षा इकाई	सामान्य	1,01.30	97.39	78.47	73.17	78.45	73.16

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
शहरी जलपूर्ति योजनाएं-कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत सीकर, झुन्झुनू तथा खेतड़ी एकीकृत जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	11,72.00 2,21.00 3,06.00	12,46.83 2,34.91 3,25.26	12,17.28 2,18.42 3,05.70	6,81.63 1,05.89 1,77.65	12,17.28 2,18.42 3,05.70	6,81.63 1,05.89 1,77.65
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- भीनमाल तहसील तथा भीनमाल कस्बे के 256 गांवों हेतु शहरी जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	19,46.00 3,67.00 5,08.00	20,70.00 3,90.00 5,40.00	0.52		0.52	
जीवाणुनाशक असफल मामलों हेतु क्षतिपूर्ति	सामान्य	4,50.00	2,00.00	1,23.85	1,57.05	1,23.55	1,54.35
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोगना बोर्ड द्वारा पोषित जलपूर्ति योजनाएं (एन सी आर पी बी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	25,85.00 5,17.00 6,58.00	27,50.00 5,50.00 7,00.00	3,78.76 10.73 27.50	23,91.18 2,74.58 3,80.00	3,49.19 10.73 1.27	23,64.00 2,53.56 3,68.18
बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	3,70.00	2,75.00	1,80.00	1,49.99	1,80.00	1,49.99
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - ब्लॉक स्तर पर वीडियो कन्फ्रेंस	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	6,80.00 1,40.00 1,80.00	6,80.00 1,40.00 1,80.00	6,80.00 1,40.00 1,80.00	6,80.00 1,40.00 1,80.00	6,80.00 1,40.00 1,80.00	6,80.00 1,40.00 1,80.00
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - वाई फाई हॉट स्पॉट	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	9,90.00 2,25.00 2,85.00	20,40.00 4,20.00 5,40.00	2,16.14 2,25.00 2,85.00	20,14.00 4,20.00 5,40.00	2,16.14 2,25.00 2,85.00	20,14.00 4,20.00 5,40.00
तेल तथा गैस का शोधन तथा विपणन-राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,00,65.01 1,00,00.00 2,00,00.00	1,00,52.00 45,00.00 1,00,00.00	72,61.69 42,95.00 70,67.00	1,27,24.87 44,42.45 61,38.00	72,61.69 42,95.00 70,67.00	1,27,24.87 44,42.45 61,38.00
गौ संरक्षण	सामान्य	3,72.70	3,43.55	3,35.75	4,05.99	3,35.76	4,06.00
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना	सामान्य	8,99.99	5,99.99	6,75.00	7,25.00	6,75.00	7,25.00
सामाजिक सेवाएं - कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	65.00 20.00 15.00	57.00 25.00 18.00	29.00	63.00 1.00 8.00	29.00	63.00 1.00 8.00
विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा- कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	25,83.23	22,86.00	23,48.08	21,97.10	23,48.08	21,97.10

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा- कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	13,40.00	15,80.00	10,90.00	12,72.00	10,90.00	12,72.00
विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो.	33,61.87 5,92.13	24,27.46 4,94.02	15,83.37 4,57.84	22,04.57 4,52.43	15,83.37 4,57.84	22,04.57 4,52.43
खाद्य भंडारण और भांडागार- राजस्थान राज्य भण्डारण निगम को गोदाम निर्माण हेतु ऋण	सामान्य	50,00.00	50,00.00	..	..	..	..
सिंचाई-पार्वती परियोजना	सामान्य	2,50.00	60.00	3,91.13	57.41	3,93.98	57.67
सिंचाई-मेजा परियोजना	सामान्य	3,00.00	0.01	..	..	..	..
शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, प्राकृतिक चिकित्सा	सामान्य	5,47.02	3,77.71	4,46.56	4,44.02	4,46.56	4,43.11
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी - बैकएण्ड तथा नयी परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	23,00.01 5,25.01 6,75.01	11,70.01 2,40.09 3,10.01	25,98.73 6,10.03 7,72.10	11,31.09 2,00.00 3,10.00	25,98.73 6,10.03 7,72.10	11,31.08 2,00.00 3,10.00
गौ संरक्षण - गौ शालाओं को अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,48,07.65 1,30,00.00 1,30,00.00	3,08,00.00 90,00.00 1,10,00.00	2,36,13.31 1,72,70.19 1,65,24.07	2,73,85.67 83,64.98 1,07,19.37	2,36,07.01 1,72,70.19 1,64,98.01	2,73,85.67 83,64.98 1,07,19.37
बागवानी विकास-स्वचालन पर सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	7,70.70 1,51.25 2,00.05	0.01 0.01 0.01	1,21.42 9.83 5.61		1,21.42 9.83 5.61	
शुभलक्ष्मी योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	48,78.00 9,57.00 12,65.00	48,78.00 9,57.00 12,65.00	24,39.00 4,78.50 6,32.50	36,58.50 7,17.75 9,48.75	24,39.00 4,78.50 6,32.50	36,58.50 7,17.75 9,48.75
नागरिक आपूर्ति - उपभोक्ता मामलात विभाग	सामान्य	2,12.50	2,35.06	3,59.87	1,74.90	3,59.85	1,74.89
कृषि अनुसंधान- श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	6,65.00	6,83.00	6,07.75	6,43.00	6,07.75	6,43.00
कृषि अनुसंधान - कृषि विश्वविद्यालय, कोटा को सहायतार्थ अनुदान	सामान्य	2,20.51	2,20.51	1,60.00	2,20.51	1,60.00	2,20.51

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
शहरी निकायों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं में सुधार	सामान्य	4,80.36	4,35.13	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	94.80	85.89	10.20	..	10.20	..
	अ.जा.उ.यो.	1,24.84	1,13.10	..	..	..	..
लड़कों के लिए प्राथमिक विद्यालय	सामान्य	88,00.20	85,00.50	22,94.65	70,46.42	22,94.40	70,46.20
	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.03	..	..	..	..
जिला सड़कों का विकास-नाबार्ड द्वारा पोषित	सामान्य	60.79	68.69	0.77	58.67	0.78	37.39
आर आई डी एफ-XX की सड़कें	ज.जा.उ.यो.	11.93	13.48	8.82	14.94	8.82	8.92
	अ.जा.उ.यो.	15.78	17.83	5.05	47.24	5.05	46.03
उद्यान विकास - निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	1,45.10	1,35.33	1,41.31	1,27.33	1,41.32	1,27.33
कृषि विकास-निदेशन तथा प्रशासन	सामान्य	80,99.49	88,94.29	70,12.43	67,61.01	70,12.43	67,61.00
	ज.जा.उ.यो.	5,56.63	5,70.06	4,80.57	4,83.91	4,80.56	4,83.92
शहरी जलापूर्ति योजनाएं- इसरदा बांध का निर्माण (शहरी)	सामान्य	1,04,73.00	17,25.00	6,86.94	..	6,73.07	..
	ज.जा.उ.यो.	19,98.00	3,25.00	1,34.98	..	1,34.98	..
	अ.जा.उ.यो.	27,28.00	4,50.00	1,77.99	..	1,77.99	..
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- चम्बल-धौलपुर-भरतपुर	सामान्य	13,55.00	9,66.00	..	4,29.17	..	4,29.17
परियोजना फेज- I, पार्ट- II (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	1,89.00	1,82.00	..	80.86	..	80.86
	अ.जा.उ.यो.	3,53.00	2,52.00	..	1,11.96	..	1,11.96
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- जवाई-पाली पाइप लाइन	सामान्य	8,71.00	2,07.00	..	..	..	..
परियोजना फेज- II, पार्ट-बी (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	1,70.00	39.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	2,26.00	54.00	..	..	..	..
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- आर.जी.एल.सी से	सामान्य	49.00	52.24	81.49	41.00	81.49	41.00
बावरी कला जलौदा (शहरी)	ज.जा.उ.यो.	9.00	9.84	15.36	7.89	15.36	7.89
	अ.जा.उ.यो.	13.00	13.63	21.23	7.14	21.23	7.14
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी -भौगोलिक सूचना प्रणाली	सामान्य	46,49.00	44,20.00	23,99.99	44,19.96	23,99.99	44,19.96
	ज.जा.उ.यो.	10,36.00	9,10.00	4,99.99	9,10.00	4,99.99	9,10.00
	अ.जा.उ.यो.	13,15.00	11,70.00	5,99.99	11,70.00	5,99.99	11,70.00
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - राज सम्पर्क	सामान्य	17,93.00	16,57.03	17,93.00	16,57.00	17,93.00	16,57.00
	ज.जा.उ.यो.	3,70.00	3,41.00	3,70.00	3,41.00	3,70.00	3,41.00
	अ.जा.उ.यो.	4,75.00	4,39.00	4,75.00	4,39.00	4,75.00	4,39.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - विकास केन्द्र	सामान्य	12,96.00	36,47.00	..	36,61.00	..	36,61.00
	ज.जा.उ.यो.	2,67.00	7,51.00	..	8,81.00	..	8,81.00
	अ.जा.उ.यो.	3,43.00	9,65.00	..	11,05.00	..	11,05.00
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-ई-कार्यालय	सामान्य	3,30.00	5,95.00	39.43	5,73.16	39.43	5,73.16
	ज.जा.उ.यो.	75.50	1,23.00	8.05	1,21.84	8.06	1,21.84
	अ.जा.उ.यो.	94.50	1,58.00	11.84	1,52.20	11.84	1,52.20
महिला कल्याण-नारी निकेतन का संचालन	सामान्य	3,36.20	3,35.50	3,64.83	3,30.13	3,64.83	3,29.95
राज्य राजमार्ग का विकास-	सामान्य	6,07.88	1,37.38	2,85.93	91.79	2,85.93	91.79
सरकारी-निजी सहभागिता के अन्तर्गत राज्य	ज.जा.उ.यो.	1,19.29	26.96	59.65	18.01	59.65	18.01
राजमार्ग सड़कों का निर्माण	अ.जा.उ.यो.	1,57.79	35.66	78.90	23.82	78.90	23.82
कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन-	सामान्य	19,08.47	20,55.21	13,89.00	17,69.39	13,89.00	17,69.39
राजस्थान हेरिटेज सुरक्षा तथा प्रोत्साहन	ज.जा.उ.यो.	0.01	3,63.83	..	..	..	..
प्राधिकरण (आर एच पी पी ए)	अ.जा.उ.यो.	0.01	4,81.45	..	..	..	..
राज्य योजना मशीनरी-	सामान्य	1,66.93	2,30.62	1,03.18	1,35.19	1,03.18	1,35.19
मुख्य मंत्री सलाहकार परिषद, राजस्थान							
अवैध खनन की रोकथाम	सामान्य	11,00.02	11,90.03	10,28.83	10,49.46	10,26.11	10,49.20
लोक निर्माण कार्य - गोपालन निदेशालय भवन	सामान्य	0.01	1,00.00	..	9.49	..	9.49
ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर ऊर्जा विद्युतीकरण	सामान्य	0.01	1,05.91	..	1,05.91	..	1,05.91
	ज.जा.उ.यो.	0.01	21.80	..	21.80	..	21.80
	अ.जा.उ.यो.	0.01	28.04	..	28.04	..	28.04
ग्रामीण विकास कार्यक्रम- गुरु गोलवलकर जनभागीदारी	सामान्य	6,80.00	1,37.38	10,20.00	1,37.38	10,20.00	1,30.51
विकास योजना	ज.जा.उ.यो.	1,40.00	26.96	2,10.00	26.96	2,10.00	26.96
	अ.जा.उ.यो.	1,80.00	35.66	2,70.00	35.66	2,70.00	33.88
गौ संरक्षण-वध से बचाये गौवंश को अनुदान	सामान्य	1,50.00	1,50.00	89.36	98.06	89.36	98.06
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - सम्पर्क केन्द्र संचालन	सामान्य	0.02	0.02	2,03.34	2,69.97	2,03.34	2,69.97
	ज.जा.उ.यो.	0.02	0.02	41.97	..	41.97	..
	अ.जा.उ.यो.	0.02	0.02	53.72	..	53.72	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - डाटा केन्द्र तथा नेटवर्क संचालन केन्द्र	सामान्य	1,06,89.00	90,22.00	1,47,79.39	1,11,34.93	1,47,79.39	1,11,34.93
	ज.जा.उ.यो.	22,80.00	15,70.00	17,01.49	15,65.04	17,01.48	15,65.03
	अ.जा.उ.यो.	28,88.00	20,17.66	20,28.82	19,90.33	20,28.83	19,90.33
महिला कल्याण - महिला सुरक्षा तथा सलाह केन्द्र	सामान्य	80.00	80.00	76.34	76.49	73.94	76.50
	ज.जा.उ.यो.	14.00	14.00	13.78	9.80	13.78	9.80
	अ.जा.उ.यो.	16.00	16.00	15.92	14.86	15.92	14.86
महिला कल्याण - सामूहिक विवाह अनुदान योजना	सामान्य	7,00.00	4,94.25	6,99.55	6,18.48	6,88.35	5,87.96
	ज.जा.उ.यो.	80.00	1,10.00	79.67	58.47	78.92	49.47
	अ.जा.उ.यो.	1,50.00	1,40.00	1,48.02	1,37.49	1,45.52	1,31.34
राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	सामान्य	3,19.00	2,90.00	1,66.87	2,01.94	1,66.87	1,98.08
	ज.जा.उ.यो.	5.00	5.00	0.22	1.09	0.22	1.09
	अ.जा.उ.यो.	5.50	5.00	1.39	2.36	1.34	2.36
उद्योग तथा संस्थान की स्थापना अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ (उद्योग तथा संस्थान संवाद प्रकोष्ठ)	सामान्य	1,00.45	1,00.60	89.00	84.56	88.99	84.57
जनजाति कल्याण निधि के तहत अनुसूचित क्षेत्र में सड़कों तथा नालों का निर्माण	ज.जा.उ.यो.	0.01	2,30.68	..	1,71.65	..	1,71.65
राजस्थान निवेश संवर्द्धन योजना	सामान्य	78,46.00	67,97.00	1,25,96.00	64,96.98	1,25,96.00	64,96.97
	ज.जा.उ.यो.	38,27.00	24,94.00	52,87.00	17,64.26	52,87.00	17,64.27
	अ.जा.उ.यो.	53,42.00	37,29.00	64,32.00	37,13.24	64,32.00	37,13.24
औद्योगिक विकास - देहली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर	सामान्य	56,00.65	92,94.49	27,55.20	20,14.06	27,41.70	20,13.08
	ज.जा.उ.यो.	17,00.00	15,00.00	9,99.90	3,92.14	9,55.97	3,92.14
	अ.जा.उ.यो.	30,00.00	28,64.00	15,00.00	4,27.90	14,99.09	4,27.90
जिला सड़कों का विकास-आर आई डी एफ-XXI के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सड़कें	सामान्य	60.79	3,43.45	82.14	4,18.35	82.14	4,17.12
	ज.जा.उ.यो.	11.93	67.40	8.96	52.00	8.96	40.14
	अ.जा.उ.यो.	15.78	89.15	19.11	74.80	19.11	69.46
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति-2015	सामान्य	1,80.00	1,82.00	1,09.59	1,35.26	1,09.59	1,35.26
ग्रामीण जल पूर्ति योजना, चम्बल से भैंसरोड़गढ़	सामान्य	65.00	69.00	..	..	..	..
पंचायत समिति जिला चित्तौड़ के 38 गाँवों की	ज.जा.उ.यो.	12.00	13.00	..	..	..	..
जलपूर्ति परियोजना	अ.जा.उ.यो.	17.00	18.00	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/ पशु दुर्घटना, आपदा इत्यादि के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सहायता	सामान्य	30,00.00	45,00.00	80,00.00	55,00.00	80,00.00	55,00.00
सिंचाई -लघु सिंचाई कार्य (फोर वाटर कन्सेप्ट)	सामान्य	13,60.00	40,80.00	13,26.52	26,73.84	13,36.18	20,90.92
	ज.जा.उ.यो.	2,80.00	8,40.00	2,74.74	5,69.80	2,74.74	5,69.55
	अ.जा.उ.यो.	3,60.00	10,80.00	3,50.17	7,29.75	3,52.72	7,33.16
सड़क परिवहन-राजस्थान राज्य बस टर्मिनल प्राधिकरण	सामान्य	1,00.04	1,00.04	25.00	30.00	25.00	30.00
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	सामान्य	30,23.32	0.02	30,23.32	..	30,23.32	..
	ज.जा.उ.यो.	5,92.93	0.02	5,92.93	..	5,92.93	..
	अ.जा.उ.यो.	7,83.75	0.02	7,83.75	..	7,83.75	..
शहरी विकास- राजस्थान झील विकास प्राधिकरण	सामान्य	24.00	33.00	3,85.60	..	3,85.60	..
वन्य जीव संरक्षण - बायोलोजिकल पार्क, बीकानेर	सामान्य	0.02	0.02	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	3,50.01	3,50.01	3,48.76	12.04	3,48.76	12.04
पर्यटन प्रशिक्षण, उदयपुर के लिए उत्कर्ष केन्द्र की स्थापना	सामान्य	2,12.50	1,86.50	1,91.63	1,88.27	1,91.62	1,88.25
ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी	सामान्य	8,50.00	8,50.01	6,74.72	6,13.90	6,74.72	6,13.90
सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन के लिए अनुदान	ज.जा.उ.यो.	6,32.50	6,32.51	4,44.75	5,05.88	4,44.75	5,05.87
	अ.जा.उ.यो.	6,85.00	6,85.01	5,37.35	5,59.66	5,37.35	5,59.66
सिंचाई-राजस्थान नदी घाटी तथा जल संसाधन योजना प्राधिकरण को अनुदान	सामान्य	5,08.00	5,55.00	2,88.00	3,10.00	2,88.00	3,10.00
राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाली प्रथम वर्ष की मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण	सामान्य	4,00.00	4,00.00	95.77	21.11	95.77	21.11
	ज.जा.उ.यो.	1,00.00	1,50.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	1,50.00	1,50.00	..	..	..	..
वन्य जीव संरक्षण- वन धन योजना	सामान्य	0.01	90.01	..	2.99	..	2.99
	ज.जा.उ.यो.	0.01	34.99	..	1.33	..	1.33
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-युवा प्रशिक्षु कार्यक्रम	सामान्य	16,41.30	14,19.21	1,80.13	1,40.02	1,80.12	1,40.01

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार योजना- भामाशाह रोजगार सृजन योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,30.00 30.00 40.00	1,55.00 15.00 30.00	2,25.33 16.07 25.13	2,34.19 9.52 32.87	2,25.33 16.07 25.13	2,34.19 9.16 32.58
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी - कमान और नियंत्रण केन्द्र	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	49,50.00 11,25.00 14,25.00	13,60.00 2,80.00 3,60.00	38,07.80 10,00.00 11,80.00	25,89.00 11,38.00 14,40.00	38,07.80 10,00.00 11,80.00	25,89.00 11,38.00 14,40.00
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		6,58.40 1,37.80 2,03.80		1,46.49 38.30 32.04		1,46.49 38.30 32.04
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान - जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय	सामान्य	..	82,91.00	..	..	..	..
उज्ज्वल डिस्कॉम सुनिश्चित योजना (उदय)- वितरण डिस्कॉम को सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		95,14,75.01 18,66,27.98 24,35,44.09		94,63,22.66 18,66,27.96 24,86,96.46		94,63,22.66 18,66,27.96 24,86,96.46
विद्युतीकरण - उदय के अन्तर्गत जयपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को इक्विटी	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		2,13,64.09 43,98.49 56,55.20		2,13,64.09 43,98.49 56,55.20		2,13,64.09 43,98.49 56,55.20
विद्युतीकरण - उदय के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को इक्विटी	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		1,97,54.97 40,67.20 52,29.26		1,97,54.97 40,67.20 52,29.26		1,97,54.97 40,67.20 52,29.26
विद्युतीकरण - उदय के अन्तर्गत अजमेर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड को इक्विटी	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.		2,04,54.26 42,11.17 54,14.36		2,04,54.26 42,11.17 54,14.36		2,04,54.26 42,11.17 54,14.36
ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं- राजगढ़ जलपूर्ति परियोजना, तहसील-पंचपहाड़, जिला झालावाड़	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	2,20.00 42.00 58.00	2,34.60 44.20 61.20	20.47 3.92 5.45	2,34.60 20.04 29.93	20.47 3.92 5.45	2,34.60 20.04 29.93
ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं- प्रतापगढ़ जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,89.00 73.00 1,02.00	4,14.00 78.00 1,08.00	2,59.35 1.80 66.99	3,67.84 70.78 97.65	2,59.35 1.80 66.99	3,67.84 70.78 97.65

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	26,75,54.28	28,77,44.00	37,66,51.79	31,62,37.17	37,18,80.03	31,30,78.42
अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना	अ.जा.उ.यो.	6,82,68.00	6,82,68.00	9,43,48.16	7,26,95.46	9,42,45.67	7,08,61.15
अनुसूचित जन जाति के लिए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना	ज.जा.उ.यो.	5,34,48.00	5,34,48.00	7,64,55.45	6,02,30.27	7,57,88.89	5,84,44.18
मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	11,55,66.00	11,55,66.00	12,91,54.80	12,14,25.95	12,91,52.25	12,10,54.01
अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	अ.जा.उ.यो.	3,16,40.00	3,16,40.00	3,36,48.64	3,39,27.96	3,36,48.39	3,36,73.32
अनुसूचित जन जाति के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	ज.जा.उ.यो.	2,46,54.00	2,46,54.00	2,38,47.98	2,48,09.41	2,38,45.62	2,46,38.18
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	सामान्य	3,22,54.00	3,22,54.00	3,55,87.24	3,05,96.31	3,55,86.95	3,04,93.53
अनुसूचित जाति के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	अ.जा.उ.यो.	96,05.00	96,05.00	1,00,40.24	88,07.28	1,00,40.21	87,26.50
अनुसूचित जन जाति के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	ज.जा.उ.यो.	57,17.00	57,17.00	59,24.70	57,01.88	59,24.68	56,55.81
औद्योगिक उत्पादकता- एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आई पी डी एस)	सामान्य	11,50.00	3,50.00	8,00.00	1,00.00	8,00.00	1,00.00
	ज.जा.उ.यो.	3,50.00	65.00	1,50.00	65.00	1,50.00	65.00
	अ.जा.उ.यो.	5,00.00	85.00	2,50.00	85.00	2,50.00	85.00
स्वाइन फ्लू नियंत्रण कार्यक्रम (डी एम एच एस के माध्यम से)	सामान्य	15.00	70.06	3.73	9.83	3.73	9.83
	ज.जा.उ.यो.	4.00	20.06	0.14	2.33	0.15	2.34
	अ.जा.उ.यो.	15.00	35.06	2.11	6.61	2.10	6.61
जिला सड़कों का विकास-नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. XXII की सड़कें	सामान्य	3,03.94	10,30.35	4,22.62	13,03.67	4,22.62	12,95.68
	ज.जा.उ.यो.	59.65	2,02.20	79.46	2,37.34	79.46	2,37.34
	अ.जा.उ.यो.	78.89	2,67.45	1,12.24	3,69.30	1,12.24	3,68.74
जिला कार्यालय तथा पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण	सामान्य	1,00.00	50.00	1,80.00	50.00	1,80.00	50.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
खनन क्षेत्र में पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संरक्षण तथा पारिस्थितिक संतुलन का रखरखाव	सामान्य	..	14,28.14	..	33,62.70	..	33,62.70
	ज.जा.उ.यो.	..	3,96.03	..	1,77.77	..	1,77.77
	अ.जा.उ.यो.	..	6,01.12	..	2,43.91	..	2,43.91
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण- पशु पालकों के बच्चों के लिए योजना	सामान्य	17.00	8,00.00	..	8,00.00	..	8,00.00
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - अटरू-शेरगढ़ जलपूर्ति परियोजना, जिला बांरा (ग्रामीण)	सामान्य	4,54.00	4,83.00	1,65.83	3,77.00	1,65.83	3,77.00
	ज.जा.उ.यो.	86.00	91.00	32.00	71.00	32.00	71.00
	अ.जा.उ.यो.	1,18.00	1,26.00	43.04	97.17	43.04	97.17
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - अटरू-शेरगढ़ जलपूर्ति परियोजना, जिला बांरा (शहरी)	सामान्य	2,59.00	2,76.00	..	2,15.00	..	2,15.00
	ज.जा.उ.यो.	49.00	52.00	..	41.00	..	41.00
	अ.जा.उ.यो.	68.00	72.00	..	56.00	..	56.00
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - सिरौही जिले के लिए पेयजल प्रयोजन हेतु बत्तीसा नाले पर बांध का निर्माण	सामान्य	6,49.00	6,90.00	6,87.00	1,57.00	6,87.00	1,57.00
	ज.जा.उ.यो.	1,22.00	1,30.00	1,35.00	39.00	1,35.00	39.00
	अ.जा.उ.यो.	1,69.00	1,80.00	1,78.00	54.00	1,78.00	54.00
महिला कल्याण - मुख्यमंत्री राज श्री योजना	सामान्य	1,46,17.00	1,75,65.00	1,16,17.00	1,08,94.61	1,16,17.00	1,08,94.61
	ज.जा.उ.यो.	45,93.00	53,93.00	40,93.00	37,97.67	40,93.00	37,97.67
	अ.जा.उ.यो.	57,90.00	69,90.00	47,90.00	53,30.00	47,90.00	53,30.00
राज्य राजमार्गों का विकास - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सड़कें	सामान्य	88,61.29	2,50,00.00	70,75.38	2,38,00.31	70,75.38	2,38,00.15
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	सामान्य	20.00	20.00	..	9.42	..	7.94
	ज.जा.उ.यो.	14,00.00	16,60.00	13,54.45	11,19.79	13,54.45	11,14.25
	अ.जा.उ.यो.	12,00.00	16,00.00	11,83.59	8,92.85	11,65.47	8,83.45
अन्नपूर्णा योजना	सामान्य	68,69.00	73,12.67	36,84.49	..	36,84.49	..
	ज.जा.उ.यो.	13,48.00	14,35.14	7,27.11	..	7,27.11	..
	अ.जा.उ.यो.	17,83.00	18,98.27	9,60.67	..	9,60.67	..
परिवहन सेवाएं-आर.एस.आर.डी.सी. की सड़कें तथा पुलों के लिए ऋण	सामान्य	0.01	0.01	21,06.13	..	21,06.13	..
जिला सड़कों का विकास-नाबार्ड द्वारा पोषित आर.आई.डी.एफ. XXIII की सड़कें	सामान्य	9,24.29	34,34.50	9,40.99	30,39.72	9,40.99	30,24.34
	ज.जा.उ.यो.	1,65.66	6,74.00	1,05.18	3,39.14	1,05.18	3,27.16
	अ.जा.उ.यो.	2,37.48	8,91.50	1,28.17	6,29.74	1,29.91	6,14.57

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली (जिलाधीश कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण)	सामान्य	0.01	4,50.00	37.13	69.21	37.13	67.72
सामाजिक सेवाएं - न्यास द्वारा संचालित मंदिरों के उत्थान हेतु सहायता	सामान्य ज.जा.उ.यो.	3,54.72 0.01	2,90.00 31.40	2,38.24 ..	80.00 ..	2,38.24 ..	80.00 ..
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का राज्य संस्कृत संस्थान	सामान्य	1,82.09	73.61	1,85.54	27.09	1,85.53	27.09
मुख्यमंत्री जनसहभागिता विकास योजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	49,00.00 9,25.00 11,75.00	52,50.00 9,75.00 12,75.00	14,21.74 2,74.47 3,56.58	34,50.18 6,91.21 8,92.61	14,21.74 2,74.47 3,56.58	34,50.18 6,91.21 8,92.61
सिंचाई-पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,19,00.00 24,50.00 31,50.00	16,99.50 3,50.00 4,50.00	1,54,84.96 31,88.08 40,98.96	33,78.42 11,30.00 13,80.44	1,11,63.89 31,88.08 41,72.24	33,63.57 11,30.00 13,86.87
उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता - गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा	ज.जा.उ.यो.	4,71.00	6,10.00	1,71.00	4,29.00	1,71.00	4,29.00
सैनिक विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति	सामान्य	2,13.93	2,13.93	1,02.50	58.93	1,02.50	58.93
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- आदर्श नगर सैटेलाइट अस्पताल, अजमेर	सामान्य	1,58.88	1,53.34	1,58.18	1,34.94	1,58.18	1,34.94
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- सेठी कॉलोनी, सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर	सामान्य	1,60.58	1,37.20	1,50.21	1,27.67	1,50.20	1,27.67
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- कावंटिया अस्पताल, जयपुर	सामान्य	2,72.54	2,61.60	2,79.44	2,14.51	2,79.40	2,14.39
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- बर्नीपार्क सैटेलाइट अस्पताल, जयपुर	सामान्य	1,69.66	1,55.23	1,42.76	1,30.66	1,42.75	1,30.62
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- जिला अस्पताल, पावटा, जोधपुर	सामान्य	2,76.74	2,05.76	2,49.57	2,52.12	2,49.58	2,52.14
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- प्रतापनगर सैटेलाइट अस्पताल, जोधपुर	सामान्य	3,01.35	2,81.65	2,97.81	2,89.48	2,97.80	2,89.48

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- शिवराम नाथूराम टांक अस्पताल, मण्डोर, जोधपुर	सामान्य	96.22	88.11	1,03.33	86.31	1,03.32	86.31
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- श्री खेमराज कटारा सरकारी सेटेलाइट अस्पताल, उदयपुर	सामान्य	1,09.14	1,08.05	97.93	1,01.27	97.91	1,01.27
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- सुंदर सिंह भंडारी सैटेलाइट अस्पताल, उदयपुर	सामान्य	1,25.92	1,34.03	1,16.81	1,14.08	1,16.82	1,14.06
चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान- राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति को सहायतार्थ अनुदान (राज एम ई एस)	सामान्य	..	1,40,50.00	..	1,09,50.00	..	1,09,50.00
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- जिला अस्पताल बीकानेर	सामान्य	1,47.92	1,57.88	1,40.32	1,18.09	1,40.32	1,18.09
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के तहत अध्यापन अस्पताल- राजकीय जिला अस्पताल, कोटा	सामान्य	1,07.25	94.05	89.08	84.40	88.86	84.40
सड़क परिवहन - समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से हस्तान्तरण	सामान्य	93,04.05	89,40.57	26,36.38	22,61.59	26,36.35	22,61.15
शहरी जलपूर्ति योजना - चाकन बांध जिला बूंदी से इन्द्रगढ़ जलपूर्ति परियोजना (शहरी)	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	1,95.00 37.00 51.00	2,07.00 39.00 54.00	1,94.38 37.00 51.00	2,01.65 36.75 50.90	1,94.38 37.00 51.00	2,01.65 36.75 50.90
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों के लिए जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	5,30.00 1,01.00 1,38.00	3,45.00 65.00 90.00				
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - चम्बल भीलवाड़ा जलपूर्ति परियोजना के विस्तार से बूंदी का क्लस्टर वितरण जलपूर्ति परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	13,62.00 2,57.00 3,55.00	14,49.00 2,73.00 3,78.00	6,34.77 1,19.77 1,65.45	14,05.38 2,61.25 3,61.80	6,34.77 1,19.77 1,65.45	14,05.38 2,61.25 3,61.80
वन्य जीव संरक्षण- आकल वुड फोसिल पार्क	सामान्य	0.01	1,50.00	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
वन्य जीव संरक्षण – तेंदुआ परियोजना	सामान्य	3,00.00	5,00.00	1,41.32	2,97.34	1,41.32	2,97.34
वन्य जीव संरक्षण - गोदामों और घास के मैदानों का विकास तथा संरक्षण	सामान्य	2,00.00	2,00.00	1,55.53	1,76.22	1,55.53	1,76.22
बड़े पौधों की तैयारी	सामान्य	4,26.35	3,86.00	3,90.96	2,71.36	3,89.05	2,70.89
छात्रावासियों के लिए साइकिल वितरण योजना	सामान्य	10.00	25.01	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	15.00	1,25.01	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	75.01	2,00.01	..	..	..	..
कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण- राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय	सामान्य	1,60.00	2,50.00	1,35.00	1,45.00	1,35.00	1,45.00
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली लड़कों और लड़कियों के लिए एक मुश्त नकद पुरस्कार और स्कूटी वितरण योजना	सामान्य	3,85.00	3,85.00	48.84	0.77	48.84	0.77
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - अन्ता-मांगरोल तहसील, जिला बांरा की सोनवा जलापूर्ति परियोजना	सामान्य	..	24,15.00	..	12,64.19	..	12,64.19
	ज.जा.उ.यो.	..	4,55.00	..	1,78.92	..	1,78.92
	अ.जा.उ.यो.	..	6,30.00	..	2,92.44	..	2,92.44
लोक निर्माण कार्य- राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण भवन	सामान्य	3,53.98	3,50.00	3,95.94	1,76.98	3,86.58	1,76.98
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXIII के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	सामान्य	30,00.00	60,00.00	15,00.00	15,00.00	15,00.00	15,00.00
आवासीय विद्यालयों का संचालन-जिला परिषदों/जिला स्तर पंचायतों को सहायता	अ.जा.उ.यो.	32,03.05	36,14.10	23,59.42	26,62.91	23,59.41	26,60.64
अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुदान	सामान्य	1,67.00	1,20.00	1,32.00	1,40.00	1,32.00	1,40.00
अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण-राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को अनुदान	सामान्य	1,37.20	1,37.20	95.00	1,10.00	95.00	1,10.00
लोक निर्माण कार्य- न्यायिक प्रशासन भवन	सामान्य	8,84.96	10,00.00	7,64.70	6,11.57	7,64.66	6,11.57

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
अल्पसंख्यकों का विकास-राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को अनुदान	सामान्य	1,10.00	1,10.00	55.00	50.00	55.00	50.00
सामाजिक कल्याण-राजस्थान पेंशनभोगी मेडिकल फंड के लिए ऋण	सामान्य	1,00,00.00	50,00.00	1,50,00.00	1,30,00.00	1,50,00.00	1,30,00.00
योग्यजनों का कल्याण-शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को अनुदान	सामान्य	13,00.00	13,00.00	14,99.19	12,62.19	14,99.19	12,62.19
बाल कल्याण-मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए आवास	सामान्य	4,03.81	3,56.52	3,48.99	3,53.57	3,48.95	3,53.57
महिला कल्याण-मानसिक रूप से मंद महिलाओं के लिए आवास	सामान्य	4,05.40	2,88.10	3,54.55	3,49.81	3,51.88	3,49.75
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क/रियायती यात्रा की राशि की प्रतिपूर्ति	सामान्य	2,00,00.00	2,00,00.00	79,89.91	1,74,99.94	79,89.91	1,74,99.94
शहरी जलपूर्ति योजनाएं- राजस्थान जलपूर्ति और सीवरेज निगम (आर डब्ल्यू एस एस सी) के माध्यम से पूंजी कार्य	सामान्य	3,56.00	3,79.15	2,95.23	3,78.88	2,95.23	3,78.88
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं-नहरों का आधुनिकीकरण, कायाकल्प तथा सुदृढीकरण (बीकानेर)	सामान्य	56,40.00	60,00.00	32,82.55	40,38.74	32,82.54	40,38.74
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति परियोजना फेज- II (शहरी)	सामान्य	22,60.00	24,04.08	20,79.64	2.00	20,73.89	2.00
शहरी जलपूर्ति योजनाएं-किशनगढ़ शहरी जलपूर्ति योजना का पुनर्गठन	सामान्य	1,17.00	1,24.20	28.29	56.01	28.29	37.71
बिजली शुल्क को नही बढ़ना-वितरण डिस्कॉम को अनुदान	सामान्य	93,15,78.87	68,04,67.51	77,72,78.25	47,99,59.95	77,72,78.25	47,99,59.95
	ज.जा.उ.यो.	21,49,79.75	14,42,13.90	17,85,55.29	11,07,59.99	17,85,55.29	11,07,59.99
	अ.जा.उ.यो.	28,66,39.66	20,54,17.88	31,95,75.66	14,76,79.98	31,95,75.66	14,76,79.98
बिजली ड्यूटी सहाय्य-वितरण डिस्कॉम को अनुदान	सामान्य	10,68,99.89	10,67,25.25	9,61,77.16	10,08,31.35	9,61,77.16	10,08,31.35
	ज.जा.उ.यो.	2,20,08.80	2,19,72.85	1,98,01.18	2,07,59.40	1,98,01.18	2,07,59.40
	अ.जा.उ.यो.	2,82,97.03	2,82,50.80	2,54,58.66	2,66,90.65	2,54,58.66	2,66,90.65

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
बिजली चोरी अपराध की प्रषगम राशि के विरुद्ध सहाय्य- वितरण डिस्कॉम को अनुदान	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	13,89.23 2,86.01 3,67.74	11,70.43 2,40.97 3,09.82	20,86.60 4,29.61 5,52.33	11,67.26 2,40.33 3,08.98	20,86.60 4,29.61 5,52.33	11,67.26 2,40.33 3,08.98
जिला सड़कों का विकास- नाबार्ड द्वारा पोषित आर आई डी एफ XXIV की सड़के	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	24,64.78 4,41.77 6,33.27	3,12,26.86 61,33.40 81,39.95	89,06.16 14,63.82 20,77.90	2,17,42.67 41,41.68 56,68.96	89,08.71 14,63.82 20,77.90	2,17,19.20 41,39.46 56,66.04
जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी - स्टार्टअप	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	13,60.00 2,80.00 3,60.00	13,60.01 2,80.01 3,60.01	2,32.23 46.33 13.06	13,08.16 2,76.50 3,48.40	2,32.23 46.33 13.06	13,08.16 2,76.50 3,48.40
सिंचाई-जयसमन्द परियोजना	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	22,44.00 4,62.00 5,94.00	34,00.00 7,00.00 9,00.00	19,87.94 4,20.00 4,95.51	29,02.64 5,96.47 7,68.23	19,79.28 4,19.32 4,98.39	29,15.87 5,96.47 7,71.81
पर्यटक सहायता बल	सामान्य	2,20.00	1,70.00	2,44.87	2,09.03	2,44.87	2,09.03
आवास-मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सरकारी आवास	सामान्य	2,00.00	1,50.00	1,37.04	1,76.12	1,37.04	1,76.12
आवास - V एवं VI टाईप के सरकारी आवासीय क्वार्टर	सामान्य	1,50.00	1,50.00	87.46	40.49	87.47	40.49
आवास - I एवं II टाईप के सरकारी आवासीय क्वार्टर	सामान्य	1,50.00	1,30.00	1,12.55	56.65	1,12.55	56.66
आवास - III एवं IV टाईप के सरकारी आवासीय क्वार्टर	सामान्य	2,50.00	1,50.00	1,03.91	96.85	1,03.91	96.83
बागवानी विकास-उत्कृष्टता केन्द्रों का संचालन	सामान्य ज.जा.उ.यो. अ.जा.उ.यो.	3,69.26 0.01 0.01	90.80 0.01 0.01	2,96.06	65.60	2,96.06	65.60
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता- सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़	सामान्य	4,50.00	4,07.01	1,00.00	4,07.01	1,00.00	4,07.01
गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय को सहायता- सैनिक विद्यालय, झुन्झुनू	सामान्य	36,00.00	36,00.00	35,75.00	21,49.99	35,75.00	21,49.99

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
कृषि विकास-स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को ऋण	सामान्य	58,44.00	52,92.00	58,44.00	56,14.00	58,44.00	56,14.00
लोक निर्माण कार्य-निर्वाचन विभाग भवन	सामान्य	11.00	1,00.34	10.87	88.80	10.87	88.29
राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी.)(आर.यू. आई.डी.पी.फेज-IV)	सामान्य	1,74,99.02	6,95.00	1,45,70.88	2,28.44	1,45,26.92	2,28.44
सहकारिता-कृषि ऋण माफी योजना	सामान्य	29,21,00.01	22,80,00.01	31,62,00.00	30,12,78.51	31,62,00.00	30,12,78.51
	ज.जा.उ.यो.	5,43,00.01	4,20,00.01	5,88,00.00	5,39,27.00	5,88,00.00	5,39,27.00
	अ.जा.उ.यो.	7,09,00.01	5,40,00.01	7,67,28.00	6,92,94.00	7,67,28.00	6,92,94.00
राजस्थान दूध पोषण कार्यक्रम (मिड डे मील)	सामान्य	4,06,00.00	3,62,00.00	32,50.00	3,45,00.00	32,50.00	3,38,54.80
	ज.जा.उ.यो.	1,53,00.00	1,35,00.00	7,50.00	1,18,00.00	7,50.00	1,17,63.15
	अ.जा.उ.यो.	1,67,00.00	1,48,00.00	10,00.00	1,31,00.00	10,00.00	1,29,64.49
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जनजाति कल्याण निधि के तहत अनुसूचित क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए अनुदान	ज.जा.उ.यो.	0.01	0.01	19,58.90	..	19,58.90	..
जनजाति कल्याण निधि के तहत खैरवा के लिए एकीकृत विकास परियोजना	ज.जा.उ.यो.	2,00.00	2,00.00	1,96.72	1,95.83	1,96.72	1,95.69
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण-ऋण माफी के लिए अनुदान	सामान्य	0.01	4,29.50	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	0.01	6,29.00	..	6,29.00	..
सिंचाई-तेजावाला हेड से चुरु तथा झुंझनू को अधिशेष जल की आपूर्ति के लिए योजना (वाणिज्यिक)	सामान्य	0.01	4,10.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	90.00	..	..	..	..
सिंचाई- नागलियां पिकअप वियर पर उच्च स्तरीय नहर (वाणिज्यिक)	ज.जा.उ.यो.	0.01	5,00.00	..	..	..	..
सिंचाई- अनास बांध ऊपरी उच्च स्तरीय नहर (माही नदी)(वाणिज्यिक)	ज.जा.उ.यो.	0.01	5,00.00	..	..	..	..
सिंचाई- माही बांध पर ऊपरी उच्च स्तरीय नहर (वाणिज्यिक)	ज.जा.उ.यो.	0.01	5,00.00	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - गरदा पेयजल परियोजना	सामान्य	3,44.00	3,45.00	1,56.64	3,45.00	1,56.64	3,45.00
	ज.जा.उ.यो.	65.00	65.00	30.78	65.00	30.78	65.00
	अ.जा.उ.यो.	91.00	90.00	40.58	90.00	40.58	90.00
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - कचावन पेयजल परियोजना	सामान्य	3.43	3,45.00	..	0.32	..	0.32
	ज.जा.उ.यो.	0.67	65.00	..	0.06	..	0.06
	अ.जा.उ.यो.	0.90	90.00	..	0.08	..	0.08
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - परवन-अकवड पेयजल परियोजना	सामान्य	3,44.00	3,45.00	6,87.07	..	6,87.07	..
	ज.जा.उ.यो.	65.00	65.00	1,34.62	..	1,34.62	..
	अ.जा.उ.यो.	91.00	90.00	1,78.30	..	1,78.30	..
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - डूंगरपुर, आसपुर तथा डोवडा पेयजल परियोजना	सामान्य	..	34,50.00	..	21,15.28	..	21,15.28
	ज.जा.उ.यो.	..	6,50.00	..	4,66.37	..	4,66.37
	अ.जा.उ.यो.	..	9,00.00	..	7,11.69	..	7,11.69
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - डूंगरपुर, आसपुर तथा डोवडा पेयजल परियोजना	सामान्य	..	13,25.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	..	5,25.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	..	6,50.00	..	..	..	..
ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं - माही बजाज बांध-जयसमन्द जल हस्तान्तरण परियोजना	सामान्य	0.01	69.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	12.00	13.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	0.01	18.00	..	..	..	..
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - माही बजाज बांध-जयसमन्द जल हस्तान्तरण परियोजना	सामान्य	0.01	69.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	12.00	13.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	17.00	18.00	..	..	..	..
शहरी जलपूर्ति योजनाएं - बीसलपुर-जयपुर जलपूर्ति परियोजना फेज- II	ज.जा.उ.यो.	4,57.00	4,86.74	3,56.83	..	3,56.83	..
	अ.जा.उ.यो.	5,77.00	6,14.24	5,04.53	..	5,04.53	..
शहरी सुधार न्यास, अलवर को ऋण	सामान्य	0.01	0.01	..	10,00.00	..	10,00.00
हरिपूरा मानजी जलपूर्ति परियोजना, जिला कोटा	सामान्य	3,24.00	3,45.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	61.00	65.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	85.00	90.00	..	..	..	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	सामान्य	63,00.00	1,22,50.00	51,80.00	28,57.00	51,80.00	28,57.00
	ज.जा.उ.यो.	12,00.00	24,36.30	9,60.00	5,49.00	9,60.00	5,49.00
	अ.जा.उ.यो.	15,00.00	32,74.70	12,60.00	6,94.00	12,60.00	6,94.00
पी.एम.एस.एस.वाई फेज-III के तहत सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन	सामान्य	31,78.02	..	10,95.01	..	10,95.00	..
	ज.जा.उ.यो.	5,28.04	..	5,03.02	..	5,03.00	..
	अ.जा.उ.यो.	6,94.03	..	6,67.02	..	6,67.00	..
राज्य के इच्छुक उम्मीदवारों को सेना में प्रारंभिक भर्ती के लिए आवासीय सुविधाएं एवं प्रशिक्षण	सामान्य	10,00.00	0.02	..	..	..	..
राजस्थान गौ संरक्षण तथा विकास, आरक्षित निधि	सामान्य	0.02	30,00.01	..	10,63.43	..	10,63.43
रिफाइनरी क्षेत्र पंचपदरा में साल्ट पिट धारकों को इनाम तथा क्षतिपूर्ति	सामान्य	90.00	90.00	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	30.00	30.00	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	35.00	35.00	..	..	..	..
नाबार्ड आर आई डी एफ XXIV के तहत पशु चिकित्सालय तथा उप केन्द्रों निर्माण	सामान्य	10,00.00	15,00.01	40,00.00	11,50.00	40,00.00	11,50.00
	ज.जा.उ.यो.	5,00.00	4,00.00	17,00.00	2,00.00	17,00.00	2,00.00
	अ.जा.उ.यो.	10,00.00	6,00.00	32,00.00	6,00.00	32,00.00	6,00.00
स्मारक तथा संग्रहालय	सामान्य	15,76.23	16,84.33	8,01.29	11,99.21	8,01.30	11,99.21
	ज.जा.उ.यो.	3,01.48	2,22.00	1,69.89	55.59	1,69.89	55.59
	अ.जा.उ.यो.	3,98.76	2,93.67	..	..	..	..
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बाड़मेर को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता	सामान्य	1,00.00	0.01	..	0.01	..	0.01
आर.आई.डी.एफ. -XXV के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा पोषित सड़के	सामान्य	1,94,16.29	68,63.00	1,15,70.05	..	1,15,70.05	..
	ज.जा.उ.यो.	34,80.04	13,48.00	19,44.13	..	19,44.13	..
	अ.जा.उ.यो.	49,88.62	17,89.00	26,90.16	..	26,96.86	..
पी.एम.एस.एस.वाई.	सामान्य	3,00.01	10,50.01	3,00.00	13,50.00	3,00.00	13,50.00
	ज.जा.उ.यो.	1,00.01	1,95.01	1,00.00	25,97.00	1,00.00	25,97.00
	अ.जा.उ.यो.	1,00.01	2,55.01	1,00.00	9,05.00	1,00.00	9,05.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि	सामान्य	..	0.07	..	49,67.74	..	49,67.74
	ज.जा.उ.यो.	..	0.04	..	14,76.46	..	14,76.46
	अ.जा.उ.यो.	..	0.04	..	10,22.76	..	10,22.76
सीमान्त तथा लघु कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना	सामान्य	1,32,72.56	2,04,00.00	1,78,55.80	1,42,15.72	1,78,55.80	1,41,70.73
	ज.जा.उ.यो.	23,36.33	42,00.00	30,43.52	25,38.05	30,43.52	25,22.80
	अ.जा.उ.यो.	26,12.40	54,00.00	36,36.41	28,16.37	36,36.85	28,08.52
मुख्यमंत्री दूध उत्पादक सहयोग योजना	सामान्य	70,00.00	1,00,00.00	52,50.00	1,00,00.00	52,50.00	1,00,00.00
	ज.जा.उ.यो.	65,00.00	..	48,75.00	..	48,75.00	..
	अ.जा.उ.यो.	65,00.00	1,00,00.00	48,75.00	1,00,00.00	48,75.00	1,00,00.00
नाबार्ड XXV के तहत माध्यमिक विद्यालय में निर्माण कार्य	सामान्य	1,00,00.00	0.01	2,50,00.00	10,00.00	2,50,00.00	10,00.00
नाबार्ड भण्डारण योजना (एन.डब्ल्यू. एस.) 2013-14 के अन्तर्गत भण्डारण आधारभूत निधि (डब्ल्यू.आई.एफ.) से ऋण सहायता	सामान्य	25,50.00	38,25.00	15,00.00	20,00.00	15,00.00	20,00.00
मुख्यमंत्री युवा सहायता योजना	सामान्य	4,36,19.46	0.02	3,52,35.77	..	3,52,35.77	..
	ज.जा.उ.यो.	78,00.01	0.02	54,84.79	..	54,84.79	..
	अ.जा.उ.यो.	1,02,00.01	0.02	67,62.14	..	67,62.14	..
महान व्यक्तियों के जीवन से संबंधित कार्यक्रम, उत्सव, सम्मेलन इत्यादि	सामान्य	20.00	0.01	6.39	2,41.38	6.39	2,41.38
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV के तहत पशु चिकित्सालयों तथा उपकेन्द्रों का निर्माण	सामान्य	0.01	0.01	6,00.00	..	..	..
शून्य लागत आधारित कृषि	सामान्य	3,40.00	0.02	1,49.45	32.98	1,49.45	32.98
	ज.जा.उ.यो.	70.00	0.02	39.02	6.77	39.01	6.77
	अ.जा.उ.यो.	90.00	0.02	34.66	1.05	34.67	1.05
राजस्थान जन आधार योजना	सामान्य	32,73.03	23,02.16	8,51.83	23,02.16	8,51.83	23,02.16
	ज.जा.उ.यो.	20,45.02	0.01	6,02.00	..	6,02.00	..
	अ.जा.उ.यो.	31,36.02	0.01	9,80.00	..	9,80.00	..
सोशल मीडिया गतिविधियां	सामान्य	8,59.00	0.02	8,59.00	2,02.00	8,59.00	2,02.00
	ज.जा.उ.यो.	1,94.00	0.02	1,94.00	42.00	1,94.00	42.00
	अ.जा.उ.यो.	2,47.00	0.02	2,47.00	54.00	2,47.00	54.00

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
जन सूचना पोर्टल	सामान्य	1,05.01	..	1,05.00	..	1,05.00	..
	ज.जा.उ.यो.	19.51	..	19.50	..	19.50	..
	अ.जा.उ.यो.	25.51	..	25.50	..	25.50	..
राजीव गांधी जल संचय योजना	सामान्य	68,69.00	0.01	31,75.79	..	31,75.79	..
	ज.जा.उ.यो.	17,83.00	..	8,49.45	..	8,49.45	..
	अ.जा.उ.यो.	13,48.00	..	6,60.67	..	6,60.67	..
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-II में नहरों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण कार्य (बीकानेर जोन)	सामान्य	4,45.01	0.01	11,73.28	..	11,73.28	..
	अ.जा.उ.यो.	80.01	0.01	3,29.70	..	3,29.70	..
नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XXV के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-II में नहरों का आधुनिकीकरण/नवीनीकरण कार्य (जैसलमेर जोन)	सामान्य	8,21.00	0.01	39.46	..	39.46	..
	अ.जा.उ.यो.	1,79.00	0.01	9.55	..	9.55	..
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना	सामान्य	6,50.00	..	3,59.56	..	3,59.56	..
	ज.जा.उ.यो.	1,50.00	..	1.24	..	1.24	..
	अ.जा.उ.यो.	2,00.00	..	2.23	..	2.23	..
एम.एस.पी.के. माध्यम से लघु वन उत्पाद (एम एफ पी) के विपणन के लिए तंत्र	ज.जा.उ.यो.	..	0.01	..	1,59.42	..	1,59.42
स्थगित अनुदान का भुगतान	सामान्य	9,75.00	0.01	10,20.00	9,75.00	10,20.00	9,75.00
	ज.जा.उ.यो.	2,25.00	0.01	2,10.00	2,25.00	2,10.00	2,25.00
	अ.जा.उ.यो.	3,00.00	0.01	2,70.00	3,00.00	2,70.00	3,00.00
चुंगी प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान	सामान्य	14,31,49.95	..	14,31,49.95	..	14,31,49.95	..
	ज.जा.उ.यो.	2,80,92.32	..	2,80,92.32	..	2,80,92.32	..
	अ.जा.उ.यो.	3,71,57.73	..	3,71,57.73	..	3,71,57.73	..
बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना	सामान्य	34,50.00	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	6,50.00	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	9,00.00	..	..	..	..	..
किसान कल्याण कोष (के-3)	सामान्य	80,00.00	0.01	..	22,00.00	..	22,00.00
निर्यात प्रोत्साहन के लिए कॉर्पस निधि	सामान्य	1,00.00	..	75.00	..	75.00	..

परिशिष्ट संख्या V- (क्रमशः)

ख- राज्य योजनाएं- (क्रमशः)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
टॉउन हॉल का निर्माण	सामान्य	20,60.71	..	..	..	..	..
	ज.जा.उ.यो.	4,04.41	..	..	..	..	..
	अ.जा.उ.यो.	5,34.91	..	..	..	..	..
सीवरेज लाईनों की सफाई	सामान्य	30,23.32	..	30,23.32	..	30,23.32	..
	ज.जा.उ.यो.	5,92.93	..	5,92.93	..	5,92.93	..
	अ.जा.उ.यो.	7,83.75	..	7,83.75	..	7,83.75	..
क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (दिल्ली-गुडगांव- रेवाड़ी-अलवर कॉरिडोर)	सामान्य	2,00.00	..	2,00.00	..	2,00.00	..
	ज.जा.उ.यो.	1,50.00	..	1,50.00	..	1,50.00	..
	अ.जा.उ.यो.	1,50.00	..	1,50.00	..	1,50.00	..
इंदिरा महिला शक्ति योजना	सामान्य	49,00.22	..	24,35.50	..	24,41.61	..
	ज.जा.उ.यो.	9,47.13	..	2,58.18	..	2,60.08	..
	अ.जा.उ.यो.	12,17.73	..	5,22.92	..	5,25.04	..
नाबार्ड द्वारा पोषित आर आई डी एफ सड़कें	सामान्य	30,39.38	..	7,51.31	..	7,51.30	..
	ज.जा.उ.यो.	5,96.46	..	1,20.75	..	1,20.75	..
	अ.जा.उ.यो.	7,88.94	..	1,63.98	..	1,63.98	..
राजस्थान कौशल मिशन	सामान्य	10,30.33	..	10,30.00	..	10,30.00	..
	ज.जा.उ.यो.	2,02.21	..	2,00.00	..	2,00.00	..
	अ.जा.उ.यो.	2,67.46	..	2,70.00	..	2,70.00	..
राज्य स्तरीय जिला पॉलीक्लिनिक, पशु चिकित्सा अस्पतालों तथा उप केन्द्र/औषधालय का निर्माण- नाबार्ड (आर आई डी एफ-XXVI)	सामान्य	..	..	14,00.00	..	20,00.00	..
जिला नवाचार कोष	सामान्य	..	..	4,12.50	..	4,12.50	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	1,65.00	..	1,65.00	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	2,47.50	..	2,47.50	..
कस्तूरबा गांधी छात्रा विद्यालयों की संस्थापना- माध्यमिक शिक्षा	सामान्य	..	..	4,83.00	..	4,83.00	..
	ज.जा.उ.यो.	..	..	94.50	..	94.50	..
	अ.जा.उ.यो.	..	..	1,22.50	..	1,22.50	..
सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ को ऋण	सामान्य	..	..	3,60.00	..	3,60.00	..

परिशिष्ट संख्या V- (समाप्त)

ख- राज्य योजनाएं- (समाप्त)

राज्य योजना	सामान्य/ ज.जा.उ.यो./अ.जा.उ.यो.	राज्य निधि/योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)		(₹ लाख में)	
ग्रिड कनेक्टेड पंप सेट के सौरकरण के लिए कुसुम योजना के तहत सहायता	सामान्य	..	..	17,77.00	..	17,77.00	..
कृषि उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ दरों में छूट प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता	सामान्य	..	..	13,35.14	..	13,35.14	..
विस्तारित-विपणन सुविधाओं की विकास योजनाओं के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को सहायतार्थ अनुदान-नाबार्ड (आर आई डी एफ-XXVI)	सामान्य	..	..	40,00.00	..	40,00.00	..
एक करोड़ से कम की अन्य योजनाएं	सामान्य	45,65.70	50,27.45	28,90.91	29,22.57	29,03.38	28,61.09
	ज.जा.उ.यो.	10,14.24	12,00.20	6,01.97	5,90.89	5,95.66	5,89.81
	अ.जा.उ.यो.	3,46.85	4,56.54	2,21.83	2,27.59	2,21.71	2,27.28
	योग	5,66,08,89.95	6,00,58,61.54	5,14,91,63.03	5,45,46,21.34	5,14,71,28.71	5,43,66,34.25

**परिशिष्ट संख्या VI – राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण
(राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियाँ) (गैर अंकेक्षित आंकड़े) ***

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार	भारत सरकार द्वारा जारी #		
		सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	2020-21	2019-20	2018-19
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: कृषि					
कृषि आधारभूत निधि	कृषि आधारभूत निधि (ए आई एफ), जयपुर	सामान्य	1,00.00	..	..
कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य	14,84.89	5,17.25	4,48.77
कृषि विपणन की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	12,50.50	58,85.77	26,23.32
प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि (पी एम-किसान)	राजस्थान सहकारी विभाग	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	44,03,21.98	32,84,17.30	..
डेयरी विकास हेतु राष्ट्रीय योजना	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	..	42,90.27
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	..	..	3,96.07
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	सामान्य	76.60	50.00	1,33.00
कृषि मशीनीकरण पर प्रस्तुतीकरण	कृषि विभाग, राजस्थान	सामान्य	2,80.00	..	..
बीज और पौधारोपण सामग्री पर सबमिशन	राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण एजेन्सी	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	5,01.29	7,31.40	1,14.15

* भारत सरकार द्वारा जारी राशि बेवसाइट (महालेखा नियंत्रक लेखा के सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पोर्टल) से ली गयी है।

राज्य में स्थित केन्द्रीय निकायों के साथ साथ राजस्थान सरकार के दायरे से बाहर विभिन्न अन्य निकायों को जारी राशियां सम्मिलित नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2020-21	2019-20	2018-19
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन					
आई एच एम एस/एफ सी आई एस/आई आई टी टी एम/ एन आई डब्ल्यू एस को सहायता	खाद्य क्राफ्ट संस्थान तथा राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान	सामान्य	2,47.00	13,76.00	8,04.05
तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक वृद्धि (पी आर ए एस ए डी)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सामान्य	..	6,70.07	..
विशिष्ट- थीम आधारित पर्यटन सर्किटस् का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	सामान्य	14,91.66	21,29.32	66,17.30
नियंत्रक: वाणिज्य					
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनियोग निगम	सामान्य	69.22	..	2,77.40
हस्तशिल्प कारीगर विस्तार कल्याण योजना	जयपुर विकास प्राधिकरण एवं शहरी सुधार न्यास, सीकर	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	2,74.16	36.14	..
नियंत्रक: उपभोक्ता मामलें और सार्वजनिक वितरण					
एन एफ एस ए के तहत खाद्यान्नों और एफ पी एस डीलरों के अंतर राज्य गतिविधि के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	सामान्य	3,74,02.43	78,35.24	..
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय चीनी सहाय्य	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	सामान्य	6,93.89	1,00.00	..
उपभोक्ता कल्याण निधि	उपभोक्ता मामलात विभाग	सामान्य	7,50.00	..	7,50.00
तोल और माप के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण तथा क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं और भारतीय कानूनी माप विज्ञान संस्थान का सुदृढीकरण	उपभोक्ता मामलात विभाग	सामान्य	3,15.19	..	..

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोग अथवा अनुसूचित जाति उपयोग	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2020-21	2019-20	2018-19
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: संस्कृति					
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा (अकादमी को सहयोग)	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	सामान्य एवं जनजाति उपयोग	8,78.28	9,26.48	11,31.30
नियंत्रक: पर्यावरण तथा वानिकी					
पर्यावरणीय संरक्षण तथा निगरानी (सूचना, शिक्षा, जानकारी तथा प्रशिक्षण)	राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोग	1,84.31	1,39.97	4,56.90
नियंत्रक: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग					
प्रधानमंत्री सुक्ष्म भोजन की औपचारिकता प्रसंस्करण उद्यम पीएम-एफएमई	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	सामान्य	7,94.66	..	..
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना- मेगा फूड पार्क	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर	सामान्य	3,26.37	..	..
नियंत्रक: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण					
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	सामान्य	2,11.20	2,59.95	4,46.91
नर्सिंग सेवाओं का विकास	राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसायटी तथा डा. सम्पूर्णानन्द मेडिकल कॉलेज	सामान्य	..	..	5,96.00
आयुष स्थापना व्यय	राजस्थान राज्य औषधीय पौध बोर्ड, एयरफोर्स अनुसंधान संस्थान और वन विकास एजेन्सीयां	सामान्य,	33.24	1,86.86	3,57.14
स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तत्परता और प्रबन्धन	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	सामान्य	4,30.00	..	4,20.00
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति	सामान्य	41,16.53	38,69.31	32,00.09
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	सामान्य	..	7,04.39	..
एन सी डी सी की मौजूदा शाखाओं की मजबूती और 27 शाखाओं की स्थापना	प्राचार्य, एस एम एस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	सामान्य	..	1,23.88	9.32

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोग अथवा अनुसूचित जाति उपयोग	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2020-21	2019-20	2018-19
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: उद्योग					
ढांचागत विकास कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम तथा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	सामान्य	26,42.52	10,94.27	84.50
खरीद और विपणन सहायता योजना	उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर	सामान्य	..	3,30.00	..
भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना (फेम-इंडिया)	जयपुर सिटी परिवहन सेवाएं एवं राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	सामान्य	14,28.00	..	..
नियंत्रक: सूचना प्रौद्योगिकी					
इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी एच डब्ल्यू विनिर्माण (एम एस आई पी एस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर)	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं विनियोग निगम लिमिटेड (रिको)	सामान्य	6,33.59	..	..
नियंत्रक: श्रम तथा रोजगार					
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना समितियां	सामान्य, जनजाति उपयोग एवं अनुसूचित जाति उपयोग	1,24.20	1,74.57	2,77.27
नियंत्रक: विधि एवं न्याय					
ई-न्यायालय फेज- II	राजस्थान उच्च न्यायालय	सामान्य	10,58.25	1,28.50	3,01.19
नियंत्रक: मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय					
खुरपका एवं मुँहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रुसील्लोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	पशुपालन निदेशालय, जयपुर	सामान्य, जनजाति उपयोग एवं अनुसूचित जाति उपयोग	17,07.07	40,75.65	..
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आर सी डी एफ एल टी डी)	सामान्य, जनजाति उपयोग एवं अनुसूचित जाति उपयोग	17,50.22	24,39.70	..
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (आर एल डी बी)	सामान्य, जनजाति उपयोग एवं अनुसूचित जाति उपयोग	4,05.00	13,86.14	..

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोगना अथवा अनुसूचित जाति उपयोगना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2020-21	2019-20	2018-19
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: नवीन और अक्षय ऊर्जा					
बाँयोगेस कार्यक्रम-ऑफ ग्रीड	कृषि विश्वविद्यालय एवं बाँयों फयूल प्राधिकरण	सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना	22.23	28.43	1,87.61
ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-ग्रिड इंटरएक्टिव	आर आर वी पी एन एल	सामान्य एवं जनजाति उपयोगना	5,53.40	..	..
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान-ग्रिड इंटरएक्टिव (कुसुम)	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम	सामान्य	30,00.00	..	..
किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान-ग्रिड इंटरएक्टिव (कुसुम)	राजस्थान बागवानी विकास सोसायटी सौर परियोजना	सामान्य	22,06.14	..	..
सौर ऊर्जा ग्रिड इंटरएक्टिव	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम	सामान्य	21,96.32	..	21,36.30
सौर ऊर्जा-ऑफ ग्रिड/ वितरित और विकेद्रीकृत अक्षय ऊर्जा	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	सामान्य, जनजाति उपयोगना एवं अनुसूचित जाति उपयोगना	..	88,12.11	30,32.86
नियंत्रक: पंचायती राज					
पंचायतों को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	सामान्य	1,85.67	1,35.49	1,58.15
नियंत्रक: कार्मिक, पी.जी. और पी.					
प्रशिक्षण योजनाएं	एच सी एम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान	सामान्य	10.44	1,79.88	15.32
नियंत्रक: योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन					
अटल अभिनव मिशन	जिला एआईएम तथा अकादमी संस्थान	सामान्य	4,14.00	3,98.00	6,60.00
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिलाधिकारी	सामान्य	42,50.00	1,70,00.00	1,62,50.00
चल रहे कार्यक्रम और पावर योजनाएं	एसपीवी-एस्पिरेशनल	सामान्य	8,38.03	2,99.31	..

परिशिष्ट संख्या VI - (क्रमशः)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2020-21	2019-20	2018-19
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: सड़क परिवहन और राजमार्ग					
सड़क विंग अन्तर्गत कार्य	उपरखण्ड अधिकारी झूझुनू तथा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवासी एन एच- 11	सामान्य	2,96.66	1,68.04	67.51
अनुसंधान प्रशिक्षण और अध्ययन तथा अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं	परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर	सामान्य	2,06.54	..	..
नियंत्रक: ग्रामीण विकास					
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, जयपुर	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	17,52.75	3,23.22	15,00.00
आर डी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना की सुदृढीकरण प्रक्रिया	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र तथा इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान	सामान्य	1,01.52	93.77	1,00.62
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	राज्य रोजगार गारंटी निधि, जयपुर	सामान्य	83,03,86.05	54,27,77.74	40,34,83.81
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	3.00	3,68.80	12,63.94
नियंत्रक: विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी					
सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शिक्षण संस्थान	सामान्य एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	3,02.27	3,88.42	2,45.64
नियंत्रक: शहरी विकास और शहरी गरीबी उन्मूलन					
राष्ट्रीय विरासत नगर कार्यक्रम	नगर निगम, अजमेर	सामान्य	..	..	6,53.67
नियंत्रक: जल संसाधन					
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग	सामान्य	..	3,00.00	..
अटल भू-जल योजना	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, भू-जल विभाग	सामान्य	22,05.00	..	..

परिशिष्ट संख्या VI - (समाप्त)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	योजना के प्रकार सामान्य, जनजाति उपयोजना अथवा अनुसूचित जाति उपयोजना	भारत सरकार द्वारा जारी		
			2020-21	2019-20	2018-19
(₹ लाख में)					
नियंत्रक: महिला एवं बाल विकास					
बेटी बचावों बेटी पढ़ाओं	जिलाधीश	सामान्य	3,78.21	1,80.86	5,53.22
वन स्टॉप केन्द्र	जिलाधीश	सामान्य	5,66.87	6,77.11	3,08.60
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	95,84.32	87,80.44	87,80.43
नियंत्रक: युवा मामले और खेल					
खेलों के विकास हेतु खेलों भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान खेल परिषद तथा शैक्षणिक संस्थान	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	1,15.00	24,52.50	2,51.58
राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एनएसएस सेल	सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	6,23.84	8,31.31	6,94.50
एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के तहत)		सामान्य, जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना	6,35.40	6,02.91	7,52.62
कुल योग			1,36,28,15.91	94,83,86.50	46,48,31.33

परिशिष्ट संख्या VII - शेषों की स्वीकृति तथा समाधान
(विवरण संख्या 7 एवं 18 में दर्शाये अनुसार)

कर्जों से सम्बन्धित मूलधन तथा ब्याज के बीतकाल बकाया के विवरण अभी तक निम्नलिखित विभागों/प्राधिकारियों से प्रतीक्षित है (जुलाई 2021):-

क्रम संख्या	विभाग/ प्राधिकारी वर्ग का नाम	बकाया विवरणों की संख्या	पूर्व के वर्ष से बकाया
1.	निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	14	2019-20
2.	उप सचिव , कृषि (गुप-2) विभाग, जयपुर	4	2015-16
3.	निदेशक, पशु-पालन विभाग, जयपुर	4	2019-20
4.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त, कमान क्षेत्र विकास, कोटा	2	2014-15
5.	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	1	2019-20
6.	रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर	1	2020-21
7.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर	1	2019-20
8.	निदेशक, गोपालन विभाग, जयपुर	2	2007-08
9.	उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर	3	2019-20
10.	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	24	2015-16
11.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	37	2016-17
12.	निदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	2	2019-20
13.	निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर	1	2019-20
14.	निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर	2	2019-20
15.	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जयपुर	2	2019-20
16.	सचिव, आपदा प्रबंधन तथा राहत विभाग, जयपुर	4	2020-21
17.	आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	1	2020-21
18.	आयुक्त, सेटलमेंट डिपार्टमेंट, जयपुर	1	2019-20
19.	आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	6	2009-10
20.	निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जयपुर	1	2013-14
21.	निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर	3	2017-18
22.	आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	4	2016-17
23.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर	9	2009-10
24.	निदेशक, वित्त विभाग, जयपुर	1	2009-10
योग		130	

परिशिष्ट संख्या VIII
(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्ति	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का अधिव्यय (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व पर अधिक व्यय (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(₹ लाख में)

क. मुख्य सिंचाई – वाणिज्यिक

1. भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	1,33.13	1.26	1,34.39	96,19.68 (क)	75.38	96,95.06	12,42.96	12.43	12,55.39	..	12,55.39	50,28.18	35.41	50,63.59	(-) 38,08.20(-) 39.28	7,17.27	(-) 45,25.47(-) 46.68
2. चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा भाग)	49,51.86*	45.28	49,97.14	8,17,13.32 (ख)	6,51.83	8,23,65.15	32,79.84	32.80	33,12.64	..	33,12.64	21,77.50 (घ)	4.58	21,82.08	11,30.56	1.37	49,32.71 (ङ.) (-) 38,02.15 (-) 4.62
3. इंदिरा गांधी नहर परियोजना	3,95,35.06	2,13.81	3,97,48.87	64,48,26.95 (ग)	28,23.86	64,76,50.81	33,08.53	33.08	33,41.61	..	33,41.61	1,50,57.70	22.34	1,50,80.04	(-) 1,17,38.43 (-) 1.81	4,64,76.18	(-) 5,82,14.61 (-) 8.99
4. गुड़गांव नहर	26.63	0.27	26.90	46,64.39	20.98	46,85.37	0.57	0.01	0.58	..	0.58	1,32.94	0.01	1,32.95	(-) 1,32.37 (-) 2.83	..	(-) 1,32.37 (-) 2.83
5. जाखम परियोजना	..	..	..	1,41,81.39	53.12	1,42,34.51	58.68	0.59	59.27	..	59.27	1,60.29	0.06	1,60.35	(-) 1,01.08 (-) 0.71	..	(-) 1,01.08 (-) 0.71
6. गंग नहर	30.32	..	30.32	6,67,88.72	4,23.46	6,72,12.18	7,36.24	7.36	7,43.60	..	7,43.60	14,72.41	1.77	14,74.18	(-) 7,30.58 (-) 1.09	50,09.98	(-) 57,40.56 (-) 8.54

योग – क	4,46,77.00	2,60.62	4,49,37.62	82,17,94.45	40,48.63	82,58,43.08	86,26.82	86.27	87,13.09	..	87,13.09	2,40,29.02	64.17	2,40,93.19	(-) 1,53,80.10 (-) 1.86	5,71,36.14	(-) 7,25,16.24 (-) 8.78

(क) उपनिवेशन से सम्बन्धित ₹ 63.30 लाख शामिल नहीं है।

(ख) विद्युत हिस्से के ₹ 33,67.05 लाख, उपनिवेशन योजनाओं के ₹ 33.26 लाख और जल संग्रहण के ₹ 10.73 लाख का व्यय शामिल नहीं है।

(ग) उपनिवेशन ₹ 2,02.30 लाख, विश्व खाद्य कार्यक्रम ₹ 26.83 लाख, राजस्थान भूमि विकास निगम से फार्म विकास पर वसूली योग्य ₹ 7,47.29 लाख और पूंजीगत ब्याज ₹ 6,18.00 लाख से संबंधित व्यय शामिल नहीं है।

(घ) विद्युत हिस्से से संबंधित ₹ 1,93.93 लाख शामिल नहीं हैं। (ङ.) विद्युत हिस्से पर ब्याज से सम्बन्धित ₹ 2,59.11 लाख शामिल नहीं है।

* विद्युत् हिस्से पर व्यय ₹ 6.13 लाख शामिल नहीं है।

परिशिष्ट संख्या VIII – (क्रमशः)
(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम – (क्रमशः)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्ति	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक व्यय पर राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व पर अधिक व्यय का अधिशेष (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
ख. मध्यम सिंचाई – वाणिज्यिक																				
7.	जवाई नदी परियोजना सेई – डाइवर्जन योजना	..	..	..	6,97.36	12.21	7,09.57	81.23	0.81	82.04	..	82.04	85.83	0.14	85.97	(-) 3.93	(-) 0.55	..	(-) 3.93	(-) 0.55
8.	मेजा परियोजना	..	..	..	45,54.74	8.94	45,63.68	6.70	0.07	6.77	..	6.77	1,61.70	0.19	1,61.89	(-) 1,55.12	(-) 3.40	..	(-) 1,55.12	(-) 3.40
9.	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	3,93.98	3.50	3,97.48	75,71.58	59.98	76,31.56	0.21	0.01	0.22	..	0.22	4,21.86	0.07	4,21.93	(-) 4,21.71	(-) 5.53	5,52.69	(-) 9,74.40	(-) 12.77
10.	गुढ़ा परियोजना	..	..	..	1,63.29	0.20	1,63.49	1.46	0.01	1.47	..	1.47	52.14	0.16	52.30	(-) 50.83	(-) 31.09	..	(-) 50.83	(-) 31.09
11.	मोरेल परियोजना	..	..	..	2,35.54	0.29	2,35.83	3.16	0.03	3.19	..	3.19	56.07	0.18	56.25	(-) 53.06	(-) 22.50	..	(-) 53.06	(-) 22.50
12.	अलनिया परियोजना	..	..	..	1,95.06	0.91	1,95.97	0.27	..	0.27	..	0.27	1,10.59	0.11	1,10.70	(-) 1,10.43	(-) 56.35	..	(-) 1,10.43	(-) 56.35
13.	पश्चिम बनास परियोजना	..	..	..	67.03	..	67.03	10.46	0.10	10.56	..	10.56	16.32	0.04	16.36	(-) 5.80	(-) 8.65	..	(-) 5.80	(-) 8.65
14.	वल्लभ नगर परियोजना	..	..	..	86.37	..	86.37	..	..	..	..	..	26.23	0.07	26.30	(-) 26.30	(-) 30.45	..	(-) 26.30	(-) 30.45

परिशिष्ट संख्या VIII – (क्रमशः)
(i) सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम – (समाप्त)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति			वर्ष के दौरान राजस्व में छूट अथवा राजस्व की माफी	वर्ष के दौरान कुल राजस्व (कॉलम 11 एवं 12)	वर्ष के दौरान हुए कार्य चालन व्यय तथा अनुरक्षण			निवल राजस्व जिसमें ब्याज शामिल नहीं है			ब्याज का भुगतान करने के पश्चात् निवल लाभ या हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व	अप्रत्यक्ष प्राप्ति	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	अधिक व्यय (कॉलम 16) पर राजस्व (कॉलम 13) का अधिशेष (+) या (कॉलम 13) राजस्व पर अधिक व्यय (कॉलम 16) का आधिक्य (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	अधिक राजस्व का अधिशेष (+) या राजस्व पर अधिक व्यय का अधिशेष (-)	वर्ष के अंत तक पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(₹ लाख में)																				
ख. मध्यम सिंचाई – वाणिज्यिक- (समाप्त)																				
15.	बड़गांव पाल परियोजना	..	..	..	76.02	..	76.02	0.90	0.01	0.91	..	0.91	20.15	0.04	20.19	(-) 19.28	(-) 25.36	..	(-) 19.28	(-) 25.36
16.	ओराई सिंचाई परियोजना	..	..	..	63.42	..	63.42	0.02	..	0.02	..	0.02	35.69	0.03	35.72	(-) 35.70	(-) 56.29	..	(-) 35.70	(-) 56.29
17.	वागन ड्राईवर्जन परियोजना	..	..	..	13,96.62	0.64	13,97.26	0.64	0.01	0.65	..	0.65	39.23	0.07	39.30	(-) 38.65	(-) 2.77	..	(-) 38.65	(-) 2.77
	योग-ख	3,93.98	3.50	3,97.48	1,51,07.03	83.17	1,51,90.20	1,05.05	1.05	1,06.10	..	1,06.10	10,25.81	1.10	10,26.91	(-) 9,20.81	(-) 6.06	5,52.69	(-) 14,73.50	(-) 9.70
	कुल योग	4,50,70.98	2,64.12	4,53,35.10	83,69,01.48	41,31.80	84,10,33.28	87,31.87	87.32	88,19.19	..	88,19.19	2,50,54.83	65.27	2,51,20.10	(-) 1,63,00.91	(-) 1.94	5,76,88.83	(-) 7,39,89.74	(-) 8.80

परिशिष्ट संख्या VIII – (क्रमशः)

(ii) विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

विभागीय स्तर पर चलने वाला कोई विद्युत उपक्रम नहीं है।

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. गत वर्ष की तुलना में लाभ अथवा हानि के प्रतिशतता में वृद्धि/कमी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ब्याज की पूर्ति के बाद निवल हानि प्रतिशतता में		वृद्धि (+)/ कमी (-)
		2019-20	2020-21	
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा)	55.90	46.68	(-) 9.22
2.	चम्बल परियोजना (सिंचाई शाखा हिस्सा)	0.65	4.62	(+) 3.97
3.	इंदिरा गाँधी नहर परियोजना	9.29	8.99	(-) 0.30
4.	गुड़गाँव नहर	3.46	2.83	(-) 0.63
5.	जाखम परियोजना	1.36	0.71	(-) 0.65
6.	गंग नहर	7.75	8.54	(+) 0.79
7.	जवाई नदी परियोजना (सेई-डाइवर्जन स्कीम)	(-) 6.31	0.55	(+) 6.86
8.	मेजा परियोजना	3.19	3.40	(+) 0.21
9.	पार्वती परियोजना (धौलपुर)	13.24	12.77	(-) 0.47
10.	गुढ़ा परियोजना	32.20	31.09	(-) 1.11
11.	मोरेल परियोजना	22.44	22.50	(+) 0.06
12.	अलनिया परियोजना	64.16	56.35	(-) 7.81
13.	पश्चिमी बनास परियोजना	17.02	8.65	(-) 8.37
14.	वल्लभ नगर परियोजना	29.36	30.45	(+) 1.09
15.	बड़गाँव पाल परियोजना	35.46	25.36	(-) 10.10
16.	ओराई सिंचाई परियोजना	68.51	56.29	(-) 12.22
17.	वागन डाइवर्जन स्कीम	2.38	2.77	(+) 0.39

वृद्धि /कमी के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

परिशिष्ट संख्या VIII – (समाप्त)

व्याख्यात्मक टिप्पणियां –(समाप्त)

2. **उत्पादक और अनुत्पादक निर्माण कार्य-** जल संसाधन विभाग के निर्माण कार्यों का 'उत्पादक' या 'अनुत्पादक' वर्गीकरण, उनके प्रत्येक परियोजना से निर्माण संबंधी अनुमानों के संवरण दिनांक से दस वर्ष व्यतीत होने पर प्राप्त निवल राजस्व (सकल निर्धारित राजस्व में से कार्य चालन व्यय घटाकर) के अनुसार किया जाता है, चाहे वह निवेशित पूंजी पर निर्धारित वार्षिक ब्याज अंतर्निहित करता हो अथवा नहीं। 2020-21 के दौरान निर्धारित ब्याज की दर 7.5 प्रतिशत थी। यदि 'उत्पादक' माना गया कोई निर्माण - कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में असफल रहे तो उसे अनुत्पादक वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। इसी प्रकार 'अनुत्पादक' माना गया कोई निर्माण कार्य तीन क्रमिक वर्षों में निर्धारित प्रतिफल देने में सफल रहे तो उसे 'उत्पादक' वर्ग में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कार्यों के वर्गीकरण में उनके 'उत्पादक' अथवा 'अनुत्पादक' होने का कोई संकेत नहीं किया गया (जुलाई 2021)।
3. **जल प्रभार की वसूली की बकाया** - विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत सूचनानुसार मार्च 2021 की समाप्ति तक जल प्रभार की ₹ 1,33,12.31 लाख की वसूली बकाया थी। निम्न परियोजनाओं में बकाया के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :-

क्रम संख्या	परियोजनाओं के नाम	वर्ष					योग
		2016-17 तक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
		(₹ लाख में)					
1.	भाखड़ा नांगल परियोजना	19,86.61	5,43.72	2,31.83	7,02.51	(-) 11,59.25	23,05.42
2.	चम्बल परियोजना	15,87.81	25.80	(-) 23.32	(-) 1,31.90	1,75.29	16,33.68
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना (सी.ए.डी. सहित)	27,76.12	11,02.34	10,42.46	15,18.41	10,63.90	75,03.23
4.	वल्लभ नगर परियोजना	..	..	..	..	1.81	1.81
5.	गंग नहर	8,95.58	2,88.64	1,44.42	3,47.83	(-) 7,62.46	9,14.01
6.	जवाई नदी परियोजना	21.93	5.56	..	17.91	34.12	79.52
7.	मेजा परियोजना	0.13	0.20	0.28	..	0.78	1.39
8.	मोरेल परियोजना	0.04	0.33	..	0.13	3.07	3.57
9.	अलनिया परियोजना	3.22	..	..	..	..	3.22
10.	ओराई सिंचाई परियोजना	24.07	3.30	..	1.17	..	28.54
11.	माही परियोजना	5,34.62	2.15	1.68	0.49	81.48	6,20.42
12.	परवन लिफ्ट	19.75	2.53	3.44	8.48	17.65	51.85
13.	बीसलपुर परियोजना देवली	1,71.84	..	(-) 13.91	(-) 9.30	(-) 1.59	147.04
14.	हरीश चन्द्र सागर	5.08	0.17	0.19	..	2.81	8.25
15.	गुढा परियोजना (वाणिज्यिक)	19.31	..	(-) 3.83	..	(-) 5.12	10.36
	योग	80,46.11	19,74.74	13,83.24	24,55.73	(-) 5,47.51	1,33,12.31

परिशिष्ट संख्या IX- सरकार की वचनबद्धता-
अधूरे पूंजी निर्माण कार्यों की सूची

अधूरे निर्माण कार्यों का सारांश

राज्य निर्माण विभागों अर्थात लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पी.एच.ई.डी.) और जल संसाधन विभागों ने समय पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और उपलब्ध कराई गई जानकारी गलत और अधूरी थी। इसलिए, वर्ष 2020-21 के लिए यह परिशिष्ट तैयार नहीं किया गया है।

परिशिष्ट संख्या X – संवेतन एवं गैर संवेतन भाग को पृथक करते हुए रखरखाव व्यय

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
001	राज्य विधान मंडल	2011	02	103	01	01	राज्य निधि	..	1,77.05	1,77.05
योग अनुदान 001								..	1,77.05	1,77.05
003	सचिवालय	2052		090	02	01	राज्य निधि	..	27.71	27.71
योग अनुदान 003								..	27.71	27.71
005	प्रशासनिक सेवाएं	2070		003	01	05	राज्य निधि	..	3.96	3.96
		2070		003	01	08	राज्य निधि	..	4.97	4.97
		2070		114	06	01	राज्य निधि	..	31.55	31.55
		2070		115	08		राज्य निधि	..	7.10	7.10
योग अनुदान 005								..	47.58	47.58
008	राजस्व	2029		102	01		राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2029		102	02		राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2029		103	02		राज्य निधि	..	39.56	39.56
योग अनुदान 008								..	41.56	41.56
009	वन	2406	01	001	02		राज्य निधि	..	48.31	48.31
		2406	01	101	07		राज्य निधि	..	1,16.83	1,16.83
		2406	01	101	12		राज्य निधि	..	1.25	1.25
		2406	01	101	13		राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2406	01	101	14		राज्य निधि	..	0.19	0.19

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
009	वन - (समाप्त)	2406	01	101	19		राज्य निधि	..	5,04.37	5,04.37
		2406	01	101	20		राज्य निधि	..	1,47.72	1,47.72
		2406	02	110	01		राज्य निधि	..	37.41	37.41
		2406	02	110	01		केन्द्रीय सहायता	..	38.96	38.96
		2406	02	110	02		राज्य निधि	..	97.08	97.08
		2406	02	110	02		केन्द्रीय सहायता	..	90.75	90.75
		2406	02	110	04		राज्य निधि	..	60.54	60.54
		2406	02	110	05		राज्य निधि	..	32.39	32.39
		2406	02	110	08		राज्य निधि	..	47.26	47.26
		2406	02	110	08		केन्द्रीय सहायता	..	61.41	61.41
		2406	02	110	11	01	राज्य निधि	..	18.37	18.37
		2406	02	111	02		राज्य निधि	..	97.54	97.54
		2406	02	112	01		राज्य निधि	..	6,82.27	6,82.27
	योग अनुदान 009							..	20,83.15	20,83.15
011	विविध सामाजिक सेवाएं	2250		103	01		राज्य निधि	..	1.88	1.88
		2250		103	02		राज्य निधि	..	2.00	2.00
		3425	01	800	05		राज्य निधि	..	2,07.64	2,07.64
	योग अनुदान 011							..	2,11.52	2,11.52
012	अन्य कर	3055		800	08	01	राज्य निधि	..	1.99	1.99
	योग अनुदान 012							..	1.99	1.99

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
013	आबकारी	2039		001	01		राज्य निधि	..	49.93	49.93
योग अनुदान 013								..	49.93	49.93
016	पुलिस	2055		003	01	01	राज्य निधि	..	44.92	44.92
		2055		101	01	01	राज्य निधि	..	12.75	12.75
		2055		101	01	02	राज्य निधि	..	30.04	30.04
		2055		104	01		राज्य निधि	..	3.77	3.77
		2055		109	10	01	राज्य निधि	..	29.66	29.66
		2055		109	11	01	राज्य निधि	..	1,05.56	1,05.56
		2055		116	01		राज्य निधि	..	48.66	48.66
योग अनुदान 016								..	2,75.36	2,75.36
017	जेल	2056		101	01		राज्य निधि	..	44.01	44.01
योग अनुदान 017								..	44.01	44.01
018	जन-सम्पर्क	2220	60	102	01	01	राज्य निधि	..	0.69	0.69
		2220	60	106	01	01	राज्य निधि	..	0.20	0.20
योग अनुदान 018								..	0.89	0.89
019	लोक निर्माण कार्य	2059	80	053	01	01	राज्य निधि	32,83.27	17,47.81	50,31.08
		2059	80	053	02	02	राज्य निधि	..	22.81	22.81
		2059	80	053	04		राज्य निधि	..	1,99.69	1,99.69
		2059	80	053	06		राज्य निधि	..	5,38.91	5,38.91

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
019	लोक निर्माण कार्य - (क्रमशः)	2059	80	053	07		राज्य निधि	..	19.96	19.96
		2059	80	053	08		राज्य निधि	..	84.00	84.00
		2059	80	053	09		राज्य निधि	..	5.07	5.07
		2059	80	053	10		राज्य निधि	..	49.79	49.79
		2059	80	053	12		राज्य निधि	..	9,69.31	9,69.31
		2059	80	053	18	01	राज्य निधि	..	10.06	10.06
		2059	80	053	18	02	राज्य निधि	..	1,33.47	1,33.47
		2059	80	053	19		राज्य निधि	..	77.40	77.40
		2059	80	053	21		राज्य निधि	..	3,51.93	3,51.93
		2059	80	053	22		राज्य निधि	..	19.41	19.41
		2059	80	053	23		राज्य निधि	..	25.42	25.42
		2059	80	053	26		राज्य निधि	..	17.95	17.95
		2059	80	053	29		राज्य निधि	..	79.02	79.02
		2059	80	053	31		राज्य निधि	..	12.35	12.35
		2059	80	053	32		राज्य निधि	..	3.23	3.23
		2059	80	053	34	01	राज्य निधि	..	67.73	67.73
		2059	80	053	37	01	राज्य निधि	..	9.92	9.92
		2059	80	053	39	01	राज्य निधि	..	8.62	8.62
		2059	80	053	39	02	राज्य निधि	..	26.70	26.70
		2059	80	053	41	01	राज्य निधि	..	33.55	33.55
		2059	80	053	42	01	राज्य निधि	..	15.35	15.35

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
019	लोक निर्माण कार्य - (समाप्त)	2059	80	053	43	01	राज्य निधि	..	11.69	11.69
		2059	80	053	44	01	राज्य निधि	..	6.47	6.47
		2059	80	053	45	01	राज्य निधि	..	17.37	17.37
		2059	80	053	46	01	राज्य निधि	..	7.24	7.24
		2059	80	053	47	01	राज्य निधि	..	35.03	35.03
		2059	80	053	48	01	राज्य निधि	..	2.50	2.50
		2059	80	053	49	01	राज्य निधि	..	5.24	5.24
		2059	80	053	50	01	राज्य निधि	..	4.36	4.36
		2059	80	053	51	01	राज्य निधि	..	84.94	84.94
		2059	80	053	52	01	राज्य निधि	..	28.13	28.13
योग अनुदान 019								32,83.27	47,32.43	80,15.70
020	आवास	2216	05	053	01	01	राज्य निधि	12,37.62	..	12,37.62
		2216	05	053	01	05	राज्य निधि	..	3,95.88	3,95.88
		2216	05	053	01	07	राज्य निधि	..	5,83.87	5,83.87
		2216	05	053	01	08	राज्य निधि	..	5,47.41	5,47.41
		2216	05	053	01	09	राज्य निधि	..	6,43.00	6,43.00
		2216	05	053	02	02	राज्य निधि	..	8,38.98	8,38.98
		2216	05	053	03	02	राज्य निधि	..	63.99	63.99
		2216	05	053	05	02	राज्य निधि	..	29.75	29.75
		2216	05	053	06		राज्य निधि	..	8.63	8.63

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
020	आवास - (समाप्त)	2216	05	053	07		राज्य निधि	..	47.72	47.72
		2216	05	053	08		राज्य निधि	..	12,31.31	12,31.31
योग अनुदान 020								12,37.62	43,90.54	56,28.16
021	सड़कें एवं पुल	3054	02	337	01	02	केन्द्रीय सहायता	..	96,43.88	96,43.88
		3054	03	337	01	01	राज्य निधि	63,35.46	44,64.11	1,07,99.57
		3054	04	800	01	01	राज्य निधि	29,93.78	34,95.23	64,89.01
		3054	04	800	02	01	राज्य निधि	26,56.98	2,24,23.46	2,50,80.44
		3054	04	800	06		राज्य निधि	5,21.96	5,04.16	10,26.12
		3054	80	107	01		राज्य निधि	..	2,99.99	2,99.99
		3054	80	800	04		राज्य निधि	..	1,83.71	1,83.71
योग अनुदान 021								1,25,08.18	4,10,14.54	5,35,22.72
022	क्षेत्र का विकास	2705		102	01	07	राज्य निधि	..	0.32	0.32
		2705		102	01	08	राज्य निधि	..	0.47	0.47
योग अनुदान 022								..	0.79	0.79
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202	02	109	27	01	राज्य निधि	..	1,76.04	1,76.04
		2202	03	103	13	01	राज्य निधि	..	0.91	0.91
		2202	03	103	14	01	राज्य निधि	..	1.59	1.59
		2202	05	103	08	01	राज्य निधि	..	34.97	34.97
		2203		001	03	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
024	शिक्षा, कला एवं संस्कृति - (समाप्त)	2203		001	04	01	राज्य निधि	..	0.25	0.25
		2204		102	01	01	राज्य निधि	..	35.70	35.70
		2205		102	05		राज्य निधि	..	5.00	5.00
		2205		103	05	01	राज्य निधि	..	4.66	4.66
		2205		103	06	01	राज्य निधि	..	7,56.37	7,56.37
		2205		104	01	01	राज्य निधि	..	4.99	4.99
		2205		104	01	03	राज्य निधि	..	2.56	2.56
		2205		107	01		राज्य निधि	..	3.81	3.81
	योग अनुदान 024							..	10,27.35	10,27.35
025	कोष एवं लेखा प्रशासन	2054		095	01		राज्य निधि	..	14.49	14.49
	योग अनुदान 025							..	14.49	14.49
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210	01	102	04	01	राज्य निधि	..	1.75	1.75
		2210	01	110	01	01	राज्य निधि	..	39.93	39.93
		2210	01	110	01	04	राज्य निधि	..	23.84	23.84
		2210	01	110	01	08	राज्य निधि	..	1,49.10	1,49.10
		2210	01	110	01	09	राज्य निधि	..	4.75	4.75
		2210	01	110	01	10	राज्य निधि	..	57.00	57.00
		2210	01	110	01	11	राज्य निधि	..	20.00	20.00

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई--(क्रमशः)	2210	01	110	01	13	राज्य निधि	..	6.56	6.56
		2210	01	110	01	14	राज्य निधि	..	44.99	44.99
		2210	01	110	01	16	राज्य निधि	..	39.12	39.12
		2210	01	110	01	22	राज्य निधि	..	41.08	41.08
		2210	01	110	01	25	राज्य निधि	..	2.00	2.00
		2210	01	110	01	33	राज्य निधि	..	74.62	74.62
		2210	01	110	01	36	राज्य निधि	..	43.96	43.96
		2210	01	110	01	37	राज्य निधि	..	58.73	58.73
		2210	01	110	01	38	राज्य निधि	..	7.99	7.99
		2210	01	110	01	39	राज्य निधि	..	54.08	54.08
		2210	01	110	01	40	राज्य निधि	..	3.99	3.99
		2210	01	110	01	41	राज्य निधि	..	0.95	0.95
		2210	01	110	01	42	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2210	01	110	01	43	राज्य निधि	..	7,99.88	7,99.88
		2210	01	110	01	44	राज्य निधि	..	5.44	5.44
		2210	01	110	01	45	राज्य निधि	..	19.94	19.94
		2210	01	110	01	46	राज्य निधि	..	14.00	14.00
		2210	01	110	01	47	राज्य निधि	..	2.05	2.05
		2210	01	110	01	48	राज्य निधि	..	60.00	60.00
		2210	01	110	01	49	राज्य निधि	..	69.99	69.99

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई- (क्रमशः)	2210	01	110	01	51	राज्य निधि	..	94.60	94.60
		2210	01	110	01	52	राज्य निधि	..	70.00	70.00
		2210	01	110	01	53	राज्य निधि	..	7.99	7.99
		2210	01	110	01	54	राज्य निधि	..	1.47	1.47
		2210	01	110	01	55	राज्य निधि	..	63.99	63.99
		2210	01	110	01	56	राज्य निधि	..	84.60	84.60
		2210	01	110	01	57	राज्य निधि	..	4.00	4.00
		2210	01	110	01	58	राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2210	01	110	01	59	राज्य निधि	..	15.00	15.00
		2210	01	110	01	60	राज्य निधि	..	3.67	3.67
		2210	01	110	01	62	राज्य निधि	..	1.18	1.18
		2210	01	110	01	68	राज्य निधि	..	0.04	0.04
		2210	01	110	01	70	राज्य निधि	..	0.10	0.10
		2210	01	110	01	72	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2210	01	110	01	73	राज्य निधि	..	0.10	0.10
		2210	01	110	01	74	राज्य निधि	..	0.18	0.18
		2210	01	110	01	79	राज्य निधि	..	1.41	1.41
		2210	01	110	01	80	राज्य निधि	..	9.35	9.35
		2210	01	110	01	81	राज्य निधि	..	0.94	0.94
		2210	01	110	01	88	राज्य निधि	..	3.00	3.00

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
026	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई--(समाप्त)	2210	01	110	01	89	राज्य निधि	..	2.15	2.15
		2210	01	110	03	08	राज्य निधि	..	2.00	2.00
		2210	02	101	03	04	राज्य निधि	..	1.80	1.80
		2210	05	001	01		राज्य निधि	..	1.53	1.53
		2210	05	105	01	01	राज्य निधि	..	59.33	59.33
		2210	05	105	01	22	राज्य निधि	..	43.48	43.48
		2210	05	105	01	23	राज्य निधि	..	0.69	0.69
		2210	05	105	01	24	राज्य निधि	..	7.98	7.98
		2210	05	105	01	25	राज्य निधि	..	0.63	0.63
		2210	05	105	01	26	राज्य निधि	..	2.25	2.25
		2210	05	105	01	28	राज्य निधि	..	0.98	0.98
		2210	05	800	01	02	राज्य निधि	..	48.80	48.80
		2210	06	104	04	01	राज्य निधि	..	0.65	0.65
		2210	06	104	04	01	केन्द्रीय सहायता	..	0.57	0.57
योग अनुदान 026								..	21,83.20	21,83.20
027	पेय जल योजना	2215	01	101	01		राज्य निधि	..	34.01	34.01
		2215	01	101	02		राज्य निधि	..	17.72	17.72
		2215	01	101	03		राज्य निधि	..	6.86	6.86
		2215	01	101	04		राज्य निधि	..	10.98	10.98

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
027	पेय जल योजना - (समाप्त)	2215	01	101	05		राज्य निधि	..	35.00	35.00
		2215	01	101	06		राज्य निधि	..	44.91	44.91
		2215	01	101	07		राज्य निधि	..	3,56.11	3,56.11
		2215	01	101	08		राज्य निधि	..	46.93	46.93
		2215	01	101	10		राज्य निधि	..	49.65	49.65
		2215	01	101	11		राज्य निधि	..	49.04	49.04
		2215	01	101	12		राज्य निधि	..	9,89.69	9,89.69
		2215	01	101	14		राज्य निधि	..	1,59.44	1,59.44
		2215	01	102	01		राज्य निधि	..	14,96.12	14,96.12
		2215	01	102	04		राज्य निधि	..	59.62	59.62
		2215	01	102	08	01	राज्य निधि	..	66,07.28	66,07.28
		2215	02	001	04		राज्य निधि	..	9,97.49	9,97.49
		2215	02	107	02		राज्य निधि	..	0.99	0.99
योग अनुदान 027								..	1,09,61.84	1,09,61.84
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202	01	796	08	02	राज्य निधि	..	10.85	10.85
		2202	02	796	17	01	राज्य निधि	..	2.76	2.76
		2202	02	796	17	02	राज्य निधि	..	1.10	1.10
		2202	02	796	17	03	राज्य निधि	..	3.84	3.84
		2202	03	796	04	01	राज्य निधि	..	0.26	0.26
		2205		796	03	01	राज्य निधि	..	1,69.89	1,69.89

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
030	जनजाति क्षेत्रीय विकास - (समाप्त)	2225	02	796	16	01	राज्य निधि	..	0.26	0.26
		2225	02	796	17	03	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2225	02	796	17	04	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2225	02	796	18	01	केन्द्रीय सहायता	..	11.06	11.06
		2225	02	796	21	01	राज्य निधि	..	3.85	3.85
		2225	02	796	21	02	राज्य निधि	..	1.52	1.52
		2236	02	197	03	02	राज्य निधि	..	19.14	19.14
		2236	02	197	03	02	केन्द्रीय सहायता	..	28.71	28.71
		2401		796	41		राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2406	01	796	04		राज्य निधि	..	1,74.29	1,74.29
		2700	27	796	01		राज्य निधि	..	19.40	19.40
		2700	27	796	02		राज्य निधि	..	71.49	71.49
योग अनुदान 030								..	5,23.40	5,23.40
033	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235	60	105	01		राज्य निधि	..	7.24	7.24
		2236	02	197	01	02	राज्य निधि	..	18.22	18.22
		2236	02	197	01	02	केन्द्रीय सहायता	..	27.32	27.32
योग अनुदान 033								..	52.78	52.78
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245	02	106	08	01	राज्य निधि	..	29,37.11	29,37.11
		2245	02	106	08	01	केन्द्रीय सहायता	..	84,79.09	84,79.09
		2245	02	107	02	01	राज्य निधि	..	3.20	3.20

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
034	प्राकृतिक आपदाओं से राहत - (समाप्त)	2245	02	107	02	01	केन्द्रीय सहायता	..	9.60	9.60
		2245	02	122	02	01	राज्य निधि	..	1,89.65	1,89.65
		2245	02	122	02	01	केन्द्रीय सहायता	..	5,49.54	5,49.54
योग अनुदान 034								..	1,21,68.19	1,21,68.19
036	सहकारिता	2425		001	04	01	राज्य निधि	..	16.75	16.75
योग अनुदान 036								..	16.75	16.75
037	कृषि	2401		103	01		राज्य निधि	..	0.93	0.93
		2401		103	02		राज्य निधि	..	0.30	0.30
		2401		103	15		राज्य निधि	..	0.58	0.58
		2401		105	11		राज्य निधि	..	4.79	4.79
		2401		105	13	01	राज्य निधि	..	0.41	0.41
		2401		107	06		राज्य निधि	..	5.25	5.25
		2401		107	07	02	राज्य निधि	..	0.99	0.99
		2401		107	08	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2401		109	01	05	राज्य निधि	..	2.00	2.00
		2401		109	13		राज्य निधि	..	12.93	12.93
		2401		800	22		राज्य निधि	..	44.73	44.73
		2401		800	35	02	राज्य निधि	..	1.42	1.42
		2401		800	35	02	केन्द्रीय सहायता	..	2.14	2.14
योग अनुदान 037								..	76.97	76.97

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
038	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	2402		102	02	19	राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2702	02	005	01		राज्य निधि	..	2.20	2.20
		2702	03	103	01	02	राज्य निधि	..	7,99.57	7,99.57
योग अनुदान 038								..	8,03.27	8,03.27
039	पशुपालन एवं चिकित्सा	2403		101	17		राज्य निधि	..	5.51	5.51
		2403		101	17		केन्द्रीय सहायता	..	8.48	8.48
		2405		101	04		राज्य निधि	..	2.99	2.99
योग अनुदान 039								..	16.98	16.98
041	सामुदायिक विकास	2515		001	02	01	राज्य निधि	..	6.42	6.42
योग अनुदान 041								..	6.42	6.42
043	खनिज	2853	02	001	06	02	राज्य निधि	..	19.99	19.99
योग अनुदान 043								..	19.99	19.99
044	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	2853	02	102	02	01	राज्य निधि	..	1.69	1.69
योग अनुदान 044								..	1.69	1.69
046	सिंचाई	2700	01	101	01	01	राज्य निधि	5,53.91	..	5,53.91
		2700	01	101	01	02	राज्य निधि	..	1,99.66	1,99.66
		2700	01	101	03	01	राज्य निधि	..	23.01	23.01

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2700	01	101	04	01	राज्य निधि	..	2,07.85	2,07.85
		2700	01	101	05	01	राज्य निधि	..	1,91.56	1,91.56
		2700	01	101	06	01	राज्य निधि	..	29,19.00	29,19.00
		2700	02	001	01	06	राज्य निधि	..	0.89	0.89
		2700	02	001	03	01	राज्य निधि	..	4.34	4.34
		2700	02	101	01	01	राज्य निधि	..	56.99	56.99
		2700	02	101	01	02	राज्य निधि	81.35	..	81.35
		2700	02	101	02	01	राज्य निधि	..	99.78	99.78
		2700	02	101	02	02	राज्य निधि	2,67.91	..	2,67.91
		2700	02	101	02	08	राज्य निधि	..	1,27.37	1,27.37
		2700	02	101	02	09	राज्य निधि	81.39	..	81.39
		2700	02	101	03	01	राज्य निधि	..	1,45.73	1,45.73
		2700	02	101	03	02	राज्य निधि	2,08.18	..	2,08.18
		2700	02	101	04	01	राज्य निधि	..	22.99	22.99
		2700	02	101	05	01	राज्य निधि	..	42.71	42.71
		2700	02	101	05	02	राज्य निधि	72.23	..	72.23
		2700	02	101	06	01	राज्य निधि	..	26.00	26.00
		2700	02	101	06	02	राज्य निधि	6.52	..	6.52
		2700	03	101	01	01	राज्य निधि	..	94,66.24	94,66.24
		2700	04	001	02	02	राज्य निधि	..	1,64.71	1,64.71
		2700	04	101	01	01	राज्य निधि	..	3,82.23	3,82.23

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2700	04	101	01	02	राज्य निधि	5,02.78	..	5,02.78
		2700	04	101	01	03	राज्य निधि	..	1.98	1.98
		2700	04	101	02	01	राज्य निधि	..	83.32	83.32
		2700	04	101	03	01	राज्य निधि	..	1,99.27	1,99.27
		2700	04	101	03	02	राज्य निधि	4,08.86	..	4,08.86
		2700	04	101	07	01	राज्य निधि	26,80.37	..	26,80.37
		2700	04	101	07	02	राज्य निधि	..	4,14.67	4,14.67
		2700	04	101	09	01	राज्य निधि	..	50.91	50.91
		2700	05	101	01		राज्य निधि	..	6,30.00	6,30.00
		2700	05	101	02	01	राज्य निधि	..	1,23.62	1,23.62
		2700	05	101	03	01	राज्य निधि	..	1,50.00	1,50.00
		2700	06	101	01	01	राज्य निधि	..	1.00	1.00
		2700	06	101	01	02	राज्य निधि	1,16.73	..	1,16.73
		2700	22	101	01	01	राज्य निधि	..	6.00	6.00
		2700	22	101	01	02	राज्य निधि	1,21.27	..	1,21.27
		2700	25	101	01	01	राज्य निधि	..	74.44	74.44
		2700	25	101	02	01	राज्य निधि	..	57.00	57.00
		2700	25	101	03	01	राज्य निधि	..	1,63.00	1,63.00
		2700	26	101	01	01	राज्य निधि	..	1,37.51	1,37.51
		2700	28	001	01		राज्य निधि	..	97.85	97.85
		2700	28	001	02		राज्य निधि	..	50.00	50.00

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2700	31	101	01	01	राज्य निधि	..	1,36.93	1,36.93
		2700	31	101	01	02	राज्य निधि	3,41.05	..	3,41.05
		2700	31	101	02	01	राज्य निधि	..	40.00	40.00
		2700	80	800	01	04	राज्य निधि	..	5.92	5.92
		2701	01	101	01	01	राज्य निधि	..	13.99	13.99
		2701	01	101	01	02	राज्य निधि	60.45	..	60.45
		2701	02	101	01	01	राज्य निधि	..	19.34	19.34
		2701	02	101	01	02	राज्य निधि	92.19	..	92.19
		2701	02	101	02	01	राज्य निधि	31.69	..	31.69
		2701	03	101	01	01	राज्य निधि	..	6.98	6.98
		2701	03	101	01	02	राज्य निधि	3,67.50	..	3,67.50
		2701	04	101	01	01	राज्य निधि	..	15.52	15.52
		2701	04	101	01	02	राज्य निधि	29.59	..	29.59
		2701	05	101	01	01	राज्य निधि	..	17.68	17.68
		2701	05	101	01	02	राज्य निधि	32.04	..	32.04
		2701	06	101	01	01	राज्य निधि	..	11.50	11.50
		2701	06	101	01	02	राज्य निधि	86.32	..	86.32
		2701	07	101	01	01	राज्य निधि	..	4.00	4.00
		2701	07	101	01	02	राज्य निधि	10.50	..	10.50
		2701	08	101	01	01	राज्य निधि	..	6.59	6.59
		2701	08	101	01	02	राज्य निधि	16.68	..	16.68

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (क्रमशः)	2701	09	101	01	01	राज्य निधि	..	3.98	3.98
		2701	09	101	01	02	राज्य निधि	13.91	..	13.91
		2701	10	101	01	01	राज्य निधि	..	2.98	2.98
		2701	10	101	01	02	राज्य निधि	28.61	..	28.61
		2701	23	101	01	01	राज्य निधि	3,13.29	1.00	3,14.29
		2701	24	101	01	01	राज्य निधि	..	59.13	59.13
		2701	24	101	01	02	राज्य निधि	92.22	..	92.22
		2701	27	101	01	01	राज्य निधि	..	7.00	7.00
		2701	27	101	01	02	राज्य निधि	27.79	..	27.79
		2701	30	101	01	01	राज्य निधि	..	3.50	3.50
		2701	30	101	01	02	राज्य निधि	33.77	..	33.77
		2701	31	101	01	01	राज्य निधि	..	0.99	0.99
		2701	31	101	01	02	राज्य निधि	30.70	..	30.70
		2701	33	101	01	01	राज्य निधि	..	3.48	3.48
		2701	33	101	01	02	राज्य निधि	75.53	..	75.53
		2701	35	101	01	01	राज्य निधि	..	18.00	18.00
		2701	35	101	01	02	राज्य निधि	34.59	..	34.59
		2701	38	101	01	01	राज्य निधि	..	1.50	1.50
		2701	38	101	01	02	राज्य निधि	64.01	..	64.01
		2701	40	101	01	01	राज्य निधि	..	3.00	3.00
		2701	40	101	01	02	राज्य निधि	75.76	..	75.76

परिशिष्ट संख्या X - (क्रमशः)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
046	सिंचाई - (समाप्त)	2701	41	101	01	01	राज्य निधि	..	1.99	1.99
		2701	41	101	01	02	राज्य निधि	42.95	..	42.95
		2701	43	101	01	01	राज्य निधि	..	3.74	3.74
		2701	43	101	01	02	राज्य निधि	29.46	..	29.46
		2701	44	101	01	01	राज्य निधि	2,66.80	5.99	2,72.79
		2701	45	101	01	01	राज्य निधि	..	0.50	0.50
		2701	48	101	01	01	राज्य निधि	89.61	2.00	91.61
		2701	60	101	01	01	राज्य निधि	..	2.48	2.48
		2701	60	101	01	02	राज्य निधि	62.27	..	62.27
		2701	64	101	01	01	राज्य निधि	..	0.99	0.99
		2701	64	101	01	02	राज्य निधि	41.48	..	41.48
		2701	65	101	01	01	राज्य निधि	..	3.50	3.50
		2701	65	101	01	02	राज्य निधि	14.42	..	14.42
		2701	80	005	01	02	राज्य निधि	..	43.92	43.92
		2702	01	800	01	01	राज्य निधि	..	9,24.81	9,24.81
		2702	01	800	02		राज्य निधि	..	4.00	4.00
		2702	01	800	03		राज्य निधि	..	9.97	9.97
योग अनुदान 046								75,06.68	1,77,08.53	2,52,15.21
047	पर्यटन	3452	80	001	01	01	राज्य निधि	..	1.00	1.00
योग अनुदान 047								..	1.00	1.00

परिशिष्ट संख्या X - (समाप्त)

(₹ लाख में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	व्यय शीर्ष					राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	समूह शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
051	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2405		789	02		राज्य निधि	..	0.74	0.74
		2406	01	789	04		राज्य निधि	..	91.98	91.98
		2406	01	789	05		राज्य निधि	..	7,04.60	7,04.60
		2705		789	01	01	राज्य निधि	..	29.74	29.74
		योग अनुदान 051 (राजस्व)						..	8,27.06	8,27.06
		4210	03	789	01	05	राज्य निधि	..	1,93.58	1,93.58
		योग अनुदान 051 (पूँजीगत)						..	1,93.58	1,93.58
योग अनुदान 051								..	10,20.64	10,20.64
योग (राजस्व)								2,45,35.75	9,95,08.96	12,40,44.71
योग (पूँजीगत)								..	1,93.58	1,93.58
कुल योग								2,45,35.75	9,97,02.54	12,42,38.29

**परिशिष्ट संख्या XI- वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय
या बजट में प्रस्तावित नयी योजनाएं ***

भविष्य रोकड़ प्रवाह के लिये बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं
पर वर्ष के दौरान मुख्य नीतिगत निर्णयों के लिये क्रियान्विति पर विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	नीति निर्णय/नयी योजना की प्रकृति	के लिए लागू			आवृत्ति के प्रकरण में, वार्षिक अनुमानों का निवल नकद प्रवाह पर प्रभाव इंगित		वार्षिक व्यय की प्रकृति के संदर्भ में इंगित				स्त्रोत जहां से नई योजनाओं पर व्यय की पूर्ति हो सके		
		प्राप्तियां/ व्यय/ दोनों	आवृत्ति / एक मुश्त	यदि एक मुश्त, प्रभाव इंगित	निश्चित अवधि (निर्दिष्ट अवधि)	स्थायी	राजस्व		पूंजीगत		राज्य के स्वयं के स्त्रोत	केन्द्रीय अंतरण	ऋण वृद्धि (विशिष्ट)
							केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	राज्य निधि			
1.	अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर से संबंधित दो करोड़ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकार्ड का डिजीटाईजेशन, माइक्रोफिल्मिंग और ऑनलाइन	व्यय	एक मुश्त	..	..	..	..	10,00.00	..	..	10,00.00	..	..

* राज्य सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ।

परिशिष्ट XII- सरकार के वचनबद्ध दायित्व *

भविष्य में राज्य के वचनबद्ध दायित्वों/बकाया दायित्वों का विवरण
(31 मार्च 2021 की स्थिति)

क. वचनबद्ध दायित्व

क्र. सं.	दायित्व की प्रकृति	दायित्व राशि (₹ लाख में)		प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्रोत			निपटान का संभावित वर्ष	चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व	बकाया शेष
				राज्यों के स्वयं के स्रोत	केन्द्रीय अंतरण	कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना)			

ख . बकाया दायित्व

क्र. सं.	दायित्व की प्रकृति	दायित्व राशि (₹ लाख में)		प्रस्तावित दायित्वों को पूरा करने के संभावित स्रोत			निपटान का संभावित वर्ष	चालू वर्ष के दौरान संपादित दायित्व	बकाया शेष
				राज्यों के स्वयं के स्रोत	केन्द्रीय अंतरण	कर्ज उठाना (निर्दिष्ट करना)			

* राज्य सरकार से बार-बार लिखे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

© भारत के नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक
2021

www.cag.gov.in